

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
थल सेना, आयुध फैक्ट्रियाँ और
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
2014 की संख्या 35

विषय-सूची

पैराग्राफ		पृष्ठ
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
अध्याय - I भूमिका		
1.1	प्राक्कथन	1
1.2	लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1
1.3	एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण	2
1.4	लेखापरीक्षा का प्राधिकार	2
1.5	लेखापरीक्षा नियोजन एवं संचालन	2
1.6	महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	3
1.7	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थापन में निरन्तर अनियमितता	5
1.8	लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया	5
1.9	पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही	5
1.10	वित्तीय पहलू तथा बजटीय प्रबंधन	6
1.11	अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान	7
1.12	थलसेना, आयुध निर्माणियाँ और अनुसंधान एवं विकास (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा-अनुदान संख्या 22,25,26 और 27	9
1.13	राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विश्लेषण (दत्तमत)	10
1.14	पूँजीगत व्यय का विश्लेषण - मुख्य शीर्ष-4076- अनुदान संख्या-27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	13
अध्याय - II रक्षा मंत्रालय		
2.1	टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब	16
2.2	₹ 27.32 करोड़ मूल्य के अस्वीकार्य उपकरण की अधिप्राप्ति	22
2.3	यूनाईटेड सर्विस क्लब, मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि	25
2.4	पट्टे वाली रक्षा भूमि पर अनियमित निर्माण	27
2.5	मांगी गई भूमि के लिए अधिक भुगतान किये गये किराये की गैर वसूली	29
2.6	कैप्टन भंडार विभाग द्वारा बैंडविड्थ प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय	30

अध्याय - III थलसेना		
3.1	रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों की अधिप्राप्ति में ₹ 88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय	32
3.2	वैधता अवधि के भीतर चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की विफलता के कारण ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय	33
3.3	फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रेप के संचयन न करने के कारण राजस्व की हानि	35
3.4	दोषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति	36
3.5	केन्द्रीय आयुध डिपो आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान कर अमितव्ययी रूप से जारी करना	39
3.6	लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां, बचतें और लेखाओं में समायोजन	41
अध्याय - IV कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ		
4.1	अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण पर परिहार्य व्यय	42
4.2	ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान	44
4.3	अनुचित स्थल के चुनाव के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ व्यय के बाद कार्य को रोकना	45
अध्याय - V सीमा सड़क संगठन		
5.1	एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए धन का अनधिकृत उपयोग	48
5.2	अवमृदा की जाँच के बिना पुल का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप ₹0.75 करोड़ की हानि	49
अध्याय - VI वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन में परियोजना प्रबंधन		
6	वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, अहमदनगर और लडाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, अवाड़ी	51
अध्याय - VII रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुदान सहायता योजना		
7	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुदान सहायता योजना	77
अध्याय - VIII आयुध फैक्ट्री संगठन		
8.1	आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्य निष्पादन	99
8.2	आयुध फैक्ट्रियों में भंडार सूची प्रबंधन	115
8.3	एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 भीष्म टैंकों का स्वदेशी उत्पादन	137
8.4	आयुध फैक्ट्रियों में क्षमता वृद्धि	153

8.5	एक मशीन को अनुपयुक्त रूप से स्थापित करने एवं संभालने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय	166
8.6	अवयवों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय	168
8.7	थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों की स्वीकृति	170
8.8	परिहार्य अधिप्राप्ति	171
8.9	अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण अलाभकारी उत्पादन	173
8.10	माइनों का दोषपूर्ण उत्पादन	175
8.11	विक्रय मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व की हानि	177
8.12	रायल्टी प्रभार का अतिरिक्त भुगतान	178
8.13	एक निजी विद्युत सुविधा प्रदाता को अनावश्यक लाभ	179
8.14	बिजली की दरों का परिहार्य भुगतान	180
8.15	लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूली की कार्रवाई	182
अध्याय - IX रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम		
9.1	एस यू 30 एम के आई एयरक्राफ्ट का लाइसेंस उत्पादन	183
9.2	कैप्टिव खपत हेतु विद्युत का उपयोग न होने के कारण हानि	210
9.3	क्षतिपूर्ति हजार्ने की वसूली न होना	212
9.4	एसीईएमयू कोचों की आपूर्ति में ₹ 9.81 करोड़ की हानि	214
9.5	सामग्री की खरीद में विलम्ब के कारण हानि	216
	परिशिष्ट-I	221
	परिशिष्ट-II	224
	परिशिष्ट-III	226
	परिशिष्ट-IV	227
	परिशिष्ट-V	228
	परिशिष्ट-VI	231
	परिशिष्ट-VII	234
	परिशिष्ट-VIII	235
	परिशिष्ट-IX	237
	परिशिष्ट-X	238
	परिशिष्ट-XI	239
	परिशिष्ट-XII	240
	परिशिष्ट-XIII	241

	परिशिष्ट-XIV	248
	परिशिष्ट-XV	251
	परिशिष्ट-XVI	253
	परिशिष्ट-XVII	255
	परिशिष्ट-XVIII	256
	परिशिष्ट-XIX	257
	परिशिष्ट-XX	258
	परिशिष्ट-XXI	260
	परिशिष्ट-XXII	263
	परिशिष्ट-XXIII	265
	परिशिष्ट-XXIV	267
	परिशिष्ट-XXV	268
	परिशिष्ट-XXVI	269
	परिशिष्ट-XXVII	272
	परिशिष्ट-XXVIII	273
	परिशिष्ट-XXIX	274
	परिशिष्ट-XXX	275

प्रस्तावना

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में थलसेना, आयुध निर्माणियों, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं तथा सीमा सड़क संगठन से संबंधित रक्षा मंत्रालय के वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा और परियोजनाओं/योजनाओं की निष्पादन समीक्षाओं के परिणाम समाविष्ट हैं। वर्ष 2012-13 के रक्षा सेवाओं के वित्तीय एवं विनियोजन लेखाओं के लिए उद्भूत मामलों को वर्ष 2014 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 1 (वित्तीय लेखापरीक्षा) में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टान्त उल्लिखित किए गए हैं जो 2012-13 की अवधि में लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही ऐसे मामले जो पूर्ववर्ती वर्षों में सामने आए, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे; 2012-13 की अवधि के परवर्ती मामले भी जहाँ कहीं आवश्यक थे सम्मिलित किए गए हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को रिपोर्ट करते हुए इस प्रतिवेदन में 39 पैराग्राफ (इसमें छः निष्पादन समीक्षाएँ और एक वृहत पैराग्राफ समाविष्ट है) सम्मिलित हैं, जैसा कि अध्याय II और उसके आगे विवेचित है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर रक्षा मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

विहंगावलोकन

टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब ।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो एक रक्षा पी एस यू है, ने भारतीय थलसेना की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और विदेशी विनिमय में बचत करने हेतु चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स ओमनीपॉल के साथ 1986 में टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए एक सहयोग उपबंध पर हस्ताक्षर किए। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य परिकल्पित किया गया था। तथापि, 2014 तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। बी ई एम एल ने 1986 और 1991 के बीच वाहनों के पर्याप्त संख्या में आदेश देने में मंत्रालय की विफलता को इस विलंब का मुख्य कारण बताया। थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिए गए आदेशों में स्पष्ट कमी के कारण टाट्रा वाहनों की स्वदेशीकरण प्रक्रिया को नुकसान हुआ। इसके परिणामस्वरूप टाट्रा वाहनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य विफल हो गया।

(पैराग्राफ 2.1)

₹ 27.32 करोड़ मूल्य के अस्वीकार्य उपकरणों की अधिप्राप्ति ।

रक्षा मंत्रालय ने रासायनिक एजेंटों एवं विषैले औद्योगिक मिश्रणों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जनवरी 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच ₹27.32 करोड़ मूल्य के 999 व्यक्तिगत रासायनिक एजेंट डिटेक्टरों आई सी ए डी का आयात किया। डी पी पी द्वारा निर्धारित प्रकार से, जहाँ उपकरण को संभावित रूप में तैनात किया जाना है, ऐसे परिवेश में फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों के न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹27.32 करोड़ मूल्य के त्रुटिपूर्ण आई सी ए डी को स्वीकार किया गया था। जून 2014 के अनुसार फर्म द्वारा अगस्त 2011 से इन उपकरणों का प्रतिस्थापन किया जाना था।

(पैराग्राफ 2.2)

यूनाईटेड सर्विस क्लब मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि।

यूनाईटेड सर्विस क्लब मुम्बई के कब्जे वाली रक्षा भूमि के लिए पट्टा करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोलाबा के स्थानीय सैन्य अधिकारियों की विफलता और आगे रक्षा संपदा विभाग द्वारा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में प्रतिवर्ष ₹5.74 करोड़ के राजस्व की आवर्ती हानि हुई। संसद की लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन की कि यू.एस. क्लब के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी, निगरानी करने में रक्षा मंत्रालय विफल रहा, जिसके कारण 114.85 करोड़ मूल्य की ए-1 रक्षा भूमि का सरकार की मंजूरी के बिना प्रतिवर्ष 0.36 लाख के नाममात्र किराए पर व्यावसायिक दोहन जारी रहा।

(पैराग्राफ 2.3)

पट्टे वाली रक्षा भूमि पर अनियमित निर्माण

किरकी छावनी में ₹4.56 एकड़ भूमि के साथ ओल्ड ग्रांट बंगले को आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था। रक्षा संपदा अधिकारी (डी ई ओ) द्वारा पावर ऑफ अटार्नी धारक (पी ओ ए एच) के

साथ पुनर्निर्माण हेतु अनियमित विलेख का निष्पादन तथा पी ओ ए एच/अधिभोग अधिकार धारक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने में डी ई ओ और छावनी कार्यकारी अधिकारी की विफलता ने ₹ 22.14 करोड़ मूल्य की रक्षा भूमि पर एक सामुदायिक केंद्र का अवैध निर्माण करने के लिए पी ओ ए एच को सुकर बनाया।

(पैराग्राफ 2.4)

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों की अधिप्राप्ति में ₹88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय।

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आने वाली मदों की अधिप्राप्ति में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, थलसेना द्वारा विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिएबल, जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नहीं हुई। अनुकूलता समस्या का समाधान किए बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर किए गए ₹88.39 करोड़ के व्यय ने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुनिश्चित सुरक्षा के उद्देश्य को विफल कर दिया।

(पैराग्राफ 3.1)

फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रेप के संचयन न करने के कारण राजस्व की हानि।

इस अनुदेश के बावजूद कि फील्ड फायरिंग रेंज से गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के स्क्रेप को संचयन हेतु नियमित संविदा अन्तिम रूप से न होने पर किराये के सिविल श्रम के माध्यम से ₹2.32 करोड़ की 285 मॉट्रिक टन धातु स्क्रेप को संग्रहण करने में सैन्य अधिकारी विफल रहे।

(पैराग्राफ 3.3)

दोषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति ।

यह जानने के बावजूद कि टायरों को घटिया किस्म की सामग्री से विनिर्मित किया गया था, सेना मुख्यालय ने टायरों की अधिप्राप्ति पर ₹ 2.65 करोड़ खर्च किये।

(पैराग्राफ 3.4)

सी ओ डी आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान कर अमितव्ययी रूप से जारी करना।

सेना मुख्यालय द्वारा 2009 के दौरान ₹7.16 करोड़ की लागत की बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान करने के कारण विशाल भंडार को परिसमाप्त करने के लिए कम लागत वाली बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में 2013 के दौरान ₹1.91 करोड़ लागत की बैटरी 'ए' का अमितव्ययी रूप से जारी की।

(पैराग्राफ 3.5)

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ, बचतें और लेखाओं के समायोजन।

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुवर्तन पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 68.01 करोड़ के शुद्ध प्रभावयुक्त वेतन एवं भत्तों, विविध प्रभारों और विद्युत प्रभारों की वसूलियों से सम्बन्धित भुगतानाधिक्य की वसूली की, कार्यों की अनियमित संस्वीकृतियों को निरस्त किया और वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

(पैराग्राफ 3.6)

अतिरिक्त आवास इकाईयों के निर्माण पर परिहार्य व्यय ।

जे सी ओ हेतु विवाहितों के आवास की आवश्यकता को सही निर्धारण करने में स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों चैन्ने की विफलता के फलस्वरूप कुल ₹1.79 करोड़ की लागत पर आवश्यकता से अधिक 17 आवासिय इकाईयों का निर्माण किया।

(पैराग्राफ 4.1)

ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान।

मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल ने 13 गोलाबारूद भंडारण के आवासों के निर्माण हेतु एक संविदा की जिसके लिए दुर्ग अभियंता ने खाली उपलब्ध स्थल हेतु एक गलत प्रमाण पत्र जारी किया। कार्य के समापन में इस अत्यधिक विलंब के कारण समापन अवधि के अंदर कार्य के समापन हेतु ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार के अतिरिक्त ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त वृद्धि प्रभार के रूप में परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

अनुचित स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ व्यय के बाद कार्य को रोकना।

सैन्य अभियंता सेवाएँ और स्थानीय सेना प्राधिकारियों ने सेना के लिए विवाहितों के आवास के अलावा ओ.टी.एम. के निर्माण हेतु योजना चरण पर उचित स्थल को अभी निर्धारण नहीं कर सके, इसके परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ खर्च करने के उपरान्त कार्य को पहले ही बंद कर दिया गया।

(पैराग्राफ 4.3)

एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए धन का अनधिकृत उपयोग।

दो सीमा सड़क कार्य दलों के लिए दो भंडारण आवासों के निर्माण हेतु आबंटित किया गया धन ₹ 0.93 करोड़ 489 वर्ग मीटर का स्वीकृत क्षेत्र के प्रति 1556 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ बड़ा बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण अनधिकृत प्रयोग के लिए किया गया।

(पैराग्राफ 5.1)

अवमृदा की जाँच के बिना पुल का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.75 करोड़ की हानि

मुख्य अभियंता (परियोजना) पुष्पक के अधीन कार्य दल द्वारा अवमृदा की जाँच किये बिना जो भारतीय सड़क कांग्रेस के संहिताओं के तहत आवश्यक थी पुल के कार्य के लिए नींव की खुदाई पर ₹0.75 करोड़ खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप लोकधन की हानि हुई क्योंकि स्थल भूस्खलन संभावित क्षेत्र बन गया जो अवमृदा के बाद सचेत किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 5.2)

वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन अहमदनगर और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, अवाडी में परियोजना प्रबंधन।

रक्षा सेनाओं द्वारा माँगे गए उत्पादों की डिलिवरी के लिए अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान सी वी आर डी ई एवं वी आर डी ई द्वारा ली गई स्टाफ एवं टी डी/आर एण्ड डी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न देखा गया:

सी वी आर डी ई में:- अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक दो स्टाफ परियोजनाओं को बंद किया जिसमें से एक परियोजना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के दौर से गुजर रही थी परन्तु उत्पादनकरण अभी भी होना था। अन्य परियोजना में हालाँकि प्रयोक्ता द्वारा विकसित प्रणाली को स्वीकार किया गया था, पर विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पादनकरण नहीं हो सका।

वी आर डी ई में :- अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक के दौरान बंद की गई 9 परियोजनाओं में से मात्र एक परियोजना उत्पादनकरण के दौर से गुजरी। अन्य परियोजना के लिए हालाँकि प्रयोगशाला द्वारा यह कहा गया कि परियोजना सफलतापूर्वक समाप्त हुई है, सेवा में शामिल करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृत विवरण प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तीसरी परियोजना में परियोजना माँग को आंशिक रूप में पूरा किया और शेष छः परियोजनाओं में प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृति के मामलों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी।

सामान्य स्टाफ गुणात्मक माँग के बिना परियोजनाओं की शुरूआत करना, अपेक्षित डेलिवरेबल्सों को विकसित करने में प्रयोगशाला की विफलता तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन इस सफलता के लिए मुख्य कारण थे।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/आर एण्ड डी परियोजनाए:- दो प्रयोगशालाओं द्वारा ली गई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थिति भी उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि बंद की गई 51 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाए ऐसी प्रौद्योगिकी को स्टाफ परियोजनाओं में उपयोग में नहीं ला सकी।

(अध्याय-VI)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना

वैज्ञानिक महत्व की समस्याओं पर और अधिकतर रक्षा हितों वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने हेतु आई आई टीज़ विश्वविद्यालयों, उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थानों आदि में स्वदेशी रूप में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए रक्षा सहायता अनुदान योजना शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के प्रबंधन तथा मॉनीटरिंग में फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किए जाने वाले परिणामक तथा गुणवत्तमक लक्ष्य को परिभाषित किए बिना परियोजना प्रदान करना जैसी कमियां थी। अधिकांश व्यय उपकरणों की खरीद पर हुआ था परंतु अधिकांश मामलों में उपकरणों के निपटान को प्राप्तकर्ता संस्थानों की इच्छा

के अनुसार उनपर छोड़ा दिया गया। ऐसी परिस्थिति में यह योजना संतोषजनक नहीं है। आधारभूत अवसंरचना के सृजन के लिए धन भी योजना के प्रावधानों के विरुद्ध संस्वीकृत किया गया था।

(अध्याय VII)

आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन, जिसके अंतर्गत 41 आयुध फैक्ट्रियाँ (परियोजना स्तर पर दो फैक्ट्रियों को मिलाकर) कार्यरत हैं, में 96,317 कार्मिक कार्यरत हैं, जो प्राथमिक रूप से देश के सशस्त्र बलों के लिए शस्त्र, गोला-बारूद, उपस्कर, वस्त्रों आदि का उत्पादन करता है। फैक्ट्रियाँ, आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) के अंतर्गत कार्य करती हैं। 2011-2012 में राजस्व व्यय 11 प्रतिशत बढ़ा किंतु 2012-2013 में मामूली रूप से 2 प्रतिशत घट गया। भंडार (48 प्रतिशत) एवं निर्माण व्यय (36 प्रतिशत) मिलाकर कुल राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था। तथापि दोनों अवयवों में 2012-2013 में थोड़ी कमी आई: भंडार में 7 प्रतिशत तथा निर्माण में 2 प्रतिशत।

2012-2013 के दौरान ₹ 349 करोड़ के पूंजीगत व्यय लगभग 2008-2009 के स्तर पर ही रहा तथा बोर्ड के कुल व्यय का 3 प्रतिशत था।

2012-2013 के दौरान 529 मदों के निर्माण का लक्ष्य था जिसके प्रति आयुध फैक्ट्रियों की सफलता का स्तर केवल 31 प्रतिशत रहा। संघटकों की समय से प्राप्ति तथा मांगों में अस्थिरता, सफलता का स्तर कम होने के प्रमुख कारण थे।

2012-2013 के दौरान, उत्पादन लागत (₹15972.44 करोड़) 2011-2012 की तुलना में लगभग समान ही रहा जिसमें भंडार, श्रम एवं उपरिव्यय लागत का भाग क्रमशः 61 प्रतिशत, 11 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत रहा। आठ आयुध फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक रही। प्रत्येक 1.97 प्रत्येक श्रम पर एक पर्यवेक्षण अधिकारी के साथ पर्यवेक्षण प्रभार उच्च होने के कारण, उपरिव्यय अधिक रहा।

बोर्ड ने बताया कि 2012-2013 के दौरान, 2011-2012 की अपेक्षा ₹ 71 करोड़ (0.56 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2012-2013 के दौरान निर्मित आधिक्य ₹118 करोड़ (16 प्रतिशत) कम हो गया। उत्पादों में प्रति-परिदान होने के कारण बोर्ड में अपर्याप्त लागत नियंत्रण था।

निर्यात से प्राप्त राजस्व 2011-2012 के ₹ 46 करोड़ से घटकर 2012-2013 में ₹15 करोड़ (67 प्रतिशत) हो गया।

(पैराग्राफ 8.1)

आयुध फैक्ट्रियों में भंडार-सूची प्रबंधन

आयुध फैक्ट्रियों में ₹10490 करोड़ (31 मार्च 2013) का भंडार विद्यमान था जो उत्पादन लागत का दो तिहाई था। हमारी लेखापरीक्षा में 2010-2011 से 2012-2013 के वर्षों के दौरान, भंडार-सूची प्रबंधन के संबंध में आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निष्पादन तथा नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों को शामिल किया गया है। चयनित फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर ₹ 4799 करोड़ मूल्य का भंडार विद्यमान था जो 31 मार्च 2013 को सभी आयुध फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित कुल भंडार का 46 प्रतिशत था।

विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) अर्थात् फैक्ट्री के भंडार अनुभाग में उपलब्ध कच्चे माल का भंडार आयुध फैक्ट्रियों में एक गंभीर विषय है। 31 मार्च 2013 को नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में उपलब्ध भंडार का

50 प्रतिशत एस.आई.एच. के रूप में था जिसका मूल्य ₹ 2425 करोड़ था। नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में निष्क्रिय एस.आई.एच. अर्थात् वे मद जो क्रय के पश्चात तीन अथवा अधिक वर्षों से उपयोग में नहीं लाए गए, 2010-2013 के दौरान 73 प्रतिशत बढ़ गया। हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में एस.आई.एच. का 95 प्रतिशत भाग प्राधिकृत सीमा से अधिक था। सीमा से अधिक रक्षित इन मदों का 4/5 से अधिक भाग वे मद थे जो हमारे विश्लेषण की अवधि 2012-2013 के दौरान बिल्कुल उपयोग में नहीं लाए गए। ₹ 96 करोड़ मूल्य के मद केवल निर्धारित भंडारण सीमा से अधिक ही नहीं थे बल्कि 2010-2013 के दौरान उनकी अधिप्राप्ति के पश्चात एक बार भी उपयोग में नहीं लाए गए। उपयोग के सभी विकल्पों के उपयोग की वर्तमान प्रक्रिया विफल रही जिसके कारण निष्क्रिय भंडार निर्मित हुआ। दूसरी तरफ, सक्रिय भंडार की परिभाषा (एक मद 'सक्रिय' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह वर्ष के दौरान एक भी यूनिट उपयोग कर लिया जाता है) प्रतीकात्मक उपयोग का भारी जोखिम उत्पन्न करता है जिसके कारण उसे निष्क्रिय भंडार से अलग रखा गया है। सभी नौ फैक्ट्रियों ने ₹ 373 करोड़ मूल्य के 5925 मदों के प्रति प्रतीकात्मक उपयोग दर्ज किया जो कि एक सामान्य रूझान था।

जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.) वह सामग्री होती है फैक्ट्री के उत्पादन शॉप में उत्पादन के अधीन होती है। 2010-2013 के दौरान नौ फैक्ट्रियों में डब्ल्यू.आई.पी. 21 प्रतिशत बढ़ गया तथा मार्च 2013 तक डब्ल्यू.आई.पी. का मूल्य ₹ 1501 करोड़ हो गया। डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि का उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप न होना, खुले अधिपत्रों अर्थात् कई कारणों से उत्पादन के बन्द होने के बावजूद खुले अधिपत्रों के प्रति सामग्री अथवा श्रम की छद्म प्रविष्टि के जोखिम की ओर इंगित करता है। यद्यपि अधिपत्रों का 6 माह के अंदर समापन हो जाना चाहिए किंतु आठ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में 17 प्रतिशत अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे। एक वर्ष से अधिक अवधि तक खुले अधिपत्रों का मूल्य ₹ 434 करोड़ था फैक्ट्रियाँ अस्वीकृत स्टॉक को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा पारगमन भंडार के रूप में कुछ मामलों में 20 वर्ष से अधिक अवधि से दर्शा रहीं थी जो कि प्रकाश में नहीं लाया जा सका। सामग्री की पुनरीक्षा तथा अस्वीकृति के कारण हानि के लिए दायित्व तय करने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण फैक्ट्रियों में अस्वीकृत भंडार को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा एस.आई.टी. के रूप में दिखाकर अस्वीकृति को "छिपाने" की प्रवृत्ति बढ़ी जबकि दायित्व तय करने में विलंब से उद्देश्य पूर्ण न हो सका।

भौतिक सत्यापन द्वारा प्रदत्त आश्वासन अपर्याप्त था तथा उससे भंडारों के भौतिक उपलब्धता की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होती थी। शॉप से मांग नोट के बिना सामग्री के 'ऋण निर्गम' के उपयोग के लिए बोर्ड की संस्वीकृति नहीं थी जो एक अनुचित प्रथा है। बोर्ड द्वारा भंडारण की पुनरीक्षा विस्तृत नहीं थी तथा उससे फैक्ट्रियों को स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश नहीं प्राप्त होते थे।

(पैराग्राफ 8.2)

एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 भीष्म टैंक का देशज उत्पादन

2002-2009 के दौरान, मंत्रालय के 124 एम.बी.टी. अर्जुन के प्रवर्तन की योजना के प्रति आयुध फैक्ट्रियों ने 2004-2013 के दौरान, थलसेना को 119 एम.बी.टी. अर्जुन की आपूर्ति की। रूस के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (2001) के आधार पर, 2006-2010 के दौरान 300 देशज टी-90 टैंकों के प्रदाय की योजना समय से पूरी न हो सकी तथा मात्र 225 टी-90 टैंकों का उत्पादन हुआ और 2009-2013 की अवधि में केवल 167, टी-90 टैंकों को थल सेना को निर्गमित किया जा सका। दोनों टैंकों के उत्पादन में अत्यधिक विलंब के कारण, ₹ 4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों का नवीन आयात (नवंबर 2007) करना पड़ा। यद्यपि सितंबर 2011 में स्वीकृत, टी-90 टैंकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की परियोजना अत्यंत धीमी थी, थलसेना से एम.बी.टी. अर्जुन के अग्रिम आदेशों के अभाव में एम.बी.टी. अर्जुन के लिए विद्यमान सुविधाएँ अल्प प्रयुक्त रहीं।

(पैराग्राफ 8.3)

आयुध फैक्ट्रियों में क्षमता वृद्धि

दस आयुध फैक्ट्रियों (जिनकी प्रतिदर्श जाँच हुई) में मशीनरी की अधिप्राप्ति से उत्पादन क्षमता में कमी का रूझान था जो कि 2010-2011 के 683 लाख घंटों से घट कर 2012-2013 में 639 लाख घंटे हो गया। ₹ 343 करोड़ मूल्य के 170 मशीनों (36 प्रतिशत) की प्राप्ति में विलंब तथा ₹ 317 करोड़ मूल्य की 213 मशीनों (29 प्रतिशत) की स्थापना में विलंब के कारण फैक्ट्रियाँ आधुनिकीकरण का समय से लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं। प्रेषण पूर्व जाँच तथा स्थापना पूर्व परीक्षण में कमियों के कारण मशीनों की स्थापना में विलंब हुआ तथा कुछ मामलों में, गुणवत्ता से समझौता करके मशीनरी की स्वीकृति हुई। अल्प उपयोग की अत्यधिक आवृत्ति (21 से 24 प्रतिशत मशीनें, क्षमता का 30 प्रतिशत उपयोग हुई) एवं खराबियों के कारण फैक्ट्रियाँ अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहीं। ये विषय, जो कि बोर्ड के निष्पादन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, पर उच्चतम स्तर के प्रबंधन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

(पैराग्राफ 8.4)

अवयवों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सहयोगी फैक्ट्रियों के कुल व्यवसाय लागत से अधिक सामग्री की लागत होने के कारण ₹ 3.99 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके बावजूद भी आयुध फैक्ट्री कटनी/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ द्वारा आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से रोड एल्युमिनियम एलाय/कापर ट्यूब की अधिप्राप्ति।

(पैराग्राफ 8.6)

थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों की स्वीकृति

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप थोक उत्पादन स्वीकृति के प्राप्ति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों के स्वीकृति के कारण ₹ 93.61 लाख की हानि।

(पैराग्राफ 8.7)

अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण अलाभकारी उत्पादन

अंतर फैक्ट्री मांग के द्वारा मैग्जीन संयोजन के पर्याप्त भंडार के बावजूद राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने ₹ 1.27 करोड़ की दर पर स्प्रिंग प्लेटफार्म की खरीददारी की जो कि परिहार्य था तथा जिसके कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई।

(पैराग्राफ 8.9)

माइनों का दोषपूर्ण उत्पादन

मरम्मत/प्रतिस्थापना के बिना सेना डिपो में ₹ 35.97 करोड़ की कीमत के माइनों के पृथकता के कारण जुड़ाव को ठीक तरह से सील करने की उनकी असफलता एवं आयुध फैक्ट्री चांदा/उच्च विस्फोटक फैक्ट्री किरकी से दोषपूर्ण माइनों का उत्पादन।

(पैराग्राफ 8.10)

एक निजी विद्युत सुविधा प्रदाता को अनावश्यक लाभ

आयुध फैक्ट्री बोर्ड/गन एवं शेल फैक्ट्री काशीपुर के निर्धारित दरों के अनुसार एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता से पट्टा किराया एवं प्रीमियम वसूली के असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई तथा इसके कारण एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक लाभ हुआ।

(पैराग्राफ 8.13)

सुखॉय -30 एम के आई वायुयान का लाइसेंस उत्पादन

चूँकि मिग-21 सीरीज वायुयानों को कलप्रभावित बेड़े जिनका तकनीकी जीवनकाल जल्दी ही समाप्त होनेवाला था को उड़ान 2000 से 2010 तक बंद किया जाता था, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने रूसी सरकार से 50 सुखॉय -30 एम के वायुयानों की सीधी खरीद की (1996 और 1998)। 140 वायुयानों, 920 इंजनों एवं वायुवाहित उपकरणों के 140 सेटों के उत्पादन के लिए भारत को लाइसेंस तथा तकनीकी प्रलेखन के हस्तांतरण के लिए रूस के साथ एक अंतरसरकारी उपबंध किया (अक्टूबर 2000)।

(पैराग्राफ 9.1.2.1)

इसके अनुसार तथा तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए आई ए एफ ने चार चरणों में एच ए एल से वायुयानों के लिए आदेश दिया (जनवरी 2001), जिसके अनुसार सुपुर्दगी 2017-18 तक निर्धारित की गई है। एच ए एल ने बाद में लाइसेंस उत्पादन को सुगम बनाने के लिए रोसोबोरोएक्सपोर्ट (आर ओई) के साथ एक सामान्य संविदा की। मार्च 2006 में, लड़ाकू वायुयानों के बलस्तरो में अत्यधिक कमी का विचार करते हुए परिवर्तित चरण संरचना के साथ सुपुर्दगी 2014-15 तक करने के लिए निर्धारित की गई थी

(पैराग्राफ 9.1.2.3)

तत्काल आवश्यकता के रूप में 40 अतिरिक्त वायुयानों के लिए आई ए एफ के प्रस्ताव के आधार पर 'बाई' से 'मेक' में अधिप्राप्ति को संशोधित करने के एच ए एल के अनुरोध पर विचार करते हुए एक दूसरा आदेश एच ए एल को दिया। आई ए एफ के बल स्तरों में कमी से बचने तथा एच ए एल के पास उपलब्ध टी ओ टी का उपयोग करने के लिए पुनरादेश के रूप में 42 वायुयानों की आपूर्ति के लिए एच ए एल को और एक आदेश दिया गया।

(पैराग्राफ 9.1.2.5)

एच ए एल को आर ओ ई से यथा अपेक्षित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सभी संघटक प्राप्त नहीं हुए, जिसने डिलिवरेबल्स की सामयिक आपूर्ति को प्रभावित किया। 2009-10 से निर्धारित कच्चे माल स्टेज से इंजनों का उत्पादन दिसंबर 2013 तक भी शुरू नहीं किया गया था। वायुयाना तथा इंजनों की मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए प्रलेखन की प्राप्ति में विलंब था, जिसके परिणामस्वरूप मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए सुविधाएं स्थापित करने में विलंब हुआ। खरीद उत्पादन अनुसूची के तुल्यकालिक नहीं होने के कारण एच ए एल ने आवश्यकता के पहले ही ₹ 1,725.41 करोड़ की वस्तुसूची की अधिप्राप्ति की। एच ए एल में वायुयानों के लिए मरम्मत एवं ओवरहॉल सुविधाओं की विलंबित स्थापना के कारण आई ए एफ द्वारा टी बी ओ जीवनकाल को 10 वर्षों से 12 वर्षों में बढ़ाया गया।

(पैराग्राफ 9.1.3.2, 9.1.3.3, 9.1.3.4., 9.1.3.5 और 9.1.3.6)

आई ए एफ को एच ए एल से 2012-13 तक देय 112 वायुयानों के प्रति 81 वायुयान प्राप्त हुए। यह आर ओ ई से तकनीकी प्रलेखों की प्राप्ति तथा प्राप्त त्रुटिपूर्ण टूलिंग के परिशोधन में विलंब के कारण था। स्नैग परिशोधन के कारण संकेतन के पश्चात भी वायुयान को पार उतारने में 275 दिनों तक के विलंब हुए थे। एम ओ डी ने वायुयानों की विलंबित आपूर्ति के कारण एच ए एल से ₹ 96.26 करोड़ की परिनिर्धारित हानियों की वसूली की। यद्यपि यह विलंब आर ओ ई के कारण हुआ था, परंतु समर्थक प्रावधान के अभाव में आर ओ ई से एच ए एल उसकी वसूली नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, आर ओ ई के साथ रोल उपकरणों हेतु उपबंध करने में विलंब के कारण एच ए एल समय पर उसका परिदान नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एम ओ डी ₹ 4.77 करोड़ की परिनिर्धारित हानियां लगाई गईं। दिसंबर 2000 की सामान्य संविदा में निदिष्ट मूल्य की अवहेलना करते हुए इंजन किटों की अधिप्राप्ति के लिए एच ए एल द्वारा नयी दरों की स्वीकृति के कारण ₹ 66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 9.1.4.1, 9.1.4.2, 9.1.4.4. और 9.1.4.10)

एम ओ डी के साथ की गई संविदा में भारग्रहण वर्ष के संदर्भ के बिना देर उद्धृत करने तथा वृद्धि खंड का समावेश न करने के कारण एच ए एल आई ए एफ को ग्राउंड हैडलिंग उपकरण / ग्राउंड सपोर्ट उपकरण की आपूर्ति में ₹ 66.61 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 9.1.4.5.1)

संविदा में संशोधन करते समय एम ओ डी द्वारा गलत विनिमय दर अपनाने के कारण, 40 वायुयानों के लिए अतिरिक्त संविदा के प्रति वायुयानों की आपूर्ति में एच ए एल को ₹ 101.72 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9.1.4.6)

कच्चे माल से स्वदेशी रूप से विनिर्मित वायुयानों पर एयरफ्रेम का अनिवार्य फटींग परीक्षण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 9.1.4.11)

कैप्टिव खपत हेतु पावर का उपयोग न होने के कारण हानि।

कैप्टिव खपत हेतु विन्ड मिल फार्म द्वारा उत्पादित पावर का उपयोग न करना तथा पावर का क्रय करने के लिए भोस्का पावर निगम लिमिटेड और बेंगलोर बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (बी ई एस सी ओ एम) को किये गये भुगतान से कम कीमत पर बी ई एम एल लिमिटेड द्वारा हुबली बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (एच ई एस सी ओ एम) को पावर की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹5.67 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9.2)

क्षतिपूर्ति हर्जाने की वसूली न करना।

बी ई एम एल लिमिटेड द्वारा एल डी की गैर पर्वतनीय शर्तों की स्वीकृति से भुगतान को रोकने में दो बार विफलता के परिणामस्वरूप ₹12 करोड़ की एल डी की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 9.3)

ए सी ई एम यू डिब्बों की आपूर्ति में ₹9.81 करोड़ की हानि ।

बी ई एम एल द्वारा एयर कन्डिशनिंग इलेक्ट्रिक मलटीपल यूनिट की आपूर्ति के प्रस्ताव में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹5.51 करोड़ की वसूली नहीं हुई और डिब्बों की आपूर्तियों में विलंब होने के परिणामस्वरूप ₹2.99 करोड़ के निर्णित हरजाने का भुगतान किया। आगे, निर्धारित सुपुर्दगी सूची के बाद सुपुर्दगियों हेतु दिए गए उत्पाद शुल्क के रूप में कम्पनी ने ₹1.31 करोड़ समायोजित किये क्योंकि सुपुर्दगी सूची का विस्तार निराकरण खण्ड के साथ था।

(पैराग्राफ 9.4)

सामग्री की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण हानि ।

कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति में विलंब से ₹15.52 करोड़ की मूल्य वृद्धि की वसूली नहीं हुई और फलस्वरूप पूर्ति में विलंब के परिणामस्वरूप मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर ₹1.47 करोड़ की एल डी लगी।

(पैराग्राफ 9.5)

अध्याय I : भूमिका

1.1 प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय और इसके निम्नलिखित संगठनों में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित है:-

- थलसेना;
- अन्तर्सेवा संगठन;
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थलसेना और आयुध फैक्ट्रियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं;
- रक्षा लेखा विभाग;
- आयुध फैक्ट्रियां और
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए आवश्यक है कि रिपोर्टिंग के विषय का स्तर लेन-देन की मात्रा और विस्तार के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा की जाँच के परिणाम से अपेक्षा है कि कार्यकारिणी उपचारात्मक कार्यवाही से ऐसी नीति और निर्देश बनाए जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारा जा सके, इस प्रकार अच्छे प्रबंधन और उन्नत सामरिक तैयारी करने में सहायता मिलेगी।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार की व्याख्या के अतिरिक्त विशिष्ट लेखापरीक्षा आपत्तियों का सारांश है इसके पश्चात उपरोक्त संगठनों के व्ययों पर संक्षिप्त विश्लेषण दिया गया है। तदोपरांत अध्यायों में मंत्रालय और उपरोक्त संगठनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन समीक्षाओं से निकली विस्तृत उपलब्धियां और आपत्तियां प्रस्तुत हैं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का मुखिया एक सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का मुखिया होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है।

थलसेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए थलसेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

डीआरडीओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक, उपकरणों, अभियांत्रिकी प्रणाली, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

अन्तर्सेवा संगठन जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य इंजीनियरी सेवाएं (एम.ई.एस.), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सेवार्थ है। ये सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ.एफ.बी.) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख महानिदेशक, आयुध निर्माणियाँ होता है। उनतालिस आयुध फैक्ट्रियाँ सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कुल नौ डी पी एस यू हैं जिनके मुखिया चैयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं।

1.3 एकीकृत वित्तीय सलाह एवं नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं की एक पूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। रक्षा मंत्रालय में पूर्ण एकीकृत वित्त विभाग के साथ सचिव (रक्षा वित्त) और उनके अधिकारीगण लोक निधि से हुए व्यय से संबंधित सभी प्रस्तावों की जांच करते हैं। सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा मंत्रालय और सैन्य सेवाओं को सभी स्तरों पर वित्तीय सलाह प्रदान करने और रक्षा व्यय के राजकोषीय नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है।

रक्षा सेवाओं के मुख्य लेखांकन अधिकारी होने के नाते सचिव (रक्षा वित्त) रक्षा व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा व लेखांकन हेतु भी उत्तरदायी है। यह दायित्व रक्षा लेखा विभाग, जिसका मुखिया महानियंत्रक रक्षा लेखा होता है, के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारे लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी.ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम के सेक्शन 13¹ के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम के सेक्शन 14² के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के नियम और प्रणालियाँ “लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007” में निहित हैं।

1.5 लेखापरीक्षा का नियोजन एवं संचालन

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया पूरे संगठन के जोखिम के मूल्यांकन और प्रत्येक यूनिट पर किए गए व्यय, कार्यकलाप की समीक्षा और जटिलता, दी गई वित्तीय शक्तियों का स्तर, संपूर्ण आंतरिक नियंत्रण और स्टैकहोल्डर के बारे में मूल्यांकन से प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा पर निर्णय लिया जाता है। लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम मूल्यांकन के आधार पर बनाई जाती है।

¹ (i) भारत की समेकित निधि से हुए सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखों से संबंधित लेन-देन (iii) सभी व्यापार, उत्पादन, लाभ एवं हानि लेखों और तुलन-पत्रों एवं अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा।

² भारत की समेकित निधि या किसी भी राज्य या किसी भी संघ शासित प्रदेश द्वारा निकायों या प्राधिकारियों जो बड़ी मात्रा में अनुदान या ऋण के द्वारा वित्त प्राप्त करते हैं, के प्राप्ति एवं व्ययों की लेखापरीक्षा

प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा समाप्त होने के पश्चात उसके परिणाम स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एल.टी.ए.आर.) के माध्यम से यूनिट प्रमुख को जारी किए जाते हैं। यूनिटों से लेखापरीक्षा जांच परिणाम का उत्तर एल.टी.ए.आर. प्राप्त होने के एक माह के भीतर देने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा टिप्पणियां या तो निपटा दी जाती हैं अथवा अनुपालन हेतु आगे कार्यवाही की सलाह प्रदान कर दी जाती है। इन एल.टी.ए.आर. में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2012-13 के दौरान 18,785³ लेखापरीक्षा-दिवस लगाकर 614⁴ यूनिटों/फार्मेशनों की लेखापरीक्षा की गई थी। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों/फार्मेशनों, जिनमें जोखिम की संभावना ज्यादा हो, को उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों द्वारा कवर किया गया है।

1.6 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

जहाँ तक रक्षा क्षेत्र की लेखापरीक्षा का संबंध है, रक्षा मंत्रालय तथा सेवा संगठनों द्वारा की जाने वाली पूंजीगत और राजस्व अधिप्राप्तियाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाते हैं। लेखापरीक्षा अपने पुराने प्रतिवेदनों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया की कमियों को इंगित करता रहा है एवं रक्षा मंत्रालय ने निहित प्रक्रिया में सुधार के लिए कई प्रकार के उपाय किये हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) एवं रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) का आवधिक पुनरीक्षण बेहतर कार्यप्रणाली को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान प्रतिवेदन में उन मामलों को उजागर किया गया है जोकि परिचालन संबंधी तैयारी में उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण माने गए हैं। रक्षा भूमि का गलत प्रबंधन, सर्विदा का खराब प्रबंधन, सर्विदाकारों को अस्वीकार्य भुगतान करना, निम्न स्तर के भंडारों की अधिप्राप्ति, अधिक भुगतान आदि से संबंधित मामलों को भी यह प्रतिवेदन उजागर करता है, जिनका तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है।

- बी ई एम एल ने रक्षा मंत्रालय के दृष्टांत पर टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) के साथ 28 वर्ष पहले 1986 में एक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण करने का लक्ष्य परिकल्पित किया गया था। हालांकि, 2014 तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। बी ई एम एल ने 1986 और 1991 के बीच पर्याप्त संख्या में वाहनों के आदेश देने में मंत्रालय की विफलता को इस विलंब का मुख्य कारण बताया। थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिये जाने वाले आदेशों के स्पष्ट अभाव के कारण टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण प्रक्रिया का नुकसान हुआ। जिसके परिणामस्वरूप टाट्टा वाहनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य विफल हो गया। (पैराग्राफ 2.1)
- रक्षा मन्त्रालय ने रसायनिक एजेंटों एवं विषाक्त औद्योगिक कम्पाउंडों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जनवरी 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच ₹ 27.32 करोड़ लागत के व्यक्तिगत रसायनिक एजेंट डिटेक्टरों की 999 संख्या को आयात किया। डी पी पी द्वारा निर्धारित भारतीय परिस्थितियों में फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों/सिम्युलेटेड परीक्षणों के न करने के परिणामस्वरूप ₹ 27.32 करोड़ के त्रुटिपूर्ण आई सी ए डीयों की स्वीकृति हुई। अगस्त 2011 से इन उपकरणों का प्रतिस्थापन फर्म से जून 2014 तक प्रतीक्षित था। (पैराग्राफ 2.2)

³ कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान उपयोग किए गए पार्टी-दिवसों की संख्या

⁴ कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा नई दिल्ली और कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध फैक्ट्रियां) कोलकाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा की गई यूनिटों/फार्मेशनों की संख्या

- रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आनेवाली मदों की अधिप्राप्ति के लिए विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिएबल, जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नहीं हुई। एन बी सी सूट परमिएबल के बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर ₹ 88.39 करोड़ का व्यय किया गया, जिसने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुनिश्चित सुरक्षा के उद्देश्य को विफल कर दिया। (पैराग्राफ 3.1)
- सेना मुख्यालय ने फरवरी 2008 में ₹ 2.97 करोड़ की लागत से 3717 टायर्स की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिया। फर्म को सामान की आपूर्ति अगस्त 2008 तक करनी थी। फर्म ने विनिर्माण दोष के साथ घटिया किस्म की सामग्री के टायरों की आपूर्ति की। डिफेक्ट रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना लम्बित होने के बाद भी सेना मुख्यालय के क्रय अधिकारी टायरों की अधिप्राप्ति को निलंबित नहीं किए। फर्म द्वारा दोषपूर्ण टायरों की निरंतर आपूर्ति के कारण ₹ 2.65 करोड़ का भुगतान किया गया। (पैराग्राफ 3.4)
- जे सी ओ के लिए विवाहित आवास की आवश्यकता का सही ढंग से आकलन करने में चेन्नई स्थानीय सैन्य अधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 1.79 करोड़ की लागत पर 17 आवासीय इकाइयों का आवश्यकता से अधिक निर्माण हुआ और बाद में फील्ड क्षेत्रीय परिवार आवास के रूप में उनका पुनः विनियोग हुआ। एक अन्य मामले में, स्टेशन कमांडर पुणे ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 47 लाख की लागत पर बनाए गए चार लेफ्टिनेंट आवासीय इकाइयों को ब्रिगेडियर और ऊपर के अधिकारियों के लिए 'अतिथि कक्षों' के रूप में विनियोजन कर दिया। (पैराग्राफ 4.1)
- महानिदेशक सीमा सड़क ने दो भंडारण आवास के निर्माण के लिए ₹ 0.90 करोड़ मूल्य के दो कार्य संस्वीकृत किए। ये फण्ड वास्तव में 1556 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का एक बहुउद्देशीय हॉल बनाने के लिए उपयोग किया गया जिसके कारण भंडारण आवास बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। (पैराग्राफ 5.1)
- रक्षा रूची के क्षेत्रों में स्वदेश में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने हेतु डी आर डी ओ द्वारा 1969 में आरम्भ की गई अनुदान सहायता योजना का निष्पादन संतुष्टि से परे था। योजना के प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग में अनुचित बजट निरूपण प्रक्रिया, फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किये जाने वाले परिमाणानुसंगत तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य को निर्धारित किए बिना परियोजना प्रदान करना, संबंधित पारियों से समुचित प्रतिक्रिया के लिए योजना का प्रचार एवं ऐसा कोई प्रमाण न होना जो कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा सर्वोत्तम सम्भावित प्रस्तावों के चयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह दर्शाता है कि आनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्ताव पर विधिवत विचार तथा उनका उचित रूप मूल्यांकन किया गया था, जैसी असाधारण कर्मिया थी। (पैराग्राफ 7)
- 2002-2009 के दौरान, मंत्रालय के 124 एम.बी.टी. अर्जुन के प्रवर्तन की योजना के अनुरूप आयुध फैक्ट्रियों ने 2004-2013 के दौरान, थलसेना को 119 एम.बी.टी. अर्जुन की आपूर्ति की। रूस के साथ तकनीकी हस्तांतरण (2001) के आधार पर, 2006-2010 के दौरान 300 स्वेदशी टी-90 टैंकों के प्रदाय की योजना समय से पूरी न हो सकी तथा मात्र 225 टी-90 टैंकों का उत्पादन हुआ और 2009-2013 की अवधि में केवल 167 टी-90 टैंकों को थल सेना को निर्गमित किया जा सका। दोनों टैंकों के उत्पादन में अत्यधिक विलंब के कारण, ₹ 4913 करोड़ मूल्य के टी-90 टैंकों का नवीन आयात (नवंबर 2007) करना पड़ा। यद्यपि सितंबर 2011 में स्वीकृत, टी-90 टैंकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की परियोजना अत्यंत धीमी

थी, थलसेना से एम.बी.टी. अर्जुन के अग्रिम आदेशों के अभाव में एम.बी.टी. अर्जुन के लिए विद्यमान सुविधाएँ अल्प प्रयुक्त रहीं। (पैराग्राफ 8.3)

1.7 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संस्थापन में निरन्तर अनियमितता

2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 तथा 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 में स्टाफ परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अनुसार परियोजना डेलिवरेबल्सो का वास्तविक रूप में न आने वाले मामलों को हाईलाइट किया गया है। तथापि, कोई विशिष्टतापूर्ण सुधार नहीं देखा गया जैसा कि अध्याय VI में रिपोर्ट दिया गया। इस संबंध में सुधारत्मक कदम तत्काल लेने की जरूरत है।

1.8 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में रखने के लिए नामांकित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों का ध्यान लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर खींचते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिया जाता है। इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है क्योंकि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में रखने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, अप्रैल 2014 तथा अक्टूबर 2014 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय II से VII तक के 19 पैरा में से 17 पैरा अध्याय VIII में समाविष्ट 15 पैराग्राफों में से 13 तथा अध्याय IX में शामिल 05 पैराग्राफों में से 02 पैरों के उत्तर नहीं भेजे (अक्टूबर 2014)। तथापि, थलसेना मुख्यालय, आयुध फैक्ट्री बोर्ड तथा डीपीएसयू प्रबंधन की प्रतिक्रिया, जब कभी भी प्राप्त हुई, उन्हें उपयुक्त प्रकार से रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया है।

1.9 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यकारी अधिकारी की जवाबदेहिता लागू करने के लिए लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत प्रकार से जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

सितम्बर 2014 तक थलसेना से संबंधित की गई कार्यवाही टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक के 71 पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 11 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 18 (क्र.स.1से 18) में की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि परिशिष्ट -I में दिखाया गया है।

1.10 वित्तीय पहलू तथा बजटीय प्रबंधन

1.10.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय के बजटीय आबंटन की आठ अनुदान मांगों के अधीन समविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित है।

- दो सिविल अनुदान जिसमें मांग संख्या 20, रक्षा सेवाएं (सिविल) एवं मांग संख्या 21-रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं।
- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान निम्नवत् है:
मांग संख्या 22 रक्षा सेवाएं-थलसेना
मांग संख्या 23 रक्षा सेवाएं-नौ सेना
मांग संख्या 24 रक्षा सेवाएं- वायु सेना
मांग संख्या 25 रक्षा आयुध निर्माणियां
मांग संख्या 26 रक्षा सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)
मांग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल)के अनुदान हेतु मांगों के अंतर्गत आनेवाली को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।
- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- ❖ **राजस्व व्यय:** इसमें वेतन एवं भत्ते,परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक,पूज आदि),राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये,दर एवं कर आदि) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल है।
- ❖ **पूंजीगत व्यय:** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेवाओं का आधुनिकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंक, नौसैनिक पोत, वायुयान और एरो इंजन, गोदीबाडे, आदि पर किए गए व्यय आने हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के अंतर्गत सकल व्यय प्रावधान हेतु संसद⁵ की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। छः मांगों, अर्थात् मांग संख्या 22 से 27 तक के लिए रक्षा सेवाओं पर किए गए शुद्ध व्यय तक पहुँचने हेतु सकल व्यय से प्राप्तियों एवं वसूलियों जिसमें अधिशेष/ अप्रचलित भंडारों का विक्रय लाभ, राज्य सरकारों/ अन्य मंत्रालयों आदि को प्रदत्त सेवाओं के कारण प्राप्तियां जैसी मदें सम्मिलित है, तथा अन्य फुटकर मदों को घटाया जाता है। अनुदान संख्या 23 - रक्षा सेवाएँ नौसेना तथा अनुदान संख्या-24- रक्षा सेवाएँ वायुसेना के अलावा जिन्हें अलग रिपोर्ट में प्रकट किया गया है, का सारांश विश्लेषण नीचे दिया गया है।

1.10.2 अनुदान संख्या 20 रक्षा मंत्रालय का सिविल व्यय

मांग संख्या 20 के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए बजटीय प्रावधान तथा राजस्व और पूंजीगत व्यय समेत वास्तविक व्यय नीचे तालिका -1 में दर्शाया गया है:

⁵ रक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट संख्या 20 (2012-13 पंद्रहवीं लोक सभा)

तालिका -1 बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय: रक्षा मंत्रालय (सिविल)

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
16,598.24	15,800.00	15,609.71

वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 14,012.06 करोड़ के सकल राजस्व व्यय के प्रमुख घटक कैंन्टीन भंडार विभाग (सी एस डी)(₹10,765.51 करोड़), रक्षा लेखा विभाग (₹1,030.60 करोड़), तटरक्षक संगठन (सी जी ओ) (₹ 944.73 करोड़), रक्षा संपदा संगठन (डी ई ओ) (₹ 244.10 करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इंफन्ट्री (जे एंड के एल आई)(₹ 853.24 करोड़), आदि है। संशोधित अनुमान 2012-13 में ₹ 1,597.65 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय में मुख्य आबंटन अन्य वित्तीय सेवाओं सीमाशुल्क विभाग (₹ 1,564.71 करोड़), गृह एवं कार्यालय भवन (₹ 35.74 करोड़), तथा सी एस डी द्वारा संचालित यूनिट कैंन्टीनों (यू आर सी) के लिए विविध ऋण (₹ 0.75 करोड़), के लिए पूंजीगत परिव्यय हैं।

1.10.3 अनुदान संख्या 21- रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत रक्षा पेंशन विभाग तीनों सेवाओं अर्थात् थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना के सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारी सहित) तथा आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों आदि के संबंध में पेंशन प्रभारों का प्रावधान करता है। वह सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन, पेंशन का परिणत मूल्य, छुट्टी का नकदीकरण आदि का भुगतान करता है।

इस अनुदान के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के लिए बजटीय आबंटन और व्यय की स्थिति निम्नवत है:

तालिका-2 बजटीय आवंटन एवं वास्तविक व्यय रक्षा पेंशन

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
39,000.00	39,500.00	43,367.71

1.11 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.11.1 सरसरी दृष्टि से


2008 -09 से 2012-13 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट, आवंटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारत) तालिका-3 एवं चार्ट -1 में निम्नवत दर्शाया गया है:

तालिका-3 कुल रक्षा बजट आवंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2008-09	1,25,414.04	1,18,006.03
2009-10	1,48,499.26	1,45,781.04
2010-11	1,56,126.83	1,58,723.20
2011-12	1,78,891.06	1,75,897.94
2012-13	1,98,525.90	1,87,469.00

चार्ट -1 बजट प्रावधान बनाम वास्तविक व्यय




- वास्तविक रक्षा संबंधी आंकड़ा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 58.86 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 में वृद्धि 6.58 प्रतिशत है।

1.11.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पूंजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे चार्ट-2 में दर्शाया गया है

चार्ट -2 राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय



उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का अनुपात 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 35 से 39 प्रतिशत के बीच रहा है। तथापि, 2012-13 में पिछले वर्ष से एक प्रतिशत में घटत हुई।

1.12 थलसेना, आयुध निर्माणियां और अनुसंधान एवं विकास (पूंजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22,25,26,और 27⁶

2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शानेवाला व्यय (दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका -4 में दर्शाया गया है:

तालिका -4 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी का व्यय (दत्तमत)

		(₹ करोड़ में)				
अनुदान का विवरण	व्यय का घटक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
थलसेना	वास्तविक	59,663.53	77,512.29	80,789.82	86,776.05	94,274.06
	राजस्व	49,052.51 (82.22%)	62,716.64 (80.91%)	65,001.96 (80.46%)	71,832.66 (82.78%)	79,516.95 (84.35 %)
	पूंजीगत	10,611.02 (17.78%)	14,795.65 (19.09%)	15,787.86 (19.54%)	14,943.39 (17.22%)	14,757.11 (15.65 %)
आयुध निर्माणी	वास्तविक	3,309.13	3,520.27	1,527.00	1,704.15	2,116.26
	राजस्व	2,957.00 (89.36%)	3,279.98 (93.17%)	1,073.42 (70.30%)	1,427.94 (83.79%)	1,754.03 (82.88%)
	पूंजीगत	352.13 (10.64%)	240.29 (6.83%)	453.58 (29.70%)	276.21 (16.21%)	349.07 (16.60%)
आर एंड डी	वास्तविक	7,730.66	8,507.87	1,0191.99	9,932.29	9,860.56
	राजस्व	3,873.55 (50.11%)	4,355.57 (51.20%)	5,230.88 (51.32%)	5,321.24 (53.58%)	5,218.32 (52.92%)
	पूंजीगत	3,857.11 (49.89%)	4,152.30 (48.81%)	4,961.11 (48.68%)	4,611.05 (46.43%)	4,642.24 (47.08%)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिया हुआ अंक राजस्व/पूंजीगत व्यय को वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।


- 2012-13 के दौरान थलसेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 1.25 प्रतिशत की कमी और राजस्व व्यय में 10.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2012-13 से दौरान आयुध निर्माणियों के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 24.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 31.14 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 22.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2012-13 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 0.72 प्रतिशत की कमी हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 0.68 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 1.93 प्रतिशत की कमी हुई।

⁶ अनुदान संख्या 23-नौसेना एवं अनुदान संख्या-24-वायुसेना-का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना एवं नौसेना के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है।

1.12.1 थलसेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय का विश्लेषण -पूँजीगत और राजस्व

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय दोनों पूँजीगत और राजस्व का प्रवृत्ति नीचे चार्ट -3 में दर्शायी गई है:

चार्ट-3 थलसेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल पूँजीगत और राजस्व व्यय का विशेषण



- **थलसेना:** वर्ष 2012-13 में वर्ष 2008-09 की तुलना में थलसेना के कुल व्यय के राजस्व घटक में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 2008-09 में 82 प्रतिशत थी वह 2012-13 में 84 प्रतिशत हो गई, जबकि पूँजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 18 प्रतिशत (2008-09) से 16 प्रतिशत (2012-13) में तदनुरूप कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणियाँ :** वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणियों के कुल वास्तविक व्यय के राजस्व घटक में 2008-09 में 89 प्रतिशत से 2012-13 में 83 प्रतिशत हुई जिससे 6 प्रतिशत की कमी आई जबकि पूँजीगत घटक में 11 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक अनुरूप प्रतिशतता में वृद्धि हुई।
- **अनुसंधान एवं विकास:** आर एण्ड डी के राजस्व व्यय में 2008-09 से 2012-13 के दौरान 2008-09 में 50 प्रतिशत से 2012-13 में 53 प्रतिशत तक 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पूँजीगत व्यय में 50 प्रतिशत से 47 प्रतिशत की समरूपी प्रतिशतता के रूप में कमी आई।

1.13 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विश्लेषण (दत्तमत)

1.13.1 थलसेना (दत्तमत)


2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थलसेना के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे तालिका -5 और चार्ट- 4 में दर्शाया गया है:

तालिका -5 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	भंडार (लघु शीर्ष-110)	निर्माण कार्य (लघु शीर्ष-111)	राष्ट्रीय राइफलस (लघु शीर्ष-112)	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	अन्य व्यय (लघु शीर्ष- 800)
2008-09	24,656.04	10,712.51	4,282.97	2,419.72	2,353.11	1,370.11
2009-10	36,896.23	9,404.65	4,608.34	3,047.58	3,132.27	1,380.31
2010-11	35,445.39	12,144.48	5,308.35	3,098.71	3,051.42	1,475.79
2011-12	39,996.27	12,442.20	5,708.68	3,585.38	3,361.21	1,644.18
2012-13	46,057.23	12,749.70	5,768.73	4,076.22	3,673.96	1,638.63

चार्ट-4 थलसेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- व्यय में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि : 2008-09 से 2012-13 के दौरान थलसेना और सहायक सेनाओं के वेतन एवं भत्ते, असैनिकों के वेतन एवं भत्ते और राष्ट्रीय राइफलस से संबंधित व्यय के लघु शीर्षों के अंतर्गत क्रमशः 86.80 प्रतिशत, 56.13 प्रतिशत और 68.46 प्रतिशत के हिसाब 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.13.2 आयुध निर्माणियां (दत्तमत)


2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के छह लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका- 6 और चार्ट- 5 में दर्शाया गया है:

तालिका -6 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष 110	निर्माण लघु शीर्ष 054	अन्य व्यय लघु शीर्ष 800	नवीनीकरण एवं आरक्षित निधि (आर एवं आर) लघु शीर्ष -797	नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष -106	परिवहन लघु शीर्ष -105
2008-09	4,948.22	2,858.54	483.05	271.00	276.22	73.62
2009-10	5,965.16	3,566.03	506.74	280.00	228.24	86.59
2010-11	5,704.96	3,499.75	582.66	600.00	207.82	110.73
2011-12	6,101.41	4,415.33	649.75	325.00	310.25	115.98
2012-13	5,691.76	4,335.73	767.68	350.00	415.85	135.01

चार्ट -5 आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- 'परिवहन', 'अन्य व्यय', 'निर्माण', 'नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन', 'आर एवं आर निधि', तथा भंडारण लघु शीर्ष के अंतर्गत, व्यय में 2008-09 से 2012-13 अवधि के दौरान क्रमशः 83.39 प्रतिशत, 63.06 प्रतिशत, 51.68 प्रतिशत, 50.55 प्रतिशत, 29.15 प्रतिशत तथा 15.09 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

1.13.3 अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)


2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय अनुसंधान एवं विकास के छः लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे तालिका-7 और चार्ट-6 में दर्शाया गया है:

तालिका -7 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भंडार लघु शीर्ष-110	असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष -102	आर एंड डी लघु शीर्ष-004	निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष -101	अन्य व्यय लघु शीर्ष-800
2008-09	1,395.99	1,096.76	696.51	374.86	140.67	97.87
2009-10	1,453.76	1,525.66	562.81	411.80	220.34	101.31
2010-11	1,665.91	1,409.71	1,218.25	492.17	201.61	144.02
2011-12	1,774.18	1,534.88	983.91	543.20	198.23	167.55
2012-13	1,870.19	1,694.22	516.97	621.39	226.38	163.43

चार्ट -6 अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक



- लघु शीर्ष-‘वर्क्स’ तथा ‘अन्य व्यय’ में 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान व्यय में क्रमशः 65.76 प्रतिशत तथा 66.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी गई है।
- “ अनुसंधान एवं विकास”: दूसरी ओर 2008-09 से 2012-13 की अवधि दौरान “ अनुसंधान एवं विकास पर 25.77 प्रतिशत की कमी को दर्शाया गया है। तथापि, 2012-13 के दौरान पिछले से 47.46 प्रतिशत की विशिष्टतम कमी हुई।

1.14. पूंजीगत व्यय का विश्लेषण - मुख्य शीर्ष-4076 अनुदान संख्या-27- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

1.14.1 पूंजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष है, उप मुख्य शीर्ष -01-थलसेना, उप मुख्य शीर्ष-02-नौसेना, उप मुख्य शीर्ष-03 वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष-04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05-आर एंड डी , उप मुख्य शीर्ष-06 निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष-07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष -08 प्रौद्योगिकी विकास।

1.14.2 थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी के पूंजीगत व्यय (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी अर्थात् उप मुख्य शीर्ष-01, 04 और 05 के पूंजीगत व्यय का ब्यौरे नीचे तालिका -8 में दर्शाए गए है:

तालिका -8 कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल पूंजीगत व्यय	थलसेना का पूंजीगत व्यय	आयुध निर्माणियों का पूंजीगत व्यय	आर एण्ड डी का पूंजीगत व्यय
2008-09	40,894.97	10,611.02	352.13	3,857.11
2009-10	51,019.42	14,795.65	240.29	41,52.30
2010-11	62,011.53	15,787.86	453.58	4,961.11
2011-12	67,843.96	14,943.39	276.21	4,611.05
2012-13	70,483.32	14,757.11	349.07	4,642.24

- **रक्षा सेवाओं का कुल पूंजीगत व्यय:** 2008-09 से 2012-13 के दौरान रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय में 72.35 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में थलसेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी के पूंजीगत व्यय में घटक-वार वृद्धि क्रमशः 39.09 प्रतिशत, 2.87 प्रतिशत और 20.36 प्रतिशत थी।
- **थलसेना का पूंजीगत व्यय:** रक्षा सेवाओं के कुल पूंजीगत व्यय के प्रति थलसेना के पूंजीगत व्यय घटक में 2008-09 में 25.95 प्रतिशत से 2012-13 में 20.94 प्रतिशत तक 5 प्रतिशत की कमी हुई। 2012-13 के दौरान रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 3.89 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद थल सेना के पूंजीगत व्यय में पूर्व के वर्ष की तुलना में 1.25 प्रतिशत की कमी हुई है।
- **आयुध निर्माणी का पूंजीगत व्यय:** 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में कुल पूंजीगत व्यय के एक घटक के रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 2008-09 में कुल पूंजीगत व्यय के 0.86 प्रतिशत से 2012-13 में 0.50 प्रतिशत तक कमी आई। पूर्व के वर्ष की तुलना में आयुध निर्माणी के पूंजीगत व्यय में 2012-13 में 26.38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई दी।
- **आर एण्ड डी का पूंजीगत व्यय:** कुल पूंजीगत व्यय तुलना में, आर एंड डी के पूंजीगत व्यय में लगभग 3 प्रतिशत अर्थात् 9.43 प्रतिशत (2008-09) से 6.59 प्रतिशत (2012-13) की कमी दिखाई दी। पूर्व के वर्ष की तुलना में आर एण्ड डी का पूंजीगत व्यय 0.68 प्रतिशत बढ़ा है।

1.14.3 पूंजीगत व्यय (दत्तमत) में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय में 'बचत' और 'आधिक्य' की प्रवृत्ति नीचे तालिका-9 में दर्शायी गई है:

⁷ एस एम एच -02 तथा एस एम एच -03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायुसेना तथा नौसेना की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एसएमएच -08 के संबंध में 2008-09 से 2012-13 के दौरान कुल व्यय क्रमशः 71.76 करोड़ तथा 111.05 करोड़ था। एस एम एच-07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

तालिका -9 पूंजीगत व्यय में बचत/ आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल अनुदान (दत्तमत)	कुल व्यय	कुल पूंजीगत अनुदान के अधीन	
			बचत(-)	आधिक्य(+)
2008-09	47,976.10	40,894.98	7,081.12 (14.76%)	-
2009-10	54,779.62	51,019.42	3,760.20 (6.86%)	-
2010-11	60,776.21	62,011.52	-	1,235.31 (2.03 %)
2011-12	69,148.01	67,843.96	1,304.04 (1.89%)	-
2012-13	79,526.99	70,483.32	9,043.67 (11.37%)	

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिया हुआ अंक बचत (-)/ आधिक्य (+) को कुल अनुदान (दत्तमत) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान वर्ष 2010-11 को छोड़कर लगातार 'बचत' हुई थी, जबकि 2.03 प्रतिशत का 'अधिक्य' था। इस अवधि के दौरान 'बचत' 14.76 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत के बीच रही है।
- वर्ष 2011-12 के दौरान हुई ₹ 1,304 करोड़ (1.89 प्रतिशत) से वर्ष 2012-13 में ₹ 9,043.67 करोड़ (11.37 प्रतिशत) की बचत में वृद्धि देखी गई। तथापि बचत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम कार्य दिवस में समर्पण की गयी ₹ 9,990.79 करोड़ (4.17 प्रतिशत) की राशि की निधि जो कि बचत से ज्यादा थी।

अध्याय II : रक्षा मंत्रालय

2.1 टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब

बी ई एम एल ने रक्षा मंत्रालय के दृष्टांत पर टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) के साथ 28 वर्ष पहले 1986 में एक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण करने का लक्ष्य परिकल्पित किया गया था। हालांकि, 2014 तक यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। बी ई एम एल ने 1986 और 1991 के बीच वाहनों के पर्याप्त संख्या में आदेश देने में मंत्रालय की विफलता को इस विलंब का मुख्य कारण बताया। थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिये जाने वाले आदेशों के स्पष्ट अभाव के कारण टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण प्रक्रिया का नुकसान हुआ। जिसके परिणामस्वरूप टाट्रा वाहनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता का लक्ष्य विफल हो गया।

रक्षा उत्पादों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयासों⁸ के बावजूद अपने रक्षा उत्पादों के लिए भारतीय थलसेना की निर्भरता, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अभी भी जारी है। रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान (आई डी एस ए) ने भारतीय रक्षा उद्योग पर अपनी प्रतिवेदन (जुलाई 2013) में कहा था कि भारत 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान अपनी रक्षा पूँजीगत अधिग्रहण बजट का 52 से 61 प्रतिशत आयात पर खर्च कर रक्षा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा आयातक था। भारत में रक्षा उपस्करों के लिए उद्योगों का विकास करने की दृष्टि से नौ रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (डी पी एस यूज) और 39 आयुध निर्माणियों (ओ एफ) को रक्षा उत्पादों के डिजाइनिंग तथा समाकलित करने का कार्य प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग, (डी डी पी) उनके कार्यकलापों का निरीक्षण करता है। विदेशी मूल उपस्कर निर्माता (ओ ई एम) से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी ओ टी) के द्वारा वे अपने इन-हाउस उत्पादन कार्यक्रमों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र की मांगों की आपूर्ति करते हैं। डी पी एस यूज की उत्पाद श्रेणी में रक्षा क्षेत्र के वायुयान, युद्धपोत, पनडुब्बियां, भारी वाहन व अर्थ मूवर्स, प्रक्षेपास्त्र, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य महत्वपूर्ण उपस्कर शामिल हैं।

इन उत्पादों की श्रेणी में टाट्रा वाहन, जिसका प्रयोग प्रक्षेपास्त्रों तथा रेडारों को विशेष दिशा में निश्चित करने हेतु सबसे व्यापक रूप में किया जाता है तथा जिसकी अधिप्राप्ति भारतीय थलसेना द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी ई एम एल) से किया जाता है, को समग्र जांच के लिए चयनित किया गया। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग, थल सेना मुख्यालय, बी ई एम एल बेंगलूरु, केन्द्रीय आयुध डिपो⁹ देहू रोड तथा दो थलसेना बेस कार्यशालाओं¹⁰ में जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 के दौरान लेखापरीक्षा की गई। अक्टूबर 2014 तक की नवीनतम स्थिति का पता लगाकर इस प्रतिवेदन को अद्यतन किया गया है।

टाट्रा वाहन सभी भू-प्रदेशों के लिए डिजाइन किया गया विशेष 'बी'¹¹ टाइप अर्थात गैर-लडाकू वाहन है जिसका प्रयोग भारतीय थलसेना में अधिकांशतः टैंकों के परिवहन के लिए तथा प्रक्षेपास्त्र लांचर, गन टोविंग ट्रैक्टर, गोला-बारूद वाहक, फायर क्रैश टेंडर एवं मध्यम रिकवरी वाहन आदि के रूप में भी किया जाता है।

⁸ 1948 और उसके बाद के भारत सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प

⁹ सी ओ डी देहू रोड टाट्रा पुर्जों के भंडारण, प्रवाधान एवं अधिप्राप्ति लिए समर्पित डिपो है।

¹⁰ 508 थलसेना बेस कार्यशाला, इलाहाबाद तथा 510 थलसेना बेस कार्यशाला मेरठ को टाट्रा वाहनों के ओवरहॉल का कार्य सौंप गया है।

¹¹ वर्ग 'बी' वाहन वे हैं जिनका प्रयोग भारतीय थलसेना में गैर लडाकू प्रयोजनों के लिए किया जाता है

इन वाहनों का आयात चोकोस्लोवाकिया के मेसर्स ओमनीपॉल (ओ ई एम) से 1969 से किया जा रहा था। मई 1983 से पूर्व थलसेना लगभग 1340 टाट्रा वाहनों का आयात कर चुकी थी जब भारत सरकार ने इच्छा जतायी कि इनकी भावी आवश्यकतओं कि पूर्ति ओ ई एम के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध के आधार पर स्वदेशी उत्पादन के द्वारा किया जाए, जो विदेशी विनियम (एफ ई) की बचत और टाट्रा वाहनों के अनुक्षण, तथा कलपुर्जे के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सहायक होगा।

बी ई एम एल, जो एक डी पी एस यू है, को टाट्रा वाहनों के स्वदेशी उत्पादन के लिए मंत्रालय द्वारा 1983 में चुना गया तथा मई 1986 में बी ई एम एल ने 10 वर्ष की वैध अवधि के साथ टाट्रा वाहनों तथा कल पुर्जे के अधिकृत उत्पादन¹² के लिए ओ ई एम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बी ई एम एल द्वारा जून 1986 में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार की गई, जिसके अनुसार 1986 से 1991 तक पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से 1030 टाट्रा वाहनों का उत्पादन कर अधिकतम 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त किया जाना था। इस उद्देश्य के लिए ₹ 29.45 करोड़ की लागत पर सिविल निर्माण कार्य और संयंत्र व मशीनरी सहित कुछ उत्पादन सुविधाएं क्रमशः 1987 से 1991 तक बी ई एम एल में स्थापित किए जाने थे जिसका अनुमोदन सी सी पी ए¹³ द्वारा किया गया था (फरवरी 1987)। सी सी पी ए के अनुमोदन में 1990-91 के अंत तक स्वदेशीकरण हो जाने पर विदेशी विनियम में ₹ 19.78 करोड़ तक की बचत होगी के संकेत दिये गये थे। इसके बाद बी ई एम एल ने ओ ई एम -2 के साथ अन्य उपबंध/ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जो कि स्वदेशीकरण प्रक्रिया से संबंधित थे। उन सभी उपबंधों का सार तालिका-10 में नीचे दिया गया है:

तालिका:10- टाट्रा वाहनों के उत्पादन हेतु किए गए उपबंधों का विवरण

अनुज्ञप्ति अनुबंध/एम ओ यू का वर्ष	ओ ई एम का नाम	वैधता की अवधि	सन्निहित प्रमुख विषय व मर्दे
मई 1986 में किया गया अनुज्ञप्ति अनुबंध	मेसर्स ओमनीपॉल	10 वर्ष	1. तकनीकी प्रलेखन शुल्क के रूप में ₹ 3 करोड़ के भुगतान के साथ निरंतर उन्नयन सहित वाहनों की संपूर्ण जानकारी एवं तकनीकी प्रलेखन का हस्तांतरण परिकल्पित था। 2. संघटक भाग एवं कल पुर्जे बड़े पैमाने पर सम्मिलित थे। 3. ₹ 39.95 करोड़ तक की कीमत वाले संघटक बी ई एम एल द्वारा खरीदे जाने थे। 4. सहयोगी द्वारा संघटक पुर्जे एवं कल पुर्जे के लिए बाई-बैक का प्रावधान। 5. तीन प्रकार के टाट्रा वाहनों ¹⁴ का विनिर्माण।
जून 1997 में संघटक पुर्जे के लिए किया गया अनुबंध	मेसर्स टाट्रा सिपॉक्स (यू के) लिमिटेड (टी एस यू के) ¹⁵	10 वर्ष (हालांकि सितंबर 1997 में अगले अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात यह अनुबंध कार्यान्वित नहीं किया गया था)	1. चार प्रकार ¹⁶ के टाट्रा वाहनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित 104 संघटकों की अधिप्राप्ति के लिए 'संघटक पुर्जे अनुबंध' 2. टाट्रा के संघटक पुर्जे एवं कल पुर्जे का बाई-बैक खंड (कोई मात्रा या मूल्य सूचित किए बिना)
सितंबर 1997 का सामरिक सहयोग उपबंध	मेसर्स टी एस यू के	10 वर्ष	जून 1997 के अनुबंध के स्थान पर इस अनुबंध में टाट्रा वाहनों के अलावा अन्य वाहन जैसे कटासि 4x4 वाहन, फांटून मेन स्टीम ब्रिज

¹² अधिकृत उत्पादन वह उत्पादन है जो 6x6 तथा 8x8 वर्जन के अधिकृत क्षेत्र में विशिष्ट उत्पाद के लिए तकनीकी दस्तावेज तथा नो हाऊ प्राप्त करने के बाद किया जाता है। टाट्रा 4x4 को 1997 के सामरिक सहयोग अनुबंध में शामिल किया गया था।

¹³ राजनितिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति

¹⁴ टी-815 बी टी आई 26265 8x8 वी वी आई टी 20235 6x6 और टी 815 वी वी एन 26265 8x8

¹⁵ राजनीतिक रूप से चेकोस्लोवाकिया के चेक तथा स्लोवाक गणराज्यों में विखंडित हो जाने के पश्चात टाट्रा सिपॉक्स (यूके) के लिमिटेड नामक कंपनी ने पहले के मेसर्स ओमनीपॉल और मेसर्स सिपॉक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज के व्यापार को अपने अधिकार में लिया।

¹⁶ टी 815 वी टी आई 8x8 टी 815 वी वी एन 8x8 टी 815 वी पी 13 8x8 टी 815 वी पी आर 9 8x8

			सिस्टम , उत्खनक एवं टाट्टा चेसिस पर स्थापित किए जाने वाले फिनिशिंग मशीनें तथा टाट्टा चेसिस पर स्थापित किए जाने वाले क्रेन आदि शामिल थे।
मार्च 2003 में हस्ताक्षरित एम ओ यू	मेसर्स टी एस यू के	10 वर्ष	1. छदित टाट्टा ¹⁷ तथा भारी रिकवरी वाहन शामिल थे 2. महत्वपूर्ण एग्जिग्रेट्स जैसे धुरी एवं कतिपय संघटकों जो अब तक पिछले अनुबंध के अंतर्गत आते थे को स्वदेशीकरण प्रक्रिया से हटा दिया गया,
फरवरी 2008 का एम ओ यू ¹⁸ तथा फरवरी 2009 का एम ओ ए ¹⁹	मेसर्स टी एस यू के	10 वर्ष	1. टाट्टा वाहन ²⁰ के एक अन्य रूपांतर और टाट्टा वाहनों के लिए अधिक उन्नत यूरो II इंजनों का स्वदेशी उत्पादन शामिल था। 2. उत्पादन आरंभ होने के 36-वें महीने में इंजन का लगभग 60-65 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करना। 3 बी ई एम एल को टाट्टा इंजनों की सभी खरीदी हुई और स्वामित्व मदों का स्वदेशीकरण करने तथा उन इंजन पुर्जों को खरीदने जिनका तकनीकी अथवा आर्थिक कारणों से भारत में उत्पादन सम्भव नहीं था के विकल्प के साथ अनुमति प्रदान किया गया था। 3. इंजन की स्वदेशीकरण प्रक्रिया/ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की लागत 4.00 मिलियन यू एस डालर थी। इसके लिए जुलाई 2010 तथा जनवरी 2011 में ₹18.70 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

(स्रोत: अनुज्ञप्ति अनुबंध/ समझौता ज्ञापन का सार)

बी ई एम एल ने 1986 में किए गये अनुबंध के अनुसार ओ ई एम से संघटकों की अधिप्राप्ति के पश्चात वर्ष 1987-88 से टाट्टा वाहनों का उत्पादन प्रारंभ किया। आगामी वर्षों में भी संघटकों तथा समुच्चयों की अधिप्राप्ति के लिए ओ ई एम पर नियमित आदेश दिए जाते रहे थे, जिसका परिशिष्ट- II में उल्लेख किया गया है।

टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में दी गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1. स्वदेशीकरण प्रक्रिया में लक्ष्य प्राप्ति में कमी

सी सी पी ए के अनुमोदन से बी ई एम एल द्वारा तैयार की गई डी पी आर के अनुसार वर्ष 1990-91 तक टाट्टा वाहनों का 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण किया जाना था। हालांकि, बी ई एम एल द्वारा वर्ष 1990-91 तक वास्तव में हासिल की गई प्रगति मात्र 29.31 प्रतिशत थी जो अत्याधिक कम थी। यहाँ तक कि 2012-13 अर्थात् सी सी पी ए द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के 26 वर्षों के बाद भी स्वदेशीकरण का उपलब्धि स्तर मात्र 62.5 प्रतिशत था। यद्यपि बी ई एम एल ने धुरी और अन्य संघटकों का स्वदेशीकरण वर्ष 2013-14 में 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त प्राप्त करने का दावा किया था, जबकि स्वदेशीकरण के इस अतिरिक्त उपलब्धि के लिए गुणवत्ता आवश्यकता नियंत्रणालय (सी क्यू ए)²¹ का अनुमोदन अभी प्रतीक्षित था।

¹⁷ टाट्टा पर आधारित भारी रिकवरी वाहन एवी 15 सहित टाट्टा वाहनों वर्तमान श्रेणी

¹⁸ एम ओ यू दो पार्टियों के मध्य द्विपक्षीय सहमति का वर्णन करने वाला एक विधिक प्रलेख है, जिसमें सामान्यतया संविदा की वाध्यकारी शक्ति का अभाव होता है।

¹⁹ एम ओ ए एक इच्छित परियोजना पर एक साथ कार्य करने हेतु दो पक्षों के बीच लिखित प्रलेख है और यह अपनी प्रतिबद्धता निभाने के लिए दोनों उत्तरदायी पक्षों को बाध्य करता है।

²⁰ 22 से 28 टन क्षमता वाले टिप्पर ट्रक्स

²¹ गुणवत्ता आवश्यकता नियंत्रणालय बी ई एम एल टाट्टा वाहनों का मुहरबंद विवरण अतिधारण प्राधिकारी (ए एच एस पी) है

हमने पाया कि स्वदेशीकरण के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने के बावजूद बी ई एम एल द्वारा कुल 7942 टाट्रा वाहन उत्पादित तथा आपूर्ति किये गये थे। 1986-87 तथा 2013-14 के बीच टाट्रा वाहनों के उत्पादन और स्वदेशीकरण की मात्रा का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-II से यह देखा जा सकता है कि 1987 से 1991 तक की अवधि के दौरान योजनागत रूप में बी ई एम एल को आदेश नहीं दिए गए थे, हालांकि 2000 के बाद की अवधि में बी ई एम एल को पर्याप्त संख्या में आदेश दिए गए थे। फिर भी बी ई एम एल ने वाहन का उत्पादन विदेशी सहयोगी से संघटकों के अधिकतम अंश के आयात द्वारा किया। यह 1986 के अनुबंध में वाहनों के उत्पादन से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी तथा तकनीकी प्रलेखन के हस्तांतरण के प्रावधान होने के तथ्यों के बावजूद भी हुआ। इस प्रकार, दो दशकों से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद भी स्वदेशीकरण, योजनागत 86 प्रतिशत के स्तर तक नहीं पहुँच पाया था।

2. टाट्रा की स्वदेशीकरण प्रक्रिया की लेखापरीक्षा जांच से निम्नलिखित का पता चला:

(i) दीर्घ अवधि के आवश्यकताओं के प्रक्षेपण के अभाव के कारण स्वदेशीकरण प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव

प्रतिवर्ष 150 वाहनों की औसत पर थलसेना द्वारा निर्धारित की गई दीर्घकालिक मांग के आधार पर भारत सरकार ने 1983 में आयात करने के बजाय विदेशी ओ ई एम से अनुज्ञप्ति प्राप्त कर टाट्रा का स्वदेशी उत्पादन करने के निर्णय लिए। बी ई एम एल ने अपनी डी पी आर²² में प्रस्ताव किया कि 1986-87 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान 1030 वाहनों का उत्पादन कर 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया जाएगा। डी पी आर में प्रस्तावित स्वदेशीकरण में प्रगति बनाम उत्पादन कार्यक्रम का अनुमोदन सी सी पी ए द्वारा 1987 में किया गया था। हालांकि बी ई एम एल को उत्पादन हेतु मंत्रालय द्वारा थलसेना की ओर से दिए गए वास्तविक आपूर्ति आदेश डी पी आर में सूचित किए गए लक्ष्य के आस-पास भी नहीं थे, जैसाकि निम्न तालिका-11 में देखा जा सकता है।

तालिका:11 बी ई एम एल को दिए आदेशों में कमी का विवरण

वर्ष	डी पी आर के अनुसार उत्पादित किए जाने वाले वाहनों की संख्या	बी ई एम एल को दिए गए वास्तविक आदेश	जारी किए गए कुल आदेश
1986-87	80	0	0
1987-88	200	80	80
1988-89	250	130	210
1989-90	250	190	400
1990-91	250	100	500
1992-2014	डी पी आर में विचार नहीं किया गया।	7,695	8,195

(स्रोत: ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर मंत्रालय का उत्तर)

उपर्युक्त तालिका-11 से यह देखा जा सकता है कि 86 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने हेतु डी पी आर में परिकल्पित 1030 वाहनों की नियोजित संख्या के बदले में 1986 और 1991 के बीच मंत्रालय द्वारा मात्र 500 वाहनों के लिए आदेश दिए गए थे। बी ई एम एल ने 1988 में मंत्रालय को भेजी गई एक संसूचना में सूचित किया था कि थलसेना से वाहनों के लिए कम संख्या में आदेश प्राप्त होने

²² बी. ई. एम. एल. द्वारा तैयार डी पी आर यह दर्शाता है कि टाट्रा वाहनों का उत्पादन कार्यक्रम थलसेना द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुसार किया गया।

की स्थिति में मितव्ययिता के पैमाने पर स्वदेशीकरण महंगा हो रहा था। इसलिए बी ई एम एल ने मंत्रालय द्वारा कम संख्या में दिए गए आदेशों को स्वदेशीकरण में विलंब का कारण बताया।

मंत्रालय/ सेना ने बी. ई. एम. एल. को स्वदेशीकरण के लिए प्रोत्साहन के रूप में 1990-91 की अवधि से आगे के लिए आदेशों की निरंतरता के संबंध में कोई वायदा नहीं किया तथापि इससे आगे मंत्रालय ने 1992 से 2014 के बीच की अवधि में 7,695 वाहनों के लिए बी. ई. एम. एल. को आदेश दिया।

टाट्टा वाहनों की अधिप्राप्ति के कुछ मामले ऐसे भी थे, जहाँ सामान्य प्रक्रियाओं से बचकर तथा थलसेना द्वारा प्रक्षेपित की गई वास्तविक मांग का मूल्यांकन किए बिना ही बी ई एम एल को आदेश दिए गए थे जो यह सूचित करता है कि स्वदेशीकरण के लिए स्पष्टता की कमी थी, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

(क) थलसेना मुख्यालय ने दिसंबर 2001 में 1070 एच एम वी जी एस (4x4) वाहनों की अधिप्राप्ति के लिए अनुरोध किया था। हमने पाया कि मार्च 2002 में मंत्रालय द्वारा कि ₹ 285.72 करोड़ की लागत पर बी ई एम एल से एकल विक्रेता आधार पर इन वाहनों की अधिप्राप्ति की गई थी। अन्य वाहनों अर्थात् स्टैलियन 6x6 (अशोक लैलेंड), और एल पी टी ए 6x6 (टेलको) जिनमें आशोधनों के कार्यान्वयन की शर्त पर फरवरी 2000 में थलसेना में शामिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया था, किंतु इस पर विचार किए बिना ही बी ई एम एल से अधिप्राप्ति की गई थी। जैसा वित्तीय सलाहकार, (रक्षा सेवाएं) द्वारा बताया गया था कि अन्य दो 6x6 वाहनों की तुलना में बी ई एम एल से की गई अधिप्राप्ति महंगी थी। इस प्रकार यह अधिप्राप्ति रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अधिक लागत तथा 100 प्रतिशत ब्याज रहित अग्रिम का भुगतान करने के बाद की गई थी। एक ओर बी ई एम एल, ओ ई एम से महत्वपूर्ण संघटकों के आयात द्वारा टाट्टा वाहनों का उत्पादन कर रहा था और दूसरी ओर देशी उद्योगों को वैकल्पिक अवसर प्रदान नहीं किया गया।

(ख) जी एस क्यू आर 486 पर आधारित एच एम वी 6x6 और एच एम वी 4x4 जोकि इंफैंट्री बटालियन के लिए उपयुक्त थे के स्थान पर थलसेना ने जी एस क्यू आर 731 पर आधारित 490 जी एस (6x6) वाहनों की अधिप्राप्ति की जो इंजीनियर कोर के लिए उपयुक्त थे। चूँकि टाट्टा एच एम वी (6x6) जी एस क्यू आर 731 के अंतर्गत प्रस्तुत एकमात्र वाहन था अतः ₹ 245.54 करोड़ की लागत पर 490 एच एम वी 6x6 की आपूर्ति हेतु मेसर्स बी ई एम एल को आदेश दिए गए थे (मार्च 2006)। इस प्रकार अधिप्राप्त किए गए वाहन न केवल ₹ 65.46 करोड़ तक मंहगे थे, बल्कि उनमें कम चलायमान गति और कम शेल्फ लाईफ जैसी तकनीकी खामियां भी थी।

(ग) थलसेना ने मरूस्थलों में आपनी गतिशीलता बढ़ाने तथा एयर डिफेंस (ए डी) तोपों की तैनाती हेतु मार्च 2006 में ₹45.57 करोड़ की लागत पर 124 टाट्टा (4x4) वाहनों की अधिप्राप्ति की। परीक्षण दल की सिफारिशें (2003) जिसमें यह सूचित किया गया था कि यूनिटों के लिए केवल टाट्टा 6x6 वाहन ही उपयुक्त थे बावजूद इसके 4x4 वाहनों की अधिप्राप्ति की गई। कुछ समय बाद, अप्रैल 2007 में मरूभूमि में किए गए एक युद्धाभ्यास के दौरान प्रयोक्ताओं ने पाया कि ए डी तोपों से लैस टाट्टा 4x4 एच एम वीज, टाट्टा 6x6 एच एम वीज अथवा 8x8 एच एम वीज से लैस थलसेना इकाईयों के साथ गतिशीलता के मामले में बराबरी करने में असमर्थ थे। अंत में इस आदेश के तहत प्राप्त वाहनों को रेडार जैसे उपकरणों, कमान चौकियों आदि के लिए सहायता वाहनों के रूप में निम्न इष्टतम उपयोग हेतु प्रस्तावित किया गया।

(ii) स्वदेशीकरण के विषय क्षेत्र से संघटक 'धूरी' को हटाना

बी ई एम एल द्वारा तैयार की गई डी पी आर तथा सी सी पी ए अनुमोदन के अनुसार टाट्टा वाहन के प्रमुख संघटकों अर्थात् धूरी जो समग्र प्रक्रिया का 25 प्रतिशत था, का स्वदेशीकरण अंतिम चरण अर्थात् 1990-91 के दौरान किया जाना था। हालांकि, धूरी का स्वदेशीकरण नहीं हो पाया तथा 1986 का अनुज्ञप्ति अनुबंध 1996 में समाप्त हो गया। इसके बाद, बी ई एम एल ने दस वर्ष की वैध अवधि के साथ संघटक पुर्जों के लिए 1997 में एक अन्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। जब यह अनुबंध प्रभाव में था तभी बी ई एम एल ने मार्च 2003 में ओ ई एम के साथ एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए जिसमें धूरी और संघटकों को छोड़कर अन्य सभी पुर्जों एवं एग्रीगेटों के स्वदेशीकरण हेतु एक साथ कार्य करने के लिए बी ई एम एल और ओ ई एम सहमत हो गए थे। यह अनुबंध महत्वपूर्ण एग्रीगेट्स जैसे धूरी और कुछ अन्य संघटकों जो स्वदेशीकरण के उद्देश्य से वाहन का लगभग 25 प्रतिशत बनता था, को हटा कर पूर्ववर्ती अनुबंधों के प्रावधानों को प्रभावहीन कर दिया गया। इस प्रकार धूरी के हटाने जाने से स्वदेशीकरण की समस्त प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण संघटकों के लिए विदेशी विक्रेता पर निरंतर निर्भर होना पड़ा।

बी ई एम एल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि बी ई एम एल के अध्यक्ष द्वारा इस एम ओ यू पर हस्ताक्षर करने से पूर्व बी ई एम एल के निदेशक बोर्ड द्वारा धूरी तथा अन्य संघटकों के हटाने हेतु प्रस्ताव पर न तो चर्चा हुई थी और न ही बी ई एम एल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदन किया गया था। बी ई एम एल के दस्तावेजों में भी इसके लिए कोई विशेष कारण दर्ज नहीं थे। हालांकि, जनवरी 2010 में डी डी पी ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया और पाया कि 2003 में हस्ताक्षरित एम ओ यू में मूल उपबंध का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि मूल उपबंध बी ई एम एल को धूरी सहित वाहनों के सभी पुर्जों के स्वदेशी उत्पादन का अधिकार प्रदान करता था। इसलिए बी ई एम एल को 2003 के एम ओ यू को समाप्त करने का निर्देश दिया गया, क्योंकि यह ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित करता था, जो धन का भुगतान करने के बाद प्राप्त किया गया था।

हालांकि, डी डी पी के इन निर्देशों का बी ई एम एल द्वारा अनुपालन नहीं किया गया और एम ओ यू को दस वर्ष की निर्धारित अवधि दिसंबर 2013 तक जारी रखा गया। ये घटनाएं स्पष्टतः सूचित करती हैं कि डी डी पी ने 2003 और 2010 के बीच एम ओ यू को न तो समाप्त करने के लिए कार्रवाही प्रारंभ की और न ही बी ई एम एल को जनवरी 2010 में जारी कि गये अपने आदेश को निरस्त किया। ऐसा बी ई एम एल बोर्ड में डी डी पी का निरंतर प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी हुआ।

उत्तर में यह कहा गया कि बी ई एम एल ने धूरी का स्वदेशीकरण कर अप्रैल 2014 में स्वदेश में विकसित धूरी के साथ टाट्टा वाहनों के थोक उत्पादन क्लियरेंस (बी पी सी) के लिए प्रस्ताव किया था। फिर भी अक्टूबर 2014 तक बी पी सी प्रदान किया जाना बाकी था। उपरोक्त उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि स्वदेशी धूरी के सफल परीक्षण मूल्यांकन तथा तदुपरान्त थोक उत्पादन अनुमति देने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। अतः बी ई एम एल द्वारा 75 प्रतिशत स्वदेशीकरण प्राप्त करने का दावा सी क्यू ए के अनुमोदन पर निर्भर था।

(iii) पुर्जों के स्वदेशीकरण में विलंब

पुर्जों की तत्काल उपलब्धता न केवल वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए बल्कि वाहनों के ओवरहॉल के लिए भी अनिवार्य है, जो इलाहाबाद और मेरठ के थलसेना बेस कार्यशालाओं (ए बी डब्ल्यू) द्वारा किया जाता है। 1986 के अनुबंध के अनुसार बी ई एम एल को टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण के अलावा उसके पुर्जों का भी स्वदेशीकरण करना था। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि:

- 1986 में हुए प्रारम्भिक अनुबंध के 21 वर्ष बाद अर्थात् 2007 तक कल-पुर्जों का उत्पादन शुरू नहीं हुआ था। इसके परिणामस्वरूप 2013 तक कुल 10878 मर्दों में से मात्र 4423 पुर्जों अर्थात् 40.66 प्रतिशत का ही स्वदेशीकरण किया गया था।
- 4078 स्वदेशीकृत मर्दों जिनके लिए आयुध डिपो, देहू रोड़ द्वारा बी ई एम एल को 2008-2009 और 2013-14 के बीच आदेश दिये गये थे उसमें ₹ 39.51 करोड़ की 1758 मर्दों की कमी पाई गयी। यह कमी इन छः वर्षों के दौरान जारी किये गये आदेशों की 43 प्रतिशत थी।
- इस तथ्य के बावजूद कि टाट्रा वाहनों के पुर्जों की आपूर्ति हेतु बी ई एम एल एकल खिड़की एजेंसी है, ए बी डब्ल्यू इलाहाबाद में (जून 2014) यह पाया गया कि ओवरहॉल से संबंधित कल पुर्जों की 681 मर्दों आपूर्ति हेतु लंबित थी। वर्ष 2013-14 के दौरान ए बी डब्ल्यू मेरठ में पुर्जों की अनुपलब्धता 75 प्रतिशत तक थी।

मंत्रालय ने ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के उत्तर में कहा (अक्टूबर 2013) कि 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि के दौरान टाट्रा वाहनों के पुर्जों की औसत उपलब्धता 74 प्रतिशत थी, जिसे उन्होंने संतोषजनक पाया। तथ्य यह है कि हालांकि पुर्जों की उपलब्धता 2008-09 और 2013-14 के बीच बी ई एम एल द्वारा स्वदेशीकृत पुर्जों में से 43 प्रतिशत की आपूर्ति में कमी के मुद्दे का समाधान नहीं करता है।

पुर्जों की अनुपलब्धता से टाट्रा वाहनों के ओवरहॉल/ मरम्मत में उल्लेखनीय विलंब होगा।

निष्कर्ष

टाट्रा वाहनों एवं कलपुर्जों के स्वदेशीकरण की योजना मंत्रालय द्वारा 1986 में बनायी गयी थी। इस प्रक्रिया को पांच वर्ष में पूर्ण करने की परिकल्पना की गयी थी किन्तु अनुज्ञप्ति अनुबंध हुए 28वर्ष बाद भी निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए बी ई एम एल की ओ ई एम पर निर्भरता जारी है।

थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिये गये आदेशों में स्पष्ट कमी के कारण टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण प्रक्रिया का नुकसान हुआ। इससे स्वदेशीकरण के प्रति बी ई एम एल की प्रतिबद्धता में कमी हुई। अनुबंधों में उत्तरोत्तर बदलाव स्वदेशीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश देने के बजाय ओ ई एम पर निर्भरता को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त वाहनों के कलपुर्जों के स्वदेशीकरण में भी अत्याधिक विलम्ब हुआ क्योंकि प्रक्रिया ही अनुबंध के 21 वर्ष बाद अर्थात् 2007 में शुरू हुई थी। कलपुर्जों की अनुपलब्धता तथा 43 प्रतिशत तक स्वदेशीकृत कलपुर्जों में (मार्च 2014) में कमी के कारण स्थिति और खराब हो गई। इससे वाहनों की सम्पूर्ण मरम्मत प्रक्रिया प्रभावित हुई। थलसेना द्वारा काफी संख्या में टाट्रा वाहनों का प्रयोग करने के कारण इनका बी ई एम एल द्वारा स्वदेशीकरण तेजी से करने तथा स्वदेशीकृत कलपुर्जों का उत्पादन बढ़ाने की अति आवश्यकता है।

2.2 ₹ 27.32 करोड़ मूल्य के अस्वीकार्य उपकरण की अधिप्राप्ति

रक्षा मन्त्रालय ने रसायनिक एजेंटों एवं विषाक्त औद्योगिक कम्पाउंडों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जनवरी 2010 और अक्टूबर 2010 के बीच ₹ 27.32 करोड़ लागत के व्यक्तिगत रसायनिक एजेंट डिटेक्टरों की 999 संख्या को आयात किया। डी पी पी द्वारा निर्धारित भारतीय परिस्थितियों में फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों/सिम्युलेटेड परीक्षणों के न करने के परिणामस्वरूप ₹ 27.32 करोड़ के त्रुटिपूर्ण आई सी ए डीयों की स्वीकृति हुई। अगस्त 2011 से इन उपकरणों के फर्म से प्रतिस्थापन जून 2014 तक प्रतीक्षित था।

केम प्रो 100 आई रसायनिक युद्ध एजेंटों (सी.डब्ल्यू.एज) एवं परिवेशी वायु में विषाक्त औद्योगिक कम्पाउंडों के वास्तविक समय का पता लगाने के लिए हाथ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक

व्यक्तिगत रसायनिक एजेंट डिटेक्टर (आई.सी.ए.डी.) है। यह नमूने तत्काल क्षेत्र रसायनिक एजेंटों की उपस्थिति निर्धारित करता है। यह एक हमले के बाद निगरानी भी प्रदान करता है और पूर्ण परमाणु, जैविक, रसायनिक (एन.वी.सी.) सुरक्षात्मक पोस्चर, सैनिकों, काउंटर प्रसार टीमों, स्वतन्त्र छापे दलों, और क्विक रिएक्शन टीमों के कार्मिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) 2006 (पूजी) के अनुसार उपयोगकर्ता सेवाओं द्वारा विकसित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस.ओ.पी.) के आधार पर फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों (एफ.ई.टी.ज) को आयोजित किया जाएगा तथा उपकरणों के स्टाफ गुणात्मक आवश्यकता (एस.क्यू.आर.) परीक्षण के निदेशों का हिस्सा होगी। उपयोगकर्ता द्वारा फील्ड मूल्यांकन ऐसे सभी स्थितियों में आयोजित किया जाएगा जहाँ उपकरण को स्थापित करने की संभावना है तथा विस्तार फील्ड मूल्यांकन रिपोर्ट (एफ.ई.आर.) बनाकर स्टाफ मूल्यांकन बनाने के लिए उसे एस एच क्यू को भेजा जाएगा।

नवम्बर 2007 में रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने 666 आई.सी.ए.डी.ज् (पहला लॉट) के लिए टेक्नो-वाणीज्यिक प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी.) 12 विदेशी विक्रेताओं को जारी किए। तथापि आर एफ पी ने डी पी पी में निर्दिष्ट प्रावधान कि उपयोगकर्ता द्वारा फील्ड मूल्यांकन ऐसे सभी स्थितियों में आयोजित किया जाएगा जहाँ उपकरण को स्थापित करने की संभावना है, को समाविष्ट नहीं किया। आर एफ पी के तहत प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों का विश्लेषण करने के उपरान्त दो फर्मों को उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए मई 2008 में सिफारिश की।

दिसम्बर 2008 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यू.ए.) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और मेकॅनिकल इंजीनियरिंग (ई.एम.ई.) के उपयोगकर्ताओं के एक संयुक्त तकनीकी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा विक्रेता के परिसर में परीक्षण किए और मैसर्स एन्वायरोनिक्स ओए, फिनलैन्ड का मॉडेल कम प्रो 100 आई उपकरण सभी मापदण्डों के अनुरूप पाया गया। उपर्युक्त प्रतिनिधि मंडल ने आई सी ए डी का विक्रेता के परिसर में भारतीय परिस्थितियों में जहाँ उपकरण को तैनात किए जाने थे, मूल्यांकन किए बगैर परीक्षण किया। परीक्षण रिपोर्ट यह भी नहीं संकलित करते हैं कि विक्रेता परिसरों में परीक्षणों के दौरान भारतीय मौसमी परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया था।

इस प्रकार रासायनिक एजेंट डिटेक्शन के लिए उपकरण, जिसको हर परिस्थिति के अनुकूल होना था, को भारतीय परिस्थितियों जहाँ निविदा की स्वीकृति पूर्व उपकरण की तैनाती की जानी थी, में परीक्षण नहीं किया गया जो फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों को आयोजित करने के डी पी पी के प्रावधान के विरुद्ध था।

जुलाई 2009 में, रक्षा मंत्रालय ने यूरो 2.85 मिलियन (तब लगभग ₹18.94 करोड़) की कुल लागत पर आई.सी.ए.डी.ज् के पहले लॉट की अधिप्राप्ति हेतु फिनलैन्ड के मेसर्स एन्वायरोनिक्स ओए के साथ संविदा किया। स्वीकृति परीक्षण प्रक्रिया (ए.टी.पी) करने के पश्चात् पूरा कन्साइमेंट जनवरी 2010 में प्राप्त हो गया। इसके बाद मार्च 2010 में अतिरिक्त 333 आई सी ए डीज् दूसरे लॉट को यूरो 1.40 मिलियन (तब लगभग ₹ 8.38 करोड़) की कुल लागत पर उसी संविदा के विकल्प खण्ड के अधीन पुनः पूर्ति आदेश किया। दूसरा लॉट सितम्बर 2010 में प्राप्त हुआ। पावती के स्तर पर भी संयुक्त पावती निरीक्षण (जे आर आई) उपकरण की प्रकार्यात्मक जाँच की जानी चाहिए। परन्तु, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं था जो यह संकेत देता कि इन दोनों अधिप्राप्तियों में से किसी के संबंध में उपकरण की प्रकार्यात्मक जाँच जे आर आई के एक हिस्से के रूप में की गई थी।

बाद में रसायन एजेंट मॉनिटर (सी.ए.एम.) (सितम्बर 2009), की एक अन्य अधिप्राप्ति में विक्रेता मेसर्स एन्वायरोनिक्स ओए फिनलैन्ड ने भारतीय परिस्थितियों में उपयोगकर्ता परीक्षणों के लिए आई सी ए डीज् उपकरण प्रस्तुत किए जो तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने में विफल रहे नतीजतन महानिदेशक परिप्रेक्ष्य योजना (डी.जी.पी.पी.) को रक्षा अनुसंधान संस्थापन (डी आर डी ई), ग्वालियर

में उपलब्ध विशेषज्ञ तथा सक्रिय परीक्षण सुविधाओं के साथ भारतीय परिस्थितियों में दोनो लॉटों में अधिप्राप्त आई ए डीज् का मिड कोर्स मूल्यांकन (एम सी एम) को आयोजित करना पड़ा।

मिड कोर्स मूल्यांकन टीम जिसमें एन.बी.सी. के प्रतिनिधि भी शामिल थे ने डी.आर.डी.ई. ग्वालियर में अप्रैल 2011 में सी. डब्ल्यू. ए. एक्सपोजर के लिये नमूनों का परीक्षण किया। पहले लॉट में प्राप्त आई सी ए डीज् की चार इकाईयों में मिड कोर्स मूल्यांकन के दौरान ब्लिस्टर एजेन्ट, ब्लड एजेन्ट तथा चोकिंग एजेन्ट का निर्धारित समय के भीतर पता लगाने में आई सी ए डी विफल रहा। तदनुसार, पहले लॉट में प्राप्त आई सी ए डीज् के सम्बन्ध में गुणवत्ता का दावा अगस्त 2011 में विक्रेता के खिलाफ उठाया गया था।

बाद में दूसरे लॉट के छः आई सी ए डीज् नमूनों का मिड कोर्स मूल्यांकन अक्टूबर 2011 में डी आर डी ई, ग्वालियर में आयोजित किया गया। सभी छः नमूने भी परीक्षण में विफल पाए गए। नवम्बर 2011 में दूसरे लॉट में प्राप्त आई सी ए डीज् के संबंध में गुणवत्ता दावे को भी विक्रेता को प्रेषित किया गया था। फर्म ने अक्टूबर 2011 में विफल रहे नमूनों का पहले निरीक्षण किया एवं आकड़ों को एकत्रित किया और दोषो को सुधारने की कोशिश की। फर्म द्वारा सुधारे गए उपकरण का अक्टूबर 2012 में डी आर डी ई, ग्वालियर में दुबारा मूल्यांकन किया गया। परन्तु आई सी ए डीज् पुनः परीक्षण में विफल रहे। एम ओ डी (सेना) एकीकृत मुख्यालय के मास्टर जनरल ऑफ आडिनेंस (एम.जी.ओ.) ब्रांच ने दोनो लॉटों की आई सी ए डीज् जिनकी अक्टूबर 2012 तक वारंटी थी को जल्द से जल्द प्रतिस्थापन करने हेतु फर्म से अनुरोध (नवंबर 2012) किया क्योंकि फर्म वारंटी अवधि के भीतर निःशुल्क रूप से उपकरण बदलने के लिए उत्तरदायी थी। हालाँकि, फर्म ने, उपकरणों को प्रतिस्थापित करने का खण्डन न करते हुए, अपितु डी आई डी ई, ग्वालियर इस तरह के परीक्षण करने के लिए पूर्णतः सुसज्जित नहीं थी यह कहते हुए भारतीय पक्ष पर विफलता की जिम्मेदारी डाल दी।

प्रतिस्थापन मामला वारंटी दावों (अक्टूबर 2012) की वैधता के देढ़ वर्ष से ज्यादा का समय बीतने पर भी सुलझाया नहीं गया तथा उपकरण बिना किसी उपयोग के पड़ा हुआ है जिसका 95 प्रतिशत भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

अगस्त 2012 में एम.ओ.डी. के आई एच.क्यू. के एम.जी.ओ. ब्रांच ने भण्डार की स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर मर्दों में विफलता के कारणों (फरवरी 2012) की लेखापरीक्षा के प्रश्न की प्रतिक्रिया में कहा कि पूर्व प्रेषण निरीक्षण के दौरान डी.जी.क्यू.ए. गुणवत्ता निरीक्षण की सफलता के उपरान्त ही उपकरण को स्वीकृत किया गया था। उन्होंने (मई 2013) यह भी कहा कि इन संविदाओं पर हस्ताक्षर किये जाने के दौरान सी.डब्ल्यू.ए. परीक्षण करने हेतु भारत में यह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी और इसलिए इसे जे.आर.आई. के दायरे में शामिल नहीं किया गया था। यह जवाब अस्वीकार्य है क्योंकि नर्व और ब्लिस्टरिंग एजेंट सुविधा डी.आर.डी.ई., ग्वालियर में 2005 से और ब्लड एजेन्ट तथा चोकिंग एजेन्ट परीक्षण 2010 से मौजूद थी परन्तु इन सुविधाओं को जे आर आई स्तर पर प्रयुक्त नहीं किया गया। डी पी पी अधीन निर्धारित भारतीय परिस्थिति/भारतीय सिमुलेटेड परिस्थितियों में उपकरण का फील्ड मूल्यांकन परीक्षणों/टेस्टिंग नहीं करने का परिणाम दोषपूर्ण भण्डारों की स्वीकृति में हुआ। आगे, परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण विशिष्टताओं की अधिप्राप्ति की प्रकार्यात्मक जाँच को फिर भी जे आर आई के भाग के रूप में शामिल किया गया।

इस प्रकार भारतीय परिस्थितियों/सिमुलेटेड भारतीय परिस्थितियों में फील्ड परीक्षणों का न किया जाना तथा जे आर आई के स्तर पर प्रकार्यात्मक जाँच के अभाव ने ऑपरेशनल तैयारियों से समझौता के अलावा ₹ 27.32 करोड़ का खर्च निष्फल रहा।

मई 2014 में मन्त्रालय को मामला भेजा गया था उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

2.3 यूनाइटेड सर्विस क्लब, मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि

यूनाइटेड सर्विस क्लब, मुम्बई के कब्जे में रक्षा भूमि के लिए एक पट्टा करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के मामले पर कार्रवाही करने की स्थानीय सैन्य अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष ₹ 5.74 करोड़ की सरकारी खजाने में राजस्व की आवर्ती हानि हुई। इसके अलावा नौ साल बीत जाने के बावजूद, संसद की लोक लेखा समिति को दिये गये आश्वासन कि यू.एस. क्लब के साथ व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी को पूर्ण करने में रक्षा मंत्रालय विफल रहा जिसके कारण ₹ 114.85 करोड़ मूल्य की ए-1 रक्षा भूमि का सरकार की मंजूरी के बिना प्रतिवर्ष ₹ 0.36 लाख के नाममात्र किराए पर व्यावसायिक दोहन जारी रहा।

सरकार की मंजूरी के बिना और नाममात्र किराए पर ए-1 रक्षा भूमि पर एक लाभदायक, व्यावसायिक उद्यम के रूप में यूनाइटेड सर्विस क्लब (यू एस क्लब) के कामकाज का एक मामला भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 2001 के अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट नंबर 7 के अनुच्छेद 24 में छपा था। क्लब में कुल 22 भवनों जिसमें एक स्कवैस कोर्ट और 16939.31 वर्ग मीटर का खुला क्षेत्र शामिल है इसके अतिरिक्त गोल्फ कोर्स के रूप में उपयोग के लिए रक्षा भूमि की 53.50 एकड़ (1749.84 वर्ग मीटर माप वाले क्लब एनेक्सी सहित) पर कब्जा कर लिया। 1998 में रक्षा संपदा विभाग ने 16939.31 वर्ग मीटर (4.19 एकड़) खुले क्षेत्र का संभावित मूल्य ₹ 54.78 करोड़ और भूमि के बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 2.73 करोड़ देय वार्षिक किराये का अनुमान लगाया था। इसके विपरीत, जुलाई 1989 में स्टेशन मुख्यालय, कोलाबा, मुम्बई द्वारा नियुक्त अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से तय, इमारतों के लिए ₹ 0.36 लाख की राशि का प्रतिवर्ष किराये के रूप में, क्लब भुगतान कर रहा था।

की गई कार्यवाही (ए टी एन) में, रक्षा मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2014) कि सेवा मुख्यालय और महानिदेशक रक्षा संपदा (डी जी डी ई) को यह निर्देश दिए गए है कि वह ऐसे क्लबों के बने रहने अन्यथा न बने रहने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के सभी मामलों की समीक्षा करे। रक्षा मंत्रालय ने नवम्बर 2004 में यह भी कहा कि सेना मुख्यालय (ए एच क्यू) को नये निर्देश जारी किए गए थे कि वह अधिकारियों के बोर्ड (बी ओ ओ) जिसमें रक्षा संपदा विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल हो, यू एस क्लब के कामकाज की समीक्षा करे और मौजूदा व्यवस्था के बने रहने अन्यथा न बने रहने के साथ-साथ क्लब के लिए संबंधित भूमि के साथ इमारतों का नया पट्टा जारी करने की आवश्यकता की सिफारिश भी दे।

इस क्रम में एक बी ओ ओ बनाया गया (मार्च 2005) जिसने सिफारिश दी कि यू एस क्लब की मौजूदा इमारतों और संबंधित भूमि के साथ-साथ उसकी एनेक्सी को भी सैन्य अभियंता सेवा (एम ई एस) द्वारा अपने चार्ज में लिया जाना चाहिए। एक नया पट्टा संबंधित भूमि को शामिल करके किया जाना चाहिए। क्लब द्वारा उपयोग में लायी जा रही मौजूदा इमारतों का किराया संशोधित किया जाना चाहिए और क्लब द्वारा संबंधित रक्षा भूमि का उपयोग भी नये पट्टा विलेख की तारीख तक नियमित कर दिया जाना चाहिए।

मई 2006 में, डी ई ओ ने सिफारिश की कि यू एस क्लब द्वारा पूरे ए-1 रक्षा भूमि के पिछले कब्जे गोल्फ कोर्स क्षेत्र सहित को नियमित करने के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। डी ई ओ ने यह भी सिफारिश की कि रक्षा भूमि संबंधित इमारतों का 16939.31 वर्गमीटर क्षेत्र जो क्लब द्वारा कब्जे में है और उपयोग किया जा रहा है, से बाजार मूल्य के पाँच प्रतिशत की दर से पट्टा किराया जो कि व्यावसायिक उपयोग के लिए भी लागू है, चार्ज किया जाना चाहिए।

रक्षा संपदा दक्षिणी कमान के निदेशक ने भी सिफारिश की (सितम्बर 2006) कि डी ई ओ के सहयोग से अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा नये पट्टे की किराया गणना की जाए एवं नया पट्टा समझौता निष्पादित किया जाए।

डी ई ओ मुम्बई में लेखा परीक्षा जांच (जून 2012) से पता चला:-

- यद्यपि, स्थानीय सैन्य अधिकारियों द्वारा बोर्ड की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया था (मार्च 2005) और रक्षा संपदा विभाग ने (मई/सितम्बर 2006) क्लब के कब्जे में रक्षा भूमि के लिए एक नया पट्टा करने के लिए सिफारिश की थी, परन्तु स्टेशन मुख्यालय द्वारा कोई भी समीक्षा नहीं की गई और यू एस क्लब के साथ व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आश्वासन का ए टी एन को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने के नौ साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए (फरवरी 2014) रक्षा संपदा विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन, क्लब अनधिकृत तरीके से ए-1 रक्षा भूमि पर लगातार कब्जा किये हुए हैं;
- परिणास्वरूप, अप्रैल 2014 तक कोई नया पट्टा निष्पादित नहीं हुआ। नये पट्टे की अनुपस्थिति में, क्लब द्वारा उपयोग में लायी जा रही मौजूदा इमारत का किराया, प्रतिवर्ष ₹ 0.36 लाख की नाममात्र दर पर भुगतान किया जाना जारी था, जबकि क्लब स्वागत/शादी की पार्टियों, रक्षा, सरकारी/अर्ध सरकारी, सिविल और कॉर्पोरेट कार्यालयों द्वारा आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट के लिए ₹ 0.15 लाख और ₹ 4 लाख के बीच टूर्नामेंट ग्रीन शुल्क चार्ज और कॉर्पोरेट संगठनों से गोल्फ और तैराकी के लिए वार्षिक ₹ 3.65 लाख का वार्षिक सदस्यता शुल्क द्वारा काफी राजस्व नियमित रूप से अर्जित करते रहे हैं;
- क्लब द्वारा इस्तेमाल की जा रही 16939.31 वर्ग मीटर क्षेत्र की कोलाबा की रक्षा भूमि सरकारी दर पर जिसकी कीमत ₹ 114.85 करोड़ थी (2012 तक) और भूमि के मूल्य का पांच प्रतिशत की दर से वार्षिक किराया ₹ 5.74 करोड़ प्रतिवर्ष था। क्लब के साथ नये पट्टे के समझौते को अंतिम रूप न देने के कारण सरकारी खजाने को राजस्व का यह आवर्ती नुकसान था;
- एम ई एस नियंत्रण तंत्र के अभाव में, सरकार के अनुमोदन के बिना क्लब एनेक्सी में रक्षा भूमि पर क्लब में नये अवैध निर्माण हुए।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाने पर, डी ई ओ ने लेखा परीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि करते हुए जुलाई 2012 और फरवरी 2014 में कहा कि क्लबों द्वारा कब्जे में ली गई सैन्य इमारतों और भूमि के लिए क्लब और स्थानीय सैन्य अधिकारियों/ डी ई ओ/ एम ई एस के मध्य कोई भी पट्टा समझौता नहीं हुआ है। यह भी कहा गया है कि सरकार को क्लब से किराया/बकाया के भुगतान से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस बीच में, हमने देखा कि क्लब द्वारा कब्जे में ली गई इमारतों के लिए शुल्क और संबद्ध चार्ज के निर्धारण के लिए जुलाई 2013 में मुख्यालय मुम्बई सब एरिया द्वारा अधिकारियों के एक बोर्ड को गठित किया गया।

इस प्रकार मामले की कार्यवाही करने के लिए स्टेशन मुख्यालय कोलाबा और यू एन क्लब के कब्जे में रक्षा भूमि के लिए एक पट्टा करने के हेतु सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए रक्षा संपदा विभाग की विफलता के कारण प्रतिवर्ष ₹ 5.74 करोड़ के लगभग सरकारी खजाने में राजस्व की आवर्ती हानि हुई। रक्षा मंत्रालय द्वारा संसद के लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन कि यू एस क्लब के साथ व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी पर निगरानी करने में विफल रहा। जिसके कारण ₹ 114.85 करोड़ की ए-1 रक्षा भूमि का सरकार की मंजूरी के बिना और प्रतिवर्ष ₹ 0.36 लाख के नाममात्र किराए पर व्यावसायिक दोहन जारी रहा।

मई 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

2.4 पट्टे वाली रक्षा भूमि पर अनियमित निर्माण

पुणे के नजदीक किरकी छावनी में 4.56 एकड़ भूमि के साथ ओल्ड ग्रॉट बंगले को आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था। अधिभोग अधिकारों के धारक की सम्पत्ति की बिक्री को सुगम करने के लिए सरकार की आवश्यक मन्जूरी प्राप्त करने हेतु एच.ओ.आर ने एक सही एवं वैध पावर ऑफ अटार्नी धारक (पी.ओ.ए.एच.) की नियुक्ति की थी। रक्षा सम्पदा अधिकारी की ओर से ढिलाई के कारण रक्षा भूमि पर पुनःनिर्माण के लिए मन्जूरी प्राप्त करने में पी.ओ.ए.एच. को सहायता मिली एवं एक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया गया जो मंत्रालय के अनुदेशों का उल्लंघन करके धार्मिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

मार्च 1995 की रक्षा मंत्रालय की नीति के पैरा 7 (सी) के अनुसार, रक्षा सम्पदा अधिकारी (डी.ई.ओ.) तथा छावनी कार्यकारणी अधिकारी (सी.ई.ओ.) की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि समय-समय पर वह सुनिश्चित करे कि पट्टे की किसी भी शर्तों का उल्लंघन किसी भी पट्टेदार द्वारा नहीं हुआ है। मौजूद ऐसे उल्लंघनों के बारे में सम्बन्धित सी.ई.ओ./डी.ई.ओ. द्वारा पट्टेदारों को सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें इस तरह के उल्लंघनों को हटाने के लिए कार्यवाही करने हेतु उन्हें सूचित करना चाहिए या उक्त उल्लंघनों की माँफी/नियमितीकरण की कार्यवाही तुरन्त शुरू करनी चाहिए। मंत्रालय ने मार्च 1985 में भी अनुदेश जारी किये थे कि धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं से प्राप्त, रक्षा भूमि का आबंटन उनके उपयोग के लिए, किये गये अनुरोध को विचार करने की जरूरत नहीं है जब तक वे बहुत अत्यधिक प्रतिष्ठित एवं गैर - विवादस्पद संस्थान न हों।

मुम्बई रोड पर स्थित 4.56 एकड़ माप का जी एल आर सर्वे संख्या 225 के अर्न्तगत बंगला संख्या 26 को बी-3 रक्षा भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया जो डी.ई.ओ. पुणे परिमंडल के प्रबंधन के अर्न्तगत रखा गया और अधिभोग अधिकारों के धारक²³ (एच.ओ.आर.) का अधिकार ओल्ड ग्रॉट की शर्तों²⁴ पर रखा गया। अक्टूबर 2000 में एच.ओ. आर ने एक विशेष पावर ऑफ अटार्नी निष्पादित की एवं संयुक्त और पृथक रूप से सही एवं वैध अटार्नी के रूप में एक न्यास²⁵ के दो न्यासियों²⁶ की नियुक्ति की। उपर्युक्त पी.ओ.ए.में, एच.ओ.आर ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया था कि उन्होंने उक्त बंगले को ₹40 लाख की कीमत पर विक्रय हेतु न्यास के साथ उसी दिनांक पर एक अनुबन्ध निष्पादित किया था जिसके लिये एच.ओ.आर. छावनी कानून के मुताबिक प्राधिकृत नहीं था।

न्यास को उक्त सम्पत्ति के विक्रय हेतु और सम्पत्ति की बिक्री को सुगम करने हेतु डी.ई.ओ./सी.ई.ओ./केन्द्रीय सरकार या ऐसे प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति, अनुमोदन एवं संस्वीकृतियों के लिये केवल आवेदन करने हेतु पावर ऑफ अटार्नी धारक (पी.ओ.ए.एच.) प्राधिकृत थे। परन्तु डी.ई.ओ. ने पी.ओ.ए.एच. के साथ मार्च 2006 में एक “दाखिल अभिलेख का करारनामा²⁷” निष्पादित किया जिसमें डी.ई.ओ. पुनःनिर्माण हेतु स्वीकृति देने में सहमत हो गया और उल्लेखित किया कि आवासीय भवन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु प्रदत्त स्वीकृति का इस्तेमाल नहीं होगा या उसपर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो ओल्ड ग्रॉट की शर्तों पर भूमि का उपयोग से सम्बन्धित अनुदेशों के अनुरूप न हों। अभिलेख में यह भी उल्लेखित है कि एच.ओ.आर द्वारा भूमि की बिक्री, पट्टा,

²³ (i) सी.वी. मारीवाला (ii) किशोर बल्लभदास (iii) हंसराज बल्लभदास एवं (iv) जयसिंह बल्लभदास।

²⁴ ओल्ड ग्रॉट साईटे सैन्य अधिकारियों को आवश्यक आवास प्रदान करने का इरादा के साथ आजादी के पूर्व की भूमि नीतियों की विरासत है। इसके तहत अधिकारियों द्वारा घरों का निर्माण, आबंटित भूमि स्थलों पर किया जा सकता था। फिर भी, उन्हें रक्षा भूमि पर सम्पत्ति का कोई अधिकार कभी मन्जूर नहीं किया गया था। पश्चात, सम्बन्धित रक्षा भूमि पर सिविलियन को भी ऐसे घरों निर्माण की अनुमति दे दी गई थी जिसे स्थानीय सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा किराये पर लिया जाना था।

²⁵ सैन्ट जॉन मार थोमा पारीश एवं सामुदायिक केन्द्र पुणे, एक धर्मार्थ न्यास जो मुम्बई लोक न्यास अधिनियम के अधीन पंजीकृत है।

²⁶ (i) रेव गोरे बार्गीज एवं (ii) मिस्टर लेनी जॉन।

²⁷ करारनामा एक संविदा है जो कि कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को दूसरे से बाँधता है।

आजुपिप्त या बन्धन नहीं होगा। डी.ई.ओ. का पी.ओ.ए.एच. के साथ बंगले के पुनः निर्माण हेतु दाखिल अभिलेख का करारनामा को निष्पादित करने का कार्य अनाधिकृत था क्योंकि एच.ओ.आर. ने पी.ओ.ए.एच. को केवल बिक्री की संस्वीकृति प्राप्त करने/ऐसा कार्य करना जो सम्पत्ति की बिक्री को केवल सुगम करता हो प्राधिकृत किया था।

हमने देखा (मई 2012) कि पी.ओ.ए.एच. ने सी.ई.ओ. को मई 2006 में उक्त भवन को बनाने/पुनः बनाने/बदलने की योजना प्रस्तुत की जिसको डी.ई.ओ. को अग्रेषित किया गया था, उस पर डी.ई.ओ. ने योजना पर पी.ओ.ए.एच. के कानूनी स्थिति के सत्यापन के बिना एक सप्ताह के अन्दर मुख्य बंगले (10 प्रतिशत के अतिरिक्त प्लिन्थ एरिया के साथ) को नष्ट करना एवं पुनः निर्माण की योजना के अनापत्ति की पुष्टि की।

स्टेशन मुख्यालय किरकी ने अगस्त 2007 में उपर्युक्त भूमि पर अनाधिकृत डब्ल्यू. बी. एम. सड़क एवं सामुदायिक हाल के निर्माण के सम्बन्ध में डी.ई.ओ. को इसी दौरान सूचित किया था। यद्यपि सितम्बर 2007 में स्टेशन मुख्यालय को डी.ई.ओ. ने सूचना दी कि स्थल का निरीक्षण कर लिया गया था और सड़क का निर्माण प्राधिकृत था परन्तु आवासीय भवन के स्थान पर सामुदायिक केन्द्र का अनाधिकृत निर्माण के मुद्दे पर चुप रहा। डी.ई.ओ. द्वारा की गई ढिलाई ने रक्षा भूमि पर अनियमित पुनःनिर्माण को सुगम बनाया। पुनः न्यास के प्रतिनिधि ने सामुदायिक केन्द्र अर्थात् बंगला संख्या 26 पर धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति माँगी (सितम्बर 2008) जिसमें हजारों लोगो ने भाग लिया। धार्मिक उद्देश्य के लिए सम्पत्ति का प्रयोग के लिए सितम्बर 2008 में डी.ई.ओ. ने संस्वीकृति प्रदान की जो मार्च 2006 में किये गए अभिलेख के इस प्रावधान के विपरीत था कि परिसर का आवासीय भवनों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया जायेगा और मार्च 1985 के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस अनुदेशों का भी उल्लंघन था कि रक्षा भूमि धार्मिक/धर्मार्थ संस्थानों को आबंटित नहीं की जाएगी। उक्त तथ्य हमारे इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि डी.ई.ओ. शुरू से ही पी.ओ.ए.एच. के साथ अनधिकृत दाखिल अभिलेख के करारनामा के निष्पादन से रक्षा भूमि पर सामुदायिक केन्द्र निर्माण तक की घटना तक अच्छी तरह से अवगत था। अतः डी.ई.ओ. ने एच.ओ.आर. को ऐसे उल्लंघन के बारे में सूचित नहीं किया, न ही उस समय रक्षा भूमि को पुनःग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही की।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी के उत्तर में (मई 2012) डी.ई.ओ. ने कहा कि एच.ओ.आर. ने सामुदायिक हाल के निर्माण की अनुमति नहीं माँगी और डी.ई.ओ. ने भी इस हेतु अनुमति नहीं दी। यह उत्तर पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि स्टेशन मुख्यालय किरकी ने अनियमित निर्माण के बारे में अगस्त 2007 में डी.ई.ओ. को सूचित किया था। लेखापरीक्षा में मुद्दे को उठाने के बाद, डी.ई.ओ. ने अनाधिकृत निर्माण और आवासीय उद्देश्य की जगह धार्मिक उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए पी.ओ.ए.एच. को दिसम्बर 2012 में बेदखली का नोटिस जारी किया। मई 2014 तक बंगला पी.ओ.ए.एच. के कब्जे में था।

अतः डी.ई.ओ. द्वारा पुनःनिर्माण के लिए एक अनियमित विलेख का निष्पादन और डी.ई.ओ. और सी.ई.ओ. द्वारा पी.ओ.ए.एच./एच.ओ.आर. के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की विफलता ने रक्षा भूमि पर अवैध अनियमित सामुदायिक केन्द्र के निर्माण में मदद की और ₹ 22.14 करोड़ की रक्षा सम्पत्ति का दुरुपयोग हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 2014 को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014) ।

2.5 मांगी गई भूमि के लिए अधिक भुगतान किये गये किराये की गैर वसूली

रक्षा सेवाओं के मांग पर ली गई भूमि के लिए किराए की युक्तिसंगत दर के कार्यान्वयन पर मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में हुई देरी के कारण चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी भूमि मालिकों को किए गए ₹ 2.83 करोड़ के अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई।

जम्मू और कश्मीर अचल संपत्ति मांग व अधिग्रहण अधिनियम 1968 यह प्रावधान करता है कि "सरकार की राय में यदि किसी सार्वजनिक उद्देश्य से राज्य के प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति की आवश्यकता है या होने की संभावना है तो वह एक आदेश द्वारा उस संपत्ति को अधिग्रहित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी कर सकती है" इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर अचल संपत्ति मांग व अधिग्रहण (आर ए आई पी) नियम, 1969 मांगी गई संपत्ति के लिए मुआवजे का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान करता है। और इसका हर पांच साल में संशोधन का प्रावधान करता है।

श्रीनगर और जम्मू छावनी सहित जम्मू नगरपालिका/श्रीनगर नगरपालिका/पुंछ नगरपालिका की नगर भूमि एक ही श्रेणी के अंतर्गत आती थी और आर ए आई पी नियम 1969 के तहत अन्य दो श्रेणियां शहरी क्षेत्र समिति और अधिसूचित क्षेत्र समिति आती थी। बाद में (अप्रैल 2008) नगर भूमि क्षेत्रों को नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यद्यपि पुंछ नगर पालिका को नगर परिषद के रूप में वर्गीकृत किया गया था लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा (अप्रैल 2008) कश्मीर और जम्मू डिवीजनों के लिए जारी किए गए किराए की दर की तालिका में वह नगर निगम की श्रेणी में ही दर्ज था। जम्मू-कश्मीर सरकार ने किराए के दर को युक्तिसंगत बनाने की संस्तुति करने और दर संरचना में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समिति को नियुक्त किया (दिसम्बर 2008)। समिति ने अप्रैल 2008 में अधिसूचित दरों के अनुसार सशस्त्र सेनाओं के उपयोग हेतु मांगी गई भूमि के लिए किराए की दरों के निर्धारण की सिफारिश की और पुंछ नगर परिषद को नगर निगमों की श्रेणी से हटा दिया और अन्य नगर परिषदों के लिए लागू किराए की दर के बराबर रखा। इसलिए पुंछ में मांगी गई भूमि के लिए लागू किराया ₹ 33,750 प्रति कनाल प्रति वर्ष (पी के पी ए) से कम होकर ₹16,875 पी के पी ए हो गया। जम्मू-कश्मीर सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इस संबंध में सरकारी आदेश जनवरी 2009 में जारी कर दिया गया जोकि उग्रवाद विरोधी कार्यों, जम्मू-कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों/ आंतरिक सुरक्षा में लगी सेना के लिए प्रयोग की भूमि के लिए लागू होगा।

हमने देखा (मार्च 2013) कि यद्यपि यह आदेश सेना पर भी लागू था लेकिन राज्य सरकार ने रक्षा संपदा निदेशालय, उत्तरी कमान (डी डी ई, एन सी) और रक्षा मंत्रालय को इसकी प्रतियाँ पृष्ठांकित नहीं कीं। किसी भी संसूचना के अभाव में, डी ई ओ उल्लमपुर ने किराए संबंधी मुआवजे के भुगतान को उच्च दर²⁸ पर जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप पुंछ नगर परिषद के तहत 829 कनाल 10 मारला माप की मांगी गई भूमि के लिए 16 फरवरी 2008 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि के लिए ₹ 2.83 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया (वार्षिक विवरण परिशिष्ट III में दिया गया है)। तथापि, दरों में कमी के बारे में सूचना प्राप्त होने पर (अगस्त 2010) डी डी ई, एन सी ने (सितंबर 2010) डी ई ओ को पुंछ नगर परिषद के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए मुआवजे के भुगतान को ₹16,875/-पी के पी ए की दर पर सीमित करने तथा 16 फरवरी 2008 से अधिक भुगतान की वसूली के लिए मामला शुरू करने का निर्देश दिया।

²⁸ ₹ 16,875 पी के पी ए (प्रति कनाल प्रति वर्ष) के बजाए ₹ 33,750 पी के पी ए

किराए सम्बंधी मुआवजे के अधिक भुगतान पर लेखापरीक्षा प्रश्न (मार्च 2013),के उत्तर में डी ई ओ ने कहा (मार्च 2013) कि किराए के अधिक भुगतान की वसूली के लिए निर्देश देने हेतु यह मामला सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा गया था। आगे, डी डी ई,एन सी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि वसूली/समायोजन हेतु कार्यवाही, जम्मू-कश्मीर सरकार से अक्टूबर 2010 में पुंछ नगर परिषद की सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि के लिए किराए की दरों की प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त होने और डी जी डी ई/ रक्षा मंत्रालय द्वारा विशिष्ट निर्णय लिए जाने के बाद की जाएगी।

डी जी डी ई/ रक्षा मंत्रालय ने हालांकि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान को शामिल किए बिना अब तक ₹ 2.83 करोड़ के अधिक भुगतान की वसूली नहीं हुई है।

यह मामला जून 2014 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (अक्टूबर 2014)।

2.6 कैंटीन भंडार विभाग द्वारा बैंडविड्थ प्रभारों के भुगतान पर निष्फल व्यय

कैंटीन भंडार विभाग ने एकीकृत कैंटीन भंडार विभाग प्रणाली (आई.सी.एस.डी.एस.) परियोजना के तहत अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2013 तक बैंडविड्थ प्रभारों पर ₹ 3.63 करोड़ की राशि का निष्फल व्यय किया।

मंत्रालय ने मई 2003 में एकीकृत भंडार विभाग प्रणाली (आई.सी.एस.डी.एस.) के तहत सभी सी एस डी डिपों के कम्प्यूटरीकरण के लिए ₹ 7.11 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी। योजना में सभी सी एस डी का कम्प्यूटरीकरण शामिल है जिसमें डिपों साफ्टवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग, प्रशिक्षण, साईट प्रिपेरेशन सभी सी एस डी डिपों पर साफ्टवेयर को इन्स्टॉल/उपलब्ध कराना तथा सी एस डी स्वामित्व इंटरनेट के माध्यम से उन्हें आपस में जोड़ना शामिल था। आपूर्ति आर्डर को अगस्त 2007 तक पूरा करने की अवधि के साथ अगस्त 2006 में मेसर्स विप्रो लिमिटेड को जारी किया गया था। साफ्टवेयर तथा नेटवर्क के लिए उपयोगकर्ताओं यूनिट भंडार द्वारा स्वीकृत परीक्षण की शर्त थी जिनको कि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर स्वीकृति प्रमाणपत्र प्रदान करता था। मई 2008 और मई 2009 के बीच उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षणों को किया गया और सी एस डी मुम्बई ने स्वीकृति इस शर्त के साथ दी कि मेसर्स विप्रो लंबित कार्य को पूरा करेगा।

प्रणाली को जुलाई 2009 और सितम्बर 2009 के दो चरणों में सी एस डी को सौंपा गया। हालांकि सिस्टम 'लाईव' (सितम्बर 2009), होने के बाद, सिस्टम उपयोगकर्ता डिपो से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सभी डिपो में गंभीर कनेक्टिविटी/कार्यान्वयन के मुद्दों का सामना करना पड़ा। अधिकांश मोड्यूल पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं थे और जिसके परिणामस्वरूप अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए सिस्टम सिंगल ट्रान्सएक्शन करने में भी सिस्टम असमर्थ था।

इस बीच, परियोजना के लिए वीएसएटी बैंडविड्थ सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए जून 2008 में मेसर्स ह्युजेस कम्यूनिकेशन इंडिया लिमिटेड को सी एस डी मुम्बई ने एक वर्क आर्डर को रखा। अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2013 तक मेसर्स ह्युजेस कम्यूनिकेशन को बैंडविड्थ शुल्को के लिए ₹ 3.63 करोड़ की राशि का भुगतान सी एस डी मुम्बई द्वारा किया गया था। हालांकि हमने देखा कि आई सी एस डी एस एप्लिकेशन अगस्त 2014 तक भी लागू नहीं हुआ था।

गंभीर कनेक्टिविटी मामलों और कार्य करने के लिए मोड्यूल की विफलता के बावजूद सी एस डी द्वारा बैंडविड्थ शुल्कों के भुगतान के बारे में लेखापरीक्षा में बताने (जून 2010) पर सी एस डी मुम्बई द्वारा जबाब में (अगस्त 2010) यह कहा गया कि, बैंडविड्थ शुल्क का भुगतान कनेक्टिविटी समस्याओं के सुधार के बाद ही किया गया था। जवाब तथ्यपूर्ण नहीं था क्योंकि कनेक्टिविटी समस्याएं अगस्त 2014 तक भी नहीं सुलझाई गई थी।

ड्राफ्ट पैरा जून 2014 में मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने मुद्दों के जवाब में कहा (अगस्त 2014) कि, मेसर्स ह्युजेस कम्यूनिकेशन के साथ करार समाप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है और अक्टूबर 2013 से बैंडविड्थ शुल्क का भुगतान रोक दिया गया था। हालांकि तथ्य वैसा ही रहा कि, मेसर्स विप्रो द्वारा बनाई गई आधारभूत संरचना की क्रियात्मकता को सुनिश्चित किए बिना, सी एस डी ने मेसर्स ह्युजेस कम्यूनिकेशन से वी एस ए टी बैंडविड्थ खरीदा और अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2013 तक ₹ 3.63 करोड़ की राशि दी जिनका प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि अधिकतर माड्यूल पूरी तरह से क्रियात्मक नहीं थे और प्रणाली सिंगल ट्रान्सएक्शन करने में भी असमर्थ थी।

इस प्रकार, सी एस डी मुख्यालय ने अगस्त 2014 तक प्रणाली की अक्रियात्मकता के रहने के बावजूद बैंडविड्थ के शुल्कों पर ₹ 3.63 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

अध्याय III : थलसेना

3.1 रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों की अधिप्राप्ति में ₹ 88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आनेवाली मदों की अधिप्राप्ति के लिए विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिअबल, जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नहीं हुई। एन बी सी सूट परमिअबल के बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर ₹ 88.39 करोड़ का व्यय किया गया, जिसने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों में ऐसी मदें होती हैं, जो रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु एजेंटों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (आई पी ई) शामिल हैं, जो सी बी आर एन एजेंटों में शामिल होनेवाले किसी आतंकवादी खतरे/हमले से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहित परमाणु, जैविक और रासायनिक (एन बी सी) युद्ध/सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यू एम डी) के खतरे अथवा उसके शुरु होने की स्थिति में व्यक्ति को पूर्ण सी बी आर एन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राणरक्षा उपकरण हैं। सी बी आर एन युद्ध सुरक्षा उपकरणों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारतीय थलसेना के विभिन्न फार्मेशनों/इकाइयों को तैतालीस मदें प्राधिकृत की गई हैं, जिनमें से नौ मदें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (आई पी ई) हैं। नौ मदों में से आठ का शेल्फ जीवन पांच वर्षों का है और त्रि कलर डिटेक्टर पेपर (टी सी डी पी) नामक एक मद का शेल्फ जीवन मात्र दो वर्ष है। व्यक्ति को पूर्ण एवं प्रभावी सी बी आर एन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सेट के रूप में इन सभी नौ मदों की तत्काल उपलब्धता अनिवार्य थी। तथापि, हमने मार्च 2013 में देखा कि ए एच क्यू²⁹ ने आई पी ई की सभी नौ मदों की एक साथ अधिप्राप्ति नहीं की और इसलिए पूर्ण सी बी आर एन सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए सैन्यदल को पूर्ण सेट उपलब्ध नहीं करा सका। ये मदें 2008 और 2013 के बीच खंडशः अधिप्राप्त की गई थीं, जिससे इस प्रयोजन हेतु किए गए ₹ 88.39 करोड़ के व्यय के बावजूद भी प्रभावी सी बी आर एन सुरक्षा से वंचित होना पड़ा। इस मामले की चर्चा नीचे की गई है:

ए एच क्यू ने आई पी ई की अधिप्राप्ति हेतु 2008 से 2014 की अवधि के दौरान ट्रेड³⁰ पर ₹ 120.46 करोड़ के आपूर्ति आदेश दिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एन बी सी सूट की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना ही ए एच क्यू ने जुलाई 2008 से अगस्त 2013 के बीच आई पी ई की अन्य आठ मदों की अधिप्राप्ति की और इस पर ₹ 88.39 करोड़ का कुल व्यय किया। इनमें से टी सी डी पी को छोड़कर सभी आई पी ई मदों के लिए पांच वर्ष का सीमित शेल्फ जीवन है।

एन बी सी सूट परमिअबल आई पी ई की मुख्य मद थी, जिसके बिना आई पी ई प्रभावहीन होता है। एन बी सी सूट परमिअबल की अधिप्राप्ति के लिए ए एच क्यू ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) को दो मांगपत्र, मार्च 2007 में 5348 संख्या हेतु और जून 2008 में 30,380 संख्या हेतु दिए। तथापि ओ एफ बी इन मांगपत्रों के प्रति आपूर्ति नहीं कर सका तथा सितंबर 2011 में ट्रेड से इन मदों की अधिप्राप्ति करने हेतु दूसरे मांगपत्र के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' को जारी कर दिया। तदनुसार, ए एच क्यू ने ₹ 34.41 करोड़ की लागत पर 30,380 सूटों के लिए जुलाई 2013 में मेसर्स श्री लक्ष्मी कोटसिन लिमिटेड को आपूर्ति आदेश दिया। ए एच क्यू द्वारा अग्रिम नमूने के अनुमोदन तथा थोक

²⁹ थलसेना मुख्यालय

³⁰ निजी क्षेत्र कंपनियां

आदेशों की अनुमति के पश्चात सात महीने के अंदर अथवा उससे पहले 30,380 सूटों की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति की जानी थी। तथापि, फर्म ने जुलाई 2014 में अग्रिम नमूना, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक को दिया जिसका अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। इसप्रकार, एन बी सी सूट परमिएबल की उपलब्धता अभी तक प्रतीक्षित थी (अगस्त 2014)। एन बी सी सूट के बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों की अधिप्राप्ति के प्रयोक्ताओं द्वारा इन भंडारों के प्रभावकारी उपयोग पर संदेह उत्पन्न होता है।

मार्च 2013 में, लेखापरीक्षा द्वारा आई पी ई मदों के प्राधिकरण के अनुसार, विशेषकर उनके सीमित शेल्फ जीवन की दृष्टि सभी नौ आई पी ई मदों की गैर-अधिप्राप्ति का मामला एम ओ डी³¹ (थलसेना) के आई एच क्यू के साथ उठाया गया तथा आई पी ई के अंतर्गत समवर्ती रूप में सभी नौ मदों की गैर-अधिप्राप्ति पर उनके विचार मांगे। आई एच क्यू ने अपने उत्तर में (जुलाई 2014) अधिप्राप्ति में गैर-अनुकूलता के लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया और कहा कि अधिप्राप्ति की वर्तमान प्रणाली डी पी एम 2009 द्वारा निर्देशित है, जिसमें आई पी ई की सभी पृथक मदों के लिए निविदा पूछताछ (टी ई)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया गया और विभिन्न मदों के लिए अलग-अलग सुपुर्दगी अवधि के साथ विभिन्न विक्रेताओं को संविदा प्रदान की गई। यह एक ही समय सभी आई पी ई मदों की अनुपलब्धता का कारण बना। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एन बी सी सूट परमिएबल हेतु आदेश बहुत पहले मार्च 2007 में दिया गया था, जो फलीभूत नहीं हो सका तथा एन बी सी सूट परमिएबल की उपलब्धता के बिना अन्य मदों की अधिप्राप्ति का कोई औचित्य नहीं है। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अनुकूलता मुद्दों का सामना करने हेतु ए एच क्यू ने डी पी एम 2009 के प्रावधानों का जो उल्लेख किया, वह केवल बाद में उठा विचार था क्योंकि दो मदों के लिए आपूर्ति आदेश ट्रेड को खंडशः दिए गए (जुलाई 2008 और सितंबर 2008) जो यह बताता है कि डी पी एम 2009 के भी लागू होने से पूर्व अनुकूलता मुद्दों को हल नहीं किया गया था।

इस मामले ने उजागर किया कि एम ओ डी के आई एच क्यू ने एन बी सी सूट परमिएबल की तुल्यकालिक खरीद को सुनिश्चित किए बिना ही आई पी ई की आठ मदों की अधिप्राप्ति पर ₹88.39 करोड़ का व्यय किया। अतः एन बी सी युद्ध की स्थिति में व्यक्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है।

जुलाई 2014 में यह मामला मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

3.2 वैधता अवधि के भीतर चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की विफलता के कारण ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

निविदाओं की वैधता अवधि के भीतर 1700 मीट्रिक टन चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करने के लिए सेना क्रय संगठन और एकीकृत वित्तीय सलाहकार की विफलता से ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा मंत्रालय में सेना क्रय संगठन (ए पी ओ), सेना सेवा कोर के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं के लिए केन्द्रीय रूप से ड्राई राशन मदों की अधिप्राप्ति के लिए जिम्मेदार है। ए पी ओ के ठेके आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी जी एस एण्ड डी) के आपूर्ति, निरीक्षण और निपटान के लिए कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली से संचालित होते हैं। डी जी एस एण्ड डी नियमावली सीमित निविदा पूछताछ के प्रति बोली लगाने के लिए पूर्ण 21 पूर्ण दिनों की अवधि का दिया जाना निर्दिष्ट करती है और निविदाकारों को निविदा खोलने की तिथि के बाद एक महीने तक अपना प्रस्ताव खुला रखना जरूरी होता है।

³¹ रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय

खपत वर्ष 2011-12 के लिए 1700 मीट्रिक टन(एम टी) चाय की अधिप्राप्ति के लिए ए पी ओ ने 19 जनवरी 2011 तक निविदा की वैधता अवधि के साथ 3 दिसम्बर 2010 को निविदा पूछताछ जारी की। निविदा क्रय समिति (टी पी सी) की बैठक 20 दिसम्बर 2010 को आयोजित की गई जिसमें तीन सबसे कम बोली लगानेवाले फर्मों से ₹15.50 करोड़ की कुल लागत पर 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति की सिफारिश की गई। 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति का मामला 5 जनवरी 2011 को रक्षा (वित्त) के पास सहमति के लिए भेज दिया गया।

रक्षा (वित्त) ने 1 फरवरी और 09 फरवरी 2011 में कहा कि टी पी सी के कार्यवृत्त में विशेष रूप से यह संकेत नहीं है कि किस प्रकार अंतिम क्रय मूल्य या निर्धारित दर के साथ इन दरों की तुलना की गई थी और ऐसा नहीं लगता कि टी पी सी ने उचित विश्लेषण किया है। उत्तर में ए पी ओ ने 3 फरवरी 2011 में रक्षा (वित्त) को सूचित किया कि निम्नतम दरों की अंतिम क्रय मूल्य और थोक मूल्य सूचकांक के साथ तुलना की गई थी और उचित पाई गई थी। अंत में, रक्षा (वित्त) ने 10 मार्च 2011 को, निविदा खुलने के 80 दिनों³² के बाद, भविष्य में बैठकों के कार्यवृत्त में विस्तृत औचित्य प्रतिपादन को शामिल करने की सलाह के साथ, अधिप्राप्ति हेतु सहमति प्रदान की। 22 मार्च 2011 तक निविदा की वैधता बढ़ाने के लिए फर्मों के साथ संपर्क किया गया। सभी तीनों फर्मों ने अपने प्रस्ताव की वैधता को बढ़ाने से मना कर दिया और अनुबंध नहीं किया जा सका। मार्च 2011 में सी एफ ए ने 1700 एम टी चाय की पूरी मात्रा के लिए पुर्ननिविदा करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

ए पी ओ ने पुनः मार्च 2011 में 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की जिसमें निविदाओं की वैधता 2 मई 2011 तक थी। टी पी सी की बैठक 31 मार्च 2011में हुई जिसमें ₹ 17.83 करोड़ की कुल लागत से 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति की सिफारिश की गई। तदनुसार, ए पी ओ ने तीन निम्नतम बोली लगानेवाले फर्मों की निविदाओं को ₹ 17.83 करोड़ की कुल लागत पर स्वीकार कर लिया। यद्यपि 1700 एमटी चाय का मूल्य पहली बोली से लगभग 15 प्रतिशत अधिक था, टी पी सी ने दर्ज किया कि न्यूनतम बोली लगानेवाले फर्मों द्वारा लगाई गई दरें 20 दिसम्बर 2010 में आयोजित टी पी सी की बैठक में पहले लगाई गई दरों की तुलना में थोड़ी अधिक थी। लागत में वृद्धि का कारण पैकिंग सामग्री में बदलाव और डीजल की कीमत में वृद्धि बताया गया था। लेकिन मार्च 2011 और दिसम्बर 2010 की टी पी सी में उल्लिखित पैकिंग सामग्री का विवरण समान था। इसलिए पैकिंग सामग्री में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि के बारे में टी पी सी का कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था। रक्षा (वित्त) ने यह कारण स्वीकार कर लिया और 25 अप्रैल 2011 में इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। अंत में, ए पी ओ ने 18 मई 2011 में ₹ 17.83 करोड़ की कुल लागत पर फर्मों को निविदा की स्वीकृति जारी कर दी, जो कि पहली बोली से ₹ 2.33 करोड़³³ अधिक थी।

हमने बताया (नवम्बर 2012) कि निविदा प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। उत्तर में ए पी ओ ने कहा कि कार्यविधिक प्रक्रिया के कारण यह विलंब हुआ। निविदा खोलने की तिथि से एक महीने की रखी गई निर्धारित समय सीमा के प्रति एपीओ ने निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 80 दिन लिए। इससे बोली की वैधता अवधि समाप्त हो गई। पुर्ननिविदा कार्यवाही के कारण दरों में वृद्धि हुई तथा ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा का पालन किया गया होता तो इससे बचा जा सकता था।

यह मामला मई 2014 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

³² 20 दिसम्बर 2010 से 10 मार्च 2011

³³ ₹ 17.83 करोड़ (दूसरी बोली) ₹ 15.50 करोड़ (पहली बोली)

3.3 फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रेप के संचयन न करने के कारण राजस्व की हानि।

वर्ष 2008-09 के दौरान फील्ड फायरिंग रेंज के द्वारा गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के धातु स्क्रेप को संचयन करने के लिए संविदा नहीं कि जा सकी। किराये के सिविल श्रम के माध्यम से इसके संग्रह करने के लिए सैनिक प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप अन्ततः ₹ 1.92 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ।

सेना मुख्यालय के जनरल स्टाफ ब्राँच, के महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण ने फील्ड फायरिंग रेंज (एफ. एफ. आर.) से गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के धातु स्क्रेप के संविदा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में जुलाई 1995 में प्रशासनिक अनुदेश जारी किये थे। अनुदेशों के साथ साथ ये भी उल्लेखित था कि यदि किसी अपरिहार्य कारणों से समय पर संविदा नहीं होती है तो सम्बन्धित स्टेशन मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्रेप धातु का किराये पर सिविल श्रम के माध्यम से संचयन किया जाए तथा स्क्रेप को आयुध भण्डार में जमा किया जाए या संग्रह स्थल पर ही नीलामी की जाए। पुनः जून 2002 में रक्षा मंत्रालय ने एफ.एफ.आर में धातु स्क्रेप की संविदाएँ हेतु आरक्षित निर्देशक मूल्य (आर.जी.पी.) के निर्धारण हेतु अनुदेश जारी किये। आर.जी.पी. की गणना के लिए संग्रहणीय धातु स्क्रेप की मात्रा तथा स्थानीय बाजार में संग्रहणीय धातु का प्रचलित मूल्य जैसे दो मानदण्ड निर्धारित किये गये थे।

तदर्थ³⁴ स्टेशन मुख्यालय, पोखरण ने 16 नवम्बर 2008 से 30 सितम्बर 2009 की अवधि के लिए ₹ 2.32 करोड़ की आर.जी.पी. के साथ एफ. एफ. आर. पोखरण से गोलाबारी से प्राप्त गोलाबारूद के 285 मीट्रिक टन (लगभग) धातु स्क्रेप के निपटान एवं संचयन के लिये अगस्त 2008 में निविदाएं आमन्त्रित की। तथापि संविदा नहीं हो सकी क्योंकि उच्चतम बोलीकर्ता ने संविदा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले कुल बोली राशि ₹ 5.59 करोड़ जमा नहीं की और उसकी ₹ 0.05 करोड़ जमा ब्यानाराशि (ई.एम.डी.) जब्त कर ली गई। स्टेशन प्राधिकारियों ने दो बार निविदाएं आमन्त्रित की परन्तु बोलीकर्ताओं ने संविदा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले दूसरी एवं तीसरी निविदा कॉल में भी जो क्रमशः जनवरी 2009 एवं मई 2009 में की गई थी आवश्यक राशि ₹ 2.59 करोड़ एवं ₹ 0.70 करोड़ की राशि जमा नहीं की जिसके कारण नियमित संविदा नहीं हुई और परिणामस्वरूप ₹ 0.35 करोड़³⁵ की जमा ब्यानाराशि जब्त कर ली गई।

जनवरी 2009 तक सम्पन्न दूसरी कॉल तक, दो महीने³⁶ की संचयन अवधि³⁷ समाप्त हो चुकी थी और संविदा नहीं हो सकी थी। सेना मुख्यालय (जुलाई 1995) के इस अनुदेश के बावजूद कि स्क्रेप के संचयन हेतु नियमित संविदा अन्तिम रूप से न होने पर किराये के सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रेप का संचयन करना था, तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण किराये की सिविल श्रम के माध्यम से जनवरी 2009 में धातु स्क्रेप का संचयन नहीं कर सका परन्तु तीसरी कॉल के लिए कार्यवाही आरम्भ की जो दूसरी कॉल से चार महीने के उपरान्त मई 2009 में निविदा कॉल खोली गई। इन तीन निविदा कॉलों के दौरान उच्चतम बोली में घटती प्रवृत्ति दिखाई दी क्योंकि संचयन अवधि का सीधा प्रभाव बोली की राशि एवं स्क्रेप धातु की पुनः प्राप्ति की सम्भावित मात्रा पर है। तीसरी कॉल की उच्चतम बोली की राशि ₹ 70.11 लाख थी जो प्रथम कॉल की उच्चतम बोली का 12.54 प्रतिशत था। तथापि किराये में सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रेप के संचयन का मामला सितम्बर 2009 में शुरू किया जो कि संचयन अवधि का अन्तिम महीना था। तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण ने किराये के सिविल श्रम के माध्यम से स्क्रेप के संचयन हेतु अनुशंसा की क्योंकि किराये के सिविल श्रम के माध्यम

³⁴ कम संख्या की ईकाइयों वाले लघु सैन्य स्टेशन के लिए सम्पूर्ण स्टेशन मुख्यालयों की बजाय तदर्थ स्टेशन मुख्यालयों का प्रावधान सीमित शक्तियाँ एवं विशिष्ट प्रयोजन के साथ कार्य करने हेतु बनाये जाते हैं।

³⁵ ₹ 0.10 करोड़ - दूसरी कॉल की ई.एम.डी. + ₹ 0.25 करोड़ तीसरी कॉल की ई.एम.डी.

³⁶ 16 जनवरी 2008 से 16 जनवरी 2009

³⁷ 01 नवम्बर 2008 से 30 सितम्बर 2009

से सचयन की लागत धातु स्क्रेप की लागत की तुलना में कम थी तथापि, मुख्यालय दक्षिणी कमान ने प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी।

तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण ने उसी दौरान अगले वर्ष 2009-10 (01 अक्टूबर 2009 से 30 सितम्बर 2010) के लिए एफ.एफ.आर. पर औसत 380 मीट्रिक टन धातु स्क्रेप के सचयन हेतु जिसकी आर.जी.पी. ₹1.91 करोड़ थी, निविदाएं आमंत्रित की (जुलाई 2009) और ₹2.32 करोड़ के मूल्य का वर्ष 2008-09 में असंग्रहित 285 मीट्रिक टन (लगभग मात्रा) धातु स्क्रेप को सम्भावित 2009-10 संग्रहणीय मात्रा में शामिल नहीं किया। 380 मीट्रिक टन की आकलित मात्रा हेतु ₹2.52 करोड़ की राशि हेतु मैसर्स जयश्री ट्रेड लिंक जोधपुर के साथ वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए (01 अक्टूबर 2009 से 30 सितम्बर 2010 तक) एक संविदा करार किया (सितम्बर 2009)।

हमने नवम्बर 2008 से 30 सितम्बर 2009 की सचयन अवधि के दौरान नियमित संविदा समय पर नहीं होने की स्थिति में किराये के सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रेप के सचयन न करने के कारणों के बारे में जानकारी नवम्बर 2013 में माँगी थी। प्रत्युत्तर में, मुख्यालय जोधपुर सब-एरिया ने सूचित किया (अप्रैल 2014) कि मुख्यालय दक्षिणी कमान ने सिविल श्रम के माध्यम से स्क्रेप सचयन के प्रस्ताव को प्रथमतः इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया कि वार्षिक आकस्मिक अनुदान (ए.सी.जी.) निधियों से किराये पर सिविल श्रम का खर्च नहीं किया जा सकता तथा द्वितीयः वर्ष 2009-10 के लिए संविदा पहले ही आरम्भ हो चुकी थी। उन्होंने पुनः कहा कि आर.जी.पी के संदर्भ में शेष अनुबंधित अवधि हेतु स्क्रेप की अनुपातिक उपलब्धता कम होने से संग्रहण लागत किफायती नहीं पाया गया। यह प्रत्युत्तर तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण की इस अनुशंसा से मेल नहीं खाता कि किराये के सिविल श्रम की लागत धातु स्क्रेप की लागत की तुलना में कम थी और सब एरिया को किराये के सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रेप के सचयन हेतु अपने कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव के अन्तर्विरोध को दर्शाता है।

इस प्रकार सैन्य अधिकारियों की उचित कार्यवाही के आभाव में नीलामी प्रक्रिया के विफलता के पश्चात, लगभग 285 मीट्रिक टन धातु स्क्रेप का संग्रहण नहीं हो सका तथा ₹1.92 करोड़³⁸ की हानि हुई क्योंकि उक्त मात्रा 2008-09 के दौरान न तो संग्रहित हुई और न ही अगले वर्ष 2009-10 की नीलामी प्रक्रिया में उसे सम्मिलित किया गया।

यह मामला जुलाई 2014 में मंत्रालय को भेजा गया उत्तर प्रतीक्षित था अक्टूबर 2014।

3.4 दोषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति

सेना मुख्यालय ने फरवरी 2008 में ₹ 2.97 करोड़ की लागत से 3717 टायर्स की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिया। फर्म को सामान की आपूर्ति अगस्त 2008 तक करनी थी। फर्म ने विनिर्माण दोष के साथ घटिया किस्म की सामग्री के टायरों की आपूर्ति की। डिफेक्ट रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना लम्बित होने के बाद भी सेना मुख्यालय के क्रय प्राधिकारी ने टायरों की अधिप्राप्ति को निलंबित नहीं किया। फर्म द्वारा दोषपूर्ण टायरों की निरंतर आपूर्ति के कारण ₹ 2.65 करोड़ का भुगतान किया गया।

रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2005 के अनुसार एक संविदा को समाप्त किया जा सकता है यदि आपूर्तिकर्ता संविदा किये गये सामान को समय पर आपूर्ति करने में असफल रहता है या आपूर्तिकर्ता द्वारा पेश किए गए आइटम जब निरीक्षण में विफल हो जाते हैं और आपूर्तिकर्ता आइटम को गुणवत्ता

³⁸ वर्ष 2008-09 की आर जी पी ₹ 2.32 करोड़ माईनस ₹ 0.40 करोड़ तीनों कालों की जब्त की गई ई एम डी। अर्थात् पहली कॉल ₹ 0.50 करोड़ + ₹ 0.10 करोड़ की दूसरी कॉल + ₹ 0.25 करोड़ की तीसरी कॉल

मानकों के अनुरूप पेश करने की स्थिति में नहीं होता है। इसके अलावे मैनुअल, योग्यता के आधार पर आपूर्ति की तारीख बढ़ाने का विकल्प प्रदान करता है।

08/93 के सेना आदेश में यह प्रावधान है कि गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वाहन) वाहनों के संबंध में ए एच एस पी³⁹ है और डिफेक्ट की जांच करने, डिफेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने, और लंबित डिफेक्ट रिपोर्ट⁴⁰ को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार है, जो डी जी क्यू ए⁴¹ के ध्यान में ऐसे सभी मामले लाने चाहिए जिसमें प्रावधान के निलम्बन वारंट, उपयोगकर्ताओं से उपकरण को जारी करना/या वापस लेने से संबंधित हैं। डी जी क्यू ए द्वारा डी जी ओ एस⁴² को उपयुक्त कार्यवाही की सलाह दी जानी चाहिए। इस संबंध में गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (आयुध) ने सभी गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय को निर्देश (मार्च 2007) जारी किए कि तीन महीने की निर्धारित समय सीमा के अंदर डिफेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और बंद करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

हमने पाया (जनवरी 2012) कि सेना मुख्यालय⁴³ ने फरवरी 2008 में ₹ 2.89 करोड़ की लागत पर 3622 टायर्स⁴⁴ की आपूर्ति के लिए एक फर्म⁴⁵ को आपूर्ति आदेश दिया था। जून 2008 में, अतिरिक्त मात्रा (95 संख्या में) का आदेश दिया जिससे कुल लागत ₹ 2.97 करोड़ तक बढ़ गई थी। आपूर्ति आदेश में एक शर्त निहित थी कि यदि दोषपूर्ण सामग्री के कारण दोष पाया गया तो फर्म यथानुपात मुआवजा/ प्रतिस्थापन प्रदान करेगा। वास्तविक आपूर्ति अवधि (डी पी) 31 जुलाई 2008 तक थी जो कि 30 अगस्त 2008 तक संशोधित कर दी गई थी। डी पी पुनःतीन बार सितम्बर 2008, जनवरी 2009 और अंततः जून 2009 में 7 सितम्बर 2009 तक बढ़ाया गया था। फर्म ने 3717 टायर्स की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति अक्टूबर 2008 और अगस्त 2009 के मध्य किया और ₹ 2.65⁴⁶ करोड़ की राशि का भुगतान फर्म को (दिसम्बर 2009) किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि सेना मुख्यालय ने दिसम्बर 2006 में समान प्रकार के टायर्स के लिए एक आपूर्ति आदेश इसी फर्म को दिया था जिसमें दोष पाया गया था (सितम्बर 2008)। सी क्यू ए (बी ई एम एल) ने सी क्यू ए (वी)⁴⁷ को दोष के एवज में डिफेक्ट रिपोर्ट अग्रेषित (अक्टूबर 2008) किया था और इसकी प्रति अन्य के साथ-साथ सेना मुख्यालय⁴⁸ को भी भेजी थी। सी क्यू ए (वी) ने नवम्बर 2008 में उपयोगकर्ताओं के परिसर में दोष की संयुक्त जाँच (जे डी आई) की थी जिसमें टायरों में घटिया सामग्री के कारण विनिर्माण दोष का पता चला। फिर भी, सी क्यू ए (वी) तीन महीने के अन्दर अर्थात्, फरवरी 2009 तक डिफेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दे सका और न ही ए ओ 8/93 के तहत लंबित डिफेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तक, फरवरी 2008/ जून 2008 में दिए गए आपूर्ति आदेश के अन्तर्गत फर्म से टायर्स की खरीद को स्थागित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर सका। फर्म द्वारा आपूर्ति की गई टायर्स में दोषों की जांच करने के लिए मई

³⁹ अंधारिटी होल्डिंग शीलड पार्टिकुलर

⁴⁰ डिफेक्ट रिपोर्ट शुरू किया जाता है (i) दोष के सही कारण को पता करने (ii) दोष दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय बताने (iii) भविष्य आपूर्ति में दोषों को सुधारने और यदि वारंटी कवर है तो मुफ्त में प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए आपूर्तिकर्ता से मिलना।

⁴¹ महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन

⁴² महानिदेशक आयुध भंडार

⁴³ रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, मास्टर जनरल आयुध शाखा

⁴⁴ भाग संख्या LV 6/एम टी 142610-000212 टायर PNEU 11,00x 20 प्लाई 16, एस टी नॉयलोन (TLR 50 टन 12 WHLD) टैंक ट्रांसपोर्टर पूर्व-बी ई एम एल एण्ड पूर्व एम ओ एल सामने और रियर व्हील दोनों के लिए

⁴⁵ मेसर्स पोलिमर, जालंधर

⁴⁶ ₹ 31,99,521/- की राशि शामिल नहीं है रोक ली गई है

⁴⁷ गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वाहन) अहमदनगर

⁴⁸ महानिदेशालय विद्युत एवं मकेनिकल इंजीनीरिंग (वाहन), एम जी ओ रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत, मास्टर जनरल आयुध शाखा

2009 में पुनः जे डी आई की गई। रिपोर्ट में फिर से टायर्स की विनिर्माण प्रक्रिया की समस्याओं और घटिया सामग्री की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया। सी क्यू ए (वी) ने दिसम्बर 2009 में अर्थात् फरवरी 2008 आपूर्ति आदेश के अन्तर्गत सम्पूर्ण मात्रा की प्राप्ति के बाद, केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) को सूचित किया कि टायर्स को उपयोगकर्ता इकाइयों को जारी न किया जाये और टायर्स को वापस ले लिया जाए। जवाब में, सी ओ डी ने निर्देश (जनवरी 2010) जारी कर दिए कि उपयोगकर्ता इकाइयों को आगे ये टायर्स जारी नहीं किए जाएँ लेकिन दोषपूर्ण टायर जो कि पहले से ही जारी किए जा चुके थे उनको वापस नहीं लिया जाए। सी ओ डी के पास जनवरी 2010 तक 312 टायर्स स्टॉक में थे।

हालांकि, डी जी क्यू ए ने सेना मुख्यालय को अवगत (फरवरी 2010) कराया था कि फर्म 3883 टायर्स⁴⁹ (दोनों आपूर्ति आदेश) की पूरी मात्रा को उन्नत किस्म के नये टायर्स, से बदलने के लिए सहमत हैं। सी क्यू ए (वी) ने फिर से सी ओ डी को उपयोगकर्ता इकाइयों को टायर्स जारी न करने की सलाह दी (अप्रैल 2011) क्योंकि फर्म द्वारा उन्नत किस्म के टायर्स की आपूर्ति की जानी थी। उसके बाद, डी जी क्यू ए ने सी ओ डी और ए डी जी ओ एस⁵⁰ को (अप्रैल 2012) सूचित किया कि दोषपूर्ण टायर्स को इकाइयों को जारी न किया जाये। सी ओ डी ने डी जी ओ एस को (दिसम्बर 2012) को सूचित किया कि बार-बार अनुस्मारक जारी करने के बावजूद फर्म ने निरीक्षण के लिए टायर्स विकसित नहीं किए और अधिकतम अवशिष्ट लाभ लेने के लिए टायर्स के रखे हुए स्टॉक में से उपयोगकर्ता इकाइयों को टायर्स जारी करने का मामला डी जी क्यू ए के साथ उठाने का अनुरोध किया। वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी (एस क्यू ए ओ) (निरीक्षण अधिकारी⁵¹) प्रत्येक लॉट में टायर्स के नमूने का प्रारंभिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। एस क्यू ए ओ ने फरवरी 2008 के आपूर्ति आदेश के लिए सितम्बर 2008 और जून 2009 के मध्य टायर्स का निरीक्षण किया और टायर्स में किसी भी दोष का पता लगाने में विफल रहा। हालांकि फरवरी 2008 के आपूर्ति आदेश के एवज में आपूर्ति किए गए टायर्स में दोष उपयोगकर्ताओं द्वारा भी सितम्बर 2010 में सूचित किया गया था जो टायर्स के विनिर्माण में घटिया किस्म की सामग्री के प्रयोग के तथ्य की पुष्टि करता था। हमने सी क्यू ए (वी) से पूछताछ की (मई 2013) कि कैसे निरीक्षण अधिकारी परीक्षण के दौरान दोषों का पता नहीं लगा सका। सी क्यू ए (वी) (जून 2013) ने उत्तर दिया कि यह खराब लॉट के टायर्स में से अच्छे नमूने का चयन हो जाने के कारण हो सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था कि टायर्स की आपूर्ति के प्रत्येक लॉट में से केवल अच्छे नमूने का ही चयन किया गया था। इस प्रकार निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया प्रारंभिक परीक्षा न ही पूर्ण प्रमाणित था और न ही पूरा था जिसमें परिणामस्वरूप फर्म द्वारा दोषपूर्ण टायर्स की आपूर्ति हुई।

सेना मुख्यालय ने सी ओ डी को निर्देश (फरवरी 2013) दिए कि डी जी क्यू ए की मंजूरी लंबित होने के कारण इन टायर्स का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सी ओ डी ने सी क्यू ए (वी) से यह पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2013) कि क्या इन टायर्स को गैर क्षेत्र बलों वाली इकाइयों को कि ज्यादा ऊँचाई, पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र में स्थित नहीं हैं को इस निर्देश के साथ जारी नहीं किया जा सकता कि समय से पूर्व ही विफल हुए टायर्स के संबंध में दोष रिपोर्ट जारी न की जाए। सी क्यू ए (वी) ने सी ओ डी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि उपयोगकर्ता इकाई को उच्च गति ड्राइविंग से बचना चाहिए जिससे दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। हालांकि मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान सी ओ डी के इस विचार से सहमत नहीं था क्योंकि ये टायर्स क्षेत्रीय बल इकाइयों के टैंक परिवहन वाले 50 टन वाले ट्रैलर में उपयोग होते हैं।

⁴⁹ एस,ओ दिसंबर 2006 के (166 नग) 2014 से अधिक एस ओ फरवरी 2008 की (3717 नग)

⁵⁰ ए डी जी ओ एस अतिरिक्त महानिदेशक आयुध भण्डार

⁵¹ वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी वरीय गुणवत्ता आश्वासन स्थापना (वाहन डी जी क्यू ए कम्पलेक्स, नई दिल्ली)

इस प्रकार वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी के स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन की पूर्ण रूप से कमी, सी क्यू ए (वी) द्वारा तीन महीने के अन्दर डिफेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में असफल रहने के कारण और अक्टूबर 2008 में दोष जान जाने के बावजूद टायरों की अधिप्राप्ति को निलंबित करने में सेना मुख्यालय की निष्क्रियता, फर्म को दोषपूर्ण टायरों कि आपूर्ति जारी रखने में मदद मिली जिसके कारण फर्म को ₹ 2.65 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त फर्म से मुआवजा चार्ज करने/ दोषपूर्ण टायरों के बदलने की शर्त की उपलब्धता के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया था और प्रतिबंध के साथ दोषपूर्ण टायरों का उपयोग करने का सेना का यह निर्णय अपने स्वयं के कामकाज और मानव सुरक्षा से समझौता था।

जून 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया था उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

3.5 केन्द्रीय आयुध डिपो आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान कर अमितव्ययी रूप से जारी करना।

प्रावधान में गलती के कारण केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा ने ₹ 7.16 करोड़ की लागत पर 14,919 बैटरी का अधिक प्रावधान किया और बाद में विशाल भण्डार को परिसमाप्त करने के लिए 9,258 बैटरी जारी कर दीं, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ की हानि हुई।

महानिदेशक आयुध भण्डार (डी.जी.ओ.एस.) के तकनीकी अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय आयुध डिपो (सी.ओ.डी.) श्रेणी 'बी'⁵² भण्डार का प्रावधान करने हेतु उत्तरदायी है। सी.ओ.डी. आगरा ने मार्च 2007 में ₹ 14.15 करोड़ की लागत पर 29,485 बैटरी 'ए'⁵³ के लिए मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) पुणे को आपूर्ति आदेश दिया। ये बैटरियाँ मुख्य उपकरण रेडियो स्टेशनों पर प्रयोग की जाती हैं और न्यूनतम 400 चक्रीय जीवन चक्र के साथ इनकी न्यूनतम शेल्फ लाईफ चार वर्ष की होती है। बैटरी जीवन चक्र की निर्दिष्ट/गारंटीकृत संख्या प्रदान करें इसको सुनिश्चित करने के लिए, नियंत्रण के नमूने जीवन चक्र परीक्षण के लिए बाध्य है।

हमने सितम्बर 2011 में देखा कि वर्ष 2006-07 के लिए सी.ओ.डी. द्वारा वार्षिक प्रावधान समीक्षा (ए.पी.आर.) के आधार पर प्रावधान किया गया था। जनवरी 2006 की प्रावधान समीक्षा के ड्यूज आउट⁵⁴ में दो क्षेत्रीय आयुध डिपो (एफ.ओ.डी.) द्वारा की गई 19,743 बैटरी की माँग शामिल थी, जबकि सी ओ डी, आगरा में इसकी वास्तविक माँग केवल 7400 बैटरी की थी (मार्च 2005 और जुलाई 2005 में क्रमशः 3784 और 3616 बैटरी की माँग की गई)। इस गलती के कारण ₹ 5.92 करोड़ (12,343 x ₹ 4800) मूल्य की 12,343 बैटरी 'ए'⁵⁵ का अधिक प्रावधान हुआ। आदेशित 29,485 बैटरी सी ओ डी में मई 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच प्राप्त हुई।

हमने अगले वर्ष 2008-09 के ए.पी.आर. में पाया कि अप्रैल 2008 को सी.ओ.डी. में वास्तव में भंडारण की गयी 23,084 बैटरी के स्थान पर भंडारण की गयी बैटरी 'ए' की मात्रा 3990 दर्शाई गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ए.पी.आर. में 14,919 बैटरी 'ए' की कमी हुई जिसकी अधिप्राप्ति

⁵² मुख्य उपकरण के लिए सभी कलपुर्जे एवं सहायक उपकरण

⁵³ आबंटन (एसाइनमेंट) सूची दिनांक 24 जुलाई 2006 के माध्यम से बैटरी सेक्टर पोर्टेबल निकेल कैडमियम (सील्ड सिलेड्रिकल) 12 बोल्ट 4 एम्पेयर घंटा कैट संख्या जैड 9/6140-विविध -7820-575-072-16 का डी एस कैट संख्या जैड 9/6140-005171 से अधिक्रमण हो गया था।

⁵⁴ स्टॉक लेने की तिथि के अनुसार अन्य सेवाओं, असैनिक प्रयोक्ताओं/भुगतान करने वाले ग्राहकों से संबंधित ड्यूज आउट सहित सभी ड्यूज आउट का देयता में सम्मिलित किया जाएगा।

⁵⁵ 19,743-7,400 (वास्तविक माँग में त्रुटि) = 12,343।

के लिए प्रस्ताव किया गया। सी.ओ.डी. आगरा ने ₹ 7.16 करोड़ की लागत पर 14,919 बैटरी 'ए' के लिए अक्टूबर 2009 में मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आपूर्ति आदेश दिया जिसकी सी.ओ.डी. में प्राप्ति फरवरी 2010 और जुलाई 2010 के बीच हुई। इन मर्दों का प्रावधान करने की वास्तव में आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि सी.ओ.डी. में पहले से ही 23,084 बैटरी का भंडार था। इस प्रकार, ₹ 7.16 करोड़ लागत की 14,919 बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान हुआ।

हमने नवम्बर 2012 में बैटरियों के अधिक प्रावधान में हुई विसंगतियों के बारे में बताया था। भण्डार को समाप्त करने के लिए सी.ओ.डी. आगरा ने 11 जनवरी 2013 एवं 06 जून 2013 के बीच 16,759 बैटरी 'ए' जारी की जिनमें से 9,537 बैटरी का चार वर्षों का न्यूनतम शेल्फ लाईफ समाप्त हो गया था। हमने यह भी पाया कि 16,759 बैटरी में से 9,258 बैटरी 'ए'⁵⁶, बैटरी 'बी'⁵⁷ और बैटरी 'सी'⁵⁸ की माँग के बदले में जारी की गईं। बैटरी 'बी' और 'सी' की अधिप्राप्ति लागत क्रमशः ₹ 3360 एवं ₹ 105 प्रति बैटरी थी जबकि बैटरी 'ए' की लागत ₹ 4,800 थी। इस प्रकार कम लागत वाली बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में अधिक लागत वाली बैटरी 'ए' को जारी किया जाना अमितव्ययी था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अधिक प्रावधान पर लेखापरीक्षा के प्रश्न (सितम्बर 2011) के उत्तर में, सी.ओ.डी. ने कहा (अप्रैल 2012) कि बैटरियों की मूल भाग संख्या के अधिक्रमण के कारण तथा इस तथ्य कि 2008 में स्वचलीकरण के पहले के ड्यूज आउट को लिपकीय त्रुटि के कारण नहीं लिया जा सका था, यह विसंगति हुई थी। हालांकि यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं था क्योंकि मूल भाग संख्या का अधिक्रमण जुलाई 2006 में हुआ था और 2008 में किए गए प्रावधान में किसी भी विसंगति को इसपर आरोपित नहीं किया जा सकता था।

बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में अमितव्ययी रूप से बैटरी 'ए' को जारी करने पर सी.ओ.डी. ने कहा कि भण्डारण में शेल्फ लाईफ के समाप्त होने से पहले बढ़ाए हुए समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु बैटरी 'ए' जारी की गई थी और यह भी कहा कि इससे सरकार को संभावित हानि की जगह बचत हुई थी। इसके अलावा यह कहा गया था कि रिचार्जएबल बैटरियां, नॉन-रिचार्जएबल बैटरियों की तुलना में अधिक चलती हैं। हालांकि बदले में जारी करने के लिए दिया गया औचित्य बैटरी 'ए' के अधिक प्रावधान संबंधी लेखापरीक्षा के तर्क के प्रति प्रसांगिक नहीं था। यह लेखापरीक्षा द्वारा बताएं जाने (नवम्बर 2012) के बाद ही सी.ओ.डी. ने शेल्फ लाईफ समाप्त बैटरी 'ए' के भण्डार को समाप्त करने के लिए जनवरी 2013 में एक अभियान शुरू किया। इसके अतिरिक्त, सी ओ डी द्वारा अपने उत्तर में बैटरी 'ए' जारी किए जाने के बदले में जिस लाभ का दावा किया गया है, वह इस तथ्य से खंडित होता है कि जनवरी 2013 से जून 2013 के दौरान जारी की गई 9,537 बैटरी 'ए' का चार वर्षों का न्यूनतम शेल्फ लाईफ पहले ही समाप्त हो चुका था।

इस प्रकार, ड्यूज आउट एवं स्टॉक होल्डिंग से संबंधित आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित करने में सी.ओ.डी. की विफलता के कारण ₹ 7.16 करोड़ मूल्य की 14,919 बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान हुआ। इसके परिणामस्वरूप अंततः न्यूनतम शेल्फ लाईफ की समाप्ति के बाद निम्न लागत की बैटरियों की माँग के प्रति 9,258 बैटरी 'ए' जारी करने के कारण ₹ 1.91 करोड़ की हानि हुई।

यह मामला मंत्रालय को जून 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

⁵⁶ बैटरी 'बी' की संख्या 7492 और बैटरी 'सी' की संख्या 1766।

⁵⁷ बैटरी 'बी': नॉन-चार्जएबल 12 वी, 15 ए एच-कैट पार्ट संख्या वाई 3/6135-001362।

⁵⁸ बैटरी 'सी': 3.6 वी, 1.6 ए एच कैट पार्ट संख्या वाई 3 6135-001363।

3.6 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां, बचतें और लेखाओं में समायोजन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों, विविध शुल्कों एवं विद्युत प्रभारों की वसूली की, अनियमित कार्य संस्वीकृतियों को निरस्त किया एवं वार्षिक लेखाओं का संशोधन किया, जिसका कुल प्रभाव ₹ 68.01 करोड़ था।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनियमित भुगतान, शुल्कों की गैर-वसूली, अनियमित संस्वीकृतियों के जारीकरण और लेखांकन त्रुटियों के अनेक उदाहरण देखे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षित इकाइयों ने सुधारात्मक कार्रवाई की, जिसका कुल प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है:-

वसूलियां

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रकों, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), कैंटीन भण्डार विभाग (सी एस डी) मुख्यालय आदि के दस्तावेजों की जांच से कुल ₹ 3.98 करोड़ के वेतन एवं भत्तों, विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान, किराया एवं विविध शुल्कों की अनियमित अदायगी आदि उदाहरणों का पता चला। अंकित करने पर इकाइयों ने अधिक भुगतान की वसूली की।

बचतें

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, दक्षिण कमान, थलसेना का क्षेत्र/ उप-क्षेत्र मुख्यालय, स्टेशन मुख्यालय, कोर मुख्यालय आदि जैसे संस्वीकृति करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों ने निर्माण कार्य हेतु दिए गए प्रशासनिक अनुमोदनों/अनुमत अवकाश नकदीकरण को निरस्त किया। इन कार्रवाइयों का कुल परिणाम ₹ 4.84 करोड़ की बचत था।

वार्षिक लेखाओं का संशोधन

जब हमने ब्याज प्राप्ति को सरकारी राजस्व के रूप में न मानना, बकाया लेनदारों हेतु न्यून प्रावधान, भाड़ा प्रभारों का न्यून प्रावधान, मूल्य वर्धित कर एवं राज्य विक्रय कर के प्रति देयता का लेखांकन न करना, सैटऑफ राशि में कटौती आदि जैसे अनियमित लेखांकन के उदाहरणों को इंगित किया, तब सी एस डी ने वार्षिक लेखाओं में सुधार किया। इन सुधारों के अभाव में लाभाधिक्य तथा विविध देनदारों का अल्पांकन हो गया होता। इन सुधारों का शुद्ध प्रभाव ₹ 59.19 करोड़ था।

अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य अभियंता सेवाएँ

4.1 अतिरिक्त आवास इकाइयों के निर्माण पर परिहार्य व्यय।

जे सी ओ के लिए विवाहित आवास की आवश्यकता का सही ढंग से आकलन करने में चेन्नई में स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 1.79 करोड़ की लागत पर 17 आवासीय इकाइयों का आवश्यकता से अधिक निर्माण हुआ और बाद में फील्ड क्षेत्रीय परिवार आवास के रूप में उनका पुनः विनियोग हुआ। एक अन्य मामले में, स्टेशन कमांडर पुणे ने भारत सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 47 लाख की लागत पर बनाए गए चार लेफ्टिनेंट आवासीय इकाइयों को ब्रिगेडियर और ऊपर के अधिकारियों के लिए 'अतिथि कमरे' के रूप में विनियोजित कर दिया।

रक्षा सेवाओं के लिए स्केल ऑफ़ ऍकमोडेशन में यह प्रावधान है कि "स्केल का अस्तित्व न तो आवश्यकता का साक्ष्य निर्धारित करता है और न ही नये आवास के निर्माण के लिए प्राधिकार है तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी एफ ए) द्वारा मंजूरी दिए जाने से पहले कार्य सेवा और इसके दायरे की आवश्यकता की ठीक से जाँच और इसका औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिए"। अक्टूबर 2001 में, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने निर्देश जारी किए थे कि जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया था, के अलावा अन्य उपयोग के लिए नवनिर्मित भवनों का विनियोग एक नई प्रथा को जन्म देगी और इसके लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। इन निर्देशों में यह भी प्रावधान था कि जो निर्देशों के खिलाफ जाएगा उनके खिलाफ अनुशासत्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

ऊपर दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में, हमने मुख्यालय पूणे, सब एरिया (नवम्बर 2012) और विवाहित आवास परियोजना (एम ए पी) चेन्नई (जनवरी 2012) की लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा कि आवश्यकता से अधिक आवास इकाइयों (डी यू) को मंजूरी दी गई और उनका निर्माण किया गया और बाद में भारत सरकार की मंजूरी के बिना अन्य प्रयोजनों के लिए फिर से विनियोजित किया गया।

मामला-1

स्टेशन कमाण्डर, चेन्नई (जून 2009) की सिफारिश के आधार पर, रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2010 में विवाहित आवास परियोजना (एम ए पी) के फेस II में ₹ 42.52 करोड़ की लागत से चेन्नई में 200 डी यू सहित विभिन्न स्टेशनों पर विवाहित आवास के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी।

200 डी यू की संस्वीकृत आवास में 18 डी यू अधिकारियों के लिए, 106 डी यू जूनियर कमीशन अधिकारी (जे सी ओ) के लिए और 76 डी यू अन्य रैंक (ओ आर) के लिए शामिल थे। मई 2014 तक कार्य प्रगति (अधिकारियों के लिए 100%, जे सी ओ के लिए 85% और अन्य रैंक के लिए 87%) पर था। परियोजना प्रबंधक, एम ए पी चेन्नई की लेखा परीक्षा जाँच (जनवरी 2012) में पता चला कि चेन्नई सेना स्टेशन में जे सी ओ के लिए शुद्ध कमी केवल 50 डी यू थी। हालांकि, स्टेशन मुख्यालय चेन्नई ने जे सी ओ के लिए 106 डी यू के निर्माण के लिए सिफारिश की जिसको रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.91 करोड़ की लागत पर 56 डी यू का अधिक प्रावधान किया गया।

स्टेशन मुख्यालय ने (जून 2012) लेखा परीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया और कहा कि स्टेशन मुख्यालय, चेन्नई (अक्टूबर 2012) द्वारा प्रस्तावित और सेना मुख्यालय के अनुरोध (जनवरी 2013) पर जे सी ओ के लिए 56 डी यू के अधिक प्रावधान के खिलाफ 36 डी यू को संविदा से हटा दिया गया था। आगे यह कहा गया कि, 106 डी यू में से केवल 70 डी यू का निर्माण किया जा रहा था जिसमें

से आवश्यकता से अधिक 20 डी यू को जे सी ओ के लिए फील्ड क्षेत्र परिवार आवास (एफ ए एफ ए) में परिवर्तित किया जाएगा। पुनः स्टेशन मुख्यालय ने जुलाई 2013 में स्पष्ट किया कि अतिरिक्त 20 डी यू को मंत्रालय द्वारा 2011 में अधिकृत डी एस सी पलटनों के तीन जे सी ओ को तीन डी यू आंबटित की जाएंगी और मौजूदा 17 पुरानी जे सी ओ आवासों के खिलाफ बचे हुए 17 डी यू को जे सी ओ के लिए नियमित रूप से आवास के रूप में उपयोग किया जाएगा। मौजूदा पुरानी 17 जे सी ओ आवासों को एफ ए एफ ए के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। उपर्युक्त प्रस्ताव अधिशेष 17 आवासों की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएगा क्योंकि नये डी यू जे सी ओ को आंबटित किये जाएंगे और पुराने जे सी ओ आवासों को एफ ए एफ ए के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

इस प्रकार, स्टेशन मुख्यालय, चेन्नई द्वारा आवश्यकता से अधिक के आंकलन का पता सेना मुख्यालय या रक्षा मंत्रालय को मंजूरी देते समय न लगने के परिणामस्वरूप कम से कम 17 आवश्यकता से अधिक जे सी ओ के विवाहित आवासों का निर्माण ₹ 1.79 करोड़ की लागत से हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने पर ही 36 इकाइयाँ जिनकी लागत ₹ 3.80 करोड़ थी को अनुबंध से हटा दिया गया था।

इसके अलावा, तथ्य ये है कि फील्ड क्षेत्र परिवार आवास के रूप में 17 जे सी ओ के मौजूदा आवास के पुनः विनियोजन नये चलन की शुरुआत दिखाता है जिसके लिए भारत सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता थी, जो कि नहीं लिया गया था।

मामला-11

रक्षा मंत्रालय ने एम ए पी के फेस 1 के तहत सेना स्टेशन पुणे में 84 मेजर और ऊपर, चार लेफ्टिनेट, 27 जे सी ओ और 250 अन्य रैंकों के लिए ₹ 38.53 करोड़ की लागत पर विवाहित आवास के प्रावधान के लिए मंजूरी (सितम्बर 2005) दी। महानिदेशक, एम.ए.पी ने जून 2006 में ₹ 27.25 करोड़ की लागत से उपर्युक्त डी यू के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया जो कि मार्च 2009 में रद्द कर दिया गया था क्योंकि ठेकेदार काम को पूरा करने में विफल रहा था। शेष कार्यों के लिए ₹ 31.45 करोड़ की अनुमानित लागत पर सितम्बर 2009 में एक ठेका किया गया। चार लेफ्टिनेट डी यू का कार्य ₹ 47 लाख की लागत पर मई 2011 में पूरा हो गया और सितम्बर 2011 में उसे मुख्यालय दक्षिण कमान को सौंप दिया गया। स्टेशन कमांडर ने चार लेफ्टिनेटों के डी यू को 1 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2014 तक अतिथि कमरों में इनके पुनः विनियोजन की मंजूरी (फरवरी 2012) दी।

लेखा परीक्षा जाँच में पता चला (नवम्बर 2012) कि यद्यपि पुणे स्टेशन पर लेफ्टिनेटों के लिए केवल दो डी यू की ही कमी थी, स्टेशन कमांडर ने अन्य डी यू के साथ स्टेशन परिवार शिविर में चार डी यू के निर्माण की सिफारिश की थी। आगे, स्टेशन कमांडर ने वास्तव में सितम्बर 2006 में चार लेफ्टिनेटों की डी यू की जगह को स्टेशन परिवार कैम्प से दक्षिणी कमान आफिसर मैस परिसर में बदल दी और फरवरी 2012 में इनका अतिथि कमरों के रूप में पुनः विनियोजन कर दिया। यह इंगित करता है कि दक्षिणी कमान अधिकारी मैस परिसर में लेफ्टिनेट आवास का निर्माण विशेष रूप से ब्रिगेडियर और ऊपर के लिए अतिथि कमरों के रूप में पुनः विनियोजन करने के उद्देश्य बनाये गये थे, यद्यपि मंजूरी स्टेशन परिवार कैम्प पुणे में निर्माण के लिए ली गई थी। इसलिए लेफ्टिनेटों के लिए चार डी यू की साईट में बदलाव अनियमित था, तथा इनका पुनः विनियोजन करना रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

लेखा परीक्षा द्वारा मामले को बताये जाने पर (नवम्बर 2012), स्टेशन मुख्यालय ने बताया कि मेप फेस-1 के तहत कार्य की मंजूरी ए वी सिंह कमिटी रिपोर्ट के कार्यान्वयन होने से पहले ही हो गयी थी। आगे यह कहा गया कि इस स्टेशन में तैनात लेफ्टिनेट रैंक के अधिकतर अधिकारी अविवाहित थे और इसलिए विवाहित आवास अतिरिक्त थे जिन्हें अतिथि कमरों के रूप में पुनः विनियोजित किया गया था।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ए वी सिंह कमिटी रिपोर्ट में मुख्य रूप से सेना में अधिकारी संवर्ग के पुनर्गठन और बटालियन/ब्रिगेड कमांडर की उम्र प्रोफाइल को कम करने के माध्यम से इष्टतम लड़ाकू प्रभावशीलता को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया था तथा इस कार्य की मंजूरी (सितम्बर 2005) से पहले ही यह दिसम्बर 2004 में ही कार्यान्वित हो चुका था और इस प्रकार अधिक डी यू की निर्माण के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं थी।, स्टेशन मुख्यालय ने इसमें आगे कहा कि इस स्टेशन में तैनात अधिकतर लेफ्टिनेंट अविवाहित थे और इसलिए विवाहित आवास अधिशेष हो गये और यह इंगित करता है कि विवाहित आवास के लिए डी यू के निर्माण के प्रस्ताव का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया था और उन डी.यू को अधिकारियों के लिए अतिथि कमरों के रूप में उपयोग करने का इरादा था।

इस प्रकार ₹ 47 लाख की लागत पर लेफ्टिनेंटों के लिए चार डी यू का निर्माण अनियमित था और इसका पुनः विनियोजन रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन था।

अप्रैल 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित है। (अक्टूबर 2014)

4.2 ठेकेदार को खाली स्थल सौंपने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान।

दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने खाली स्थल की उपलब्धता के लिए गलत प्रमाणपत्र जारी किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को स्थल सौंपने में विलंब हुआ और कार्य की सम्भावित समापन तिथि के अन्दर कार्य समापन हेतु ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार के अतिरिक्त ₹ 4.58 करोड़ के अतिरिक्त वृद्धि प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

सैन्य अभियन्ता सेवाओं की संविदा नियमावली 2007 निर्दिष्ट करती है कि निविदा स्वीकार करने से पहले, दुर्ग अभियंता (जी.ई.) से इस सम्बन्ध में प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए कि स्थल समस्त बाधाओं से मुक्त एवं सभी निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध है। इसका अधिक पुष्टीकरण पैरा 17.1.3. (डी) में किया गया है, जिसमें समय विस्तारण को कम करने के लिए निविदा प्रक्रिया से पहले स्थलों/भवनों को सौंपने हेतु प्रयोक्ताओं के साथ एक सुविचारित कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नारंगी में गोलाबारूद भण्डारण स्थान के निर्माण के लिए, दुर्ग अभियन्ता गुवाहटी ने खाली उपलब्ध स्थल हेतु एक गलत प्रमाणपत्र जारी किया जिससे वृद्धि प्रभार के रूप में ₹ 4.58 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान हुआ। इस मामले की चर्चा नीचे की गई है:-

दिसम्बर 2006 में पूर्वी कमान मुख्यालय में आयोजित बैठक में अधिकारी बोर्ड (बी.ओ.ओ.) ने 14 फील्ड गोलाबारूद डिपो (एफ.ए.डी.) नारंगी (गुवाहटी) में 13 गोलाबारूद भण्डारण स्थान (विस्फोटक भण्डार गृह (ई.एस.एच.)/बारूदखाना (मैग)) एवं संबद्ध अवसंरचना के निर्माण हेतु सिफारिश की। रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) ने ₹ 23.73 करोड़ की लागत पर 13 गोलाबारूद भण्डारण स्थानों के निर्माण हेतु मार्च 2007 में संस्वीकृति प्रदान की। नवम्बर 2007 में दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने कमाण्डर वर्क्स इंजीनियर शिलोंग एवं मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल को इस अभिप्राय से प्रमाणपत्र जारी किया कि सभी निर्माण कार्यों के लिए स्थल उपलब्ध था। तदनुसार मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल (सी.ई.एस.जैड.) ने जून 2008 में टाईप 'ए' शेडों⁵⁹ अन्य भवनों/अवसंरचना (₹ 25.25 करोड़) के प्रावधान हेतु एक संविदा की। जून 2008 में यह कार्य शुरू हुआ।

⁵⁹ टाईप 'ए' शेड विस्फोटक भण्डार गृह का एक वर्गीकरण है।

दिसम्बर 2012 में लेखापरीक्षा ने देखा, कि जून 2008 में संविदा करने एवं कार्य शुरू करने के बावजूद दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने वृक्षों की कटाई में विलंब के कारण केवल दिसम्बर 2009 में ठेकेदार को स्थल सौंपा। संविदा करने की तिथि (जून 2008) के बाद स्थल सौंपने में 18 महीने के विलंब के बारे में लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में (दिसम्बर 2013) दुर्ग अभियंता गुवाहटी ने कहा कि यह विलंब जिला वन अधिकारी (डी.एफ.ओ.)/रक्षा सम्पदा अधिकारी (डी.ई.ओ.) द्वारा सीमांकन, मूल्य निर्धारण एवं नीलामी और वृक्षों की कटाई करने में विलंब के कारण हुआ। उत्तर यह भी दर्शाता है कि कुछ स्थानों पर भवनों को खाली नहीं कराया जा सके जिससे विलंब बढ़ते गये जो केवल जनवरी 2013 में विध्वंस के लिए ठेकेदार को सुपर्द करना था अर्थात् संविदा की देय समापन तिथि के 20 माह उपरान्त। (अप्रैल 2011) इन परिहार्य विलंबों के फलस्वरूप ₹ 4.58 करोड़⁶⁰ के वृद्धि प्रभार का भुगतान हुआ, जो ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार राशि के अतिरिक्त था, यदि कार्य संभावित समापन तिथि के अन्दर समाप्त किया गया होता। ठेकेदार को किए गए भुगतान से लेखापरीक्षा द्वारा वृद्धि प्रभारों के भुगतान का सत्यापन किया गया।

इस प्रकार, यह मामला प्रकट करता है कि दुर्ग अभियंता ने संविदा करने से पहले खाली स्थल की उपलब्धता हेतु गलत प्रमाणपत्र जारी किया जिससे वृक्षों की कटाई में विलंब के कारण कार्य शुरू करने में परिहार्य विलंब हुआ और परिणामस्वरूप ठेकेदार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार की राशि के अतिरिक्त ₹ 4.58 करोड़ के अतिरिक्त वृद्धि प्रभार का भुगतान हुआ।

जून 2014 में यह मामला मंत्रालय को भेजा गया, उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

4.3 अनुचित स्थल के चुनाव के परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ व्यय के बाद कार्य को रोकना

आपूर्ति डिपो अहमदनगर पर, विवाहितों के आवास के अलावा अन्य का निर्माण रक्षा क्षेत्र के अंदर निचले निर्माण स्थल में सिविल क्षेत्र से सीवेज के बहाव के कारण आगे नहीं बढ़ सका। स्थानीय सैन्य प्राधिकारी प्रभावी ढंग से मामले को सिविल अधिकारियों के साथ हल करने में विफल रहे। सैन्य अभियन्ता सेवा के दुर्बल योजना और प्रबंधन के परिणामस्वरूप ₹ 5.49 करोड़ के व्यय के बाद कार्य को पूर्ण होने से पूर्व रोकना पड़ा।

सेना मुख्यालय (सितम्बर 2004) ने ₹ 9.94 करोड़ की लागत से अहमदनगर में आपूर्ति डिपो के लिए विवाहितों के आवास के अलावा अन्य (ओ.टी.एम.) के प्रावधान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी थी। कार्य को पूरा करने के लिए 156 सप्ताहों का समय निर्धारित किया गया था। कार्य का सम्पादन करने के लिए चीफ इंजीनियर पुणे जोन (सी ई पी जैड) ने मार्च 2005 में ₹ 7.39 करोड़ के लिए मेसर्स मुकुंद एनटरप्राइज मुंबई के साथ एक संविदा किया। कार्य को दो चरणों में किया जाना था यानी प्रथम चरण-दो एकल जूनियर कमीशन अधिकारियों के आवासों का एक ब्लाक और द्वितीय चरण-कार्यालय भवन, भण्डारण आवास, एकल निवास हेतु आवास और जुड़े कार्यों को क्रमशः 14.12.2005 और 14.9.2006 तक पूरा किया जाना था।

हमने देखा (फरवरी 2010) कि संविदाकार ने दुर्ग अभियन्ता (जी.ई.) (अक्टूबर 2005) को सूचना दी थी कि पास की सिविल आवासीय कालोनी का सीवेज, निर्माण स्थल के निचले क्षेत्र में फैल रहा था और क्षेत्र दो से तीन मीटर गहराई तक में अत्यधिक काली कपास मिट्टी से घिरा हुआ था। तत्पश्चात दुर्ग अभियन्ता ने 17 अक्टूबर 2005 को स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों (एल एम ए) को सूचित किया कि सिविल कॉलोनी से निःसृत सीवेज नींव की खाईयों में रिस रहा था और रक्षा भूमि से अपने क्षेत्र में

⁶⁰ भुगतान किया गया कुल वृद्धि प्रभार ₹ 8.56 करोड़ - देय सामान्य वृद्धि प्रभार ₹ 3.98 करोड़ = ₹ 4.58 करोड़।

सीवेज को मोड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने का अनुरोध किया क्योंकि यह बुरी तरह से निर्माण कार्य की प्रगति में बाधा कर रहा था।

अहमदनगर नगर निगम (ए एम सी) ने अक्टूबर 2005 में एक बैठक में संयुक्त निरीक्षण के समय रक्षा क्षेत्र के अंदर सीवेज के लिए ढकी पाईप लाईन बनाने तथा इसको एक प्राकृतिक नाले⁶¹ में छोड़ने तक अपनी इच्छा व्यक्त की। स्टेशन कमांडर ने इसकी अनुमति नहीं दी और आपूर्ति डिपो क्षेत्र की सीमा के बाहर से सीवेज के मोड़ने की सलाह दी। मामले पर एल एम ए और ए एम सी के बीच पत्राचार चलता रहा। ए एम सी ने फिर सितम्बर 2007 में पुनः वही प्रस्ताव रखा और भविष्य के रखरखाव का खर्च वहन करने के लिए भी तैयार था। अंततः अक्टूबर 2007 में स्टेशन मुख्यालय के अनुरोध के आधार पर, सब एरिया कमांडर ने रक्षा भूमि में जल निकासी लाईन बिछाने के लिए फरवरी 2009 में ए एम सी को अनुमति दे दी। ए एम सी ने अनुमति प्राप्त करने के तीन वर्ष बाद सितम्बर 2012 में जल निकासी लाईन बिछाने के लिए निविदा की कार्यवाही शुरू की जो इंगित करता है कि एम ई एस/स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा मामले को प्रभावी ढंग से नहीं देख गया। सीवेज लाईन का कार्य अगस्त 2014 में पूरा किया गया। ओ टी एम आवासीय निर्माण कार्य के निष्पादन की प्रगति जून 2008 के बाद नहीं हो सकी क्योंकि निचले क्षेत्रों में स्थित इमारतों के कार्य स्थल में सिविल क्षेत्र के आसपास से आने वाले सीवेज के पानी का संचय हो रहा था। उस वक्त कार्य की पहले चरण की प्रगति 32 प्रतिशत और दुसरे चरण की 73 प्रतिशत थी। कमांडर वर्क्स इंजीनियर (सी.डब्ल्यू.ई.) ने सिविल क्षेत्र से सीवेज प्रवाह की वजह से स्पष्ट स्थल की अनुपलब्धता के कारण और संविदा से सम्बंधित मुकदमेबाजी से बचने के लिए, संविदा को समय से पहले समाप्ति के लिए अप्रैल 2012 में सिफारिश की क्योंकि जून 2008 के बाद से कार्य में कोई प्रगति नहीं हो सकी। अंततः ₹ 5.49 करोड़ व्यय करने के बाद संविदा को समय से पहले (मार्च 2013) समाप्त कर दिया गया। संविदा की सूची के अनुसार अधूरे कार्य की लागत ₹ 2.93 करोड़ थी। अगस्त 2014 तक शेष कार्य के लिए कोई नया प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2010) टिप्पणी के उत्तर में, मुख्य अभियंता ने सूचित किया कि प्रारंभिक मिट्टी जाँच के समय में इमारतों का सही स्थान तय नहीं था और मिट्टी की जाँच यदृच्छया ढंग से की गई थी। बाद में इमारतों के वास्तविक निर्धारित स्थिति के अनुसार मिट्टी की जाँच की गई और जहाँ पर कुछ इमारतों का निर्माण किया जाना था वहाँ पर मिट्टी की सुरक्षित भार क्षमता कम पायी गयी थी। इससे निर्माण के आरेख में संशोधन करना पड़ा जो दिसम्बर 2005 में किया गया। मुख्य अभियन्ता ने जून 2013 में अपना उत्तर पुनः संशोधित किया और कहा कि मिट्टी की जाँच संविदा के होने के बाद की गई थी और इमारत का केवल संभावित आरेख निविदा में शामिल था। यह इंगित करता है कि संविदा का कार्य मिट्टी की जाँच के बिना शुरू कर दिया था। मुख्य अभियंता ने भी स्वीकार किया कि स्पष्ट स्थल संविदाकर्ता को नहीं सौंपा जा सका क्योंकि सिविल क्षेत्रों से सीवेज पानी का संचय निर्माण स्थल पर हो रहा था। मिट्टी की जाँच और निर्माण हेतु स्पष्ट भूमि एक संविदा को करने से पूर्व अपेक्षित है परन्तु एम. ई.एस. और एल एम ए उपयुक्त स्थल की पहचान करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय पर अर्थात् सितम्बर 2006 तक उपयोगकर्ता को मुख्य स्थान योजना के अनुसार निर्मित भवन उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

हमने परियोजना के लिए निचले क्षेत्र स्थित भू-भाग के चयन के कारणों के बारे में पुनःजानकारी माँगी (अक्टूबर 2010) जो की निर्माण स्थल पर सीवेज संचय का मुख्य कारण था। मुख्य अभियन्ता ने उत्तर दिया कि सिविल क्षेत्र से सीवेज का प्रवाह का उल्लेख रेकी व साईटिंग बोर्ड जून 2003 में नहीं था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एम. ई. एस. के प्रतिनिधि भी उपरोक्त बोर्ड ऑफ आफिसर (बी.ओ.ओ.) के सदस्य थे और निर्माण स्थल के निचले क्षेत्र में स्थिति के तथ्य को बी.ओ.ओ. के ध्यान में उन्हें लाना चाहिए था।

⁶¹ भिंगर नाला ।

इस प्रकार एम. ई.एस प्राधिकारी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के समय पर इमारतों की योजना/ निर्माण स्थल निर्धारित करते वक्त निचले क्षेत्र के तथ्य को पहचाने एवं प्रशासनिक अनुमति के बाद मिट्टी की आवश्यक जाँच करना और संविदा करने से पहले बाधा मुक्त निर्माण स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसके अलावा स्थानीय सैन्य प्राधिकारी भी समय पर सिविल प्राधिकारियों के साथ समन्वय द्वारा सीवर के मामले को हल करने में विफल रहे।

मामला मंत्रालय को जून 2014 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

अध्याय V: सीमा सड़क संगठन

5.1 एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए धन का अनधिकृत उपयोग।

महानिदेशक सीमा सड़क ने दो भंडारण आवास के निर्माण के लिए ₹ 0.90 करोड़ मूल्य के दो कार्य संस्वीकृत किए। ये फण्ड वास्तव में 1556 वर्गमीटर के एक क्षेत्र का एक बहुउद्देशीय हॉल बनाने के लिए उपयोग किये गये जिससे भंडारण आवास बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया।

सीमा सड़क विनियमन के नियम 566 (सी) के अनुसार धनराशि को उन अधिकृत वस्तुओं के कार्यों पर ही खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए आबंटित किया गया है। परन्तु मुख्य अभियंता (परियोजना) बीकन (सीई)ने ₹ 0.93 करोड़ की धनराशि का उपयोग जिस कार्य के लिए धन आबंटित किया गया था न करके इसे अन्य उद्देश्य के लिए किया।

सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी आर डी बी) नई दिल्ली ने अगस्त 2008 में श्रीनगर में मुख्यालय मुख्य अभियंता (परियोजना) बीकन (सी ई) परिसर में ₹ 0.88 करोड़ की अनुमानित लागत के इनडोर खेल और सेमिनारों के लिए 489 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए मंजूरी दी। अप्रैल 2009 में, सी ई के तहत एक कार्य बल⁶² ने 1500 वर्गमीटर क्षेत्र का बहुउद्देशीय हॉल डिजाइन करने के लिए एक परामर्श फर्म को नियुक्त किया। मार्च 2009 और जुलाई 2010 में महानिदेशक सीमा सड़क (डी जी बी आर) ने क्रमशः ₹ 0.42 करोड़ और ₹ 0.48 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीई के अधीन दो कार्य बलों⁶³ प्रत्येक के लिए 505.30 वर्गमीटर क्षेत्र के दो भण्डारण आवास मंजूर किए। भण्डारण आवास के निर्माण की योजना मुख्यालय में सी ई परिसर में बहुउद्देशीय हॉल के बगल में की गई। समापन रिपोर्ट के पार्ट 'ए' और 'बी' के अनुसार सभी तीनों कार्यों को ₹ 1.88 करोड़⁶⁴ के व्यय के साथ जून 2010 और जनवरी 2011 के बीच कार्य बलों के द्वारा पूरा किया गया।

तीनों कार्यों से संबंधित दस्तावेजों की लेखापरीक्षा जांच (अगस्त 2012) में पाया गया कि सीमा सड़क विनियमों⁶⁵ का उल्लंघन करके तीनों कार्यों को मिलाकर 1556 वर्गमीटर क्षेत्र का एक बड़ा बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कर दिया गया।

मुख्यालय 32 बी आर टी एफ (अक्टूबर 2012) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत हुए और कहा कि भण्डारण आवास के निर्माण के लिए निर्धारित ₹ 0.93 करोड़⁶⁶ की कुल धनराशि वास्तव में अगस्त 2008 में बी आर डी बी द्वारा मंजूर 489 वर्गमीटर के क्षेत्र के एक बहुउद्देशीय हॉल की तुलना में बड़े क्षेत्र के एक बहुउद्देशीय हॉल को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की गई। बड़े बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण को अत्यधिक ठण्ड और उग्रवाद के आधार पर उचित ठहराया गया। इसके अलावा , मुख्यालय डी जी बी आर ने भी तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जुलाई 2014) कि सभी तीनों उद्देश्यों को इस विचार प्रक्रिया के साथ एक बड़े बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए मिला लिया गया था कि एक बड़ा

⁶² 32 सीमा सड़क कार्य बल

⁶³ 32 बी आर टी एफ और 760 बी आर टी एफ

⁶⁴ ₹ 0.95 करोड़ (बहुउद्देशीय हॉल)+ ₹ 0.47 करोड़ (32 बी आर टी एफ के लिए भण्डारण आवास) + ₹ 0.46 करोड़ (760 बी आर टी एफ के लिए भण्डारण आवास)

⁶⁵ सीमा सड़क विनियमन की धारा 3 के नियम 566 (सी)- धनराशि केवल उन अधिकृत वस्तुओं के कार्यों पर खर्च की जाती है जिसके लिए वे आबंटित की जाती हैं ।

⁶⁶ ₹ 0.47 करोड़ (32 बी आर टी एफ के लिए भण्डारण आवास) + ₹ 0.46 करोड़ (760 बी आर टी एफ के लिए भण्डारण आवास)

बहुउद्देशीय हॉल अधिक भण्डारण प्रदान कर सकता है और सैनिकों द्वारा इनडोर खेल और मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा, दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि परामर्श एंजेसी को अप्रैल 2009 में 1500 वर्गमीटर के एक क्षेत्र में बहुउद्देशीय हॉल की डिजाइनिंग के लिए कार्य दिया गया था जबकि शेष कार्य का बाद में निर्माण किया जाना था। इसके अलावा भण्डारण के साथ ही साथ एक ही हॉल में मनोरंजक गतिविधियों को यदि साथ में किया गया तो ये उतने पेशेवर ढंग से नहीं हो पायेंगे जितने अलग-अलग हो सकते हैं।

उत्तर यह पुष्टि करता है कि यद्यपि निर्माण से संबंधित दस्तावेज तीन अलग-अलग भवनों के निर्माण को दर्शाते हैं, सीई (पी) बीकन और टी एफ द्वारा यह पूर्व निर्धारित था कि सिर्फ 1556 वर्गमीटर क्षेत्र पर केवल एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया जाना था और इसके लिये भण्डारण आवासों को आवंटित ₹ 0.93 करोड़ की राशि को अनधिकृत रूप से एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए उपयोग किया। यह तथ्यों की गलत प्रस्तुति और दो कार्य बलों⁶⁷ के लिए अनुमानित भंडारण आवास की आवश्यकता का पूरा न होना दर्शाता है।

मई 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

5.2 अवमृदा की जाँच के बिना पुल का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप ₹0.75 करोड़ की हानि।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) की संहिताओं के विपरीत एक सीमा सड़क कार्य दल द्वारा बिना अवमृदा की जाँच के पुल का निर्माण किया गया, जिसके फलस्वरूप ₹0.75 करोड़ की हानि हुई। यह कार्य सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की संस्वीकृति प्रदान किए जाने से पहले शुरू किया गया था।

सीमा सड़क संगठन की तकनीकी अनुदेशों (टी.आई.) संख्या 22 यह निर्देशित करते हैं, कि मानसून नुकसान की तुरन्त मरम्मत (आई.आर.एम.डी.) कार्यों के अलावा कोई भी कार्य सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी.एफ.ए.) की संस्वीकृति के बिना शुरू नहीं करना चाहिए।

अप्रैल 2008 में, मुख्य अभियंता, परियोजना पुष्पक (सी.ई.) ने जीरीबन बैरक सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर पहले से विद्यमान 90 फुट बैली पुल से 20 मीटर धारा से ऊपर के स्थान पर 194.450 किलोमीटर के उपगम के साथ 30 मीटर चौड़ा प्रमुख स्थाई पुल, बाक्स गिरडर सर्वोत्तम संरचना के साथ निर्माण की सिफारिश की। सी.ई., परियोजना पुष्पक ने उपरोक्त निर्माण के लिए अनुमानित लागत (ए.ई.) मामलों के विवरण (एस.ओ.सी.) के साथ मुख्यालय, (एच.क्यू.) को महानिदेशक सीमा सड़क (डी.जी.बी.आर.) से आवश्यक संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु (दिसम्बर 2008) प्रस्तुत किया।

सी.ई., परियोजना पुष्पक के एस.ओ.सी के आधार पर, मुख्यालय डी.जी.बी.आर. (जुलाई 2009) ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) एवं कार्य की अनुमानित लागत भारत सरकार, राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय (एम.ओ.आर.टी एण्ड एच) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। डी.जी.बी.आर. ने यह प्रस्तावित किया कि अवमृदा की जाँच आवश्यक नहीं थी क्योंकि प्रस्तावित पुल स्थल अच्छी तरह से परिभाषित और मुलायम रॉकी स्तर पर था। एम ओ आर टी एच इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था और उसने डी.जी.बी.आर (अगस्त 2009) को सलाह दी कि विभिन्न सम्बन्धित आई.आर.सी⁶⁸ संहिताओं में निर्धारित डिजाईन आवश्यकता के अनुसार पुल का डिजाईन बनाया जाए। एम.ओ.आर.टी एण्ड एच ने ₹ 331.98 लाख का कार्य करने के लिए (जुलाई 2010) प्रशासनिक

⁶⁷ 32 बी आर टी एक एफ 760 बी आर टी एफ

⁶⁸ इंडियन रोड कांग्रेस।

अनुमति, तकनीकी अनुमति एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की, कि निर्माण के दौरान प्रत्येक नींव स्थान पर अवमृदा जाँच करनी होगी जिसके बाद में बोरिंग से पुष्टी भी करनी होगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह प्रकट किया (फरवरी 2012) कि जुलाई 2010 में कार्य की संस्वीकृति दी गई परन्तु सीमा सड़क कार्य दल (बी.आर.टी.एफ.) ने अवमृदा जाँच किए बिना तथा सी.एफ. ए. द्वारा संस्वीकृति प्राप्त करने से पहले ही फरवरी 2009 में पुल का कार्य शुरू कर दिया। मार्च 2010 में पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भूस्खलन हुआ और निर्माण कार्य रूक गया। जुलाई 2012 में आयोजित तकनीकी बोर्ड अधिकारियों द्वारा भूस्खलन संभावित क्षेत्र होने के कारण इस स्थल को असुरक्षित घोषित कर दिया। मुख्यालय डी.जी.बी.आर द्वारा एम.ओ.आर. टी. एच. को दी गई रिपोर्ट कि स्थल स्पष्ट परिभाषित एवं मुलायम रॉकी स्तर पर था इस तथ्य का तकनीकी बोर्ड अधिकारियों की जाँच खण्डन करती है। इसके कारण मार्च 2010 तक ₹ 0.75 करोड़ खर्च हुए जो निष्फल हो गये थे।

लेखापरीक्षा में (अप्रैल 2012) उजागर करने पर, बी.आर.टी.एफ. ने (जुलाई 2012) यह तथ्य स्वीकार किया कि पहले ही फरवरी 2009 में पुल का कार्य शुरू कर दिया जिसकी संस्वीकृति एम.ओ.आर.टी.एण्ड एच. ने जुलाई 2010 में दी। बी.आर.टी.एफ ने यह भी माना कि गठन/नींव के निष्पादन पर किया गया ₹0.75 करोड़ का खर्च एक नुकसान था क्योंकि नए पुल के लिए स्थल एक अलग स्थान से बदल दिया गया था चूँकि मौजूदा स्थान असुरक्षित बन गया था।

तकनीकी बोर्ड अधिकारियों के सह जाँच न्यायालय (सी.ओ.आई) का (अप्रैल 2013) का मत था कि पुराने स्थान पर प्रस्तावित पुल का निर्माण सुरक्षित नहीं था इसलिए मौजूदा बैली पुल पर स्थाई पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखा। तथापि, बोर्ड ने नये निर्माण कार्य से पहले अवमृदा जाँच करने की सिफारिश की। अगस्त 2014 तक पुल के निर्माण के लिए संशोधित डी.पी.आर अभी तक सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इससे यह स्पष्ट है कि पुल का गठन/नींव का निष्पादन कार्य करने से पहले अत्यावश्यक अवमृदा जाँच नहीं की गई थी। अवमृदा की जाँच की प्रासंगिकता सर्वोपरि थी जैसा कि जुलाई 2010 में एम.ओ.आर.टी.एच द्वारा सलाह दी गई थी एवं नये स्थल पर पुल निर्माण के लिए पुनः तकनीकी बोर्ड ने इसकी अप्रैल 2013 में सिफारिश की थी ।

इस प्रकार मामला यह प्रकट करता है कि;

- तकनीकी बोर्ड के अधिकारी का निष्कर्ष कि पुल का स्थान/स्थल भूस्खलन संभावित क्षेत्र था वह डी.जी.बी.आर के अभिकथन कि स्थल अच्छी तरह से परिभाषित एवं मुलायम रॉकी स्तर पर था और इसलिए अवमृदा जाँच की जरूरत नहीं है, का विरोधाभास करता है।
- यदि अवमृदा की जाँच कर ली जाती तो ₹0.75 करोड़ लोकधन की हानि से बचा जा सकता था।

मई 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया; उनका जबाव प्रतीक्षित है (अक्तूबर 2014)।

अध्याय -VI - वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन में परियोजना प्रबंधन

6. वाहन अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, अहमदनगर और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, आवड़ी में परियोजना प्रबंधन।

रक्षा सेनाओं द्वारा माँगे गए उत्पादों की डिलिवरी के लिए अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान ली गई परियोजनाओं में एक जैसी सफलता नहीं मिली। अप्रैल 1998 से मार्च 2013 के दौरान सीवीआरडीई में दो स्टाफ परियोजनाओं को बंद किया गया जिसमें से एक परियोजना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की प्रक्रिया में थी, परंतु उसका उत्पादनकरण अभी होना था। अन्य परियोजना में हालाँकि विकसित प्रणाली को प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया था फिर भी विदेशी विक्रेता पर लगे प्रतिबंध के कारण परियोजना का उत्पादनकरण नहीं हो सका। वीआरडीई में, अप्रैल 1998 से मार्च 2013 के दौरान नौ बंद की गई परियोजनाओं में मात्र एक का ही उत्पादनकरण किया गया। अन्य परियोजना हालाँकि वीआरडीई द्वारा उसे सफलतापूर्वक पूरा किया ऐसा कहा गया फिर भी सेना में उसे शामिल करने की ओर बढ़ते हुए प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृति के ब्यौरों को प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके। तीसरी परियोजना में परियोजना माँग को आंशिक रूप में पूरा किया तथा शेष छह परियोजनाएँ प्रयोक्ता के द्वारा स्वीकृति के मामले में सफलता प्राप्त नहीं कर सकीं। सामान्य स्टाफ गुणात्मक माँग के बिना परियोजनाओं की शुरुआत करना, अपेक्षित डेलिवरेबल्सों को विकसित करने में प्रयोगशाला की विफलता तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन इस सफलता के लिए मुख्य कारण थे। दो प्रयोगशालाओं द्वारा ली गई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थिति भी उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि बंद की गई 51 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाएँ ऐसी प्रौद्योगिकी को स्टाफ परियोजनाओं में उपयोग में नहीं ला सकीं।

6.1 प्रस्तावना

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) एक प्रमुख तथा विशाल सरकारी संगठन है जो कि, रक्षा सेवाओं यथा थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) से जुड़ा है। इनकी अपनी दो प्रयोगशालाएँ (लैब्स) यथा - वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (वी आर डी ई), अहमदनगर और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (सी वी आर डी ई), आवड़ी, जो लड़ाकू वाहनों के श्रेणी/ समूह के तहत आती है।

वी आर डी ई को लड़ाई के लिए लाइट ट्रक वाहनों की रचना तथा विकास के साथ और 25 टन क्लास तक, प्रशिक्षक वायुयान एवं मानवरहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) में वैमानिकीय प्रयोग हेतु व्हिल्ड वेहिकल पिस्टन तथा रोटरी इंजिनों, 10 किलो से 150 किलो तक आल अप वेट (ए यू डब्ल्यू) के सभी प्रकार के यूएवी, के विशिष्टतम कार्य सौंपे गए हैं। बी एम पी⁶⁹ II पर आरमर्ड इंजीनियर रेकी वाहन, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल (एन बी सी) रेकी वाहन; पिनाका, एम बी आर एल के लिए लोडर कम रिप्लेनिशमेंट (एल सी आर) वाहन तथा रिप्लेनिशमेंट वाहन (आर वी); जेट डिक्लेक्टर वाहन, संपर्क वाहन (एमके-I और II); एस एफ तथा डी (ए आई) परियोजना की विशेष उद्देश्य के लिए ट्रान्सपोर्ट की रचना तथा विकास उनकी बड़ी सफलताओं में है।

⁶⁹ बोरवाया मशीना पेखोटी (बीएमपी)

सी वी आर डी ई को ट्रक आरमर्ड लडाकू वाहनों की रचना तथा विकास कार्य सौंपा गया है। मैन बॉटल टॉक अर्जुन एम के - I, आरमर्ड पैट्रोल कार, आरमर्ड रिकवरी वाहनों, बी एम पी -II वाहन पर 130 एमएम सेल्फ प्रोपेल्ड गन कॅटापल्ट और कॅरियर मोर्टर ट्रक, लडाकू सुधारित अजेय इत्यादि की रचना तथा विकास उनकी बड़ी सफलताओं में हैं।

प्रयोगशालाओं का संगठनीय ढाँचा

डी आर डी ओ रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डी डी आर एण्ड डी) के अधीन कार्य करता है और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए टू आर एम) इसके प्रमुख हैं। डी आर डी ओ की प्रयोगशालाएँ तकनीकी अधिकार क्षेत्र के आधार पर सात समूहों में संगठित हैं और संबंधित महानिदेशक उनके प्रमुख हैं। सी वी आर डी तथा वी आर डी ई दोनों महानिदेशक आयुध तथा कॉम्बट इंजीनियरिंग सिस्टिम के तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्यरत है और निदेशक उनके प्रमुख हैं।

निदेशक वी आर डी ई जिन्हें, विभाग प्रमुखों (एच ओ डी) जो छह परियोजना ग्रुप के प्रमुख हैं यथा - व्हिल्ड व्हेइकल डिविजन (डब्ल्यू वी डी), ट्रक वेहिकल डिविजन (टी वी डी), वेहिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन (वी ई एल), मेकॅनिकल इंजीनियरिंग डिविजन (एम ई डी), स्पेशलिस्ट वीइकल डिविजन (एस वी डी) तथा इंजिन डेव्लपमेंट ग्रुप (ई डी जी) से सहायता प्राप्त होती है। इन प्रयोगशालाओं के क्रियाकलापों के लिए प्रबंधन सूचना ग्रुप (एम आई जी), सामग्री प्रबंधन ग्रुप (एम एम जी), नॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग (एन सी ए टी), वाहन प्रबंधन (वी एम) इत्यादि द्वारा भी सहायता मिलती है।

निदेशक सी वी आर डी ई को अवर निदेशकों जो 11 परियोजना ग्रुपों यथा - वेदरानिक्स, विश्वसनीयता तथा गुणता आश्वासन (आर एण्ड क्यू ए), अग्नि नियंत्रण प्रणाली, मैन बॉटल टॉक (एम बी टी), ट्रान्समिशन, इंजिन, सिमुलेटर, गन नियंत्रण प्रणालियाँ, विशिष्ट वाहन, रनिंग गियर तथा रोबोटिक्स के प्रमुख हैं, द्वारा सहायता प्राप्त होती है। प्रयोगशालाओं के क्रियाकलापों के लिए परियोजना प्रबंधन ग्रुप, मेकॅनिकल ट्रांसपोर्ट इत्यादि द्वारा भी सहायता मिलती है।

वी आर डी ई तथा सी वी आर डी ई वैज्ञानिकों, तकनीकी स्टाफ, सेवा कार्मिक तथा सम्बद्ध स्टाफ को सम्मिलित करते हुए लगभग 589 तथा 1254 क्रमशः कार्मिकों को विन्यास करती है। 2008-2009 से 2012-13 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान वी आर डी ई के संबंध में ₹ 131.31 करोड़ और सी वी आर डी ई के संबंध में ₹ 354.26 करोड़ की रकम वेतन और भत्तों पर खर्च की गई।

परियोजना के प्रकार:

अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोनों प्रयोगशालाएँ मुख्यतया दो प्रकारों की परियोजनाओं यथा स्टाफ परियोजनाएँ और आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं को लेती हैं।

I : स्टाफ परियोजनाएँ

आर एण्ड डी संगठन के लिए डी आर डी ओ के तकनीकी स्थायी आदेशों (टीएसओ) (अगस्त 1975) तथा डी आर डी ओ की IX और X वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार, स्टाफ परियोजनाएँ उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ हैं जो गुणात्मक माँग (क्यू आर) डेलिवेरेबल्स और समय सीमा के अनुसार सुनिश्चित प्रयोक्ता माँग पर आधारित है। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर सेवाओं में प्रणालियों को शामिल करने के पराकाष्ठा पर पहुँचाना प्रत्याशित है।

II : अनुसंधान एवं विकास/ तकनीकी प्रदर्शक (आर एण्ड डी/ टी डी) परियोजनाएँ

(क) टीएसओ के अनुसार आर एण्ड डी परियोजनाएँ अनुसंधान के प्रदत्त क्षेत्र में बिल्डअप परियोजनाएँ या उसमें उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने या स्टाफ परियोजनाओं की वहनीयता में यह सामान्य सक्षमता वाली परियोजनाएँ हैं।

(ख) तकनीकी प्रदर्शक (टी डी) परियोजनाएँ जैसे कि डी आर डी ओ की IX तथा X पंचवर्षीय योजनाओं में परिभाषित किया है, को ऐसे क्षेत्र में जहाँ प्रयोक्ता माँग ज्ञात हो परन्तु सुनिश्चित लागत और समय साँचा के स्टाफ परियोजना को लेने के लिए तकनीक परिपक्व नहीं है वहाँ आयोजित की जाती हैं। टी डी परियोजनाएँ प्रयोक्ता अनुकूलन संभाव्य परियोजनाओं को लेने का आधार बनाती हैं और जो तीन से पाँच वर्षों में डेलिवरेबल्स में परिवर्तित होना प्रत्याशित है।

पिछले 15 वर्षों में प्रयोगशालाओं के आर एण्ड डी प्रयास

अप्रैल 1998 से मार्च 2013 आवरित अवधि के दौरान, वी आर डी ई तथा सी वी आर डी ई ने क्रमशः ₹ 162.84 करोड़ तथा ₹ 737.38 करोड़ की लागत पर 17 स्टाफ तथा 70 आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाएँ ली इनमें से क्रमशः ₹ 29.73 करोड़ तथा ₹ 272.19 करोड़ की लागत पर 11 स्टाफ और 56 आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाएँ बंद की गईं। बाकी 6 स्टाफ और 14 आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाएँ 31 मार्च 2013 तक अभी भी प्रगति पर हैं जैसे कि परिशिष्ट-IV में ब्यौरेवार दिया गया है। इस प्रकार, व्यय के तहत डी आर डी ओ ने आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं पर इन दोनों प्रयोगशालाओं में अपने प्रयासों को केंद्रित किया और प्रयोक्ता अनुकूलन स्टाफ परियोजनाओं की ओर कम योगदान दिया।

6.2 लेखापरीक्षा की व्याप्ति

वी आर डी ई (नौ) तथा सी वी आर डी ई (दो) द्वारा पिछले 15 वर्षों अर्थात् 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2013 के दौरान बंद किए गए सभी स्टाफ तथा आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं का परियोजना प्रबंधन का परीक्षण किया जिसमें अन्य स्विस्टर डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं की ओर से इन प्रयोगशालाओं द्वारा ली गई उप परियोजनाएँ जो बंद हुईं, शामिल हैं जैसा की परिशिष्ट-V में ब्यौरेवार दिया गया है। इन दोनों प्रयोगशालाओं द्वारा की गई अधिप्राप्ति प्रक्रिया लेखापरीक्षा व्याप्ति का भाग नहीं बनी। साथ ही प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गये क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स को भी समाविष्ट नहीं किया। मानवशक्ति, बजटीय विनियोजन तथा व्यय को पाँच वर्षों तक अर्थात् 2008-09 से 2012-13 तक सीमित रखा गया।

6.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य वी आर डी ई तथा सी वी आर डी ई के उनके अपने-अपने आर एण्ड डी प्रयासों द्वारा हासिल सफलता का स्वतंत्र मूल्यांकन करना था। इस प्रकार लेखापरीक्षा इस परीक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई कि क्या:

- स्टाफ परियोजनाओं से प्रत्याशित डेलिवरेबल्स संस्वीकृत लागत तथा समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक विकसित किए गए हैं जिन्हें आगे प्रयोक्ताओं द्वारा स्वीकृत किया जाना और समर्थ बजटीय प्रणाली का परियोजनाओं के प्रबंधन में अवलंबन किया गया था।
- आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाएँ मूर्त उत्पादन विकसन में परिणत हुईं।

- iii) मानवशक्ति की प्रभावी स्थापना के लिए उनकी अपनी वैज्ञानिक/ तकनीकी मानवशक्ति के प्रत्येक विशेषज्ञ क्षेत्र को सूचित करने वाले डाटाबेस का रखरखाव किया गया; और
- iv) वी आर डी ई में नेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेस्टिंग (एन सी ए टी) प्रभावी और निपुणता से कार्य कर रही है।

6.4 परियोजनाओं की सफलता को निर्धारित करने के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन की समीक्षा के लिए निम्नवत निष्कर्ष अपनाए गए थे:

- i) परियोजनाओं की संस्वीकृति, कार्यान्वयन, मानिट्रिंग तथा समापन संबंधी अगस्त 1975 में जारी आर एण्ड डी संगठन के लिए डी आर डी ओ तकनीकी स्थायी आदेशों के प्रावधानों तथा 2006 में जारी डी आर डी ओ में प्रोजेक्ट फार्मेलूशन तथा मॅनेजमेंट (पी पी एफ एम) के लिए प्रक्रियाओं का पालन;
- ii) जी एस क्यू आर के संदर्भ में स्टाफ परियोजना तथा उत्पादन के द्वारा सेवा में प्रणाली की प्रस्तुति के परिणामी प्रयोक्ता द्वारा उसकी स्वीकृति के अधीन प्रणाली के सफल विकसन को देखना; और
- iii) जैसा कि डी आर डी ओ के IX तथा X पंचवर्षीय योजना में कहे - अनुसार परियोजना प्रस्ताव में रखी गई गुणात्मक माँग और जिसे 3-5 वर्षों के भीतर स्टाफ परियोजनाओं में लिए जाने के संदर्भ में आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं की सफलतापूर्ण समाप्ति।

6.5 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा मार्च 2013 में आरम्भ की गई और अक्टूबर 2013 में पूरी हुई थी। दोनों प्रयोगशालाओं के निदेशकों के साथ मई 2013 तथा जुलाई 2013 में क्रमशः वी आर डी ई और सी वी आर डी ई में एन्ट्री कान्फरेन्स आयोजित की गई। लेखापरीक्षा प्रणाली मुख्यतया डाटा एकत्रीकरण, एकत्रित डाटा का प्रति सत्यापन तथा डाटा विश्लेषण से संबंधित है। परियोजनाओं की संस्वीकृति तथा कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया और परियोजनाओं का विश्लेषण किया गया। विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित दस्तावेजों अर्थात् परियोजना संस्वीकृति रजिस्ट्रों, फाइलों, प्रस्तावों, संस्वीकृतियाँ, प्रयोक्ता ट्रायल रिपोर्टों, विभिन्न परियोजनाओं की मानिट्रिंग समितियों की बैठकों के कार्यवत्तों, समापन रिपोर्टों तथा व्यय कार्डों का परीक्षण किया गया। कर्मचारी बल की स्थिति और बजटीय प्रावधानों को भी देखा गया।

दिसम्बर 2013 में दोनों प्रयोगशालाओं को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई। वी आर डी ई (28 जनवरी 2014) और सी वी आर डी ई (10 फरवरी 2014) से ड्राफ्ट रिपोर्ट के प्राप्त जवाबों को रिपोर्ट में यथोचित रूप में समाविष्ट किया गया है। तत्संबंधी प्रयोगशाला निदेशकों के साथ एकजट कान्फरेन्स फरवरी 2014 में आयोजित की गई और रिपोर्ट को अन्तिम रूप देते समय उनके द्वारा रखे गए विचारों का खासा ध्यान रखा गया है। जून 2014 में यह मामला मंत्रालय को भेजा गया; उनका जवाब अभी प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

6.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.6.1 परियोजना दस्तावेजों का गैर रख रखाव

दस्तावेजों/ रिकार्डों को बनाए रखने तथा नष्ट करने संबंधी डीआरडीओ के अनुदेश (मार्च 1973) यह दर्शाते हैं कि, परियोजनाओं की सरकारी संस्वीकृति को स्थायी आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए।

वीआरडीई के परियोजना दस्तावेजों के रखरखाव का परीक्षण यह प्रदर्शित करता है कि, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली (एम बी आर एल एस) पिनाका, सम्युक्ता⁷⁰ (बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त छोड़कर), वायु रक्षा (ए डी) गन हेतु अन्डर कॅरेज प्रणाली के विकास के लिए स्टाफ परियोजनाओं के संबंध में फाइलें मौजूद नहीं थीं। इसके अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं⁷¹ की परियोजना संस्वीकृतियों को प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके जवाब में, वी आर डी ई के निदेशक ने कहा कि एक नया परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का काम चल रहा है जिससे रिकार्ड बनाए रखने में सुधार एवं सहायता होगी। तथापि, सी वी आर डी ई ने लेखापरीक्षा के समय मांगे गए दस्तावेजों को उपलब्ध कराया।

6.6.2 स्टाफ परियोजनाएँ

6.6.2.1 स्टाफ परियोजनाओं में समय का अधिक्रमण

परियोजना प्रबंधन की प्रभावोत्पादकता का मापन दी गई निर्धारित समय सीमा और लागत के भीतर परियोजना के निष्कर्ष के प्राप्ति से होती है। आगे, आर एण्ड डी संगठन के लिए टी एस ओ (अगस्त 1975) तथा पीपीएफएम 2006 यह दर्शाता है कि, परियोजना की पीडीसी को अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यता बदला नहीं जाना चाहिए। हमने यह देखा है कि वीआरडीई तथा सीवीआरडीई में परियोजनाओं की पीडीसी की बढ़ती अपवाद की बजाय मानदण्ड बन गया है। स्टाफ परियोजनाओं में अत्यधिक समय अधिक्रमण संबंधी टिप्पणी मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सी एण्ड ए जी रिपोर्ट के पैराग्राफ 7.2.4 (“आयुध अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (एआरडीई) में परियोजना प्रबंधन” पर 2011-12 की संख्या 24) तथा मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए सी एण्ड ए जी की रिपोर्ट के पैराग्राफ 7.4.4 (“अनुसंधान एवं विकास संस्थापन (इंजीनियर्स) (आर एण्ड डी ई (ई) में परियोजना प्रबंधन” पर 2012-13 की संख्या 16)) में पहले ही दी गई थी। एआरडीई के संबंध में एक्शन टेकन नोट (एटीएन) में मंत्रालय (नवम्बर 2012) ने कहा है कि, डीआडीई मुख्यालय ने नई परियोजनाओं को लेने, मानिट्रिंग तथा उनकी सफलता पूर्वक समाप्ति के पश्चात् परियोजना को बंद करने के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं । आगे आरएनडीई (ई) के संबंध में एटीएन में मंत्रालय (अक्टूबर 2013) ने कहा है कि, समय अधिक्रमण की कटौती करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वार्षिक उद्देश्य हासिल किए गए थे विभिन्न यंत्रणाओं जैसे i) विभिन्न स्तरों पर नियमित संवीक्षाएँ, ii) परियोजना का नियोजन, कार्यान्वयन तथा मानिट्रिंग साधन इत्यादि को रखा गया।

हमने देखा है कि समय अधिक्रमण की कटौती के लिए विभिन्न प्रणालियों के रखे जाने संबंधी मंत्रालय के दावे के बावजूद, कुल 11 बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं में आठ⁷² (वीआरडीई - छह तथा सीवीआरडीई-दो) परियोजनाएँ लगातार समय बढ़ती (एक से पाँच बार) करती रहीं जिसकी परिणती में 6 से 173 महीनों का समय अधिक्रमण हुआ। इन आठ परियोजनाओं के उत्पादनों में मात्र दो⁷³ सेना में अधिष्ठापन के लिए स्वीकृत हुईं। बकाया छह मामलों की अप्रविष्टी की चर्चा पैरा 6.6.2.5 में की गई है।

हमने देखा है कि पाँच परियोजनाओं⁷⁴ में समय अधिक्रमण प्रयोक्ता द्वारा परियोजना की व्यापकता में बदलाव, विभिन्न परीक्षणों में प्रयोक्ता द्वारा सुझाए गए सुधारों को लाने के लिए और वाहन के निर्माण

⁷⁰ सम्युक्ता यह एक मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है जिसे, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय थलसेना की सिग्नल कॉर्प्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है इसका सामरिक युद्धक्षेत्र में प्रयोग किया जाता है।

⁷¹ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 3,13,14,16,17,18,20,23,24 तथा 26 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁷² अनुग्नक - V की क्रम संख्या 1,2,3,4,5,8,10 तथा 11 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁷³ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 1 तथा 11 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁷⁴ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 2,4,8,10 तथा 11 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

में विलम्ब के कारण था। वी आर डी ई में तीन परियोजनाओं⁷⁵ के संबंध में (अन्य डी आर डी ओ प्रयोगशाला की उप-परियोजनाएँ) संबंधित दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे।

जवाब में, वीआरडीई के निदेशक ने कहा कि अत्यधिक समय तथा लागत के अधिक्रमण से सम्बंधित कमियों को परियोजनाओं की आवधिक संवीक्षा, परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन तथा उच्च गुणता जाँच तथा रचना तथा विकास के सभी स्तरों पर संवीक्षाओं को प्रथम प्रयास में ही सफलता पाने हेतु गंभीरता से लिया गया है। सीवीआडीई निदेशक द्वारा कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की, उन्होंने अपनी दोनो स्टाफ परियोजनाओं में पीडीसी अधिक्रमण के लिए सिर्फ कारणों को सूचित कर दिया।

समय सारणी के अनुसार परियोजना के समापन को सुनिश्चित करने के लिए, 2002 से डिसिजन ऐड इ प्रौद्योगिकी मूल्यांकन (डी ए टी ई) विश्लेषण का क्रियान्वयन किया गया है। हमने देखा है कि, आश्वासन देने के बावजूद बहुत सारी स्टाफ परियोजनाओं में (अर्थात् 11 बंद स्टाफ परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएँ) असामान्य रूप से विलंब हुआ।

6.6.2.2 - परियोजना के औपचारिक समापन पश्चात् परियोजना प्रक्रियाओं का जारी होना

पीपीएफएम के अनुसार, परियोजना के औपचारिक समापन पश्चात् परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, हमने देखा है कि, कुल 11 बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं में से 7⁷⁶ परियोजनाओं में प्रक्रियाएँ जैसे तकनीकी/ प्रयोक्ता परीक्षणों तथा उससे संबंधित सुधारों को परियोजनाओं की समाप्ति उपरांत किया जाना, परियोजनाओं की समाप्ति महज औपचारिकता को दर्शाता है। आगे, परियोजनाओं के समापन पश्चात् प्रयोक्ता परीक्षणों को करने, परियोजना लागत में ऐसे परीक्षणों तथा संबंधित प्रक्रियाओं पर खर्च व्यय को शामिल करना परियोजना व्यय को अमहत्वपूर्ण बताने वाली बात है, जैसा कि हमने समाप्त की गई सात में दो स्टाफ परियोजनाओं के परीक्षण में हमने देखा। अन्य पाँच परियोजनाओं⁷⁷ के ऐसे परीक्षणों तथा संबंधित सुधारों पर किए गए खर्चों के ब्यौरों को हमें उपलब्ध नहीं करवाए गए। आगे, परियोजना की समाप्ति उपरांत परियोजना प्रक्रियाओं पर खर्च करने के बावजूद दो परियोजनाएँ प्रयोक्ता माँग को पूरा नहीं कर पायी जैसा कि निम्नवत अनुवर्ती पैरा सं. 6.6.2.5 (क) (मामला-I) तथा पैरा 6.6.2.5 (ग) के अधीन उल्लेखित किया गया है।

6.6.2.3 - स्टाफ परियोजनाओं में लागत अधिक्रमण

स्टाफ परियोजनाओं में लागत अधिक्रमण संबंधी टिप्पणी मार्च 2011 को समाप्त वर्ष पर सी एण्ड ए जी की रिपोर्ट के पैराग्राफ 7.5 ((अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (इंजीनियर्स) (आर एण्ड डी ई (ई) में परियोजना प्रबंधन पर (2012-13 की सं. 16)) में दी गई थी। एटीएन में स्टाफ परियोजनाओं में लागत अधिक्रमणता संबंधी हमारी टिप्पणी पर कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया गया। तथापि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि, टेक्नोमैनेजेरियल कारणों की वजह से समय तथा लागत का अधिक्रमण हुआ और उत्कृष्ट समन्वयक प्रयासों के बावजूद कुछ कारणों जैसे अनुसंधान एवं विकास, तकनीकी परिवर्तन तथा अप्रचलन, प्रयोक्ता माँग में तबदीली, लगातार उत्पादन सुधारों इत्यादि से जुड़ी तकनीकी अनिश्चिताओं के कारणों की वजह से कभी कभी समय तथा लागत अधिक्रमण अपरिहार्य हो जाता है।

11 बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं के विश्लेषण से यह पता चलता है कि, बीआरडीई से संबंधित चार परियोजनाओं⁷⁸ में कुल लागत वृद्धि 9.84 प्रतिशत तथा 107.30 प्रतिशत के बीच रही। इन चार

⁷⁵ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 1,3 तथा 5 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁷⁶ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 1,2,4,7,8,9 तथा 11 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁷⁷ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 1,2,7,9 तथा 11 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁷⁸ अनुग्नक - V की क्रम संख्या 1,2,3 तथा 4 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

परियोजनाओं का हमारा विश्लेषण यह प्रकट करता है कि, मात्र एक परियोजना (एमबीआरएलएस पिनाका) 106.70 प्रतिशत लागत वृद्धि पर पूरा हुआ और प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृति के अनुसार सफल रहा और उत्पादनकरण के लिया गया। अन्य परियोजना (सरवत्रा) 49.59 प्रतिशत लागत वृद्धि पर पूरा हुआ जो प्रयोक्ता द्वारा दो ब्रिजिंग सिस्टिम वाहनों (20 एम तथा 15 एम ब्रिजिंग सिस्टिम वाहन) में से मात्र एक (15 एम ब्रिजिंग सिस्टिम वाहन) के साथ प्रयोक्ता माँग को आंशिक रूप से पूरा करता है और उत्पादनकरण के लिए जा रहा है जैसा कि पैरा 6.6.2.5 में नीचे उल्लेखित किया गया है। अन्य दो परियोजनाओं के संबंध में एक परियोजना 107.30 प्रतिशत की लागत वृद्धि पर पूरा हुआ जो प्रयोक्ता माँग को पूरा करने में असफल रहा जैसा कि पैरा 6.6.2.5 (ख) में नीचे उल्लेखित है तथा अन्य परियोजना जो 9.84 प्रतिशत लागत वृद्धि पर पूर्ण हुई जो वीआरडीई को प्रयोक्ता द्वारा रखी गई लिमिटेड सिरिज प्रोडक्शन (एल एस पी) आदेश में प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित सुधारों की असफलता की वजह से अभी भी सेना में प्रविष्ट की जानी है जैसा कि पैरा 6.6.2.5 (घ) में नीचे उल्लेखित है।

जवाब में वीआरडीई के निदेशक ने कहा कि, अत्यधिक समय तथा लागत के अधिक्रमण से सम्बंधित कमियों को परियोजनाओं की आवधिक संवीक्षा, परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेअर का क्रियान्वयन तथा उच्च गुणता जॉच तथा रचना तथा विकास के सभी स्तरों पर संवीक्षाओं को प्रथम प्रयास में ही सफलता पाने हेतु गंभीरता से लिया गया है। तथापि, जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया कि, अत्यधिक समय तथा लागत के अधिक्रमण के मुद्दे के समाधान के लिए वीआरडीई द्वारा अपनाए गए उन्नत उल्लेखित उपाय अप्रभावी हैं।

सीवीआरडीई में अप्रैल 1998 और मार्च 2013 के बीच समाप्त दो स्टाफ परियोजनाओं में कोई लागत अधिक्रमण नहीं था।

चूँकि स्टाफ परियोजनाओं को पहले ही विकसित तकनीकों के आधार पर लिया जाता है, इन परियोजनाओं को आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं जिसमें अत्यधिक अनिश्चिताएँ तथा अज्ञात घटक शामिल हैं, की तुलना में लागत और समय अधिक्रमण की न्यूनतम प्रतिशत की संभावना दिखती है। परंतु हमारी संवीक्षा यह दर्शाती है कि, आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं की तुलना में स्टाफ परियोजनाओं की संख्या समय तथा लागत अधिक्रमण में अधिक पायी गई। वीआरडीई में 11.11 प्रतिशत (36 में से चार) बंद हुए आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाएँ (जैसा कि नीचे पैरा 6.6.3.1 में उल्लिखित) जिसकी लागत वृद्धिगत हुई, की तुलना में 44.44 प्रतिशत (नौ में से चार) बंद हुई स्टाफ परियोजनाओं की लागत में वृद्धि पायी गई। उसी प्रकार 41.67 प्रतिशत (36 में से 15) समाप्त हुई आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाएँ जिनमें समय अधिक्रमण (जैसा कि नीचे पैरा 6.6.3.1 में उल्लिखित) पाया गया, की तुलना में 66.66 प्रतिशत (नौ में से छह जैसा कि उन्नत पैरा 6.6.2.1 में उल्लिखित) समाप्त हुई स्टाफ परियोजनाओं में समय अधिक्रमण हुआ। सीवीआरडीई में 85 प्रतिशत (20 बंद हुई आर एण्ड डी/ टी डी में से 17) बंद की गई आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाएँ (जैसा कि नीचे 7.6.3.1 में उल्लिखित) जिनमें समय अधिक्रमण में पायी गई की तुलना में दोनों बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं में समय अधिक्रमण किया जैसा कि उन्नत पैरा 6.6.2.1 में उल्लिखित है।

6.6.2.4 - मानवशक्ति लागत को शामिल न करने के कारण परियोजना लागत का न्यूनोक्ति

सरकारी आदेश (फरवरी 1977) यह दर्शाता है कि, परियोजना की अवधि हेतु विशिष्ट रूप से भर्ती किए जाने वाले आवश्यक स्टाफ के वेतन एवं भत्तों को परियोजना की लागत की गणना में लेना चाहिए। हालाँकि नियमित स्थापना के वेतन तथा भत्तों (पी एण्ड ए) की लागत को लेने के लिए यह स्पष्ट नहीं करता, यद्यपि कुल बजट आबंटन का अधिकांश भाग प्रयोगशालाओं की नियमित स्थापना के वेतन तथा भत्तों पर खर्च किया गया।

परियोजना लागत में नियमित मानवशक्ति लागत को शामिल न करने से संबंधी टिप्पणी भारत के सी एण्ड ए जी के रिपोर्ट, 2011-12 की संख्या 24 और 2012-13 की संख्या 16 के पैराग्राफ 7.4 तथा

पैराग्राफ 7.8 में की गई है। हालाँकि मंत्रालय 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 के विरुद्ध उनकी अपनी जारी ए टी एन में इस विषय पर चुप रहा, फिर भी, 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 के संबंधी ए टी एन में यह कहा कि, परियोजना तथा मानवशक्ति दोनों की लागत का वहन एक ही विभाग/मंत्रालय द्वारा किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने आगे यह कहा कि, परियोजना की वास्तविक लागत की गणना के लिए मानव शक्ति के विभाजन की एक उपयुक्त प्रणाली का पता लगाया जा रहा था।

वीआरडी तथा सीवीआरडी में हमारा विश्लेषण यह प्रकट करता है कि, 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान कुल व्यय की तुलना में नियमित स्थापना के वेतन तथा भत्तों का वर्षावार व्यय 43 प्रतिशत तथा 66 प्रतिशत के बीच रहा परंतु प्रयोगशालाओं ने परियोजना में व्यय को एक साथ लेने की बजाय अलग से दर्ज करना जारी रखा। नियमित स्थापना की मानवशक्ति लागत प्रयोगशालाओं के कुल व्यय का महत्वपूर्ण भाग बनाती है। नियमित स्थापना की मानवशक्ति लागत को निकालने का परिणाम प्रलंबित परियोजनाओं के संबंध में परियोजना लागत को अत्याधिक कम करना और लागत का अधिक्रमण होगा।

जवाब में वीआरडी के निदेशक ने कहा कि परियोजना लागत में प्रयोगशाला के स्थायी मानवशक्ति लागत को शामिल करने संबंधी निर्णय डीआरडीओ मुख्यालयों द्वारा लिया जाना है। सीवीआरडी निदेशक ने कहा कि, मानव शक्ति लागत को शामिल करना पीपीएफएम का भाग नहीं है और इसलिए यह परियोजना प्रस्ताव तथा क्रियान्वयन के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया।

6.6.2.5 स्टाफ परियोजनाओं के उद्देश्यपूर्ति में असफलता

स्टाफ परियोजनाओं को प्रयोक्ता द्वारा प्रक्षेपित सामान्य स्टाफ गुणात्मक माँग (जीएसक्यूआर) के आधार पर लिया जाता है और टीएसओ तथा पीपीएफएम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संस्वीकृत की जाती है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विशिष्ट समय सीमा के भीतर सेना में प्रणालियों के प्रवेश को पराकाष्ठा पर पहुँचना है। सभी परियोजनाओं की एक एकीकृत संवीक्षा तथा मानिट्रिंग प्रक्रिया होती है जिसे परियोजना की संपूर्ण प्रगति की संवीक्षा के लिए परियोजना की संस्वीकृति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना होता है।

हमने यह देखा है कि, यद्यपि संवीक्षा तथा मानिट्रिंग प्रक्रिया मौजूद थी और दोनों प्रयोगशालाओं पर इसका पालन किया जा रहा था, परियोजनाओं की संख्या जिनका अंत में उत्पादनकरण के माध्यम से सेना में प्रवेश करना उत्साहजनक नहीं थी जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है;

सीवीआरडी के द्वारा संवीक्षा अवधि दौरान दो स्टाफ परियोजनाएँ जो बंद की गईं, में से, एक परियोजना⁷⁹ की ₹ 6.68 करोड़ की लागत पर सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद प्रयोक्ता के द्वारा सेना में परिष्करण हेतु सिफारिश की गई और जो प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी ओ टी) (फरवरी 2014) की दौर से गुजर रही है। अन्य परियोजना को हालाँकि प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार किया गया था, पर विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पादन में उसकी परिणती नहीं हो पायी जैसा कि पैरा 6.6.2.5(ड) में नीचे उल्लिखित है।

वीआरडी के संबंध में उनके उद्दिष्ट की सफलता के मामले में बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं की सफलता की दर कम थी, नौ बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं में मात्र एक⁸⁰ परियोजना को उत्पादनकरण (मार्च 2006) के माध्यम से सेना में प्रवेश के लिए लिया गया। अन्य परियोजना में उत्पादनकरण के लिए ली गई परियोजना के अधीन विकसित दो प्रणालियों में से मात्र एक में आंशिक

⁷⁹ अनुमनक - V की क्रम संख्या 11 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸⁰ अनुमनक - V की क्रम संख्या 1 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

सफलता देखी गई जैसा कि पैरा 6.6.2.5(ग) में नीचे दर्शाया गया है। तीसरी परियोजना⁸¹ की सफलता के दावे को लेखापरीक्षा अवधि में परियोजना दस्तावेजों की अनुपलब्धता की वजह से सत्यापित नहीं किया जा सका। सभी तीन परियोजनाएँ अन्य सिस्टर प्रयोगशालाओं की उप परियोजनाएँ थीं। शेष छह स्टाफ परियोजनाएँ⁸² उत्पादनकरण के माध्यम से सेना में प्रवेश करने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पायीं।

स्टाफ परियोजनाओं के उद्देश्यों की असफलता के कारण

वीआरडी तथा सीवीआरडी की बंद की गई स्टाफ परियोजनाओं की संवीक्षा के परिणामस्वरूप, हमने देखा कि उत्पादनकरण के माध्यम से सेना में शामिल किए जाने वाले स्टाफ परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति में दो प्रयोगशालाओं की असफलता निम्नवत कारणों से थे:

- (क) जीएसक्यूआर के बगैर परियोजनाओं को लिया जाना, (वीआरडी: दो परियोजनाएँ);
- (ख) हवाई एप्लिकेशनों के लिए इंजिन के विकास में असफलता (वीआरडी: एक परियोजना);
- (ग) परियोजना को समय पूर्व बंद करना परिणामस्वरूप परियोजना माँग की आंशिक सफलता (वीआरडी: एक परियोजना);
- (घ) एलएसपी आदेश को पूरा करने में विलंब (वीआरडी: एक परियोजना); और
- (ङ) मंत्रालय द्वारा विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध (सीवीआरडी: एक परियोजना)

उत्पादनकरण के माध्यम से सेना में प्रवेश करने के उद्देश्य को पूरा करने की स्टाफ परियोजनाओं में असफलता के कारण जैसा कि, ऊपर दर्शाया गया है, वैसे ही थे जैसे कि हमारे द्वारा एआरडी तथा आरएण्डडी (ई) में देखे गए और जिन्हें 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 के पैराग्राफ 7 में तथा 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 के पैराग्राफ 7 में क्रमशः प्रतिवेदित किया गया। मंत्रालय ने 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 24 के पैराग्राफ 7 पर एटीएन में कहा है कि, डीआरडीओ मुख्यालय ने नई परियोजनाओं को लेने, मानट्रिंग तथा उनके सफलतापूर्वक समाप्ति पर परियोजना को बंद करने के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं। आगे, मंत्रालय ने 2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 के पैराग्राफ 7 पर एनटीएन में यह कहा कि, उपचारी मापदंडों के तौर पर, प्रयोक्ता के साथ आवधिक संवीक्षा तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रभावी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन तथा परियोजनाओं की सीमा अवधि में पूरा करने के लिए लिया जाएगा। हमने देखा कि दोनों प्रयोगशालाओं में दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रभावी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली तथा परियोजनाओं को सीमा अवधि को पूरा करने के लिए अभी भी (फरवरी 2014) कार्यान्वित किया जाना था। इसी के साथ हमने यह भी देखा कि, नई परियोजनाओं को लेने के लिए, मानिट्रिंग तथा उनकी सफलतापूर्वक समाप्ति के उपरांत परियोजना को बंद करने के लिए कोई नए मागदर्शकों को अभी तक जारी नहीं किया गया। (फरवरी 2014)

उपर्युक्त संदर्भित छह स्टाफ परियोजनाएँ, जो उत्पादनकरण के माध्यम से सेना में प्रवेश के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाईं, निम्नवत विवेचन किया है:

(क) जी एस क्यू आर के बगैर परियोजनाओं को लिया जाना

स्टाफ परियोजनाओं को जीएसक्यूआर में उल्लेखित सेना प्रस्तावित उपकरण की कार्यात्मक और परिचलनीय विशेषताओं, परीक्षणों के लिए आवश्यक आदिप्ररूपों सहित उसके विकास की तय समय

⁸¹ अनुमक - V की क्रम संख्या 1 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸² अनुमक - V की क्रम संख्या 2,3,6,7,8 तथा 9 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

सीमा द्वारा प्रक्षेपित माँग के आधार पर ली जाती है। इस प्रकार, स्टाफ परियोजना को लेने के लिए जीएसक्यूआर का सूत्रीकरण अत्यधिक महत्व का होता है। वीआरडीई की लेखापरीक्षा में हमने देखा कि प्रयोक्ता द्वारा जीएसक्यूआर को अंतिम रूप देने तथा जारी होने तक का इंतजार किये बिना डीआरडीओ द्वारा स्टाफ परियोजनाओं की संस्वीकृति की गई। निम्नलिखित दो मामले हमारे निष्कर्ष को वर्णित करता है।

मामला - I पिनाका परियोजना हेतु लोडर कम रिप्लेनिशमेंट वाहन का विकास।

वीआरडीई ने पिनाका परियोजना के लिए लोडर कम रिप्लेनिशमेंट वाहन (एलसीआर) को सफलतापूर्वक विकसित किया और मार्च 2010 तक सेना की पहली चार रेजिमेंटों के लिए 40 एल सी आर की सप्लाई की गई। बाद में सेना ने वीआरडीई से निवेदन (मार्च 2010) किया कि, वे रेल यातायात सुविधा के लिए वाहन की समग्र ऊँचाई को कम करें तथा पाँचवी रेजिमेंट से आगे के लिए तैनाती पहाड़ों/ अतिउच्च एरिया (एचएए) के लिए एलसीआर की टाट्रा वाहनों की ऑपरेशनल सिलिंग ऊँचाई को 2400 मीटर की मौजूदा ऊँचाई से 5000 मीटर तक बढ़ाया जाए।

इस माँग को पूरा करने के लिए, नवम्बर 2010 में वीआरडीई निदेशक ने एलसीआर वाहन एमके-II को विकसित करने के लिए ₹ 2.72 करोड़ की लागत पर स्टाफ परियोजना संस्वीकृति दी हालाँकि एलसीआर एमके-II के लिए कोई जीएसक्यूआर नहीं था। फलस्वरूप ₹ 2.33 की लागत पर विकसित (जुलाई 2012) किया गया एलसीआर एमके-II का न ही परीक्षण मूल्यांकन किया गया और न ही सेना ने उसका स्वीकार किया, क्योंकि एलसीआर एमके-II की उसकी आवश्यकता को दृढ़ करना अभी बाकी था। इसके अतिरिक्त एलसीआर एमके-II को प्रयोक्ता द्वारा स्वीकार करने की संभावना नहीं थी क्योंकि अतिउच्च एरिया में तैनातियों के लिए वाहन को सक्षम बनाने के लिए बीईएमएल, एचएए किट सहित टाट्रा 8x8 वाहन की सप्लाई नहीं कर सका। इसलिए ₹ 2.33 करोड़ के व्यय पर इस परियोजना को (जुलाई 2012) बंद कर दिया गया।

जवाब में, वीआरडीई निदेशक ने तर्क दिया कि यदि वीआरडीई संस्वीकृति की प्रतीक्षा करती तो समय पर उसकी डिलवरी करना संभव नहीं हो पाता और ऐसा जोखिम सच्चा था जैसे कि संभाव्य आवश्यकता के लिए यह प्रयास ही रहेगा। वीआरडीई का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है जैसे यद्यपि जीएसक्यूआर के जारी होने में विलंब हुआ तो भी जीएसक्यूआर के अनुसार विकसित हुई सिस्टिम की सेना द्वारा उसकी स्वीकृति सुनिश्चित हो जाती। वर्तमान में वीआरडीई द्वारा विकसित एलसीआर सेना द्वारा न ही परीक्षण मूल्यांकित हुआ और न ही स्वीकृत।

मामला-II बीएमपी अर्बन सर्वायवल किट का विकास (बी यू एस के)

जनवरी 2010 में सेना ने भारतीय थलसेना के लिए बीएमपी के लिए अर्बन सर्वायवल किट को विकसित करने के लिए संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार की। इस संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2011 में वीआरडीई निदेशक ने ₹ 0.68 करोड़ की लागत पर बीएमपी के लिए अर्बन सर्वायवल किट को विकसित करने के लिए एक परियोजना संस्वीकृत की हालाँकि, उस के लिए कोई जीएसक्यूआर नहीं था। तदनुसार ₹ 0.42 करोड़ की लागत पर विकसित (जुलाई 2011) बीयूएसके को सेना द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनकी बीयूएसके की माँग जो 84 मिमी रॉकेट लॉन्चर (आर एल), 14.5 मिमी तथा 7.62 बी 32 आयुध से आग सहन कर सके जबकि वीआरडीई द्वारा विकसित बीयूएसके सिर्फ 14.5 आर्मर पिअर्सिंग इन्सेडियरी (ए पी आय) बी 32 आयुध तथा रॉकेट प्रोपेल्ड गर्नों (आर पी जी) के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने में सक्षम है।

वीआरडीई निदेशक ने अपने जवाब में कहा कि भविष्य में 'बीयूएसके' जैसे मामले से बचा जाएगा।

(ख) हवाई उपयोग के लिए इंजन के विकास में असफलता

11 साल बीतने के बाद भी वीआरडीई रिमोटली पायलेटेड वाहन (आरपीवी) एप्लिकेशन के लिए टू स्ट्रोक लाइट वेट इंजन को कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से विकसित करने में असमर्थ था।

रिमोटली पायलेटेड वाहन (आरपीवी) एप्लिकेशन के लिए टू स्ट्रोक लाइट वेट इंजन का विकास

वैमानिक विकास संस्थापन (एडीई), बंगलोर द्वारा 38-40 एचपी का पावर आउटपुट तथा 12-16 किलो वजन के इंजन के साथ रिमोटली पायलेटेड वाहन (आरपीवी) के लिए टू स्ट्रोक लाइट वेट एयर कूल्ड इंजन के विकास के लिए ₹ 1.21 करोड़ की संशोधित लागत पर वीआरडीई को आवंटन उप परियोजना (अगस्त 1992) के प्रति वी आर डी ई ने तीन प्रकारों के इंजनों अर्थात् (i) सिंगल-सिलिंडर, टू-स्ट्रोक, एयर कूल्ड (ii) ट्वीन-सिलिंडर हॉरिजोन्टली अपोज्ड टू स्ट्रोक, एयर कूल्ड (iii) फोर-सिलिंडर हॉरिजोन्टली ओपोज्ड, टू-स्ट्रोक, एयर कुल्ड इंजन ₹ 1.16 करोड़ की लागत पर विकसित (मार्च 2003) किए गए। तथापि, इनमें से कोई भी इंजन पावर आउटपुट (38-40 एचपी) तथा इंजन वेट (12-16 किलो) की प्रयोक्ता माँग को पूरा नहीं कर पाए। सिंगल-सिलिंडर टू-स्ट्रोक इंजन का अधिकतम पावर आउटपुट 11 एचपी था और ट्वीन-सिलिंडर टू-स्टोक इंजन का पावर आउटपुट 21 एचपी था। हालाँकि, फोर-सिलिंडर टू-स्ट्रोक इंजन का पावर आउटपुट 38 एचपी का था परंतु एडीई, बंगलोर द्वारा किए गए विविध जमीनी तथा क्षमता परीक्षणों के दौरान क्रैन्कपीन/ क्रैन्कशॉफ्ट की असफलता के कारण यह इंजन असफल रहा।

वीआरडीई निदेशक ने परियोजना की असफलता को स्वीकार करते हुए यह तर्क दिया कि आरपीवी के लिए टू स्ट्रोक इंजन के विकास के प्रयास से प्राप्त अनुभव रोटेरी इंजन के विकास के लिए अनुवर्ती परियोजना में बहुत फायदेमंद हुआ और ऐसे प्रयत्न समय तथा लागत के मामले में योग्य सिद्ध हुआ है। वीआरडीई के तर्क अस्वीकार्य है क्योंकि विषयागत स्टाफ परियोजना का लक्ष्य था कुछ डेरिवरेबल्स अर्थात् सेना में प्रवेश करने हेतु आरपीवी के लिए लाइट वेट टू स्ट्रोक इंजनों का विकास जिसे पूरा न किया जा सका। आगे, बीआरडीई द्वारा रोटेरी इंजनों के विकास के लिए ली गई परियोजना प्रौद्योगिकी विकास परियोजना थी और न कि स्टाफ परियोजना।

(ग) परियोजना के समयपूर्व बंद होने की परिणती लक्ष्य माँग को प्राप्त करने में कमी

डीआरडीओ द्वारा विकसित उपकरण/ प्रणालियों को प्रयोक्ता द्वारा परीक्षणों के दौरान उसके निष्पादन के आधार पर सेवाओं में शामिल किया जाता है और परियोजना को बंद करने का विचार जाता है। प्रयोक्ता के पुनः परीक्षणों/ संशोधन के सुझावों की स्थिति में, परियोजना प्रक्रियाएँ वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी रहती हैं। तथापि, डी आर डी ओ द्वारा परीक्षण की पुष्टि होने से पहले ही परियोजनाओं को इस आधार पर बन्द करना कि प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है, प्रयोक्ता द्वारा इसके स्वीकृति करना तथा सेवाओं में शामिल करने की प्रक्रिया को उपेक्षित करता है। यह उपकरण के विकास पर समय तथा धन के निवेश को न सिर्फ नकारती है बल्कि प्रयोक्ता की माँग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है खासतौर से यदि परियोजना में दो प्रणालियों को विकसित किए जाने पर परिकल्पित किया जाता है जो एकत्रित रूप में प्रणाली की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक दूसरों के संयोजन के रूप में प्रयोग लाई जानी होगी। जैसा कि नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है

ब्रिज एसॉल्ट मैकेनिकली लॉन्चड का विकास (सर्वत्रा)

सेना की माँग 15 मी तथा 20 मी ब्रिजिंग सिस्टिम्स वाले फाइव स्पैन ब्रिजिंग सिस्टिम की थी जो एक दूसरे की पूरक हो तथा जिससे 15 मी से 100 मीटर की दूरी पर पुल बाँधने के लिए एक दूसरे के लिए संयोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाएँगे। इसी माँग को पूरा करने के लिए, आरएण्डडीई(ई), दिधी ने दिसम्बर 1992 में ब्रिज एसॉल्ट मैकेनिकली लॉन्चड 'सर्वत्रा' के विकास की एक परियोजना

ली और फरवरी 1993 में वीआरडीई अहमदनगर को ₹ 3.77 करोड़ की संशोधित लागत पर परिवहन तथा 15 मी और 20 मी लॉग ब्रिजों के लॉन्चिंग के लिए उपयुक्त वाहन के विकास के लिए एक उप परियोजना आबंटित की।

15 मी ब्रिज लेइंग वाहनों को प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृत किया गया और सेना में उसे शामिल किया गया परंतु 20 मी ब्रिज लेइंग वाहन प्रयोक्ता के परीक्षणों के दौरान रेगिस्तान इलाके में क्षेत्रपार गतिशीलता के लिए अनुपयुक्त पाया गया और जिसको अस्वीकृत किया गया। प्राईम मुवर के इंजिन की पुनः शक्तिकरण तथा 10x8 की मौजूदा धूरी संरूपण की बजाय 10x10 में वाहन की निर्मिती करने की सिफारिश (मार्च 2001) प्रयोक्ता द्वारा की गई परन्तु वीआरडीई ने ₹ 3.77 करोड़ की लागत पर दिसम्बर 2000 में इस परियोजना को पहले ही बंद कर दिया था। परिणामस्वरूप, हालाँकि वीआरडीई ने 10x8 की धूरी संरूपण के साथ 20 मी ब्रिजिंग सिस्टिम वाहन के पुनः शक्तिकरण पर बिल्डप फंडों से ₹ 24.96 लाख और प्रौद्योगिकी का एकीकृत हस्तांतरण (अक्टूबर 2004 में बंद) की अन्य परियोजना से ₹ 3.62 लाख की राशि खर्च की गई, लेकिन सेना की माँग 10x10 धूरी संरूपण के वाहन की थी, इसे भी प्रयोक्ता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया (नवम्बर 2004)। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रयोक्ता को प्रस्तुत 'सर्वत्रा' ब्रिजिंग सिस्टिम मात्र 75 मी (15 मी x 5 स्पैन) के अंतराल को सेतुबद्ध करनी की क्षमता रखती है जबकि प्रयोक्ता की माँग लगभग 100 मी (20 मी x 5 स्पैन) तक सेतुबद्ध करने की थी।

वीआरडीई के निदेशक ने जवाब में यह कहा कि उस अवधि के दौरान 10x10 वाहन उपलब्ध नहीं थे और ऐसी प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता के कारण उपर्युक्त उल्लिखित परिस्थिति उत्पन्न हुई। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है चूँकि वीआरडीई ने पहले ही दिसम्बर 1998 में प्रयोक्ता को सूचित कर दिया था कि 10x10 वाहन के लिए 425 एचपी इंजिन द्वारा वाहन की पुनः शक्तिकरण की योजना बनाई गई थी जिससे वजन अनुपात में शक्ति की बढ़ोत्तरी होगी और जिसका परिणाम वाहन की उच्च गतिशीलता और उच्च पेलोड में होगी।

(घ) सीमित सीरिज उत्पादन (एलएसपी) आर्डर को पूरा करने में विलंब

प्रयोक्ता द्वारा सेना में शामिल करने के लिए स्वीकृत आदिप्ररूपों से अपेक्षा की जाती है कि, डिजाइनर द्वारा उत्पादन एजन्सियों को उनके थोक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तुरंत कर दिया जाए। जहाँ स्वीकृत आदिप्ररूपों को आगे परिष्करणों से गुजरना निर्धारित होता है, वहाँ उत्तरवर्ती विकास प्रक्रियाएँ सेना में डिलिवरी के लिए सीरिज उत्पादन (थोक उत्पादन) के फेस में प्रवेश करने से पूर्व सीमित सीरिज उत्पादन (एलएसपी) मार्ग का अवलंबन करते हैं। डिजाइनर द्वारा एलएसपी फेज में अप्रबंधन और/ या विलंब सिस्टिम के विकास में डिजाइनर के प्रयत्नों को न सिर्फ निष्प्रभावित करता है बल्कि प्रयोक्ताओं को सिस्टिमों की अनुपलब्धता में उसकी परिणती हो जाती है जिससे सेना में उनका शामिल करने में विलंब हो जाता है। एलएसपी फेज के विलंब के परिणाम स्वरूप, प्रयोक्ता अपनी तत्काल माँग को पूरा करने के लिए, उसका आयात कर सकता है। नीचे वर्णित किए गए मामले में, एलएसपी आर्डर प्रयोक्ता माँग के अनुसार सिस्टिम के विकास/ परिष्करणों में अत्यधिक विलंब हुआ। प्रयोगशालाओं द्वारा एलएसपी को पूरा करने में विलंब की परिणती प्रयोक्ता द्वारा उनकी तत्काल माँग को पूरा करने के लिए सिस्टिम की आयात में हुई।

बीएमपी - II के रूपान्तरों का विकास

जनवरी 1990 में डीडीआरएण्डडी द्वारा संस्वीकृत परियोजना के प्रति, वीआरडीई ने ₹ 0.62 करोड़ की लागत पर आर्मर्ड हाई मोबिलिटी लॉजिस्टिक कॅरियर (गोला बारूद), आर्मर्ड हाई मोबिलिटी लॉजिस्टिक कॅरियर (एफओएल) तथा आर्मर्ड एम्फिबियस डोज़र को, बीएमपी-II पर सफलतापूर्वक विकसित किया (जून 1998)। हालाँकि एएचएमएलसी (एफओएल) तथा एएचएमएलसी (गोला बारूद) को सेना में शामिल नहीं किया गए पर मार्च 1994 में सेना ने इन रूपान्तरों को संदर्भित वाहनों

के रूप में रखने के निदेश दिए परंतु सेना द्वारा दिसम्बर 2001 में फ्लोटेशन, गतिशीलता, अर्थ मुविंग क्षमता, रॉकेट प्रोपेल्ड एन्कर (आरपीए), न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल (एनबीसी) प्रोटेक्शन इत्यादि में कुछ परिष्करण करते हुए, एमके-1 वर्जन के रूप में एएडी को सेना में शामिल करने के लिए स्वीकृत किया गया।

तदानुसार मंत्रालय ने, जनवरी 2002 में ₹ 26.94 करोड़ की लागत पर छह एएडि को खरीदने के लिए वीआरडीई को आर्डर को दिया। हालाँकि मंत्रालय द्वारा एलएसपी आदेश के जारी होने के पश्चात् 10 महीनों के भीतर पाइलेट सैम्पल दिया जाना था तथापि, एलएसपी आर्डर के जारी होने के बाद 12 वर्षों से ज्यादा बीतने पर भी एलएसपी युनिट में प्रयोक्ता द्वारा अपेक्षित परिष्करण को पूरा करने में वीआरडीई की तरफ से असमर्थता के कारण उपकरण का थोक उत्पादन करना और सेना में शामिल करना अभी भी नहीं किया गया (फरवरी 2014)। इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ता को उसकी तत्काल परिचलनीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपकरण को मजबूरन आयात करने का विचार करना पड़ा। इसके अतिरिक्त वीआरडीई ने प्रयोक्ता की स्वीकार्य स्तर के लिए फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल (पायलट सैपल) के पुनः संरूपण पर ₹ 2.07 का अतिरिक्त व्यय किया जिससे एएडी के लिए एलएसपी आर्डर के उत्पादन लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हुई।

वीआरडीई निदेशक ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2014) कि, समयबद्ध विकास प्रक्रिया तथा तत्काल विकासोत्तर मामलों को तुरन्त समझने की सिफारिशों को नोट किया गया है तथा भावी परियोजनाओं के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, एलएसपी आदेश को जारी करने/ क्रियान्वयन प्रयोक्ता द्वारा निधि की वचनबद्धता तथा उत्पादन एजन्सियों (आयुध निर्माणियाँ) द्वारा उनकी अपनी समय सारणी के आधार पर स्वीकृति संयोजन है अतः यह विलंब पूर्णतया प्रयोगशाला की गलती की वजह से नहीं था। यह उत्तर सामान्य स्वरूप का है और ऐसा लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है।

(ड) मंत्रालय द्वारा विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाना

किसी प्रौद्योगिकी के लिए विशिष्ट विदेशी विक्रेता(ओं) /फर्म(मों) पर निर्भरता भविष्य में विदेशी प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता की जोखिम थी जो विकसित प्रणाली को गैर-उत्पादनकरण की ओर ले जाएगी। जैसे कि निम्नलिखित मामले में टिप्पणी की है कि, अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि विदेशी विक्रेता के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा प्रणाली का सफलतापूर्वक विकास और प्रयोक्ता द्वारा उसे स्वीकार करने के बावजूद मंत्रालय द्वारा विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाने से विकास एजन्सियों के प्रयासों को निष्फल कर दिया।

सेल्फ प्रोपेल्ड गन प्रणाली का विकास

अर्जुन डेरिवेटिव चासिस पर मेसर्स एलआईडब्ल्यू (डेनेल), दक्षिण अफ्रीका के टी 6 टरेट और मेसर्स वीएसईएल, युनाइटेड किंगडम के एएस 90 टरेट को एकीकृत करने के लिए डीडी आर एण्ड डी ने '155 मीमी एसपी गन प्रणाली के विकास' जिसे भीम टी 6 कहा गया, प्रयोक्ता के मूल्यांकन के लिए प्रणामी एस पी गन प्रणाली को प्रस्तुत करने के लिए एक परियोजना को ₹ 3 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत किया (अप्रैल 1998)। परियोजना के तहत अर्जुन डेरिवेट चासिस पर मेसर्स एल आई डब्ल्यू (डेनेल) के टी 6 टरेट के एकत्रीकरण द्वारा विकसित भीम टी 6 के प्रयोक्ता परीक्षण जुलाई-अगस्त 1998 में किया गया और सफलतापूर्वक परीक्षण मूल्यांकन के पश्चात् नवम्बर 1999 में सेना में शामिल करने की सिफारिश की गई। 155 मिमी एसपी गन के एकत्रीकरण तथा प्रयोक्ता परीक्षण मूल्यांकन का सफलतापूर्वक समापन होने पर, ₹ 0.60 करोड़ के खर्च पर परियोजना बंद कर दी गई (12 अप्रैल 2000)।

अर्जुन एमबीटी पर एएस 90 टरेट प्रणाली के एकत्रीकरण के लिए हॉलॉकि मेसर्स वीएसईएल चासिस/ टरेट इन्टरफेस डिजाइन को अंतिम रूप देने के लिए शुरूआती फेसों में बातचीत करता रहा परंतु धीरे-

धीरे बातचीत के आसार कम होते गए। इस प्रकार मैसर्स वी एस ई एल का एएस 90 टरेट के साथ सहभागी न होने के कारण एसपी गन के जमीनी तथा परीक्षण मूल्यांकन भीम टी 6 तक ही सीमित रहा।

2002 में मैसर्स बीईएमएल को उत्पादन एजन्सी के रूप में नामांकित किया गया और 2004 तक कीमत का मोल-तोल चलता रहा। तथापि आगे, ब्रिटिश एजन्ट को एजन्सी कमीशन के आरोपित भुगतान होने पर मैसर्स एल आई डब्ल्यू (डेनेल) के साथ सभी प्रकार की संविदाओं पर जून 2005 में मंत्रालय द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण मैसर्स डेनेल के साथ की गई बातचीत को रद्द करना पड़ा। इस प्रकार मैसर्स डेनेल से टरेटों की अनुपस्थिति में भीम टी 6 का उत्पादनकरण न हो सका।

जवाब में, सीवीआरडीई निदेशक ने कहा (10 फरवरी 2014) कि, उत्पादन को सफल पाया गया (दिसम्बर 1999) तथा प्रयोक्ता द्वारा इसे शामिल करने के लिए सिफारिश भी गई थी (दिसम्बर 1999) और उत्पादन आर्डर को अन्तिम रूप देने की जिम्मेदारी प्रयोक्ता की है जिसमें सीवीआरडीई द्वारा कोई सहभाग प्रस्तुत ही नहीं होता।

इस प्रकार से मंत्रालय द्वारा विदेशी विक्रेता पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण डीआरडीओ द्वारा प्रणाली के सफलतापूर्वक विकास के बावजूद और प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृति विकास एजन्सी के प्रयत्न निष्फल रहे।

6.6.3 अनुसंधान एवं विकास (आरएण्डडी) तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टी डी) परियोजनाएँ

वीआरडीई ने संवीक्षा की अवधि के दौरान ₹ 279.04 करोड़ की लागत के 41 आरएण्डडी/ टी डी परियोजनाओं (1 अप्रैल 1998 को हाथ में ली हुई परियोजना भी समाविष्ट है) को संस्वीकृत किया, जिसमें से 36 परियोजनाओं को ₹ 100.23 करोड़ के खर्च पर बंद⁸³ कर दिया गया तथा 31 मार्च 2013 तक पाँच परियोजनाएँ अभी चल रही थी। उसी प्रकार सीवीआरडीई ने ₹ 458.34 करोड़ की लागत पर स्वीकृत की गई 29 आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं (1 अप्रैल 1998 को हाथ में ली हुई परियोजना भी समाविष्ट है) को लिया। जिसमें से 20 परियोजनाएँ ₹ 171.96 करोड़ के खर्च पर बंद⁸⁴ हुईं और 31 मार्च 2013 तक नौ परियोजनाएँ अभी चल रही थी (परिशिष्ट-क)।

6.6.3.1 आर एण्डडी/टी डी परियोजनाओं में लागत तथा समय का अधिक्रमण

वीआरडीई द्वारा बंद की गई 36 परियोजनाओं में, चार परियोजनाओं में लागत अधिक्रमण⁸⁵ समाविष्ट था जो ₹ 0.36 से ₹ 1.5 करोड़ के बीच में था और जो प्रमुखतया उप परियोजनाओं के कार्य की व्याप्ति में बदलाव और प्राक्कलित लागत में वृद्धि के कारण हुआ। सीवीआरडीई द्वारा बंद की गई 20 आर एण्ड डी/ टी डी परियोजनाओं में कोई लागत अधिक्रमण नहीं पाया गया।

32 परियोजनाएँ (वीआरडीई: 15⁸⁶, सीवीआरडीई: 17⁸⁷) समय अधिक्रमण को दर्शाती हैं जो दो से 66 महीनों के बीच में था। समय अधिक्रमण के प्रमुख कारण थे, परीक्षणों के करने में विलंब, कार्य की व्याप्ति में वृद्धि, विकास प्रक्रियाओं को पूरा करने में विलंब, अधिप्राप्ति में विलंब और परियोजना के दौरान सुझाए गए बदलाव/ आशोधन।

⁸³ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 12 से 47 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸⁴ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 48 से 67 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸⁵ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 12,15,34,40 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸⁶ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 12,14,18,19,24,27,32,33,34,36,38,39,40,41 तथा 43 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸⁷ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 48 से 59,61,62,64,65 तथा 67 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

जवाब में, वीआरडीई के निदेशक ने कहा कि, समय और लागत के अधिक्रमण को न्यूनतम करने के सुधार किए जा रहे हैं। सीवीआरडीई के निदेशक ने कहा कि, यद्यपि परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं, समय का विलंब होना अपरिहार्य है क्योंकि आरण्डडी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विविध अज्ञात घटक प्रभावित करते हैं।

6.6.3.2 आरण्डडी/ टीडी परियोजनाओं में प्राप्त सफलता का स्तर

आरण्डडी तथा टीडी परियोजनाओं से अपेक्षा की जाती है कि, अन्ततोगत्वा स्टाफ परियोजनाओं के उपयोग में स्थान प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त ऐसी परियोजनाओं में कुछ हद तक बौद्धिक विशेषता निर्माण करने की क्षमता होती है जो कि पेटेंट स्वरूप है। वीआरडीई द्वारा ₹ 100.23 करोड़ के खर्च पर बंद की गई 36 आरण्डडी/ टीडी परियोजनाओं की संवीक्षा यह दर्शाती है कि, ₹ 89.14 के खर्च पर बंद⁸⁸ की गई 25 परियोजनाओं को स्टाफ परियोजनाओं के उपयोग में स्थान नहीं मिल पाया और न ही किए गए अनुसंधान के आधार पर कोई पेटेंट के रूप में दर्ज हुई, सिवाय एक मामले⁸⁹ में जहाँ प्रौद्योगिकी अर्थात् 'रैक और पिनिओन सिस्टिम के उपयोग से हायड्रो मेकैनिक्ल स्टिअरिंग सिस्टिम' के विषय में पेटेंट को फाइल किया गया। शेष 11 परियोजनाओं में से, पाँच आरण्डडी/टी डी परियोजनाएँ अन्य डीआरडीओ की उप परियोजनाएँ थी जिन्हें, सफलतापूर्वक पूर्ण⁹⁰ किया गया तथा विकसित की गई सिस्टिमों को मुख्य परियोजना धारकों को सौंपा गया। तीन परियोजनाओं को स्टाफ परियोजनाओं में उपयोगी⁹¹ पाया गया, जिसमें एक परियोजना में एनसीएटी के लिए उपकरण और अंशशोधन की सुविधाओं का विकास शामिल था जो सफलतापूर्वक पूर्ण हुई तथा शेष दो परियोजनाओं में कार्य जैसे कि प्रलेख-पोषण, वाहनों के परीक्षण तथा मूल्यांकन इत्यादि शामिल था जिन्हें स्टाफ परियोजनाओं में पराकाष्ठा की ओर लक्षित नहीं किया गया था।

सीवीआरडीई में, हमारी संवीक्षा यह उद्घाटित करती है कि, बंद की गई 20 परियोजनाओं में, पाँच परियोजनाओं⁹² में टी ओ टी या टी ओ टी के लिए ड्राईंग की तैयारी शामिल थी और कोई अनुसंधानीय कार्यकलाप शामिल नहीं था। इन परियोजनाओं को ₹ 16.77 करोड़ के खर्च पर बंद कर दिया गया। शेष 15 आरण्डडी परियोजनाओं में, ₹ 115.39 करोड़ के खर्च पर बंद⁹³ हुई 11 परियोजनाओं को किसी भी स्टाफ परियोजनाओं को उपयोगी नहीं पाया। तीन परियोजनाओं को ₹ 39.80 करोड़ के कुल खर्च करने के पश्चात् सफलतापूर्वक बंद⁹⁴ किया गया तथा उत्पादन आर्डर/ स्टाफ परियोजना को प्रयोक्ता द्वारा रखा गया/ सीवीआरडीई द्वारा लिया गया। एक परियोजना को कोई व्यय किए बगैर ही अत्यल्प समय में बंद⁹⁵ किया गया क्योंकि उसमें प्रयोक्ता द्वारा कोई रुचि नहीं दर्शायी गई।

आगे, हमारे द्वारा इन परियोजनाओं का किया गया विश्लेषण यह प्रकट करता है कि, विविध आरण्डडी/ टीडी परियोजनाओं के अधीन सफलतापूर्वक विकसित प्रौद्योगिकियों का किसी भी स्टाफ परियोजनाओं में उपयोग में न लाए जा सकने के प्रमुख कारण थे कि, या तो प्रयोक्ता माँग में कमी या विकसित प्रणाली प्रयोक्ता की माँग प्रणाली को पूरा नहीं कर पा रही थी। यह प्रयोक्ता की माँग तथा प्रयोगशाला में की गई अनुसंधान प्रक्रियाओं के बीच सहसंबंध में कमी को संकेतित करता है। चूँकि इन

⁸⁸ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 12, 16 से 28, 30,31,34,35,37,38,39,43,45,46 तथा 47 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁸⁹ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 35 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁹⁰ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 32,33,40,41 तथा 42 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁹¹ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 15,36 तथा 44 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁹² अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 48,49,51,59 तथा 62 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁹³ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 52,53,54,56,57,58,60,63,64,65 तथा 67 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁹⁴ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 50,55 तथा 61 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

⁹⁵ अनुलग्नक - V की क्रम संख्या 66 में उल्लिखित परियोजनाएँ।

आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं को सामान्यता डीआरडीओ की खुद की पहल से लिया गया और आरएण्डडी/ टीडी के अधीन विकसित प्रौद्योगिकियाँ/ सिस्टिमें के अन्ततोगत्वा प्रयोक्ता तो सशस्त्र सेनाएँ ही हैं तो यह अधिक विवेकपूर्ण होगा जब एन्ड युजर्स की आवश्यकताओं/ संभाव्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के पश्चात् परियोजनाओं को लिया जाए।

जवाब में, वीआरडीई निदेशक ने कहा कि, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक परियोजनाओं को प्रौद्योगिकी के तत्काल प्रयोग का लिहाज़ किए बगैर, उनके उन्नयन/ निष्पादन के समतुल्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर कार्यकलाप जारी रखने की जरूरत है ताकि प्रयोगशालाएँ विशिष्ट एरिया में अनुभव तथा वैशिष्ट्य प्राप्त करने के माध्यम से चुने गए क्षेत्रों में डोमेन उत्कृष्टता प्राप्त करेगी तथा प्रयोक्ता की संभाव्य जरूरतों के लिए अपने आप को सुसज्जित रूप से तैयार रखेगी। आगे यह भी कहा गया कि, अधिकांश मामलों में भी जहाँ टी डी परियोजना के अधीन संपूर्ण प्रणाली विकसित हुई, फिर भी स्टाफ परियोजना में नहीं जा सकी, वहीं विकसित किए गए सब-सिस्टिमें को अन्य परियोजनाओं में उपयोग में पाया गया। तथापि यह तर्क अस्वीकार्य है क्योंकि, डीआरडीओ IX तथा X की पंचवर्षीय योजना में दिए टीडी परियोजनाओं की परिभाषा के अनुसार ये परियोजनाएँ प्रयोक्ता अनुकूल भविष्यत् परियोजनाओं को लेने का आधार बनाती हैं तथा तीन से पाँच वर्षों में डेलिवरेबल्स में परिवर्तित होने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, हमने लेखापरीक्षा में यह पाया कि, इन परियोजनाओं के अधीन विकसित कोई भी प्रणालियाँ प्रयोक्ता (सशस्त्र सेना) आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टाफ परियोजना को लेने में परिणत न हो सकी। आगे वीआरडीई द्वारा ली गई अधिकांश आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं में, आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं का लक्ष्य मात्र विशिष्ट समर्थ प्रौद्योगिकियों/ सब-सिस्टिमें/ घटकों का ही विकास नहीं बल्कि प्रणाली/ उपकरण के आदिप्ररूप का विकास करना था।

जवाब में, सीवीआरडीई के निदेशक ने तर्क दिया कि, जीएसक्यूआर सामान्यतया उसकी कार्यात्मक आवश्यकताओं को विस्तृतरूप से परिभाषित करने वाली बड़ी प्रणालियों के लिए प्रदान किया जाता है। आगे उन्होंने कहा कि, बड़ी प्रणालियों जैसे कि टैंक में समाविष्ट बहुत सारी सब-सिस्टिमें के लिए प्रयोक्ता न तो जीएसक्यूआर और न ही विनिर्देशन प्रदान करता है। ऐसी परिस्थितियों में आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं के सब सिस्टिमें/ घटकों का विकास किया जाता है और सीधे स्टाफ प्रोजैक्ट में समाविष्ट किया जाता है। तथापि, बड़ी सिस्टिमें में सब-सिस्टिम को समाविष्ट करने का ऐसा कोई उदाहरण लेखापरीक्षा में नहीं देखा गया।

2012-13 की रिपोर्ट संख्या 16 की एटीएन में मंत्रालय ने कहा कि, क्वाटर्ली इन्टरैक्शन मिटिंग के रूप में प्रयोक्ता से लगातार परस्पर बातचीत करना और विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करना परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया का यह एक भाग है। और भी, परियोजना संस्वीकृति से पूर्व पिअर समीक्षा कमिटी बैठकों में प्रयोक्ता भी सम्मिलित रहता है। मंत्रालय का यह जवाब अस्वीकार है चूँकि, वीआरडीई में, आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं के संबंध में प्रयोक्ता के साथ वीआरडीई द्वारा आयोजित क्वाटर्ली इन्टरैक्शन बैठक के कोई भी कार्यवृत्त हमारे देखने में नहीं आए। आगे मंत्रालय का यह तर्क था कि, परियोजना संस्वीकृत करने से पूर्व पिअर समीक्षा कमिटी बैठक में प्रयोक्ता सम्मिलित है, यह भी सही नहीं है क्योंकि, वीआरडीई द्वारा ली गई आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं के संबंध में पिअर समीक्षा कमिटी बैठक में प्रयोक्ता सम्मिलित नहीं था। आगे दो आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं में पिअर समीक्षा की ही नहीं गई थी।

इस प्रकार वीआरडीई तथा सीवीआडीई द्वारा परियोजना समापन रिपोर्टों के अनुसार सिस्टिमें/ उपकरण का सफलतापूर्वक विकास किए जाने के बावजूद वे न तो प्रयोक्ता द्वारा माँगी गई थीं या प्रयोक्ता की माँग को पूरा नहीं कर सकी जो प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोक्ता माँगों तथा की गई अनुसंधान प्रक्रियाओं के बीच सहसंबंध की कमी को संकेतित करता है जैसा कि नीचे मामले 1 से 11 में विस्तार से दिया गया है:

तालिका 12 सफलतापूर्वक विकसित टीडी/ आरएण्डडी परियोजनाओं जिनको प्रयोग में नहीं लाया गया

क्रम संख्या	परियोजना का नाम और उद्दिष्ट	संस्कृति की तारीख/ संस्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	समापन लागत (₹ करोड़ में)	मूल पीडीसी/ संशोधित पीडीसी	स्थिति	लेखापरीक्षा टिप्पणी तथा लेखापरीक्षा की गई इकाइयों की प्रतिक्रिया
1.	फ्युचरिस्टिक इन्फन्ट्री कॉम्बैट वाहन की डिजाइन तथा विकास (एफआईसीवी)	जुलाई 1998 38.00	37.37	जून 2004/ दिसम्बर 2006	दिसम्बर 2006 में बंद	डीडी आरएण्डडी ने एफआईसीवी की डिजाइन तथा विकास के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया। ड्राफ्ट जीएसक्यूआर उभरचर क्षमता सहित एफआईसीवी की माँग को निर्दिष्ट करता है। तथापि वीआरडीई द्वारा विकसित एफआईसीवी गैर-उभरचर था और इस प्रकार प्रयोक्ता माँग को पूरा नहीं किया। वीआरडीई ने प्रतिक्रिया में कहा कि, परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकियों जैसे, पावर पॅक पॅकेजिंग, कुलिंग सिस्टिम इत्यादि को एएडी एमके-1 तथा काउंटर माईन के फ्लेल का विकास करने में प्रयोग में लाया गया था। यह जवाब अस्वीकार्य है चूँकि, परियोजना का उद्देश्य मात्र सब प्रौद्योगिकियों का ही विकास करना नहीं बल्कि संपूर्ण सिस्टिम का विकास करना था।
2.	मानवरहित जमीनी वाहन का विकास (यूजीवी)	फरवरी 2004 11.52	10.98	फरवरी 2008	फरवरी 2008 में बंद	डीडी आरएण्डडी ने यूजीवी को विकसित करने के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया। वीआरडीई ने प्रयोक्ता के बगैर परामर्श किए 2.5 टन 'बी' वाहन के आधार पर यूजीवी को विकसित करने का काम हाथ में लिया। 50 किलो कैमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्युक्लियर (सी बी आर एन) यूजीवी की प्रयोक्ता की माँग थी और इसलिए वीआरडीई द्वारा विकसित यूजीवी को अस्वीकृत किया। वीआरडीई ने तर्क दिया कि, टीडी परियोजना के अधीन विकसित अधिकांश प्रौद्योगिकियाँ वाहन धरातल पर स्वतंत्र थीं और यूजीवी के विभिन्न वर्गीकरणों पर लगाया जा सका। यह जवाब स्वीकार नहीं जैसा कि हमने वीआरडीई द्वारा एनबीसी रिफोन्साइन्स के यूजीवी के विकास के लिए एक अन्य एसएण्डडी परियोजना को लिया गया जो परियोजना के तहत विकसित प्रौद्योगिकियाँ प्रयोक्ता माँग को पूरा नहीं कर पाई।
3.	एक्द्र लॉग मल्टी एक्सेल ट्रान्सपोर्टर की डिजाइन और विकास (ई एल एम ए टी)	नवम्बर 1992 4.05	4.00	नवम्बर 1996/ मई 1998	मई 1998 में बंद	डीडी आरएण्डडी ने असामान्य लॉग मिलिटरी उपकरण के परिवहन और लॉच करने के लिए ईएलएमएटी के विकास के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया। जैसा कि वीआरडीई द्वारा विकसित वाहन मात्र भारी ब्रिजिंग उपकरण को वहन करने के लिए लॉच प्लाटफार्म प्रदान करने और ले जाने के लिए डिजाइन की गई थी इसलिए उसको बदलकर 'मल्टी एक्सल ब्रिज कॅरिअर' के रूप में उसका नामकरण कर दिया गया। तथापि परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा करने के 15 वर्षों के बीतने पर भी वीआरडीई द्वारा ईएलएमएटी को विकसित करने के लिए कोई भी स्टाफ परियोजना को नहीं लिया गया जो प्रयोक्ता रूचि में कमी को संकेतित करता है। वीआरडीई ने कहा कि ईएलएमएटी की प्रौद्योगिकियों को ब्रम्होस के 10x10 तथा 12x12 वाहन सिस्टिम को विकसित करने के लिए क्रियान्वित किया गया है और इस ज्ञान के आधार को अन्य दो परियोजनाओं अर्थात् 'सर्वत्रा' और 'व्हिल्ड आर्मर्ड प्लॅटफार्म' (डब्ल्यूएचएपी) में भी प्रयोग में लाया गया। यह जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि वीआरडीई द्वारा विकसित ईएलएमएटी यह प्रमुखतया एक ब्रिज वाहक वाहन है और सर्वत्रा और ईएलएमएटी परियोजनाएँ एक ही समय पर संस्वीकृत की गई थीं। डब्ल्यूएचएपी के विकास के लिए परियोजना, यह स्टाफ परियोजना नहीं है परन्तु एक जारी रहने वाली टी डी परियोजना है।

4.	लड़ाकू वाहन प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास	दिसम्बर 2002 4.40	3.05	दिसम्बर 2007	दिसम्बर 2007 में बंद	<p>डीडी आरएण्डडी ने लड़ाकू वाहन प्रणालियों के लिए पाँच प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया जिसे वीआरडीई द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया। तथापि परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के छह वर्षों के बीतने के पश्चात् भी इस परियोजना के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लाया जा सका जो कि प्रयोक्ता रूचि में कमी को संकेतित करता है।</p> <p>वीआरडीई ने कहा कि, प्रयोक्ता माँग के अनुसार आवश्यकता आधार पर स्टाफ परियोजनाओं को लिया जाता है और जब कभी भी माँग उत्पन्न होती है, परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाया जाएगा। जवाब हमारी टिप्पणी की अभिपुष्टि करता है कि परियोजना के तहत विकसित प्रौद्योगिकी के लिए प्रयोक्ता माँग अस्तित्व में नहीं थी।</p>
5.	टू स्ट्रोक इंजिनो के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्युल इंजेक्शन सिस्टिम का विकास (ईएफआईएस)	जून 2006 4.95	3.28	दिसम्बर 2008/ जून 2010	जून 2010 में बंद	<p>डीडी आरएण्डडी ने टू स्ट्रोक इंजिनो के लिए ईएफआईएस को विकसित करने के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया। हवाई एप्लिकेशनों के लिए टू स्ट्रोक ओपोज्ड पिस्टन इंजिन के लिए गॅसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन (जीडीआई) प्रणाली के विकास का परियोजना के तहत विचार हुआ। यह कन्वेंशनल इंजिन के प्रति दिए गए इलेक्ट्रॉनिक फ्युल इंजेक्शन प्रणाली से समाविष्ट इंजिन शक्ति एवं पावर आउटपुट में सुधार लाएगा। तथापि, वीआरडीई द्वारा टू स्ट्रोक इंजिनो के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्युल इंजन प्रणाली के सफलतापूर्वक समापन से तीन वर्षों के बाद भी, प्रणाली को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं पाया गया जो प्रयोक्ता की आवश्यकता में कमी को संकेतित करता है।</p> <p>जवाब में वीआरडीई ने कहा कि परियोजना के तहत विकसित इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट टेक्नोलोजी (ई सी वी) को निशांत यूएवी के लिए रोटरी इंजिनो को विकसित करने में सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया गया तथा जिसे भविष्य में फोर स्ट्रोक इंजिनो के प्रयोग में लाया जाएगा। यह तर्क अस्वीकार है क्योंकि इस परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी टू स्ट्रोक इंजिनो के लिए थी जबकि वीआरडीई (जून 2010 तथा जनवरी 2013 में संस्वीकृत की गई दो परियोजनाओं के अधीन) द्वारा वर्तमान में विकसित की जा रही इंजिन रोटरी इंजिनो के लिए हैं। आगे यह भी कि रोटरी इंजिनो के लिए ईएफआईएस का विकास भी जनवरी 2013 में संस्वीकृत परियोजना में अलग से लिया गया था।</p>
6.	रोटरी इंजिन के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास	नवम्बर 2002 5.40	5.26	मई 2008/ दिसम्बर 2009	दिसम्बर 2009 में बंद	<p>रोटरी इंजिन की प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए परियोजना को संस्वीकृत किया गया था। वीआरडीई द्वारा रोटरी इंजिनो की दो आदिरूपणों को सफलतापूर्वक विकसित किया गया। तथापि, परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के चार वर्षों के बाद भी उसे किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लाया गया। आगे हमने देखा कि बाद में दो और टीडी परियोजनाओं (i) निशांत यूएवी (₹ 4.70 करोड़) के साथ परीक्षणों के लिए रोटरी इंजिनो के 15 आदिरूपणों का विकास (ii) रोटरी इंजिन (₹ 69.23 करोड़) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास, को वीआरडीई ने हाथ में लिया।</p> <p>वीआरडीई ने कहा कि, परियोजना के सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद निशांत यूएवी को शक्ति देने के लिए फ्लाइट रोटरी इंजन को विकसित करने के लिए डीआरडीओ मिशन मोड परियोजना को स्वदेशी निशांत यूएवी की उसकी प्रयुक्ति की पुष्टि के लिए स्वदेशी रोटरी इंजिन की संपूर्ण सहनशीलता को सिद्ध करने के लिए लिया गया था। तथापि तथ्य वहीं रहा</p>

						कि, सेटरी इंजिनों के लिए प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद भी कोई स्टाफ परियोजना में नहीं लिया जा सका। इसके बावजूद दो और टी डी परियोजनाओं को बाद में लिया गया है जो परियोजना माँग को पूरा नहीं कर पायी।
7.	बुलेट प्रूफ लाइट वाहनों का विकास (बीपीएलवी)	मई 2006 1.95	1.92	मई 2007/ नवम्बर 2007	नवम्बर 2007 में बंद	डीडी आरएण्डडी ने बीपीएलवी को विकसित करने के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया। परियोजना का लक्ष्य था ऑटोमोबाइल एग्रिगेटों तथा आर्मर मटेरिअल को प्रमाणित करने के लिए 10 आदिप्ररूपों का विकास करना था। परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया गया और विविध डीआरडीओ प्रयोगशालाओं को व्यापार के माध्यम से 10 बीपीएलवी आर्मर्ड को सौंपा गया। तथापि, परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के छह वर्षों के बाद भी परियोजना के तहत विकसित प्रौद्योगिकी को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लाया जा सका जो प्रयोक्ता रूचि में कमी को संकेतित करता है। जवाब में वीआरडीई ने कहा कि, बीपीएलवी प्रौद्योगिकियों को लाइट आर्मर्ड ट्रूप्स कॅरिअर तथा वज्रा (मिनी) में सफलतापूर्वक समाविष्ट किया गया तथा मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण (टी ओ टी) को वर्तमान रूप दिया गया। यह जवाब मान्य नहीं चूँकि मेसर्स टाटा मोटर्स के साथ टीओटी का करार क्रमशः नवम्बर 2005 तथा फरवरी 2006 अर्थात् मई 2006 में विषयगत परियोजना की संस्वीकृति के पूर्व समाप्त किए गए।
8.	इलेक्ट्रो हाइड्रॉलिक लिक गन कंट्रोल सिस्टिम का विकास (जीसीएस)	दिसम्बर 1998 5.99	4.67	अप्रैल 2001/ दिसम्बर 2002	दिसम्बर 2002 में बंद	डीडी आरएण्डडी ने जीसीएस के विकास के लिए एक परियोजना को संस्वीकृत किया। परियोजना का लक्ष्य आर्मर्ड फाइटिंग वाहनों तथा दो प्रणालियों की सप्लाय के लिए जीसीएस का स्वदेशी विकास था। परियोजना सीबीआरडीई द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई। तथापि, परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के 11 वर्षों के बाद भी परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लाया गया जो प्रयोक्ता रूचि में कमी को संकेतित करता है। सीवीआरडीई ने कहा कि, जब तक परियोजना के तहत परीक्षण पूर्ण हुआ तब तक उत्पादनकरण के लिए प्रयोक्ता द्वारा अर्जुन एमबीटी एमके-I का कन्फिगरेशन दृढ़ हो गया था। आगे यह कहा गया कि, प्रयोक्ता द्वारा एमबीटी अर्जुन एमके-II की 118 संख्याओं की माँग को रखने का विचार कर रही थी, जो जीसीएस के उत्पादनकरण के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य मात्रा नहीं थी। जवाब हमारी टिप्पणी की अभिपुष्टि करता है कि, परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी को स्टाफ परियोजनाओं में प्रयोग में नहीं लाया गया।
9.	टी-72 बेस इंजिनों तथा वाहन परीक्षण पर पावर बुस्टर कन्वर्जन किटों का निर्माण और एकत्रीकरण	नवम्बर 1997 1.95	1.87	नवम्बर 1998/ नवम्बर 2001	नवम्बर 2001 में बंद	डी डी आर एण्ड डी ने टी-72 बेस इंजिनों पर पावर बुस्टर कन्वर्जन किटों का निर्माण और एकत्रीकरण के लिए तथा वाहन परीक्षण एक परियोजना को संस्वीकृत किया। पाँच कन्वर्जन किटों को विकसित किया और दो बेस इंजिनों के साथ एकीकृत किया गया तथा वाहनों के साथ अपरेटेड इंजिनों को सीवीआरडीई द्वारा सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया। तथापि, परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा करने के 12 वर्षों के बाद भी परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लाया गया जो प्रयोक्ता रूचि में कमी को संकेतित करता है। जवाब में सीवीआरडीई ने कहा कि, सीवीआरडीई द्वारा सफलतापूर्वक विकसित टी-72 अपरेटेड इंजिन के 2011 के परीक्षणों के दौरान रशिया के टी-90 के साथ उसकी तुलना

						का काम किया। यह जवाब अस्वीकार है चूंकि, हमने देखा कि, सीवीआरडीई द्वारा विकसित अपरेटेड इंजिन के 2011 में हुए परीक्षणों के दौरान विविध समस्याएँ आई जिसमें इंजिनों का ओवरहिटिंग समाविष्ट था। इसलिए प्रयोक्ता ने आगे और परीक्षणों को करने की सिफारिश की जिन्हें फरवरी 2014 तक अभी भी किया जाना था।
10.	एक्सपेरिमेंटल टैंक का विकास	अप्रैल 2003 22.64	20.66	अप्रैल 2006	अप्रैल 2006 में बंद	डीडी आरएण्डडी ने परिष्कारित एम बी टी अर्जुन के ट्रेट सहित टी-72 एम 1 चासिस के एकत्रीकरण द्वारा एक्सपेरिमेंटल टैंक के विकास के लिए एक परियोजना संस्वीकृत की। इस परियोजना को उन्नत चासिस तथा टी-72 एम1 टैंक के ऑटोमोटिव सिस्टिम तथा एमबीटी अर्जुन के ऑप्टिमाइज्ड ट्रेट के एकत्रीकरण द्वारा हाइब्रिड टैंक प्रौद्योगिकी को हासिल करने के बाद सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। तथापि, परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा करने के 7 वर्षों के बाद भी, परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकी को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लाया जा सका जो प्रयोक्ता की अरुचि को संकेतित करता है। सीवीआरडीई ने जवाब में कहा कि, परियोजना के अधीन विकसित सिस्टिम सफल रही और यदि प्रयोक्ता की माँग हुई तो उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। तथापि तथ्य वैसे ही रहा कि, वीआरडीई द्वारा विकसित सिस्टिम में प्रयोक्ता ने कोई रूचि नहीं दिखाई।
11.	एम बी टी अर्जुन एमके-II में समाविष्ट करने के लिए एमबीटी अर्जुन एमके-I में सुधारों के लिए परियोजना को लिया गया।	(i) अप्रैल 2003 9.80 (ii) सितम्बर 2005 14.99 (iii) मई 2010 13.05	8.73 14.49 11.79	अप्रैल 2004 सितम्बर 2009/ अगस्त 2010 मई 2012/ मार्च 2013	अप्रैल 2004 में बंद अगस्त 2010 में बंद मार्च 2013 में बंद	डीडी आरएण्ड डी ने तीन परियोजनाओं (i) डिफेन्सिव एड सिस्टिम्स का विकास (ii) मिसाइल फाइरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन तथा (iii) एमबीटी अर्जुन एमके-I को एमके-II में उन्नयन के लिए उन्नत चासिस तथा ऑटोमोटिव सिस्टिम्स का विकास, को संस्वीकृत किया। सीवीआरडीई द्वारा इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तथापि, परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भी परियोजना के अधीन विकसित प्रौद्योगिकियों को किसी भी स्टाफ परियोजना में प्रयोग में नहीं लिया गया। जवाब में सीवीआरडीई के निदेशक ने कहा कि, प्रयोक्ता द्वारा जीएसक्यूआर सामान्यतया बड़ी सिस्टिम्स के लिए ही प्रदान किया जाता है न कि मुख्य सिस्टिम की सब सिस्टिम्स के लिए। आगे उन्होंने यह तर्क दिया कि, टीडी परियोजनाओं के अधीन विकसित सब सिस्टिम्स को उत्पादनों के लिए सीधे शामिल किया गया जो कि विशिष्ट स्टाफ परियोजना के माध्यम से नहीं हो सकती है। यह जवाब अस्वीकार है चूंकि, परियोजनाओं को एमबीटी अर्जुन एम-II की प्रयोक्ता माँग को पूरा करने के लिए लिया गया था, जिसे जीएसक्यूआर के आधार पर स्टाफ परियोजनाओं के रूप में लिया जाना चाहिए था जिसकी प्रयोक्ता द्वारा सिस्टिम्स की स्वीकृति को सुनिश्चित किया जाएगा।

6.6.4 - वैज्ञानिक-वार कार्यों तथा योगदान से सम्बन्धित डेटाबेस का अभाव

आरएण्डडी संगठन, मानव संसाधन तथा बौद्धिकी प्रबंधन के द्वारा भावी प्रौद्योगिकियों का विकास उपलब्ध प्रौद्योगिकी से करता है। इसमें पारस्परिक प्रक्रिया अन्तर्निहित होती है जहाँ वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक स्तर पर प्रौद्योगिकियों का प्रभावन प्राप्त कर लिया है, वे समरूपी प्रौद्योगिकी पर आगे कार्यकलाप जारी रखते हैं। ऐसे बौद्धिकी आधार का गैर-रखरखाव उनके द्वारा ली गई परियोजनाओं पर अपने कार्मिकों की दक्षता के आधार पर तैनाती करना असंभव बना देता है, जिसकी परिणति परियोजनाओं की असफलता या असामान्य विलंब में हो सकती है।

2011-12 के सीएण्डएजी की रिपोर्ट संख्या 24 के पैराग्राफ 7.3 और 2012-13 की सीएण्डएजी की रिपोर्ट संख्या 16 के पैराग्राफ 7.7 में एआरडीई तथा आर एण्ड डी ई (ई) क्रमशः में तैनाती किए गए कार्मिकों के साथ परियोजनाओं की सफलता या असफलता के सहसंबंध की यंत्रणा के अभाव संबंधी टिप्पणी की गई थी। उन रिपोर्टों की एटीएन में मंत्रालय ने कहा (नवम्बर 2012/ अक्टूबर 2013) कि सफलता या असफलता को व्यक्ति मात्र की बजाय संपूर्ण टीम द्वारा किए गए प्रयत्नों से जोड़ा जा सकता है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि, परियोजना की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं अपितु परियोजना पर कार्यरत पूरी टीम पर ठहराई जा सकती है, और व्यक्तिविशेष प्रयोगशाला में मॉड्रिक्स प्रबंधन में कार्य करता है जहाँ एक व्यक्ति विविध परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकता है। आगे प्रवीणता को प्रभावी रूप से विकसित करना तथा उपयोग करने के लिए, एक मॉड्रिक्स आधारित संगठनीय संरचना को कार्यान्वित किया गया जिसमें एक व्यक्ति स्थापना की विभिन्न परियोजनाओं में एक साथ योगदान देता है।

हमारी संवीक्षा यह प्रकट करती है कि दोनों प्रयोगशालाओं, अर्थात् वीआरडीई तथा सीवीआरडीई के पास वैज्ञानिक वार कार्यों तथा योगदान से संबंधित कोई डेटाबेस नहीं था, जिससे कि, वैज्ञानिकों/ तकनीकी अधिकारियों की निर्गमधारिता को निर्धारित करने में सुविधा हो जाती। लेखापरीक्षा में पूछताछ करने पर कि क्या प्रयोगशालाओं द्वारा परियोजना की सफलता या असफलता के साथ-साथ उसपर तैनात कार्मिकों के साथ उसमें दक्षता फलीभूत होने के सहसंबंध को स्थापित करने वाला डेटाबेस रखा गया था, वीआरडीई ने समीक्षा के अधीन आवरित अवधि के दौरान बंद की गई 45 परियोजनाओं में 16 परियोजनाओं के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों/ तकनीकी अधिकारियों की परियोजनावार ब्यौरों को प्रस्तुत किया।

जवाब में, वीआरडीई के निदेशक ने कहा कि एक नई परियोजना प्रबंधन प्रणाली जो कि कार्यान्वयन के अधीन है, इस मामले को पर्याप्त रूप से संबोधित कर देगी, जिसमें हमारी टिप्पणी प्रमाणित करती है कि परियोजना में स्थापित कार्मिकों सहित परियोजना की सफलता या असफलता में सहसंबंध स्थापित करने की कोई यंत्रणा नहीं रखी गई थी।

जवाब में, सीवीआरडीई के निदेशक ने कहा (जनवरी 2014) कि व्यक्ति विशेष या वैज्ञानिकों/ तकनीकी अधिकारियों को छोटे समूह पर विस्तृत रूप में परियोजना की सफलता या असफलता को जोड़ने में कठिनाई आ जाएगी चूँकि, विविध - आनुशासनिक स्वरूप के संश्लिष्ट घटक उसमें सम्मिलित होंगे। सीवीआरडीई का जवाब मंत्रालय की एटीएन में की गई प्रतिक्रिया का खण्डन करता है और वीआरडीई द्वारा दिए गए जवाब में भी सामंजस्य नहीं बनाए रखता।

6.6.5 नेशनल सेंटर फार ऑटोमोटिव टेस्टिंग में संसाधन की उत्पत्ति (एनसीएटी)

भारत सरकार, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने उनके केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) संख्या 126 के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों के परीक्षण के लिए प्राधिकृत (1980 में) किया। रक्षा तथा सिविल वाहनों जिसमें, परीक्षण ट्रकों तथा विविध भीतरी परीक्षण सुविधाओं का समावेश है, की आधारभूत संरचना नेशनल सेंटर फार ऑटोमोटिव टेस्टिंग (एनसीएटी) में मौजूद है। इन सुविधाओं को किराए के आधार पर निजी उद्योगों तक बढ़ाया गया है। वाणिज्यिक वाहनों का किराए पर/ परीक्षण के लिए वीआरडीओ द्वारा डीडी आरएण्डडी के पत्र दिनांक 1 जनवरी 1993 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रभार निकाला जाता है।

एनसीएटी के रिकार्डों की संवीक्षा यह प्रकट करती है कि, पिछले पाँच वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2012-13 तक के दौरान निजी उद्योगों द्वारा परीक्षण सुविधाओं को किराए पर लेने के कारण ₹ 71.65 करोड़ की राशि राजस्व के रूप में उत्पन्न हुई।

तालिका - 13 - 2008-09 से 2012-13 के दौरान परीक्षण किए गए वाहनों की कुल संख्या तथा उत्पन्न राजस्व।

वर्ष	परीक्षण किए गए वाणिज्यिक वाहनों/ घटकों की संख्या	परियोजना वाहनों की संख्या जिन पर तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण संचालित/ पूरे किए गए	सेना वाहनों की संख्या जिन पर तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण संचालित/ पूरे किए गए	उत्पन्न राजस्व (₹ करोड़ में)
2008-2009	607	-	5	17.67
2009-2010	702	6	7	12.00
2010-2011	1166	6	7	13.16
2011-2012	511	6	7	16.19
2012-2013	711	8	9	12.63
कुल	3697	26	35	71.65

परियोजना वाहनों के लिए परीक्षण सुविधाओं की अनुपलब्धता का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया, जिससे परियोजना को पूरा करने में विलंब हुआ। तथापि एनसीएटी की लेखापरीक्षा के दौरान वाणिज्यिक वाहनों का किराए पर/ परीक्षण के कारण उत्पन्न संसाधन संबंधी कुछ रुचिकर मामलों को देखा गया जिन्हें विस्तृत रूप में नीचे दिया जा रहा है:

मामला-I - वीआरडीई द्वारा सेवा कर की वसूली न करने के कारण निजी फर्मों को ₹ 0.68 करोड़ का अनुचित लाभ तथा उसका भुगतान संसाधन उत्पन्न निधि से किया जाना।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना (20 जून 2003) के तहत, 1 जुलाई 2003 के प्रभाव से तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण सेवाओं पर सेवा कर लगाना शुरू किया। चूंकि वीआरडीई में बनाई गई परीक्षण तथा मूल्यांकन सुविधाओं को निजी पार्टियों के वाणिज्यिक वाहनों के तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके लिए वीआरडीई द्वारा समय-समय पर तय की दरों के अनुसार उनसे प्रभार वसूल किए जाते हैं, वीआरडीई द्वारा निजी पार्टियों से सेवा कर को भी लिया जाना आवश्यक था। तथापि, उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों ने स्पष्ट (1 सितम्बर 2005) किया कि, रक्षा स्थापना पर भी तकनीकी निरीक्षण तथा प्रमाणन सेवा के लिए सेवा कर लगाया जाना था के बावजूद, वीआरडीई निदेशक ने 1 जुलाई 2003 से मार्च 2006 तक निजी पार्टियों पर से यह सेवा कर न तो लगाया और न ही उसकी वसूली की।

वीआरडीई (अगस्त 2006) ने 1 जुलाई 2003 से 31 मार्च 2006 की अवधि के लिए केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क प्राधिकारी को भुगतान किए जाने ₹ 2.64 करोड़ की राशि के सेवा कर में छूट मिलने हेतु डीआरडीओ मुख्यालय के सामने यह मामला इस आधार पर रखा कि, विलंबित अवस्था में फर्मों पर यह सेवा कर नहीं लगाया जा सकता। इसके बजाय, डीआरडीई ने केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बकाया राशि निपटान के लिए संसाधन उत्पन्न निधि में से ₹ 2.64 करोड़ के भुगतान की संस्वीकृति दी (8 अगस्त 2008)। केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क विभाग को दी जाने वाली वास्तविक राशि ₹ 2.13 करोड़ वीआरडीई द्वारा निकाली गई तथा 1 जुलाई 2003 से 31 मार्च 2006 तक की अवधि के लिए सेवा कर के बकाया भुगतान के निपटान के लिए मार्च 2009 में भुगतान किया गया। चूंकि फर्मों/ निजी पार्टियों द्वारा दिया जाने वाला सेवा कर वास्तविक रूप से डीआरडीओ द्वारा भुगतान किया गया, संबंधित निजी फर्मों से सेवा कर की वसूली न करने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा उत्पन्न हानि को नियमित करने के लिए कहा गया। 1 जनवरी 2014 तक ₹ 2.13 करोड़ की राशि में से ₹ 1.45 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। ₹ 0.68 करोड़ की शेष राशि को अभी वसूल किया जाना था।

मामला-II : एनसीएटी की ट्रेक्स का भाड़ा तथा परीक्षण प्रभारों तथा अन्य सुविधाओं का तदर्थ आधार पर निर्धारण

समीक्षा अवधि के दौरान निजी पार्टियों द्वारा परीक्षण ट्रेक्स/ उपकरणों/ सुविधाओं को भाड़े पर और परीक्षण पर लेने के प्रभारों के संशोधन के लिए 1999, 2003, 2005, 2008 और 2011 में वीआरडीई में पाँच बोर्ड गठित हुए। वाणिज्यिक वाहनों के परीक्षण के लिए भाड़ा/ परीक्षण के स्वीकार्य प्रभारों को निश्चिंत करने में हमारी संवीक्षा जैसे कि नीचे दर्शायी गयी है जो भाड़ा/ परीक्षण प्रभारों की कम वसूली को परिणत करता है।

(क) वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में भाड़ा तथा परीक्षण प्रभारों को निश्चित करने के लिए निर्धारित आवधिकता का अनुपालन न करना

डीडी आरएण्डडी के पत्र दिनांक 1 जनवरी 1993 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार, भाड़ा तथा परीक्षण सुविधाओं की दरों को हर दो वर्षों में संशोधित किया जाना था। तथापि हमने देखा कि अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक 15 वर्षों की अवधि के दौरान चार वर्षों के अंतराल में दो अवसरों पर दरों को संशोधित किया गया। क्रमशः फरवरी 1999 में रिविज़न कम कॉस्टिंग बोर्ड तथा 2007 में प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पीसीडीए) आरएण्ड के आदेश पर 2001 तथा 2007 में द्विवार्षिक संशोधन को छोड़ा गया। इसके परिणामी, द्विवार्षिक दरों के संशोधन न किए जाने के कारण जैसा कि डीडी आरएण्डडी के 1993 के अनुदेशों में उल्लेखित था 1999 तथा 2005 की दरों को चार वर्षों तक वैसे ही जारी रखा गया जिसकी परिणत राजस्व की हानि में हुई।

(ख) भाड़ा तथा परीक्षण प्रभारों की दरों को निश्चित करने के लिए सुविचारित घटकों में असंगति

- (i) मशीनों/ उपकरण/ सुविधाओं की लागत के साथ-साथ आधारभूत संरचना, भूमि तथा इमारतें जिसमें उनकी मरम्मत लागत समाविष्ट है, की लागत तथा अब तक प्राप्त हुई इस लागत में कुछ प्रतिशत को जोड़ को ध्यान में रखते हुए मशीनों के प्रयोग की प्रति घंटा लागत को निकाले जाने की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि, मार्च 2003 में बोर्ड द्वारा पहली बार संशोधित दरों को निकालने के लिए भूमि लागत को विचार में लिया गया और वह ₹ 51 करोड़ निकाली गई जिसे 100 वर्षों में अर्थात् ₹ 0.51 करोड़ प्रति वर्ष की दर से, वसूला जाना प्रस्तावित किया। पहले बोर्डों द्वारा इस घटक को ध्यान में न रखने का परिणाम भाड़ा तथा परीक्षण प्रभार कम निर्धारित हुए।
- (ii) रिविज़न कम कॉस्टिंग बोर्डों द्वारा भाड़ा/ परीक्षण सुविधाओं की दरों को दो वर्षों में एक बार संशोधित किया जाना आवश्यक था। इसलिए, दरों को निर्धारित करते समय दो वर्षों के लिए मानवशक्ति लागत को भी ध्यान में रखने की जरूरत थी। तथापि, प्रत्येक बोर्ड ने सिर्फ एक वर्ष के लिए ही मानवशक्ति लागत को दरों के निर्धारण के समय ध्यान में रखा जिसका परिणाम भाड़ा तथा परीक्षण प्रभार कम निर्धारित हुए।
- (iii) दिसम्बर 2008 की रिविज़न कम कॉस्टिंग बोर्ड ने ऑटोमोबाइलों की विभिन्न ट्रेक्स तथा परीक्षण के भाड़े की लागत संसाधन उत्पन्न के लिए जनवरी 1993 के डीडी आरएण्डडी के पत्र में निर्धारित 150 प्रतिशत उम्रशीर्ष की बजाय 15 प्रतिशत की उम्रशीर्ष लागत को ध्यान में रखते हुए, निकाला गया। आगे, मानव शक्ति प्लस 150 प्रतिशत उम्रशीर्ष, मानवशक्ति, सामग्री तथा सुविधाओं पर 25 प्रतिशत उम्रशीर्ष, 15 प्रतिशत प्रासंगिक तथा विविध (आई एण्ड एम), 12.5 प्रतिशत लाभ, पाँच प्रतिशत आधारभूत संरचना लागत जिसे पूर्ववर्ती बोर्ड ने ध्यान में लिया था, के मुकाबले आठ प्रतिशत प्रासंगिक तथा विविध व्यय तथा 10 प्रतिशत लाभ को लागत प्रभारों को निकालते समय ध्यान में लिया गया। विभिन्न बोर्डों द्वारा भाड़ा/ परीक्षण प्रभारों को निकालते

समय विभिन्न प्रतिशतों तथा तत्वों को अपनाने की तर्क संगति को संबंधित बोर्ड कार्यवाहियों में दर्ज नहीं किया गया।

- (iv) जनवरी 1993 के डीडी आरएण्डडी के पत्र के पैरा 5.4 के अनुसार बाहरी एजन्सियों को किराए की लागत उद्धृत करते समय बाजार मूल्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और लाभ घटक को भी इस तरह से समायोजित किया जाना चाहिए कि मूल लागत तथा लाभ घटक समरूपी सुविधाओं के भाड़े की प्रचलित बाजार मूल्य से आगे न चले जाए या बाजार कितना सहन कर सकता है। दिसम्बर 2008 में बोर्ड ने यह भी कहा कि एनसीएटी के परीक्षण प्रभागों को अन्य परीक्षण एजन्सियों जैसे कि, भारतीय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन (एआरएआई) तथा सड़क परिवहन का केंद्रीय संस्थान (सीआईआरटी) द्वारा समान परीक्षणों के प्रभागों से भी तुलना की जानी चाहिए। तथापि, हमने देखा कि हालाँकि बोर्ड के पास मात्र नौ ट्रैक्स⁹⁶ के संबंध में प्रतिस्पर्धी प्रभार उपलब्ध थे, परंतु बोर्ड ने 25 में से 15⁹⁷ सुविधाओं/ ट्रैक्स⁹⁸ तथा 26 में से 11⁹⁹ उपकरणों¹⁰⁰ के विषय में विद्यमान प्रभागों की तुलना में किराए प्रभागों में कटौती को प्रस्तावित किया। इसके अलावा 2008 के बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई दरें कुछ मामलों¹⁰¹ में प्रतिस्पर्धियों की दरों से अधिक थीं और कुछ मामलों¹⁰² में प्रतिस्पर्धी/ बाजार दरों से कम थीं। 1 जुलाई 2009 के प्रभाव से वीआरडीई द्वारा संशोधित दरों को लागू कर दिया गया। 2008 के बोर्ड द्वारा दरों के निर्धारण में इस तथ्यदत्ता के परिणाम स्वरूप, जुलाई 2009 से जून 2011 की अवधि के दौरान विद्यमान प्रभागों की तुलना में ट्रैक्स तथा उपकरणों के संबंध में प्रभागों की अनुचित कटौती का परिणाम ₹ 3.21 करोड़ की न्यूनतम वसूली में हुआ।

दो वर्षों के लिए लागू होने वाले प्रभागों को निश्चित करते समय दो वर्षों की मानव शक्ति लागत तथा मार्च 2003 के बोर्ड से पूर्व बोर्डों द्वारा भूमि लागत का शामिल न करने को ध्यान में न रखने संबंधी हमारी टिप्पणी के संबंध में वीआरडीई द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत (जनवरी 2014) नहीं किया। तथापि, दरों के संशोधन के लिए बोर्डों के आयोजन में आवधिकता के अनुपालन न करने के संदर्भ में

⁹⁶ 1) हाई स्पीड ट्रक 2) सीधा ट्रक 3) स्टेरिंग पॉड 4) गेडियन्ट ट्रक 5) सर्पेन्टाइन 2 व्हीलर 6) सर्पेन्टाइन 4 व्हीलर 7) क्रॉस कंट्री ट्रक 8) डीप वेडिंग ट्राव 9) ड्युरेबिलिटी सर्किट

⁹⁷ 1) हाई स्पीड ट्रक 2) सीधा ट्रक 3) बेल्जियन ट्रक 4) स्टेरिंग पॉड 5) ग्रेडियंट ट्रक 6) सर्पेन्टाइन 4 व्हीलर 7) कॉस्मोटेड 50 मीमी 8) लॉग वेव पिचिंग 9) पॉट होल ट्रक 10) मिट्टी वाला ट्रक 11) रेतिला ट्रक 12) शॉलो वॉटर ट्राव 13) ड्युरेबिलिटी सर्किट 14) 100 टी वेट एम/सी 15) ईएमआय परीक्षण के लिए ओए टीएस

⁹⁸ 25 फंसिलिटिज/ ट्रक - 1) हाय स्पीड ट्रक 2) सीधा ट्रक 3) बेल्जियन ट्रक 4) स्टेरिंग पॉड 5) ग्रेडियंट ट्रक 6) सर्पेन्टाइन 2 व्हीलर 7) सर्पेन्टाइन 4 व्हीलर 8) कॉस्मोटेड 50 मीमी 9) कॉस्मोटेड 100 मीमी 10) लॉग वेव पिचिंग 11) क्रॉस कंट्री ट्रक 12) पॉट होल ट्रक 13) मिट्टी का ट्रक 14) रेतिला ट्रक 15) शॉलो वॉटर ट्राव 16) डीप वेडिंग ट्राव 17) डस्ट टनल 18) ड्युरेबिलिटी सर्किट 19) 100 टी वे एम/सी 20) 30 टी वे एम/सी 21) एन्कर ब्लॉक 22) क्रेन 23) टिल्टिक प्लेटफार्म 24) ईएमआय परीक्षण के लिए ओएटीएस 25) इन्सपेक्शन एरिया

⁹⁹ 1) कोरोवित एल डिजीटल 2) साउंड लेवल मीटर 3) आर्टिकुलेशन टेस्टरीग 4) ग्राफिक मीटर 5) कोरोवित एच सेन्सर-4 6) एफएफटी एनालाइज़र 7) डाटरॉन ईईपी-2 8) कोरोवीट वीक्यू सेन्सर 9) ड्रॉन स्टरिंग व्हील 10) राइड क्वालिटी मीटर 11) कॉरिस्स डीएसआय

¹⁰⁰ इन्सट्रुमेंट्स- 1) कोरोवित एल डिजीटल 2) साउंड लेवल मीटर 3) इंजिन टॉचोमीटर 4) आर्टिकुलेशन टेस्ट रीग 5) स्टेरिंग टार्क्यू मीटर 6) ग्रॉफटेक मीटर 7) कोरोवित एच सेन्सर-4 8) वाइब्रेशन मीटर 9) मानव रिस वीब मीटर 10) तापमान मीटर 11) डिजीटल बॅरोमीटर 12) हायग्रोमीटर 13) एफएफटी एनालाइज़र 14) ड्रॉन ईईपी-2 15) ड्रॉन रोलेन्थ 16) ड्रॉन डब्ल्यूपीटी 17) ड्रॉन ब्रेक स्वीच 18) कोरोवीट वीक्यू सेन्सर 19) ड्रॉन स्टरिंग व्हील 20) ब्रेक पेडल फोर्स 21) पीएलयू फ्यूल ट्रान्सड्यूसर 22) राइड क्वालिटी मीटर 23) कॉरिस्स डीएसआय 24) एस्सिलेरोमीटर 25) एनेमोमीटर 26) प्रेशर कॅलिब्रेटर

¹⁰¹ 1) क्रॉस कंट्री ट्रक 2) डीप वेडिंग ट्राव 3) एन 2, एन 3 तथा एम 2 वर्ग के लिए अंदरूनी आवाज का मापन 4) एम 3 वर्ग के लिए अंदरूनी आवाज का मापन

¹⁰² 1) स्टेयरिंग पैड (2) सरपेन्टाइन 4 व्हीलर (3) 4 व्हीलर चैसिस डायनामामीटर पर मास एमिशन टेस्ट (4) विमितीय जांच (5) ए आई एस -004 के अनुसार टाइप अनुमोदन हेतु ई एम आई मापन

वीआरडीई, निदेशक ने कहा कि बोर्डों का संयोजन का आवधिकता पिछले बोर्डों/ पीसीडीए के सुझावों के अनुसार हुआ था। 2009 से आगे आवधिकता का कठोरता से पालन किया गया।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है चूंकि 1 जनवरी 1993 के डीडी आरएण्डडी के पत्र के पैरा 5.3 के अनुसार हर दो वर्षों में दरों को संशोधित किया जाना था। इसलिए चार वर्षों के बाद दरों का संशोधन की सिफारिश का अधिकार न ही बोर्डों न ही पीसीडीए को है।

निष्कर्ष

‘शस्त्रीकरण अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (एआरडीई) में परियोजना प्रबंधन’ पर 2011-12 की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 24 के पैरा 7.4 तथा ‘अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (इंजीनयर्स) (आरएण्डडीई (ई))’ में परियोजना प्रबंधन पर 2012-13 की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 16 में संबंधित प्रयोगशालाओं द्वारा परियोजनाओं के प्रबंधन में कुछ क्रमबद्ध विफलताओं संबंधी टिप्पणी दी गई थी। इसकी प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने एटीएनों (नवम्बर 2012 तथा अक्टूबर 2013) में कहा कि, डीआरडीओ मुख्यालय द्वारा नई परियोजनाओं को लेने, मानिट्रिंग तथा परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बंद करने के लिए दिशा-निर्देशों को बनाया गया है। आगे मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त कराया कि, विविध उपचारात्मक मापदंडों जिसमें, प्रयोक्ता के साथ अधिक आवधिक समीक्षाओं तथा प्रभावी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। तथापि हमने देखा कि, पहले ही बतायी गई समानरूपी खामियाँ वीआरडीई तथा सीवीआरडीई में भी कायम रहीं।

वीआरडीई/ सीवीआरडीई द्वारा रक्षा सेनाओं द्वारा आवश्यक उत्पादों की डिलवरी के लिए ली गई स्टाफ परियोजनाओं ने सेना में प्रणालियों को शामिल करने में सफलता की अति कम दरों का प्रमाण दिया। जिनमें से बहुतांश प्रयोक्ता द्वारा माँग की पुष्टि किए बगैर परियोजनाओं को लिए जाने, इच्छित वितरको का विकास करने में असफलता, विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाए जाना तथा परवर्ती विकास गतिविधियों में कुप्रबंध के कारणों से मुख्यतया असफल रहीं। अधिकांश परियोजनाओं में समय तथा लागत अधिक्रमण काफी ज्यादा था जो लागत और समय को कम आकलित और क्षमताओं को अधिमूल्यांकित करने को इंगित करता है।

आरएण्डडी/ टीडी परियोजनाओं के अधीन विकसित प्रौद्योगिकियों का स्टॉफ परियोजना में उसका उपयोग न होने का मुख्य कारण था प्रयोक्ता माँग के सुनिश्चित आंकलन में कमी।

प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न परियोजनाओं में पदस्थापित किए गए वैज्ञानिकों तथा तकनीकी अधिकारियों के संबंधी किसी भी डाटा का तथा परियोजनाओं की सफलता या असफलता के अनुसार उनका निर्गम के गैर-रखरखाव, आगे भविष्य में पहली परियोजनाओं में निर्मित विशेषज्ञता को जानने में असफल या पहले पदस्थापित कार्यकलापों के क्षेत्र में कोई योगदान न दिए जाने वाले वहीं वैज्ञानिकों/ तकनीकी अधिकारियों की तैनाती की उसी गलती को दोहराए जाने का परिणाम दिखाई दे सकता है। परियोजना गतिविधियों में स्थापित की गई मानव शक्ति के वेतन तथा भत्तों - हालाँकि जो महत्वपूर्ण हैं की गैर-बुकिंग ने परियोजना लागतों को कम करके बताने की परिणती में हुआ।

एनसीएटी में सुविधाओं के उपयोग के लिए निजी फर्मों/ कम्पनियों से प्रभार दरों को प्राप्त करने के लिए वीआरडीई द्वारा भाड़ा तथा परीक्षण प्रभारों की दरों के निर्धारण के विचाराधीन घटकों में असंगति के कारण एनसीएटी की स्थापना के तीन से अधिक दशकों के बीतने तथा उसका निजी फर्मों के द्वारा किया जाने वाला उपयोग के पश्चात भी, भाड़ा तथा परीक्षण प्रभारों की न्यून वसूली में परिणति हुई।

सिफारिशें

- डीआरडीओ कुल व्यय तथा प्रयासों के अनुसार प्रयोक्ता अभिमुखी स्टाफ परियोजनाओं की उनकी गतिविधियों पर सक्रिय ध्यान केंद्रित करने का विचार करे।
- स्टाफ परियोजनाओं के परिणाम को बढ़ाने के लिए, जीएसक्यूआर तथा प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के बीच बेमेल से बचने के परियोजना के प्रारंभ से समाप्ति तक डीआरडीओ और प्रयोक्ता द्वारा करीबी तथा औपचारिक संयुक्त मानिट्रिंग अनिवार्य है। समापन रिपोर्ट में विकसित सिस्टिम के प्रयोक्ता आंकलन को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए एक यथोचित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- अति महत्वपूर्ण आर एण्ड डी तथा टी डी परियोजना को प्रयोक्ता से उचित परामर्श करने के बाद प्रयोक्ता माँग को यथोचित निर्धारण करने की जरूरत है ताकि डीआरडीओ द्वारा इन परियोजनाओं के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों को तीन से पाँच वर्षों में स्टाफ परियोजनाओं में लिया जा सकेगा।
- डीआरडीओ प्रत्येक परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिक वार कार्य तथा योगदान के डाटाबेस को विकसित करने का विचार करे जो सांस्थानिक स्मृति, पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही का काम करेगी।
- परियोजना की लागत की गणना के लिए मानव शक्ति लागत का संविभाजन की एक उचित पद्धति तैयार की जाए।

अध्याय VII: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुदान सहायता योजना

7. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा अनुदान सहायता योजना

स्वदेशी रूप में, अधिमानतः रक्षा के रूचि क्षेत्रों में, उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने हेतु, डी आर डी ओ में 1969 में आरम्भ की गई अनुदान सहायता योजना का निष्पादन संतुष्टि से परे था। योजना के प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग में अनुचित बजट निरूपण प्रक्रिया, फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किये जाने वाले परिमाणात्मक तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य को परिभाषित किए बिना परियोजना प्रदान करना, ऐसा कोई प्रमाण न होना जो कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा सर्वोत्तम सम्भावित प्रस्तावों के चयन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह दर्शाता हो कि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विधिवत विचार तथा उनका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया था, जैसी असाधारण कमियां थीं। डी आर डी ओ द्वारा अधिकांश मामलों में परियोजना समापन प्रतिवेदन नहीं मांगे जा रहे थे। डी आर डी ओ ने अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं को योजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों को ब्याज प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रूप से बचत बैंक खाते में जमा करने तथा व्यय न की गई शेष राशियों को उचित रूप से लेखांकित करने के लिए नहीं कहा, इस प्रकार सरकार को ऐसे लाभों की प्राप्ति से वंचित रखा गया। यद्यपि, अनुदानों की सहायता से खरीदे गए उपकरण डी आर डी ओ की संपत्ति थी, तथापि, उनके निपटान को अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों के निर्णय, जैसा भी वे लेना चाहें, पर छोड़ दिया गया।

7.1 परिचय

7.1.1 योजना

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ), रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 1969 में एक “रक्षा अनुदान सहायता” योजना (योजना) शुरू की ताकि वैज्ञानिक महत्व, अधिमानतः रक्षा रूचि के क्षेत्रों की समस्याओं पर अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु आई आई टीज़ विश्वविद्यालयों, उच्चतर तकनीकी संस्थानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, सर्विस ट्रेनिंग स्कूलों में स्वदेशी रूप से उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा तथा सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। इस योजना के तहत एक अनुमोदित अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय, एक विख्यात औद्योगिक फर्म से जुड़े विभाग अथवा प्रयोगशाला से जुड़े प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को अनुदान दिए जाते हैं।


योजना के तहत डी आर डी ओ मंत्रालय से निधियां प्राप्त करता है तथा उन्हें सात एजेन्सियों/डिसिप्लिन्स/रिसर्च बोर्डों/ निदेशालय जोकि एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेन्सी (ए डी ए)¹⁰³ बंगलोर, एयरोनॉटिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट बोर्ड (ए आर एण्ड डी बी), नेवल रिसर्च बोर्ड (एन आर बी), आरमामेन्ट रिसर्च बोर्ड (आर्मरेब), लाईफ साईंसेज रिसर्च बोर्ड (एल एस आर बी), डायरेक्टोरेट आफ एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च एण्ड इंटरलैक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स (डी ई आर एण्ड आई पी आर) तथा 'अन्य'¹⁰⁴ हैं, को संवितरित करता है। रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा बजट डी आर डी ओ के एक

¹⁰³ ए डी ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए) के डिजाइन तथा विकास के लिए नोडल एजेन्सी हैं।

¹⁰⁴ भाराथियार यूनिवर्सिटी, कोयम्बतूर नेशनल एयरोस्पेस लैबरेटरीज बंगलोर तथा डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नॉलाजी (डीन्ड यूनिवर्सिटी), पूणे

निदेशालय, बजट, वित्त एवं लेखा निदेशालय (डी बी एफ ए) को आवंटित किया जाता है जो इसे रिसर्च बोर्डों (आर बीज़) एवं डी ई आर एण्ड आई पी आर में उप-आवंटित करता है, जिसे आगे अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों को आवंटित कर दिया जाता है। इसे नीचे दिए गए फ्लो-चार्ट में दर्शाया गया है।

डी आर डी ओ की रक्षा अनुदान सहायता योजना



7.1.2 रिसर्च बोर्ड/ ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय

रक्षा मंत्रालय ने संबंधित डिसिप्लिन के तहत विभिन्न फोकस क्षेत्रों को कवर करने के लिए चार रिसर्च बोर्डों यथा ए आर एण्ड डी बी (1971), एन आर बी (1996), आर्मरेब (1997) तथा एल एस आर बी (1998) का गठन किया तथा इन रिसर्च बोर्डों को अपने स्वयं के नियम रचित करने के लिए अनुमत किया है। चारों रिसर्च बोर्डों¹⁰⁵ परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते हैं, निधियाँ प्रदान करते हैं तथा उन्हें परियोजनाओं की प्रगति को अपने नियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार मॉनिटर करना होता है।

(क) भाराथियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडू सरकार द्वारा भाराथियार यूनिवर्सिटी अधिनियम 1981 (1982 का अधिनियम 1) के प्रावधान के तहत फरवरी 1982 में कोयम्बतूर में स्थापित की गई थी।

(ख) सी एस आई आर -एन ए एल के जनादेश में मजबूत विज्ञान विषय के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास, छोटे और मध्यम दर्जे के सिविल विमानों का विनिर्माण तथा सभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना सम्मिलित है।

(ग) डिफेन्स इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नालॉजी जिसे पूर्व में इंस्टिट्यूट ऑफ आर्माभेन्ट टेक्नालॉजी के नाम से पुकारा जाता था, शस्त्रीकरण प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक डीमड यूनिवर्सिटी है तथा पुणे के निकट गिरिनगर में स्थित है।

¹⁰⁵ ए आर एण्ड डी बी के अध्यक्ष रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए टू आर एम) होते हैं तथा इसके विभिन्न सदस्यों में रक्षा सचिव, सचिव, रक्षा उत्पादन, डी जी आर एण्ड डी (एयरोनॉटिकल सिस्टम्स) तथा प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) {सी सी आर एण्ड डी (टी एम)} भी सम्मिलित हैं। जबकि अन्य तीन रिसर्च बोर्डों की अध्यक्षता एक विशिष्ट अनुसंधान वैज्ञानिक/ प्रबंधक अथवा प्रासंगिक अनुभव रखने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो वर्तमान में डी आर डी ओ में न हो, करेगा तथा इनमें अपने डिसिप्लिन से संबंधित डी जी तथा सी सी आर एण्ड डी सम्मिलित होंगे।

डी ई आर एण्ड आई पी आर¹⁰⁶ का सृजन मई 2000 में हुआ था तथा इसका उत्तरदायित्व भावी विकास के दृष्टिगत डी आर डी ओ के सीमा क्षेत्रों के बाहर संस्थानों के माध्यम से वैश्विक परिवेश में वर्तमान अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के साथ तालमेल रखते हुए, सामान्यतः राष्ट्र के लिए तथा विशेषतः रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों में प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों में मौलिक तथा व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास करना है।

7.1.3 आर बीज़ / डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं

रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का मौद्रिक मूल्य के साथ ब्यौरा नीचे तालिका-14 में दिया गया है:

तालिका 14: 2008-09 से 2012-13 के दौरान संस्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

आर बी/निदेशालय का नाम	कुल परियोजनाएं	कुल संस्वीकृत मूल्य	₹ 20 लाख से कम की परियोजनाओं की संख्या	मूल्य	₹ 20-40 लाख के मध्य की परियोजनाओं की संख्या	मूल्य	₹ 40 लाख से ऊपर की परियोजनाओं की संख्या	मूल्य
ए आर एण्ड डी बी	235	59.32	171	22.30	40	10.97	24	26.05
एन आर बी	155	49.04	37	5.27	78	22.20	40	21.58
आर्मरेब	58	13.88	34	4.06	20	5.34	4	4.48
एल एस आर बी	107	25.58	43	6.09	53	14.14	11	5.35
डी ई आर एण्ड आई पी आर	420	260.85	223	28.68	115	33.64	82	198.52
कुल योग	975	408.67	508	66.40	306	86.29	161	255.98

(स्रोत: डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरा)

7.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

डी आर डी ओ मुख्यालय, नई दिल्ली में 2008-09 से 2012-13 की अवधि की रक्षा अनुदान सहायता परियोजनाओं की लेखापरीक्षा निम्नलिखित आश्वासन प्राप्त करने की दृष्टि से की गई थी:

- रिसर्च बोर्डों द्वारा संस्थानों को परियोजना सौपने के लिए, जिसमें प्रधान अन्वेषकों (पी आईज़) का चयन सम्मिलित था, उचित क्रियाविधि, जो कि सरकारी आदेशों में निर्धारित रूपरेखा के अनुसार हो, अपनायी जा रही है;
- वहाँ सामान्य वित्तीय नियम तथा योजना के प्रबंधन के लिए बनाए गए आंतरिक विनियमों के अनुरूप एक मजबूत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मौजूद थी;
- परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में वांछित परिणाम प्राप्त करती हैं;

¹⁰⁶ अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान केन्द्रों में एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च के वित्तीयन के लिए अनुदान सहायता योजना डी आर डी ओ के आरम्भ होने के पहले शुरू हो गई थी। 1 जनवरी 1958 को डी आर डी ओ का सृजन होने पर एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (ई आर) क्रिया कलापों का निष्पादन समकालीन डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड स्पॉन्सर्ड रिसर्च (डी टी एस आर) के तत्वावधान के अन्तर्गत आरम्भ हो गया था। विभिन्न डी आर डी ओ परियोजनाओं के प्रति ई आर के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अंतिम परिणाम पर आई पी आर की प्रासंगिकता के कारण 1 मई 2000 को एक अलग ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय का सृजन किया गया।

- परियोजनाओं की प्रगति को रिसर्च बोर्डों द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनलों द्वारा उचित रूप से मॉनिटर किया जा रहा है।

7.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

इस लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में डी आर डी ओ की रक्षा अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत आने वाली सात एजेन्सियों/डिसिप्लिंस/रिसर्च बोर्ड/निदेशालय में से डी आर डी ओ के चार रिसर्च बोर्ड यथा ए आर एण्ड डी बी, एन आर बी, आर्मरेब तथा एल एस आर बी तथा एक निदेशालय यथा डी ई आर एण्ड आई पी आर सम्मिलित किए गए थे। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान आर बीज़/डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत अनुदान सहायता परियोजनाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया तथा लेखापरीक्षा द्वारा 299¹⁰⁷ परियोजनाओं, जिसमें 186 संपन्न हुई परियोजनाएं¹⁰⁸ शामिल हैं, की जाँच की गई।

7.1.6 लेखापरीक्षा पद्धति

रक्षा अनुदान सहायता की लेखापरीक्षा डी आर डी ओ मुख्यालय में दिनांक 06 अगस्त 2013 को प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (संसाधन एवं प्रबंधन) { सी सी आर एण्ड डी (आर एम) } के साथ एक एंटी कान्फ्रेंस के साथ आरम्भ हुई। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/ संस्थानों/संगठनों को दी गई रक्षा अनुदान सहायता परियोजनाओं से संबंधित डेटा का विश्लेषण किया गया। इस लेखापरीक्षा पैरा को अन्तिम रूप देते समय लेखापरीक्षा के दौरान जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रति उत्तर पर विचार किया गया। ड्राफ्ट पैरा जुलाई 2014 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार को जारी किया गया। एग्जिट कान्फ्रेंस सी सी आर एण्ड डी (आर एम) तथा सी सी आर एण्ड डी (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) के साथ 25 सितम्बर 2014 को हुई जिसमें महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई।

7.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.2.1 रक्षा अनुदान सहायता संचालक नियम

रक्षा अनुदान सहायता योजना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य वित्तीय नियम, 2005 (जी एफ आर) के द्वारा संचालित होती है। रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियम रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1969 में जारी किए गए थे। इन नियमों के अलावा रिसर्च बोर्डों ने भी अपने सृजन से संबंधित मंत्रालय की संस्वीकृति के निहितार्थ रक्षा अनुदान सहायता योजना के लिए नियम बनाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक रिसर्च बोर्ड ने अपने नियमों का एक अलग सेट बनाया था जिनको मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया था तथा ये नियम जैसा कि परिशिष्ट-VI में दर्शाया गया है, उम्ररी प्रभारों, संस्वीकृति के पश्चात् परियोजना के आरंभ किए जाने की तिथि, परियोजना समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सारिणी, प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का डेटाबेस, विशेषज्ञ पैनलों, इत्यादि विषयों पर भिन्न थे।

डी ई आर एण्ड आई पी आर रक्षा अनुदान सहायता के उन नियमों का अनुसरण कर रहा था जो मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1969 में निर्धारित किए गए थे, तथा 31 मार्च 1999 तक समय-समय पर जारी

¹⁰⁷ ₹ 40 लाख से ऊपर की सभी परियोजनाओं, ₹ 20 लाख से ₹ 40 लाख के बीच की लागत की संपन्न हुई परियोजनाओं के 25 प्रतिशत को तथा ₹ 20 लाख से नीचे की लागत की संपन्न हुई परियोजनाओं के 10 प्रतिशत को लेखापरीक्षा हेतु नमूने में शामिल किया गया था। समग्र कवरज में ₹338.62 करोड़ के संस्वीकृत मूल्य की 299 परियोजनाएं सम्मिलित थी, जिसमें से, ₹109.24 करोड़ के संस्वीकृत मूल्य के साथ, 186 संपन्न परियोजनाएं थीं।

¹⁰⁸ लेखापरीक्षा ने उन संपन्न परियोजनाओं को कवर किया है जिनकी पी डी सी समाप्त हो चुकी है।

किए गए शुद्धिपत्रों के अनुरूप संशोधित किए गए थे। तथापि, इन संशोधनों पर मंत्रालय का अनुमोदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेशालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि भिन्न है क्योंकि इसके पास परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई रिसर्च बोर्ड नहीं है। प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु संबंधित डी आर डी ओ प्रयोगशाला को भेज दिया जाता है।

प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (प्रौद्योगिकी प्रबंधन) ने सितम्बर 2014 में एग्जिट कान्फ्रेंस में बताया कि मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने की लेखापरीक्षा की मांग को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया कि एक सामान्य स्थाई संचालन क्रियाविधि (एस ओ पी) तैयार की जाएगी तथा क्रियाविधि में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुधार किया जाएगा।

आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के नियमों तथा परियोजना संस्वीकृति पत्रों का जी एफ आर के अनुरूप न होना

जी एफ आर में सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों पर विस्तृत दिशानिर्देश इस अनुबंध के साथ दिए गए थे कि संबंधित मंत्रालय अथवा विभाग सहायता के नियम अथवा ढाँचा नियमों के अन्तर्गत तैयार करेंगे। इसके विपरीत, आर बीज़ के नियम तथा परियोजना संस्वीकृति पत्र जी एफ आर के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे तथा जैसे कि नीचे दिए गए उदाहरणों में चर्चा की गई है, आर बीज़ अपने स्वयं के द्वारा रचित नियमों का भी अनुसरण नहीं कर रहे थे।

- (1) जी एफ आर के नियम 215 (3) (1) के अनुसार, परियोजना अथवा योजना के समापन पर तकनीकी तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता के अलावा, ऐसे मामलों में एक शर्त शामिल की जानी चाहिए कि ऐसी निधियों से उपाजित अथवा सृजित की गई भौतिक तथा बौद्धिक परिसंपत्तियों पर मालिकाना अधिकार प्रायोजक का होगा, जबकि आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र यह दर्शाते हैं कि यह अधिकार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) के पास निहित होगा।
- (2) जी एफ आर के नियम 211 के अनुसार, जी आई के लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, द्वारा लेखापरीक्षा, मंत्रालय अथवा विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय तथा अपनी इच्छा के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध रहेंगे। तथापि, आर बीज़ तथा रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों के अनुसार जी आई के समस्त लेखे अपने-अपने लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित होंगे तथा परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण परियोजना/ योजना के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे।

डी आर डी ओ को मूर्त परिणाम प्राप्त करने तथा योजना के न्याय-संगत एवं पारदर्शी रूप से निर्बाध क्रियान्वयन हेतु ठीक जी एफ आर की तर्ज पर नियम बनाने चाहिए।

7.2.2 बजट निरूपण

रिसर्च बोर्ड तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर बजट निरूपित/ फोरकास्ट करते हैं तथा इसे डी आर डी ओ के अधीन कार्यरत बजट, वित्त एवं लेखा निदेशालय (डी बी एफ ए) को निधियों के आवंटन हेतु प्रस्तुत करते हैं। डी बी एफ ए रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर की बजट मांगों को समेकित करता है तथा इन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। मंत्रालय डी बी एफ ए को बजट आवंटित करता है, जिसे आगे रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर को आवंटित कर दिया जाता है।

रक्षा अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2012-13 के लिए सभी रिसर्च बोर्डों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर का सम्पूर्ण वर्ष-वार बजट आवंटन तथा व्यय परिशिष्ट-VII में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने एल एस आर बी के संबंध में पांच वर्षों (2008-09 से 2012-13) के दौरान हुए बजट आवंटन में ₹ 7.00 करोड़ (2011-12) से ₹ 2.94 करोड़ (2012-13) हो जाने कि उतार-चढ़ाव वाली प्रवृत्ति देखी। इसी प्रकार, एन आर बी के बजट में ₹ 3.90 करोड़ (2010-11) से ₹ 11.00 करोड़ (2011-12) के बीच उतार-चढ़ाव हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे उजागर किए जाने पर (अप्रैल 2014), डी आर डी ओ ने बताया (मई 2014) कि बजट मांग का आधार वचनबद्ध देयता के लिए कैश आउटगो तथा की जाने वाली वचनबद्धताओं के लिए कैश आउटगो होता है तथा डी बी एफ ए द्वारा आर बीज़ और डी ई आर एण्ड आई पी आर को पैसा पिछले वर्ष के मांग तथा व्यय के पैटर्न के आधार पर जारी किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि बजट निरूपण के दौरान वचनबद्ध देयताएं तथा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाये नहीं जाते हैं। आगे, पिछले वर्ष के बजट के ऊपर गैर सामान्य बढ़त / घटत होना भी यह दर्शाता है कि बजट यथार्थवादी नहीं है।

तथापि, डी आर डी ओ ने एग्जिट कान्फ्रेंस के दौरान आश्वासन दिया कि भविष्य में बजट निरूपण प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी तथा संभावित अनुसंधान कार्यकलापों के लिए बजट पूर्वानुमानित करने हेतु पर्याप्त योजना बनायी जाएगी।

लेखापरीक्षा में देखी गई विसंगतियों के मद्देनजर तथा मजबूत बजट निरूपण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सभी रिसर्च बोर्डों/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को चाहिए कि वे निधि हेतु अपनी मांग को प्रस्तुत करने के लिए बजट अनुमानों का निरूपण व्यय की पूर्व प्रवृत्तियों, जारी कार्यकलापों तथा हाथ में ली जाने वाली परियोजनाओं को ध्यान में रख कर करें। डी बी एफ ए द्वारा उचित बजट निरूपण तथा निधि प्रवाह प्रबंधन किया जाना चाहिए।

7.2.3 परियोजनाओं का चयन तथा संस्वीकृति

सभी डिसिप्लिन्स के बोर्डों की सहायता बहुत से विशेषज्ञ पैनल करते हैं जो कि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा गठित किए जाते हैं। डी आर डी ओ के प्रतिनिधियों के अलावा एन आर बी, ए आर एण्ड डी बी तथा आर्मरेड के विशेषज्ञ पैनलों में आई आई टीज़, आदि, से भी सदस्य होते हैं, जबकि एल एस आर बी के पैनलों में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर (बी ए आर सी), इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आई सी एम आर), इण्डियन काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चरल रिसर्च (आई सी ए आर), आल इण्डिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (ए आई आई एम एस), श्री रामास्वामी मेमोरियल (एस आर एम) यूनिवर्सिटी, आदि से सदस्य होते हैं।

जी एफ आर के नियम 209 (3) में प्रावधान है कि अनुदान प्रदान करने पर विचार केवल इस आधार पर किया जाना चाहिए कि क्या संस्थान अथवा संगठन ने सुस्पष्ट योजनाएं बनाई हैं तथा वे फलीभूत होने योग्य तथा विशिष्ट हैं। ऐसी योजनाओं के बजट में, अन्य बातों के अलावा, यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि परिव्यय के प्रति प्राप्त किए जाने वाले संभावित विशिष्ट मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य क्या हैं।

रिसर्च बोर्डों द्वारा अनुसरित की जाने वाली वर्तमान क्रियाविधि के अनुसार, वे थ्रस्ट क्षेत्रों को डी आर डी ओ की वेबसाइट से अधिसूचित करते हैं तथा जैसाकि जी एफ आर के तहत वांछित हैं, कोई भी योजनाएं फलीभूत होने की योग्यता तथा विशिष्टता के साथ सुस्पष्टता से तैयार नहीं की जा रही थीं। संस्थाएं अपने प्रस्ताव रिसर्च बोर्डों को प्रस्तुत करती हैं, जिसपर सम्बंधित रिसर्च बोर्ड के विशेषज्ञ पैनल के सदस्य विचार-विमर्श करते हैं। पैनल सदस्य प्रस्तावों का अपने अनुसंधान क्षेत्र के प्रति प्रासंगिकता

को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करते हैं तथा सक्षम वित्तीय प्राधिकारी¹⁰⁹ (सी एफ ए) द्वारा परियोजनाओं की आगे संस्वीकृति हेतु अपनी सिफारिश देते हैं।

डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा अनुसरण की जाने वाली क्रियाविधि अलग है, क्योंकि उनके पास परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई रिसर्च बोर्ड नहीं है। प्रस्ताव या तो स्वेच्छानुसार प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर प्रधान अन्वेषक (पी आई) से अनुरोध किया जाता है कि वह डी आर डी ओ की प्रयोगशाला आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्ताव डी ई आर एण्ड आई पी आर को प्रस्तुत करे। केवल उन परियोजना प्रस्तावों का जो थ्रस्ट क्षेत्रों¹¹⁰ से जुड़ी हों, का चयन किया जाता है और उस क्षेत्र में कार्य करने वाली डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है। प्रयोगशाला के विशेषज्ञ तकनीकी और वित्तीय दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं तथा परियोजनाओं को सी एफ ए द्वारा आगे संस्वीकृत किए जाने हेतु अपनी सिफारिशों के साथ डी आर डी ओ मुख्यालय को अग्रेषित करते हैं।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि आर बीज़ और डी ई आर एण्ड आई पी आर ने डी आर डी ओ वेबसाइट पर अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों के स्थान पर केवल विस्तृत थ्रस्ट क्षेत्रों को अधिसूचित किया था। आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संभावित संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अधिसूचना को छोड़कर कोई औपचारिक एक्सप्रेसन ऑफ इंटररेस्ट आमंत्रित नहीं किया जाता है। परियोजना प्रस्तावों का विश्लेषण करने की प्रणाली संतोषजनक नहीं है, क्योंकि एल एस आर बी को छोड़कर हमने अन्य तीनों आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर में कोई डेटाबेस नहीं पाया जिसमें प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा तथा पैनल की प्रस्तावों को चयनित करने अथवा अस्वीकृत करने हेतु सिफारिशें हों तथा अयोग्य घोषित संस्थानों को प्रस्तावों के अस्वीकरण के कारणों को सूचित किए जाने की सूचना हो। यह इस तथ्य के मद्देनजर विशेषतौर से महत्वपूर्ण है कि 117 संस्थानों जिन्हें 299 परियोजनाएं दी गई थीं, उनमें से 37 का संबंध निजी संगठनों से था।

एग्जिट कान्फ्रेंस में यह आश्वासन दिया गया कि सभी आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्तावों, विशेषज्ञ पैनल द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति के कारणों का डेटाबेस रखा जाएगा।

डी आर डी ओ को चयन प्रक्रिया की ऑडिट ट्रेल तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, कुल प्राप्त, चयनित, अस्वीकृत परियोजना प्रस्तावों तथा यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए कि स्पर्धा ईमानदारी से हुई थी तथा सर्वोत्तम अनुदान सहायता प्रस्ताव चुने गये थे, उनके तुलनात्मक मूल्यांकन का एक डेटाबेस अवश्य रखना चाहिए।

7.2.4 समय अधिक्रमण

अनुदान सहायता परियोजनाएं सामान्यतः दो से पाँच वर्ष की सम्भावित समापन तिथि (पी डी सी) के साथ ली जाती हैं। आर बीज़ द्वारा रचित नियमों तथा रक्षा अनुदान सहायता योजना में प्रावधान है कि परियोजनाओं का मूल अवधि से आगे जारी रखना किए गए कार्य के उचित मूल्यांकन तथा आवश्यक न्यायसंगतता सिद्ध होने के पश्चात केवल अपवादात्मक हालातों में ही अनुमत होगा। अतः, समय की

¹⁰⁹ सक्षम वित्तीय प्राधिकारी उन वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के हवाले से निर्णीत होता है जिसमें परियोजना लागत/मूल्य आता है।

¹¹⁰ डी ई आर एण्ड आई पी आर के थ्रस्ट क्षेत्र है लो आब्जर्वेबल टेक्नोलॉजिज, गेलियम नाइट्राइड डिवाइसेज, सिलिकान कार्बाइड बेस्ड टेक्नोलॉजिज, टेक्नोलॉजिज फार सोलजर सॉफ्ट, नेनोटेक्नोलॉजिज, टैराहर्ज, सेन्सर्स, लेजर फंक्शनल मटिरियल्स, सौर ऊर्जा, मल्टीबैंड कनफार्मल एन्टिनाज, गैस टरबाइन टेक्नोलॉजिज हाईपरसोनिक्स, नेनोफोटोनिक्स, हाई एनर्जि मटिरियल्स, हाई पावर माइक्रोवेव, नेटवर्क सैन्ट्रिक ऑपरेशन्स, माइक्रो-इलैक्ट्रो-मेकेनिकल सिस्टम, हाई एफिसियेन्स एयरोडायनमिक्स तथा आरमर्ड फाईटिंग व्हीकल्स हेतु एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम।

वृद्धि उन मामलों में प्रदान की जानी होती है जिनमें समय वृद्धि की ओर ले जाने वाले हालात् अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) के नियंत्रण से परे हों।

तथापि, जुलाई 2014 में लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि विस्तार प्रधान अन्वेषक (पी आई) के अनुरोध पर नियमित रूप से प्रदान किया गया था। विलंबित मामलों की स्थिति नीचे दी गई तालिका-15 में दर्शायी गई है:

तालिका-15: परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

निदेशालय /बोर्ड	जाँची गई संपन्न परियोजनाओं की संख्या	समय अतिक्रमण वाली परियोजनाएं	विलंबित परियोजनाओं की प्रतिशतता	विलम्ब की अवधि		
				6 माह तक	6 से 12 माह तक	12 माह से अधिक
ए आर एण्ड डी बी	31	24	77.42	6	11	7
एन आर बी	59	47	79.66	18	18	11
आर्मेड	13	8	61.54	6	2	0
एल एस आर बी	42	20	47.62	8	11	1
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	22	53.66	13	7	2
योग	186	121	65.05	51	49	21

(स्रोत: ब्यौरे आर बीज़ / डी ई आर एण्ड आई पी आर की परियोजना फाइलों से प्राप्त किए गये।)

जाँच की गई 186 सम्पन्न हुई परियोजनाओं में से 121 (65 प्रतिशत) में समय अनुसूची का अनुसरण नहीं किया गया। 121 विलंबित परियोजनाओं में से 36 में कारणों का विश्लेषण किया गया तथा देखा गया कि:

- 25 परियोजनाओं में विलम्ब, डी आर डी ओ तथा जी आईज़ दोनों के आंतरिक कारणों से हुआ था क्योंकि निधियां जारी करने / प्रकाशन कार्य के पूरा होने/ रिपोर्ट तैयार करने में विलम्ब, इत्यादि, के कारण कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग नहीं किये जा सके, जो कि स्पष्ट रूप से परिहार्य था;
- 07 परियोजनाएं अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों के नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे कि उपकरण प्राप्त करने में विलम्ब/ प्रयोग के लिए वांछित विशिष्ट मदों की आपूर्ति में विलम्ब/मानिटर्सिंग समिति द्वारा बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र के कार्य को पूरा करना, इत्यादि, से विलम्बित हुई थी;
- 04 मामलों में पी आईज़ द्वारा विस्तार / विलम्ब के लिए कोई कारण नहीं बताए गए थे।

डी आर डी ओ ने समय अतिक्रमण को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि प्रगति रिपोर्ट के समय से प्रस्तुतिकरण, तीव्रतर पत्राचार, तथा परियोजना की स्थिति की मॉनिटरिंग हेतु इंटरनेट आधारित साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि अधिकांश मामलों में विलम्ब होने का संबंध विभिन्न आंतरिक कारणों से था, जो कि स्पष्ट रूप से परिहार्य थे तथा आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा विस्तार प्रधान अन्वेषक के अनुरोध पर, बिना कारण मांगे, नियमित रूप से दी गई थीं।

7.2.5 लागत अधिक्रमण

परियोजना प्रबंधन की क्षमता दिए हुए समय ढांचे एवं लागत में परियोजना परिणाम सौंपने से मापी जाती हैं। 186 संपन्न हुई परियोजनाओं की नवम्बर 2013 में जाँच से प्रकट हुआ कि 52 परियोजनाओं (28 प्रतिशत) में जैसा कि नीचे तालिका 16 में दर्शाया गया है, ₹ 1.27 करोड़ की लागत वृद्धि हुई:

तालिका:16 संपन्न हुई परियोजनाओं में लागत अधिक्रमण के ब्यौरे

निदेशालय/बोर्ड	जांची गई संपन्न परियोजनाओं की संख्या	लागत अतिक्रमण वाली परियोजनाएं	जांची गई परियोजनाओं में लागत अतिक्रमण के मामलों की प्रतिशतता	राशि (₹ लाख में)
ए आर एण्ड डी बी	31	4	12.90	12.40
एन आर बी	59	14	23.73	36.22
आर्मरेब	13	1	7.69	2.09
एल एस आर बी	42	20	47.62	51.48
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	13	31.71	24.63
योग	186	52	27.96	126.82

(स्रोत: डेटा/सूचना परियोजना फाइलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई।)

52 में से 33 मामलों के विस्तृत विश्लेषण से प्रकट हुआ कि परियोजनाओं की लागत में आरोही संशोधन बढ़ाई गई अवधि के दौरान अनुसंधान स्टाफ को दिए गए वेतन तथा वेतन में संशोधन तथा साथ-साथ उपभोग्य वस्तुओं/ रसायनों/उपकरणों की लागत के कारण हुआ था।

डी आर डी ओ ने उत्तर दिया कि लागत अधिक्रमण प्रयोगों तथा जूनियर रिसर्च फेलो/ सीनियर रिसर्च फेलो प्राप्त करने से संबंधित चुनौतियों के कारण था।

प्रेषित उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अनुसंधान स्टाफ की भर्ती के लिए अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान उत्तरदायी होगा तथा एक बार परियोजना की संबंधित आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्तुति हो जाने पर, संस्थान के पास काफी समय उपलब्ध होता है। आगे, परियोजना संस्वीकृत करते समय अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों की क्षमता की जांच करने तथा उनको जूनियर रिसर्च फेलो/ सीनियर रिसर्च फेलो प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय देने की जिम्मेदारी आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर की होती है।

डी आर डी ओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के उद्देश्य से रिसर्च बोर्डों द्वारा मानिट्रिंग को और अधिक कठोर तथा प्रभावशाली बनाया जाए ताकि निर्धारित कार्यविधियों तथा लागत, समय तथा डिलिवरेबल्स की कसौटियों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। नियमों के प्रति अपवाद केवल अपूर्व अपरिहार्य हालातों में ही अपनाए जाने चाहिए।

7.2.6 परियोजनाओं के वार्षिक लेखों में अनुदानों पर कमाए गए ब्याज को न दर्शाना

रिसर्च बोर्ड के अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) को अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार अनुदान राशि को एक समयावधि में खर्च करना होगा तथा इस प्रकार प्राप्त हुई राशि को ऐसे समय तक अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा तथा उस पर कमाया गया ब्याज, यदि कोई है, रिसर्च बोर्डों के अधिकार में आएगा। तथापि, डी ई आर एण्ड आई पी

आर, इसी तरह का उपबंध अथवा शर्त अपने अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र में शामिल नहीं कर रहा है।

अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा प्राप्त हुए अथवा कमाए गए ब्याज तथा इसे वार्षिक लेखों में दर्शाये जाने से संबंधित विवरण को नीचे तालिका-17 में दिया गया है:

तालिका :17 अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा प्राप्त/कमाए गए ब्याज तथा इसे उनके वार्षिक लेखों में दर्शाये जाने का विवरण

निदेशालय/बोर्ड	जाँची गई परियोजनाओं की संख्या	बचत बैंक खाता			परियोजनाओं की संख्या जिनमें अनुदान चालू बैंक खाते में जमा कराए गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें कोई सूचना नहीं दी गई	परियोजनाओं की प्रतिशतता जिनमें कमाए/प्राप्त किए गए ब्याज को नहीं दर्शाया गया
		ब्याज दर्शाया गया	दर्शाए गए ब्याज राशि (₹ लाख में)	ब्याज नहीं दर्शाया गया			
ए आर एण्ड डी बी	52	4	22.05	-	-	48	-
एन आर बी	88	23	18.67	35	30	-	60.34
आर्मरेब	15	-	-	-	-	15	-
एल एस आर बी	46	2	1.00	5	39	-	71.43
डी ई आर एण्ड आई पी आर	98	18	33.32	-	-	80	-
योग	299	47	75.04	40	69	143	61.54

(स्रोत: डेटा/ सूचना परियोजना फाईलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्योरों से ली गई।)

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि:

- आर बीज़ के नियमों/ संस्वीकृति पत्र में खातों के प्रकारों, जिनमें पैसा रखा जाएगा, को न दर्शाए जाने की बाबत अस्पष्टता है जिसके परिणामस्वरूप 87(47+40) परियोजनाओं (29 प्रतिशत) में जी आईज़ द्वारा अनुदान बचत बैंक खाते (एस बी ए) में जमा कराई जा रही थी तथा ₹ 75.04 लाख के कमाए गए ब्याज को जी आईज़ के अपने-अपने वार्षिक लेखों में दर्शाया गया था, जबकि 40 परियोजनाओं में, प्राप्त हुए ब्याज को वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया था।
- 69 परियोजनाओं (23 प्रतिशत) में, संस्वीकृति पत्र में यह स्पष्ट नहीं किए जाने के कारण कि किस बैंक खाते में अनुदानों की राशि जमा की जानी चाहिए, जी आईज़ द्वारा अनुदान को चालू बैंक खाते (सी बी ए) में जमा कराया जा रहा था तथा, इस प्रकार ब्याज कमाने का अवसर खो दिया गया।
- शेष बची 143 परियोजनाओं (48 प्रतिशत) के बारे में योजना के तहत दिए गए अनुदानों पर प्राप्त/ कमाये गए ब्याज, जी आईज़ द्वारा रखे जा रहे बैंक खाते के प्रकार तथा जी आईज़ द्वारा अनुदानों पर कमाए गए ब्याज को वार्षिक लेखों में दर्शाए जाने से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लेखापरीक्षा में उजागर किए जाने पर, डी ई आर एण्ड आई पी आर ने उत्तर दिया कि केवल उन परियोजनाओं में ब्याज दर्शाया नहीं गया था जिनमें संस्थान के पास एक चालू बैंक खाता था तथा इस बिंदु को भविष्य हेतु नोट कर लिया गया है। ए आर एण्ड डी बी, आर्मरेब तथा एन आर बी सभी ने बताया कि लेखापरीक्षा टिप्पणी के लागूकरण/अनुपालन हेतु सभी जी आईज़ को एक पत्र लिखा जा रहा है। एल एस आर बी ने कहा कि वह संस्वीकृति पत्रों के माध्यम से संस्थानों से नियमित रूप से आग्रह कर रहा है कि वे अनुदानों को एक अलग बचत बैंक खाते से संचालित करें, जहाँ कुछ संस्थान अनुपालन कर रहे हैं वहीं कुछ अभी भी नहीं कर रहे हैं, संभवतया वे अपनी नीति का कठोरता से

अनुसरण कर रहे हैं तथा वह नई परियोजनाएं संस्वीकृत करते समय अभी भी इसी बात पर जोर दे रहा है। तथापि, उत्तर की इसके लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि के दौरान जारी किए गए अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्रों से संपुष्टि नहीं हुई।

उपरोक्त के विपरीत, डी आर डी ओ ने सितंबर 2014 में आगे बताया कि आई आई टीज़ तथा कुछ संस्थान अपने स्वयं के नियमों का अनुसरण करते हैं तथा अनुदानों को सी बी ए में जमा करते हैं। आगे, डी ई आर एण्ड आई पी आर बाद की निधियां जारी करने के दौरान ब्याज की राशि को घटाता रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डी आर डी ओ ने इस बात को आवश्यक नहीं समझा कि वह अपने आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर को अनुदेश जारी करे कि राशि को एक बचत बैंक खाते में रखने हेतु एक अनुबन्ध स्वयं संस्वीकृति पत्र में ही शामिल किया जाए ताकि उचित ब्याज प्राप्त हो सके। आगे, क्योंकि अनुदान आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा दिए जा रहे हैं, यह तर्क कि जी आईज़ अपने स्वयं के नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, मान्य नहीं है।

इस बात पर विचार करते हुए कि अलग-अलग प्रथाओं का अनुसरण किया जा रहा है आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के नियमों में जी आईज़ द्वारा उचित लेखांकन हेतु अलग बचत बैंक खाता खोलने तथा अनुदान सहायता खाते पर अर्जित ब्याज को दर्शाये जाने की बाबत एक विशेष उल्लेख होना चाहिए।

7.2.7 लेखों के प्रमाणन की अनुचित प्रणाली

जी एफ आर के नियम 211(1) के अनुसार, जी आईज़ के लेखे दोनों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा तथा मंत्रालय अथवा विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा, हेतु उपलब्ध रहेंगे। तथापि, आर बीज़ तथा रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों के अनुसार, जी आईज़ द्वारा रखे जा रहे सभी लेखे उनके अपने लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन होंगे। परियोजना की समाप्ति पर संपूर्ण परियोजना/योजना के लेखे लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् लेखापरीक्षा के उपरान्त प्रस्तुत किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 186 संपन्न हुई परियोजनाओं में से जी आईज़ ने 118 मामलों में अपने लेखे अपने आंतरिक वित्तीय खण्ड /लेखा अधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षित कराए थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट (सी ए) अथवा बाहरी लेखापरीक्षक के माध्यम से लेखापरीक्षित लेखों के अभाव में लेखों के ईमानदारीपूर्ण प्रमाणन का आश्वासन प्राप्त नहीं होता है।

तालिका- 18: लेखापरीक्षित/गैर-लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण के ब्यौरे

निदेशालय/बोर्ड	जाँची गई संपन्न हुई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति की कुल राशि (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या जिनमें लेखे सीए/बाहरी लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित कराए गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें लेखे जी आई के आंतरिक वित्तीय स्कंध द्वारा प्रमाणित कराए गए थे	आंतरिक वित्तीय स्कंध द्वारा प्रमाणित कराए गए लेखों की प्रतिशतता
ए आर एण्ड डी बी	31	14.09	4	27	87.10
एन आर बी	59	21.78	28	31	52.54
आर्मरेब	13	3.56	7	6	46.15
एल एस आर बी	42	13.30	14	28	66.67
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	56.51	15	26	63.41
योग	186	109.24	68	118	63.44

स्रोत: डेटा/सूचना परियोजना फाईलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि यद्यपि लेखापरीक्षित लेखे सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से प्राप्त होते हैं, परंतु संस्थानों की लेखापरीक्षा के कारण लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब हो जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आर बीज़ के नियम भी जी एफ आर के नियम 211(3) के प्रावधानों के क्रम में नहीं है, जिसके अन्तर्गत लेखों को एक बाहरी लेखापरीक्षक/सी ए द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना होता है। जिसकी अनुपस्थिति में सार्वजनिक निधि हेतु रखे जाने वाले लेखों का निष्पक्ष प्रमाणन सुनिश्चित नहीं होता है।

डी आर डी ओ को बाहरी तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित प्राधिकारी द्वारा लेखों के प्रमाणन हेतु कठोर नियम विद्यमान हैं।

7.2.8 विलंबित तथा अपूर्ण परियोजना समापन प्रतिवेदन

रक्षा अनुदान सहायता योजना/ अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र के अनुसार, परियोजना के संपन्न होने/समाप्ति पर ए आर एण्ड डी बी, आर्मरेब तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के संबंध में 60 दिनों के भीतर तथा एल एस आर बी तथा एन आर बी के संबंध में 90 दिनों के भीतर सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों तथा वित्तीय सूचना के साथ एक समेकित समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। समापन प्रतिवेदन में परियोजना, सॉफ्टवेयर क्रियाकलाप, लेखों के अन्तिम विवरण, परियोजना के अन्तर्गत खरीदे गए उपकरणों की सूची, उपकरणों को अपने पास रखे जाने हेतु अनुरोध, उपयोग में न लाई गई निधियों के संबंध में वापसी/ डिमांड ड्राफ्ट के बारे में सूचना, परियोजना में मौलिक रूप से शामिल किए गए उद्देश्यों के प्रति हासिल की गई सफलताओं तथा परिणामों के उपयोग की बाबत पूर्ण/ पर्याप्त तकनीकी ब्यौरे शामिल होने चाहिए।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद जैसा कि नीचे तालिका-19 में दर्शाया गया है, हमने पाया कि पी आईज़ द्वारा परियोजना समापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे थे:

तालिका-19: परियोजना समापन प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब का विवरण

निदेशालय/बोर्ड	संपन्न परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या जिनमें समापन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें पी आईज़ द्वारा समापन प्रतिवेदन विलकुल नहीं भेजे गए थे	परियोजनाओं की संख्या जिनमें परियोजना समापन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब शामिल था	विलम्ब की रेंज		
					6 माह से कम की	6 माह से लेकर 12 माह से कम की	12 माह या अधिक की
ए आर एण्ड डी बी	31	05	12	14	08	08	10
एन आर बी	59	08	21	30	15	13	23
आर्मरेब	13	04	0	09	05	03	01
एल एस आर बी	42	09	07	26	15	10	08
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	06	17	18	21	05	09
योग	186	32	57	97	64	39	51
				154		154	

स्रोत: डेटा/ सूचना परियोजना फाईलों तथा डी आर डी ओ द्वारा प्रेषित ब्यौरों से ली गई।

दिसम्बर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच से उजागर हुआ कि:

- जाँची गई 186 संपन्न परियोजनाओं में से 57 (31 प्रतिशत) में पी आईज़ ने पी डी सी की समाप्ति से 12 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद, समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए। तथापि, एक परियोजना में जी आई ने जो अक्टूबर 2007 में संस्वीकृत की गई थी तथा जिसे अक्टूबर 2009 में पूर्ण होना था, पाँच वर्ष बीत जाने के बावजूद भी समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया (सितम्बर 2014)।
- 186 परियोजनाओं में से 97 (52 प्रतिशत) में समापन प्रतिवेदन छः माह से लेकर 12 माह से अधिक समय के विलम्ब के साथ प्रस्तुत किए गए थे।
- समापन प्रतिवेदन के अभाव में अथवा प्रगति प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण, परियोजना में मौलिक रूप से उल्लिखित उद्देश्यों के प्रति प्राप्त सफलताओं तथा निधियों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- परियोजना समापन प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के अलावा जी आईज़ ने अपूर्ण समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि 73 मामलों में इनवेंटरी तथा 85 मामलों में खर्च न हुई राशि के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

डी आर डी ओ ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया कि जी आईज़ को बार-बार अनुस्मारक जारी करके परियोजना समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

प्रेषित उत्तर सामान्य है क्योंकि संस्थानों/ विश्वविद्यालयों को आगे अनुदान सहायता देने से वर्जित किया जाना चाहिए था, क्योंकि समापन प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिससे किए गए अनुसंधान तथा प्राप्त किए गए उद्देश्यों का पता चलता है, जिसके अभाव में परियोजना के परिणाम को मापा नहीं जा सका। आगे, उपकरणों का निपटान, खर्च न हुए शेष की वापसी तथा लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना परियोजना समापन प्रतिवेदन के अभाव में लंबित रह जाता है।

उल्लिखित महत्व के मद्देनजर आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को मॉनिटर करना चाहिए जिससे जी आईज़ द्वारा परियोजना समापन प्रतिवेदन के समय से प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित किया जा सके।

7.2.9 खर्च न हुए शेष की गैर-वापसी

रिसर्च बोर्डों के अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान (जी आई) को अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, जी आई द्वारा परियोजना के सम्पन्न होने पर खर्च न हुए शेष को वापस किया जाना चाहिए। आगे, डी ई आर एण्ड आई पी आर के अनुदान संस्वीकृत करने वाले पत्र के अनुसार, परियोजना की समाप्ति पर, जी आईज़ के पास बचा हुआ पैसा डी आर डी ओ को वापस किया जाएगा।

दिसंबर 2013 में लेखापरीक्षा ने देखा कि 186 संपन्न हुई परियोजनाओं में से केवल 72 (39 प्रतिशत) में ही जी आईज़ ने परियोजनाएं संपन्न होने पर खर्च न हुए ₹ 1.64 करोड़ के शेष को वापस किया था। 85 मामलों (45.7 प्रतिशत) के संबंध में डी बी एफ ए/डी आर डी ओ के पास खर्च न हुई राशि के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे। यह जी आईज़ का कर्तव्य होता है कि वे प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखे तथा परियोजना की समाप्ति पर अन्तिम लेखे प्रेषित करें परन्तु डी आर डी ओ/डी बी एफ ए इस प्रावधान का अनुपालन कराने में असफल रहे जिससे जी आईज़ के पास खर्च न हुए शेष का धारण जारी रहा।

डी आर डी ओ ने अपने उत्तर में कहा कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान परियोजनाएं संपन्न होने के पश्चात् शेष बची राशि वापस कर देते हैं। तथापि, कुछ मामलों में यह असाधारण रूप से विलम्बित हो जाता है।

उत्तर विशिष्ट नहीं है तथा केवल सामान्य टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं, क्योंकि आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या परियोजना समापन पर खर्च न हुआ शेष, यदि कोई है, निर्धारित समय के भीतर वापस तथा सरकारी खाते में जमा किया जाए।

सरकारी हित की सुरक्षा के लिए यह संस्तुति की जाती है कि डी बी एफ ए, आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना के संपन्न होने पर खर्च न हुई शेष राशियों को जी आईज़ द्वारा अन्तिम लेखे प्रस्तुत करते समय दर्शाया जाए तथा समय से वापस किया जाए, जिसके न किए जाने पर दंडात्मक ब्याज प्रभारित करने का एक प्रावधान होना चाहिए।

7.2.10 जी आईज़ द्वारा इनवेंटरी के ब्यौरों का गैर-प्रस्तुतिकरण तथा उपकरणों का स्वयं के पास रखना

जी एफ आर का नियम 215 (3) (1) कहता है कि परियोजना अथवा योजना के संपन्न होने पर तकनीकी तथा वित्तीय प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता के अलावा, प्रायोजित परियोजनाओं में एक अनुबन्ध शामिल किया जाना चाहिए कि ऐसी निधियों से सृजित अथवा अर्जित भौतिक तथा बौद्धिक परिसंपत्तियों पर स्वामित्व प्रायोजक में निहित होगा। जी एफ आर का नियम 215 (3) (2) कहता है कि परियोजनाओं अथवा योजनाओं के संपन्न होने तथा तकनीकी एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, मंत्रालयों अथवा विभागों को इस बाबत निर्णय लेना चाहिए तथा कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों को सूचित करना चाहिए कि क्या परिसंपत्तियाँ वापस लौटाई जानी चाहिए, बेची जानी चाहिए अथवा उनके द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए। जी एफ आर का नियम 215 (3) (3) कहता है कि यदि परिसंपत्तियाँ बेची जानी हैं तो इससे प्राप्त पैसा प्रायोजक के खाते में जमा किया जाना चाहिए। यदि परिसंपत्तियों को संस्थान/संगठन द्वारा अपने पास रखा जाना अनुमत होता है तो कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियों को परिसंपत्तियाँ अपने खातों में अंकित मूल्य पर दर्ज करनी चाहियें।

आगे, आर बीज़ के नियम में प्रावधान है कि अनुदान सहायता से खरीदे गए उपकरणों के सभी इनवेंटरी ब्यौरे अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा एक निर्धारित फार्मेट में जिसमें उसकी लागत, खरीद की तिथि तथा आपूर्तिकर्ता का नाम, इत्यादि के साथ उपकरण का वर्णन (उपयोग्य अथवा गैर-उपयोग्य है) अनुदान प्राप्तकर्ता के लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणन के साथ कि आवश्यक पड़ताल कर ली गई है तथा इनवेंटरी सही पाई गई है, आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को भेजे जाने चाहिए। नियम यह भी कहते हैं कि उपकरण/ फालतू सामान संबंधित बोर्ड/ निदेशालय की संपत्ति होगा, जो परियोजनाओं के समापन पर भविष्य में उनके हस्तांतरण अथवा निपटान के लिए उत्तरदायी होंगे। बोर्ड /निदेशालय अनुदान प्राप्तकर्ता के लिखित अनुरोध तथा संबंधित रिसर्च पैनल की सिफारिश के आधार पर कुछ अथवा सभी उपकरणों के संबंधित संस्थान को पूर्ण रूप से हस्तांतरण हेतु सहमत हो सकता है।

जांची गई 186 संपन्न परियोजनाओं में संयंत्रों तथा उपकरणों (पी एण्ड ईज़) की खरीद पर किए गए व्यय के ब्यौरे तथा पी एण्ड ईज़ की सूचना जो अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा नहीं भेजी गई नीचे तालिका-20 में दर्शाया गई है:

तालिका - 20: जी आईज़ द्वारा प्रेषित पी एण्ड ईज़ की इनवेंटरी के रिसर्च बोर्ड/ निदेशालय-वार ब्यौरे

निदेशालय/बोर्ड	संपन्न हुई परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृति की कुल राशि (₹ करोड़ में)	संस्वीकृतियों में उपकरणों के लिए शामिल की गई राशि (₹ करोड़ में)	उपकरणों की खरीद पर व्यय (₹ करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या जिनमें जी आई द्वारा इनवेंटरी ब्यौरे नहीं भेजे गए	परियोजनाओं की प्रतिशतता जिनमें इनवेंटरी ब्यौरे नहीं भेजे गए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ए आर एण्ड डी बी	31	14.09	7.02	5.71	16	51.61
एन आर बी	59	21.78	10.07	9.1	18	30.51
आर्मरेब	13	3.56	1.43	1.61	2	15.38
एल एस आर बी	42	13.30	3.38	2.90	28	66.67
डी ई आर एण्ड आई पी आर	41	56.51	25.91	26.28	9	21.95
योग	186	109.24	47.81	45.60	73	39.25

स्रोत: डेटा/सूचना डी आर डी ओ की फाइलों से ली गई

दिसम्बर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच में उजागर हुआ कि:

- जी आईज़ ने 186 संपन्न हुई परियोजनाओं में से, 73 में खरीदे गए पी एण्ड ईज़ के विवरण नहीं भेजे जिससे डी आर डी ओ द्वारा भुगतान किए गए अनुदान के पैसे का पर्याप्त रूप से लेखांकन नहीं हुआ;
- प्रायोजित परियोजनाओं के संस्वीकृति पत्र में कोई अनुबन्ध नहीं था कि सृजित भौतिक परिसंपत्तियों पर स्वामित्व डी आर डी ओ में निहित होगा।
- 186 संपन्न हुई परियोजनाओं के संबंध में, पी एण्ड ईज़ की अधिप्राप्ति के लिए ₹ 47.81 करोड़ की राशि का प्रबंध किया गया था तथा जिसके प्रति अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा जैसा कि उनके लेखों में दर्शाया गया था ₹ 45.60 करोड़ का व्यय किया गया था।
- जी आईज़ ने 51 मामलों में नियम के विपरीत, उपकरण अपने पास रखने का अनुरोध किया जिसमें से जाँचे गए रिकार्ड के अनुसार 31 मामलों में रखने हेतु आर बीज़ / डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा अनुमति दी गई तथा शेष 21 मामलों में निपटान फ़ैसला नहीं दिया गया। 135 परियोजनाओं में, उपकरणों के स्वयं द्वारा धारण को दर्शाने वाले कोई ब्यौरे रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे। आर बीज़/डी ई आर एण्ड आई पी आर ने नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

डी आर डी ओ ने अपने उत्तर में बताया कि सभी परियोजनाओं में जी आईज़ द्वारा खरीदे गए पी एण्ड ईज़ का ब्यौरा संस्थान के प्रशासनिक प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ फॉर्म जी एफ आर -19 में प्रस्तुत किया जाता है।

डी आर डी ओ का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका-20 से दृष्टिगोचर है, 186 जी आईज़ में से 73 जी आईज़ ने किसी भी फॉर्म में इनवेंटरी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे। आगे 135 मामलों में जी आईज़ ने पी एण्ड ईज़ को अपने पास रखने की अनुमति नहीं मांगी थी तथा इन मामलों में आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर ने जी आईज़ पर जोर नहीं डाला कि वे पी एण्ड ईज़ को अपने पास रखने के लिए अनुरोध भेजें। आर बी/ डी ई आर एण्ड आई पी आर ने, लागत सहित, खरीदे गए पी एण्ड ईज़ तथा साथ-साथ जी आईज़ की आवश्यकता से अधिक पी एण्ड ईज़ तथा उनके निपटान का विवरण मांगा जाना भी सुनिश्चित नहीं किया।

उचित लेखांकन तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर को जी आईज़ द्वारा अपने पास रखे जाने वाले पी एण्ड ईज़ का डेटाबेस रखना चाहिए। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा उपकरण का निपटान इस शर्त से बंधा होना चाहिए कि उससे प्राप्त पैसे को बिना हेर फेर के सरकार को वापस किया जाए तथा अन्य संगठनों को हस्तांतरण केवल डी आर डी ओ की पूर्व अनुमति से ही किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जी आईज़ द्वारा खरीदे गए पी एण्ड ईज़ को बिना हेर फेर के आवश्यक फॉर्मेट में उसके मूल्य के साथ दर्शाया गया है।

7.2.11 योजना का परिणाम

रक्षा अनुदान सहायता योजना के तहत केवल उन्हीं परियोजनाओं अथवा योजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी जो वास्तविक वैज्ञानिक महत्व तथा रक्षा हित की हों। आगे, नियम कहते हैं कि कार्य से प्राप्त परिणाम तथा कोई भी आविष्कार अथवा पेटेंट डी आर डी ओ की संपत्ति होंगे जिसका इस बात पर निर्णय लेने का कि परिणाम का प्रकाशन तथा व्यवसायिक रूप से दोहन किया जाना चाहिए अथवा नहीं और यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर, एक तरफा अधिकार होगा। विकसित किए गए नये उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी ओ टी) आत्म-निर्भरता तथा क्षेत्र विशेष में आयात को कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। अनुदान सहायता की बाबत रिसर्च बोर्ड के नियमों के अनुसार, टी ओ टी की औपचारिकताओं पर फैसला नो-हाऊ ट्रांसफर/टी ओ टी कमीटी, जिसमें परियोजना प्रायोजित करने वाले संबंधित पैनल कोऑर्डिनेटर, परियोजना का प्रधान अन्वेषक, अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के प्रतिनिधि तथा रिसर्च बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं के आधार पर लिया जा सकता है। नो-हाऊ कॅमिटी अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर टी ओ टी की औपचारिकताओं पर विचार करेगी।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि किसी भी रिसर्च बोर्ड/ डी ई आर एण्ड आई पी आर के अन्तर्गत डी आर डी ओ की रक्षा अनुदान सहायता योजना से कभी भी कोई भी पेटेंट/टी ओ टी अभी तक परिणामी रूप से उत्पन्न नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में विश्वस्तरीय उपकरण/ प्रणाली के विकास हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए अनुदान सहायता योजना से कोई मूर्त वैज्ञानिक महत्व के योगदान मिलने की संपुष्टि नहीं हो सकी।

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि टी ओ टी आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के संबंध में लागू नहीं होता है क्योंकि संस्वीकृत की गई परियोजनाएं मौलिक अनुसंधान क्षेत्रों में होती हैं तथा सामान्यतः प्रौद्योगिकी विकास के रूप में फलीभूत नहीं होती हैं। पेटेंट फाईलिंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर विशिष्ट नहीं है क्योंकि संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को वैज्ञानिक महत्व की परियोजनाएं रक्षा आवश्यकताओं हेतु दी जाती हैं तथा अनुसंधान के तकनीकी परिणाम डी आर डी ओ के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में सहायक हो सकते थे। आगे, उनके अपने नियमों में पेटेंट/ टी ओ टी का प्रावधान है, तथापि, योजना के लिए निधियाँ जारी करते समय, परियोजना संस्वीकृति पत्रों में विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान से प्राप्त होने वाले मूर्त परिणाम कि बाबत कोई उपबंध सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे, विश्वविद्यालयों/संस्थानों की अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने के मद्देनजर सम्पन्न हुई परियोजनाओं पर सार-संग्रह सामने लाए जाने तथा प्रयोगशालाओं को भेजे जाने का कोई प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

7.2.12 रक्षा अनुदान सहायता योजना की मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण

रक्षा मंत्रालय ने डी आर डी ओ के लिए रक्षा अनुदान सहायता योजना अप्रैल 1969 में आरम्भ की। लेखापरीक्षा जाँच के दौरान हमने देखा कि रिसर्च बोर्ड तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर के कार्य तथा

प्रबंधन का कोई नियमित मूल्यांकन नहीं किया गया था। योजना की शुरुआत से केवल एक पुनरीक्षा बैठक एस ए टू आर एम की अध्यक्षता में अगस्त 2011 में हुई थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सुझाव दिए गए कि:

- i. एक प्रभावशाली पुनरीक्षा प्रक्रिया लागू किए जाने की आवश्यकता है;
- ii. बोर्ड तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर में संस्वीकृत परियोजनाओं को दोहराये जाने से बचने के लिए क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए;
- iii. संपन्न हुई परियोजनाओं पर बोर्ड द्वारा एक सार-संग्रह निकाले जाने तथा उचित उपयोग हेतु प्रयोगशालाओं में प्रचारित किए जाने की पूर्ण आवश्यकता है;
- iv. डी आर डी ओ के लिए द्रोणा¹¹¹ के माध्यम से शेयर किए जाने योग्य एक सैन्ट्रल डेटाबेस सृजित तथा शेयर किया जाना चाहिए।

मंत्रालय/ डी आर डी ओ द्वारा योजना की किसी पुनरीक्षा की अनुपस्थिति में, हमने देखा कि उचित बजट निस्मरण प्रणाली का न होना, समेकित तथा विस्तृत डेटाबेस के बिना परियोजनाओं को चयनित तथा संस्वीकृत करना, परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होना, लागत अतिक्रमण, अनुदानों से अर्जित ब्याज को न दर्शाना, जी आईज़ द्वारा आर बीज़/ डी ई आर एण्ड आई पी आर के अनुमोदन के बिना डी एण्ड ईज़ को अपने पास रखना तथा योजना के तहत लिए गए अनुसंधान कार्यों के परिणाम पर डेटा का अभाव, जैसी कमियाँ थीं।

डी आर डी ओ ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया कि प्रभावशाली पुनरीक्षा प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है तथा सुधार के लिए उपाय अपनाए जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बताए गए सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय-ढाँचा निर्धारित नहीं किया गया था, इस प्रकार योजना की प्रभावी पुनरीक्षा हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

7.3 डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत परियोजनाएं

डी आर डी ओ का 01 जनवरी 1958 को सृजन होने पर, एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (ई आर) कार्यकलापों का निष्पादन समकालीन प्रशिक्षण एवं प्रायोजित अनुसंधान निदेशालय (डी टी एस आर) के सौजन्य से हो रहा था। डी आर डी ओ की ई आर के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के तहत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप बौद्धिक संपत्ति अधिकार (आई पी आर) की प्रासंगिकता के कारण, 01 मई 2000 को एक अलग एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च एण्ड इंटरलैक्चुअल राइट्स निदेशालय (डी ई आर एण्ड आई पी आर) का सृजन किया गया। तथापि, इस निदेशालय के सृजन से संबंधित मंत्रालय की संस्वीकृति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। डी ई आर एण्ड आई पी आर द्वारा संस्वीकृत परियोजनाओं में से कुछ में नोटिस की गई अनियमितताओं पर नीचे चर्चा की गई है:

मामला-1: हैदराबाद विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस-एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जिमैटिरियल्स (ए सी आर एच ई एम)का अनियमित सृजन

रक्षा अनुदान सहायता के नियमों में प्रावधान है कि अनुसंधान एवं विकास संगठन एक अनुसंधान प्रयोगशाला में मूल सुविधाओं के निर्माण हेतु सहायता के लिए आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता है।

¹¹¹ द्रोणा का विस्तृत रूप डी आर डी ओ रैपिड ऑनलाइन नेटवर्क एक्सेस सिस्टम है जिसमें एक मेल सर्वर तथा फायरवाल सर्वर होता है।

मार्च 2005 में रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद विश्वविद्यालय (यू ओ एच) से एक एडवांस्ड सेंटर आफ रिसर्च इन हाई एनर्जिमैटिरियल्स स्थापित करने हेतु प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर, हैदराबाद विश्वविद्यालय (यू ओ एच) को यू ओ एच की एक अलग एन्टिटी के रूप में, एडवांस्ड सेंटर फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जिमैटिरियल्स (ए सी आर एच ई एम) के सृजन के लिए ₹ 34.79 करोड़ की अनुदान सहायता संस्वीकृत की। परियोजना मार्च 2010 तक पूर्ण की जानी थी जिसे मई 2011 तक बढ़ा दिया गया था। संस्वीकृति में ₹ 13.35 करोड़ का उपकरणों, ₹ 2.04 करोड़ का इमारत, ₹ 2.50 करोड़ का पुस्तकालय, ₹ 4.78 करोड़ का रख-रखाव तथा शेष ₹ 12.12 करोड़ का विभिन्न प्रशासनिक लागतों तथा उपरिव्ययों हेतु प्रावधान किया गया था।

09 मार्च 2005 को डी आर डी ओ तथा यू ओ एच के बीच पाँच वर्षों के लिए एक सहयोग ज्ञापन (एम ओ सी) लिखा गया। तथापि, फेज-1 का ₹ 34.64 करोड़ के अनुदान के प्रति ₹ 38.99 करोड़ खर्च करने के बाद मई 2011 में समापन हुआ, जिससे, मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना, ₹ 4.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

नवम्बर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित उजागर हुआ:

- रक्षा अनुदान सहायता से ₹ 4.47 करोड़ की लागत से इमारत/आधारभूत सुविधाओं का सृजन हुआ जो योजना के नियमों के विरुद्ध था।
- एक वर्ष से अधिक का समय अधिक्रमण तथा संस्वीकृत राशि के उपर ₹ 4.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इमारत के सृजन पर टिप्पणियाँ प्रेषित करते हुए डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि प्रस्ताव योजना ढाँचे के अन्तर्गत आता है तथा अतिरिक्त व्यय हेतु मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमों के अनुसार अनुसंधान परियोजना हेतु अनुदान उन संस्थानों को दिया जाता है जिनके पास आवश्यक मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तथापि, एक विश्वविद्यालय में रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों के उल्लंघन में मूल/ आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करके, अलग एन्टिटी के रूप में एक स्वायत्त सेंटर आफ एक्सिलेंस का सृजन किया गया। आगे, संस्वीकृत लागत के अग्र ₹ 4.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

मामला - II: परियोजना का पूर्वसमापन

जी एफ आर का नियम 21 कहता है कि किसी भी प्राधिकारी को अपनी व्यय संस्वीकृत करने की शक्तियों का उपयोग ऐसा कोई आदेश जारी करने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके स्वयं के लाभ के लिए हो।

रक्षा अनुदान सहायता परियोजनाएं उन संस्थानों को दिया जाना वांछित होता है जिनके पास कार्य के लिये मूल अनुसंधान सुविधाएं तथा आवश्यक सक्षमता तथा प्रासंगिक तकनीकी पृष्ठभूमि रखने वाला स्टाफ उपलब्ध हो।

जुलाई 2010 में सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) ने, सी आर राव एडवांस्ड इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइंस (ए आई एम एस सी एस) हैदराबाद के प्रतिनिधियों तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर (डी आर डी ओ मुख्यालय) के बीच जून 2010 में हुई चर्चा के आधार पर मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट (एम आई एम ओ) रडार पर ₹ 2.88 करोड़ की लागत पर

सितम्बर 2013 की पी डी सी के साथ तीन वर्ष के लिए ए आई एम एस सी एस¹¹² द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु एक परियोजना संस्वीकृत की, जबकि संस्थान को पहले वर्ष के लिए ₹ 90.30 लाख की किस्त सितम्बर 2010 में दे दी गई।

तथापि, परियोजना सलाहकार समिति (पी ए सी)¹¹³ की सिफारिशों के आधार पर प्रमुख नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (सी सी आर एण्ड डी) ने जून 2012 में परियोजना को मानवशक्ति के अभाव के आधार पर पूर्व समाप्त कर दिया।

अक्टूबर 2013 में लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित सामने आया:

- परियोजना, सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) द्वारा संस्वीकृत की गई थी, तथापि, इसका पूर्व समापन निचले सक्षम वित्तीय प्राधिकारी अर्थात् डी आर डी ओ मुख्यालय में सी सी आर एण्ड डी द्वारा रिसर्च फेलोज की कमी के आधार पर कर दिया गया, जो कि प्रमाणित करता है कि आवश्यक सक्षमता तथा प्रासंगिक तकनीकी पृष्ठभूमि वाले स्टाफ की उपलब्धता, जैसाकि नियमों के अन्तर्गत वांछित है, सुनिश्चित नहीं की गई थी। परियोजना के पूर्व-समापन का परिणाम न केवल परियोजना के वांछित उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति में, बल्कि ₹ 62.05 लाख तक के व्यर्थ व्यय में भी हुआ।
- प्रसंगवश, यह देखा गया कि परियोजना सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास) / डी जी डी आर डी ओ/ एस ए टू आर एम द्वारा संस्वीकृत की गई थी, जो संस्थान की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष तथा संस्थान के मामलों के संचालन के लिए जिम्मेदार एसोशिएशन का उपाध्यक्ष भी था।

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि जब परियोजना को सौंपा गया था तब इसके पास अनुसंधान क्षेत्र में विशेषज्ञ मौजूद थे, परन्तु पी आई ने संस्थान को छोड़ दिया, जिससे परियोजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। वैकल्पिक विशेषज्ञ का पता लगाने की बाबत किए गए प्रयत्न, असफल रहे। प्रयोगशाला से संसाधनों को बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया था परन्तु परियोजनाओं में प्रगति न हो सकी। आगे, सचिव, रक्षा (अनुसंधान एवं विकास)/ डी जी डी आर डी ओ/ एस ए टू आर एम सोसायटी के अध्यक्ष थे, जो कि शुद्ध रूप से एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक को दी जाने वाली एक अवैतनिक पदवी है तथा वह सोसायटी के दिन प्रति दिन के कार्यकलापों में शामिल नहीं होता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के नियमों की शर्तों के अनुसार परियोजना केवल उन विश्वविद्यालयों/ संस्थानों को संस्वीकृत की जाएगी जहाँ उपकरणों/कार्मिकों के रूप में मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं, परियोजना नियम का उल्लंघन करके संस्थान को दी गई थी जिसके पास रिसर्च फेलोज नहीं थे तथा परियोजना को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुँचाए बिना पूर्व-समाप्त कर दिया गया था। तथ्य यही है कि मंत्रालय ने निधियाँ एक निजी सोसायटी को संस्वीकृत तथा जारी कीं, जो संस्वीकृत परियोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त रिसर्च फेलोज को अपने पास रखना सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसका परिणाम परियोजना के पूर्व-समापन के कारण व्यर्थ व्यय में हुआ। आगे, परियोजना को स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी संस्थान की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष का पद धारण किए हुए था।

मामला - III: एक अध्ययन हेतु परियोजना संस्वीकृत करना

मंत्रालय ने अप्रैल 2008 में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (एन आई ए एस) बंगलौर को, जो कर्नाटक सोसायटीज रजिस्ट्रेशन रेग्युलेशन एक्ट 1960 के तहत पंजीकृत एक निजी संस्थान है,

¹¹² आंध्र प्रदेश सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत एक निजी संस्थान

¹¹³ डी ई आर एण्ड आई पी आर, डी आर, डी ओ की प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमिटी।

₹ 4.72 करोड़ की लागत से पाँच वर्ष के लिए “राष्ट्रीय सुरक्षा के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयाम” पर एक परियोजना संस्वीकृत की। परियोजना की पी डी सी जून 2013 तक थी जिसे बाद में एक वर्ष से बढ़ाकर जून 2014 तक कर दिया गया। परियोजना के कार्यक्षेत्र में, जो कि नीचे उल्लेखित है, अन्य देशों के युद्ध-कूटनीति के क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं पर अध्ययन, विश्लेषण तथा रिपोर्ट करना शामिल था:

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं का आंकलन;
- बेलिस्टिक मिसाइलों पर एन आई ए एस के कार्य की अपडेटिंग तथा समेकन;
- नाभिकीय हथियार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका;
- सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सैटेलाइट तस्वीरों तथा अन्य डेटा का उपयोग करके सेन्सिटिव इंस्टालेशन की पहचान तथा आंकलन; तथा
- सुरक्षा तथा युद्ध-कूटनीति से संबंधित विषयों पर संवाद तथा चर्चाओं की व्यवस्था करना।

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- रक्षा अनुदान सहायता योजना वैज्ञानिक महत्व तथा अधिमानतः रक्षा हित के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु आरम्भ की गई थी। तथापि, उपरोक्त विषयों पर अध्ययन के लिए परियोजना का रक्षा अनुदान सहायता योजना के तहत संस्वीकृत किया जाना न्याय संगत नहीं था।
- अध्ययन परियोजना का संस्वीकृत किया जाना डी ई आर एण्ड आई पी आर के अधिदेश में नहीं आता है।

डी आर डी ओ ने उत्तर में बताया कि ये परियोजनाएं जो वर्तमान में उपलब्ध तथा शत्रुओं द्वारा प्राप्त की जा रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समझने में सहायता करती हैं देश की सुरक्षा की बाबत कूटनीतिक महत्व की हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस (आई डी एस ए), रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त निकाय, रक्षा तथा सुरक्षा के सभी पहलुओं पर अनुसंधान तथा नीति प्रासंगिक अध्ययनों के प्रति समर्पित है। आगे, रक्षा अनुदान सहायता योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक महत्व के अनुसंधान एवं विकास कार्य करने हेतु देश में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा का उपयोग करना है तथा इसलिए अभिरूचि के सामान्य क्षेत्रों से संबंधित कार्य निष्पादित करना डी ई आर एण्ड आई पी आर के अधिदेश में नहीं आता है।

मामला - IV: डी आर डी ओ चेयर्स तथा डी आर डी ओ फेलोशिप्स का सृजन

रक्षा अनुदान सहायता योजना के नियमों में चेयर्स तथा फेलोज का सृजन किए जाने तथा रक्षा अनुदान सहायता में से भुगतान करने का प्रावधान नहीं है। तथापि, डी आर डी ओ ने इसकी अवहेलना में डी आर डी ओ के पूर्व वैज्ञानिकों के नाम से चेयर्स तथा फेलोज सृजित किए।

मामला 'क'

अगस्त 2007 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकारों के नामों से प्रत्येक हेतु तीन वर्ष की अवधि तथा डी आर डी ओ चेयर्स के प्रति मानदेय पर प्रतिवर्ष ₹ 20.46 लाख के अनुमानित व्यय आशुलिपिक सहायता रिसर्च फेलोज को भुगतान, यात्रा सहायता, उपभोग्य सामान की लागत,

इत्यादि के साथ, जिसे आगे नवम्बर 2010 में योजना के संबंधित शीर्ष¹¹⁴ के तहत बुक किए जाने हेतु संशोधित करके ₹ 27.69 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया, चार चेयर्स¹¹⁵ के सृजन की संस्वीकृति दी। तत्पश्चात्, डी आर डी ओ ने परिशिष्ट- VIII में दिए गए विवरण के अनुसार डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं/ स्थापनाओं में इन चेयर्स में से तीन को क्रियाशील बनाया।

आगे, मई 2012 में रक्षा मंत्रालय ने क्रमशः ₹ 80,000/-, ₹ 75,000/- तथा ₹ 65,000/- प्रतिमाह के मानदेय पर, 10 चेयर्स¹¹⁶ 20 डॉ.राजा रमन्ना डी आर डी ओ डिस्टिग्विस्ड फेलोज तथा 30 डी आर डी ओ फेलोज का सृजन संस्वीकृत किया। व्यय को मुख्य शीर्ष 2080-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास, लघु शीर्ष-110-स्टोर्स में डेबिट किया जाना था।

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच में नीचे उल्लिखित अनियमितताएं उजागर हुईं :

- चेयर्स तथा फेलोशिप्स संस्वीकृत करना रक्षा अनुदान सहायता के दायरे में नहीं आता था।
- जैसाकि परिशिष्ट -VIII में दर्शाया गया है, गैर-लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तथा निधियों पर अर्जित ब्याज को लेखों में न दर्शाना जैसी अनियमितताएं थीं।

डी आर डी ओ ने सितम्बर 2014 में अपने उत्तर में बताया कि चेयर पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को डी आर डी ओ तथा इसके कार्यक्रमों से परिचित होना वांछित है। इस प्रकार उनके गहन वैज्ञानिक ज्ञान तथा अनुभव से लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई चेयर नियुक्तियाँ प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करना होता है। डी आर डी ओ ने आगे बताया कि उन्होंने चेयर्स को स्टोर्स (राजस्व) शीर्ष के अन्तर्गत निधियाँ उपलब्ध कराके उपचारात्मक कार्रवाई की थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लघु शीर्ष 110 (स्टोर) के अन्तर्गत सभी स्टोर्स पर व्यय उन सभी कार्यकलापों से जुड़े हो जो परियोजनाओं, कार्यक्रमों, योजनाओं, वर्तमान मूलभूत सुविधाओं के रख-रखाव, तकनीकी साहित्य, सर्विसेज द्वारा प्रदत्त स्टोर्स, आयुध फैक्टरियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तथापि, चेयर्स पर किए गए व्यय में डी आर डी ओ चेयर हेतु मानदेय, आशुलिपिक सहायता, रिसर्च फेलोज को भुगतान, यात्रा सहायता, उपभोग्य सामान की लागत, इत्यादि शामिल होता है। चेयर्स के सृजन पर हुए व्यय का ठीक तरह से लेखांकन नहीं हुआ था तथा इस प्रकार यह अनियमित था।

मामला-‘ख’

डी आर डी ओ ने योजना के तहत अप्रैल 2005 तथा मई 2005 में प्रोफेसर श्रीनिवास संपथ चेयर के सृजन के प्रति आई आई टी कानपुर को एक 'आऊटराइट वन टाइम ग्रांट' के रूप में ₹ 3.00 लाख तथा ₹ 2.00 लाख की राशि संस्वीकृत की।

¹¹⁴ मुख्य शीर्ष 2080 रक्षा सेवाएं-अनुसंधान एवं विकास, लघु शीर्ष 004 अनुसंधान/अनुसंधान एवं विकास उपशीर्ष (सी) एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च (अनुदान सहायता शीर्ष)

¹¹⁵ पदमविभूषण डा.डी एस कोठारी (1 चेयर) (ख) प्रोफेसर एस भगवानथम (1चेयर) (ग) डॉ.बी डी नागचौधरी (1चेयर) (घ) पदमविभूषण प्रोफेसर एम जी के मेनन (1चेयर)

पदमविभूषण डा.डी एस कोठारी (1 चेयर) (ख) प्रोफेसर एस भगवानथम (1चेयर) (ग) डॉ.बी डी नागचौधरी (1चेयर) (घ) पदमविभूषण प्रोफेसर एम जी के मेनन (1चेयर)

¹¹⁶ पदमविभूषण डा.डी एस कोठारी (3 चेयर) (ख) प्रोफेसर एस भगवानथम (3 चेयर) (ग) डॉ.बी डी नागचौधरी (3 चेयर) (घ) पदमविभूषण प्रोफेसर एम जी के मेनन (1चेयर)

नवम्बर 2013 में की गई लेखापरीक्षा जाँच में उजागर हुआ कि उपरोक्त भुगतान अनुदान सहायता योजना, जिसमें मूल सुविधाओं अथवा जी आई के सदस्यों को बिना काम या परियोजना के दिए जाने वाले व्यक्तिगत भुगतानों हेतु अनुदान कवर नहीं होते हैं, के अन्तर्गत प्राधिकृत नहीं थे।

उत्तर में डी आर डी ओ ने बताया (दिसंबर 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई बातों को नोट कर लिया गया है तथा मामलों को निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रकार, डी आर डी ओ ने लेखापरीक्षा के तर्क को माना कि आई आई टी कानपुर में सृजित की गई चेर को दिया गया अनुदान अनियमित था।

निष्कर्ष

1969 में, योजना को देशी रूप से, अधिमानतः रक्षा की अभिरूचि के क्षेत्रों में, उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा को उपयोग में लाने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। चारों आर बीज़ तथा डी ई आर एण्ड आई पी आर का योजना का वार्षिक बजट 2007-08 में ₹ 54.50 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 86.67 करोड़ हो गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के प्रबंधन में अनुचित बजट निरूपण प्रक्रिया, फलीभूत होने योग्य तथा विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्यों पर पहुँचे तथा परिव्यय के प्रति प्राप्त किए जाने हेतु परिमाणित तथा गुणवत्तात्मक लक्ष्य परिभाषित किए बिना परियोजना सौंपना, योजना का प्रचार इस तरह से न करना जिससे कि सभी रूचि रखने वाली पार्टियों से पर्याप्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके तथा कोई प्रमाण न होना जिससे इंगित हो कि ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विधिवत् विचार तथा उनका मूल्यांकन किया गया था ताकि स्पर्धा का न्यायसंगत होना तथा सर्वोत्तम सम्भावित प्रस्तावों का चयन होना सुनिश्चित किया जा सके। परियोजना समापन प्रतिवेदन, जिनमें प्राप्त किए गए उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण सूचना शामिल होती है, डी आर डी ओ द्वारा अधिकांश मामलों में नहीं मांगे जा रहे थे। डी आर डी ओ ने इसे विवेकपूर्ण नहीं समझा कि अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों से कहा जाए कि वे इसकी अनुदान सहायता योजना के तहत दिए गए सभी अनुदानों को आवश्यक रूप से बचत बैंक खाते में जमा करें तथा खर्च न हुई शेष राशियों की वापसी का उचित रूप से हिसाब-किताब रखें, इस प्रकार सरकार को ऐसे लाभों की प्राप्ति से वंचित रखा गया। डी आर डी ओ की संपत्ति होने के बावजूद उपकरणों के निपटान को एक बड़ी मात्रा तक, अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों की, जैसा भी वे चाहें, स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इन सभी मामलों पर संस्तुतियाँ दी गई हैं।

उपरोक्त बातों के मद्देनजर योजना संतुष्टि से परे है तथा इसकी मंत्रालय स्तर पर पुनरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

अध्याय VIII: आयुध फैक्ट्री संगठन

8.1 आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन

8.1.1 भूमिका

8.1.1.1 आयुध फैक्ट्रियाँ भारत के रक्षा उद्योग की प्राचीनतम तथा विशालतम संगठन हैं जिनका इतिहास सन 1787 से प्रारंभ होता है। वर्तमान में पाँच वर्गों अथवा प्रचालन समूहों में (तालिका-21) विभाजित कुल 41¹¹⁷ फैक्ट्रियाँ कार्यरत हैं जो रक्षा सेवाओं के लिए तरह-तरह के गोलाबारूद, अस्त्र-शस्त्र, शस्त्र-सज्जित एवं युद्धक वाहन एवं पैराशूट सहित वस्त्र मदों का उत्पादन करती हैं। वे आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अधीन कार्य करती हैं, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा आठ सदस्य¹¹⁸ होते हैं।

तालिका-21

प्रचालन समूह	फैक्ट्रियों की संख्या
गोला बारूद एवं विस्फोटक	10
शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर	10
सामग्री एवं संघटक	8
शस्त्रसज्जित वाहन	6
आयुध उपस्कर समूह	5
कुल योग	39

8.1.1.2 आयुध फैक्ट्री बोर्ड¹¹⁹ के उद्देश्य निम्नवत हैं:

- सशस्त्र बलों को अच्छी गुणवत्ता के शस्त्र, गोलाबारूद, टैंक तथा उपस्कर की आपूर्ति करना;
- गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्पादन सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना;
- तकनीक हस्तांतरण¹²⁰ एवं अंतर्वर्ती अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से नवीनतम तकनीक को अपनाना; एवं
- उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा उपभोक्ता आधार में वृद्धि को सुनिश्चित करना।

8.1.1.3 इसके अतिरिक्त, रक्षा उत्पादन एवं अधिप्राप्ति के सरकार के नीतिगत उद्देश्यों के अंतर्गत बोर्ड का दायित्व निम्नवत है:

- आवंटित बजट संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए वांछित क्षमता एवं विहित समयवधि के अनुरूप सशस्त्र बलों की स्वीकृत आवश्यकताओं के मदों की शीघ्र अधिप्राप्ति;
- यथासंभव निश्चित समयवधि के अंतर्गत रक्षा सेवाओं द्वारा आवश्यक सैन्य उपस्कर/शस्त्र प्रणाली/प्लेटफार्म के अभिकल्प, विकास एवं उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना; एवं
- देशीकरण में छोटे तथा मध्यम उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि करना।

¹¹⁷ नालंदा तथा कोरवा में दो फैक्ट्रियाँ निर्माणाधीन हैं। निर्माण में विलंब के कारण दोनो आयुध फैक्ट्रियों में अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है तथा प्रचालन कार्य प्रारंभ होने का समय अभी अनिश्चित है।

¹¹⁸ सदस्य अपर सचिव स्तर के होते हैं जो वित्त, कार्मिक, योजना एवं सामग्री प्रबंधन, परियोजना एवं अभियंत्रिकी, तकनीकी सेवायें, सामग्री एवं संघटक, शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर, गोलाबारूद व विस्फोटक, शस्त्रसज्जित वाहन (अवाडी) आयुध उपस्कर (कानपुर) से संबंधित होते हैं।

¹¹⁹ जैसा कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड के ध्येय एवं दृष्टि विवरण में दर्शाया गया है।


¹²⁰ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अथवा मूल उपस्कर निर्माताओं से क्रय आधारित संविदाओं के माध्यम से तकनीक हस्तांतरण

8.1.1.4 वर्ष 2012-2013 के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड के कार्यनिष्पादन का हमारे द्वारा उपर्युक्त लक्ष्यों के प्रति, यथासंभव विश्लेषण किया गया है:

8.1.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

व्यय का रूझान चार्ट-7 में दर्शाया गया है:

**चार्ट - 7 : राजस्व और पूंजीगत व्यय के प्रति प्राप्ति का रूझान
(₹ करोड़ में)**



राजस्व व्यय

8.1.2.1 आयुध फैक्ट्री बोर्ड अपने राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए लेखा शीर्ष 2079 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करता है। 2012-2013 के दौरान ₹11,936 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया।

8.1.2.2 आयुध फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा स्थापनाओं को निर्गम के प्रति अपने व्यय तथा प्राप्ति¹²¹ के लेखांकन के लिए शीर्ष 2079 का उपयोग करता है। एक अन्य लेखा शीर्ष 0079 में गैर रक्षा स्थापनाओं (राज्य पुलिस), खुले बाजार अथवा निर्यात के रूप में प्राप्तियों को दर्ज किया जाता है। उत्पादों का निर्गम मूल्य इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि निर्माण लागत की भरपाई हो सके। 2012-2013 में आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने ₹ 617 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया जो व्यय का 5 प्रतिशत था। मूल्य नियतन पर और टिप्पणी पैराग्राफ 8.1.6 में की गई है।

8.1.2.3 2011-2012 में राजस्व व्यय¹²² 11 प्रतिशत बढ़ा किंतु 2012-2013 में मामूली रूप से 2 प्रतिशत घट गया। भंडार व्यय कुल राजस्व का 48 प्रतिशत रहा; निर्माण व्यय 36 प्रतिशत रहा। दोनों अव्यव मिलकर कुल राजस्व व्यय का 84 प्रतिशत हुए। दोनों ही अव्यवों में 2012-2013 के दौरान कमी आई: भंडार में 7 प्रतिशत तथा निर्माण में 2 प्रतिशत। भंडार के अंतर्गत व्यय में कमी का मुख्य कारण आपूर्ति में विलंब था।

8.1.2.4 यह ध्यान देने योग्य है कि जनवरी 2012 से भंडार की अधिप्राप्ति के नियम बदल गये थे। जनवरी 2012 के पूर्व, फैक्ट्रियों की अधिप्राप्ति वार्षिक आवश्यकता के अनुरूप होती थी, जो परिवर्तित होकर दो वर्ष की आवश्यकता एवं 50 प्रतिशत विकल्प उपबंध के योग की थोड़ी-थोड़ी करके सुपुर्दगी

¹²¹ आयुध फैक्ट्री बोर्ड अपने संपूर्ण राजस्व व्यय को लेखा शीर्ष 2079 पर भारत करता है। रक्षा स्थापना को निर्गम के समय लेखा में (-) डेबिट किया जाता है। अन्य उपभोक्ताओं (निर्यात, सिविल व्यापार) को बिक्री के प्रति प्राप्तियों को लेखा शीर्ष 0079 के प्रति दर्ज किया जाता है।

¹²² 2011-2012 में राजस्व व्यय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि के कारण थी जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण व्यय में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

करनी थी। इस छूट के बावजूद, 2012-2013 में भंडार की अधिप्राप्ति में वृद्धि नहीं हुई जो आयुध फैक्ट्री बोर्ड में मांगों की अनिश्चितता के संज्ञान में रूढ़िवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। पैरा 8.1.3.5 में फैक्ट्रियों में उत्पादन पर मांग पत्रों के पूर्व समापन (अर्थात मांग में कमी) के प्रभाव को दर्शाता है।

पूंजीगत व्यय

8.1.2.5 आयुध फैक्ट्री बोर्ड पूंजीगत व्यय (प्रधान शीर्ष 4076) जिसे नवीन पूंजी अनुदान भी कहा गया है, के लिए बजट सहयोग भी प्राप्त करता है। इस अनुदान से संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद सहित नई परियोजनाओं का व्यय पूरित किया जाता है, जिसके लिए 2012-2013 में ₹ 349 करोड़ व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापना कोष नामक एक अलग कोष पुरानी मशीनों के प्रतिस्थापन के लिए उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राजस्व अनुदान¹²³ से वार्षिक स्थानांतरण द्वारा ₹439 करोड़ का कोष बनाया गया है।

8.1.2.6 पूंजीगत व्यय पिछले कई वर्षों से लगभग एक समान ही रहा है: वास्तव में, नवीन पूंजी अनुदान के अंतर्गत ₹349 करोड़ की राशि 2008-2009 से लगभग उसी स्तर पर रही है। यह आयुध फैक्ट्री बोर्ड के कुल व्यय का केवल 3 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय के लिए न्यून धनराशि का आवंटन दो विद्यमान परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण है,¹²⁴ 2012-2013 में दो नई परियोजनाएँ¹²⁵ स्वीकृत हुईं जिसके प्रति, वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।

8.1.2.7 हमारे विश्लेषण में पाया गया कि संयंत्र एवं मशीनरी पर व्यय नई मशीनों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका। मार्च 2013 तक, आयुध फैक्ट्री बोर्ड के डाटाबेस में 1468 मशीनों के क्रय के लिए 572 परियोजनाओं के प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन थे। स्तर जहाँ अधिप्राप्ति के निर्णय विचाराधीन थे, का आगे का विवरण तालिका 22 में दिखाया गया है। विलंब से परियोजना के कार्यावधि पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, "टी-72 एवं टी-90 टैंक के ओवरहाल से सम्बन्धित पुर्जों के उत्पादन हेतु क्षमता की वृद्धि" हेतु ₹ 368 करोड़ के पूंजीगत परिव्यय पर अक्टूबर 2010 में यह परियोजना संस्वीकृत की गई जिसका समापन दिसम्बर 2013 में होना था। मार्च 2013 तक परियोजना पर केवल ₹ 58 करोड़ खर्च किए गए थे; मशीनों की 129 मदों के लिए अभी तक आदेश नहीं दिया गया था।

तालिका-22

स्थिति	मामलों की संख्या
फैक्ट्रियों में खोली गई निविदा	116
फैक्ट्रियों में आयोजित निविदा मूल्यांकन समिति की बैठकें	82
फैक्ट्री/बोर्ड में आयोजित निविदा क्रय समिति की बैठकें	41
अधिप्राप्ति पर कोई कार्रवाई नहीं	333
कुल योग	572

8.1.3 रक्षा बलों के लिए मांग की पूर्ति

8.1.3.1 आयुध फैक्ट्री बोर्ड फैक्ट्रियों में उत्पादन का नियोजन निम्नलिखित आधार पर करता है:

¹²³ नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन कोष के लिए राजस्व अनुदान (प्रधान शीर्ष 2027) से स्थानांतरित धनराशि, संयंत्र एवं मशीनरी के वार्षिक मूल्य ह्रास तथा वार्षिक प्रतिस्थापन के लिए अनुमानित व्यय के समतुल्य होता है।

¹²⁴ आयुध फैक्ट्री नालंदा परियोजना एवं आयुध फैक्ट्री कोरवा की स्थापना के लिए क्रमशः ₹ 2160 करोड़ तथा ₹ 408 करोड़ के व्यय सहित नवंबर 2001 तथा अक्टूबर 2007 में स्वीकृति दी गई। मार्च 2013 तक दोनों परियोजनाओं पर ₹ 856 करोड़ व्यय किए गए।

¹²⁵ 51 मिमी मोर्टार बम बॉडी के लिए ग्रे आयरन फाउंड्री में क्षमता का सृजन तथा एंटी सबमरीन राकेट के लिए संघटकों के निर्माण हेतु हैवी एलाय पेनीट्रेटर परियोजना त्रिची में सुविधाओं का सृजन।

- **सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता:** 2011 से, थलसेना अपने शस्त्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 5 वर्षीय सापेक्ष योजना तैयार करता है। यह व्यवस्था वायु सेना एवं नौसेना द्वारा अपनाया जाना अभी शेष है, जो अपनी आवश्यकता को वार्षिक आधार पर प्रदर्शित करते हैं। तथापि, आयुध फैक्ट्री बोर्ड रक्षा बलों द्वारा प्रदत्त निश्चित आदेशों (मांगों) के आधार पर उत्पादन नियोजन करता है।
- **उत्पादन के लिए फैक्ट्रियों की क्षमता:** प्रदाता फैक्ट्रियों तथा संयोजक फैक्ट्रियों (जो निर्गम के लिए अंतिम उत्पाद को संयोजित करती हैं), की क्षमता को एक साथ रखकर आयुध फैक्ट्री बोर्ड सैन्य बलों की आवश्यकता को पूरा करने की अपनी क्षमता का आकलन करता है।

8.1.3.2 आयुध फैक्ट्री बोर्ड, रक्षा बलों के साथ संपर्क रखते हुए उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करता है। यह लक्ष्य अंतिम उत्पादन तथा प्रदाता फैक्ट्रियों के लिए; आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा सूचित किया जाता है। 2008-2013 के दौरान लक्ष्यों की पूर्ति में आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन तालिका-23 में दर्शाया गया है। 2012-2013 में आयुध फैक्ट्री बोर्ड, सैन्य बलों द्वारा आवश्यक मर्दों के लक्ष्य का केवल 39 प्रतिशत ही पूरा कर सका।

तालिका - 23

वर्ष	मर्दों की संख्या			कमी की प्रतिशतता
	लक्ष्य	उत्पादन	कमी	
2008-09	419	296	123	29
2009-10	434	300	134	31
2010-11	639	416	223	35
2011-12	547	195	352	64
2012-13	529	205	324	61

8.1.3.3 उत्पादन में कमी का कारण जानने के लिए हमने यादृच्छिक रूप से चयनित प्रचालन

तालिका-24

कारण	मर्दों की संख्या	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
उपभोक्ताओं द्वारा मांगों में संशोधन	17	312
संघटकों की अप्राप्ति	16	416
कोई कारण दर्ज नहीं	28	538
उत्पादन के लिए स्वीकृति प्रतीक्षित	2	उपलब्ध नहीं
अन्य	5	44
कुल योग	68	1310

समूहों में 68 मर्दों के नमूनों का विश्लेषण किया। हमारे विश्लेषण के परिणाम तालिका 24 में दिये गए हैं। रिपोर्ट में 28 मर्दों के प्रति कोई कारण नहीं दर्शाया गया था। यह महत्वपूर्ण है कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए फैक्ट्रियों से कमी का कारण बताने का आग्रह किया। उदाहरण के लिए वाहन फैक्ट्री जबलपुर द्वारा माइन प्रोटेक्टेड वाहन मार्क-III के उत्पादन में 42 प्रतिशत की कमी थी तथा कमी का मूल्य ₹ 158 करोड़ था किंतु कमी का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया।

8.1.3.4 अच्छी गुणवत्ता के संघटकों को समय पर प्राप्त करने में अक्षमता, कमी का एक महत्वपूर्ण कारण था। फैक्ट्रियाँ अपनी मांगों का लगभग 55 प्रतिशत भाग स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से पूरा करती हैं। शेष 45 प्रतिशत के लिए सहयोगी आयुध फैक्ट्रियों को आदेश देना होता है जिसे 'अंतर फैक्ट्री मांग' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपूर्ति के इन दोनों साधनों में समस्या विद्यमान थी जिसके कारण थलसेना को गोला-बारूद के जटिल मर्दों की आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा जैसा कि तालिका-25 में दर्शाया गया है। सहयोगी संयोजक फैक्ट्रियों में हानियों पर अंतर फैक्ट्री मांग के प्रभाव के बारे में पैराग्राफ 8.1.6.2 में विश्लेषण किया गया है।

तालिका-25

मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	कमी (संख्या)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)	कमी का कारण
शेल 155 मिमी एच.ई.ई.आर.एफ.बी. (बी.बी.)	15,000	7,552	7,448	50	<ul style="list-style-type: none"> आयुध फैक्ट्री इटारसी से बेस ब्लीड (प्रोपेलेंट) ग्रेन की कमी आयुध फैक्ट्री अंबाझरी से प्राप्त खाली गोलों में निर्माण संबंधी दोष
राकेट 84 मिमी एच.ई.	26,000	7,750	18,250	27	आयुध फैक्ट्री भंडारा द्वारा प्रोपेलेंट तथा व्यापार द्वारा खाली फ्यूज की आपूर्ति में कमी
बम 120 मिमी मोर्टार एच.ई.	47,000	21,602	25,398	38	स्थानीय विक्रेता द्वारा खाली बम बॉडी की अल्प आपूर्ति
बम 120 मिमी मोर्टार पी. डब्ल्यू.पी.	5,000	शून्य	5,000	8	<ul style="list-style-type: none"> प्रूफ में लगातार विफलता व्यापार फर्मों द्वारा आपूर्त हार्डवेयर तथा खाली बॉडी की अल्प आपूर्ति
राउंड 125 मिमी एच.ई.	60,000	40,569	19,431	92	गुणवत्ता समस्याओं के कारण आयुध फैक्ट्री अंबाझरी से प्रूफ परीक्षित गोलों की अनुपलब्धता

8.1.3.5 मांगों में अस्थिरता भी कमी का एक महत्वपूर्ण कारण था जहाँ उपभोक्ताओं, विशेषकर थलसेना ने वर्ष के दौरान ही मांग में कमी कर दी। कुछ जटिल मद, जिनका उत्पादन थलसेना द्वारा मांगों के पूर्व समापन के कारण प्रभावित हुआ, का विवरण तालिका-26 में दिया गया है।

तालिका-26

मद	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	कमी (संख्या)	कमी का मूल्य (₹ करोड़ में)
23मिमी शिल्का ए.पी.आई.टी. (गोलाबारूद)	50,000	8,651	41,349	11
84 मिमी राकेट लांचर देशज एम.के. III	1,000	540	460	49
शेल 105 मिमी आई.एफ.जी. एच.ई. (गोलाबारूद)	1,80,000	1,03,385	76,615	90
फ्यूज 117 एम.के 20 (गोलाबारूद)	1,50,000	56,470	93,530	25

8.1.4 उत्पादन

उत्पादन का मूल्य

8.1.4.1 2010-2013 के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड के पाँच प्रचालन समूहों में उत्पादन के मूल्य का रूझान तालिका-27 में दर्शाया गया है। गोला बारूद एवं विस्फोटक समूह ने आयुध फैक्ट्री बोर्ड के उत्पादन में 34 प्रतिशत का योगदान दिया। शस्त्रसज्जित वाहन तथा शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर समूह ने कुल मिलाकर 79 प्रतिशत का योगदान दिया। इन तीन समूहों में उत्पादन के रूझान से आयुध फैक्ट्री बोर्ड के समग्र कार्य निष्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

तालिका-27

वर्ष	उत्पादन का मूल्य (₹ करोड़ में)					
	गोला बारूद एवं विस्फोटक	शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर	शस्त्रसज्जित वाहन	सामग्री एवं संघटक	आयुध उपस्कर	कुल योग
2010-11	5,016	3,275	3,263	1,802	833	14,188
2011-12	5,286	3,902	3,895	2,138	967	16,188
2012-13	5,540	3,873	3,550	2,338	1,120	16,420

8.1.4.2 आयुध फैक्ट्री बोर्ड तैयार माल पर उत्पादन लागत की गणना करता है; हमने अपने विश्लेषण के लिए उत्पादन लागत में जारी कार्य के अंतिम स्टॉक को जोड़कर उसमें से जारी कार्य के प्रारंभिक स्टॉक को घटाकर उत्पादन का मूल्य प्राप्त किया। 2011-2012 में फैक्ट्रियों ने 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो कि 2012-2013 में घटकर 1.4 प्रतिशत हो गई। यह मुख्यतः शस्त्रसज्जित वाहन समूह के उत्पादन में भारी गिरावट के कारण हुआ जहाँ 2011-2012 के 19.4 प्रतिशत की वृद्धि के विपरीत 2012-2013 में उत्पादन 8.9 प्रतिशत गिर गया। इस समूह में, भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी के उत्पादन में ₹ 494 करोड़ की गिरावट देखी गई जो कि सेमी नॉक डाउन टी-90 टैंको के संयोजन में कमी के कारण थी। इसी तरह की स्थिति शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर समूह में देखी गई: 2011-2012 में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी किंतु 2012-2013 में उत्पादन 0.7 प्रतिशत घट गया।

8.1.4.3 हमने देखा कि उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ जारी कार्य में सामग्री का संग्रहण भी था। विगत दो वर्षों में उत्पादन लागत पर जारी कार्य की प्रतिशतता 16 प्रतिशत से बढ़कर 2012-2013 में 19 प्रतिशत हो गई।

2010-2013 के दौरान जारी कार्य का रूझान तालिका-28 में दिया गया है। शस्त्र सज्जित वाहन समूह में उत्पादन की अवधि लंबी होती है जिससे इस समूह में जारी- कार्य की स्थिति अधिक निर्मित होती है।

तालिका-28

वर्ष	उत्पादन लागत के प्रतिशत के रूप में जारी कार्य					
	गोला बारूद एवं विस्फोटक	शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर	शस्त्रसज्जित वाहन	सामग्री एवं संघटक	आयुध उपस्कर	कुल योग
2010-11	12	14	28	17	6	16
2011-12	12	14	25	18	6	16
2012-13	16	20	28	15	6	19

8.1.4.4 फैक्ट्री-वार विश्लेषण से जारी-कार्य का असामान्य रूझान देखने में आया जिस पर आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा गहन रूप से पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। फैक्ट्रियों के चलन, जिनमें उत्पादन लागत के 40 प्रतिशत से अधिक का जारी-कार्य पाया गया, का विवरण तालिका-29 में दिया गया है:

तालिका-29

फैक्ट्री	मुख्य उत्पाद लाईन	वर्ष		
		2010-11	2011-12	2012-13
आयुध फैक्ट्री मेडक	युद्धक वाहन एवं उसकी मरम्मत	62	62	71
गन सेल फैक्ट्री कोशीपुर	ए.के. 630, गन, 84 मिमी आर.एल.एम. के-III, 84 मिमी टी.पी.टी. खाली प्यूज व प्राइमर	28	53	64
तोप गाड़ी फैक्ट्री जबलपुर	गन के बैरल व पुर्जे	47	35	56
धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर	बैरल व केसिंग के लिए फोर्जिंग, नोज एडाप्टर, स्टील व ब्रास रॉड, 30 मि.मी. साख के लिए खाली कारतूस खोल	38	40	26

8.1.4.5 हमने आयुध फैक्ट्री मेडक एवं गन सेल फैक्ट्री कोशीपुर को आगे के विश्लेषण के लिए चयनित किया। आयुध फैक्ट्री, मेडक ने आकड़े उपलब्ध नहीं कराए। गन व सेल फैक्ट्री, कोशीपुर में जारी-कार्य में मुख्यतः गोला बारूद के मद शामिल थे जो प्रूफ (नमूना परीक्षण) के लिए प्रतीक्षित थे अथवा अस्वीकृत लॉट जिनकी मरम्मत किया जाना शेष था। (तालिका-30)

तालिका-30

मद	लागत (₹ करोड़ में)	स्थिति
सेल 125 मिमी एच.ई.ए.टी. गोलाबारूद: आयुध फैक्ट्री चांदा के लिए आई. एफ.डी. मद	76	<ul style="list-style-type: none"> ₹ 32 करोड़ मूल्य के 8 लॉट प्रूफ के लिए शेष ₹ 12 करोड़ के 3 अस्वीकृत लॉट मरम्मत के लिए शेष 8 लॉट गुणवत्ता स्वीकृति के लिए शेष
ए.के. 630 गन	36	<ul style="list-style-type: none"> प्रूफ एवं प्रूफ पश्चात प्रचालन के लिए शेष
84 मिमी राकेट लांचर मार्क-III	23	<ul style="list-style-type: none"> प्रूफ पश्चात प्रचालन के लिए शेष

8.1.4.6 उत्पादन प्रक्रिया पर प्रभावी नियंत्रण से विभिन्न स्तरों पर विलंब को रोका जा सकता है तथा अधिपत्रों (प्रत्येक मद का उत्पादन अधिपत्र द्वारा प्राधिकृत किया जाता है) का सही समय पर समापन किया जा सकता है। अधिपत्रों का 6 माह के अंदर समापन किया जाना चाहिए। आठ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में सामग्री प्रबंधन की हमारी पुनरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 16 प्रतिशत अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे (तालिका-31)। एक वर्ष से अधिक अवधि तक चालू अधिपत्रों का मूल्य ₹ 434 करोड़ था। जारी कार्य के विशिष्ट मदों के हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि फैक्ट्रियाँ अस्वीकृत स्टॉक को लंबे समय से जारी कार्य के रूप में दिखा रहीं थी।

तालिका-31


अवधि (वर्ष में) ¹²⁶	अधिपत्रों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
1-2	2,329	244
2-5	391	178
5-8	57	11
8-11	13	1
कुल योग	2,790	434

¹²⁶ चूंकि लेखाओं (यह केवल वर्ष का उल्लेख करता है) के डाटाबेस में अधिपत्र की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए हम अधिपत्रों की संख्या का चयन नहीं कर सके, जो 6 माह से 1 वर्ष तक चालू थे।

8.1.5 उत्पादन लागत


8.1.5.1 भंडार लेखा उत्पादन लागत का 61 प्रतिशत होता है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड में उपरिख्य उत्पादन लागत का 28 प्रतिशत है जो कि काफी अधिक है।

चार्ट- 8



8.1.5.2 2012-2013 में आयुध फैक्ट्री बोर्ड में कुल 96317 कार्मिक कार्यरत थे जिसमें से 63902 औद्योगिक कर्मचारी (प्रत्यक्ष श्रम) के रूप में वर्गीकृत थे। 2008-2013 के दौरान औद्योगिक श्रम में 5.6 प्रतिशत की गिरावट आई। यह गिरावट सेवानिवृत्ति तथा उस स्तर पर पुनः भर्ती न होने के कारण आई। तथापि, अनौद्योगिक कर्मचारियों का औद्योगिक कर्मचारियों के रूप में पुनः वर्गीकरण होने के कारण संख्या में घट-बढ़ हो जाती है जैसे कि 2012-2013 में औद्योगिक कर्मचारियों की संख्या में 330 की मामूली वृद्धि हुई (चार्ट-9)। पर्यवेक्षण अधिकारियों पर औद्योगिक कर्मचारियों का अनुपात 2012-2013 में अत्यधिक 1.97 था, अर्थात् प्रत्येक 1.97 प्रत्यक्ष श्रम पर एक पर्यवेक्षण अधिकारी था। गहन मशीनी प्रचालन समूह में भी यथा शस्त्रसज्जित वाहन एवं गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह में भी पर्यवेक्षण अधिकारियों की संख्या अधिक थी।

चार्ट- 9 कर्मचारियों की वर्ष वार स्थिति



8.1.5.3 विगत पाँच वर्षों 2008-2013 के दौरान, आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी की आधिप्राप्ति पर ₹3109 करोड़ व्यय किए गए। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के 2004 के अनुदेश के अनुसार हर फैक्ट्री को नई मशीनों के प्रवर्तन द्वारा लागत कम करने तथा गुणवत्ता में वृद्धि का आकलन करना चाहिए। मूल तथ्य है कि नई मशीनों के प्रवर्तन के साथ श्रम लागत तथा सामग्री लागत कम होनी चाहिए।

8.1.5.4 2008-2013 के दौरान आवधिक मंहगाई सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर निश्चित होता है, के अतिरिक्त वेतन में कोई भारी बदलाव नहीं किया गया। हमने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रत्यक्ष श्रम की लागत की सूची तैयार की तथा 2008-2009 को आधार वर्ष मानते हुए दरों को कम किया। न्यूनीकृत लागत से स्पष्ट होता है कि 2008-2013 के दौरान फैक्ट्रियों में प्रत्यक्ष श्रम लागत में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका-32)। उसी अवधि में स्फीति पर संशोधित श्रम लागत में वृद्धि, प्रत्यक्ष श्रम में 5.6 प्रतिशत की समग्र कमी के बावजूद थी।

तालिका-32		
वर्ष	प्रत्यक्ष श्रम	
	वास्तविक	न्यूनीकृत ¹²⁷
2008-09	768	768
2009-10	1,102	981
2010-11	1,318	1,062
2011-12	1,490	1,108
2012-13	1,617	1,091

8.1.5.5 फैक्ट्रियों में आधुनिकीकरण के पश्चात अर्जित दक्षता के आकलन के लिए हमने आगे श्रम घंटों तथा मशीन घंटों के उपयोग के रूझान के साथ श्रम लागत में वृद्धि का विश्लेषण किया। परिणाम तालिका-33 में दिए गए हैं:-

तालिका-33

(लाख घंटों में)

वर्ष	मानक श्रम घंटे			मानक मशीन घंटे			उत्पादन लागत	वृद्धि (प्रतिशत में)
	उपलब्धता	प्रयुक्त	उपयोग (प्रतिशत में)	उपलब्ध	प्रयुक्त	उपयोग (प्रतिशत में)		
2008-09	1,158	1,623	140	1,696	1,294	76	10,610	-
2009-10	1125	1,269	113	1,839	1,261	68	11,818	11
2010-11	1,078	1,349	125	1,830	1,311	72	14,012	19
2011-12	1,080	1,375	127	1,577	1,232	78	15,933	14
2012-13	1,028	1,324	129	1,603	1,213	76	15,972	0.24

8.1.5.6 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि हर वर्ष नई मशीनों की स्थापना के बावजूद 2008-2013 के दौरान उपलब्ध मशीन घंटों के रूप में उत्पादन की क्षमता वास्तव में कम हुई। 2008-2009 में 1696 मशीन घंटों से घटकर 2012-2013 में 1603 मशीन घंटे हो गए। यह निम्नलिखित कारणों के परिणाम से हो सकता है:-

- खराबी के कारण मशीन घंटों की हानि: हमने खराबी के कारण मशीन घंटों की हानि की पुनरीक्षा के उद्देश्य से 10 फैक्ट्रियों¹²⁸ का एक प्रतिदर्श चयनित किया। चार¹²⁹ फैक्ट्रियों ने डाटाबेस उपलब्ध नहीं कराया। एक¹³⁰ फैक्ट्री ने किसी भी खराबी की जानकारी नहीं दी। शेष

¹²⁷ वर्ष	औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	गणना
2008-09	145	768
2009-10	163	(1102/163)*145= 981
2010-11	180	(1318/180)*145= 1062
2011-12	195	(1490/195)*145= 1108
2012-13	215	(1617/215)*145= 1091

¹²⁸ आयुध फैक्ट्री अंबाझरी, आयुध फैक्ट्री कानपुर, भारी वाहन फैक्ट्री आवडी, आयुध फैक्ट्री खमरिया, गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी, राइफल फैक्ट्री ईशापुर, लघु शस्त्र फैक्ट्री कानपुर, तोप गाड़ी फैक्ट्री जबलपुर, गन एवं शेल फैक्ट्री कोशीपुर एवं फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर

¹²⁹ आयुध फैक्ट्री कानपुर, भारी वाहन फैक्ट्री आवडी, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर, गोलाबारूद फैक्ट्री किरकी

¹³⁰ लघु शस्त्र फैक्ट्री कानपुर

पाँच¹³¹ फैक्ट्रियों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 398 मशीनों में से, 17 से 55 मशीनें, 2009-2013 के दौरान एक माह से अधिक समय तक खराब रहीं। 14-15 मशीनों के मामले में हर वर्ष खराबी की अवधि छः माह से अधिक रही। आयुध फैक्ट्री बोर्ड में मशीन घंटों की हानि अधिक रही तथा खराबी की स्थिति 9-14 प्रतिशत रही।

- फैक्ट्रियाँ मशीन की कार्य अवधि व क्षमता का कम मूल्यांकन करती हैं। पैराग्राफ 8.1.2.7 इस बात की ओर इंगित करता है कि मशीनों की अधिप्राप्ति उनकी मांग के अनुरूप नहीं की गई।
- नई मशीनों की स्थापना में विलंब: 31 मार्च 2013 तक आयुध फैक्ट्री बोर्ड में ₹ 519 करोड़ मूल्य की 265 मशीनें स्थापना के लिए शेष थीं। शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर समूह की फैक्ट्रियों में अस्थापित मशीनों की संख्या 30 प्रतिशत थी। आयुध फैक्ट्रियों में क्षमता वृद्धि की पुनरिक्षा के दौरान 10 प्रतिदर्श फैक्ट्रियों की जाँच से हमने पाया कि 29 प्रतिशत मशीनों की स्थापना में विलंब हुआ।

8.1.5.7 आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने फैक्ट्रियों में 80 प्रतिशत क्षमता उपयोग की सीमा तय कर रखी है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान वास्तविक उपयोग का औसत 74 प्रतिशत रहा। दूसरी तरफ, उत्पादन लागत के रूझान के संबंध में श्रम घंटों के उपयोग का रूझान संतोषजनक था।

8.1.5.8 नई मशीन के प्रवर्तन से मशीन द्वारा उत्पादित मर्दों के उत्पादन लागत पर स्पष्ट प्रभाव पड़ने की अपेक्षा की जाती है। इस उद्देश्य, से आयुध फैक्ट्री बोर्ड को मर्दों के उत्पादन हेतु अनुमान को संशोधित करने की आवश्यकता होती है: मशीन की स्थापना के पश्चात सामग्री/श्रम अनुमानों तथा अपरिहार्य अस्वीकृति की प्रतिशतता को कम किया जाना चाहिए। श्रम एवं सामग्री का भुगतान अनुमानों के आधार पर किया जाता है।

हमने पाया कि प्रतिदर्श 10 फैक्ट्रियों में 2009-2013 के दौरान स्थापित 80 प्रतिशत मशीनों के मामले में फैक्ट्रियों ने इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया। स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण के मूर्त लाभ की पुनरीक्षा की ओर आयुध फैक्ट्री बोर्ड अथवा फैक्ट्रियों ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे सामग्री एवं श्रम लागत में वृद्धि हुई। आयुध फैक्ट्रियों का निश्चित उपभोक्ता आधार है; जिसमें स्पर्धा कम है, उत्पादन में मितव्ययिता बरतने तथा उत्पादन लागत में कमी के लिए कोई प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं थी।

8.1.5.9 उत्पादन लागत में 27.5 प्रतिशत के उच्च स्तर का उपरिव्यय प्रभार भी लागत पर अपर्याप्त नियंत्रण का द्योतक है। सामग्री एवं संघटक समूह में उपरिव्यय का स्तर उच्चतम है जिसके पश्चात शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर समूह का क्रम है जो थोड़ा कम है जैसा कि तालिका-34 में दिखाया गया है।

तालिका-34

वर्ष	उत्पादन लागत के प्रतिशत के रूप में उपरिव्यय					
	गोला बारूद एवं विस्फोटक	शस्त्र, वाहन एवं उपस्कर	शस्त्रसज्जित वाहन	सामग्री एवं संघटक	आयुध उपस्कर	कुल योग
2010-11	23.0	33.8	19.8	39.3	32.7	27.5
2011-12	23.3	31.7	18.0	37.3	33.3	26.5
2012-13	23.4	33.6	20.8	35.7	30.8	27.5

¹³¹ आयुध फैक्ट्री अंबाझरी, आयुध फैक्ट्री खमरिया, राइफल फैक्ट्री ईशापुर, तोप गाडी फैक्ट्री जबलपुर, गन एवं सेल फैक्ट्री कोशीपुर

8.1.5.10 कुछ फैक्ट्रियों में सतत रूप से उपरिव्यय का स्तर उच्च था एवं उसमें काफी भिन्नता थी। आयुध फैक्ट्रियाँ जिनमें उत्पादन लागत के 50 प्रतिशत से अधिक उपरिव्यय था, की सूची तालिका-35 में दी गई है।

तालिका-35

फैक्ट्री	मुख्य उत्पाद	वर्ष		
		2010-11	2011-12	2012-13
धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर	बैरल एवं केसिंग फोर्जिंग इत्यादि	65	61	53
आयुध फैक्ट्री मुरादनगर	विविध गोला बारूद के लिए कास्टिंग	62	60	58
राइफल फैक्ट्री ईशापुर	5.56 मिमी राइफल, स्पोर्टिंग राइफल	58	59	59
आयुध फैक्ट्री भंडारा	प्रोपेलेंट एवं चार्ज	77	73	54
आयुध फैक्ट्री देहरादून	दृश्य उपकरण एवं उपस्कर	64	62	61
लघु शस्त्र फैक्ट्री कानपुर	कार्बाइन, राइफल एवं रिवाल्वर	54	56	54
फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर	बैरल, आयुध एवं रिवाल्वर	57	49	51
आयुध केबल फैक्ट्री चंडीगढ़	केबल एवं तार	63	65	52

8.1.5.11 हमने उच्च स्तर के उपरिव्यय का कारण जानने के लिए धातु एवं इस्पात फैक्ट्री, ईशापुर की पुनरीक्षा की। 2012-2013 में निश्चित उपरिव्यय ₹ 137 करोड़ था जिसमें से वेतन एवं भत्ते (₹ 79 करोड़) का भाग 58 प्रतिशत था तथा अन्य 10 प्रतिशत मूल्य ह्रास था। उच्च उपरिव्यय उस श्रमशक्ति पर उच्च व्यय का परिणाम है जो सीधे उत्पादन में भागीदार नहीं है। 2010-2013 के दौरान नियत उपरिव्यय 23 प्रतिशत बढ़ गया जबकि प्रधान मदों का उत्पादन केवल 13 प्रतिशत बढ़ा। निश्चित व्यय में सतत वृद्धि के बावजूद, उत्पादन लागत में वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि ईशापुर फैक्ट्री में उपरिव्यय अधिक था। 'औद्योगिक कर्मचारियों को प्रदत्त विविध भत्ते' वेतन एवं भत्ते में शामिल थे जो कि उत्पादन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन हैं तथा उन्हें प्रत्यक्ष श्रम में शामिल किया जाना चाहिए था। 2011-12 में विविध लेखा ₹13 करोड़ था।

8.1.6 उत्पादों का मूल्यांकन

8.1.6.1 फैक्ट्रियाँ लगभग 930 प्रधान मदें उत्पादित करती हैं। यह अपेक्षित है कि, वे उत्पादन लागत की वसूली को सशस्त्र बलों को इनकी बिक्री से, खुले बाजार में अन्य उपभोक्ताओं से, वे लाभ अर्जन करने के लिए मुक्त हैं। विगत तीन वर्षों के रूझान के आधार पर उत्पादों का निर्गम मूल्य वर्ष के प्रारंभ में निश्चित किया जाता है। अतः निर्गम मूल्य वास्तविक लागत से अधिक या कम हो सकता है। इसके अलावा, एक ही मद की उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न फैक्ट्रियों में अलग-अलग हो सकती है। एक दूसरे को आर्थिक परिदान, प्रक्रम का स्वभाविक परिणाम है। 2012-13 में, 31 फैक्ट्रियों ने ₹ 1,044 करोड़ का लाभ अर्जन किया जबकि आठ फैक्ट्रियों ने ₹106 करोड़ की हानि वहन की थी। प्रचालन समूह वार अर्जित लाभ/हानि का विवरण तालिका-36 में दिया गया है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने ₹938 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस लाभ में से ₹ 553 करोड़ थल सेना को निर्गम से प्राप्त हुए। शस्त्र समूह की फैक्ट्रियों ने अधिकतम लाभ अर्जित किया; इस समूह में, वाहन फैक्ट्री जबलपुर का ₹ 253 करोड़ का लाभ, समूह के कुल लाभ का 27 प्रतिशत था।

तालिका - 36

2012-13 के दौरान लाभ/हानि	गोलाबारूद एवं विस्फोटक	शस्त्र वाहन एवं उपस्कर	शस्त्रसज्जित वाहन	सामग्री एवं संघटक	आयुध उपस्कर	कुल योग
आई.एफ.डी.	-28	33	35	60	-3	97
थल सेना	180	271	99	-	3	553
एम.एच.ए.	63	20	4	-	1	88
अन्य	38	128	6	37	-9	200
कुल योग	253	452	144	97	-8	938

* आई.एफ.डी.: अंतर फौकट्री मांग, जहाँ सहयोगी फौकट्रियाँ अन्य फौकट्रियों के भंडार की आवश्यकता को पूरा करती हैं।

8.1.6.2 अंतर फौकट्री मांग के मदों का निर्गम मूल्य आयुध फौकट्री बोर्ड द्वारा वर्ष के प्रारंभ में निश्चित किया जाता है। यह मूल्यांकन में अव्ययों को समाहित करता है जिसकी पुनरीक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका उत्पादन लागत तथा उत्पादों के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2012-13 में अंतर फौकट्री मांग द्वारा फौकट्रियों के अंतिम उत्पाद के इनपुट के रूप में अन्य फौकट्रियों को उत्पादों के निर्गम में ₹ 97 करोड़ का लाभ अर्जन किया। परिणामस्वरूप, अंतिम उत्पाद निर्माता फौकट्रियों में सामग्री की लागत ₹ 97 करोड़ बढ़ गई क्योंकि जिस लागत पर ये मद अंतिम उत्पाद निर्माता फौकट्रियों को निर्गमित किए गए उसे अंतिम उत्पाद निर्माता फौकट्रियों ने इनपुट लागत के रूप में लिया और इस प्रकार लाभ के अव्यय के बराबर इनपुट लागत अनावश्यक रूप से बढ़ गया। यह अंततः मांगकर्ताओं, विशेषकर थल सेना को वहन करना पड़ा और उत्पाद महंगा हो गया।

8.1.6.3 यद्यपि आठ फौकट्रियों ने, जैसा कि तालिका-35 में दिखाया गया है, 2012-2013 में 50 प्रतिशत उपरिव्यय दिखाया जिसके बारे में पैराग्राफ 8.1.5.10 में चर्चा की गई है, इन आठ फौकट्रियों ने कुल मिलाकर 2012-2013 में ₹ 90.5 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मांगकर्ताओं द्वारा मूल्य पर प्रभावी दृष्टि के अभाव में हानि वहन करने वाली फौकट्रियों ने अपनी अक्षमता की कीमत मांगकर्ताओं पर भरित कर दी। कुछ फौकट्रियों ने अर्धसैनिक बलों पर काफी अधिक मूल्य प्रभारित कर (गृह मंत्रालय के माध्यम से) थल सेना को निर्गम में हुई अपनी हानियों की भरपाई की। उदाहरण के लिए, राइफल फौकट्री ईशापुर ने 2012-2013 के दौरान थल सेना को निर्गम में ₹ 0.86 करोड़ की हानि वहन किया जिसे गृह मंत्रालय को की गई बिक्री से 8.05 करोड़ का लाभ अर्जित कर समायोजित किया गया।

प्रकरण अध्ययन: धातु एवं इस्पात फौकट्री ईशापुर में उत्पादन लागत एवं मूल्य निर्धारण

धातु एवं इस्पात फौकट्री ईशापुर ने फौकट्री में उत्पादित प्रधान मदों की संख्या में कमी दर्शाते हुए 2010-2011 के 66 से 2012-2013 में 28 की संख्या बताई। उसी अवधि में प्रधान मदों की उत्पादन लागत ₹ 177 करोड़ से बढ़कर ₹ 200 करोड़ हो गई। फौकट्री वास्तव में एक प्रदायक फौकट्री है जिसके कुल उत्पादन में अंतर फौकट्री मांग का भाग 86-92 प्रतिशत है। पैरा 8.1.5.10 में फौकट्री में उच्च उपरिव्यय (उत्पादन लागत का 65-53 प्रतिशत) को दिखाया गया है जिसके कारण उत्पादन अभिव्ययी हुआ। फिर भी, फौकट्री ने हर वर्ष लाभ अर्जन किया: 2012-2013 में फौकट्री ने ₹ 19 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

एक विशिष्ट मद के प्रति धातु एवं इस्पात फौकट्री ईशापुर ने 2012-2013 में उत्पादन के लिए विविध अनुमान अपनाया। उदाहरण के लिए, फ्यूज के लिए नोज एडाप्टर के 11 अनुमान थे जिसमें श्रम की अनुमानित इकाई लागत ₹ 1 से ₹ 107 तक थी। इन अनुमानों में नियत उपरिव्यय ₹ 1.50 से ₹ 363 तक था; परिवर्तनीय उपरिव्यय ₹ 0.5 से ₹ 126 तक था। परिणामस्वरूप, इन 11 अनुमानों के प्रति वास्तविक इकाई उत्पादन लागत ₹ 141 से ₹ 793 तक थी। इस अंतर फौकट्री मांग मद का इकाई निर्गम मूल्य ₹ 668 निश्चित किया गया। यह लागत नियंत्रण का प्रयास किए बिना अकुशलता को

स्वीकार करने व लागत को सीमित न करने के बारे में इंगित करता है तथा इस लागत को प्राप्तकर्ता फैक्ट्रियों पर भारित करने तथा सतत रूप से अंतिम उत्पाद के मूल्य को वृद्धित करने के बारे में बताता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने मूल्य निर्धारण पर पूरी छूट दे रखी है तथा अन्य भागीदारों तथा रक्षा बल अथवा रक्षा मंत्रालय ने भी मर्दों की लागत के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड को उत्तरदायी नहीं ठहराया।

8.1.7 भंडार सूची

8.1.7.1 2012-2013 में शस्त्रसज्जित वाहन समूह एवं गोलाबारूद एवं विस्फोटक समूह में उत्पादन लागत के प्रतिशत के रूप में भंडार अधिक था जो क्रमशः 73 एवं 68 प्रतिशत रहा। इन दोनों समूहों की फैक्ट्रियाँ मूलतः संयोजन इकाइयाँ हैं जो इनपुट सामग्री सहयोगी फैक्ट्रियों अथवा व्यापार से अधिप्राप्त करती हैं।

8.1.7.2 आयुध फैक्ट्रियों में अधिक भंडारण एक स्थाई प्रवृत्ति है। 31 मार्च 2013 को फैक्ट्रियों में ₹ 10490 करोड़ की सामग्री विद्यमान थी जो उत्पादन लागत का दो तिहाई है। भंडार सूची का आगे का विवरण तालिका 37 में दिया गया है।

तालिका - 37

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध भंडार	जारी कार्य	पारगमन भंडार	तैयार माल तथा संघटक	कुल भंडारण
2010-11	5,178	2,296	669	1,214	9,357
2011-12	5,337	2,551	537	1,212	9,637
2012-13	5,604	2,998	682	1,206	10,490

8.1.7.3 नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों¹³² में हमने भंडार सूची प्रबंधन की पुनरीक्षा संपादित की। पुनरीक्षा के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि सभी प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में सामग्री भंडारण निर्धारित स्तर से अधिक था जिसके कारण अप्रयुक्त भंडार का जमाव हुआ। हमारे मुख्य निष्कर्ष निम्नवत थे:-

- 31 मार्च 2013 को सामग्री भंडारण का 51 प्रतिशत उपलब्ध भंडार (कच्चा माल) था। इस समूह में 2011-2013 के दौरान 15 प्रतिशत की कमी के बावजूद यह आयुध फैक्ट्रियों के लिए एक गंभीर विषय है।
- आयुध फैक्ट्री अधिप्राप्ति नियम पुस्तक में सामग्री भंडारण की फैक्ट्री-वार सीमा दी गई है जो फैक्ट्री की प्रकृति के अनुसार चार या छः माह की खपत के बराबर होती है। हमने देखा कि नौ फैक्ट्रियों में उपलब्ध भंडार का 95 प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक था। सीमा से अधिक भंडारित इन मर्दों का चार-पाँचवाँ भाग से अधिक हिस्सा ऐसे मर्दों का था जो उपयोग में नहीं लाए गए इसलिए वे अप्रयुक्त भंडार के रूप में चिन्हित थे। ₹ 96 करोड़ मूल्य के मर्द न केवल निर्धारित भंडारण सीमा से अधिक थे बल्कि 2010-13 के दौरान अधिप्राप्ति के पश्चात एक बार भी उपयोग नहीं किए गए।
- अप्रयुक्त उपलब्ध भंडार ऐसे भंडारों का समूह है प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष या अधिक अवधि से उपयोग में नहीं लाए गए हैं। नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में विद्यमान भंडार की सूची का 21 प्रतिशत भाग अप्रयुक्त भंडार का था। 31 मार्च 2013 को अप्रयुक्त भंडार का मूल्य ₹ 512 करोड़ था; पुनरीक्षा के तीन वर्षों में अप्रयुक्त भंडार के आंकड़े लगभग एक समान ही रहें।

¹³² आयुध फैक्ट्री कटनी, धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ, आयुध फैक्ट्री अंबाझरी, गन एवं सेल फैक्ट्री कोशीपुर, भारी वाहन फैक्ट्री आवडी, आयुध फैक्ट्री मेडक, आप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून एवं आयुध फैक्ट्री देहरादून

चार्ट - 10



8.1.8 उपभोक्ता आधार की विविधता

8.1.8.1 थल सेना, आयुध फैक्ट्री बोर्ड का मुख्य उपभोक्ता है जो उत्पादन के 80 प्रतिशत भाग का उपयोग करता है। तथापि, फैक्ट्रियों से की गई आपूर्ति से थलसेना की कुल आवश्यकताओं का केवल 48 प्रतिशत ही पूरा हो पाता है। वायु सेना एवं नौ सेना मिलकर फैक्ट्री के निर्गम का 3.6 प्रतिशत भाग उपयोग करते हैं। राज्य पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों को शस्त्र एवं गोलाबारूद की आपूर्ति में 2011-13 के दौरान 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा जो 2012-13 में फैक्ट्री के निर्गम का 6.9 प्रतिशत था।

8.1.8.2 निर्गम का 7.9 प्रतिशत छोटा भाग सिविल व्यापार का था जिसमें मुख्यतः रिवाल्वर, पिस्टल, स्पोर्टिंग राइफल इत्यादि शामिल थे। 2012-2013 में फैक्ट्रियों ने ₹948 करोड़ का सिविल व्यापार दिखाया। पिछले तीन वर्षों में सिविल व्यापार में वृद्धि हुई जिसके कारण फैक्ट्रियों ने काफी लाभ अर्जित किया।

8.1.8.3 2012-13 में ₹ 15 करोड़ के अल्प मूल्य का राजस्व निर्यात द्वारा अर्जित किया गया; जो 2011-2012 के ₹46 करोड़ से बहुत कम था। मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अंबरनाथ प्रमुख निर्यातक थी। तथापि, निर्यात भारत सरकार की प्रतिसंतुलन नीति का परिणाम है जिसमें आयातकों को घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से निर्यात के साथ आयात के प्रतिसंतुलन की अपेक्षा होती है।

8.1.9 तकनीक का समावेशन

8.1.9.1 भारत में रक्षा उत्पादन के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है “यथासंभव अल्प समय में रक्षा बलों द्वारा आवश्यक सैन्य उपस्कर/शस्त्र प्रणाली/प्लेटफार्म की डिजाइन बनाने, विकास करने एवं उत्पादन करने में पर्याप्त निर्भरता प्राप्त करना”। यह आयुध फैक्ट्री बोर्ड का एक और लक्ष्य निर्मित करता है: “अंतर्वर्ती अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से नवीनतम तकनीक का समावेशन करना”।

तकनीक हस्तांतरण

8.1.9.2 मूल उपस्कर निर्माता के साथ तकनीक हस्तांतरण आत्म निर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। 1999-2005 के दौरान आयुध फैक्ट्री बोर्ड ने चार मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ तकनीक हस्तांतरण करार किया (तालिका-38)। 2005 से, आयुध फैक्ट्री बोर्ड में कोई तकनीक हस्तांतरण

करार नहीं हुआ। यद्यपि इन तकनीक हस्तांतरण उत्पादों के देशीकरण की नियोजित तारीख 2002-2003 से 2009-2010 के मध्य थी, तकनीक का समावेशन पूरी तरह से नहीं हो सका जैसा कि तालिका-38 में दर्शाया गया है

तालिका-38

वर्ष	मद	ओ.ई.एम.	लागत (₹ करोड़ में)	स्वदेशीकरण की नियोजित अवधि	स्वदेशीकरण की स्थिति
मई 2004	ए.के. 630 गन	रोसेबॉरॉन एक्सपोर्ट रूस	96	2007-08	48 प्रतिशत
फरवरी 2005	84 मि.मी. राकेट लांचर मार्क- III	एफ.एफ.वी. आर्डनेन्स स्वीडन	460	2009-10	47 प्रतिशत
जून 2000	155 मि.मी. स्क्रीनिंग स्मोक ब्ल्यू इमिशन गोलाबारूद	मेसर्स डेनेल स्वार्टक्लिप, दक्षिण अफ्रीका	-	मार्च 2003	25 प्रतिशत
अक्टूबर 2003	130 मि.मी. कार्गो गोलाबारूद	आई.एम.आई. इजरायल	40	2008-09	आई.एम.आई. पर प्रतिबंध के कारण कोई प्रगति नहीं
फरवरी 2001	टी-90 टैंक	रोसेबॉरॉन एक्सपोर्ट	2424	2006-07	78 में से 59 कोड (मुख्य संयोजन)
	कुल योग		3020		

8.1.9.3 तकनीक हस्तांतरण से आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं हुई: मूल उपस्कर निर्माताओं द्वारा जटिल संयोजनों के अभिकल्प का हस्तांतरण न होना, संघटकों के लिए मजबूत विक्रेता आधार विकसित करने में अक्षमता तकनीक हस्तांतरण में बाधा के प्रमुख कारण हैं। इसके कारण आयुध फैक्ट्री बोर्ड को जटिल संघटकों के सतत आयात पर निर्भर होना पड़ा। टी-90 टैंक के तकनीक हस्तांतरण का मामला इसका एक उदाहरण है। अभिकल्प दस्तावेजों के अनुवाद में विलंब तथा रूस की फर्म द्वारा गन संयोजन जैसे जटिल संयोजनों के अभिकल्प को प्रदान करने में विफलता के कारण तकनीक हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न हुई। इन अभिकल्पों के वैकल्पिक साधन पर निर्णय में विलंब से भी समस्या बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप, ₹ 4,913 करोड़ की लागत से टी-90 टैंकों (एवं उपकरण) का निर्यात हुआ। इसके अतिरिक्त, टी-90 टैंकों के जटिल संयोजनों/संघटकों के आयात पर ₹2,372 करोड़ का व्यय किया गया जो टी-90 टैंकों के देशज उत्पादन की कुल लागत का 62 प्रतिशत था।

अंतर्वर्ती अनुसंधान एवं विकास

8.1.9.4 प्रत्येक आयुध फैक्ट्री में एक अनुसंधान एवं विकास अनुभाग होता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मूल क्षेत्रों में विशिष्ट प्रवीणता के साथ विविध स्थानों पर 11¹³³ आयुध विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र इस प्रकार के अभिकरण तैयार करते हैं जो फैक्ट्रियों को उनके अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में नियोजन एवं सलाह प्रदान करते हैं। आयुध फैक्ट्री बोर्ड के पास अनुसंधान एवं विकास पर व्यय करने के लिए पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं।

¹³³ गोला बारूद फैक्ट्री किरकी में लघुशस्त्र गोलाबारूद, विकास केंद्र, आयुध फैक्ट्री चांदा में फिलिंग तकनीक एवं दीक्षात्मक संघटन विकास केंद्र, आयुध फैक्ट्री भंडारा में विस्फोटक एवं प्रोपेलेंट विकास केंद्र, आयुध फैक्ट्री अंबाझरी में गोलाबारूद हार्डवेयर, रॉकेट, मेकेनिकल फ्यूज एवं अलौह मिश्र धातु, मशीन टूल प्रोपेटाइज फैक्ट्री अंबरनाथ में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज एवं दिशानिर्देश, तोप गाड़ी फैक्ट्री जबलपुर में उच्च क्षमता शस्त्र एवं प्लेटफार्म केंद्र, राइफल फैक्ट्री ईशापुर में लघु शस्त्र विकास, आयुध फैक्ट्री कानपुर में आयुध एवं युद्धक उपकरण विकास केंद्र, धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर में एडवांस विकास (लौह) केंद्र, आप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून में आप्टोनिक्स विकास एवं इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र।

8.1.9.5 कुल राजस्व व्यय पर अनुसंधान एवं विकास व्यय का भाग नगण्य था जो 2012-13 में ₹ 48 करोड़ था, यह बोर्ड के संपूर्ण राजस्व व्यय का मात्र 0.40 प्रतिशत था। अनुसंधान एवं विकास व्यय के कारण सफलता भी प्राप्त हुई है। उदाहरण के लिए, आयुध फैक्ट्री बोर्ड में सम्मिलित प्रयास से 155 मिमी आर्टिलरी गन का विकास किया गया जो फरवरी 2013 में हुए परीक्षण मूल्यांकन में सफल रहा जिसके प्रति थल सेना ने 114 गन की मांग प्रस्तुत की।

8.1.9.6 तथापि, विलंब के कारण अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर प्रभाव पड़ा जिससे परियोजनाएँ बिना किसी सार्थक परिणाम के मध्य में ही बन्द हो गईं। उदाहरण के लिए, आयुध फैक्ट्री देहूरोड में 155 मि.मी. रेड फास्फोरस सेल तथा स्क्रीनिंग स्मोक ब्ल्यू इमिशन के लिए दो परियोजनाएँ 118 तथा 17 माह तक विलंबित हो गईं। विलंब के कारण कमी को पूरा करने के लिए गोलाबारूद का आयात करना पड़ा। हैवी एलॉय पेनीट्रेटर प्रोजेक्ट, त्रिची में फिन स्टैबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिसकार्डिंग सेबो शॉट/बार हेड पर पाँच परियोजनाओं में से केवल एक परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकी। दो परियोजनाओं का पूर्व-समापन हुआ तथा दो परियोजनाएँ अभी परीक्षण के अंतर्गत थीं।

भाग- II हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

8.1.10 लेखापरीक्षा नियोजन

8.1.10.1 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया, किए गए व्यय, कार्यकलापों की जटिलता व कठिनता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों, समग्र आंतरिक नियंत्रण तथा भागीदारों के हितों के आधार पर संगठन के संपूर्ण तथा उसके प्रत्येक यूनिट के जोखिम आकलन से प्रारंभ होती है। प्रक्रिया में पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा उसकी सीमा निश्चित की जाती है। इस प्रकार के जोखिम आकलन के आधार पर एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

8.1.10.2 प्रत्येक यूनिट की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात यूनिट के प्रमुख स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें लेखापरीक्षा के निष्कर्ष होते हैं, प्रदान किया जाता है। यूनिट से स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया जाता है। उत्तर के प्राप्त होने पर या तो लेखापरीक्षा निष्कर्ष को निस्तारित कर दिया जाता है या फिर अनुपालन के संबंध में आगे की कार्रवाई किए जाने की सलाह दी जाती है। इन स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। 2012-2013 के दौरान 4047 पार्टी दिवसों का उपयोग कर 47 यूनिटों की लेखापरीक्षा संपादित की गई। हमारी लेखापरीक्षा योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि सबसे महत्वपूर्ण यूनिटें जहाँ जोखिम की स्थिति अधिक है, उन्हें उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों के द्वारा लेखापरीक्षा में सम्मिलित किया जाए।

8.1.10.3 हमने 2012-2013 के दौरान 65 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया जिनमें 435 पैराग्राफ थे। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 2012 को 1816 पैराग्राफ सहित 535 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बकाया थे। यूनिटों के साथ नियंत्रित वार्ता के कारण 524 पैराग्राफ सहित 84 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संतोषजनक उत्तर प्राप्त हो सका। 31 मार्च 2013 को 1727 पैराग्राफ सहित 516 स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर यूनिटों से उत्तर प्राप्त होना शेष था।

8.1.10.4 इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा में पाए गए आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा उल्लंघन के 14 मामलों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें काफी बड़ी धनराशि संलग्न है।

8.2 आयुध फैक्ट्रियों में भंडार सूची प्रबंधन

कार्यकारी सारांश

आयुध फैक्ट्रियों में ₹104,90 करोड़ (31 मार्च 2013) के भंडारण विद्यमान थे, जो उत्पादन लागत का दो तिहाई थी। प्रधान नियंत्रक लेखा, फैक्ट्रियाँ (पी.सी.आफ.ए, फैक्ट्रियाँ) द्वारा तैयार वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा में फैक्ट्रियों में भंडारण के अधिक स्तर को 'गंभीर विषय' के रूप में चिन्हित किया गया है। आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) तथा फैक्ट्रियों में भंडार का डाटाबेस कम्प्यूटरीकृत है। अतः हमने अनुभव किया कि भंडार सूची प्रबंधन की पुनरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियों में भंडार सूची प्रबंधन पर उपयुक्त अनुशंसा करने में सहायक होगी।

हमारी लेखापरीक्षा में 2010-2011 से 2012-2013 के वर्षों के दौरान आयुध फैक्ट्रियों के निष्पादन को शामिल किया गया है। इसमें कोलकाता स्थित आयुध फैक्ट्री बोर्ड तथा फैक्ट्रियों के सभी प्रचालन समूहों में से चयनित नौ आयुध फैक्ट्रियों को सम्मिलित किया गया है। चयनित फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर ₹ 4,799 करोड़ के भंडारण विद्यमान थे, जो 31 मार्च 2013 को सभी आयुध फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित कुल सामग्री का 46 प्रतिशत थी।

विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) अर्थात् फैक्ट्री के भंडार अनुभाग में उपलब्ध कच्चे माल का भंडार आयुध फैक्ट्रियों में एक गंभीर विषय है। 31 मार्च 2013 को नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में उपलब्ध भंडार का 50 प्रतिशत एस.आई.एच. के रूप में था जिसका मूल्य ₹ 2,425 करोड़ था। नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में निष्क्रिय एस.आई.एच. अर्थात् वे मद जो क्रय के पश्चात तीन अथवा अधिक वर्षों से उपयोग में नहीं लाए गए, 2010-2013 के दौरान 73 प्रतिशत बढ़ गया। हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में एस.आई.एच. का 95 प्रतिशत भाग प्रधिकृत सीमा से अधिक था। सीमा से अधिक रक्षित इन मदों का चार-पांचवाँ से अधिक भाग वे मद थे जो हमारे विश्लेषण की अवधि 2012-2013 के दौरान बिल्कुल उपयोग में नहीं लाए गए। ₹ 96 करोड़ मूल्य के मद केवल निर्धारित भंडारण सीमा से अधिक ही नहीं थे बल्कि 2010-2013 के दौरान उसकी अधिप्राप्ति के पश्चात एक बार भी उपयोग में नहीं लाए गए। उपयोग के सभी विकल्पों के उपयोग की वर्तमान प्रक्रिया विफल रही जिसके कारण निष्क्रिय भंडार निर्मित हुआ। दूसरी तरफ, सक्रिय भंडार की परिभाषा (एक मद 'सक्रिय' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह वर्ष के दौरान एक भी यूनिट उपयोग कर लिया जाता है) प्रतीकात्मक उपयोग का भारी जोखिम उत्पन्न करता है जिसके कारण उसे निष्क्रिय भंडार से अलग रखा गया है। सभी नौ फैक्ट्रियों ने ₹ 373 करोड़ मूल्य के 5925 मदों के प्रति प्रतीकात्मक उपयोग दर्ज किया जो कि एक सामान्य रूझान था।

जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.) वह सामग्री होती है फैक्ट्री के उत्पादन शॉप में उत्पादन के अधीन होती है। 2010-2013 के दौरान नौ फैक्ट्रियों में डब्ल्यू.आई.पी. 21 प्रतिशत बढ़ गया तथा मार्च 2013 तक डब्ल्यू.आई.पी. का मूल्य ₹ 1,501 करोड़ हो गया। डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि का उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप न होना, खुले अधिपत्रों अर्थात् कई कारणों से उत्पादन के बन्द होने के बावजूद खुले अधिपत्रों के प्रति सामग्री अथवा श्रम की छद्म प्रविष्टि के जोखिम की ओर इंगित करता है। यद्यपि अधिपत्रों का 6 माह के अंदर समापन हो जाना चाहिए किंतु आठ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में 17 प्रतिशत अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे। एक वर्ष से अधिक अवधि तक खुले अधिपत्रों का मूल्य ₹ 434 करोड़ था। फैक्ट्रियाँ अस्वीकृत स्टॉक को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा पारगमन भंडार के रूप में कुछ मामलों में 20 वर्ष से अधिक अवधि से दर्शा रहीं थी जो कि प्रकाश में नहीं लाया जा सका। सामग्री की पुनरीक्षा तथा अस्वीकृति के कारण हानि के लिए दायित्व तय करने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण फैक्ट्रियों में अस्वीकृत भंडार को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा एस.आई.टी. के रूप में दिखाकर अस्वीकृति को "छिपाने" की प्रवृत्ति बढ़ी जबकि दायित्व तय करने में विलंब से उद्देश्य पूर्ण न हो सका।

भौतिक सत्यापन द्वारा प्रदत्त आश्वासन अपर्याप्त था तथा उससे भंडारों के भौतिक उपलब्धता की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होती थी। शॉप से मांग नोट के बिना सामग्री के 'ऋण निर्गम' का उपयोग के लिए बोर्ड की संस्वीकृति नहीं थी जो एक अनुचित प्रथा है। बोर्ड द्वारा भंडारण की पुनरीक्षा विस्तृत नहीं थी तथा उससे फ़ैक्ट्रियों को स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश नहीं प्राप्त होते थे।

संस्तुतियाँ

- भंडार अधिप्राप्ति पर बजट अनुमान को फ़ैक्ट्रियों की उत्पादन योजना से भलीभांति संबद्ध होना चाहिए। बोर्ड को अंतर के कारणों की पुनरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो अनुमान में शुद्धता को बढ़ाने में सहायक होगा। यह प्रक्रिया उप महानिदेशक (बजट) द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
- बोर्ड को प्राधिकृत सीमा से अधिक भंडारण के बहुसंख्यक मामलों की पुनरीक्षा करना चाहिए तथा भंडारण के नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- बोर्ड को विद्यमान भंडार के 'सक्रिय' रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों का पुनः परीक्षण करना चाहिए तथा इसे उपयोग की प्रतिशतता के रूप में तय करना चाहिए जिससे नाममात्र उपभोग के मामलों से बचा जा सके।
- भारी वाहन फ़ैक्ट्री आवडी में टी-72 टैंकों के ₹161 करोड़ मूल्य के निष्क्रिय भंडार (8530 मद्) को तकनीकी पुनरीक्षा के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए (उपलब्ध टी-72 टैंकों की मरम्मत के लिए आवश्यकता की पहचान करने के पश्चात) जिससे इन मद्दों पर बोर्ड से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने में आसानी हो। इस से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने में आसानी हो। इस प्रकार के व्यवस्थापन से बोर्ड के पास बेहतर व्यवस्था योग्य सामग्री उपलब्ध होगी।
- बोर्ड को बिना उत्पादन वाले खुले अधिपत्रों के प्रति व्यय की छलपूर्ण प्रविष्टि के जोखिम की पहचान करनी चाहिए। ऐसे अधिपत्रों को व्यवस्थित करने के लिए तथा उसकी पुनरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना बनाने से जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी।
- भारी वाहन फ़ैक्ट्री आवडी में एम.बी.टी. अर्जुन के कारण जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.) मद्दों को तकनीकी पुनरीक्षा हेतु व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे बोर्ड से इन मद्दों पर विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।
- बोर्ड को लंबी अवधि से पारगमन भंडार तथा डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में प्रदर्शित मद्दों के मद्दवार वार्षिक विश्लेषण के लिए जोर देना चाहिए। यह जोखिम आधारित प्रतिदर्श, जिसमें मूल्य एवं समय दोनों विश्लेषण निहित होते हैं, के अनुसार किया जाना चाहिए।
- बोर्ड को 'ऋण निर्गम' की नियमित प्रथा के कारणों की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा इस अनुचित प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।
- बोर्ड को उन मद्दों, जो कि 'निष्क्रिय' हो गए हैं, के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त घोषित करने तथा उनके निस्तारण करने की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए।
- बोर्ड को जॉच बोर्ड के गठन एवं उसकी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण तथा इन रिपोर्टों पर कार्रवाई के लिए एक व्यवहारिक समयावधि निश्चित करना चाहिए।
- बोर्ड को दो डाटाबेसों के निर्बाध समन्वय के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए।


बोर्ड ने समापन बैठक (सितंबर 2014) के दौरान उपर्युक्त सभी संस्तुतियों को स्वीकार किया।

8.2.1 भूमिका

39 आयुध फैक्ट्रियाँ रक्षा सेवाओं के लिए विभिन्न मदों का निर्माण करती हैं। ये मद पाँच प्रचालन समूहों में व्यवस्थित किए जाते हैं तथा इनमें शस्त्र, गोलाबारूद, शस्त्र सज्जित वाहन, परिवहन वाहन, वस्त्र एवं उपस्कर आदि शामिल हैं। फैक्ट्रियाँ आयुध फैक्ट्री (बोर्ड) के समग्र नियंत्रण में कार्य करती हैं। बोर्ड में सदस्य, नियोजन एवं सामग्री प्रबंधन तथा अभियंत्रिकी (पी.एवं एम.एम.) भंडार सूची प्रबंधन का प्रभारी होता है। सदस्य (पी. एवं एम.एम.) के संगठन का विवरण परिशिष्ट-IX में दिया गया है।

आयुध फैक्ट्रियाँ सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता (वार्षिक मांग) तथा उनके साथ परस्पर संपर्क करके अपने उत्पादन कार्य का नियोजन करती हैं। जनवरी 2010 में ही थलसेना के साथ प्रक्रम को व्यवस्थित किया गया जब थलसेना द्वारा गोला बारूद के लिए पाँच वर्षीय संभावित योजना पर कार्य किया गया; शस्त्रों के लिए यह योजना फरवरी 2011 में प्रारंभ हुई। थलसेना के आयुध फैक्ट्रियों के प्रमुख उपभोक्ता होने के कारण संभाव्य योजना से बोर्ड को उत्पादन तथा अन्य संबद्ध कार्यकलापों यथा भंडार की अधिप्राप्ति एवं भंडार प्रबंधन हेतु बहु वर्षीय योजना बनाने में सहायता मिलती है।


चार्ट -11



2010-2013 के दौरान आयुध फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा भंडार का था (चार्ट-11)। पिछले तीन वर्षों 2010-13 के दौरान भंडार की औसत वार्षिक खपत ₹ 9,500 करोड़ थी तथा उस अवधि में औसत उत्पादन लागत ₹15,300 करोड़ था। फैक्ट्रियाँ, आयात, देशी स्रोतों तथा अन्य सहयोगी फैक्ट्रियों के माध्यम से भंडार का क्रय करती हैं।

8.2.2 हमने यह लेखापरीक्षा क्यों संपादित की

चार्ट-12



31 मार्च 2013 को फैक्ट्रियों के पास कुल मिलाकर ₹10,490 करोड़ का भंडारण था जो उत्पादन लागत का दो तिहाई थी। 2012-2013 में भंडारण में वृद्धि का रुझान था (चार्ट-12) तथा यह उत्पादन लागत का 66 प्रतिशत हो गया। निष्क्रिय भंडार, जो कि पूरे वर्ष के दौरान उपयोग में नहीं लाए गए, का स्तर पिछले तीन वर्षों के दौरान एक समान था। प्रधान नियंत्रक लेखा द्वारा तैयार वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा में, फैक्ट्रियों में भंडार के उच्च स्तर को 'एक गंभीर विषय' के रूप

में चिन्हित किया गया। हमने अनुभव किया कि भंडार सूची प्रबंधन की पुनरीक्षा से हमें भंडारण के कारणों की पहचान करने तथा भंडार सूची प्रबंधन पर उपयुक्त अनुशंसा करने में बोर्ड को सहयोग प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

8.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रतिदर्श

हमारी लेखापरीक्षा में 2010-2011 से 2012-2013 के वर्षों में आयुध फैक्ट्रियों के निष्पादन को शामिल किया जाता है। इसमें कोलकाता स्थित बोर्ड एवं सभी प्रचालन समूहों की फैक्ट्रियों में से चयनित नौ¹³⁴ आयुध फैक्ट्रियों को सम्मिलित किया गया है। चयनित फैक्ट्रियों के पास कुल मिलाकर ₹ 4,827 करोड़ की सामग्री उपलब्ध है जो आयुध फैक्ट्रियों के पास विद्यमान कुल सामग्री का 50 प्रतिशत है। तालिका-39 में लेखापरीक्षा प्रतिदर्श चयन का विवरण दिया गया है।

तालिका-39 : समग्र संख्या व चयनित प्रतिदर्श

भंडार का वर्ग ¹³⁵	संपूर्ण संख्या		प्रतिदर्श		लेखापरीक्षा की सीमा (प्रतिशत में)	अभ्युक्ति
	मदों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	मदों की संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)		
ए	2659	727	161	636	100	भंडार के वे मद जो प्रतिदर्श में शामिल नहीं किए गए वे निम्नवत हैं: (क) पाँच फैक्ट्रियाँ यथा ओ.एफ.कटनी, एम.एस.एफ., एम.टी.पी.एफ., जी.एस.एफ. एवं ओ.एफ.डी. में ₹10 लाख मूल्य से कम के मद (ख) तीन फैक्ट्रियों यथा ओ.एफ.ए.जे, ओ.एफ.एम.के. एवं ओ.एल.एफ. में ₹ 1 करोड़ से कम के मद एवं (ग) एच.वी.एफ. में दो करोड़ से कम के मद
बी	2072	592	55	79	50	
सी	98463	1101	78	194	25	
कुल योग	103194 ¹³⁶	2419 ¹³⁷	294	909		

स्रोत: चयनित आयुध फैक्ट्रियों में मूल्यांकित भंडार लेजर का डाटाबेस

8.2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमारी लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आश्वासन देना था कि:-

- कोष की आवश्यकता के आकलन एवं भंडार अधिप्राप्ति पर कोष के उपयोग को चरणबद्ध करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली उपलब्ध थी;
- फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित भंडार प्राधिकृत नियमों के अंतर्गत रखने तथा निष्क्रिय भंडार के निर्माण को रोकने के लिए उनका समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान थी;
- उत्पादन के प्राधिकार के प्रति समयबद्धता से समापन को सुनिश्चित करने के लिए 'जारी कार्य' के रूप में वर्गीकृत भंडार की पुनरीक्षा की जाती है;

¹³⁴ आयुध फैक्ट्री कटनी, म.प्र. (ओ.एफ.क.) धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल (एम.एस.एफ.), मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ महाराष्ट्र (एम.टी.पी.एफ.) आयुध फैक्ट्री अंबाझरी, महाराष्ट्र (ओ.एफ.ए.जे.) गन एवं सेल फैक्ट्री काँशीपुर, पश्चिम बंगाल (जी.एस.एफ.) भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी, चेन्नई (एच.वी.एफ.), आयुध फैक्ट्री मेडक, तेलंगाना (ओ.एफ.एम.के.) आप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून (ओ.एल.एफ.डी.) एवं आयुध फैक्ट्री देहरादून उत्तराखण्ड (ओ.एफ.डी.)

¹³⁵ 'ए' वर्ग के मद वे मद हैं जिनकी वार्षिक खपत कुल खपत मूल्य का 80 प्रतिशत होता है, 'बी' वर्ग के मद वे मद हैं जिनकी वार्षिक खपत कुल खपत मूल्य का 15 प्रतिशत होता है तथा 'सी' वर्ग के मद वे मद हैं जिनकी वार्षिक खपत कुल खपत मूल्य का 5 प्रतिशत होता है

¹³⁶ 3.04 लाख भंडार मदों में से, 2.01 लाख भंडार मद का स्टॉक शेष 'शून्य' था एवं वास्तविक स्टॉक मद 1.03 लाख थे।

¹³⁷ नौ आयुध फैक्ट्रियों के डाटाबेस में 31 मार्च 2013 को विद्यमान भंडार का मूल्य ₹2419.24 करोड़ दर्शाया गया है जबकि वार्षिक भंडार लेखे में ₹2425.25 करोड़ दिखाया गया है, जिसका समायोजन किया जाना अभी शेष है।

- पारगमन भंडार को तत्परता से प्रभारित किया जाता था तथा फैक्ट्रियों के मध्य विवादों को निस्तारित किया जाता था जिससे इन मदों का निपटारा सुनिश्चित किया जा सके; और
- भंडार सूची प्रबंधन पर आंतरिक नियंत्रण विद्यमान था तथा उनका प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जाता था।

8.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

लेखापरीक्षा उद्देश्य का आकलन करने के लिए अपनाए गए लेखापरीक्षा मानदण्ड के प्रमुख स्रोत निम्नवत थे:-

- ओ.एफ.बी. अधिप्राप्ति नियमपुस्तक 2005 एवं 2010;
- फैक्ट्री लेखांकन नियमावली (एफ.ए.आर.);
- रक्षा लेखा विभाग कार्यालय नियम पुस्तक भाग-VI (डी.ए.डी.ओ.एम. भाग-VI);
- रक्षा मंत्रालय तथा आयुध फैक्ट्री बोर्ड द्वारा जारी आदेश एवं अनुदेश;
- वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन;
- आयुध फैक्ट्रियों एवं आयुध फैक्ट्री बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त; तथा
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.)

8.2.6 लेखापरीक्षा कार्यविधि

लेखापरीक्षा अक्टूबर 2013 से जनवरी 2014 के मध्य सम्पादित किया गया। एक कम्प्यूटरीकृत माध्यम आईडिया (इन्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एवं एनालिसिस) का उपयोग करके सभी नौ फैक्ट्रियों में भंडार सूची के डाटाबेस का विश्लेषण किया गया। हमने विद्यमान भंडार, जारी कार्य एवं पारगमन भंडार पर ध्यान केंद्रित किया जो कुल भंडार का 89 प्रतिशत था।


नवंबर 2013 में आयोजित एवं 'प्रारंभ बैठक' के दौरान बोर्ड से लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा लेखापरीक्षा मानदंड पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान फैक्ट्री प्रबंधन को निष्कर्षों के बारे में सूचित किया गया। मार्च 2014 में जारी हमारे मूल प्रारूप रिपोर्ट के प्रति बोर्ड का प्रत्युत्तर सितंबर 2014 में प्राप्त हुआ। जहाँ उचित था, बोर्ड एवं आयुध फैक्ट्रियों का विचार संशोधित प्रतिवेदन में शामिल किया गया। 'समापन बैठक' 3 सितंबर 2014 को आयोजित हुई जिसमें रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

8.2.7 आभार

बोर्ड तथा नौ आयुध फैक्ट्रियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग एवं समर्थन के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

8.2.8 मांग से भंडार तक का प्रक्रम प्रवाह

अगले पृष्ठ में दिए गए फ्लो चार्ट में आयुध फैक्ट्रियों में भंडार के क्रय एवं उपयोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।



8.2.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य: कोष की आवश्यकता के आकलन तथा भंडार अधिप्राप्ति के लिए कोष के उपयोग को चरणबद्ध करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान थी।

8.2.9.1 भंडार प्रबंधन पर व्यय

अधिप्राप्ति की लागत प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड द्वारा आवंटित भंडार बजट से पूरी की जाती है। प्रतिदर्श आयुध फैक्ट्रियों में भंडार प्रबंधन के लिए कोष के उपयोग का विवरण तालिका-40 में दिया गया है:-

तालिका-40 भंडार हेतु कोष का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान (बी.ई.)	वास्तविक व्यय (ए. ई.)	अंतर (ए.ई-बी.ई.)	भिन्नता का प्रतिशत
2010-11	3,632	2,515	-1,117	-31
2011-12	2,101	2,372	271	13
2012-13	2,222	2,056	-166	-07

बजट अनुमान एवं वास्तविक उपयोग के बीच का अंतर 3 वर्षों के दौरान काफी कम हो गया जिससे भंडार की आवश्यकता के अनुमान में प्रगति के बारे में पता चलता है। तथापि फैक्ट्री-वार विश्लेषण (परिशिष्ट-X) अनुमानित एवं वास्तविक व्यय के मध्य भारी अंतर प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री, देहरादून 2012-2013 में वास्तविक व्यय बजट से 87 प्रतिशत अधिक बढ़ गया; उसी वर्ष में धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर में वास्तविक व्यय बजट से 57 प्रतिशत अधिक बढ़ गया। दूसरी ओर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री (एम.टी.पी.एफ.) अंबरनाथ ने 2012-2013 में अपने बजट का 31 प्रतिशत खर्च न कर सकी। पाँच फैक्ट्रियों में बचत से अन्य चार फैक्ट्रियों के आधिक्य का समायोजन हो गया जिससे 2012-2013 में समग्र व्यय लगभग बजट सीमा के अंदर ही रहा।

2010-2013 की अवधि के दौरान भंडार पर व्यय 18 प्रतिशत घट गया। यह मुख्यतः भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी द्वारा 2010-2011 में टी-90 औजारों के थोक आयात¹³⁸ के कारण था जिसके पश्चात दो वर्षों में लगभग 'निरंक' अधिप्राप्ति हुई। 2010-2013 की अवधि के दौरान अवाडी में कमी, शेष फैक्ट्रियों में भंडार पर व्यय में वृद्धि की भरपाई से अधिक था।

बोर्ड ने अनुभव किया (सितंबर 2014) कि बजट अनुमान तभी तैयार किए जाते हैं जब निश्चित मांगपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं अतः अनुमान की शुद्धता का निर्णय संशोधित अनुमानों के आधार पर लिया जाना चाहिए जो मांगपत्र की प्राप्ति के पश्चात तैयार किए जाते हैं तथा अधिक सटीक होते हैं।

हम स्वीकार करते हैं कि बोर्ड में व्यय, मांगपत्रों पर समरूप से आधारित होते हैं जिनका सदैव आकलन करना संभव नहीं होता। अनुमानों पर आधारित बजटीय प्रवाह निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित होता है। तथापि फैक्ट्री स्तर पर अनुमानों से भिन्नता जैसा कि आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्ट्री देहरादून तथा धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर के बारे में बताया गया है; एक ऐसा विषय है जिसका अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है।

व्यय के माह-वार विश्लेषण (परिशिष्ट-XI) से फैक्ट्रियों में असमान व्यय के बारे में ज्ञात होता है जहाँ थोक व्यय वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही जनवरी-मार्च में किया गया जिससे अंतिम माह का व्यय गैर

¹³⁸ सेमी नाकड डाउन तथा कंप्लीट नाकड डाउन मद

अनुपातिक रूप से अधिक हो गया। व्यय की अधिकता प्रमुख रूप से भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी, आप्टो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री देहरादून तथा आयुध फैक्ट्री देहरादून में देखी गई। आयुध फैक्ट्री, देहरादून ने 2012-2013 की अंतिम तिमाही में भंडार बजट का 56 प्रतिशत व्यय किया। यही आंकड़ा 2010-2011 एवं 2011-2012 में क्रमशः 61 तथा 42 प्रतिशत था। व्यय का यह रूझान, अधिप्राप्ति आदेशों के प्रति बिलों और रसीदों के अंतिम तिमाही में एकत्रीकरण के कारण था। यह अधिप्राप्ति में विलंब के परिणामस्वरूप हो सकता है जो बाद में आपूर्ति व्यवस्था प्रबंधन तथा लक्ष्यों के प्रति फैक्ट्रियों के उत्पादन एवं प्रदाय को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते थे। भंडार-सूची डाटाबेस में भंडार की प्राप्ति की निश्चित तारीख के आंकड़े एवं भंडार की अपूर्ति के प्रति बिलों के प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तारीख का उल्लेख नहीं था। फलस्वरूप, हम अंतिम तिमाही में अधिक व्यय के कारणों का विश्लेषण नहीं कर सके।

बोर्ड ने अनुभव किया (सितंबर 2014) कि ये भिन्नता के छिटपुट मामले थे जो मुख्यतः केंद्रीकृत एवं विदेशी क्रय के कारण सामने आए। तथापि तथ्य बोर्ड के विचार का समर्थन नहीं करते।

निष्कर्ष

कुछ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में बजट के उपयोग में भारी अंतर था एवं कोष के आकलन तथा भंडार अधिप्राप्ति के लिए कोष के उपयोग को चरणबद्ध करने में काफी सुधार की संभावना है।

संस्तुति

- *भंडार अधिप्राप्ति पर बजट अनुमान को फैक्ट्रियों की उत्पादन योजना से भलीभांति संबद्ध होना चाहिए। बोर्ड को अंतर के कारणों की पुनरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक प्रणाली विकसित करना चाहिए जो अनुमान में शुद्धता को बढ़ाने में सहायक होगा। यह प्रकम उप महानिदेशक (बजट) द्वारा निर्देशित होना चाहिए।*

8.2.9.2 भंडार सूची का विश्लेषण


लेखापरीक्षा का उद्देश्य: फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित भंडार प्राधिकृत नियमों के अंतर्गत रखने तथा निष्क्रिय भंडार के निर्माण को रोकने के लिए उनका समय पर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान थे।

फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित भंडार निम्नलिखित रूपों में होता है:-

- **विद्यमान भंडार** (एस.आई.एच) : भंडार अनुभाग द्वारा रक्षित कच्चा माल।
- **जारी कार्य** (डब्ल्यू.आई.पी): भंडार के मद जो फैक्ट्री के कारखाने में उत्पादन के अधीन हैं।
- **पारगमन भंडार** (एस.आई.टी.): प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को भंडार अनुभाग द्वारा रक्षित भंडार जो एक फैक्ट्री द्वारा निर्गमित हुए किंतु प्राप्तकर्ता फैक्ट्री द्वारा लेखांकित नहीं किए गए।
- **तैयार माल/तैयार संघटक** (एफ.जी./एफ.सी.): फैक्ट्री कारखाने द्वारा रक्षित अंतिम उत्पाद तथा मध्यवर्ती उत्पाद के भंडार।

नौ फैक्ट्रियों में इन वर्गों में भंडार का रूझान तालिका-41 में दिया गया है:-

चार्ट-13



तालिका-41: भंडार की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विद्यमान भंडार	जारी कार्य	पारगमन भंडार	तैयार माल	कुल भंडार
2010-11	2,867	1,242	202	835	5,146
2011-12	2,443	1,446	131	808	4,828
2012-13	2,425	1,501	136	736	4,798

यद्यपि 2012-2013 के दौरान, आयुध फैक्ट्रियों द्वारा कुल रक्षित भंडार समग्र रूप से 12 प्रतिशत बढ़ गया, किंतु नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में कुछ भिन्न रुझान देखने को मिला। तीन वर्षों में नौ फैक्ट्रियों में भंडारण 6.7 प्रतिशत कम हो गया जो कि मुख्यतः भंडार की अधिप्राप्ति में 23 प्रतिशत की कमी तथा भंडार की खपत में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ।


8.2.9.3 विद्यमान भंडार

31 मार्च 2013 को सामग्री भंडारण का 51 प्रतिशत भाग विद्यमान भंडार (अथवा कच्चा माल) का था। 2011-2013 के दौरान वर्ग में 15 प्रतिशत की कमी के बावजूद आयुध फैक्ट्रियों में यह वर्ग एक चिन्ता का विषय बना हुआ है।

उपयोग के आधार पर आयुध फैक्ट्रियाँ भंडार-सूची को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करती है:

- सक्रिय: यूनितों अथवा खपत की निरंतरता को छोड़कर, वर्ष के दौरान खपत किया गया भंडार।

चार्ट- 14: नौ आयुध निर्माणियों में भंडार सूची का अतिधारण



- निष्क्रिय: वर्ष के दौरान बिल्कुल अप्रयुक्त भंडार, जिसे पुनः निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है:-
 - कम प्रयुक्त: प्राप्ति की तारीख से लगातार एक वर्ष तक प्रयुक्त नहीं किए गए भंडार।
 - अप्रयुक्त: प्राप्ति की तारीख से तीन वर्ष या अधिक अवधि तक बिल्कुल प्रयोग में नहीं लाए गए भंडार।
 - आधिक्य: भंडार जो वर्तमान अथवा भविष्य में उपयोग में नहीं लाए जा सकते; उनके खराब होने की संभावना है तथा जो फैक्ट्री द्वारा पुनरीक्षा के पश्चात 'आधिक्य' के रूप में घोषित कर दिये गए हैं। अन्य सहयोगी फैक्ट्रियों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा इनके प्रयोग पर विचार किया जा सकता है।

- **रद्दी/अप्रचलित:** भंडार जो मरम्मत योग्य नहीं है तथा उन्हें फैक्ट्री द्वारा पुनरीक्षा के उपरांत रद्दी घोषित कर दिया गया है। फैक्ट्री द्वारा उन्हें निस्तारित कर दिया जाता है।

2011-2013 के दौरान प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में विद्यमान भंडार की सामग्री का 21 प्रतिशत भाग निष्क्रिय भंडार के रूप में था। 31 मार्च 2013 को निष्क्रिय भंडार का मूल्य ₹ 512 करोड़ था। 2010-13 के तीन वर्षों के दौरान फैक्ट्रियों में निष्क्रिय भंडार का विश्लेषण तालिका-42 में दिया गया है।

तालिका-42 निष्क्रिय भंडार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कम प्रयुक्त	अप्रयुक्त	आधिक्य	रद्दी, अप्रचालित	अनुरक्षण पुर्जे	कुल निष्क्रिय भंडार
2010-11	372	158	7	10	21	568
2011-12	274	206	6	15	21	522
2012-13	195	273	4	20	20	512

2010-2013 के दौरान, नौ फैक्ट्रियों में निष्क्रिय भंडार का भंडारण 10 प्रतिशत घट गया जो एक अच्छी प्रगति है। किंतु अप्रयुक्त भंडार, अर्थात् वे मद जो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग में नहीं लाए गए, उसी अवधि में 73 प्रतिशत बढ़ गया।


बोर्ड ने कहा कि (सितंबर 2014) फैक्ट्रियों में निष्क्रिय भंडार को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। जहाँ तक संभव है अप्रयुक्त भंडार को उपयोग करने अथवा उनका निस्तारण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने हेतु फैक्ट्रियों को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

8.2.9.4 प्राधिकृत सीमा के प्रति भंडारण

आयुध फैक्ट्री अधिप्राप्ति नियम पुस्तक में फैक्ट्री की प्रकृति के अनुसार छः अथवा चार माह की खपत के बराबर भंडारण की फैक्ट्री-वार सीमा निश्चित की गई है। नौ फैक्ट्रियों में खपत के रूझान का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून के अतिरिक्त सभी फैक्ट्रियों में प्राधिकृत सीमा से अधिक भंडार विद्यमान था जैसा कि **परिशिष्ट-XII** में दिखाया गया है। 31 मार्च 2013 को कुल विद्यमान भंडार का 35 प्रतिशत भाग प्राधिकृत सीमा से अधिक भंडारण का था। फलस्वरूप, भंडार की खपत नहीं की जा सकी तथा प्रारंभ में वे कम प्रयुक्त की श्रेणी में आए फिर वे अप्रयुक्त भंडार के रूप में परिवर्तित हो गए।

चार्ट-15 में विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) के डाटाबेस के हमारे विश्लेषण का परिणाम दिया गया है। हमने पाया कि नौ फैक्ट्रियों में एस.आई.एच. का 95 प्रतिशत प्राधिकृत सीमा से अधिक था। इन मदों का चार-पांचवाँ भाग जो निर्धारित सीमा से अधिक था, उपयोग में नहीं लाया गया और इसलिए वह निष्क्रिय मद की श्रेणी में आ गया। ₹ 96 करोड़ के मद न केवल प्राधिकृत सीमा से अधिक भंडारण के थे बल्कि 2010-13 के दौरान उनकी अधिप्राप्ति के पश्चात एक बार भी उपयोग में नहीं लाए गए।

चार्ट-15



8.2.9.5 अधिक भंडारण के कारण

भंडार सूची या फैक्ट्रियों द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस में अधिक भंडारण के कारण नहीं दिए गए हैं। हमने एकल मूल्यों का परीक्षण किया तथा पाया कि ₹ 270 करोड़ मूल्य के भंडार के 27 मामलों जो कि अधिक भंडार सूची के विभिन्न कारणों के अंतर्गत व्यवस्थित किए गए हैं, जैसा कि परिशिष्ट- XIII में दिखाया गया है।

- फैक्ट्री उत्पादन समय का परिपालन नहीं कर सकी और विलंब के कारण क्रेताओं को आदेश निरस्त (अथवा पूर्व-समापित) करना पड़ा। अतः जो भंडार मूल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राप्त किए गए थे अप्रयुक्त रहे। उदाहरणात्मक मामले परिशिष्ट- XIII के क्रम संख्या 1 से 7 में दिए गए हैं।

- गुणवत्ता मानक पूरा नहीं करने के कारण उत्पादित मद अस्वीकरण के कारण पूर्व समर्पित कर दिए गए। परिणामस्वरूप, बचे हुए भंडार को आधिक्य के रूप में दिखाया गया। उदाहरणात्मक मामलों को परिशिष्ट- XIII के क्रम संख्या 8 से 13 में दिखाया गया है।
- क्रेता/बोर्ड ने उत्पादन के मध्य में ही लक्ष्य को कम कर दिया जिससे भंडार आधिक्य के रूप में घोषित हो गए। उदाहरणात्मक मामलों को परिशिष्ट- XIII के क्रम संख्या 14 से 16 में दिखाया गया है।
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में एक/अधिक इनपुट सामग्री की अधिप्राप्ति में अक्षमता के कारण उत्पादन के लिए अधिप्राप्त अन्य सम्बद्ध भंडार अप्रयुक्त रहे। उदाहरणात्मक मामले परिशिष्ट- XIII के क्रम संख्या 17 से 19 में दिए गए हैं।
- फैक्ट्रियों में अतिरिक्त प्रावधान एक समस्या है। उत्तरदायित्व की कमी, कार्यक्रम निर्माण में समस्या एवं वास्तविक गलतियाँ अतिरिक्त प्रावधान के कारण थे। उदाहरणात्मक मामले परिशिष्ट- XIII के क्रम संख्या 20 से 27 में दिए गए हैं।

हमने पाया कि केवल भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में विद्यमान भंडार का ₹688.92 करोड़ का भंडार जो कि प्राधिकृत सीमा से अधिक था, में से ₹ 304.76 का भंडार मार्च 2013 तक निष्क्रिय भंडार के रूप में था। इस सामग्री भंडार का मुख्य भाग (₹161 करोड़ मूल्य के 8530 मद) टी-72 टैंक के कारण था जो 2007 से स्टॉक में था तथा जो उत्पादन की निम्न गुणवत्ता तथा, पाँच वर्ष के दौरान उत्पादन में कमी के कारण क्रेता थलसेना द्वारा आदेश के पूर्व-समापन के कारण था।

बोर्ड ने अपने उत्तर (सितंबर 2014) में फैक्ट्रियों में भंडारण का निम्नलिखित विश्लेषण प्रस्तुत किया:

बोर्ड की टिप्पणी	हमारी अभ्युक्ति
₹40 करोड़ मूल्य का अलौह रदी का भंडार आयुध फैक्ट्री कटनी में इसलिए बढ़ा क्योंकि मूल्य को बढ़ाकर उसको संशोधित किया गया।	अलौह रदी के मूल्य में वृद्धि से अंतिम स्टॉक का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि मार्च 2013 को ₹103 करोड़ की कुल भंडार-सामग्री में से कथित सामग्री का मूल्य ₹2 करोड़ था।
भौतिक सत्यापन के पश्चात धातु एवं इस्पात फैक्ट्री इशापुर में भंडार का मूल्य अधिक हुआ जिससे ज्ञात हुआ कि उत्पादन कारखाने में पड़े हुए अधिक भंडार को प्रभार में लिया गया।	भंडार लेखे में आधिक्य भंडार को वास्तव में प्रभार में नहीं लिया गया जिसके बिना भंडार के मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकती।
मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री में क्लस्टर बम पर गैस सिस्टम संयोजन की परियोजना के निलंबन के कारण भंडारण में अधिकता हुई।	भंडार मार्च 1999 में अधिप्राप्त किए गए थे। प्रबंधन एक दशक से अधिक समय तक मद के निस्तारण अथवा वैकल्पिक उपयोग के लिए कार्रवाई नहीं कर सका।
आयुध फैक्ट्री अंबाझरी में तीन मदों में से 105 आई.एफ.जी. के लिए पार्टेंड स्टील बिलेट को आयुध फैक्ट्री कानपुर को निर्गमित कर पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया, मैग्जीन ब्लैंक निस्तारण के लिए कार्यशील रूप से विचाराधीन था तथा 155 एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर गोलाबारूद हेतु पार्टेंड स्टील बिलेट 2014-2015 एवं 2015-2016 में उपभोग कर लिया जाएगा।	पार्टेंड स्टील बिलेट 105 आई.एफ.जी., मैग्जीन ब्लैंक तथा 155 एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर गोलाबारूद के लिए पार्टेंड स्टील बिलेट जिनका मूल्य क्रमशः ₹1.81 तथा ₹0.06 करोड़ एवं ₹20.83 करोड़ था, स्टॉक में भंडारित थे (सितंबर 2014)।

गन एवं सेल फैक्ट्री में दो अधिक मूल्य के भंडार यथा ए.के. 630 एवं 84 एम.एम.आर.एल.एम.के.-III का भंडारण लंबे अधिप्राप्ति चक्र के कारण था।	लंबे अधिप्राप्ति चक्र में संलग्न भंडार की अधिप्राप्ति के लिए प्रबंधन को अग्रिम नियोजन की प्रणाली विकसित करना चाहिए।
फैक्ट्री की प्रकृति के अनुरूप विशिष्ट आवश्यकता के कारण भारी वाहन फैक्ट्री (शस्त्रसज्जित वाहन समूह) को 365 दिन के लिए भंडारण का प्राधिकार है।	यह आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अपने अधिप्राप्ति नियम पुस्तक नियम पुस्तक के विरुद्ध है जिसमें शस्त्र सज्जित वाहन समूह के लिए 6 माह की सीमा है जो कि आयुध फैक्ट्री संगठन के सभी समूहों में उच्चतम है।

तथापि, दो फैक्ट्रियों आप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देहरादून तथा आयुध फैक्ट्री देहरादून ने सूचित किया (सितंबर 2014) कि 31 मार्च 2013 तक विद्यमान भंडार काफी कम हो गया है।

8.2.9.6 भंडार की नाममात्र खपत

फैक्ट्रियों में खपत के रूझान के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निष्क्रिय भंडार की श्रेणी की परिभाषा में एक अतिरिक्त जोखिम है। हमने ₹374 करोड़ मूल्य के 5925 मदों को पाया जिसके प्रति फैक्ट्रियों में प्रतीकात्मक खपत की गई। इन मदों की खपत इतनी कम थी कि यदि वास्तविक खपत को मानक के रूप में लिया जाता तो वर्तमान भंडारण कई वर्षों तक के लिए पर्याप्त होता। किंतु इस प्रकार की प्रतीकात्मक खपत से ये मद अप्रयुक्त/कमप्रयुक्त की श्रेणी में आ जाएंगे जिसके कारण इन मदों को खोजना एक मुश्किल कार्य हो जाएगा। इससे एक गंभीर जोखिम की स्थिति निर्मित होगी। इसका निष्कर्ष तालिका 43 में दिया गया है:-

तालिका-43 भंडारों का नाममात्र उपयोग

फैक्ट्री	मद कूट	मात्रा की इकाई	स्टॉक	2012-13 में खपत	स्टाक की प्रतिशतता के रूप में वर्ष में स्टॉक/खपत
ओ.के ए टी.	1035763004	लीटर	17200	800	21 / 4.65
एम.एस.एफ.	4203144066	संख्या	580	20	29/3.45
एम.टी.पी.एफ.	7119047045	संख्या	4166	182	23 / 4.37
ओ.एफ.ए.जे.	0282083096	संख्या	37929	1060	35 / 2.79
जी.एस.एफ.	0133100032	किग्रा	29289	0.013	2253014/0.00 004
एच.वी.एफ.	6206205142	संख्या	178	6	29 / 3.37
ओ.एफ.एम.के.	6420086002	किग्रा	71736	225	318 / 0.31
ओ.एल.एफ	7420111008	संख्या	64945	2300	28 / 3.54
ओ.एफ.डी.	0020024547	संख्या	577	1	577 / 0.17

बोर्ड ने अपने उत्तर (सितंबर 2014) में पिछले वर्षों के दौरान भंडार के एकत्रीकरण तथा उदाहरण के रूप में प्रकाश में लाए गए भंडार की वर्तमान स्थिति के लिए कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। किंतु वह 5925 मदों के नाममात्र निर्गम के माध्यम से निष्क्रिय भंडार को सक्रिय भंडार के रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों बारे में बताने में असफल रहा।

निष्कर्ष

फैक्ट्रियों में भंडार-सूची प्रबंधन में विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) एक गंभीर विषय है। नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में अप्रयुक्त भंडार अर्थात् वे भंडार जो पिछले तीन वर्षों से उपयोग नहीं किए गए थे, 2010-2013 के दौरान 73 प्रतिशत बढ़ गया। नौ फैक्ट्रियों में एस.आई.एच. की प्रतिशतता प्राधिकृत सीमा से 95 प्रतिशत अधिक थी। इन मदों का चौथा-पाँचवा भाग सीमा से अधिक था, ये वो मद थे जो खपत नहीं किए गए अतः वे निष्क्रिय भंडार की श्रेणी में आ गए। दूसरी ओर, 'सक्रिय' श्रेणी की परिभाषा (कोई मद यदि एक भी यूनिट वर्ष के दौरान उपयोग कर लिया जाता है तो उसे सक्रिय के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है) मद को निष्क्रिय श्रेणी से अलग रखने के लिए प्रतीकात्मक खपत का भारी जोखिम निर्मित करता है। सभी नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में कुल मिलाकर ₹373 करोड़ मूल्य के 5925 मदों की खपत प्रतीकात्मक थी जो कि एक सामान्य रूझान की ओर इंगित करता है।

संस्तुति

- बोर्ड को प्राधिकृत सीमा से अधिक भंडारण के मामलों की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा भंडारण के नियमों पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- बोर्ड को विद्यमान भंडार को 'सक्रिय' रूप से वर्गीकृत करने के मानदंडों का पुनः परीक्षण करना चाहिए तथा इसे उपयोग की प्रतिशतता के रूप में तय करना चाहिए जिससे नाममात्र उपयोग के मामलों से बचा जा सके।
- भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में टी-72 टैंकों के ₹161 करोड़ मूल्य के निष्क्रिय भंडार (8530 मद) को तकनीकी पुनरीक्षा के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए (उपलब्ध टी-72 टैंकों की मरम्मत के लिए आवश्यकता की पहचान करने के पश्चात्) जिससे इन मदों पर बोर्ड से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने में आसानी हो। इस प्रकार के व्यवस्थापन से बोर्ड के पास बेहतर व्यवस्था योग्य भंडारण उपलब्ध होगा।

8.2.9.7 जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.)

लेखापरीक्षा का उद्देश्य: "जारी कार्य" के रूप में वर्गीकृत भंडार की पुनरीक्षा उत्पादन के लिए प्राधिकार के प्रति समय से पूर्ण करने के लिए किया जाता है।

उत्पादन के अधीन सामग्री के मदों को जारी कार्य के रूप में जाना जाता है। बोर्ड से लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् आयुध फैक्ट्री का महाप्रबंधक उत्पादन कारखाने को अधिपत्र जारी करता है। यह अधिपत्र कारखाने के लिए उत्पादन प्रारंभ करने हेतु एक आवश्यक प्राधिकार होता है। अधिपत्र में मद के उत्पादन के लिए इनपुट सामग्री एवं श्रम अनुमान, उत्पादित होने वाले अंतिम मद की मात्रा एवं उसका नाम दिया होता है। इसलिए डब्ल्यू.आई.पी. की मात्रा उत्पादन के अधीन मद के लिए अधिपत्र के प्रति दर्ज लागत (श्रम एवं सामग्री) के समान होती है।

8.2.9.8 जारी कार्य के भंडारण का रूझान

2010-2013 की अवधि के दौरान नौ फैक्ट्रियों में जारी कार्य 21 प्रतिशत बढ़ गया। मार्च 2013, तक नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में जारी कार्य का मूल्य ₹1501 करोड़ था। भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में अकेले ही ₹382 करोड़ का जारी कार्य था जिसमें से ₹128 करोड़ एम.बी.टी. अर्जुन से संबंधित था जिसका नया आदेश थलसेना से, 2010 से, फैक्ट्री को प्राप्त नहीं हुआ था।

उसी अवधि के दौरान जारी कार्य में 21 प्रतिशत की वृद्धि उत्पादन लागत में 13 प्रतिशत की वृद्धि एवं निर्गम मूल्य में एक प्रतिशत की वृद्धि के अनुरूप नहीं था। यह खुले अधिपत्रों के प्रति सामग्री अथवा श्रम की अनाधिकृत अथवा प्रविष्टि के जोखिम की ओर इंगित करता है अर्थात् अधिपत्रों का समापन नहीं किया गया यद्यपि विविध कारणों से उनके प्रति उत्पादन बन्द कर दिया गया था।

8.2.9.9 खुले अधिपत्रों का अवधि विश्लेषण

नियमों के अनुसार अधिपत्र छः माह की सामान्य अवधि तक खुले रखे जा सकते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि मद का उत्पादन छः माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अधिपत्र को छः माह की प्राधिकृत अवधि से अधिक अवधि तक खुले रखा जा सकता है किंतु उसके लिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

आठ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों¹³⁹ में खुले अधिपत्रों के अवधि विश्लेषण से पता चला कि लगभग 17 प्रतिशत अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे। एक वर्ष से अधिक अवधि तक खुले अधिपत्रों का मूल्य ₹434 करोड़ था। कोई भी ऐसा अभिलेख उपलब्ध नहीं था जिससे ज्ञात हो कि छः माह से अधिक समय तक खुले अधिपत्रों हेतु बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की गई हो। प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्री) द्वारा तैयार वार्षिक लेखे की पुनरीक्षा में पुराने बकाया डब्ल्यू.आई.पी. के मामले को प्रकाश में लाया गया है किंतु इस मामले पर बोर्ड का निर्देश हमें किसी भी अभिलेख में प्राप्त नहीं हुआ।

तालिका - 44

अवधि (वर्षों में) ¹⁴⁰	अधिपत्रों की संख्या	मूल्य (₹करोड़ में)
1-2	2,329	244
2-5	391	178
5-8	57	11
8-11	13	1
कुल योग	2,790	434

बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि कुछ अधिपत्र हानि के नियमितीकरण न होने के कारण शेष थे। गन एवं सेल फैक्ट्री काशीपुर तथा मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ के अलावा सभी फैक्ट्रियों में स्थिति में सुधार हो रहा था तथा 2008-2009 के पहले के सभी अधिपत्रों का समापन कर दिया गया था। यह भी दावा किया गया कि मार्च 2013 में ₹337 करोड़ मूल्य के केवल 1165 अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे।

तालिका में दिखाए गए आंकड़ों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के परिणाम में दावे का समर्थन नहीं किया गया। बोर्ड ने यह भी अनुभव किया कि उत्पाद के निर्माण चक्र/जटिलताओं को देखते हुए अधिपत्रों की अवधि के नियमों की पुनरीक्षा की आवश्यकता है।

डब्ल्यू.आई.पी. में एकल मदों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि भंडार-सूची के इस समूह में वे मद शामिल थे जो क्रेताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे अथवा उत्पादन पूर्ण हुए बिना सामान्य रूप से पड़े हुए थे। परिशिष्ट-XIV (क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8,11 एवं 12) में वर्णित मामलों से ज्ञात होता है कि

¹³⁹ स्थानीय लेखा कार्यालय में मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री के संबंध में डब्ल्यू.आई.पी. का अवधि-वार विश्लेषण उपलब्ध नहीं था।

¹⁴⁰ चूंकि लेखाओं के डाटाबेस में अधिपत्र की तारीख नहीं दी गई है (इसमें केवल वर्ष दिखाया गया है) इसलिए हम उन अधिपत्रों की संख्या नहीं बता सके जो छः माह से एवं वर्ष की अवधि के थे।

डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में दिखाए गए बड़ी संख्या में मद वे मद थे जो गुणवत्ता नियंत्रण में अस्वीकृत कर दिए गए थे।

8.2.9.10 संदिग्ध अधिपत्र

बोर्ड के स्तर पर प्रबंधन के अभाव के कारण एक विषय पर उसका दृष्टिकोण शिथिल पाया गया जिसमें छलकार्य की काफी अधिक संभावना थी। बकाया अधिपत्रों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ₹452 करोड़ मूल्य के 19 प्रतिशत (3,333 अधिपत्र) में उनके प्रति दर्ज केवल भंडार का मूल्य था। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि कारखाने में इन सामग्रियों के प्राप्त होने के पश्चात उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ क्योंकि उनके प्रति श्रम प्रभार अथवा उपरिव्यय दर्ज नहीं किया गया। अन्य 1,858 अधिपत्रों के प्रति सामग्री दर्ज नहीं की गई किंतु श्रम के रूप में ₹ 7 करोड़ प्रभारित किया गया। ये अधिपत्र खुले हुए थे यद्यपि जिसके कारण व्यय की छलपूर्ण प्रविष्टि की संभावना बनी हुई थी।

बोर्ड ने अनुभव किया कि (सितंबर 2014) उपर्युक्त अधिपत्र अर्धनिर्मित मदों के लिए हो सकते हैं। उत्पादन अनुभाग द्वारा सामग्री आहरित की जानी चाहिए थी किंतु अभी तक कोई श्रम आहरित नहीं किया गया। केवल श्रम के रूप में डब्ल्यू.आई.पी. के बारे में बोर्ड ने कहा कि कथित अधिपत्र की जाँच की जाएगी एवं सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल सामग्री के रूप में अधिपत्र 2003-2004 से बकाया थे तथा श्रम के अधिपत्र 2006-2007 से बकाया थे।

निष्कर्ष

उत्पादन लागत में वृद्धि के बिना डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि खुले अधिपत्रों के प्रति सामग्री अथवा श्रम की छलपूर्ण प्रविष्टि के जोखिम की ओर इंगित करता है अर्थात् विभिन्न कारणों से अधिपत्र जिनके प्रति यद्यपि उत्पादन बंद हो चुका है फिर भी वे बंद नहीं किए गए। यद्यपि अधिपत्रों का छः माह के अंदर समापन कर दिया जाना चाहिए, 17 प्रतिशत अधिपत्र एक वर्ष से अधिक पुराने थे। एक वर्ष से अधिक समय तक खुले अधिपत्रों का मूल्य ₹ 434 करोड़ था।

संस्तुति

- बोर्ड को बिना उत्पादन वाले खुले अधिपत्रों के प्रति व्यय की छलपूर्ण प्रविष्टि के जोखिम की पहचान करनी चाहिए। ऐसे अधिपत्रों को व्यवस्थित करने के लिए तथा उसकी पुनरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक कार्ययोजना बनाने से जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी।
- भारी वाहन फ़ैक्ट्री अवाडी में एम.बी.टी. अर्जुन के कारण जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.) मदों को तकनीकी पुनरीक्षा हेतु व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे बोर्ड से इन मदों पर विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।

8.2.9.11 पारगमन भंडार (एस.आई.टी.)

लेखापरीक्षा उद्देश्य: पारगमन भंडार को तत्परता से प्रभार में लिया गया तथा इन मदों की निकासी सुनिश्चित करने के लिए फ़ैक्ट्रियों में मध्य विवादों का निस्तारण किया गया।

प्रतिवर्ष 31 मार्च को एक फ़ैक्ट्री से निर्गमित भंडार प्राप्तकर्ता फ़ैक्ट्री द्वारा लेखांकित नहीं होने पर वह पारगमन भंडार (एस.आई.टी.) के रूप में जाना जाता है। अंतर फ़ैक्ट्री मांग (आई.एफ.डी.) के अंतर्गत आदान-प्रदान के दिशानिर्देशों के अनुसार:

- आई.एफ.डी. मद प्राप्त करने पर परेषिती फैक्ट्री को प्राप्ति वाउचर तैयार करना चाहिए। प्रेषक फैक्ट्री तथा परेषिती के निजी जाँच टिप्पणी के आधार पर सामग्री को स्टॉक में लिया जाना चाहिए।
- यदि जाँच भंडार की मात्रा या गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो पहला विकल्प यह है कि प्रेषक फैक्ट्री से वार्ता करके त्रुटि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तत्पश्चात परेषिती फैक्ट्री या तो हानि का नियमितीकरण करेगी या फिर बोर्ड के साथ विवाद पर चर्चा करेगी।
- सभी परिस्थितियों में भंडार को स्टॉक रजिस्टर में प्रभार में लिया जाना चाहिए।

अवधि (वर्ष)	मूल्य(₹ लाख में)
1- 5	2676
5-10	1286
10-15	517
15-20	95
>20 वर्ष	168

31 मार्च 2013 को नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में एस.आई.टी. का मूल्य ₹136 करोड़ था। अवधि विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुछ एस.आई.टी. मद 20 वर्ष से अधिक समय से एस.आई.टी. के रूप में दिखाए जा रहे हैं तथा स्टॉक में नहीं लिए गए।

हमने आगे एस.आई.टी. के एकल मदों का विश्लेषण किया। केवल तीन फैक्ट्रियों, धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर, आयुध फैक्ट्री अंबाझरी एवं गन व सेल फैक्ट्री काशीपुर में भंडार की हानि, भंडार की अस्वीकृति आदि के कारण ₹28 करोड़ की एस.आई.टी. विद्यमान थी। ऐसे कुछ मामलों पर परिशिष्ट-XV में चर्चा की गई है। बोर्ड इस बात से सहमत था कि (सितंबर 2014) आई.एफ.डी. के निर्गम के दौरान अपर्याप्त दस्तावेजीकरण तथा आई.एफ.डी. पर विवाद के कारण एस.आई.टी. में वृद्धि हुई। परिशिष्ट में वर्णित मामलों पर विशिष्ट उत्तर प्रतीक्षित था। लंबे समय से लंबित एस.आई.टी. को निस्तारित करने के लिए बोर्ड ने आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

फैक्ट्रियों ने अस्वीकृत भंडार को फैक्ट्रियों के मध्य पारगमन भंडार के रूप में दिखाया जो कुछ मामलों में 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित था।

संस्तुति

- बोर्ड को लंबी अवधि से पारगमन भंडार तथा डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में प्रदर्शित मदों के मद-वार वार्षिक विश्लेषण के लिए जोर देना चाहिए। यह जोखिम आधारित प्रतिदर्श, जिसमें मूल्य एवं समय दोनों विश्लेषण निहित होते हैं, के अनुसार किया जाना चाहिए।

8.2.10 आंतरिक नियंत्रण

लेखापरीक्षा उद्देश्य: भंडार सूची प्रबंधन पर आंतरिक नियंत्रण विद्यमान था तथा उसपर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा था।

8.2.10.1 स्टॉक का सत्यापन

उपलब्ध नियमों के अनुसार फैक्ट्रियों में सभी भंडार-सूची का स्टॉक सत्यापन किया जाना चाहिए। अधिक मूल्य के मदें¹⁴¹ वर्ष में दो बार सत्यापित किए जाते हैं तथा शेष का सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस कार्य के लिए फैक्ट्री का महाप्रबंधक उत्तरदायी होता है।

¹⁴¹ वार्षिक खपत का अधिकतम 70 से 80 प्रतिशत को उच्च मूल्य के मद के रूप में जाना जाता है जो 'ए' श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं।

सभी नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों ने भौतिक सत्यापन¹⁴² के लिए एक अनुभाग को नामित कर रखा था। किंतु चार फैक्ट्रियों आयुध फैक्ट्री कटनी, धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर, गन व सेल फैक्ट्री काशीपुर तथा मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ ने सभी मदों का वार्षिक सत्यापन नहीं किया; जो कि उच्च मूल्य के मदों के छमाही सत्यापन की निर्धारित प्रणाली के विरुद्ध है। एक फैक्ट्री, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ में भंडार अधिकारी ही स्टॉक सत्यापन अधिकारी भी था जिसमें जोखिम निहित था।

भौतिक सत्यापन में कमी से इस प्रकार की व्यवस्था से अपेक्षित आश्वासन पर असर पड़ा। उदाहरण के लिए 'ऋण निर्गम' वह सामग्री होती है जो कारखाने से मांग नोट प्राप्त हुए बिना, कभी-कभी तो वरिष्ठ अधिकारियों¹⁴³ के मौखिक आदेश पर निर्गमित की जाती है। परिणाम स्वरूप, सामग्री यद्यपि भंडार में भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं होती किंतु बिन कार्ड में कम नहीं की जाती है। किंतु तथा भौतिक सत्यापन में सामग्री को भौतिक रूप से उपलब्ध दिखाया जाता है। भौतिक सत्यापन में यह अनियमितता नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में से चार में पायी गई। जिससे ज्ञात होता है कि भौतिक सत्यापन से भंडार की सही स्थिति सामने नहीं आई और जोखिम की स्थिति बनी रही। गुणवत्ता जाँच के दस्तावेजीकरण के बिना ऋण निर्गम का उपयोग तथा उसे भंडार में लेखांकित न करना एक अनुचित प्रक्रिया है तथा यह गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। इसके अलावा बोर्ड का भंडार नियमपुस्तक 'ऋण निर्गम' की अनुमति नहीं देता है।

परिशिष्ट-XVI में कुछ मामलों पर चर्चा की गई है। हमने पाया कि आयुध फैक्ट्री कटनी में 'ऋण निर्गम' एक नियमित प्रक्रिया है। एक मामले में ₹1.70 करोड़ मूल्य का कापर कैथोड स्टॉक में नहीं लिया गया अथवा गुणवत्ता आश्वासन स्कंध द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया किंतु उसे निर्गमित दिखाया गया। फलस्वरूप, भौतिक उपलब्धता, बिन कार्ड में दिखाई गई धनराशि से अधिक थी किंतु इस अनियमितता को स्टॉक सत्यापन में दर्शित नहीं किया गया। एक अन्य फैक्ट्री, आयुध फैक्ट्री मेडक में 2012-2013 में भंडार डाटाबेस से 3246 मदों को भौतिक सत्यापन में कम दिखाया गया; किंतु ऐसा अंतर 2010-2011 से विद्यमान था। परिशिष्ट में दिखाए गए मामलों पर बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।

बोर्ड ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा (सितंबर 2014) कि फैक्ट्रियों में स्टॉक सत्यापन को मजबूत किया जा रहा है। अनुदेशों पर प्रभावी अनुपालन के लिए नये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि फैक्ट्रियों में ऋण निर्गम केवल विशिष्ट एवं आपात परिस्थितियों में ही किए जा रहे हैं। हमारी लेखापरीक्षा में स्पष्ट हुआ कि यह कोई विशेष मामला नहीं है तथा फैक्ट्रियों में 'ऋण निर्गम' एक नियमित प्रक्रिया है।

निष्कर्ष

भौतिक सत्यापन से प्राप्त आश्वासन पूर्ण नहीं था तथा उससे भंडार की भौतिक उपलब्धता की जानकारी नहीं होती थी। यह मुख्यतः ऋण निर्गमों के संबंध में था जिसके अंतर्गत वो सामग्री आती है जो शॉप से 'मांग नोट' के बिना भंडार अनुभाग से निर्गम की जाती है। ऋण निर्गम के लिए बोर्ड की अनुमति नहीं ली जाती थी एवं यह एक अनुचित प्रथा है।

¹⁴² भौतिक सत्यापन दल में संयुक्त महाप्रबंधक के नियंत्रण में कनिष्ठ कार्य प्रबंधक व चार्जमैन का एक दल होता है।

¹⁴³ कच्चे माल की गुणवत्ता के कारण उच्च अस्वीकृति की वजह से एक अधिपत्र के प्रति सामग्री की कमी के कारण फैक्ट्रियों को "ऋण निर्गम" पर आश्रित होना पड़ता है तथा ऋण उन्हें उत्पादन जारी रखने में मदद करता है जब तक एक मांग नोट के प्रति दूसरे अधिपत्र के माध्यम से सामग्री के आहरण के लिए प्राधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। अथवा जब कच्चे माल की गुणवत्ता जाँच में विलंब होता है, उत्पादन जारी रखने के लिए सामग्री के आहरण हेतु "ऋण निर्गम" एक वैकल्पिक माध्यम है।

संस्तुति

- बोर्ड को 'ऋण निर्गम' की नियमित प्रथा के कारणों की पुनरीक्षा करनी चाहिए तथा इस अनुचित प्रथा को समाप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

8.2.10.2 स्टॉक की पुनरीक्षा तथा निस्तारण

विद्यमान भंडार के प्रबंधन पर दिशानिर्देश में फ़ैक्ट्रियों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है:

- सामग्री नियंत्रण अधिकारी के संपर्क में फ़ैक्ट्री का लेखा कार्यालय वर्ष में दो बार सभी स्टॉक की सूची बनाता है जिसमें अप्रयुक्त तथा कम प्रयुक्त सहित विभिन्न श्रेणियों में विद्यमान भंडार दिए गए होते हैं।
- उपर्युक्त सूची के मदों को स्टॉक सत्यापन समूह द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है।
- स्टॉक पुनरीक्षा समिति द्वारा 'कम प्रयुक्त' एवं 'अप्रयुक्त' मदों को वर्ष में दो बार संदर्भित किया जाता है। यह समिति फ़ैक्ट्री के अंदर इन निष्क्रिय मदों के संभावित उपयोग की पुनरीक्षा करती है अथवा मदों को 'अतिरिक्त' भंडार के रूप में सूचीबद्ध करती है।
- पारस्परिक सहायता योजना (एम.ए.एस.) के माध्यम से ₹10 लाख मूल्य के 'अतिरिक्त' भंडार को अन्य सहयोगी फ़ैक्ट्रियों में उपयोग के विकल्प की खोज की गई।
- एम.ए.एस. के अंतर्गत अन्य फ़ैक्ट्रियों द्वारा जब ऐसे मद स्वीकृत नहीं किए जाते हैं तो मामले को बोर्ड को संदर्भित कर दिया जाता है जो अन्य रक्षा पी.एस.यू. द्वारा समाहित मदों को उपयोग हेतु परीक्षण लिए एक तकनीकी समिति का गठन करता है।
- फ़ैक्ट्री के स्तर पर ₹10 लाख मूल्य से कम के मद के लिए महाप्रबंधक तकनीकी समिति का गठन करता है जो मदों के निस्तारण के लिए प्राधिकृत होता है।
- पहचान किए गए भंडार के निस्तारण की पुनरीक्षा फ़ैक्ट्री में यूनिट स्तर की अनुश्रवण समिति (यू.एल.एम.सी.) द्वारा मासिक रूप से की जाती है।

(i) स्टॉक पुनरीक्षा समिति की प्रभावात्मकता

बोर्ड ने जुलाई 2008 में, विद्यमान भंडार की पुनरीक्षा के लिए स्टॉक पुनरीक्षा समिति (एस.आर.सी.) गठित करने के लिए अनुदेश जारी किए। नौ प्रतिदर्श फ़ैक्ट्रियों में से छः फ़ैक्ट्रियों ने स्टॉक पुनरीक्षा समिति का गठन किया। दूसरी ओर, उन फ़ैक्ट्रियों, जिनमें समिति का गठन किया गया था, में हमने कोई विशेष प्रगति नहीं देखी। समिति में वरिष्ठ महाप्रबंधक/महाप्रबंधक अध्यक्ष होता है तथा प्रयोक्ता, नियोजन एवं सामग्री प्रबंधन अनुभाग का अपर महाप्रबंधक, तथा लेखा नियंत्रक/संयुक्त लेखा नियंत्रक सदस्य होते हैं। अतः सदस्य फ़ैक्ट्री प्रबंधन से स्वतंत्र नहीं होते हैं।

सभी प्रतिदर्श फ़ैक्ट्रियों में निष्क्रिय भंडार का काफी बड़ा भंडार था। स्पष्टतः समिति का गठन एक अच्छा कदम है लेकिन कई अन्य जगहों पर समस्या है जिसे समिति अकेले हल नहीं कर सकती। हमने गन एवं सेल फ़ैक्ट्री काशीपुर तथा धातु एवं इस्पात फ़ैक्ट्री ईशापुर में कारणों का विस्तार से अध्ययन किया।

(ii) सहयोगी फैक्ट्रियों में 'अतिरिक्त भंडार' का वैकल्पिक पहचान एवं उपभोग

नौ फैक्ट्रियों में निष्क्रिय भंडार का कुल मूल्य ₹ 492¹⁴⁴ करोड़ है जिसमें से ₹ 24 करोड़ मूल्य के भंडार अर्थात् 5 प्रतिशत को अतिरिक्त अथवा रद्दी घोषित किया गया। फैक्ट्रियाँ भंडार को 'अतिरिक्त' घोषित करने से बचती हैं। एम.ए.एस. योजना अप्रभावी थी तथा सहयोगी फैक्ट्रियों को अन्य फैक्ट्रियों के अतिरिक्त भंडार को उपयोग में लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। उदाहरण के लिए जी.एस.एफ. ने एम.ए.एस. के माध्यम से ₹16 करोड़ के 169 मर्दों की गणना की (फरवरी 2010) किंतु अन्य फैक्ट्रियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। योजना से अतिरिक्त भंडार के अप्रयोग की अवधि में वृद्धि हुई तथा उसका अवशिष्ट मूल्य और भी कम हो गया। अच्छी व्यवस्था वह होती है जब अतिरिक्त भंडार के उपयोग की प्रक्रिया मद के कार्यशील अवधि के अंदर अप्रयुक्त होते ही अपनाई जाती है, किंतु यह व्यवस्था बोर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(iii) अन्य महत्वपूर्ण उपयोग

इस श्रृंखला में तकनीकी समिति एक और माध्यम है जिसका भी कोई विशेष परिणाम दृष्टिगत नहीं हुआ। गन एवं सेल फैक्ट्री काशीपुर ने ₹14 करोड़ के 17 मर्दों को बोर्ड की तकनीकी समिति को अन्य रक्षा पी.एस.यू. को प्रदान करने के लिए संदर्भित किया (फरवरी 2010)। गन एवं सेल फैक्ट्री काशीपुर के दस्तावेजों में अतिरिक्त भंडार के अतिरिक्त होने की कालावधि का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था। गन एवं सेल फैक्ट्री काशीपुर ने केवल ₹4 करोड़ मूल्य के सात मर्दों के निस्तारण के बारे में सूचित किया (मई 2012)।

(iv) भंडार का निस्तारण

अतिरिक्त भंडार का निस्तारण एक और बाधा है। मार्च 2011 में गन एवं सेल फैक्ट्री काशीपुर के पास ₹1.87 करोड़ का अतिरिक्त भंडार था जिसमें से केवल ₹0.32 करोड़ के भंडार का निस्तारण हो सका। अन्य वर्षों में भी स्थिति वैसी ही रही जब अतिरिक्त भंडार का 17 प्रतिशत भाग ही निस्तारित किया जा सका। कुल मिलाकर पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹1.87 करोड़ के अतिरिक्त भंडार में से ₹1.55 करोड़ मूल्य के 1732 मर्दों के निस्तारण की स्थिति वैसी ही थी।

(v) हानि का नियमितीकरण तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि डब्ल्यू.आई.पी. तथा एस.आई.टी. के अंतर्गत दर्ज भंडार की बड़ी मात्रा अस्वीकृत भंडार के रूप में है। आयुध फैक्ट्री का महाप्रबंधक ₹2 लाख तक की अस्वीकृति का नियमितीकरण करने के लिए प्राधिकृत है जहाँ फैक्ट्री के अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही निहित है एवं ₹10 लाख तक के लिए उस स्थिति में प्राधिकृत है जब ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई है। इस सूची से ऊपर के सभी मर्दों को बोर्ड को संदर्भित किया जाना चाहिए। यदि हानि ₹ 50 लाख से अधिक की है जहाँ कोई लापरवाही नहीं हुई है अथवा ₹20 लाख की है जहाँ लापरवाही हुई है तो मामले को रक्षा मंत्रालय (एम.ओ.डी.) को संदर्भित किया जाना चाहिए। इस प्रत्यायोजन के साथ यह आवश्यक है कि एक जाँच बोर्ड के माध्यम से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि हानि के बहुत सारे मामले बोर्ड तथा एम.ओ.डी. में कई वर्षों से लंबित है। उदाहरण के लिए, धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर में भंडार के निर्माण में हानि के 39 मामलों में से ₹976 करोड़ मूल्य के 23 मामले 1 से 21 वर्ष से अधिक समय से लंबित थे। ₹108 करोड़ मूल्य के शेष 16 मामले तीन से 28 वर्षों से बोर्ड स्तर पर लंबित थे।

¹⁴⁴ मार्च 2013 को निष्क्रिय भंडार का कुल मूल्य ₹512 करोड़ था जिससे 20 करोड़ का अनुरक्षण भंडार था जिसे अधिक कार्यशील आयु के कारण अतिरिक्त घोषित नहीं किया जा सकता है।

हानि का नियमितीकरण उत्तरदायित्व तय करने के लिए जाँच बोर्ड द्वारा मामले की जाँच का विषय है जिसे दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। जाँच बोर्ड एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें हर स्तर पर विलंब होता है। उदाहरण के लिए, धातु एवं इस्पात फैक्ट्री ईशापुर ने अस्वीकृति के 16 मामलों की जाँच के लिए एक जाँच बोर्ड का गठन किया (जुलाई 2010) जो कि 2004-2009 की अवधि के दौरान 16 अधिपत्रों से एकत्र हुआ था। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2011 में प्रस्तुत की। सभी मामलों में बोर्ड ने किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया बल्कि सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया की पुनरीक्षा की राय दी। एक अन्य मामले में, आयुध फैक्ट्री अंबाझरी ने एस.आई.टी. के अंतर्गत पड़े हुए ₹0.30 करोड़ के तीन अस्वीकृत भंडार पर दिसंबर 2005 में एक जाँच बोर्ड गठन किया। रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तथा जुलाई 2012 में एक नया जाँच का बोर्ड का गठन कर दिया गया। अगस्त 2013 में एक नया जाँच बोर्ड गठित हुआ जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। जाँच बोर्ड द्वारा रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता पर आयुध फैक्ट्रियों में अधिक ध्यान नहीं दिया गया। विभिन्न स्तरों पर विलंब से इस नियंत्रण पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

इस दीर्घकालिक प्रक्रिया के कारण लापरवाही की स्थिति निर्मित हुई जिसके कारण हानि हुई, एवं अस्वीकृत भंडार के भंडारण, उसे डब्ल्यू.आई.पी. अथवा एस.आई.टी. के अंतर्गत रखने में फैक्ट्रियों को कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ। खुले अधिपत्रों के कारण भी व्यय के मद आवश्यकता पड़ने पर सामग्री अथवा श्रम को दर्ज करने के लिए फैक्ट्री को एक सरल माध्यम मिला जिनके प्रति कोई उत्पादन भी नहीं हुआ।

बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि स्टॉक पुनरीक्षा समिति को पुनः क्रियाशील करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

निष्कर्ष

अधिक कालावधि की प्रक्रिया से डब्ल्यू.आई.पी. अथवा एस.आई.टी. के अंतर्गत भंडार को वर्गीकृत करके अस्वीकृति को “छिपाने” की प्रवृत्ति पैदा होती है, जिससे दायित्व तय करने में विलंब होता है तथा उद्देश्य पूर्ण करने की वर्तमान प्रक्रिया विफल रही जिसके कारण निष्क्रिय भंडार में वृद्धि हुई।

संस्तुति

- बोर्ड को उन मदों, जो कि ‘निष्क्रिय’ हो गए हैं, के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त घोषित करने तथा उनके निस्तारण करने की प्रक्रिया को सरल करना चाहिए।
- बोर्ड को जाँच बोर्ड के गठन एवं उसकी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण तथा इन रिपोर्टों पर कार्रवाई के लिए एक व्यवहारिक समयावधि निश्चित करनी चाहिए।

8.2.10.3 भंडार सूची के लेखांकन का नियंत्रण

भंडार की प्राप्ति, उपयोग एवं निर्गम, भंडार विभाग तथा लेखा अनुभाग में दर्ज किया जाता है। फैक्ट्रियाँ 1993 से यूनिक्स प्लेटफार्म पर आधारित उत्पादन नियोजन नियंत्रण (पी.पी.सी.) प्रणाली का उपयोग करती हैं। लेखा कार्यालय एक अलग डाटाबेस फाक्सप्रो का उपयोग करता है जो पी.पी.सी. पैकेज से सी.डी. के रूप में आंकड़ों को सामान्य तरीके से एकत्र करता है।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, लेखांकन साफ्टवेयर के भंडार-सूची माड्यूल में कई कमियाँ हैं। भंडार-सूची माड्यूल के उप-माड्यूल में निश्चित तारीख के आंकड़े तथा भंडार की आपूर्ति के प्रति बिलों के प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तारीख, प्राधिकृत छः माह की अवधि से अधिक समय तक बकाया अधिपत्रों के कारण एवं उन अधिपत्रों के प्रति केवल श्रम/केवल सामग्री की प्रविष्टि आदि का विवरण

नहीं दिया होता है। भंडार-सूची माड्यूल में एस.आई.एच. के मामलों की अधिकता व ऐसे भंडारों के अप्रयोग/निस्तारण के कारण भी नहीं दिए होते हैं।

दो साफ्टवेयर पैकेज समन्वित नहीं किए गए जिसके कारण न केवल पी.पी.सी. पैकेज का अल्प उपयोग हुआ बल्कि आंकड़ों में अशुद्धता आई जिसका समायोजन नहीं किया गया। 2006 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 3 के पैराग्राफ 5.4.1. में इस विषय पर चर्चा की गई है। मंत्रालय ने (दिसंबर 2009) इस विषय पर निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए:

- दो प्रणालियों द्वारा निर्मित प्रबंधन सूचना प्रणाली के मध्य भिन्नता के कारणों की जाँच के लिए तथा प्रणालियों में तारीखों के निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार पर सुझाव हेतु प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्री) कोलकाता द्वारा एक समिति गठित की गई है।
- समिति द्वारा रिपोर्ट को बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात प्रधान नियंत्रक लेखा (फैक्ट्री) कोलकाता को रिपोर्ट को विस्तृत करने के लिए समिति को पुनः गठित करने का अनुरोध किया गया।

बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि दो संगठनों के मध्य सर्वनिष्ठ डाटाबेस का उपयोग एक प्रमुख कार्य है तथा यह करने से उसे दोनों संगठनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा और ऐसा होने से एक निश्चित समय दे पाना कठिन होगा। तथापि, चरणबद्ध तरीके से प्रयास किया जा रहा है एवं सर्वनिष्ठ डाटाबेस को शीघ्र तैयार करने के लिए उसका सतत अनुश्रवण किया जा रहा है।

हमने पाया कि प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में भिन्नता के मामले विद्यमान हैं जिसका कुल योग ₹214 करोड़ था। आयुध फैक्ट्री मेडक में 31 मार्च 2013 को ₹165 करोड़ तक का अंतर था। ऐसे मामलों पर परिशिष्ट-**XVII** में चर्चा की गई है। परिशिष्ट में वर्णित मामलों पर बोर्ड का विशिष्ट उत्तर प्रतीक्षित था। (सितंबर 2014)

हमने विभिन्न फैक्ट्रियों में लेखांकन त्रुटियाँ भी पायीं। गन एवं सेल फैक्ट्री काशीपुर में प्राप्त त्रुटियों की उदाहरणात्मक सूची पर नीचे चर्चा की गई है:-

- ₹ 3.96 करोड़ के भंडार को कम मूल्य दिखाते हुए शून्य मूल्य के साथ प्रभार में लिया गया। बोर्ड ने कहा कि (सितंबर 2014) नियम पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्राप्ति/निर्गम वाउचर तैयार करके आवश्यक सुधार कर लिया गया है।
- ₹ 2.84 करोड़ मूल्य के रद्दी को इनपुट लागत में कमी के रूप में न लेकर इनपुट सामग्री के रूप में प्रभार में लिया गया जिससे उत्पादन लागत बढ़ गया। बोर्ड ने ₹ 2.84 करोड़ के आंकड़े का विरोध करते हुए कहा (सितंबर 2014) कि भंडार लेखे के डेविट मद संख्या 9 शून्य शेष दिखा रहा था। उत्तर से यह सिद्ध होता है कि प्रणाली में लेखांकन त्रुटियाँ विद्यमान हैं, जिनके समायोजन की आवश्यकता है।
- ₹ 4.01 करोड़ के उपरिव्यय में खपत किए गए भंडार तथा तैयार संघटक शामिल हैं जिससे उपरिव्यय को बढ़ाकर तथा भंडार को कम करके दिखाया गया।

बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि दोषयुक्त मदों के प्रतिस्थापन एवं सुधार कार्य को उपरिव्यय के रूप में लेखांकित किया गया।

तथापि, प्रतिस्थापन/मरम्मत कार्य का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

निष्कर्ष

फैक्ट्री तथा लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस में समन्वय न होने के कारण त्रुटियाँ हुईं जिनका समायोजन किया जाना बाकी था।

संस्तुति

➤ बोर्ड को दो डाटाबेसों के निर्बाध समन्वय के लिए एक समयबद्ध योजना बनानी चाहिए।

8.2.11 उच्चतम स्तर के प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण

बोर्ड को तिमाही आधार पर भंडार सूची पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बैठकों के कार्यवृत्त की जाँच से भंडारण के उच्च मूल्य के मदों का जोखिम आधारित परीक्षण अथवा विस्तृत पुनरीक्षा के बारे में जानकारी नहीं मिली। पूर्ण तथा केन्द्रित पुनरीक्षा के अभाव में फैक्ट्रियों को बोर्ड से विद्यमान भंडार के निर्माण को कम करने के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त हो सका।

बोर्ड की बैठकों की पुनरीक्षा से ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के मध्य आयोजित 36 बैठकों में से केवल 17 बैठकों में भंडार सूची से सम्बंधित मामलों पर चर्चा हुई। इन बैठकों में सामान्य विषयों पर चर्चा हुई। उदाहरण के लिए, बोर्ड ने (जुलाई 2011) अपने सभी प्रचालन समूहों को चरणबद्ध तरीके से कम प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त भंडार को समाप्त करने के लिए वरिष्ठ महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों से साथ वार्ता करके एक योजना बनाने का निर्देश दिया तथा मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करने के लिए कहा। किंतु यहाँ भी कम प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त भंडार के समापन हेतु कोई निश्चित मात्रात्मक लक्ष्य अथवा उनके निस्तारण के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई।

निष्कर्ष

बोर्ड द्वारा भंडार की पुनरीक्षा विस्तृत रूप से नहीं की गई तथा उसके द्वारा फैक्ट्रियों को सुस्पष्ट तथा निश्चित निर्देश नहीं दिए गए।

मामले को मार्च 2014 में मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)।

8.3 एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 भीष्म टैंकों का स्वदेशी उत्पादन

8.3.1 भूमिका

8.3.1.1 कवचित युद्धक वाहनों के निर्माण में आत्म निर्भरता प्राप्त करने हेतु रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने मई, 1974 में भारत के पहले स्वदेशी टैंक अर्थात् मुख्य युद्धक टैंक-अर्जुन के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा डिजाइन एवं उसके विकास के लिए ₹16 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत की। परियोजना का कार्यक्षेत्र अप्रैल, 1982 तक 12 प्रोटोटाइप का विनिर्माण करना था। डी.आर.डी.ओ. ने मार्च 1995 तक ₹306 करोड़ की लागत से एम.बी.टी. अर्जुन के डिजाइन का अपना कार्य पूर्ण कर लिया; आयुध निर्माणी बोर्ड (बोर्ड) को वर्ष 1999 तक इसके विनिर्माण हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया।

8.3.1.2 वर्ष 2000 में, थलसेना ने अपने लिए अधिकृत 3717 टैंक की धार्यता प्रति 38 प्रतिशत की कमी के बारे में सूचित किया। वर्ष 2000-2004 के दौरान मंत्रालय द्वारा इस कमी को पूर्ण करने हेतु उठाए गए कदम इस प्रकार थे-

- ₹ 1,774 करोड़ की कुल लागत से रूसी कम्पनी मेसर्स रोसोबोरॉनइक्सपोर्ट (आर.ओ. ई.) से पूर्णरूप से तैयार 124 टी-90 टैंकों का आयात (फरवरी 2001);
- बोर्ड द्वारा टी-90 टैंकों के विनिर्माण हेतु तकनीक के हस्तांतरण (टी.ओ.टी) एवं भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ ₹ 2,312 करोड़ की लागत से 186 टी-90 टैंकों का आयात (फरवरी 2001), जिसमें 86 सेमी नॉक डाउन (एस.के.डी.) एवं 100 कम्पलीट नॉक डाउन (सी.के.डी.) थे;
- वर्ष 2002-2007 के दौरान बोर्ड द्वारा 124 मुख्य युद्धक टैंक-अर्जुन (एम.बी.टी.अर्जुन) का चरणबद्ध उत्पादन एवं निर्गम। बोर्ड को 30 एम.बी.टी.अर्जुन प्रतिवर्ष तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 100 करोड़ (मई 2002) की संस्वीकृति दी गई; तथा
- वर्ष 2006-2010 के दौरान, मेसर्स रोसोबोरॉनराक्सपोर्ट से तकनीक हस्तांतरण द्वारा 300 टी-90 भीष्म टैंक (टी-90 टैंक) का स्वदेशी उत्पादन। मंत्रालय ने 100 टी-90 टैंक प्रतिवर्ष के स्वदेशी उत्पादन हेतु ढाँचागत सुविधाओं के विकास हेतु ₹ 96 करोड़ (दिसम्बर 2003/फरवरी 2004) की संस्वीकृति दी।

अवाड़ी स्थित भारी वाहन फैक्ट्री को स्वदेशी रूप से उत्पादित/संयोजित एम.बी.टी.-अर्जुन एवं टी-90 टैंकों के प्रचालन (रोल आउट)का कार्य सौंपा गया। कुल मिलाकर, थलसेना को वर्ष 2010 तक 734¹⁴⁵ टैंक उपलब्ध कराए जाने थे। परिशिष्ट-XVIII में सभी संबंधित एजेंसियों का विवरण दिया गया है।

8.3.1.3 वर्ष 1998 एवं 2006¹⁴⁶ के हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आंडिट रिपोर्ट) में एम.बी.टी. अर्जुन के विकास को शामिल किया गया था। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने अपने प्रतिवेदनों¹⁴⁷ में (दिसम्बर, 2003) मंत्रालय को निर्देशित किया:

- निर्धारित समयावधि के अंदर थलसेना को आवश्यक संख्या में एम.बी.टी. अर्जुन उपलब्ध कराने हेतु भारी वाहन फैक्ट्री के उत्पादन शिड्यूल पर नजदीकी निगरानी रखें; तथा
- यह भी सुनिश्चित करें कि एम.बी.टी. अर्जुन के लिए तैयार की गई ढाँचागत सुविधाओं का यथासंभव उपयोग किया जाय, ताकि आवश्यक संख्या में उत्पादन द्वारा आयात को थोड़ा-थोड़ा करके 45 प्रतिशत तक कम किया जा सके।

8.3.1.4 लोक लेखा समिति के दिशा निर्देशों के विशेष संदर्भ के अंतर्गत, हमने वर्ष 2012-2013 तक एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 टैंकों के उत्पादन एवं निर्गम की पुनरीक्षा हेतु पाँच आयुध फैक्ट्रियों¹⁴⁸ एवं कवचित युद्धक वाहन मुख्यालय (ए.वी.एच.क्यू.), अवाड़ी में लेखापरीक्षा कार्य किया।

¹⁴⁵ एम.बी.टी.अर्जुन -124, टी-90 टैंक (एफ एफ) -124, टी-90 टैंक (एस.के.डी./सी.के.डी.)-186, T-90 टैंक (स्वदेशी)- 300

¹⁴⁶ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 1998 के प्रतिवेदन सं.-7 का पैरा 26 एवं 2006 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पी.ए.) सं.- 3 का पैरा 3.8

¹⁴⁷ दिसम्बर, 2003 में संसद में प्रस्तुत किये गए वर्ष 2003-2004 का प्रतिवेदन संख्या 57

¹⁴⁸ भारी वाहन फैक्ट्री अवाड़ी (एच.वी.एफ.), इंजन फैक्ट्री अवाड़ी (इ.एफ.ए.), आयुध फैक्ट्री मेडक (ओ.एफ.एम.के.), तोप गाड़ी फैक्ट्री जबलपुर (जी.सी.एफ.), ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून (ओ.एल.एफ.डी.)

कवचित युद्धक वाहन मुख्यालय (ए.वी.एच.क्यू.), अवाडी में भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी सहित पाँच फैक्ट्रियाँ आती हैं एवं ये बोर्ड के सीधे नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करती हैं।

8.3.2 एम.बी.टी. अर्जुन का स्वदेशी उत्पादन

8.3.2.1 थलसेना ने बोर्ड के सामने वर्ष 2000-2006 के प्रारंभिक शिड्यूल के लिए 124 एम.बी.टी., अर्जुन हेतु एक मांगपत्र (मार्च 2000) प्रस्तुत किया। वर्ष 2002 में, यह उत्पादन शिड्यूल बढ़कर 2002-2009 हो गया। भारी वाहन फैक्ट्री को सीमित श्रेणी उत्पादन (एल.एस.पी.) के अंतर्गत, वर्ष 2004 तक 15 एम.बी.टी. अर्जुन के विनिर्माण का कार्य दिया गया। थलसेना के मैदानी परीक्षणों के पश्चात 109 एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों का थोक उत्पादन प्रारंभ होना था।


8.3.2.2 तालिका-45 में एम.बी.टी. अर्जुन का वर्षवार उत्पादन एवं निर्गम का विवरण दिया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि उत्पादन शिड्यूल 2002-2007 से बढ़ाकर 2002-2009 कर दिया गया, बोर्ड थलसेना द्वारा मांगी गई संख्या में टैंक समय पर उपलब्ध नहीं करा सका। उत्पादन पूरा न हो सका और यह 2006-2007 में ही जोर पकड़ पाया। दिसम्बर 2013 तक, 122 एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों का समेकित उत्पादन नियत संख्या से दो कम था, जिनका निर्माणकार्य जारी था एवं तीन एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों का निर्माण के पश्चात निरीक्षण कार्य जारी था। उत्पादन में हुई इस प्रकार की देरी के चलते निर्माण लागत में 2.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई: ₹ 17 करोड़ प्रति एम.बी.टी. से ₹ 44 करोड़ प्रति एम.बी.टी.।

तालिका-45

वर्ष	शिड्यूल		उत्पादन		आपूर्ति	
	संख्या	समेकित संख्या	संख्या	समेकित संख्या	संख्या	समेकित संख्या
2002-03	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2003-04	6	8	5	5	शून्य	शून्य
2004-05	9	17	6	11	5	5
2005-06	19	36	18	29	शून्य	5
2006-07	30	66	24	53	शून्य	5
2007-08	30	96	18	71	9	14
2008-09	28	124	30	101	18	32
2009-10			21	122	37	69
2010-11			शून्य	122	33	102
2011-12			शून्य	122	11	113
2012-13			शून्य	122	6	119
कुल		124	122	122	119	119

8.3.2.3 मंत्रालय ने कहा (मई 2014) यद्यपि मूल डिजाइन के अनुरूप उत्पादन पूर्ण कर लिया गया था, तथापि डिजाइन में परिवर्तन के कारण समय पर आपूर्ति प्रभावित हुई। मंत्रालय का उत्तर समग्र रूप में स्वीकार्य नहीं है। डिजाइन में बार-बार एवं कई सुधारों के कारण उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है, किन्तु ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण में आयुध फैक्ट्रियों द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण भी थलसेना की माँग के अनुरूप उत्पादन में देरी हुई, जिसके बारे में पैरा 8.3.2.4 एवं 8.3.2.7 में टिप्पणी की गई है। चार्ट-16 में लक्ष्यों के सापेक्ष चरणबद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उनमें लगने वाले समय को दर्शाया गया है।

चार्ट-16: लक्ष्यों के सापेक्ष चरणबद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उनमें लगने वाला समय



8.3.2.4 सिविल कार्यों में देरी

एम.बी.टी. अर्जुन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने भारी वाहन फैक्ट्री की टैंक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु ₹23 करोड़ (मई 2002) की संस्वीकृति दी। सिविल कार्य के दो मुख्य भाग थे:

- संयोजन स्थल (असेम्बली शॉप) में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान:** मंत्रालय ने पूर्व निर्मित ढाँचे को ही उपयोग में लाने का निर्णय संस्वीकृति के 16 महीने बाद (सितम्बर 2003) लिया। तत्पश्चात, इस कार्य के लिये प्रशासनिक स्वीकृति, संस्वीकृति के 20 महीने बाद जनवरी 2004 दी गयी। निविदा के दौरान यह ज्ञात होने पर कि सीमेंट व स्टील की कीमतें बढ़ गई हैं, प्रशासनिक स्वीकृति को मई 2005 में संशोधित किया गया। यह कार्य जून 2006 में पूर्ण हुआ। सिविल कार्य के पूर्ण न हो पाने के कारण भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी ने अपनी मौजूदा सुविधाओं का उपयोग करते हुए वर्ष 2005-2006 तक 29 एम.बी.टी. अर्जुन का उत्पादन किया जिसमें से पाँच एम.बी.टी. थलसेना को जारी (2004-2005) कर दिये गए। एकबार जब ढाँचा, जिसका सिविल कार्य भी एक हिस्सा था, पूर्ण हो गया तो उत्पादन कार्य ने भी 2006-2007 में पूरी तरह से जोर पकड़ लिया। मंत्रालय ने (मई 2014) कहा कि संयोजन स्थल से सम्बंधित सिविल वर्क के लिए प्राप्त न्यूनतम निविदा ही संस्वीकृति धनराशि से अधिक की थी, जिसमें प्रयोक्ता की भी वित्तीय सहमति थी, तदनुसार संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई (मई 2005)। यह भी कहा गया कि कार्य निर्धारित समयावधि के अन्दर ही किया गया, जो कि स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जुलाई 2005 में पूर्ण होने वाला कार्य जून 2006 में पूर्ण हो सका।
- टेस्ट ट्रैक की मजबूती:** भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में मौजूदा टेस्ट ट्रैक की हालत ठीक न होने के बारे में सूचना मिली थी एवं एम.बी.टी. अर्जुन की जांच के लिए ट्रैक को मजबूत किए जाने

की जरूरत महसूस की जा रही थी। परियोजना हेतु मंत्रालय की मंजूरी (मई 2002) के 39 महीने पश्चात (अगस्त 2005) इस हेतु जरूरतों को अंतिम रूप देने के लिए गठित की गई टीम¹⁴⁹ की बैठक हुई। भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी को इस कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति अप्रैल 2006 में प्राप्त हुई एवं यह कार्य मार्च 2008 में पूर्ण हुआ। इस बीच, 71 एम.बी.टी. अर्जुन पहले ही तैयार किए जा चुके थे, जिसमें से 14 की थलसेना को आपूर्ति भी हो चुकी थी। मंत्रालय ने इस कार्य को पूर्ण करने में हुई देरी के कारण एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों के उत्पादन एवं आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

8.3.2.5 जटिल समायोजनों के उत्पादन में देरी

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी को आयुध फैक्ट्री मेडक (ओ.एफ.एम.के.) से टैंकों के ढाँचा मात्र के संयोजन-हल एवं टरेट प्राप्त होने थे। हल, टैंक का निचला भाग होता है, जिसमें चेसिस व स्वचालित प्रणाली (इंजन व पावर पैक) शामिल होता है, जबकि टरेट टैंक का वह ऊपरी हिस्सा होता है, जिसमें हथियार प्रणाली को लगाया जाता है। शिड्यूल के अनुसार वर्ष 2002-2008 के बीच, हल व टरेट के 109 सेट उपलब्ध कराने के सापेक्ष ओ.एफ.एम.के., एच.वी.एफ. को वर्ष 2002-2011 के बीच केवल 72 हल व 75 टरेट उपलब्ध करा सकी। प्लांट व मशीनरी की खरीद एवं स्थापना कार्य में छः वर्ष (सितम्बर 2002 से मार्च 2008) लग गए तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आर्मर प्लेट प्राप्त करने में लगी देरी, आयुध फैक्ट्री मेडक द्वारा अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण न कर पाने के मुख्य कारण थे।


इस बीच भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी ने आयुध फैक्ट्री मेडक पर अपनी निर्भरता समाप्त करते हुए हल व टरेट का स्वयं उत्पादन शुरू (2007) कर दिया। इस समस्या के समाधान से एम.बी.टी. अर्जुन का उत्पादन गति पकड़ लेता किंतु आयुध फैक्ट्री मेडक में ₹51 करोड़ कुल लागत से स्थापित की गई प्लांट व मशीनरी वर्ष 2011 से अनुपयोगी हो गई।

मंत्रालय ने (मई 2014) कहा कि उत्पादन शिड्यूल के अनुसार हल व टरेट भी भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में बनाए गए एवं इसका भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी में पूर्ण टैंक के उत्पादन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ा। इस प्रकार के निर्माण के स्थान में परिवर्तन के कारण होने वाली देरी एवं इस उद्देश्य के लिये खरीदी गई मशीनरी के अनुपयोगी हो जाने के मामले को किनारे कर दिया गया।

8.3.2.6 बड़े संयोजनों की प्राप्ति में समस्या

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी ने डी.आर.डी.ओ. द्वारा, जून 2005 से मई 2008 के बीच किए गये मूल्यांकन के आधार पर चिन्हित किए गये स्रोतों से; डी.आर.डी.ओ. एवं संबद्ध सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गये डिजाइन के आधार पर एम.बी.टी. अर्जुन का उत्पादन शुरू कर दिया। थलसेना द्वारा सीमित श्रेणी उत्पादन (एल.एस.पी.) के अंतर्गत तैयार किये गये एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों के मैदानी परीक्षणों एवं त्वरित प्रयोग-सह-विश्वसनीयता परीक्षणों के दौरान बड़े संयोजनों के संदर्भ में गुणवत्ता की समस्या सामने आई। डी.आर.डी.ओ. द्वारा डिजाइन में किये गये संशोधनों के कारण, अधिक विकसित संयोजनों की आपूर्ति एवं दोषपूर्ण हिस्सों की मरम्मत में देरी हुई, जिसके कारण एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन में देरी हुई, जैसा कि तालिका-46 में भी दर्शाया गया है।

¹⁴⁹ टेस्ट ट्रेक की मरम्मत कार्य के उद्देश्य से किए गए अध्ययन हेतु भारी वाहन फैक्ट्री, एम.ई.एस., डी.जी.क्यू.ए. एवं डी.आर.डी.ओ. के अधिकारियों को लेकर एक रेकी-कम-कास्टिंग-कम-सेटिंग बोर्ड बनाने का आदेश दिया गया।



एम.बी.टी.-अर्जुन एवं उसके प्रमुख संयोजन

तालिका-46: बड़े संयोजनों की आपूर्ति में देरी

संयोजन	आपूर्तिकर्ता	देरी	टिप्पणी
गनर्स मेन साइट (जी.एम.एस.): फायरिंग से पूर्व निशाना लगाने, पथ चिह्नित करने व दूरी के नियंत्रण हेतु टैरेट की हथियार प्रणाली में फिट किया जाता है।	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	51 महीने (प्रथम आदेश) 30 महीने (द्वितीय आदेश)	₹ 1.2 करोड़ की लागत से दोषपूर्ण कलपुर्जों की मरम्मत
कमाण्डर्स पेनोरेमिक साइट (सी.पी.एस.): टैरेट की हथियार प्रणाली का यह भाग कमाण्डर के गनर से स्वतंत्र रूप से, लक्ष्य देखने हेतु फिट किया जाता है।	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम)	9 महीने	संशोधन डिजाइन के कारण देरी
हाईड्रोलिक सर्पेंशन यूनिट (एच.एस.यू.): यह भाग टैंक के हल द्वारा उत्पन्न झटकों व कम्पनों के प्रभाव को समायोजित करने के लिये चेसिस व स्वचालित प्रणाली पर लगाया जाता है।	(अ) किलॉस्कर न्यूमैटिक कम्पनी लिमिटेड (ब) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर	25 महीने	एच.एस.यू. की 10 इकाइयों को मितव्ययी मरम्मत से परे घोषित कर दिया गया एवं भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी से मेसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 18 इकाई एच.एस.यू. अभी भी मरम्मत हेतु भेजा जानी थीं।
गन कंट्रोल सिस्टम (जी.सी.एस.): यह भाग टैरेट की हथियार प्रणाली पर फिट किया जाता है, जिससे टैरेट को घुमाने एवं गन को उठाने में नियंत्रण रखा जाता है।	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल	8 वर्ष	इस भाग की मरम्मत में ओ.ई.एम., मेसर्स बी.आर. जर्मनी की उच्च चक्रण अवधि के कारण (हाई साइकिल टाइम) देरी हुई।
पॉवर पैक (प्रोपल्सन यूनिट, इंजिन और ट्रान्समिशन): हल के चेसिस एवं स्वचालित प्रणाली में फिट इस भाग द्वारा टैंक को चलाने के लिये पॉवर सप्लाई की जाती है।	(अ) आर.ई.एन.के. जर्मनी (ब) एम.टी.यू. जर्मनी	5 वर्ष	नौ पॉवर पैक की मरम्मत प्रतीक्षित थी। जर्मनी से 10 नये पॉवर पैक मंगाने का निर्णय किया गया।

मंत्रालय ने कहा (मई 2014) कि थलसेना द्वारा जिन सुधारों के लिए कहा गया, वे डी.आर.डी.ओ. द्वारा किये गये और ये सुधार निर्माता द्वारा वारंटी के अंतर्गत बिना एक पैसा लिये किया गया। किन्तु फिर भी यह तथ्य है कि इन कमियों की वजह से ही एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन एवं उसके पश्चात थलसेना को आपूर्ति में देरी हुई।

8.3.2.7 डिजाइन में परिवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2006 की प्रतिवेदन संख्या 3 में, एम.बी.टी. अर्जुन के विकास के डिजाइन में बारम्बार किये जा रहे परिवर्तनों के कारण होने वाली देरी का उल्लेख किया गया था। एम.बी.टी. अर्जुन के प्रोटोटाइप का विकास अप्रैल 1982 में पूर्ण किया जाना था, किन्तु डिजाइन में किए गए कई सुधारों के पश्चात, इसका प्रोटोटाइप थलसेना ने वर्ष 1998 में पास किया।

डिजाइन में किये जाने वाले बारम्बार परिवर्तनों पर चिंता जाहिर करते हुए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने मंत्रालय को दिये गये एक नोट में इस बात की पुष्टि की (2004) कि एम.बी.टी. अर्जुन का डिजाइन अब निश्चित किया जा चुका है। वस्तुतः, मामला यह भी नहीं था। हमने यह पाया कि डिजाइन के निश्चित हो जाने के बाद भी विभिन्न संयोजनों के डिजाइन में अगस्त 2010 तक 316 संशोधन किये गये। यह सारे परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिये गये उत्तर (मई 2014) में ज्यादातर यह कहकर न्यायोचित ठहराए गये थे कि यह उत्पादन के विकास हेतु आवश्यक थे तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने के प्रयोक्ता के फीडबैक के आधार पर किये गये थे।

यह उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है, कि प्रोटोटाइप की स्वीकृति (1998) के बाद उत्पादन की सहमति के बावजूद 12 वर्षों तक डिजाइन पर बार-बार कार्य होता रहा और इसे 2010 में जाकर अंतिम रूप दिया गया।

एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन को सबसे बड़ा धक्का फरवरी 2007 में तब लगा जब थलसेना ने अपनी जरूरतों को परिवर्तित करके सामने रखा। भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी द्वारा तैयार किये टैंकों को भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी, डी.आर.डी.ओ. एवं थलसेना के प्रतिनिधियों द्वारा फैक्ट्री के भीतर ही संयुक्त रूप से प्राप्ति के पूर्व निरीक्षण के पश्चात थलसेना के लिये जारी किया जाना था। थलसेना को आपूर्ति किये गये इन टैंकों के थलसेना द्वारा दो परीक्षण किये गये-मैदानी परीक्षण एवं त्वरित प्रयोग-सह-विश्वसनीयता परीक्षण (ए.यू.सी.आर.टी.)। पायलट फेज¹⁵⁰ में उत्पादित पहले पाँच एम.बी.टी. अर्जुन (2003-2004) का संयुक्त रूप से प्राप्ति के पूर्व परीक्षण, उत्पादन के एक वर्ष पश्चात (मार्च 2005) किया गया। दूसरी लॉट के नौ पायलट एम.बी.टी. अर्जुन का निरीक्षण, उत्पादन के दो वर्ष पश्चात फरवरी 2007 में किया गया। वर्ष 2007 तक, भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी द्वारा पहले ही 53 एम.बी.टी.¹⁵¹ तैयार किये जा चुके थे। फरवरी 2007 में किये गये निरीक्षण के दौरान थलसेना ने नदी के उथले जल से गुजरते समय टैंक के फाइटिंग कम्पार्टमेंट में जल के प्रवेश कर जाने के बारे में सूचित किया एवं एम.बी.टी. अर्जुन के डिजाइन में दो अतिरिक्त सुधारों के लिए कहा जैसे- टैंक के फाइटिंग कम्पार्टमेंट में जल के प्रवेश का 'जीरो' लेवल एवं फोर्डिंग (टैंक के पानी में घुसने से लेकर बाहर निकलने में लगा समय) के लिये लगने वाले समय को घटाकर 30 मिनट तक लाना।

हमने यह नोटिस किया कि थलसेना द्वारा टी-90 टैंक के लिये तय किये गये मानक अपेक्षाकृत शिथिल थे जिसमें 2.5 लीटर¹⁵² तक पानी के प्रवेश की अनुमति थी। थलसेना की आवश्यकताओं में (वर्ष 1985 का जी.एस.क्यू.आर.) या उसके बाद में विकास के विभिन्न चरणों के दौरान जिसके दौरान

¹⁵⁰ सीमित श्रेणी उत्पादन

¹⁵¹ 15 टैंक सीमित श्रेणी उत्पादन के अंतर्गत एवं 38 थोक उत्पादन के अंतर्गत

¹⁵² मीडियम फोर्डिंग के लिये पानी के प्रवेश की स्वीकार्यता सीमा, पूर्ण डुबान के 5 लीटर की सीमा के सापेक्ष तय किया गया था, जैसा कि टी-90 टैंक के परीक्षण निर्देशों में दिया गया था।

डिजाइन में कई परिवर्तन देखे गये, मीडियम फोर्डिंग के लिये 'जीरो' लेवल के जल प्रवेश की बात कहीं नहीं थी। वास्तव में अगस्त 1999 की (थलसेना एवं डी.आर.डी.ओ. की) संयुक्त कार्य योजना में एम.बी.टी. अर्जुन की मीडियम फोर्डिंग क्षमता को स्पष्ट किया गया था। यह मामला, पायलट एम.बी.टी. अर्जुन के पहले बैच की प्राप्ति से पूर्व किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान भी नहीं उठाया गया था।

इन नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु डी.आर.डी.ओ. को नौ पायलट एम.बी.टी. अर्जुन की दूसरी लाट के डिजाइन में सुधार करने की जरूरत पड़ी। इनमें सुधार किए गए और इन्हें सितम्बर 2007 में थलसेना को जारी कर दिया गया। पाँच पायलट टैंकों की पहली लाट थलसेना से वापस ले ली गई, इनमें सुधार किए गए एवं इन्हें अक्टूबर 2007 तक थलसेना को पुनः दे दिया गया। थोक उत्पादन में बने बाकी 39 टैंकों को विघटित कर दिया गया, सुधार किया गया एवं वर्ष 2008-2010 के दौरान थलसेना को जारी कर दिया गया। कुल 53 टैंकों के विघटन एवं पुनर्संयोजन के संपूर्ण कार्य में ₹ 84 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा।

मंत्रालय ने (मई 2014) कहा कि प्रयोक्ता के दृष्टिकोण को देखते हुए, समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए इन परिवर्तनों को आवश्यक माना गया। इस उत्तर के द्वारा, एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन एवं आपूर्ति का कार्य, सुधारों के कारण पटरी से उतर जाने के मुद्दे को गौण कर दिया गया, जो कि ₹4913 करोड़ की लागत से नवम्बर 2007 में टी-90 टैंकों के आयात के लिए महत्वपूर्ण कारक था, जिस पर पैरा 8.3.4 में प्रकाश डाला गया है। इस उत्तर में इस बात का जवाब नहीं मिलता कि टी-90 टैंकों की तुलना समान जरूरतों के लिए एम.बी.टी. अर्जुन के संदर्भ में जल प्रवेश एवं फोर्डिंग के मानक अधिक कड़े क्यों कर दिये गये।


मीडियम फोर्डिंग का मामला हमारे द्वारा नोटिस किए गए उन आठ मामलों में से एक था, जहाँ थलसेना ने एम.बी.टी. अर्जुन के मामले में निर्धारित मानकों को टी-90 के मानकों की तुलना में अधिक कड़े रखे। इनके बारे में **परिशिष्ट-XIX** में विवरण दिया गया है। एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 टैंकों के तुलनात्मक परीक्षणों के अपने प्रतिवेदन की संवीक्षा में, हम इन दो टैंकों के प्रदर्शन पर इन मानकों के प्रभाव का आकलन नहीं कर सके (फरवरी/मार्च 2010-पैरा 8.3.2.8 में संदर्भित)। जहाँ एक ओर हम एम.बी.टी. अर्जुन के विकास के लिये थलसेना के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं, वहीं उनके द्वारा अधिक कठिन मानकों के आरोपण ने समान स्तर की प्रतिस्पर्धा खासतौर से, डिजाइन को अंतिम रूप देने में असफलता के कारण डिजाइन में कई परिवर्तन, उनके द्वारा एम.बी.टी. अर्जुन को स्वीकार करने में लगातार की गई देरी ने अंततः समग्र रूप से एम.बी.टी. अर्जुन की उत्पादन एवं आपूर्ति के मार्ग को बाधित किया।

8.3.2.8 एम.बी.टी. अर्जुन का परीक्षण एवं आपूर्ति

एम. बी.टी. अर्जुन के उत्पादन ने 2005-06 में जोर पकड़ा, जब समग्र उत्पादन 29 एम.बी.टी. तक पहुँच गया। 2006-07 में, भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी ने उत्पादन 53 तक बढ़ा दिया। हमने पाया कि एम.बी.टी. अर्जुन की थलसेना को की जाने वाली आपूर्ति से उत्पादन पीछे चल रहा था। तैयार एम.बी.टी.¹⁵³ का संयुक्त रूप से निरीक्षण, जो कि जारी किए जाने से पूर्व करना आवश्यक था, अस्वाभाविक रूप से देर में किया गया। मार्च, 2008 तक, भारी वाहन फैक्ट्रीज ने 71 एम.बी.टी. तैयार किए, जिसमें से केवल 14 (20 प्रतिशत) का संयुक्त निरीक्षण के अंतर्गत परीक्षण किया गया। किंतु जैसा कि पैरा 8.3.4 में उल्लेख किया गया है, नवम्बर, 2007 में जैसे ही टी-90 टैंक के दूसरे आयात की संविदा (कांट्रैक्ट) हुई, एम. बी.टी. अर्जुन के निरीक्षण व आपूर्ति कार्य ने जोर पकड़ा एवं अगले तीन वर्षों में 122 तैयार एम.बी.टी. अर्जुन में से 102 थल सेना द्वारा स्वीकार कर लिए गए, जैसा कि चार्ट-17 में प्रदर्शित किया गया है।

¹⁵³ संयुक्त निरीक्षण भारी वाहन फैक्ट्री, डी.आर.डी.ओ. एवं थलसेना द्वारा किए जाने थे।

चार्ट-17



फरवरी/मार्च, 2010 में एम.बी.टी. अर्जुन के साथ एवं टी-90 टैंक के तुलनात्मक मैदानी परीक्षण किए गए। तब तक, थलसेना नियमित रूप से एम.बी.टी. अर्जुन की गुणवत्ता में कमी के संबंध में लगातार सूचित कर रही थी, इसको भी रक्षा की स्थायी समिति (2007-2008) (स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस) को प्रतिवेदित किया गया। तुलनात्मक परीक्षण चार मापदण्डों पर किए गए जैसे कि - फायर पॉवर, आघात सहने की क्षमता, विश्वसनीयता एवं टैंक से संबंधित अन्य मुद्दे, जिनके वेटेज क्रमशः 40,35,15 व 10 था। परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, एम.बी.टी. अर्जुन ने अचूकता एवं लगातार फायर करने की क्षमता में टी-90 टैंकों से थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन किया था। फिर भी टी-90 टैंकों ने घातकता एवं मिसाइल फायर करने की क्षमता में बेहतर प्रदर्शन किया। थलसेना ने (अप्रैल, 2010) निष्कर्ष निकाला कि “अर्जुन ने प्रशंसनीय प्रदर्शन किया है और इसे टी-90 टैंक के समान क्षमता के साथ आक्रामक एवं रक्षात्मक दोनों ही कार्यों के लिए लगाया जा सकता है।” थलसेना ने अर्जुन टैंक को एक बेहतर हथियार के प्लेटफॉर्म के रूप में बनाने के लिए सुधारों¹⁵⁴ की अनुशंसा की। हमें यह भी सूचित किया गया (फरवरी, 2014) कि एम.बी.टी. अर्जुन के मार्क-II संस्करण का भी थलसेना द्वारा परीक्षण किया जा रहा है तथा इसमें थलसेना द्वारा सुझाए गए सुधारों को शामिल किया जाएगा।

हमने पाया कि एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 टैंक की मिसाइल फायर क्षमता की तुलना अवांछनीय थी, टी-90 टैंक द्वारा अधिक अंक अर्जित किए जाने का मुख्य कारण मिसाइल फायर क्षमता थी, जो एम.बी.टी. अर्जुन के डिजाइन में नहीं थी। मिसाइल फायर क्षमता को छोड़कर एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 टैंक के फायर पॉवर के संदर्भ में अंक क्रमशः 25.77 एवं 24.50 होते हैं। कुल तुलनात्मक अंकों में, टी-90 टैंकों ने 75.01 प्राप्त किए जो कि एम.बी.टी. अर्जुन के अंक 72.46 से थोड़ा ज्यादा था, जो मुख्यतः टी-90 टैंकों की मिसाइल फायर क्षमता में प्राप्त अधिक अंकों के कारण था।

8.3.2.9 एम.बी.टी. उत्पादन सुविधाओं का भविष्य

लोक लेखा समिति ने (दिसंबर,2003) मंत्रालय को विशेष रूप से कहा कि उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग इस तरह किया जाए कि एम.बी.टी. अर्जुन के अपेक्षित मात्रा में उत्पादन किए

¹⁵⁴ उन्नति हेतु दिए गए सुझावों में अन्य के अतिरिक्त, एंटी टैंक मिसाइल को शामिल करना, गोला बारूद की भेदन क्षमता बढ़ाना एवं एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल को उठाना भी शामिल थे।

जाने से स्वदेशीकरण की मात्रा बढ़ाकर 55 प्रतिशत तक की जा सके। मंत्रालय ने कमेटी को आश्वासन दिया कि एक उत्पादन स्तर में जिसमें प्रारंभ में 300 एम.बी.टी. अर्जुन को बढ़ाकर बाद में 500 टैंक तक किया जाएगा, आयातित सामग्री का भाग घटकर 30 प्रतिशत के नीचे आ जाएगा।

फिर भी, 124 टैंकों के प्रारंभिक मांग (इंडेन्ट) को छोड़कर, बोर्ड को एम.बी.टी. अर्जुन के लिए कोई अगला मांग प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 2009-10 से उत्पादन में ठहराव आ गया है और इस स्तर तक आया है कि ₹87 करोड़¹⁵⁵ की लागत से 30 एम.बी.टी. अर्जुन प्रतिवर्ष तैयार करने की क्षमता, उपयोग के लिए मंत्रालय द्वारा नए आदेशों हेतु निर्णय लिये जाने की प्रतीक्षा कर रही है। इस दौरान, भारी वाहन फैंक्ट्रीज, अवाडी के पास ₹128 करोड़ का भण्डार-सूची पड़ी थी, जिसे “जारी कार्य” (वर्क इन प्रोग्रेस) के रूप में दिखाया गया था, जो कि नए आदेश न होने के कारण उपयोग में नहीं आ पा रही थी। प्रति एम.बी.टी. अर्जुन की लागत ₹21 करोड़ (2009-2010) थी, जिसमें से ₹13 करोड़ की सामग्री आयातित थी। इससे एम.बी.टी. अर्जुन के स्वदेशीकरण का स्तर मात्र 38 प्रतिशत तक ही पहुँच सका था। एम.बी.टी. अर्जुन की प्रारंभिक विकास परियोजना में इंजन को छोड़कर सभी संघटकों/संयोजनों के स्वदेशी उत्पादन का विचार किया गया था। इंजन के अतिरिक्त अन्य बड़े संयोजनों की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं के बारे में पैरा 8.3.2.6 में पहले चर्चा की जा चुकी है।

मंत्रालय ने हमें बताया (मई 2014) कि आयातित मदों का स्वदेशीकरण, इन मदों की तकनीक/डिजाइन की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। यह उत्तर, स्वदेशीकरण के मुद्दे को विस्तृत रूप से समावेशित नहीं करता, क्योंकि जिन मदों को रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (पैरा 8.3.2.6) द्वारा निर्माण हेतु डिजाइन किया गया था, वे भी एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन के लिए आयातित किये जा रहे थे।

8.3.3 टी.-90 टैंकों का स्वदेशी उत्पादन

बोर्ड ने (नवम्बर 2004) 300 स्वदेशी टी.-90 टैंकों के निर्माण हेतु मांगपत्र प्राप्त किया, जिनकी आपूर्ति 2006-2010 के दौरान की जानी थी। इस मांगपत्र के अनुरूप, उत्पादन कार्यक्रम इस तरह से तय किया गया: वर्ष 2006-2007 में 50 टैंक, 2007-2008 एवं 2008-2009 में प्रतिवर्ष 100 टैंक तथा वर्ष 2009-2010 में शेष 50 टैंक। फिर भी, उत्पादन कार्य वर्ष 2009-2010 में प्रारम्भ हो सका एवं इसमें 2010-2011 में गति आ सकी। तालिका-47 में लक्षित शिड्यूल के सापेक्ष टी-90 टैंकों का उत्पादन एवं आपूर्ति का विवरण दिया गया है।


तालिका - 47

वर्ष	शिड्यूल	उत्पादन	आपति
2006-07	50	शून्य	शून्य
2007-08	100	शून्य	शून्य
2008-09	100	शून्य	शून्य
2009-10	50	24	14
2010-11	--	51	36
2011-12	--	60	65
2012-13	--	90	52
कुल	300	225	167

चार्ट-18 में उत्पादन के विभिन्न चरणों में हुई देरी को, जिनके कारण बोर्ड टी-90 टैंकों की मांगपत्र के अनुरूप समय पर आपूर्ति करने में अक्षम रहा, सारांशीकृत किया गया है:

¹⁵⁵ मई 2002 में प्रारंभ में ₹100 करोड़ की स्वीकृति थी, किंतु प्लांट व मशीनरी का कार्यक्षेत्र (स्कोप) घट जाने के कारण वास्तविक व्यय सिर्फ 87 करोड़ हुआ।

चार्ट-18: चरणबद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उसमें लगने वाला समय



8.3.3.1 डिजाइन के दस्तावेजों का अनुवाद

रसियन फर्म रोसोबोरॉनइक्सपोर्ट (आर.ओ.ई.) द्वारा तकनीकी हस्तांतरण के दस्तावेजों में उपलब्ध डिजाइन का विवरण मार्च 2003 तक हस्तांतरित किया जाना था। ये दस्तावेज रसियन भाषा में थे, थलसेना/आयुध फैक्ट्रियों द्वारा आर.ओ.ई. प्राप्त दस्तावेजों को अनुवाद कराने का कार्य सफल नहीं हो पाया। ये दस्तावेज सितम्बर 2001 एवं जनवरी 2003 के दौरान प्राप्त हुए, जिसके पश्चात भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी ने दस्तावेजों के अनुवाद के लिए सितम्बर 2003 से सितम्बर 2006 के बीच चार संविदाएं स्वीकृत की। अनुवाद कार्य, पहले बैच के 50 स्वदेशी टैंकों की वर्ष 2006-2007 में शिड्यूल आपूर्ति अवधि के बीत जाने के बाद, जुलाई 2007 में पूरा हो सका। कुल मिलाकर, तकनीकी स्थानांतरण (टी.ओ.टी.) के दस्तावेजों के अनुवाद कार्य मात्र में लगभग छः वर्ष लग गए।

मंत्रालय ने कहा (मई 2014) कि भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी में मौजूदा संसाधन एक रूसी अनुवादक द्वारा, स्वदेशी उत्पादन हेतु आवश्यक जटिल दस्तावेजों का अनुवाद कराया गया एवं अनुवाद के बचे कार्य के कारण उत्पादन में किसी भी तरह की देरी नहीं हुई। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि तकनीकी हस्तांतरण के दस्तावेजों के अनुवाद में हुई देरी के कारण टी-90 टैंकों का स्वदेशी उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि अनुवादित दस्तावेजों के बिना उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकता था।

8.3.3.2 उत्पादन हेतु सुविधाओं का विकास

फरवरी 2004 में टी-90 टैंकों के उत्पादन के लिए सुविधाओं¹⁵⁶ के निर्माण हेतु ₹96 करोड़ की स्वीकृति देते समय मंत्रालय ने अवाडी में इन सुविधाओं की स्थापना का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की। लेकिन बोर्ड ने आंतरिक रूप से जुलाई 2006 की एक लक्ष्य तिथि निर्धारित की थी। सात वर्षों से ज्यादा समय के पश्चात, नवम्बर 2013 में ₹95 करोड़ की कुल लागत से इसके लिए सुविधाएं स्थापित की गईं। (लागत का विवरण-प्लान्ट एवं मशीनरी: ₹71 करोड़ एवं सिविल कार्य: ₹24 करोड़)

हमने पाया कि इंजन फैक्ट्री अवाडी में सिविल कार्य तय शिड्यूल के आस-पास ही था। किन्तु भारी वाहन फैक्ट्री में सिविल कार्यों में से दो कार्य जैसे संयोजन शेड (असेम्बली शेड) तथा टैंक स्टोरेज

¹⁵⁶ ये सुविधाएं भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी, इंजन फैक्ट्री अवाडी, आयुध फैक्ट्री मेडक एवं आप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में तैयार की जानी थी।

एकोमोडेशन, सात वर्ष की देरी के बाद सितम्बर एवं नवंबर 2013 में पूर्ण हुए। यह देरी इस कारण हुई, क्योंकि संविदा के समय अनुमानित लागत अनुचित प्रतीत हुई, जिसकी वजह से सिविल कार्य का कार्यक्षेत्र घटाने की आवश्यकता पड़ी।

भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी में प्लांट एवं मशीनरी की खरीद एवं स्थापना का कार्य केवल दो मामलों को छोड़कर समयानुसार ठीक चल रहा था। यह मदें थी: बोरिंग एवं मिलिंग मशीन (गियर बाक्सों के निर्माण हेतु) एवं स्पेशल परपज ऑटोमेटिक रोलिंग मशीन (टॉरसन बार के निर्माण हेतु)। इन दो विशेष मशीनों की स्थापना (मार्च/दिसम्बर 2009) में तीन वर्ष की देरी के मुख्य कारण खरीद में देरी एवं मशीन की स्थापना हेतु आधार स्थल के निर्माण में देरी थे। भारी वाहन फैक्ट्री को गियर बॉक्स एवं टॉरसन बार, ₹31 करोड़ की लागत से आयात (नवंबर 2007- फरवरी 2009) करने पड़े, इस बीच दोनों संयोजनों के लिये आवश्यक सुविधाओं का निर्माण हो चुका था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (मई 2014) कि ऑटोमेटिक रोलिंग मशीन की खरीद में देरी के कारण उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टॉरसन बारों का आयात करना पड़ा। दूसरी ओर, गियर बॉक्स को नए डिजाइन में विकसित करने में लगी देरी के कारण गियर का आयात करना पड़ा।

8.3.3.3 जटिल संयोजनों के डिजाइन दस्तावेजों की प्राप्ति न हो पाना

हमने पाया कि जुलाई, 2013 में 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी रसियन निर्माता, आर.ओ.ई. ने कुछ जटिल संयोजनों¹⁵⁷ के तकनीकी हस्तांतरण के दस्तावेज हस्तांतरित नहीं किए। एक महत्वपूर्ण भाग तोप प्रणाली (बैरल सहित) थी, जिसकी डिजाइन मई, 2014 तक प्राप्त नहीं हुई थी। वस्तुतः, मंत्रालय ने टी-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन में असफलता के लिए इसी मुद्दे को मुख्य कारण माना।

आयुध फैक्ट्रियाँ, टैंकों के पिछले संस्करण: टी-72 के लिए "संशोधित केमिस्ट्री"¹⁵⁸ का उपयोग कर रही थी, जो कि उसी फर्म, आर.ओ.ई. से तकनीकी हस्तांतरण पर आधारित था। टी-72 एवं टी-90 दोनों टैंकों की गन बैरल असेम्बली एक जैसी ही है। टी-90 बैरल के लिए डिजाइन का तकनीकी हस्तांतरण न हो पाने के कारण, बोर्ड ने बैरल के लिए "संशोधित केमिस्ट्री" के उपयोग का सुझाव दिया। किन्तु महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यू.ए.) ने प्रस्ताव के लिए सहमति (फरवरी 2006) नहीं दी। मार्च 2006 में, मंत्रालय ने हस्तक्षेप करते हुए "संशोधित केमिस्ट्री" द्वारा तैयार बैरलों के मैदानी परीक्षण के लिए जोर दिया। संशोधित केमिस्ट्री द्वारा तैयार बैरलों की पहली लॉट का जुलाई 2008 एवं पुनः सितम्बर 2010 में मैदानी परीक्षण हुआ। तदोपरांत, डी.जी.क्यू.ए. ने नवम्बर 2010 में संशोधित केमिस्ट्री द्वारा तैयार बैरलों के उपयोग के लिए रास्ता साफ कर दिया।

इस प्रकार, टी-90 टैंकों में संशोधित केमिस्ट्री द्वारा तैयार बैरलों के उपयोग का निर्णय लेने में चार वर्ष लग गए। अब चूंकि शिड्यूल से देरी हो रही थी, वर्ष 2007 में पूर्ण आयातित गन असेम्बली पर आधारित स्वदेशी टी-90 टैंकों के उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया गया। यह आयात वर्ष 2012 तक चलता रहा, जब तक कि संशोधित केमिस्ट्री से तैयार बैरलों के उत्पादन ने जोर नहीं पकड़ लिया। 175 गन असेम्बली के आयात की कुल लागत ₹ 119 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, आयुध फैक्ट्री, कानपुर ने ₹ 59 करोड़ की कीमत से बैरल के साथ अन्य संघटकों का भी आयात (2007-2010) किया।

¹⁵⁷ 130 मि.मी. आर्मर प्लेट, आर्मर स्टील की विशिष्टि (स्पेसिफिकेशन), जी.ओ. 27 का सेंसर एवं उन्नत जी.ओ. 27, विशिष्टि जी.ओ.एस.टी. बी.5192-78

¹⁵⁸ आयुध फैक्ट्रियों ने गन असेम्बली की बैरल में उपयोग किए जाने वाले तत्वों का संयोजन आवश्यकतानुसार परिवर्तित (2000) किया।

इस विश्लेषण से टी.-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन पर देशी से लिए गए निर्णयों का प्रभाव स्पष्ट किया गया है। इससे आयुध फैक्ट्रियों का विभिन्न संयोजनों/ संघटकों का आयात में अनवरत विश्वास प्रदर्शित होता है। कुल मिलाकर, ₹ 2,372 करोड़ जो कि कुल 225 टी-90 टैंकों (₹ 3,813 करोड़) के स्वदेशी उत्पादन की कुल लागत का 62 प्रतिशत होता है, मार्च 2013 तक विभिन्न संयोजनों के आयात पर खर्च किए जा चुका था। आयात का और अधिक विवरण **परिशिष्ट-XX** में दिया गया है।

8.3.3.4 आयात पर अनवरत विश्वास : स्वदेशीकरण पर प्रभाव

टी-90 टैंकों के स्वदेशीकरण योजना में प्रतिवर्ष आयात हेतु चार संयोजनों¹⁵⁹ को चिन्हित करते हुए, वर्ष 2007-2008 के 80 प्रतिशत आयात को घटाकर 2010-2011 में 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। मंत्रालय ने टी.-90 टैंकों के उत्पादन में 76 प्रतिशत स्वदेशीकरण दावा किया (मई 2014), एक ऐसा दावा जिसके समर्थन में डाटा उपलब्ध नहीं था।

हमने स्वदेशीकरण के संदर्भ में मदवार उपलब्धि प्राप्ति का विवरण मांगा (मई 2013)। भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी ने यह विवरण उपलब्ध नहीं कराया, किन्तु हमें यह सूचित किया कि जिन छः जटिल संयोजनों/संघटकों¹⁶⁰ का स्वदेशीकरण योजना में था, उनका स्वदेशीकरण अभी भी बाकी है। वर्ष 2007-2011 के दौरान, इन मदों का मेसर्स आर.ओ.ई. से ₹226 करोड़ की कुल लागत से आयात किया गया। इसके लिए कारण दिए गए: उत्पादन में गुणवत्ता का मुद्दा, घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से संघटकों की प्राप्ति न हो पाना एवं आर.ओ.ई. द्वारा डिजाइन के तकनीकी हस्तांतरण की प्राप्ति न होना।

मंत्रालय ने कहा (मई 2014) कि स्वदेशीकरण एवं आयात दो अलग-अलग चीजें थीं। जहाँ स्वदेशीकरण, टैंकों के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करना था, वहीं आयात, स्वदेशी आपूर्तिकर्ता स्रोत के विकास एवं उत्पादन के लिए आवश्यकता क्षमता के निर्माण काल के दौरान उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। यह उत्तर इस तथ्य के बारे में मौन है कि फैक्ट्रियाँ योजनागत स्वदेशीकरण को नियत समय के अंदर पूर्ण करने का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकीं, परिणामस्वरूप उन्हें अनवरत रूप से आयातित उत्पादों की सहायता पर निर्भर रहना पड़ा। मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समयबद्ध योजना उपलब्ध नहीं कराई, जबकि समयबद्धता के प्रावधान देश को संयोजनों के आयात पर अधिक विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं।

8.3.3.5 स्वदेशी टी.-90 टैंकों में गुणवत्ता की समस्या

मार्च 2010 से नवम्बर 2013 के दौरान, भारी वाहन फैक्ट्री को थलसेना से स्वदेशी टी.-90 टैंकों से सम्बन्धित छोटी-बड़ी कमियों की 45 डिफेक्ट रिपोर्ट (डी.आर.) प्राप्त हुई। यह कमियाँ मुख्यतः गियर बॉक्स के फेल होने एवं टैंक के स्वचालित/वेद्युतीय हिस्से से सम्बन्धित थीं। इन कमियों को दूर करने के लिए एक कार्यकारी समूह का प्रस्ताव (मार्च 2012) रखा गया, जिसे नहीं बनाया गया। भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी ने प्रयोक्ता की ओर से बताई गई कमियों के कारणों की जाँच के लिए फैक्ट्री स्तर पर एक विफलता पुनरीक्षा बोर्ड (फे.रि.बो.) का गठन किया (नवम्बर 2004)। एफ.आर.बी. ने मुख्य कमियों पर विचार-विमर्श (सितम्बर 2013) किया एवं प्रतिरोधक उपायों की अनुशंसा की। तदनुसार, भारी वाहन फैक्ट्री ने लागू किया:

- संयोजन प्रक्रिया के दौरान संयोजन के अनुरूप न पाई जाने वाली किसी भी चीज को हटाने के लिए प्रक्रिया लेखापरीक्षा;

¹⁵⁹ 7.62 पी.के.टी.एम.गन, टैडीरॉन रेडियोसेट, गायरो डायरेक्शनल इंडीकेटर एवं वेंटीलेशन सिस्टम

¹⁶⁰ इलेक्ट्रिक स्मोक जनरेशन स्विच, स्मोक जनरेशन सिस्टम, हल इलेक्ट्रिकल असेम्बली, फायर फाइटिंग असेम्बली, वेंटीलेशन सिस्टम, ए.ए.जी.म.

- फिटमेंट के पूर्व एवं कम्पोनेंट लेवल पर शत-प्रतिशत निरीक्षण की शुरुआत एवं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के प्रांगण में अतिरिक्त गुणवत्ता की जाँच;
- संशोधनों को लागू करने के बाद एवं नियमित उत्पादन में उनके उपयोग के पूर्व, स्थानीय फर्मों के द्वारा आपूर्ति किए गए सैम्पलों का गहन परीक्षण; एवं
- प्रयोक्ता को तकनीकी एवं रख-रखाव सम्बन्धी मदद के लिए फील्ड लोकेशनों पर भारी वाहन फैक्ट्री की टीमों की नियुक्ति।

मंत्रालय ने हमें बताया कि विफलता पुनरीक्षण बोर्ड एक ऐसा गुणात्मक औजार था, जिसे कमियों को समय पर दूर करने के लिए तैयार किया गया था। विफलता पुनरीक्षण बोर्ड के विचार-विमर्श (सितम्बर 2013) में देरी पर जबकि थलसेना मार्च 2010 से लगातार गुणवत्ता से सम्बन्धित अपनी चिंताएं जता रही थी, फिर भी, मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

8.3.3.6 टी.-90 टैंकों का भविष्य में उत्पादन

भारी वाहन फैक्ट्री में टी.-90 टैंकों का उत्पादन मार्च, 2003 में, नवम्बर 2004 के मांगपत्र के अनुसार 300 टैंकों से 75 कम था। यद्यपि पहले मांगपत्र के अंतर्गत उत्पादन जारी था, तो भी थलसेना ने दिसम्बर 2013 में 236 टी.-90 टैंकों का एक दूसरा मांगपत्र प्रस्तुत कर दिया।

इस बीच, मंत्रालय ने मार्च 2014 तक टी.-90 टैंकों के उत्पादन हेतु क्षमता के उन्नयन के लिए ₹971 करोड़ की संस्वीकृति (सितम्बर 2011) दी। यह आशा की गई थी कि टी.-90 टैंक के उत्पादन की आयुध फैक्ट्रियों की क्षमता 100 प्रतिवर्ष से बढ़कर 140 प्रतिवर्ष हो जायेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि 100 टी.-90 टैंकों के उत्पादन की क्षमता तैयार करने हेतु ₹96 करोड़ की संस्वीकृति (फरवरी 2004) में दी गई थी, जबकि टैंकों के उत्पादन की क्षमता 100 से बढ़ाकर 140 करने में ₹971 करोड़ लग गए, सात वर्षों के अंतराल में अनुमानित लागत में 10 गुना बढ़ोत्तरी हो गई। मई 2014 के अपने उत्तर में मंत्रालय द्वारा इस असाधारण बढ़ोत्तरी के कारण उपलब्ध नहीं कराए गए।

मार्च 2014 तक, इस उन्नयन हेतु इस परियोजना के लिए केवल ₹17 करोड़ खर्च किए जा सके तथा इसके संशोधित शिड्यूल में, यह परियोजना दिसम्बर 2016 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। बोर्ड उन्नयन की इस परियोजना को स्लो ट्रेक पर ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा है।

8.3.4 टी.-90 टैंकों का आयात

मंत्रालय ने थलसेना की टैंक की जरूरतों को रूस से आयात द्वारा पूरा करने के लिए 124 पूर्ण तैयार टी.-90 टैंकों द्वारा, जिसके लिए 186 टी.-90 टैंक, जो सेमी-नॉकड डाउन एवं कम्प्लीट-नॉकड डाउन रूप में सहायक संयोजनों के रूप में थे, पूर्ण करने की योजना (फरवरी 2004) बनाई। एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी.-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन द्वारा वर्ष 2010 तक थल सेना के शस्त्रागार में 424 टैंकों¹⁶¹ की बढ़ोत्तरी की उम्मीद थी। विभिन्न कारणों से स्वदेशी उत्पादन शिड्यूल से काफी पीछे चला गया था, लेकिन जैसा कि पैरा 8.3.2.7 में पहले बताया जा चुका है कि इसका मुख्य कारण एम.बी.टी. अर्जुन के डिजाइन में बारम्बार परिवर्तन थे। टी.-90 टैंक के संदर्भ में, उत्पादन मुख्यतः रसियन फर्म द्वारा जटिल संयोजनों की तकनीक के हस्तांतरण न किए जाने के कारण एवं मंत्रालय द्वारा इसके वैकल्पिक समाधानों के लिए निर्णय लिए जाने में देरी के कारण पीछे हो गया, जैसा कि पैरा 8.3.3.3 में उल्लेख किया गया है।

¹⁶¹ 124 एम.बी.टी. अर्जुन एवं 300 टी.-90 टैंकों के उत्पादन का मूल्य शिड्यूल क्रमशः 1985-2000 एवं 2006-2010 तक था।

एम.बी.टी. अर्जुन के डिजाइन में बारम्बार परिवर्तन एवं टी.-90 टैंकों की समस्या के वैकल्पिक समाधान के लिए निर्णय लिए जाने में देरी, दोनों मंत्रालय के नियंत्रण में थी। मंत्रालय द्वारा इन विषयों में समय पर एवं प्रभावी हस्तक्षेप न किए जाने के कारण टैंकों के स्वदेशी उत्पादन का कार्य पटरी से उतर गया। इससे कमी की स्थिति पैदा हुई एवं जिसे दूर करने के लिए नवम्बर 2007 में ₹4913 करोड़ की लागत से 124 पूर्ण तैयार टी-90 टैंकों एवं 223 एस.के.डी रूप में तैयार टी-90 टैंकों के आयात का निर्णय लिया गया।

टी-90 टैंकों के आयात का निर्णय सितम्बर 2007 में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स द्वारा की गई इस अनुशंसा के आधार पर लिया गया कि टैंकों की कमी दूर करने के लिए आयात की एक कार्यकारी जरूरत थी। जहाँ एक ओर थलसेना ने एम.बी.टी. अर्जुन के मैदानी परीक्षणों में देरी लगाई एवं बार-बार इसके डिजाइनों में परिवर्तन किये, जैसा कि पैरा 8.3.2.7 में बताया गया है, वहीं इसने टैंकों के जबरदस्त कमी को नए आयातों की जरूरत का कारण बताया।

टी-90 टैंकों पर हमारे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय ने जवाब दिया (मई 2014) कि आयात का विषय थलसेना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत था, एक जवाब जो इस तथ्य से बिल्कुल मेल नहीं खाता कि आयात का निर्णय मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पर बनी कैबिनेट कमेटी द्वारा भेजे गए एक नोट के आधार पर लिया गया था।

8.3.5 थलसेना में टैंकों के बड़े में संवर्धन हेतु निगरानी का तंत्र

सचिव, रक्षा उत्पादन, रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में बनी एक स्टीयरिंग कमेटी¹⁶² (एस.सी.) को एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन/निर्गम एवं सेवाओं में लिए जाने की प्रगति पर निगाह रखने के लिए हर तिमाही मिलना था। हमने देखा कि आठ वर्षों में (2002-2010) एस.सी. प्रति दस माह में एक बार की औसत से केवल दस अवसरों पर मिली। जुलाई, 2010 के बाद स्टीयरिंग कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। मीटिंग में लिए गए निर्णयों के उपरांत की गई कार्रवाईयां आंशिक रूप से अपर्याप्त थीं, क्योंकि मीटिंग नियमित रूप से नहीं हो रही थीं। स्टीयरिंग कमेटी अपने निर्णयों को जटिल क्षेत्रों में लागू करवाने में सक्षम नहीं थी। उदाहरण के लिए, जुलाई 2006 में हुई चौथी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि डिजाइन दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया जाएगा किंतु इसमें वर्ष 2010 तक परिवर्तन किए जाते रहें, जिससे उत्पादन शिड्यूल पर बुरा असर पड़ा।

मंत्रालय के स्तर पर, टी-90 टैंकों के उत्पादन एवं निर्गम के पुनरीक्षण के लिए कोई स्टीयरिंग कमेटी नहीं बनी थी। फिर भी, वर्ष 2008-2009 एवं मई, 2013 के दौरान थलसेना एवं बोर्ड के बीच 10 संस्थागत संपर्क (इन्सट्रूशनलाइज्ड इन्टरैक्शन) एवं विशेष बोर्ड मीटिंग आयोजित की गईं। आयुध फैक्ट्री बोर्ड की मासिक मीटिंगों के कार्यवृत्तों से यह संकेत मिलता है कि 2008 से 2013 के बीच हुई 67 बोर्ड मीटिंगों में से केवल 2010 से 2013 के बीच आयोजित हुई सात मीटिंगों में ही मुख्यतः बड़े मामलों के बारे में चर्चा हुई।

इन मीटिंगों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं उनके वास्तविक कार्यान्वयनों के बारे में परिशिष्ट-XXI में दिया गया है। परिशिष्ट में यह देखा जा सकता है कि ऐसे मामले हैं, जिनमें लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन नहीं किया गया अथवा लिए गए निर्णयों को आंशिक रूप से किन्तु देशी से लागू किया गया। इस प्रकार, एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 टैंकों के उत्पादन की मंत्रालय एवं बोर्ड द्वारा की गई निगरानी पर्याप्त एवं प्रभावी नहीं थी।

¹⁶² सह अध्यक्ष-महानिदेशक (आर.& डी.), सदस्य- (ओ.एफ.बी.), डी.जी.क्यू.ए. सी.सी. (आर.& डी.), एडीशनल डी.जी.ओ.एफ. (ए.वी.), एडीशनल एफ.ए. (एम.ओ.डी.), अपर महानिदेशक (डब्लू.ई.), संयुक्त सचिव (ओ.एफ.), निदेशक (सी.वी.आर.डी.ई.)

निष्कर्ष

मंत्रालय ने वर्ष 1985 से 2000 के बीच एम.बी.टी. अर्जुन को चरणबद्ध रूप से शामिल करके टैंकों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना तैयार की, यह शिड्यूल बाद में शिफ्ट होकर 2002-2009 में चला गया। रूस से तकनीक हस्तांतरण पर आधारित स्वदेशी टी-90 टैंकों का उत्पादन 2006-2010 के बीच शुरू किया जाना था।

फिर भी, स्वदेशी टैंकों का उत्पादन थलसेना की जरूरतों को समय पर पूरा करने की तय योजना के शिड्यूल के अनुसार पूरा न हो सका। संख्यानुसार, आयुध फैक्ट्रियों ने एम.बी.टी. अर्जुन की माँग पूरी की (आदेशित 124 में से 119); आदेशित 300 टी-90 टैंकों की माँग पूरा करने में 133 की कमी रह गई। डिजाइन में बारम्बार किए जा रहे परिवर्तनों के कारण एम.बी.टी. अर्जुन का उत्पादन पटरी से उतर गया, बावजूद इसके कि वर्ष 2004 में डिजाइन को अंतिम रूप दे दिए जाने के बारे में आश्वासन दिया जा चुका था। थलसेना द्वारा मूल जी.एस.क्यू.आर. में अनुपस्थित, नई जरूरतों की माँग किए जाने के कारण पहले निर्मित किए जा चुके एम.बी.टी. को पुनः टुकड़ों में अलग करना पड़ा। आयुध फैक्ट्रियों द्वारा ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण में हुई देरी एवं श्रेष्ठ गुणवत्ता के संयोजनों की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं ने एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन में आने वाली परेशानियों को और बढ़ाया।

टी-90 टैंकों का स्वदेशी उत्पादन के लिए तकनीकी हस्तांतरण का कार्य डिजाइन दस्तावेजों के अनुवाद में हुई देरी एवं गन असेम्बली जैसे जटिल संयोजनों का डिजाइन साझा करने में रूसियन फर्म की असफलता के कारण पूरा न हो सका। यह समस्या इन डिजाइनों के संदर्भ में वैकल्पिक समाधानों हेतु निर्णय लेने में देरी किए जाने से और बढ़ गई। इसमें एक मामला टी-90 टैंक की बैरलों के लिए “संशोधित केमिस्ट्री” के उपयोग के लिए आयुध फैक्ट्रियों द्वारा दिए गये प्रस्ताव को डी.जी.क्यू.ए. द्वारा खारिज किये जाने का भी है। यह इस तथ्य के बावजूद था कि फैक्ट्रियाँ टी-72 टैंकों (टी-90 टैंक का पूर्वगामी) की बैरलों के लिए “संशोधित केमिस्ट्री” के उपयोग का अनुभव प्राप्त कर चुकी थीं; टी-72 एवं टी.-90 टैंकों में एक ही प्रकार की बैरलों का उपयोग किया जाता है। परिणाम: देरी के कारण पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए नवम्बर, 2007 में ₹4913 करोड़ की लागत से उसी फर्म से टी-90 टैंकों (एवं किटों) का आयात करना पड़ा, एक ऐसा आयात जो हमारे विश्लेषण के अनुसार, एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन प्रोफाइल (उत्पादन ने तय योजना के अनुसार वर्ष 2005-2006 तक जोर पकड़ना आरम्भ कर दिया था) को देखते हुए अनुचित एवं टी-90 टैंक के उत्पादन के विषय में निर्णय लिए जाने में किए गए निरर्थक विलंब के कारण था। इसके अतिरिक्त, ₹ 2372 करोड़ टी.-90 टैंकों के जटिल संयोजनों/संघटकों के आयात में खर्च किए गए, जो टी.-90 टैंकों के स्वदेशी उत्पादन की कुल लागत का 62 प्रतिशत है।

लोक लेखा समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि एम.बी.टी. अर्जुन के नियमित उत्पादन से उत्पादन में स्वदेशी हिस्सा बढ़ाया जाएगा। लेकिन, वर्ष 2000 के 124 एम.बी.टी. अर्जुन के प्रारंभिक माँगपत्र के पश्चात, आयुध फैक्ट्रियों को थलसेना से एम.बी.टी. अर्जुन के लिए कोई नया माँगपत्र नहीं प्राप्त हुआ। वर्ष 2009-2010 से एम.बी.टी. अर्जुन के उत्पादन में ठहराव आ गया और इस हद तक आ गया कि ₹87 करोड़ की लागत से तैयार क्षमता अल्प प्रयोग में रह गई। दूसरी ओर, दिसम्बर 2013 में 236 टी-90 टैंकों का दूसरा माँगपत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि पहले माँगपत्र के सापेक्ष 75 टैंकों का कम उत्पादन हुआ था। टी-90 टैंकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने (सितम्बर 2011) एक अन्य परियोजना की स्वीकृति दी थी, जिसकी प्रगति नगण्य थी।

8.4 आयुध फैक्ट्रियों में क्षमता वृद्धि

8.4.1 भूमिका

8.4.1.1 आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) में आधुनिकीकरण उत्पादों के गुणवत्ता को सुधारने, उत्पादन की लागत में कमी एवं अधिक उत्पादकता को प्राप्त करने के लिये नई मशीनों के साथ पुरानी/मशीनों के प्रतिस्थापना के लिये एक निरंतर प्रक्रिया है।

8.4.1.2 हमारे पहले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों¹⁶³ ने प्लांट और मशीनरी (पी.एण्ड एम.) के अधिप्राप्ति, प्राप्ति तथा स्थापना के क्षेत्रों में कमियों को मुख्य रूप से दर्शाया है। रक्षा मंत्रालय के कार्रवाई टिप्पणी¹⁶⁴ में लेखापरीक्षा में दर्शाये गए कमियों को घटाने के लिये किए गये सुधारात्मक कार्रवाई को संसद को आश्वस्त किया गया। वर्तमान का लेखापरीक्षा इस संबध में कार्रवाई के असर का पुनरीक्षा करने के लिये था।

8.4.1.3 हमने 2009-2010 से 2011-2012¹⁶⁵ की अवधि के लिये कोलकाता के 39 आयुध फैक्ट्रियों एवं बोर्ड में से 10¹⁶⁶ में लेखापरीक्षा किया। चयनित फैक्ट्रियों ने 2007-2012 के दौरान नई मशीनरी पर ₹755 करोड़ खर्च किये। उन्होंने कुल मिलाकर

तालिका 48 : कुल संख्या एवं नमूना

प्रमुख मामले	कुल संख्या		नमूना	
	संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मूल्य (₹ करोड़ में)
प्राप्ति	631	787.07	475	754.57
स्थापना, उपयोगिता एवं अन्य पक्ष	1087	1102.25	731	1022.81

31 मार्च 2012 तक 1376 करोड़ कीमत के पी.एण्ड एम. को रखा जो सभी आयुध फैक्ट्रियों में कुल रखे गये पी.एण्ड एम. के 50 प्रतिशत को चित्रित करता है। तालिका-48 लेखापरीक्षा के दौरान चयनित किये गये नमूना एवं कुलसंख्या को चित्रित करता है।

नोट: कुल संख्या में ₹10 लाख मूल्य से कम की मशीनों में शामिल नहीं किया गया।

8.4.2 लेखापरीक्षा में आने वाली बाधाएँ

हमारे 2004 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने आधुनिकीकरण के लाभों को जो सीमित पुनरीक्षा करता है, दस्तावेजीकरण में उसके कमियों की ओर इंगित किया है। मंत्रालय ने फरवरी 2006 के अपने कार्रवाई टिप्पणी में यह सूचित किया कि उसने मशीन के अनुसार प्रोडक्शन लॉग बुक¹⁶⁷ को शामिल करते हुये मानक प्रारूप में मूल दस्तावेजीकरण को संभाल कर रखने के लिये सभी 10 फैक्ट्रियों में से किसी भी फैक्ट्री ने इन दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में संभाल कर नहीं रखा था। अतः रिकार्डों के संदर्भ के साथ प्रत्येक मशीन के उपयोगिता क्षमता को हम परीक्षित नहीं कर पाये। तथ्यों को स्वीकार करते हुए

¹⁶³ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 2004 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 6, का पैराग्राफ 7.3, 2007 का प्रतिवेदन सं. 19 एवं 2010-2011 का प्रतिवेदन सं. 15

¹⁶⁴ फरवरी 2006, दिसम्बर 2008 एवं जून 2010

¹⁶⁵ आयुध फैक्ट्री अम्बाझारी (ओ.एफ.ए.जे.), भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच.वी.एफ.), आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.), राइफल फैक्ट्री ईशापुर (आर.एफ.आई.), स्माल आर्मस फैक्ट्री कानपुर (एस.ए.एफ.), गन एण्ड शेल फैक्ट्री काँशीपुर (जी.एस.एफ.), गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर (जी.सी.एफ.), फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर (एफ.जी.के.), एम्सूनिशन फैक्ट्री किरकी (ए.एफ.के.) एवं आयुध फैक्ट्री खमरिया (ओ.एफ.के.)

¹⁶⁶ इस प्रतिवेदन में जहाँ भी उल्लेख किया गया है, 2012-2013 के लिये जुलाई/अगस्त 2014 में बार में उन्नयन


¹⁶⁷ लॉग बुक में दिनांक, उत्पादित अवयव, वारंट संख्या एवं दिनांक, उत्पादन की संख्या, स्वीकार एवं अस्वीकार तथा सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिये

बोर्ड ने यह साफ किया (जून 2013) कि केवल अकेले चल सकने योग्य औजार के मशीन के लिये गन एण्ड शेल फैक्ट्री काशीपुर में उत्पादन डाटा को उत्पन्न किया जा सकता था। यह भी उल्लेख किया गया था कि आयुध फैक्ट्री कानपुर आवश्यक सूचना के साथ प्रोडक्शन लॉग बुक को संभाल रही थी, जिसे हमने तथ्यात्मक रूप से गलत पाया। यहाँ तक की स्वयं आयुध फैक्ट्री कानपुर ने हमें इस बात की पुष्टि की कि (मई 2012) उनके उत्पादन अनुभागों में मशीनों का लॉग बुक तथा हिस्ट्री कार्ड संभाल कर नहीं रखा जाता है।

8.4.3 नई मशीनों का प्रभाव

8.4.3.1 आधुनिक मशीनरी को खरीदने का उद्देश्य वर्तमान की क्षमता को बनाये रखने (जब पुराने मशीनरी को प्रतिस्थापित किया जाता है) के साथ-साथ क्षमता में वृद्धि करना है (जब नई मशीनरी को लाया जाता है)। हमने नमूने फैक्ट्रियों में तीन वर्षों में (2010-2013) मशीनों के उपयोग एवं उपलब्धता को परीक्षित किया और यह पाया कि अधिप्राप्ति के बावजूद भी आने वाले वर्षों में मशीन की उपलब्धता गिरती चली गई (चार्ट-19)। इन फैक्ट्रियों ने एक साथ पुरानी मशीनरी के प्रतिस्थापना एवं मशीन की क्षमता में वृद्धि के लिये अधिप्राप्ति कर 2007-2012 के दौरान ₹755 करोड़ खर्च किया।

चार्ट - 19 : मशीन घंटे



8.4.3.2 तीन फैक्ट्रियों में -आयुध फैक्ट्री, कानपुर; राइफल फैक्ट्री, ईशापुर एवं गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर में 10 प्रतिशत अधिकता में मशीन घंटों के ह्रास को चिन्हित किया गया था जैसा कि तालिका-49 में दिया गया है।

तालिका-49: मशीन घंटे उपलब्धता

फैक्ट्री	आयुध फैक्ट्री, कानपुर	राइफल फैक्ट्री, ईशापुर	गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर
मुख्य उत्पाद लाइन	गन बैरल, टैंक का आयुध, गोला-बारूद का शेल बाडी	राइफल, पिस्तौल, रिवालवर	मोर्टार, गन, स्पेयर बैरल
मशीन घंटे उपलब्धता (लाख घंटों में)			
2010-11	76.41	88.81	104.81
2011-12	45.44	68.38	105.50
2012-13	47.71	67.31	92.49

8.4.3.3 हमारे लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि मशीनों की उपलब्धता में कमी, विशेष रूप से उपर्युक्त दर्शाये गये फैक्ट्रियों में, कारकों के संयोजन का परिणाम था, जैसे:-

- पुरानी मशीनों की क्षमता का पुनः मूल्यांकन/निराकरण से पीछे रह जाने के कारण मशीनरी के प्रतिस्थापना की गति
- नई मशीनों के स्थापना में एवं प्राप्ति में विलंब
- खराब हो जाने के उच्च पैमाने

8.4.3.4 अनुवर्ती पैराग्राफ इन निष्कर्ष परिणामों की विस्तृत सूचना देते हैं।

8.4.4 संस्थापन में समयबद्धता

8.4.4.1 प्राप्ति में विलंब

क्रय आदेशों में अनुबद्ध किये गये सुपुर्दगी अवधि के अनुसार फैक्ट्री के मशीनरी के प्रेषण के लिये पूर्व संतोषजनक प्रेषण-पूर्व निरीक्षण की आवश्यकता¹⁶⁸ होती है। हमने चयनित फैक्ट्रियों में से 475 मशीनों के सुपुर्दगी की स्थिति का परीक्षण किया और ₹343 करोड़ (तालिका-50) के कीमत के 170 मशीनों के संबंध में (36 प्रतिशत) सुपुर्दगी में विलंब पाया। इसके अतिरिक्त वास्तविक सुपुर्दगी अनुबद्ध के आगे नौ मशीनों से अधिक के विलंब के पश्चात 33 मशीनों (₹50 करोड़) को प्राप्त किया जा सका, जबकि मार्च 2013 तक चार निर्माणियों से अन्य 16 मशीनों की प्राप्ति अभी भी बाकी थी।

तालिका-50: मशीनरी की विलंबित प्राप्ति

फैक्ट्री	मशीनों की संख्या	मूल्य (₹करोड़ में)	सुपुर्दगी अनुबद्ध से आगे विलंब के रेंज				प्राप्ति अभी भी बाकी है
			3 महीनों तक	3-9 महीने	9-12 महीने	12 महीनों से अधिक	
ओ.एफ.ए.जे.	15	15	9	2	1	3	0
ओ.एफ.सी.	47	118	19	13	2	6	7
एफ.जी.के.	23	98	6	14	0	0	3
एच.वी.एफ.	28	51	5	11	4	3	5
ओ.एफ.के.	14	25	5	6	1	1	1
ए.एफ.के.	9	5	6	1	2	0	0
आर.एफ.आई.	14	18	2	2	0	10	0
एस.ए.एफ.	5	4	4	1	0	0	0
जी.सी.एफ.	7	5	5	2	0	0	0
जी.एस.एफ.	8	4	1	7	0	0	0
कुल	170	343	62	59	10	23	16

8.4.4.2 हमने आठ फैक्ट्रियों¹⁶⁹ में 62 मशीनों के विलंबित प्राप्ति के लिये कारणों का परीक्षण किया। परिशिष्ट-XXII में मशीनों के विलंबित प्राप्ति के उदाहरणात्मक मामले दिये गये हैं। फैक्ट्रियों द्वारा जब आपूर्तिकर्ताओं के खराब निष्पादन का सामना हुआ तो वे आपूर्ति आदेशों की शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू करने में असमर्थ रही। फैक्ट्रियों ने भी अपनी ओर से स्थल पर प्रेषण से पूर्व निरीक्षण के लिये अपने दलों को प्रतिनियुक्त करने में एवं इस प्रकार के निरीक्षण के लिये नमूने अवयवों को भेजने

¹⁶⁸ ओ.एफ.बी. के दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 6.5.1, 6.8 एवं 6.5.7

¹⁶⁹ ओ.एफ.के. (11), जी.सी.एफ. (7), एच.वी.एफ. (9), ओ.एफ.सी. (28), एफ.जी.के. (2), ए.एफ.के. (1), आर.एफ.आई. (1) एवं एस.ए.एफ. (3)

में विलंब किया। ऐसी भी घटनाएं थी जहाँ संशोधित विनिर्देशन के निश्चितता में विलंब के साथ आपूर्ति आदेशों को प्रस्तुत करने के पश्चात विनिर्देशन में संशोधन के लिये आपूर्तिकर्ताओं ने अनुरोध किया।

8.4.4.3 स्थापना में विलंब

बोर्ड ने मशीनरी के स्थापना के लिये समय अनुबद्ध को निर्धारित नहीं किया जबकि फैक्ट्रियों के आपूर्ति आदेशों में स्थापना के लिये निर्धारित समय अनुसूची को समाविष्टि करने की आवश्यकता थी (जुलाई 2000 का परिपत्र)। जब नमूने चालन में निर्धारित निष्पादन मानकों को प्राप्त कर लिया जाता है तब मशीन को स्थापित समझा जाता है।

8.4.4.4 10 फैक्ट्रियों में से हमारे द्वारा जांच किये गये 28 आपूर्ति आदेशों में से 21 में (75 प्रतिशत) स्थापना के लिये केवल स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर ने मूल रूप से समय अनुसूची का उल्लेख किया। अन्य नौ फैक्ट्रियों के लिये आपूर्ति आदेशों में स्थापना के लिये निर्धारित समय-सीमा की अनुपस्थिति में मशीनों के स्थापना के लिये सही समय के प्राप्ति की तिथि हमने छः महीने¹⁷⁰ रखी। तालिका-51 परिणामों का सारांश प्रस्तुत करता है। हमने यह पाया कि छः महीनों के पश्चात ₹317 करोड़ की कीमत के 211 मशीनों (29 प्रतिशत) की स्थापना की गई जबकि मार्च 2013 तक पांच फैक्ट्रियों में ₹47 करोड़ की कीमत के अन्य 11 मशीनों की स्थापना नहीं की गई थी।

तालिका-51: मशीनरी के स्थापना के लिये लिया गया समय

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री	विलंब के साथ स्थापित किये गये मशीनों की संख्या	मूल्य	स्थापना के लिये (महीने) लिये गये समय के साथ मशीनों की संख्या				स्थापना न किये जाने वाली मशीनें (मार्च 2013 तक)	
			6-9	9-15	15-18	>18	संख्या	मूल्य
ओ.एफ.ए.जे	64	135	17	29	3	15	2	13.74
ओ.एफ.सी.	27	41	11	15	1	0	1	0.15
एच.वी.एफ.	8	44	2	4	0	2	1	0.55
ओ.एफ.के.	7	6	3	4	0	0	0	0
ए.एफ.के.	5	3	2	2	1	0	4	29.16
आर.एफ.आई	27	29	6	8	0	13	0	0
एस.ए.एफ.	6	6	3	3	0	0	3	3.59
जी.सी.एफ.	49	46	14	19	0	16	0	0
जी.एस.एफ.	18	7	6	5	0	7	0	0
कुल	211	317	64	89	5	53	11	47.19

8.4.4.5 परिशिष्ट-XXIII में मशीनों के स्थापना में विलंब के उदाहरणात्मक मामलों को सचित्र प्रस्तुत किया गया है। परीक्षण चालन में चक्र अवधि एवं क्षमता (एक मशीन में एक निश्चित अवयव के उत्पादन में लिया गया समय), गुणवत्ता के क्षेत्र में निर्धारित निष्पादन मानक की स्थापना में कठिनाईयाँ ही मशीनों के स्थापना में विलंब का मूल कारण थे। कुछ मामलों में पैराग्राफ 8.4.5.3 में विचार किये गये के अनुसार प्रेषण पूर्व निरीक्षण में (आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन को प्रेषित करने से पहले) ये कठिनाईयाँ समझौतों के परिणाम थे। मशीनरी को चालू करने के लिये सिविल कार्य के समाप्ति में विलंब के कारण मशीनों के स्थापना में विलंब हुआ। निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिये नीचे दो मामलों का अध्ययन सोदाहरण दिया जा रहा है।

¹⁷⁰ इस समय-सीमा को 'आयुध फैक्ट्रियों में भंडार एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति' के कार्य-निष्पादन लेखापरीक्षा (2007 का प्रतिवेदन सं.19) में एक मानदण्ड के रूप में पहले ही स्वीकृत कर लिया गया था।

प्रकरण अध्ययन 1

आयुध फैक्ट्री, कानपुर ने ₹8 करोड़ के एक हेवी ड्यूटी सी.एन.सी. लेथ मशीन के अधिप्राप्ति के लिये अक्टूबर 2009 में मेसर्स गोरारू स्पेन को एक आदेश प्रस्तुत किया। फर्म के प्रांगण में प्रेषण से पूर्व निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के दलों ने चक्र अवधि को साबित नहीं किया। जून 2011 में प्राप्त मशीन (जनवरी 2011 में अनुसूची सुपुर्दगी के विरुद्ध) की स्थापना बहुत देर से जुलाई 2012 में हुआ जिसका मुख्य कारण फर्म की चक्र अवधि एवं कार्य को साबित करने की अक्षमता था। इसके अतिरिक्त दो महीनों के स्थापना के भीतर ही सितम्बर 2012 से मशीन बंद पड़ गई एवं मार्च 2013 तक भी उसे कार्यशील नहीं किया जा सका।

प्रकरण अध्ययन 2

एम्यूनिशन फैक्ट्री, किरकी ने नवम्बर 2009 तक अनुसूची स्थापना के साथ ₹ 27 करोड़ की लागत पर एक विदेशी फर्म से अगस्त 2010 में .22" गोला-बारूद के लिये टोटली इनटिग्रेटेड प्लांट की प्राप्ति की। स्थापना से पूर्व परीक्षण में गोला-बारूद को अनुरूप बनाने के साथ-साथ गोला-बारूद को प्रैक्टिसिंग ग्रेड के उत्पादन पर निष्पादन मानकों को स्थापित करना था। जबकि केवल प्रैक्टिसिंग ग्रेड गोला-बारूद ही स्थापित की गई थी, जिसके कारण मार्च 2013 तक प्लांट की स्थापना नहीं की जा सकी। विलंब का कारण सिविल-कार्य के समाप्त ना होने एवं ए.सी.प्लांट के प्रावधान को उहराया गया।

8.4.4.6 तालिका-52 में हमारी टिप्पणियों एवं परिशिष्ट-XXIII में उदाहरणात्मक मामलों के बारे में बोर्ड का उत्तर दिया गया है (जून 2013)।

तालिका-52: बोर्ड का उत्तर एवं हमारी टिप्पणियाँ

बोर्ड का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
<ul style="list-style-type: none"> दिशानिर्देशों में मशीनों के स्थापना के लिये समय-सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। (गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर, राइफल फैक्ट्री, ईशापुर - परिशिष्ट XXIII का क्रम सं. 5 एवं 8) किन्हीं मामलों में मशीनों को चालू करने के लिये सिविल कार्य के तुल्यकालन न होने एवं स्थान के अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ। (एम्यूनिशन फैक्ट्री, किरकी परिशिष्ट XXIII का क्रम सं. 4) कार्यवाही योजना का निर्णय करने के लिये शीर्ष प्रबंधन द्वारा स्थापना में विलंब को नियमित पुनरीक्षित किया जा रहा था। (गन एण्ड शेल फैक्ट्री काशीपुर - परिशिष्ट XXIII का क्रम सं. 6) मशीन के प्राप्ति के पश्चात 90 प्रतिशत भुगतान तथा स्थापना के पश्चात 10 प्रतिशत भुगतान फर्म को किया गया था। (आयुध फैक्ट्री खमरिया- परिशिष्ट XXIII का क्रम सं. 3) 	<ul style="list-style-type: none"> उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति आदेशों में स्थापना के उपबंध को शामिल कर के फैक्ट्री प्रबंधनों को मुख्य रूप से दिशानिर्देशों की आवश्यकता है। इसे शामिल करने की असफलता के कारण मशीनों के विलंबित स्थापना के लिये चूक करने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर जुर्माना ना लागू करना हुआ। उत्तर स्वयं ही सिविल कार्य को तुल्यकालन करने के साथ-साथ स्थान को उपलब्ध बनाने की फैक्ट्री की असफलता की ओर इंगित करता है जिसके कारण स्थापना में विलंब हुआ। तिमाही पुनरीक्षा बैठकों में संयोजन की लिये बोर्ड ने अवरोध की ओर इंगित नहीं किया। अवरोध को ठीक करने के लिये कोई निर्धारित दिशा दिये बिना संयोजन की गति को बढ़ाने के लिये बोर्ड द्वारा प्रचालन सदस्यों को आग्रह किया गया। एक निर्धारित अवधि के लिये मशीनों पर 90 प्रतिशत के निवेश के प्रति रूपये के लिये मूल्य के बोध न होने पर स्थापना के पश्चात 10 प्रतिशत भुगतान के स्थगन की सफाई नहीं दे सकता।

<ul style="list-style-type: none"> बाहर से स्रोतों से फ्लो फार्मिंग मशीन के स्थापना के लिये प्रयत्न किये जा रहे थे। <p>(आयुध फैक्ट्री अम्बाझरी - परिशिष्ट XXIII का क्रम सं.7 (ए))</p> <ul style="list-style-type: none"> दिये गये चक्र अवधि को साबित करते हुये मशीन की स्थापना की गई। (आयुध फैक्ट्री कानपुर - केस स्टडी 1) 	<ul style="list-style-type: none"> मशीन के स्थापित न होने के कारण मार्च 2009 से जून 2012 के दौरान ₹ 92.27 करोड़ कीमत के अवयवों जिनके लिए मांग प्रस्तुत की गई थी, का मशीनिंग का वाह्यस्रोतिकरण करना पड़ा। मशीन को सितम्बर 2012 से बंद पड़ जाने के कारण वांछित प्रयोग में नहीं लाया जा सका। (दो महीने स्थापना में देरी के कारण)
---	---

भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी से संबंध रखने वाले दृष्टांतों पर बोर्ड ने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (परिशिष्ट-XXIII का क्रम सं.2 (डी) एवं (ई))।

8.4.5 गुणवत्ता आश्वासन

8.4.5.1 अधिप्राप्ति में दो आवश्यक स्तर गुणवत्ता आश्वासन के बारे में बताते हैं: प्रेषण पूर्व निरीक्षण एवं स्थापना पूर्व परीक्षण चालन। फैक्ट्रियों को नई मशीनों में उत्पादित मदों के उत्पादन लागत पर आकलन को कम करने के द्वारा नई मशीनरी के प्रवर्तन के सुनिश्चित परिणामों को आंकने की आवश्यकता है।

8.4.5.2 प्रेषण पूर्व परीक्षण

ओ.एफ. से मशीनरी को प्राप्त करने से पूर्व संविदा के अनुसार इच्छित गुणवत्ता एवं विनिर्देशन का मशीन द्वारा निश्चित किये जाने को सुनिश्चित करके आपूर्तिकर्ता के प्रांगण में प्रेषण-पूर्व निरीक्षण (पी.डी.आई.) किया जाता है। फैक्ट्रियों के महाप्रबंधकों को पी.डी.आई. के पश्चात् प्रेषण/प्राप्ति के सबूत पर आपूर्तिकर्ताओं को 80/90 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है क्योंकि योग्य पी.डी.आई. सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण प्राधिकारियों के रूप में कार्य करना पड़ता है। आपूर्ति आदेशों को फैक्ट्री के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा पी.डी.आई. करने के लिये आधार¹⁷¹ की ओर इंगित करना चाहिए।

8.4.5.3 हमने सात¹⁷² फैक्ट्रियों में ₹362 करोड़ के मूल्य के 286 मशीनों (189 आपूर्ति आदेशों) के पी.डी.आई. का परीक्षण किया। स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर के अलावा विस्तृत रूप से दिये गये परिशिष्ट-XXIII के अनुसार छः फैक्ट्रियों में ₹63 करोड़ के मूल्य के 32 मशीनों के पी.डी.आई. में कमियाँ एवं अपर्याप्तता थी। कमियों में आवश्यक चक्र अवधि/अवयवों को साबित करने में असफलता, उत्पादन प्रक्रिया की त्रुटिपूर्ण जाँच, नियमित असफलताओं के बावजूद भी मशीनों की स्वीकृति तथा संविदा शर्तों के विरुद्ध तकनीकी विशेषता में आवश्यक विचलन है। जैसा कि पैराग्राफ 8.4.4.5 में दिखाया गया है, इन त्रुटियों के कारण गुणवत्ता के समझौते से कुछ मशीनों के स्वीकृति के साथ-साथ मशीनों के अंतिम स्थापना में विलंब हुआ, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में चर्चित किया गया है।

8.4.5.4 तालिका-53 में हमारी टिप्पणियाँ तथा परिशिष्ट-XXIII में उदाहरणात्मक मामलों के बारे में बोर्ड का उत्तर (जून 2013) दिया गया है।

¹⁷¹ आयुध फैक्ट्रियों में प्लांट एवं मशीनरी के अधिप्राप्ति के लिये बोर्ड के दिशानिर्देशों का (मई 2001) का पैराग्राफ 8.1 एवं 8.3.1

¹⁷² ओ.एफ.सी., एच.वी.एफ.,ओ.एफ.के.,ए.एफ.के.,जी.सी.एफ.,जी.एस.एफ. एवं एस.ए.एफ

तालिका-53: बोर्ड का उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

बोर्ड का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
पी.डी.आई. के दौरान सीमित समय में चक्र अवधि को साबित करना संभव नहीं था। (आयुध फैक्ट्री कानपुर - परिशिष्ट - XXIII का क्रम सं. 1)	ओ.एफ. एवं आपूर्तिकर्ताओं के बीच चक्र अवधि को साबित करने के साथ-साथ पी.डी.आई. को करने के लिये समय-सीमा का निर्णय आपस में कर लिया गया था।
दो मशीनों की स्थापना की गयी एवं वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। गियर बॉक्स टेस्ट स्टैंड की स्थापना पूरी हो गयी थी एवं उसका निष्पादन अवलोकन के अंतर्गत था। (भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी - परिशिष्ट - XXIII का क्रम सं. 2 (ए., बी., सी)	छः अवयवों को साबित किये बिना प्रेषण के लिये होराइजोन्टल ब्रोचिंग मशीन को क्यों पी.डी.आई. दल ने स्वीकृत कर लिया, इस पर उत्तर मौन है। गुणवत्ता में त्रुटि के कारण वांछित अवयवों के लिये पंच प्रेस का उपयोग करने में भी एच.वी.एफ. असफल रहा।
मशीन का प्रचालन सभी अवयवों के लिये एक ही था। अतः एक अवयव को लेकर ही पी.डी.आई. किया गया। (एम्पूनिशन फैक्ट्री किरकी - परिशिष्ट-XXIII का क्रम सं. 4 (ए)	पी.डी.आई. में एक अवयव के परीक्षण को साबित करना ने पी.डी.आई. दल के सात अवयवों का परीक्षण करने की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया।
अनुपलब्धता के कारण आपूर्तिकर्ता को सही माप के परीक्षण अवयवों की आपूर्ति फैक्ट्री नहीं कर पाया। अतः आपूर्तिकर्ता को यह सुझाव दिया गया कि वह आवश्यक आकार के परीक्षण अवयवों को व्यवस्थित करें, जिसके कारण विलंब हुआ। (गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर-परिशिष्ट XXIII का क्रम सं. 5(ए)	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.डी.आई. को समय में सुनिश्चित करने के लिये सही आकार के परीक्षण अवयवों को व्यवस्थित करने के लिये फैक्ट्री जिम्मेदार है।
पी.डी.आई. दल ने आकलन निकाला कि त्रुटियाँ मामूली थी तथा मेसर्स एच.एम.टी. आवश्यक सहायक औजारों व पुर्जों की त्वरित आधार पर व्यवस्था करने के लिये सहमत होगा। (गन एण्ड शेल फैक्ट्री काशीपुर-परिशिष्ट XXIII का क्रम सं. 6)	जी.एस.एफ. ने मशीन के स्थापना में 4 वर्षों के विलंब के लिये किसी भी कारण की पुष्टि नहीं की तथा वह भी 27 मिनटों के संविदा चक्र अवधि के विरुद्ध 9 घंटों के उच्च चक्र अवधि के साथ।

8.4.5.5 स्थापना पूर्व परीक्षण

आपूर्ति आदेश के अनुसार अवयवों एवं चक्र अवधि को साबित करने के लिये आपस में स्वीकृत अवधि के लिये गारंटी चालन एवं परीक्षण को करने के पश्चात सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद ही मशीन को स्वीकार करने की आवश्यकता¹⁷³ होती है।

8.4.5.6 हमने यह पाया कि निष्पादन परीक्षण चालन (परिशिष्ट-XXIV) में पाये जाने वाले अपर्याप्तता के बावजूद ₹317 करोड़ मूल्य के मशीनों का विलंबित स्थापना किया गया जिसमें से चार फैक्ट्रियों¹⁷⁴ ने 213 में से ₹59 करोड़ के मूल्य के 32 मशीनों को स्वीकार किया। स्थापित होने से पूर्व परीक्षण में पायी जाने वाली कमियों के बावजूद मशीनों को स्वीकृत एवं स्थापित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमाणित करने के लिये नीचे एक प्रकरण अध्ययन दिया गया है।

¹⁷³ मई 2001 के ओ.एफ.बी. के दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 10.3.7 से 10.3.9

¹⁷⁴ जी.सी.एफ., ओ.एफ.सी., एच.वी.एफ. एवं जी.एस.एफ.

प्रकरण अध्ययन 3

गन एण्ड शेल फैक्ट्री, कोशीपुर ने सितम्बर 2009 में ₹1.7 करोड़ की कीमत के पांच सी.एन.सी. मशीनों की स्थापना की। आपूर्ति आदेश में निर्धारित चक्र अवधि का, 94 से 186 प्रतिशत, से कहीं अधिक उच्च चक्र अवधि के साथ मशीनों को स्वीकृत एवं स्थापित कर लिया गया।

8.4.5.7 उत्पादन की लागत पर प्रभाव

फैक्ट्रियों को स्थापना के पश्चात उत्पादित मदों को नीचे की ओर अपरिहार्य अस्वीकृति (यू.ए.आर.) के प्रतिशत एवं सामग्री/श्रम आंकलनों के संशोधन से नई मशीनों के प्रवर्तन के वास्तविक लाभों को आंकने की आवश्यकता¹⁷⁵ होती है। हमने यह पाया कि नई मशीनों के स्थापना के लिये आवश्यक संशोधित लागत आंकलनों के अवयवों के आंकड़े के संबंध में फैक्ट्रियों ने कोई डाटाबेस संभाल कर नहीं रखा।

8.4.5.8 हमने आठ फैक्ट्रियों¹⁷⁶ के संबंध में 202 मशीनों के संबंधित अवयवों के लागत आंकलनों का परीक्षण किया और पाया कि:

- 80 प्रतिशत मशीनों (161) के संबंधित अवयवों के लिये आंकलनों का नीचे की ओर संशोधन नहीं किया गया था।
- भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी एवं फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर के लिये केवल 53 प्रतिशत मशीनों और 58 के संबंधित अवयवों के लिये श्रम आंकलनों को नीचे की ओर संशोधित किया गया था।

8.4.5.9 पांच फैक्ट्रियों के उपयुक्त मामलों पर बोर्ड का उत्तर (जून 2013) तथा हमारी टिप्पणियाँ तालिकाबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

तालिका-54: बोर्ड का उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

बोर्ड का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
जब भी नई सी.एन.सी. मशीनें प्रचालन में आईं तब आवश्यक आंकलनों का संशोधन किया गया। (<i>राईफल फैक्ट्री ईशापुर</i>)	10 मशीनों के स्थापना के पश्चात 2 अवयवों (ब्रैकेट एण्ड ब्रीच ब्लाक) के लिये आंकलनों का संशोधन नहीं किया गया। चूँकि 9 अवयवों को शामिल करते हुए 4 अवयवों के लिये आंकलनों का संशोधन किया गया था, मशीनों के लिये स्वीकृत चक्र अवधि से अधिक थे, आंकलनों में दर्शाये गये श्रम घंटे हैं।
प्रक्रिया में सुधार के साथ संशोधन, एकरूपता के लिये जब भी अवसर प्राप्त होता था तब आंकलनों का संशोधन किया जाता था। (<i>गन एण्ड शेल फैक्ट्री कोशीपुर</i>)	हमारे द्वारा जांच परीक्षण किये गये 16 मशीनों के संबंध में अवयवों के लिये स्थापित चक्र अवधि के अनुसार आंकलनों का संशोधन नहीं किया गया था।
आंकलनों का संशोधन तभी किया जाता था जब उत्पादन के प्रक्रिया में परिवर्तन एवं चक्र अवधि में कमी होती थी। (<i>भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी</i>)	हमारे द्वारा जांच पड़ताल किये गये 13 मामलों में से 2 में आंकलन का संशोधन किया गया; सभी 13 मामलों के लिये आंकलनों के संशोधन के लिये क्रय प्रस्तावों पर विचार किया

¹⁷⁵ ओ.एफ.बोर्ड के सभापति के निर्देशों के अनुसार अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 30.3.2004/01.04.2004 के अंतर्गत

¹⁷⁶ एच.वी.एफ., ओ.एफ.के. ओ.एफ.सी., एस.ए.एफ., एफ.जी.के., ओ.एफ.ए.जे., जी.एस.एफ. एवं आर.एफ.आई.

2005-2006 से 2011-2012 के दौरान 14 मुख्य उत्पादों के लिये आंकलनों का नीचे की ओर संशोधन किया गया था। (आयुध फैक्ट्री, कानपुर)	उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि फैक्ट्री के अपर महाप्रबंधक ने अपने नोट दिनांक 19 अक्टूबर 2011 में 40 मशीनों के संबंध में निर्दिष्ट अवयवों के लिये आंकलनों का संशोधन ना होने की ओर इंगित किया था।
आंकलनों के संशोधन का प्रश्न नहीं उठाया गया था क्योंकि सी.एन.सी. द्वारा उत्पादित किये गये पहले के अवयवों का स्थानांतरण नई सी.एन.सी. मशीनों में हो गया था। (स्माल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर)	2007-2008 से 2011-2012 के दौरान परम्परागत मशीनों के विरुद्ध आठ सी.एन.सी. मशीनों की अधिप्राप्ति की गई परंतु फैक्ट्री द्वारा कोई भी आंकलन का संशोधन नहीं किया गया था।

आयुध फैक्ट्री अंबाझारी, फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर एवं आयुध फैक्ट्री खमरिया से आंकलनों के संशोधन न होने के लिये बोर्ड ने कोई भी उत्तर नहीं दिया था।

8.4.5.10 दो फैक्ट्रियों में (गन एण्ड शेल फैक्ट्री, कोशीपुर एवं राइफल फैक्ट्री, ईशापुर) सी.एन.सी. मशीनों के साथ-साथ परम्परागत मशीनों के द्वारा उत्पादन रूझान के हमारे विश्लेषण ने सी.एन.सी. मशीनों के पर्याप्तता के बावजूद परम्परागत मशीनों के प्रयोग को उजागर किया जिसका ज्ञान बोर्ड को होना चाहिए। राइफल फैक्ट्री, ईशापुर ने 2008-2013 के दौरान परम्परागत मशीनों में चार अवयवों (ब्रेकेट, ब्रीच ब्लॉक, पिस्टन एक्सटेंशन एवं हथौड़ा) का उत्पादन किया जबकि सी.एन.सी. मशीनों के पास निर्धारित कार्यभार को पूरा करने की क्षमता थी। इसी प्रकार से 2009-2012 के दौरान परम्परागत मशीनों के द्वारा गन एण्ड शेल फैक्ट्री, कोशीपुर ने इसे उत्पादित करने के सी.एन.सी. मशीनों के साथ उपलब्ध क्षमता के बावजूद भी फ्यूज 162 एम.के.-8 (गोला-बारूद के लिये) का उत्पादन किया। परम्परागत तरीके से उत्पादन लागत का अधिक होना, अधिक दक्ष सी.एन.सी. मशीनों के उम्र इन मशीनों का निरंतर प्रयोग, ये सब प्रश्न करने के लायक है। इन फैक्ट्रियों में जांच-परीक्षण ने परम्परागत मशीनों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को दर्शाया जिसमें की अधिक श्रम की आवश्यकता होती है।

8.4.5.11 तालिका -55 में बोर्ड का उत्तर (जून 2013) एवं हमारी टिप्पणियाँ दी गई हैं।

तालिका-55: बोर्ड का उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

बोर्ड का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
उत्पादन प्रणाली को अन्य अवयवों को गतिशील करने के लिये मशीनों को स्थापित करने की छूट होनी चाहिये। परम्परागत मशीनों में उत्पादित अवयवों के लिये कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ था। (राइफल फैक्ट्री ईशापुर)	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.एन.सी. मशीनों की तुलना में अपरिहार्य अस्वीकृतियों एवं उनके उच्च चक्र अवधि के कारण परम्परागत मशीनों में अवयवों के उत्पादन में निर्माणी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। जबकि सी.एन.सी. मशीनों को क्रय करने का मूल उद्देश्य लागत को कम करना है जिसका बोध नहीं किया गया था।
निर्माणी की नई सी.एन.सी. मशीनों के लिये दर्शाये गये चक्र अवधि को साबित करने के लिये आपूर्तिकर्ता (मेसर्स एच.एम.टी.) असफल रहा जिससे फ्यूज 162 के बढ़ाये गये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये परम्परागत मशीनों का प्रयोग करने के लिये उन्हें बाध्य किया गया। (गन एण्ड शेल फैक्ट्री कोशीपुर)	उत्तर सही नहीं है क्योंकि उपलब्ध कम चक्र अवधि के साथ भी 2009-2010 से 2011-2012 के दौरान फ्यूजों के वास्तविक उत्पादन (60499,123062 एवं 112906) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सी.एन.सी. मशीनों (393846 सं.) की क्षमता पर्याप्त थी।

8.4.6 मशीनरी का उपयोग

एक मशीन की निर्धारित क्षमता उस मशीन¹⁷⁷ पर अवयव के उत्पादन के लिये आवश्यक चक्र अवधि पर आधारित प्रति घंटे उत्पादित एक निश्चित अवयव के संख्या पर उसकी गणना की जाती है। प्रबंधन ने हमें कहा कि निवेश पर मितव्ययी प्रतिफल एवं उत्पादन व्यावहारिकता के लिये 65 प्रतिशत¹⁷⁸ के स्तर पर मशीन के प्रयोग को स्वीकृत समझा जाता है।

8.4.6.1 हमने 10 फैक्ट्रियों में से 731 मशीनों के नमूनों को छः फैक्ट्रियों में 2009-2010 से 2012-2013 वर्षों के लिये 340 मशीनों के प्रयोग के क्षमता की जाँच की। इसी प्रक्रिया को चार फैक्ट्रियों में नहीं किया जा सका यथा फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर; एमुनिशन फैक्ट्री, किरकी; राइफल फैक्ट्री, ईशापुर तथा गन एण्ड शेल फैक्ट्री, कोशीपुर चूंकि हमें उसमें सम्मिलित चक्र अवधि, वर्ष के अनुसार एवं मशीन के अनुसार उत्पादन डाटा/उत्पादन लॉग बुक नहीं मिला था या इसलिये भी की फैक्ट्रियों ने मशीनों के निर्धारित क्षमता का आंकलन नहीं किया था। परिशिष्ट -XXV में छः फैक्ट्रियों के संबंध में मशीनों के प्रयोग के प्रतिशत की विस्तृत सूचना को दर्शाया गया है।

8.4.6.2 65 प्रतिशत क्षमता से अधिक केवल 55 से 59 प्रतिशत मशीनों का प्रयोग किया गया था, जबकि क्षमता से 30 प्रतिशत तक (तालिका-56) 21 से 24 प्रतिशत मशीनों का प्रयोग किया गया था। अल्प प्रयोग की स्थिति सबसे अधिक स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, कानपुर (100 प्रतिशत), आयुध फैक्ट्री कानपुर (96 प्रतिशत), गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर (56 से 75 प्रतिशत) एवं आयुध फैक्ट्री, खमरिया (44 से 59 प्रतिशत) में घटी।

तालिका-56: मशीनों के उपयोग का प्रतिशत

वर्ष	जाँच ¹⁷⁹ किये गये मशीनों की संख्या	उपयोगिता के प्रतिशत का दर		
		0 से 30	31 से 65	65 से अधिक
		मशीनों की संख्या		
2009-10	340	76 (22)	78 (23)	186 (55)
2010-11	340	70 (21)	71 (21)	199 (58)
2011-12	340	74 (22)	65 (19)	201 (59)
2012-13	340	80 (24)	65 (19)	193 (57)

नोट: लघु कोष्टक में दिये गये अंक जांच-पड़ताल किये गये मशीन के कुल संख्या के प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत मशीनों के संख्या के प्रतिशत को इंगित करता है।

8.4.6.3 परिशिष्ट XXVI में उदाहरणात्मक मामले दिये गये हैं। उपयोगिता से कम प्रयोग किये जाने की अधिक घटनाएं इसलिये हुई कि मर्दों के लिये उत्पादन का लक्ष्य कम कर दिया गया था या जिस परियोजना का यह मशीन एक हिस्सा थी, उसे विलंब कर दिया गया था। जैसा कि देखा जा सकता है कि आयुध फैक्ट्री, खमरिया में खरीदी गई मशीनें 30 मि.मी. कारतूस खोल के उत्पादन के लिये ₹ 2 करोड़ की लागत में खरीदी गई, पर उसका प्रयोग नहीं किया गया चूंकि फैक्ट्री को कोई भी उत्पादन आदेश नहीं मिला। इसी प्रकार से नये मर्दों के उत्पादन के लिये: 130 मि.मी. एवं 155

¹⁷⁷ उत्पादन शॉप में एक प्लांट की सामान्य क्षमता 25 दिन प्रतिमाह के लिये प्रतिदिन दो शिफ्टों में (प्रति शिफ्ट में आठ घंटे) उसके कार्य करने के आधार पर उसका हिसाब-किताब होना था। प्रति वर्ष मशीन घंटों की गणना में 3840 घंटे आये जिसमें से 20 प्रतिशत मशीन की खराबी, औजारों की सेटिंग तथा कार्मिकों की अनुपस्थिति आदि के रूप में कर दिया गया।

¹⁷⁸ 80 प्रतिशत मशीन की क्षमता एवं 80 प्रतिशत मानव की क्षमता को ध्यान में रखते हुए।

¹⁷⁹ ओ.एफ.सी., एच.वी.एफ., एस.ए.एफ., एवं जी.सी.एफ. के संबंध में जांच की गई मशीनों की संख्या नमूना आकार से कम थी तथा केवल उत्पादन से संबंधित मशीनों के लिये डाटा के पर्याप्तता के कारण थे।

मि.मी. कार्गो गोला-बारूद के लिये आयुध फैक्ट्री, कानपुर में दिसम्बर 2008 तथा फरवरी 2009 में ₹ 5 करोड़ कीमत की दो मशीनें स्थापित की गईं, परंतु इनका प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि विकास की परियोजना विलंबित¹⁸⁰ हो गई। इसके बाद जिन मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया था उन्हें अन्य उद्देश्यों के लिये उनका विचलन किया गया परंतु फिर भी वे प्रयोग में नहीं लाई गईं। जैसा कि आयुध फैक्ट्री, कानपुर में ₹1.4 करोड़ की लागत पर 81 मि.मी. मोर्टार एवं टेल इकाई (गोला-बारूद के शेल बॉडी का हिस्सा) के उत्पादन के लिये चार मशीनों का क्रय किया गया, परंतु उसका प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि फैक्ट्री से कार्यभार वापस ले लिया गया था। इन मशीनों का प्रयोग अन्य अवयवों के उत्पादन के लिये कर रहे थे जो कि समझौते के लिये सर्वोत्तम था।

8.4.6.4 हमने चयनित 10 फैक्ट्रियों के लक्ष्यों¹⁸¹ की तुलना में उत्पादन निष्पादन/उपलब्धता प्रतिवेदनों का भी परीक्षण किया और पाया कि भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी को छोड़कर नौ फैक्ट्रियाँ 17 से 100 प्रतिशत मर्दों के संबंध में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहीं। क्षमता का अल्प उपयोग फैक्ट्रियों में लक्ष्य को प्राप्त करने में कमियों के लिये एक सहयोगी कारक के रूप में काम करता है।

8.4.7 कार्यशील न रहना

8.4.7.1 मशीनों के प्रयोग पर हमारे विश्लेषण ने यह उजागर किया कि कार्यशील न रहने की अधिक घटनाएं विचारणीय विषय का क्षेत्र हो गया है। हमने पांच फैक्ट्रियों में (आयुध फैक्ट्री, अंबाझारी; आयुध फैक्ट्री, खमरिया; राइफल फैक्ट्री, ईशापुर; गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर एवं गन एण्ड शेल फैक्ट्री कोशीपुर) 398 मशीनों¹⁸² का परीक्षण किया। इसी प्रकार का विश्लेषण समर्थन करने वाले आंकड़ों के अभाव में आयुध फैक्ट्री, कानपुर; भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी; फील्ड गन फैक्ट्री, कानपुर एवं एमुनिशन फैक्ट्री, किरकी में नहीं किया जा सका। स्माल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में हमने किसी भी प्रकार के बड़े खराबी को नहीं देखा।

8.4.7.2 तालिका-57 में विस्तृत सूचना दी गई है जिसे निम्न रूप से सारांश के रूप में लिखा गया है:

- 2009 से 2012 के दौरान एक निश्चित वर्ष में एक महीने से अधिक की अवधि के लिये 37 से 55 मशीनें (9 से 14 प्रतिशत) कार्यशील नहीं रही;
- प्रत्येक वर्ष पांच फैक्ट्रियों में 14 से 15 मशीनों के संबंध में एक वर्ष में छः महीने की अवधि के लिये कार्यशील न रहने की अवधि बढ़ गई एवं
- कार्यशील न रहने की अधिकतर घटनाएं गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर एवं राइफल फैक्ट्री, ईशापुर में देखी गईं।

8.4.7.3 इसके अतिरिक्त विभिन्न तकनीकी समस्याओं के कारण उनकी स्थापना से 20 से 100 महीनों की अवधि के लिये चार फैक्ट्रियों में (आयुध फैक्ट्री, खमरिया; आयुध फैक्ट्री, अंबाझारी; राइफल फैक्ट्री, ईशापुर तथा गन एण्ड शेल फैक्ट्री कोशीपुर) ₹16 करोड़ मूल्य की 15 मशीनें कार्यशील न रहने की स्थिति में थीं।

¹⁸⁰ इजराइली फर्म आई.एम.आई. जो कि सह-उत्पादन में संलग्न थी, पर, प्रतिबंध के पश्चात

¹⁸¹ सेवाएं, गृह मंत्रालय तथा सहयोगी फैक्ट्रियों के लिये मर्दों के लिये ओ.एफ.बी. द्वारा दिया गया।

¹⁸² ओ.एफ.ए.जे.-110, ओ.एफ.के-81, आर.एफ.आई.-70, जी.सी.एफ.-58, जी.एस.एफ.-79

8.4.7.4 कार्यशील न रहने की अधिक घटनायें बहुत से कारणों से थीं। इसमें अपर्याप्त सुधारात्मक संभालने की अनुसूची जहाँ मशीनों को निरंतर प्रयोग के लिये रखा जाता है या सुधारात्मक कार्यों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक अंशों को न ढकना भी शामिल है। सुधार के पश्चात उत्पादन लाइन पर मशीनों को रखने एवं मरम्मत में विलंब के कारण लंबे समय के लिये कार्यशील न रहने का कारक बन गया। तालिका-57 में मशीनों के फैक्ट्री के अनुसार कार्यशील न रहने की विस्तृत सूचना दी गई है।

तालिका-57: फैक्ट्री के अनुसार कार्यशील न रहने का विवरण

वर्ष	कार्यशील न रहने की अवधि	कार्यशील न रहने वाली मशीनों की संख्या					
		ओ.एफ.ए.जे.	ओ.एफ.के.	आर.एफ.आई.	जी.सी.एफ.	जी.एस.एफ.	कुल
2009	31 से 90 दिन	0	0	10	11	1	22
	91 से 180 दिन	0	1	4	11	2	18
	180 दिन से अधिक	0	2	5	5	3	15
	कुल	0	3	19	27	6	55
2010	31 से 90 दिन	0	0	3	11	1	15
	91 से 180 दिन	1	0	1	9	1	12
	180 दिन से अधिक	0	3	8	1	2	14
	कुल	1	3	12	21	4	41
2011	31 से 90 दिन	0	0	1	21	0	22
	91 से 180 दिन	0	0	2	4	1	7
	180 दिन से अधिक	3	3	5	0	3	14
	कुल	3	3	8	25	4	43
2012	31 से 90 दिन	0	0	5	9	1	15
	91 से 180 दिन	0	0	3	3	1	7
	180 दिन से अधिक	3	3	6	1	2	15
	कुल	3	3	14	13	4	37

8.4.7.5 तालिका - 58 में बोर्ड का उत्तर (जून 2013) और हमारी टिप्पणियाँ दी गई हैं।

तालिका 58: बोर्ड का उत्तर और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

बोर्ड का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
मशीनों का कार्यशील न रहना सामान्य था और अतिआवश्यकता के आधार पर ही उसे ठीक किया जाता था। मरम्मत/पुनः स्थापना में विलंब अपरिहार्य था एवं वहाँ कोई उत्पादित हानि नहीं हुई थी क्योंकि युद्ध दृश्यलेख के लिये अंतर्निर्मित अतिरिक्त क्षमता थी। <i>(राइफल फैक्ट्री, ईशापुर एवं गन एण्ड शेल फैक्ट्री, कोशीपुर)</i>	उत्तर निर्दिष्ट नहीं है क्योंकि कार्यशील न रहने के अधिक घटनाओं को वश में करने के लिये क्या सुधारात्मक कार्यवाही ली गई है (कुछ मशीनों के लिये 24 से 79 महीने)। 'उत्पादन में हानि न होना' का दावा सही नहीं है क्योंकि 2009-2012 के दौरान 38 से 69 प्रति मदों तथा 19 से 86 प्रतिशत मदों के उत्पादन लक्ष्य को पाने में आर.एफ.आई. एवं जी.एस.एफ.असफल रही।
निवारक अनुसंधान शेड्यूल तथा जटिल मशीनों की स्थिति के अनुश्रवण का कड़ाई से अनुपालन हुआ। <i>(आयुध फैक्ट्री खमरिया)</i>	मशीनों का अनुसंधान सही एवं प्रभावोत्पादक नहीं था क्योंकि 30 से 100 महीनों के लिये तीन मशीनों के लम्बे अंतराल से कार्यशील नहीं था।

गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर एवं आयुध फैक्ट्री, अंबाझरी के संबंध में मशीनों के कार्यशील न रहने के मामलों के बारे में बोर्ड ने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया।

8.4.8 आंतरिक नियंत्रण

8.4.8.1 बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले में आवश्यक फैक्ट्रियों के द्वारा बोर्ड में दिये गये समय-सीमा, लक्ष्य एवं क्रय, नियमित अनुश्रवण के संदर्भ में करने की आवश्यकता है। स्थापित ना किये गए मशीनरी की स्थिति पर फैक्ट्रियाँ मासिक प्रतिवेदन जारी करती है जो कि बोर्ड की बैठकों में तिमाही रूप से प्रस्तुत किये जा चुके हैं। हमारे संवीक्षा ने यह उजागर किया है कि इस प्रकार के विलंब के लिये जिम्मेदार एजेंसी के साथ मशीनों की स्थापना में विलंब के लिये प्रतिवेदनों ने विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया। मासिक प्रतिवेदनों में उनको अतिशीघ्र स्थापित करने के लिये ली गई सुधारात्मक कार्रवाई के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं था।

8.4.8.2 फैक्ट्रियों से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिये बोर्ड महीने में एक बार मिलती है। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त की संवीक्षा ने यह उजागर किया कि प्रेषण-पूर्व निरीक्षण में एकरूपता से कमियां, प्राप्ति एवं स्थापना, मशीनरी का उपयोग एवं उनके दस्तावेजीकरण के बावजूद भी बोर्ड ने न तो उन्हें प्रभावोत्पादक रूप से उजागर किया और न ही लाभ को प्राप्त करने के लक्ष्य के एवं मशीनों को दक्ष एवं प्रभावोत्पादक रूप से चलाने को सुनिश्चित करके उनके कमियों पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही के लिये संस्तुतियाँ दी।

8.4.9 सारांश

फैक्ट्रियों में मशीनरी के योग ने उत्पादन की क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की। यहाँ तक की 2010-2013 में फैक्ट्रियों में उपलब्ध मशीन-घंटों ने एक नीचे की ओर के प्रवृत्ति को दर्शाया। मशीनरी के स्थापना में एवं प्राप्ति में विलम्ब के कारण आधुनिकीकरण के लाभों को पाने में समय का विलंब हुआ। स्थापना से पूर्व परीक्षण एवं प्रेषण-पूर्व निरीक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण में समझौता किया गया था जिसके कारण स्थापना में विलंब हुआ और कुछ मामलों में मशीनरी की स्वीकृति लक्ष्य से बहुत ही कम थी। अल्प उपयोग के अधिक घटनाओं एवं कार्यशील न रहने ने फैक्ट्रियों को दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता को निःसंदेह रूप से प्रभावित किया। बोर्ड के निष्पादन को जो मामले सीधे रूप से प्रभावित करते हैं, उन्हें उच्च प्रबंधन से वह ध्यानाकर्षण प्राप्त नहीं हुआ जो उन्हें मिलना चाहिये था।

इस विषय को मार्च 2013 में मंत्रालय को सौंप दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

मशीनरी/भंडारों की अधिप्राप्ति

8.5 एक मशीन को अनुपयुक्त रूप से स्थापित करने एवं संभालने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय

एक आयातित मशीन को अनुपयुक्त रूप से संभालने तथा स्थापित करने के कारण मशीन की मरम्मत करने पर ₹0.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय एवं आयात पर ₹ 2.06 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

वर्तमान में प्रयोग हो रहे अन्य दो पुराने ग्राइंडिंग मशीनों के मानक घंटों में कमी को पूरा करने तथा एक पुराने निराकृत/क्रैंकशैफ्ट पिन ग्राइंडर को प्रतिस्थापित करने को इंजन फैक्ट्री अवाडी (फैक्ट्री), तमिलनाडु के लिए एक सी.एन.सी. ग्राइंडिंग मशीन¹⁸³ के क्रय के लिए आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) ने ₹10.80 करोड़ का अनुमोदन (नवम्बर 2004) किया। इस मशीन का प्रयोग कच्चे/ क्रैंकशैफ्ट फोर्जिंग के पिन एवं जर्नल के घर्षण प्रचालन के लिये किया जाता था।

सी.एन.सी. ग्राइंडिंग मशीन ने आपूर्ति, निर्माण तथा स्थापना के लिए फैक्ट्री द्वारा एक भूमंडलीय निविदा जांच पड़ताल जारी (जुलाई 2005) किया गया था। चूंकि शस्त्र सज्जित वाहन मुख्यालय अवाडी (मार्च 2007) द्वारा निर्माणी को मशीन के विनिर्देशन को सुधारने का निर्देश दिया गया था, इसीलिए निविदा को सुनिश्चित नहीं किया गया था। सुधारे गये विनिर्देशन के साथ उसी सामग्री के लिए फैक्ट्री ने इसके बाद एक भूमंडलीय निविदा जारी (अगस्त 2007) किया। ₹8.17 करोड़¹⁸⁴ के कुल मूल्य पर ग्राइंडिंग मशीन के आपूर्ति, निर्माण तथा स्थापना के लिये मेसर्स सिनेटिक लैंडिस लिमिटेड, यू.के. (फर्म) को एक आदेश दिया गया तथा निविदा को सुनिश्चित कर लिया गया (अप्रैल 2009)। बोर्ड के जुलाई 1998 के परिपत्र में यह दिया गया था कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित तिथि के छः महीने में इसे नियोजित होना था परंतु इन्हीं कारणों से आदेश के नियोजन में 49 महीनों का अन्तराल पाया गया। संविदात्मक शर्तों में यह अनुबद्ध किया गया कि:

- मशीन की सुपुर्दगी 28 फरवरी 2010 तक होनी थी एवं 31 मई 2010 तक उसे स्थापित किया जाना था;
- फर्म के कार्यों में मशीन के सुपुर्दगी के पहले फैक्ट्री को प्रेषण-पूर्व निरीक्षण करना होगा। मेसर्स भारत फोर्ज पुणे से प्राप्त प्रत्येक टैंक एवं इन्फैंट्री युद्धक वाहन इंजन के पाँचों क्रैंकशैफ्ट इंजन को परीक्षण अव्यव के रूप में फैक्ट्री फर्म को प्रदान करेगी जिससे प्रेषण पूर्व निरीक्षण के दौरान इन क्रैंकशैफ्ट फोर्जिंग को ग्राइंड करते समय फर्म आदेश में दिये गये चक्रण अवधि को उचित सिद्ध कर सके।
- प्रेषण पूर्व निरीक्षण के दौरान निरीक्षित नमूनों पर जब फैक्ट्री अनुमोदित जाँच प्रमाण-पत्र देगी उसके बाद फर्म मशीन को भेजेगी।
- स्थापित किये जाने की तिथि से 12 महीने के गारंटी अवधि में निर्धारण के दौरान अगर सामग्री में कोई कमी पाई गई तो फर्म ने यह आश्वासन दिया कि उसका मुफ्त प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

¹⁸³ सी.एन.सी. क्रैंकशैफ्ट पिन तथा जनरल ग्राइंडिंग मशीन

¹⁸⁴ 1जी.बी.पी. = ₹73.51 के के विनियम दर पर ग्रेट ब्रिटेन पाउण्ड (जी.बी.पी) 11,11, 996.75 जो कि ₹ 8.17 करोड़ के बराबर है

मार्च 2010 तक प्रेषण-पूर्व निरीक्षण करने के लिये अक्टूबर 2009 तक फर्म ने फैक्ट्री से प्रत्येक पांच परीक्षण अवयवों को भेजने के लिये आग्रह किया। परंतु फैक्ट्री फरवरी 2010 तक ही फर्म को अवयवों की आपूर्ति कर पाया। इस विलंब के कारण सुपुर्दगी की अवधि को 28 फरवरी 2010 से बढ़ाकर 30 जून 2010 कर दिया गया।

पी.डी.आई. का अनुसरण करते हुए (मई 2010) मशीन की प्राप्ति जुलाई/अगस्त 2010 में हुई। हमने यह देखा कि पी.डी.आई. प्रतिवेदन (मई 2010) ने ग्राइंडिंग मशीन को भेजने के पहले परीक्षण अवयवों के जांच प्रमाण-पत्र के फैक्ट्री के अनुमोदन को इंगित नहीं करता। इसके बाद भी आपूर्ति आदेश को न मानते हुए आदेश मूल्य के 90 प्रतिशत की ओर फर्म को ₹ 6.78 करोड़ फैक्ट्री ने दिया।

मशीन को नवम्बर 2010 तक की निर्धारित अवधि में स्थापित करना था परन्तु वास्तव में मशीन 14 महीनों के बाद फरवरी 2012 में चलायी गयी। विलंब के लिए बहुत से कारणों¹⁸⁵ को जिम्मेदार ठहराया गया। फैक्ट्री ने मशीन को स्वीकार कर लिया तथा मार्च 2012 में ₹ 1.01 करोड़ के बकाया संविदात्मक राशि को प्रदान कर दिया।

परंतु संवीक्षा ने यह उजागर किया कि ग्राइंडिंग मशीन के प्राप्ति तथा स्थापना में विलंब के कारण, ₹2.06 करोड़ के उच्च दर पर अपने अक्टूबर 2010 (50 क्रैंकशैफ्ट) तथा नवम्बर 2011 (100 क्रैंकशैफ्ट) के दो आपूर्ति आदेशों के विरुद्ध फैक्ट्री ने मई 2011 एवं फरवरी 2013 के बीच 150 क्रैंकशैफ्टों का आयात किया, जब इसकी तुलना टैंक इंजनों के लिये क्रैंकशैफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये फैक्ट्री के अर्तवर्तीय लागत के साथ की जाए।

फैक्ट्री मशीन का प्रयोग जनवरी 2013 तक ही कर पाई क्योंकि चक्के की धुरी में खराबी होने के कारण वह बंद पड़ गई। चूँकि मशीन वारंटी अवधि के अंदर थी (फरवरी 2013 तक), फैक्ट्री फर्म के पास उस खराब अंश के प्रतिस्थापन के लिये अग्रसरित हुई। फर्म ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मशीन के गलत प्रयोग के कारण चक्के की धुरी में त्रुटि की उत्पत्ति हुई। फैक्ट्री ने आखिरकार अक्टूबर 2013 में ₹ 55.28 लाख की लागत पर उस भाग की मरम्मत फर्म से करवायी।

बोर्ड ने विलंब को स्वीकार किया (जुलाई 2014), परंतु यह भी स्पष्ट किया कि मशीन को वास्तविक रूप से अप्रैल 2011 में स्थापित किया गया; सरकार की रूचि को बनाये रखने के लिये फरवरी 2012 में बाद में स्थापित किये जाने का प्रतिवेदन हस्ताक्षरित कराया गया। उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि अगर मशीन को सही में अप्रैल 2011 में प्रचालन किया गया होता तो नवम्बर 2011 में आपूर्ति आदेश के विरुद्ध 100 क्रैंकशैफ्टों का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

अतः संयोजित रूप से नये ग्राइंडिंग मशीन को स्थापित करने एवं आपूर्ति के विलंब के साथ अनुपयुक्त रूप से मशीन को संभालने के कारण आयात पर ₹2.06 करोड़ तथा मशीन की मरम्मत पर ₹0.55 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

इस विषय को जून 2014 में मंत्रालय को संदर्भित कर दिया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

¹⁸⁵ सरकारी इंजिनियरों के प्रतिनियुक्ति, स्पेयर्स की आपूर्ति, परिचालकों को प्रशिक्षण देने में कमी, 17 अवसरों पर मशीन के चक्र काल/विषय प्रतिरोध की सफलता में अवरोध में विलंब आदि

8.6 अवयवों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सहयोगी फैक्ट्रियों के कुल व्यवसाय लागत से अधिक सामग्री की लागत होने के कारण ₹3.99 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके बावजूद भी आयुध फैक्ट्री कटनी/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ द्वारा आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) से रोड एल्युमिनियम एलाय/कापर ट्यूब की अधिप्राप्ति।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 2005 के प्रतिवेदन संख्या 6 के लेखापरीक्षा पैराग्राफ 8.4 में यह उल्लेख किया गया था कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) के परिपत्र (अक्टूबर 1997) के विचलन के परिणामस्वरूप आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.), उत्तर प्रदेश से आयुध फैक्ट्री देहू रोड, महाराष्ट्र से अवयव (टेल अडैप्टरों)¹⁸⁶ की अधिप्राप्ति की, जबकी पूर्णरूप से सम्पन्न सामग्री की व्यवसाय लागत से आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.), उत्तर प्रदेश द्वारा आपूर्ति किये गये टेल अडैप्टरों की केवल सामग्री लागत अधिक थी, जिसके कारण ₹3.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंत्रालय ने अपने कार्रवाई करने हेतु टिप्पणी (ए.टी.एन.) में यह उल्लेख (नवम्बर 2009) किया कि बोर्ड ने व्यवसाय अधिप्राप्ति पर नीति दिशानिर्देशों को अंतः फैक्ट्री मांग व्यय की तुलना में पुनरीक्षित (नवम्बर 2006) किया तथा सभी आयुध फैक्ट्रियों के वरिष्ठ महाप्रबंधकों/महाप्रबंधकों को यह निर्देश देते हुए परिपत्र (दिसम्बर 2006) जारी किया कि अगर व्यवसाय से किसी सामग्री के कुल आवश्यकता के 100 प्रतिशत की अधिप्राप्ति करनी हो तो वह तभी हो सकता है जब उस अवयव को बनाने वाली फैक्ट्री का सामग्री लागत कुल व्यवसाय लागत से अधिक हो। बोर्ड के परिपत्र ने यह भी अनुबद्ध किया कि जब भी (i) मार्जिनल लागत या (ii) प्रत्यक्ष सामग्री लागत जो की सहयोगी फैक्ट्रियाँ (अंतः फैक्ट्री मांग उत्पादन फैक्ट्रियाँ) द्वारा दी गई अनुमानित लागत के अनुसार होगी, व्यवसाय मूल्य से अधिक पाई जायेंगी, जो फैक्ट्री इसकी अधिप्राप्ति कर रही है उसे इसकी स्थिति के बारे में अंतः फैक्ट्री मांग उत्पादन फैक्ट्री को बताना होगा। इन इनपुट पर आधारित अंतः फैक्ट्री मांग उत्पादन फैक्ट्रियों को उनमें उपस्थित अनावश्यक चीजों को काटने-छांटने के लिये उन्हें अपने सामग्री तथा श्रम अनुमान, उत्पादन प्रक्रिया एवं सामग्री में उपयुक्त होने वाले दरों का परीक्षण करना चाहिये तथा व्यवसाय दर के साथ तुलनात्मक स्तर में लागत को कम करना चाहिये। बोर्ड के वित्तीय विभाग को इन प्रकार के मामलों की जानकारी देती रहनी चाहिये जिन्हें बाद के आने वाले वर्षों के दौरान निर्गम मूल्य की परीक्षण तथा मूल्य के निर्णयों में उपयुक्तता के लिये इन मामलों का एक डाटा बैंक बनाया जाना चाहिये।

2010-2011 के दौरान, आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.), उत्तर प्रदेश ने व्यवसाय फर्मों के साथ-साथ आयुध फैक्ट्री कटनी मध्य प्रदेश तथा आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र से 105 मिमी आई.एफ.जी. गोला बारूद एवं टेल इकाई 8ए¹⁸⁷ के उत्पादन के लिये एक आवश्यक अवयव, निष्कासित रोड एल्युमिनियम एलोय तथा कॉपर ट्यूब की अधिप्राप्ति की।

हमने आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र में लागत के ढर्रे का परीक्षण (फरवरी 2013) किया और यह पाया कि 2010-2011 के दौरान आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश में कॉपर ट्यूब (₹509.31) का इकाई सामग्री लागत पूर्व-व्यवसाय (₹499.16) के तैयार माल का कुल इकाई लागत से अधिक हो गया था। इसी प्रकार से 2010-2011 के दौरान आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र (₹260.60) ने निष्कासित रॉड एल्युमिनियम एलोय का इकाई सामग्री लागत पूर्व-व्यवसाय (₹189.70) के तैयार माल के कुल इकाई लागत को भी पीछे छोड़ दिया। आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र में इस असामान्य सामग्री लागत ट्रेन्ड के बावजूद भी व्यवसाय

¹⁸⁶ समायोजन द्वारा गोला-बारूद के शेल बाडी के साथ टेल इकाई को फिट करने के लिये प्रयुक्त एक अवयव

¹⁸⁷ अपनी उड़ान के दौरान गोला-बारूद के दिशा को स्थिर करने के लिये 51 मिमी मोरटार बम में एक अवयव का प्रयोग

मूल्य की तुलना में आयुध फैक्ट्री कानपुर, उत्तर प्रदेश ने बोर्ड के परिपत्र (दिसम्बर 2006) का उल्लंघन करते हुये ₹900 प्रति किलोग्राम के दर पर एक अंतः फैक्ट्री मांग (मार्च 2010) के विरुद्ध आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश से 43591 किलोग्राम कॉपर ट्यूब की खरीददारी की तथा ₹533 प्रति किलोग्राम के दर पर 2010-2011 के दौरान प्रस्तुत दो अंतः निर्माण मांगों के विरुद्ध आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र से 65385 किलोग्राम निष्कासित रॉड एल्युमिनियम एलॉय की अधिप्राप्ति की। इसी समय में आयुध फैक्ट्री कानपुर, उत्तर प्रदेश ने दो आपूर्ति आदेशों (अप्रैल 2010- सितम्बर 2010) के विरुद्ध ₹189.70 प्रति किलोग्राम के दर पर 7434 किलोग्राम निष्कासित रॉड एल्युमिनियम एलॉय के साथ-साथ ₹499.16 प्रति किलोग्राम के अत्यधिक कम दर पर व्यवसाय से 80264 किलोग्राम कॉपर ट्यूब की खरीददारी की।

हमने यह पाया कि वर्तमान परिपत्र के उल्लंघन में अंतः फैक्ट्री मांग को बार-बार उच्च दर पर प्रस्तुत करने के बावजूद भी दिसंबर 2006 के उसके परिपत्र के जारी होने के बाद जितने भी बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं, उनमें से किसी में भी ना तो मंत्रालय और ना ही बोर्ड ने इस विषय की चर्चा की।

आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र, आयुध फैक्ट्री कानपुर, उत्तर प्रदेश से अधिक लागत पर अधिप्राप्ति की सफाई देते हुए कहा (मई 2013) गया कि अधिकतर मामलों में उपरिव्यय के कारण अंतः फैक्ट्री मांग सामग्रियाँ व्यवसाय से अधिक मूल्यवान थी जो कि अंतः फैक्ट्री मांग लागत में शामिल थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहयोगी फैक्ट्रियों से अधिप्राप्ति का पुनः वर्गीकरण किया गया था जबकि कुल व्यवसाय लागत से सामग्री लागत स्वयं ही अधिक था। इससे स्वयं बोर्ड के दिसम्बर 2006 के परिपत्र का उल्लंघन हुआ जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि सभी आयुध फैक्ट्रियों के वरिष्ठ महाप्रबन्धकों/महाप्रबन्धकों को व्यवसाय से 100 प्रतिशत आवश्यकता के लिए अधिप्राप्ति करनी होगी अगर अवयव को बनाने वाले फैक्ट्री में सामग्री का सामग्री लागत व्यवसाय लागत से अधिक हो। इसके अतिरिक्त ना तो आयुध फैक्ट्री कानपुर उत्तर प्रदेश ने अंतः फैक्ट्री मांग की आपूर्ति करने वाले निर्माणियों (आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश तथा आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र) को उनके उत्पादन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने की एवं व्यवसाय मूल्य के तुलना में उनके सामग्री को प्रयोग में लाने की व्यापार/व्यवसाय मूल्य की सूचना दी और ना ही आने वाले वर्षों में मूल्य निर्धारण के प्रयोग एवं मामले का परीक्षण करने के लिये उपयुक्त डाटा बैंक को बनाये रखने के लिये ऐसे मामलों को बोर्ड के वित्तीय विभाग को संदर्भित किया। इसके कारण अंततः यह परिणाम हुआ कि ₹3.99 करोड़ के परिहार्य अतिरिक्त भार का वहन करना पड़ा।

अतः आयुध फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ, महाराष्ट्र से दिसम्बर 2006 के बोर्ड के परिपत्र के उल्लंघन के परिणामस्वरूप व्यवसाय लागत से कहीं अधिक लागत पर 1.09 लाख किलोग्राम कॉपर ट्यूब तथा निष्कासित रॉड एल्युमिनियम एलॉय के अधिप्राप्ति के कारण ₹3.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस विषय को जून 2014 में मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

8.7 थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों की स्वीकृति

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप थोक उत्पादन स्वीकृति के प्राप्ति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों के स्वीकृति के कारण ₹93.61 लाख की हानि ।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ) के एक प्रयोगशाला जो कि आरमामेंट अनुसंधान एवं विकास स्थापना, पुणे (ए.आर.डी.ई.) का है, के द्वारा एक देशी तकनीक हस्तांतरण से एक एन्टी-टैंक लैंड माइन, मार्क-II वर्जन का एड्रूशी माइन बनाया गया था जिसका प्रयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। सेना ने 20,000 माइनों के आपूर्ति के लिये आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) पर एक मांगपत्र (सितम्बर 2006) प्रस्तुत किया ।

माइनों¹⁸⁸ को चरणानुसार उत्पादित होना था जिसमें प्रथम 55 माइनों का पाइलट बैच था तथा बाद में बढ़ाते-बढ़ाते उसे 10,000 माइनों तक करना था। प्रयोगकर्ता परीक्षण में भरे हुये¹⁸⁹ माइनों के पाइलट बैच के निकासी के बाद थोक उत्पादन (बी.पी.सी.) के लिये निकासी स्वेच्छया होना था। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आयुध फैक्ट्री चांदा (फैक्ट्री) महाराष्ट्र पर बोर्ड द्वारा एक मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था ।

फैक्ट्री को बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया था ए.आर.डी.ई. के स्रोतों से प्रथम 5000 खाली हार्डवेयर की अधिप्राप्ति की जाये । दो ए.आर.डी.ई. स्रोतों से सीमित निविदा जांच के विरुद्ध निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में ए.आर.डी.ई. पूणे के साथ ₹10,650 के इकाई लागत पर मेसर्स औरों इंजिनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, पूणे (फर्म) को 5141¹⁹⁰ खाली हार्डवेयर का आपूर्ति आदेश (मार्च 2007) प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड ने विशिष्ट रूप से फैक्ट्री को यह निर्देश (फरवरी 2007) दिया था कि आपूर्ति आदेश देते समय यह शर्त उसमें शामिल किया जाये कि आठ हफ्तों के भीतर 55 की संख्या की आपूर्ति की जाये तथा बी.पी.सी. निकासी की तिथि से चार महीनों के भीतर पूरी सुपुर्दगी की जाये । लेखा परीक्षा संवीक्षा (जून 2012) ने यह उजागर किया कि फैक्ट्री द्वारा प्रस्तुत किये गये आपूर्ति आदेश के 'सुपुर्दगी अनुसूची' में प्रतिकूल परिस्थितियाँ थीं । एक स्थान पर उसने यह दर्शाया कि केवल बी.पी.सी. के बाद 1000 प्रतिमाह के दर पर थोक उत्पादन/आपूर्ति की जायेगी एवं 31 मई 2007 तक 55 की संख्या में आपूर्ति हो जायेगी । वहीं दूसरे स्थान पर 31 मई 2007 तक 55 की संख्या में फर्म की सुपुर्दगी अनुसूची का आपूर्ति आदेश करना था तथा बाकी बचे हुए 5,086 खाली हार्डवेयर को 31 अक्टूबर 2007 तक देना था ।

आपूर्ति आदेश के अनुसार ए.आर.डी.ई. से निरीक्षण निकासी (जुलाई 2007) प्राप्त करने के पश्चात फैक्ट्री को 55 खाली हार्डवेयर की आपूर्ति (अगस्त 2007) की। फर्म ने फैक्ट्री को यह भी सूचित किया कि (10 सितम्बर 2007) दो बैचों में सितम्बर 2007 एवं अक्टूबर 2007 तक निरीक्षण के लिये 5,100 खाली हार्डवेयर का थोक निर्माण उन्होंने पहले ही कर लिया है । फैक्ट्री ने फर्म को यह सुझाव (19 सितम्बर 2007) दिया कि थोक उत्पादन बी.पी.सी.¹⁹¹ के अनिर्णित प्राप्ति के सही तालिका में नहीं था तथा बी.पी.सी. के प्राप्ति के पूर्वानुमान में अप्रैल 2008 तक थोक सुपुर्दगी अनुसूची को पुनः अनुसूचित (दिसम्बर 2007) किया।

¹⁸⁸ एक माइन के चार अवयव होते हैं - खाली हार्डवेयर, फ्यूज संयोजन, पैकेज संयोजन एवं की काम्बीनेशन सेट

¹⁸⁹ खाली हार्डवेयर की संयोजना फ्यूजन संयोजन, पैकेज संयोजन एवं की काम्बीनेशन सेट के साथ होती है। बाद में आयुध फैक्ट्री चांदा में इससे रसायन/विस्फोटक भरा जाता है। इसे फिल्ड माइन्स कहा जाता है ।

¹⁹⁰ 5141 सेटों में से 55 खाली हार्डवेयर के एक सेट खाली हार्डवेयर का आदेश दिया जो कि पाइलट लॉट के लिए है तथा बचे हुए 5086 सेट थोक आपूर्ति के लिये है।

¹⁹¹ भरे हुए माइन्स का थोक उत्पादन निकासी।

मार्च 2008 में फर्म ने पुनः फैक्ट्री से 1,000 खाली हार्डवेयर की सुपुर्दगी लेने को कहा। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि अगर बाद में कोई भी कमी पाई गई तो मुफ्त ही खाली हार्डवेयर को प्रतिस्थापन कर देंगे। फैक्ट्री ने ₹126.73 लाख की लागत पर 1000 खाली हार्डवेयर की सुपुर्दगी को फैक्ट्री ने स्वीकार (26 मई 2008) किया, जिसकी प्राप्ति पर (8 मई 2008) 1000 खाली हार्डवेयर के खरीद के लिये ए.आर.डी.ई. से निकासी मांगी (अप्रैल 2008)। इसके अतिरिक्त आपूर्ति आदेश¹⁹² के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार ₹ 66.23 लाख (संविदा के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत) के एक निष्पादन प्रतिभूति जमा के वसूली के स्थान पर फैक्ट्री ने ₹ 33.12 लाख (संविदा के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत) के एक निष्पादन प्रतिभूति जमा की वसूली की। इसके परिणामस्वरूप निष्पादन प्रतिभूति जमा के अंतर्गत ₹ 33.11 लाख की वसूली की गई। यह फर्म के लिए पूर्ण रूप से बहुत ही लाभकारी था।

ए.आर.डी.ई. (2009) के परीक्षण जांचों में पाइलट लॉट के 55 खाली हार्डवेयर को अस्वीकार कर दिया गया। फर्म द्वारा प्राप्त 1000 खाली हार्डवेयर में से 555 पर ए.आर.डी.ई. तथा फैक्ट्री द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया (मार्च/अप्रैल 2010), जिनमें से 507 की संख्या में जांच में विभिन्न बिन्दुओं पर खाली हार्डवेयर के मुख्य भाग पर दरार होने के कारण रिसाव तथा गैसकेट के गुणवत्ता में कमी के कारण असफल रहा। बाकी के बचे हुए 48 को स्वीकार कर लिया गया। फैक्ट्री ने बार-बार फर्म से अस्वीकृत खाली हार्डवेयर का प्रतिस्थापन करने का अनुरोध किया (मार्च 2010 से जनवरी 2011) जो कि नहीं किया गया। अंततः 1,000 खाली हार्डवेयर के पूरे लॉट को ए.आर.डी.ई. तथा फैक्ट्री द्वारा अस्वीकृत (जून 2010) कर दिया गया। जबकि फैक्ट्री द्वारा कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। यह ए.आर.डी.ई. के खाली हार्डवेयर के शुरूआती निकासी पर प्रश्न उठाता है।

अतः बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए थोक उत्पादन के लिये निकासी के पहले ही 1,000 खाली हार्डवेयर के सुपुर्दगी को स्वीकार करते हुये एक त्रुटिपूर्ण सुपुर्दगी को स्वीकार अनुसूची के साथ एक आदेश के नियोजन के कारण ₹ 93.61 लाख की हानि हुई।

इस विषय को अगस्त 2014 में मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

8.8 परिहार्य अधिप्राप्ति

आयुध फैक्ट्री इटारसी द्वारा ₹0.66 करोड़ की लागत पर रसायन के परिहार्य अधिप्राप्ति के कारण प्रणोदक के उत्पादन के लिये प्रयुक्त रसायन के आवश्यकता का गलत आंकलन।

रक्षा सेना द्वारा प्रस्तावित किये गये उत्पादों के वार्षिक अनुमानित आवश्यकता के आधार पर कच्चे माल (या प्रत्यक्ष सामग्री) के खरीद की योजना¹⁹³ आयुध फैक्ट्रियाँ (ओ.एफ.) बनाती हैं। रासायनिक समूह के अंतर्गत फैक्ट्रियों को यह अधिकार¹⁹⁴ होता है कि वे चार महीनों की आवश्यकता के बराबर सामान को अपने अधिकार में रखे। असाधारण परिस्थितियों में इस स्तर के अतिरिक्त सामान को जमा करके रखा जा सकता है, परंतु इसके लिये आयुध फैक्ट्री बोर्ड के प्रचालन समूह के सदस्य के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

¹⁹² आपूर्ति आदेश के साथ संलग्न निविदा के निर्देशों के उपबंध 9 (ए) के अनुसार ।

¹⁹³ बोर्ड के 2010 के सामग्री प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति नियम-पुस्तक (एम.एम.पी.एस.) का पैराग्राफ 2.2.9

¹⁹⁴ संभाले रखने के लिये प्राधिकृत स्तर के एम.एम.पी.एस. के पैराग्राफ 2.2.3.1 को विनिर्दिष्ट करता है ।

आयुध फैक्ट्री इटारसी (फैक्ट्री), मध्य प्रदेश 130 मिमी तथा 105 मिमी गोला-बारूद¹⁹⁵ के लिये प्रणोदक बनाती है। प्रणोदक के उत्पादन के लिये एक कच्चा माल पोटैसियम सल्फेट (रसायन) है। हमने आवश्यकता को अनुमानित करने पर यह पाया कि 0.0793 किलोग्राम प्रति 130 मिमी गोला-बारूद के मानक आवश्यकता के विरुद्ध रसायन की इकाई आवश्यकता 0.5793 किलोग्राम प्रति 130 मिमी गोला-बारूद ली गई थी। इसके परिणामस्वरूप रसायन की आवश्यकता को 1,01,563.60 किलोग्राम पर प्रक्षेपित किया गया जो कि वास्तविक आवश्यकता से कम से कम पांच बार अधिक था, जैसा कि नीचे की तालिका-59 में दिखाया गया है:-

तालिका-59

1	2011-2014 गोला-बारूद की वार्षिक आवश्यकता		
	(i)	130 मिमी	2,07,296 नग
	(ii)	105 मिमी	1,21,500 नग
2	प्रत्येक गोला-बारूद रसायन की मानक आवश्यकता		
	(i)	130 मिमी	0.0793 किग्रा
	(ii)	105 मिमी	0.0058 किग्रा
3	2011-2014 ¹⁹⁶ तीन वर्षों के लिए रसायन की कुल आवश्यकता (क्रम संख्या 1 * क्रम संख्या 2)		
	(i)	130 मिमी	16,438.6 किग्रा
	(ii)	105 मिमी	704.7 किग्रा
	(iii)	कुल	17,143.3 किग्रा
4	दिसम्बर 2011 तक रसायन का बकाया स्टॉक		19,227.7 किग्रा
5	2011-2014 के दौरान खरीदे जाने वाले रसायन की वास्तविक आवश्यकता (क्रम संख्या:3 - क्रम संख्या: 4)		(-) 2,084.4 किग्रा
6	ओ.एफ.आई. द्वारा कार्यरत किया गया रसायन की आवश्यकता		
	(i)	130 मिमी (0.5793 किग्रा प्रति गोला-बारूद के दर पर)	1,20,086.6 किग्रा
	(ii)	105 मिमी	704.7 किग्रा
	(iii)	कुल	1,20,791.3 किग्रा
7	ओ.एफ.आई. द्वारा रसायन की अपेक्षित आवश्यकता (क्रम संख्या 6-क्रम संख्या: 4)		1,01,563.6 किग्रा
8	अतिरिक्त प्रावधान		1,01,563.6 किग्रा

स्रोत: दिनांक 9 दिसम्बर 2011 शीट सं. 21 स्टोर होल्डर इनएबिलिटी का संलग्नक

सामग्री नियंत्रण कार्यालय के कनिष्ठ कार्य प्रबंधक (जे.डब्ल्यू.एम.) के स्तर पर अधिप्राप्ति किये जाने वाले रसायन की आवश्यकता का आंकलन करते समय की गई गलती उप महाप्रबंधक, प्रावधान एवं स्थानीय लेखा कार्यालय (एल.ए.ओ.) द्वारा नहीं पकड़ी गयी थी। प्रावधान के लिये अनुमोदन स्टोर होल्डर इनएबिलिटी शीट¹⁹⁷ पर दिया गया था (दिसम्बर 2011) जिसमें "मासिक आवश्यक राशि" पर प्रासांगिक कॉलम खाली छोड़ दिया गया था।

¹⁹⁵ 130 मिमी रिड्यूसिंग वेरिबल चार्ज एवं 105 मिमी इंडियन फिल्ड गन के लिए गोला-बारूद।

¹⁹⁶ दिसम्बर 2011 तक सामग्री के प्रारंभिक रोकड़ पर विचार करने के पश्चात जनवरी 2012 से मार्च 2014 तक आवश्यकता को इंगित करता है।

¹⁹⁷ यह फैक्ट्री के योजना द्वारा प्रस्तुत एक मांग है जिसमें उलब्ध आपूर्ति आवेशों के प्रति प्रायः मात्रा, कारखाने में विद्यमान भंडार, सामग्री अनुमान से ली गई मद की प्राप्ति इकाई आवश्यकता तथा अंतिम उत्पादन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त होने वाले मद की मात्रा का विवरण दिया होता है।

तदनुसार फैक्ट्री ने 101.6 टन के रसायन के आपूर्ति के लिये दो आपूर्ति आदेशों¹⁹⁸ को प्रस्तुत (मार्च/मई 2012) किया जिसके विरुद्ध अप्रैल 2013 तथा जुलाई 2013 तक ₹66.2 लाख के कुल लागत पर 79 टन प्राप्त किया गया था जब दोनों ही आपूर्ति आदेशों को अल्प समय में बंद कर दिया गया था। आदेशों को महाप्रबन्धक द्वारा अल्प समय में इस आधार पर बंद कर दिया गया कि 'उत्पादन के तरीके में परिवर्तन' हुआ है। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह उजागर किया कि फैक्ट्री द्वारा उनके दो आपूर्ति आदेशों को अल्प समय में बंद करने का कारण सही नहीं था क्योंकि फैक्ट्री 2013-2014 एवं 2014-2015 (अगस्त 2014 तक) के दौरान प्रणोदक¹⁹⁹ का उत्पादन करती रही। निविदा क्रय समिति के सम्मुख एक आदेश को अल्प समय में बन्द करने का प्रस्ताव प्रस्तुत²⁰⁰ नहीं किया गया था।

जुलाई 2014 तक फैक्ट्री ने ₹60.3 लाख के कीमत के रसायन के 72 टन को संभाल कर रखा जो कि खपत किये गये वर्तमान स्तर पर 5.86 टन का प्रतिवर्ष रसायन है, अगले 12 वर्षों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण के उत्तर में फैक्ट्री ने अतिरिक्त प्रावधानों को स्वीकार करते हुए (जुलाई 2014) यह दावा किया की सहयोगी आयुध फैक्ट्रियों²⁰¹ में अतिरिक्त स्टॉक को काम में लाया जायेगा; अभी तक उसने कॉरडाइट फैक्ट्री अरुवनकडु, तमिलनाडू से 3600 किलोग्राम की आवश्यकता को प्राप्त किया है। उपयुक्त रसायन के स्थानान्तरण के बावजूद भी फैक्ट्री पास ₹57.32 लाख के कीमत का रसायन का 68.40 टन का स्टॉक रह जायेगा, जो कि वर्तमान स्तर के खर्च के अनुसार 11 वर्षों से अधिक समय के लिये आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त होगा। यह आंतरिक नियंत्रक की असफलता की ओर इंगित करता है कि फैक्ट्री के लिये उत्पादन के एक सामान्य मद को संस्थापित करता है जो एक मद के लिये दर्शाये गये के वास्तविकता से आवश्यकता का पाँच गुना होता है एवं इसके बाद भी रसायन की अधिप्राप्ति के लिये अनुमोदन देते समय भी प्रबंधन के उच्च स्तर पर इसकी पहचान नहीं की जा सकी।

अतः फैक्ट्री द्वारा प्रणोदक के उत्पादन के लिये रसायन के आवश्यकता के गलत आंकलन के कारण ₹ 66.2 लाख के लागत पर रसायन की अनावश्यक अधिप्राप्ति हुई।

इस विषय को मंत्रालय को अगस्त 2014 में संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

8.9 अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण अलाभकारी उत्पादन

अंतर फैक्ट्री मांग के द्वारा मैग्जीन संयोजन के पर्याप्त भंडार के बावजूद राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने ₹ 1.27 करोड़ के दर पर स्प्रिंग प्लेटफार्म की खरीददारी की जो कि परिहार्य था तथा जिसके कारण उत्पादन की लागत में ₹ 0.34 करोड़ की वृद्धि हो गई ।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) में सहयोगी आयुध फैक्ट्रियों से भंडार की अधिप्राप्ति को “अंतर फैक्ट्री मांग” (आई. एफ.डी.) कहा जाता है। 5.56 मिमी राइफलों के उत्पादन के लिये आयुध फैक्ट्री दमदम, पश्चिम बंगाल से मैग्जीन संयोजन के आई.एफ.डी. पर राइफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल

¹⁹⁸ मेसर्स इम्पेक्स केमिकल्स कोरपोरेशन (55 टन), मेसर्स सुरभि इनडसट्रिज (46.6 टन)

¹⁹⁹ 2013-2014 के दौरान 127000 की संख्या में एवं 2014-2015 (अगस्त 2014 तक) 28000 की संख्या में

²⁰⁰ बोर्ड के एम.एम.पी.एम. - 2010 के पैरा 6.11.7 के अनुसार सक्षम वित्तीय प्राधिकारी के सम्मुख आदेश के अल्प समय के संवरण को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी

²⁰¹ पारस्परिक सहायता योजना के द्वारा आयुध फैक्ट्री बोर्ड के अंतर्गत अन्य सहयोगी फैक्ट्रियों को एक फैक्ट्री अधिशेष भंडार को आभ्यंतरित किया गया

मूलतः²⁰² भरोसा करता है। एक मैग्जीन संयोजन में स्प्रिंग प्लैटफार्म तथा मैग्जीन राउन्ड्स की समाविष्टि होती है।

हमने यह पाया कि (फरवरी 2013) आई. एफ.डी. के माध्यम से (तालिका-60) के द्वारा मैग्जीन संयोजन के पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद मई 2011 से जनवरी 2013 के दौरान तीन व्यवसाय फर्मों से राइफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल ने ₹1.27 करोड़ के लागत पर 5,68,991 स्प्रिंग प्लैटफार्मों की परिहार्य खरीददारी की।

तालिका-60

		2011-12	2012-13	2013-14
1	राइफलों के लिये लक्ष्य	64,549	67,456	57,216
2	मैग्जीन संयोजनों (क्रम सं. 1x5) की आवश्यकता	3,22,745	3,37,280	2,86,080
3	मैग्जीन संयोजनों का प्रारम्भिक रोकड़	10,329	94,930	1,34,176
4	मैग्जीन राउन्ड्स का प्रारम्भिक रोकड़	1,43,280	शून्य	शून्य
5	स्प्रिंग प्लैटफार्म का प्रारम्भिक रोकड़	26,056	3,17,695	5,68,991
6	ओ.एफ.डी.सी. पर मैग्जीन संयोजन के लिए प्रस्तुत आई.एफ.डी.	3,22,745	4,53,226	-
7	ओ.एफ.डी.सी. से अधिप्राप्त किया गया संयोजन	1,92,365	3,97,745	1,93,226
8	ओ.एफ.डी.सी. से अधिप्राप्त किया गया संयोजन मैग्जीन राउन्ड्स	70000	शून्य	182718
9	व्यवसाय से अधिप्राप्ति किया गया स्प्रिंग प्लैटफार्म	5,04,919	2,51,296	शून्य
10	स्प्रिंग प्लैटफार्म को व्यापार से अधिप्राप्ति किया जाना चाहिए था ((4)+(8)-(5)) क्योंकि ये जनवरी 2011 के पहले प्रस्तुत आदेशों के प्रति अधिप्राप्ति किये गये	1,87,224	शून्य	-
11	स्प्रिंग प्लैटफार्म (9-10) की अतिरिक्त अधिप्राप्ति	3,17,695	2,51,296	-
12	स्प्रिंग प्लैटफार्म के परिहार्य व्यवसाय खरीद की कीमत	₹0.71 करोड़	₹0.56 करोड़	-

स्प्रिंग प्लैटफार्म के अतिरिक्त भंडार के साथ 2013-2014 के दौरान आयुध फैक्ट्री दमदम, पश्चिम बंगाल से राइफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल को मैग्जीन राउन्ड्स की प्राप्ति करनी पड़ी। जिसके संयोजन के कारण ₹ 34 लाख की अतिरिक्त लागत करनी पड़ी इसे करने के बावजूद भी जनवरी 2014 तक बेमेल परिस्थिति में कुल मिलाकर ₹ 3.35 करोड़²⁰³ का मैग्जीन संयोजन, मैग्जीन राउन्ड्स तथा स्प्रिंग प्लैटफार्मों का अतिरिक्त भंडार राइफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल के पास था।

²⁰² आयुध फैक्ट्री दमदम तथा व्यवसाय स्रोतों से प्राप्त जमा किये मैग्जीन राउन्ड्स तथा स्प्रिंग प्लैटफार्म द्वारा 5.56 मिमी राइफल के मैग्जीन संयोजन का उत्पादन राइफल फैक्ट्री ईशापुर द्वारा किया जा रहा था। चूंकि आयुध फैक्ट्री दमदम द्वारा ली गई मैग्जीन संयोजन की आपूर्ति का निष्पादन संतोषजनक था, इसे नजर में रखते हुए महाप्रबंधक ने यह निर्देश दिया कि व्यवसाय से प्राप्त स्प्रिंग प्लैटफार्म की अधिप्राप्ति रोक दी जाय तथा आयुध फैक्ट्री दमदम से पूर्ण रूप से मैग्जीन संयोजन की प्राप्ति की जाये।

²⁰³ 181937 मैग्जीन संयोजन की कीमत ₹1.55 करोड़, 112718 मैग्जीन राउन्ड्स की कीमत ₹0.68 करोड़ तथा 498991 स्प्रिंग प्लैटफार्म की कीमत ₹1.12 करोड़

उत्तर में बोर्ड ने यह बताया (जून 2014) कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आई.एफ.डी. आपूर्ति अपर्याप्त थी इसीलिये व्यवसाय अधिप्राप्ति की आवश्यकता हुई। तालिका में दिये गये डाटा से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। बोर्ड ने यह भी बताया कि राईफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल में मैग्जीन संयोजन की अंतर्वर्ती उत्पादन के कारण अतिरिक्त लागत लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किये गये के अनुसार ₹0.34 करोड़ नहीं थी बल्कि केवल ₹3.95 लाख थी। परन्तु हमने मूल दस्तावेजों जो कि राईफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल में लागत कार्ड है, के आधार पर यह पाया कि जो अतिरिक्त लागत है वह डाटा पर आधारित है।

अतः ₹ 1.27 करोड़ की लागत पर स्प्रिंग प्लैटफार्म की अधिप्राप्ति परिहार्य थी और इसी कारण से राईफल फैक्ट्री ईशापुर, पश्चिम बंगाल में मैग्जीन संयोजन के उत्पादन की लागत अधिक हुई।

इस विषय को मंत्रालय को मार्च 2014 में संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)

उत्पादन

8.10 माइनों का दोषपूर्ण उत्पादन

मरम्मत/प्रतिस्थापना के बिना सेना डिपो में ₹35.97 करोड़ की कीमत के माइनों के पृथक्ता के कारण जुड़ाव को ठीक तरह से सील करने की उनकी असफलता के साथ मिलकर आयुध फैक्ट्री चांदा/उच्च विस्फोटक फैक्ट्री किरकी से दोषपूर्ण माइनों का उत्पादन।

एंटी टैंक माइन-गाड़ियों को क्षति पहुँचाने तथा क्षत-विक्षत करने के साथ-साथ टैंकों तथा बक्तरबंद लड़ाई की गाड़ियों को भी नष्ट करने के लिये बनाया गया एक प्रकार का लैंड माइन- का प्रयोग भारतीय थलसेना द्वारा किया जाता है। भारतीय थल सेना की ओर से आरमामेंट अनुसंधान एवं विकास स्थापना, पुणे (ए.आर.डी.ई.) तथा हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी, पुणे (एच.ई.एम.आर.एल.) द्वारा एन्टी टैंक माइनों 1ए एन.डी.²⁰⁴ को बनाया जाता है। दिसम्बर 2004 से माइनों का संयोजन करने एवं भरने के लिये जिम्मेदारी आयुध फैक्ट्री चांदा (ओ.एफ.सीएच.), महाराष्ट्र को दी गई है। उच्च विस्फोटक फैक्ट्री किरकी, महाराष्ट्र, आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र को एक रसायन ट्राई नाइट्र टोलइन (टी.एन.टी.) की आपूर्ति करता है।

सेना को जारी करने से पहले सभी हार्डवेयर एवं भरे हुये एंटी टैंक माइन जो की फैक्ट्री द्वारा उत्पादित किये जाते हैं, उनका निरीक्षण महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन, नई दिल्ली के निरीक्षणालयों²⁰⁵ द्वारा किया जाता है।

2008-2009 से 2010-2011 के दौरान आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र ने निरीक्षणालयों द्वारा निरीक्षण के पश्चात सेना डिपो को माइनों का उत्पादन कर 271794 माइनों को जारी किया। प्राप्ति निरीक्षण²⁰⁶ (मई 2010 एवं जून 2010) के दौरान ₹35.97 करोड़ की कीमत के 54 लॉट जिनमें 107244 माइन थे, में एंटी लिफ्टिंग प्रणाली के संयोजन के लिये दिये गये सॉकेट एवं माइन बॉडी के

²⁰⁴ 1ए एंटी टैंक का एक रूपान्तर है एवं एन.डी. का अर्थ दोषहीन है।

²⁰⁵ चांदा एवं किरकी में अवस्थित गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (गोला-बारूद) किरकी, गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (मिलिट्री विस्फोटक) किरकी एवं वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाएं जो कि चांदा एवं किरकी में स्थित हैं।

²⁰⁶ आयुध फैक्ट्रियों से माइनों की प्राप्ति पर सेना डिपो द्वारा किये गये निरीक्षण को प्राप्ति निरीक्षण कहते हैं।

जुड़ाव से जबकि थल सेना डिपो ने टी.एन.टी. रिसाव²⁰⁷ पर ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त अन्य लॉटों में साइड प्लग मिसिंग, माइन बांडी ब्रोकेन, बेस प्लग मिसिंग एवं खरोचा गया बांडी जैसी उत्पादन त्रुटियाँ हो गईं।

टी.एन.टी. के रिसाव के कारणों का पता लगाने के लिये थल सेना, आयुध फैक्ट्री बोर्ड, निरीक्षणालयों, ए.आर.डी.ई. एवं एच.ई.एम.आर.एल. के प्रतिनिधियों को लेकर एक संयुक्त समिति (समिति) बनाई (जून 2011), जिन्होंने जून 2011 एवं अक्टूबर 2012 के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 27 जून 2011 को इस विषय का निरीक्षण करते हुए समिति द्वारा जो प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, उसमें गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (गोला-बारूद) किरकी (सी.क्यू.ए./ए.) ने विभिन्न डिपो द्वारा प्राप्त माइनों से रिसाव के विषय को गम्भीरतापूर्वक देखने पर जोर दिया तथा यह भी सुझाव दिया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिये एवं प्रयोगकर्ता के संतुष्टि को बनाये रखने के लिये इस विषय का हल निकालने के लिये समय-सीमित कार्रवाई की जाये।

जांच प्रतिवेदन (फरवरी 2012) सी.क्यू.ए. ने माइनों के भण्डारण के दौरान उच्च तापमान पर स्रावित हुए माइनों से भरे हुए टी.एन.टी. के निम्न सेट प्वाइंट²⁰⁸ को रिसाव के रूप में चित्रित किया है, जबकि इसी को ए.आर.डी.ई. ने गलत जुड़ाव सीलिंग के रूप में व्याख्यायित (अक्टूबर 2012) किया। सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में समिति ने यह अनुसंशा (अक्टूबर 2012) की कि: (i) आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र के सी.क्यू.ए./ए. द्वारा अग्रेषित रूपात्मकता के लिये उसके प्रयोज्यता के निश्चयता के जांच के लिये कारबन ट्रेटर क्लोराइड/एसिटोन के साथ डिपो में पड़े हुए स्रावित माइनों की सफाई; (ii) आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र द्वारा सफाई किये गये माइनों के जांच करने के पश्चात सी.क्यू.ए./ए. से अनुमोदन के लिये विस्तृत मरम्मत प्रक्रिया को फ्रेम करना; (iii) संदर्भित बिन्दु के रूप में डाटा बैंक को बनाने के लिये टी.एन.टी. के सेट प्वाइंट को सुनिश्चित करके थल सेना डिपो द्वारा सी.क्यू.ए./ए. के 2004-2005 से बेतरतीब बैचों से (50 प्रतिशत स्रावित एवं 50 प्रतिशत निःस्रावित) माइनों के कुछ लॉटों को अग्रेषित करना। जबकि समिति ने थल सेना द्वारा बताये गये माइनों के कमियों²⁰⁹ की चर्चा नहीं की।

हमने यह पाया कि ए.आर.डी.ई. में वातावरण परीक्षण (दिसम्बर 2013) के दौरान आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र से प्रस्तावित मुहरबन्द के साथ तीन वर्षों से अधिक का समय बर्बाद होने के बाद भी थल सेना डिपो में दोषपूर्ण माइनों के मरम्मत के लिये रूपात्मकता को सूत्रबद्ध (मई 2014) नहीं किया गया था चूँकि थल सेना डिपो द्वारा 'निष्क्रियता'²¹⁰ से भरा हुआ, एवं उच्च विस्फोटक जब स्रावित माइनों संग्रहित किया गया था। इसका असर वातावरण पर वायु प्रदूषण के रूप में हुआ। तदनुसार समिति ने आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र को यह निर्देश दिया कि जांच के लिये एच.ई.एम.आर.एल. को मुहरबन्द की संख्या आगे अग्रेषित की जाये। आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र द्वारा एच.ई.एम.आर.एल. को धीरे-धीरे जारी किया गया मुहरबन्द²¹¹ का निष्पादन ए.आर.एल.डी.ई. द्वारा पर्यावरण जांच के समय मूल्यांकन के विषय के संतोषजनक (अप्रैल 2014) पाया गया, जो कि जुलाई-अक्टूबर 2014 के दौरान अनुसूचित किया जाता है।

बोर्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह उल्लेख (जुलाई 2014) किया कि तब से माइनों के मरम्मत/संशोधन के लिये पद्धति सुनिश्चित कर ली गई है तथा ए.आर.डी.ई. से पर्यावरण जांच के पश्चात प्रभावित माइनों पर लगाये गये मुहरबन्द के क्षमता के प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद थोक

²⁰⁷ माइनों के भण्डारण के दौरान उच्च तापमान पर स्रावित हुए माइनों में भरे हुए टी.एन.टी. के निम्न सेट प्वाइंट के कारण ही रिसाव होता है।

²⁰⁸ निम्न सेट प्वाइंट का अर्थ टी.एन.टी. का निम्न गलनांक है।

²⁰⁹ साइड प्लग मिसिंग, माइन बांडी ब्रोकेन, बेस प्लग मिसिंग एवं खरोचा गया बांडी।

²¹⁰ विस्फोट के बिना माइन

²¹¹ मुहरबन्द एक चिपचिपा पदार्थ है जिसका प्रयोग माइनों के जुड़ाव को सील करने के लिये किया जाता है।

संशोधन के कार्यवाही के लिये शुरू की जायेगी। जबकि उत्तर में यह नहीं दर्शाया गया था कि समय-सीमा कब तक की है जिसमें थोक संशोधन पूरी की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त थल सेना द्वारा पाये गये अन्य त्रुटियों को पहचानने के लिये ली गई कार्रवाई का उत्तर मौन था।

अतः मरम्मत/प्रतिस्थापन के बिना सेना डिपो में ₹35.97 करोड़ के कीमत के माइनों के पृथकता के कारण जुड़ाव को ठीक तरह से सील करने की उनकी असफलता के साथ मिलकर आयुध फैक्ट्री चांदा, महाराष्ट्र/उच्च विस्फोटक फैक्ट्री किरकी से दोषपूर्ण माइनों का उत्पादन किया और इस प्रकार से भारतीय थल सेना के एंटी टैंक माइन प्रचालन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।

इस विषय को मंत्रालय को जून 2014 में संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

विविध

8.11 विक्रय मूल्य में भिन्नता के कारण राजस्व की हानि

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) द्वारा अपनाया गया भिन्न विक्रय मूल्य एवं राइफल के विक्रय मूल्य के संशोधन के लिये बोर्ड के आदेश के दो फैक्ट्रियों द्वारा उल्लंघन के कारण ₹1.37 करोड़ के राजस्व की हानि।

त्रिची, तमिलनाडु एवं ईशापुर, पश्चिम बंगाल के आयुध फैक्ट्रियाँ निजी शस्त्र डीलरों को बाजार में 0.315 स्पोर्टिंग राइफलों की बिक्री करता है। बाजार में बिकने वाले मर्दों का विक्रय मूल्य आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड)²¹² द्वारा तय किया जाता है।

सितम्बर 2011 में बोर्ड ने त्रिची फैक्ट्री से राइफलों के इकाई विक्रय मूल्य को ₹43,200 तक संशोधित किया है; ईशापुर फैक्ट्री से राइफलों का विक्रय मूल्य ₹40,000 के लागू दरों पर बनाये रखा गया है। नवम्बर 2012 में दोनों निर्माणियों के लिये यह ₹45,900 तक संशोधित कर दिया गया।

हमने यह देखा कि (सितम्बर 2013) त्रिची फैक्ट्री के महाप्रबंधक के निर्देशों पर ₹ 40,000 प्रति के दर पर 1220 राइफलों (सितम्बर 2012 से नवम्बर 2012) को बेचा गया। अनुमोदित विक्रय मूल्य ₹ 43,200 था और बाद में ₹45,900 हो गया। अनुमोदित दर से भिन्नता होने के कारण ₹ 61.76 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसी प्रकार से नवम्बर 2012 से मार्च 2013 के दौरान ₹ 40,000 के इकाई दर पर ईशापुर ने 1270 राइफलों का विक्रय किया, जबकि नवम्बर 2012 से प्रभावी बोर्ड से विक्रय मूल्य को संशोधित कर ₹ 45,900 कर दिया गया है। इसके कारण ₹ 74.93 लाख के राजस्व की हानि का सामना करना पड़ा।

मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया (अगस्त 2014) कि त्रिची फैक्ट्री को उच्च मूल्य पर शिकायतें मिलनी लगी हैं तथा राइफलों के लो ऑफ टेक का भी सामना करना पड़ा। यह बात बोर्ड के साथ महाप्रबंधक द्वारा उठाई गई थी जिसने फैक्ट्री को मौखिक आदेश दिया कि वह ईशापुर फैक्ट्री के साथ विक्रय मूल्य को नीचे लेकर आये जो कि ₹40,000 है। बोर्ड ने यह समीक्षा की कि समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई ने संचयित भंडार को खाली होने में मदद की और इसी प्रकार से ₹8 करोड़ की संभावित हानि से बच गये।

²¹² आयुध फैक्ट्रियों के सिविल ट्रेड एक्टिविटीज के निर्देशों के पैरा 7.3 के अनुसार।

यह इस तथ्य के ओर भी संकेत करता है कि बोर्ड दो फैक्ट्रियों में विक्रय के प्रभाव को ध्यान में रखे बिना ही उसके विक्रय मूल्य (सितम्बर 2011 एवं नवम्बर 2012) से संबंधित अविवेकपूर्ण निर्णयों को लेता रहा और इसी प्रकार से अपने ही स्वयं के निर्देशों के अनुपालना को लागू करने में असफल रहा। शिकायतों के दावे या ऑफ टेक पर असर करने से संबंधित कुछ भी रिकार्ड के रूप में नहीं था। मौखिक विचार-विमर्श में अनौपचारिक रूप से विक्रय मूल्य को कम करने के निर्णय के कारण ₹ 61.76 लाख राजस्व की हानि हुई। नवम्बर 2012 में बोर्ड द्वारा द्वितीय संशोधन के साथ दोनों फैक्ट्रियों ने अनुपालन नहीं किया। स्पोर्टिंग राईफलों के विक्रय मूल्य के संशोधन के दो आदेशों का अनुपालन न करने पर बोर्ड को ₹ 1.37 करोड़ के राजस्व की कुल हानि हुई।

8.12 रायल्टी प्रभार का अतिरिक्त भुगतान

अप्रैल 1996 से मार्च 2013 के दौरान पानी के वास्तविक खपत के स्थान पर अधिकतम अनुबंधित मांग के आधार पर भुगतान के कारण तमिलनाडु सरकार को ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त रायल्टी प्रभार का भुगतान हेवी एलाय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट त्रिची ने किया।

हेवी एलाय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट त्रिची, तमिलनाडु (फैक्ट्री)²¹³ तमिलनाडु सरकार के राज्य (सरकार) के लोक-निर्माण विभाग से इस संबंध में अनुमति (सितम्बर 1986) देने के आधार पर अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कावेरी नदी से पानी ले रहा था। अधिकतम अनुबंधित मांग के लिये रायल्टी प्रभार अग्रिम रूप से देना संभव था; वर्ष के दौरान पानी के वास्तविक खपत के विरुद्ध अग्रिम को संयोजित किया जाना था। अनुमति के लिये आवश्यक था कि पानी लेने से पहले फैक्ट्री को सरकार के साथ एक करार करना था।

हमने यह देखा (अप्रैल 2013) कि सरकार के साथ (अप्रैल 1996)²¹⁴ फैक्ट्री से करार अधिकतम अनुबंधित मांग के लिये रायल्टी प्रभार के अग्रिम भुगतान के लिये सुविधा देता है जो कि तब संभाला नहीं जा सकेगा जब इस मांग की तुलना में पानी के खपत का स्तर नीचे चला जायेगा। करार को पढ़ने पर यह उजागर हुआ कि चूंकि करार फैक्ट्री के रूचि के लिये नुकसानदेह था एवं सितम्बर 1986 के आदेश से चूक चुका था, फैक्ट्री इसकी चर्चा सरकार से करने में असफल रही। जबकि पानी की वास्तविक खपत अनुबंधित मांग से हमेशा कम थी। लेखापरीक्षा के समय फैक्ट्री ने यह अनुमान लगाया (नवम्बर 2013) कि अप्रैल 1996 से मार्च 2013 के दौरान पानी के लिये अधिकतम अनुबंधित मांग के आधार पर पहले से ही अदा किया गया ₹1.98 करोड़ के विरुद्ध वास्तविक रूप से खपत किये गये पानी के आधार पर देय किया गया ₹97.17 लाख रायल्टी प्रभार था। तदनुसार फैक्ट्री ने ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की वापसी मांगी जिसकी वसूली अभी तक बाकी थी (अगस्त 2014)।

अतः फैक्ट्री ने अप्रैल 1996 से मार्च 2013 के दौरान पानी के वास्तविक खपत के स्थान पर अधिकतम अनुबंधित मांग के आधार पर भुगतान के कारण तमिलनाडु सरकार को ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त रायल्टी प्रभार का भुगतान किया।

इस विषय को मार्च 2014 में मंत्रालय को संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

²¹³ एच.ए.पी.पी. मार्च 1990 में आस्तित्व में आया।

²¹⁴ फैक्ट्री मार्च 1996 तक एवं अप्रैल 2006 से करार के बिना ही पानी लेती रही।

8.13 एक निजी विद्युत सुविधा प्रदाता को अनावश्यक लाभ

आयुध फैक्ट्री बोर्ड/गन एवं शेल फैक्ट्री कोशीपुर के निर्धारित दरों के अनुसार एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता से पट्टा किराया एवं प्रीमियम वसूली के असफलता के परिणामस्वरूप ₹2.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई तथा इसके कारण एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक लाभ हुआ।

रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार (अगस्त 1990) शुरूआती तीस वर्षों के अवधि के लिये एक रूपया प्रतिवर्ष के सामान्य शुल्क पर इस प्रकार के उद्देश्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार आदि द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता पर स्थापनाओं की सुविधाओं²¹⁵ के लिये रक्षा भूमि की आवश्यकता थी तथा तदनुसार अगर दी गई सुविधा/सेवाएं मुख्यतः फैक्ट्री एवं उसके कर्मचारियों के लिये है तो लाइसेंस को नये रूप से स्थापित भी किया जा सकता है। जब भी साइट की आवश्यकता न हो तो उसे फैक्ट्री को लौटा देना चाहिये। दिशानिर्देश यह भी बताता है कि अप्राधिकृत अवधि के लिये अप्राधिकृत अधिभोक्ता द्वारा रक्षा भूमि का उपयोग करने पर उनसे लाइसेंस शुल्क की वसूली की जायेगी। आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) के सदस्य (वित्तीय) एवं रक्षा संपदा अधिकारी (डी.ई.ओ) जिसके पास क्षेत्र का क्षेत्राधिकार हो, के साथ विचार-विमर्श कर महाप्रबंधक द्वारा शुरूआत के पांच वर्षों की अवधि के लिये दरों का निर्धारण कर लिया जायेगा। अगर पट्टे को नये रूप से स्थापित किया जायेगा तो वर्तमान के लाइसेंस शुल्क से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक के रूप में नये लाइसेंस शुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारतीय रेलवे नवम्बर 1999 तक सी.ई.एस.सी. लिमिटेड के न्यू कोशीपुर जेनेरेटिंग स्टेशन के कोयला गाड़ियों का वहन करने के लिये 1661 स्क्वेयर मीटर भूमि का प्रयोग गन एण्ड शेल फैक्ट्री कोशीपुर, पश्चिम बंगाल (फैक्ट्री) से एक रेलवे लाइन के जाने के लिये करती रही। इसके बाद फैक्ट्री ने इस साइट का प्रभार नहीं लिया बल्कि रेलवे के अनुरोध पर (नवम्बर 1999) अप्राधिकृत रूप से न्यू कोशीपुर जेनेरेटिंग स्टेशन को कोयला का वहन करने के लिये लाइन का प्रयोग करने के लिये सी.ई.एस.सी. को अनुमति दे दी।

निर्माणी (फरवरी 2002) ने डी.ई.ओ. कोलकाता के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड के समक्ष यह प्रस्तावित किया कि सी.ई.एस.सी. लिमिटेड को ₹2.52 लाख प्रतिवर्ष व्यवसायिक दर पर (₹50.40 लाख के भूमि के बाजार दर का 5 प्रतिशत) भूमि का प्रयोग करने की अनुमति दी जाये। परन्तु बोर्ड ने फैक्ट्री को यह निर्देश दिया (जून 2002) कि व्यवसायिक प्रयोग के लिये भूमि के पट्टे के लिये संपदा अधिकारी, मुम्बई क्षेत्र से आयुध फैक्ट्री अंबाझरी, महाराष्ट्र को सूचित करके (अक्टूबर 2001) महानिदेशक रक्षा संपदा (डी.जी.डी.ई.) दर के आधार पर ₹5.04 लाख का वार्षिक किराया (भूमि के बाजार के दर का 10 प्रतिशत) संग्रह किया जाये। तदनुसार फैक्ट्री ने पांच वर्षों की अवधि के लिये ₹5.04 लाख के वार्षिक किराये पर सी.ई.एस.सी. लिमिटेड के साथ एक करार किया (अगस्त 2002)। जबकि बोर्ड/फैक्ट्री ने सी.ई.एस.सी. लिमिटेड से वार्षिक किराये के 10 गुना²¹⁶ के ₹50.40 लाख के आवश्यक प्रीमियम का संग्रह नहीं किया।

हमने आगे यह देखा कि बोर्ड के अनुमोदन के बिना फैक्ट्री ने करार के नवीनीकरण के लिये अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिये (अगस्त 2007 से जुलाई 2012) ₹16.14 लाख²¹⁷ के वार्षिक किराये को निर्धारित करने के स्थान पर ₹ 5.54 लाख के वार्षिक किराये पर भूमि का प्रयोग करने के लिये सी.ई.एस.सी. लिमिटेड को अनुमति दे दी (दिसम्बर 2008)। यह भी ₹6.30 लाख के वार्षिक किराये

²¹⁵ पुलिस फोर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट/टेलिग्राफिक कार्यालय, इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन, स्टेट ट्रान्सपोर्ट एथोरिटी।

²¹⁶ अक्टूबर 2001 के छावनी भूमि प्रशासनिक नियमों एवं डी.जी.डी.ई. संचारण के अध्याय 17 के नियम 6 (ii) के अनुसार।

²¹⁷ ₹161.40 लाख के व्यावसायिक बाजार दर के 10 प्रतिशत के दर पर

के नीचे चला गया अर्थात् मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक ₹5.04 लाख के वर्तमान के वार्षिक किराये पर 25 प्रतिशत की लघुतम बढ़ोत्तरी है। फिर भी छावनी भूमि प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत भूमि के व्यवसायिक बाजार के कीमत के 10 प्रतिशत के आधार पर निकाला गया वार्षिक किराया का 10 गुना के ₹1.61 करोड़ के प्रीमियम दरों को फ़ैक्ट्री ने संग्रहित नहीं किया। जुलाई 2012 में करार की समाप्ति के पश्चात फ़ैक्ट्री ने करार का नवीनीकरण नहीं किया एवं सी.ई.एस.सी. लिमिटेड को यह निर्देश दिया कि वे रेलवे लाइनों का प्रयोग करना बंद कर दें। परंतु सी.ई.एस.सी. लिमिटेड ने कोई उत्तर नहीं दिया। सी.ई.एस.सी. लिमिटेड के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

अतः बोर्ड/फ़ैक्ट्री के निर्धारण दरों के अनुसार एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता से पट्टा किराया एवं प्रीमियम वसूली से असफलता के परिणामस्वरूप अगस्त 2002 से जुलाई 2012 की अवधि के लिये ₹ 2.64 करोड़²¹⁸ के राजस्व की हानि हुई तथा इसके कारण एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक लाभ हुआ।

बोर्ड ने यह उल्लेख किया कि (जनवरी 2014) फ़ैक्ट्री ने उनकी उपेक्षा करते हुए निम्न दर को निर्धारित नहीं किया चूँकि यह निर्देश दिया गया था की मंत्रालय के निर्देशों को देखते हुए डी.ई.ओ. से विचार-विमर्श करते हुए एवं पुनः अनुमोदन के लिये उन्हें इस विषय को न सौंपते हुए किराये को निर्धारित करना था। बोर्ड ने यह भी कहा कि हानि का बोध मूल्यांकन का विषय है।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक किराये को निर्धारित करने में फ़ैक्ट्री मंत्रालय के साथ-साथ बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रही जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त बोर्ड की 'हानि का बोध मूल्यांकन का विषय है' संबंधित विवादास्पद टिप्पणी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप से फ़ैक्ट्री /बोर्ड को मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ ताल में ताल मिलाने हुये पट्टे का किराया एवं प्रीमियम दरों का निर्धारण न कर पाने के कारण राजस्व हानि का सामना करना पड़ा।

इस विषय को मंत्रालय को मार्च 2014 में संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

8.14 बिजली की दरों का परिहार्य भुगतान

आयुध फ़ैक्ट्री कानपुर द्वारा भारतीय बिजली नियमों के अंतर्गत बिजली के आपूर्ति के लिये बने दो प्रदाताओं के बीच 'इन्टरलाकिंग' की आवश्यकता के साथ अनुपालन करने के साथ-साथ बिजली ट्रान्सफारमरों के प्रतिस्थापना में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप उच्च दरों पर बिजली की दरें एवं मांग के लिये ₹3.66 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आयुध फ़ैक्ट्री कानपुर, स्माल आर्म्स फ़ैक्ट्री कानपुर एवं फ़ील्ड गन फ़ैक्ट्री कानपुर, उत्तर प्रदेश के बिजली आपूर्ति को संवर्धन एवं संघटित करने के लिये रक्षा मंत्रालय (मंत्रालय) ने ₹22.89 करोड़ के लागत पर अर्मापुर में एक नये 132/33 किलो बोल्ट (के.वी.) सब-स्टेशन के लिये संस्वीकृति प्रदान किया (मार्च 2006)। इस कार्य को जमा कार्य के रूप में मेसर्स उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (यू.पी.पी.सी.एल.) एवं मेसर्स कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

²¹⁸ अगस्त 2002 से जुलाई 2007 एवं अगस्त 2007 से जुलाई 2012 की अवधि के लिये क्रमशः ₹0.50 करोड़ एवं ₹ 1.61 करोड़ के प्रीमियम दरें और अगस्त 2007 से जुलाई 2012 की अवधि के लिये किराये के रूप में ₹ 0.53 करोड़ की कम वसूली।

(के.ई.एस.सी.ओ.) द्वारा पूरा किया जाना था। यह भी निर्णय लिया गया था कि 132/33 के.वी. के प्रस्तावित नई लाइनों के स्थापना के पश्चात मेसर्स के.ई.एस.सी.ओ. को वर्तमान के 11 के.वी. एवं 6.6 के.वी. संभरकों को समर्पित करना था।

हमने यह देखा कि 132 के.वी. के नये लाइनों की स्थापना पूरी हो गयी थी (मई 2009)। नई लाइनों को सशक्त करने के पश्चात 11 के.वी. प्रदाता तुरंत ही के.ई.एस.सी.ओ. को समर्पित कर दिये गये थे। जबकि आयुध फैक्ट्री कानपुर के.ई.एस.सी.ओ. को 6.6 के.वी. प्रदाता सुपुर्द नहीं कर पाया क्योंकि दो में से एक 3 मेगा वोल्ट एम्पियर (एम.वी.ए.) 11/6.6 के.वी. ट्रान्सफॉर्मर आग लगने के कारण (जुलाई 2008) क्षतिग्रस्त हो गया था। परिणामस्वरूप उत्पादन दुकानों, देख-रेख करने वाले अनुभागों, मुख्य प्रशासनिक इमारत एवं अन्य स्थापनाओं को बिजली-आपूर्ति देने के लिये 6.6 के.वी. संभरक का इस्तेमाल करना पड़ा।

बिजली से लगी आग के कारणों एवं परिस्थितियों की जांच करने के लिये आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा एक जांच बोर्ड बनाई गई (जुलाई 2008) जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया (सितम्बर 2008) कि 11 के.वी. एवं 6.6 के.वी. आपूर्ति पद्धति के बीच कोई अंतः पाशन सुविधा ना उपस्थित होने के कारण आग लगी एवं परिणामस्वरूप 'अनुपयुक्त स्विचिंग' से इंकार नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से 'भारी फ्लैशओवर तथा अग्निकाण्ड की स्थिति' उत्पन्न हुई।

फरवरी/मार्च 1994 में सुरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान बोर्ड के संयुक्त निदेशक/इंजीनियरिंग सेवाएं द्वारा यह दर्शाया गया था कि भारतीय बिजली नियमों के अंतर्गत आवश्यक 6.6 के.वी एवं 11 के.वी. आपूर्ति के बीच कोई भी अंतः पाशन सुविधा उपलब्ध नहीं थी, 14 वर्षों के समाप्त होने के बाद भी सही त्रुटि को बताने के लिये आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं ली गई और इसके लिये कोई कारण भी रिकार्ड नहीं किया गया था। हमने यह देखा कि सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर शीर्ष फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा यह अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

हमने इसके आगे देखा कि 6.6 के.वी. संभरक के दो 3 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर्स 1986 एवं 1990 में उनकी कार्यशील आयु समाप्त हो चुकी थी। करीब-करीब दो दशकों के समाप्त होने के बाद भी उन्हें प्रतिस्थापित करने के लिये कोई भी कार्रवाई करने में आयुध फैक्ट्री कानपुर असफल रही। अग्निकाण्ड दुर्घटना के बाद ही अगस्त 2008 में आयुध फैक्ट्री कानपुर ने दो पुराने ट्रांसफार्मरों को प्रतिस्थापन करने की कार्रवाई की एवं अप्रैल 2009 में बोर्ड के संस्वीकृति को प्राप्त किया। फिर आयुध फैक्ट्री कानपुर ने अतिरिक्त समय लिया एवं रक्षा आधिप्राप्ति नियम-पुस्तक, 2005 के पैराग्राफ 14 का उल्लंघन करते हुए करीब-करीब एक वर्ष बाद फरवरी 2010 में दो ट्रांसफार्मरों के आपूर्ति एवं स्थापना के बाद एक निजी फर्म को एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया, जबकि रक्षा आधिप्राप्ति नियम-पुस्तक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की तिथि से 22 हफ्तों के भीतर आपूर्ति आदेश को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। नये ट्रांसफार्मरों की स्थापना जनवरी 2011 में हुई तथा पुराने 6.6 के.वी प्रदाता को मार्च 2011 में के.ई.एस.सी.ओ. को सौंप दिया गया।

आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा भारतीय बिजली नियमों के अंतर्गत बिजली के आपूर्ति के लिये बने दो संभरकों के बीच अंतः पाशन के आवश्यकता के अनुपालन करने के साथ-साथ 6.6 के.वी. प्रदाता को सौंपने में अनियमित विलंब के परिणामस्वरूप मई 2009 से फरवरी 2011 के दौरान मांग दरें²¹⁹ तथा उच्च बिजली दरों के लिये ₹3.66 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का वहन आयुध फैक्ट्री कानपुर को करना पड़ा।

²¹⁹ खपत किये गये बिजली के वास्तविक इकाई के संदर्भ के साथ जो दर भिन्न होते हैं उन्हें बिजली दर कहा जाता है जबकि मांग दरें निर्धारित होती हैं जो कि बिजली के मांग संविदा के संदर्भ के साथ अनिवार्य होता है।

लेखा परीक्षा जांच-पड़ताल (फरवरी 2014) के प्रत्युत्तर में परिहार्य दरों के रूप में ₹3.66 करोड़ के भुगतान को स्वीकार करते हुये (अप्रैल 2014) आयुध फैक्ट्री कानपुर ने यह कहा कि 132/33 के.वी. पद्धति को सशक्त करके उन्होंने कम से कम ₹8.68 करोड़ बचाया है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रतिवर्ष ₹2.22 करोड़ बचत एवं बिजली की आपूर्ति में अधिक विश्वसनीयता पाने के लिये एक नया सब-स्टेशन स्वीकृत किया गया था एवं 132/33 के.वी. प्रदाता को सशक्त करके ₹8.68 करोड़ के बचत के विरुद्ध 6.6 के.वी. संभरक को समाप्त नहीं किया जा सकता एवं सुपुर्दगी में विलंब के कारण ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इस पर भी उत्तर मौन था कि क्यों फरवरी/मार्च 1994 में सुरक्षा लेखापरीक्षा के दौरान उनकी नजर में लाने के बावजूद भी अंतः पाशन पद्धति में त्रुटि को सही करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस विषय को मंत्रालय को जून 2014 में संदर्भित कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

8.15 लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूली की कार्रवाई

लेखापरीक्षा की आपत्ति पर सात आयुध फैक्ट्रियों ने ₹ 2.18 करोड़ की वसूली की।

लेखापरीक्षा के कार्य को करने के दौरान (फरवरी 2011 से जनवरी 2013) हमने अतिरिक्त भुगतानों के दृष्टांतों, अनियमित भुगतान, दरों की कम/न वसूली करने आदि को देखा। फैक्ट्रियों ने परिशिष्ट - XXVII में दिये गये विस्तृत सूचना के अनुसार ₹ 2.18 करोड़ की वसूली की।

इस विषय को मंत्रालय को अगस्त 2014 में संदर्भित कर दिया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2014)।

अध्याय IX: रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

9.1 एस यू 30 एम के आई एयरक्राफ्ट का लाइसेंस उत्पादन

9.1.1 प्रस्तावना


9.1.1.1 कम्पनी का पार्श्वचित्र

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल), रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कम्पनी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एयरो इंजन, एवियोनिक्स तथा जहाजरानी प्रणाली उपकरण और मिलिट्री तथा सिविल अनुप्रयोग दोनों हेतु समुद्री एवं औद्योगिक गैस टर्बाइन इंजनों की डिजाइन, विकास, विनिर्माण, उन्नयन, मरम्मत तथा ओवरहॉल करती है।

9.1.1.2 संगठनात्मक ढांचा

एच.ए.एल का प्रबंधन निदेशक बोर्ड जिसकी अध्यक्षता चैयरमैन करता है, में निहित है, और जिसकी सहायत करणकारी निदेशकों (आठ), सरकारी निदेशकों (दो) तथा स्वतन्त्र निदेशकों (चार) करते हैं, जैसा नीचे चार्ट 20 में ब्यौरा दिया गया है :

चार्ट 20




कम्पनी की पांच परिसरों²²⁰ के अंतर्गत 20 उत्पादन इकाईयां हैं। डिजाइन परिसर की अध्यक्षता एक निदेशक (डिजाइन एवं विकास) द्वारा की जाती है जबकि अन्य परिसर प्रबंध निदेशक के अधीन हैं। कम्पनी में विभिन्न स्थानों पर स्थित 10 अन्य अनुसंधान तथा डिजाइन केन्द्र भी हैं।

²²⁰ बंगलौर परिसर, डिजाइन परिसर तथा हेलीकॉप्टर परिसर सभी बंगलौर में, एमआईजी परिसर नासिक में और उपकरण परिसर लखनऊ में स्थित

एस यू 30 एयरक्राफ्ट का विनिर्माण एच ए एल के पांच प्रभागों में किया जाता है जो नासिक के एम आई जी परिसर तथा लखनऊ के उपकरण परिसर के अधीन हैं जैसा नीचे चार्ट 21 में दर्शाया गया है:

चार्ट 21



9.1.1.3 पूर्व लेखापरीक्षा व्याप्ति

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) से सम्बंधित निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन (2006 की सं. 4) में पहले से लाइसेंस फीस का भुगतान यद्यपि विनिर्माण 14 वर्षों में आरम्भ होना था, अंग्रेजी में तकनीकी दस्तावेजों की आपूर्ति का प्रावधान न होने के कारण अनुवाद पर अतिरिक्त व्यय, कुल तकनीकी जीवन और ओवरहॉल के समय के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रावधान न होना, एचएएल के साथ करारों में वारंटी खण्ड की शर्तों तथा निबन्धों को अन्तिम न किया जाना, इंजीनियरी सहायता पैकेज का प्रावधान न करना, स्वदेशी विनिर्माण की लागत प्रभावकारिता, लागत वृद्धि जोखिम का प्रभाव, सम्पीडित सुपुर्दगी अनुसूची और मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत सुविधाओं में पीछे रहना, के बारे उल्लेख किया गया। रक्षा मंत्रालय ने मई 2011 में 2006 के प्रतिवेदन सं.4 में आपत्तियों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी भेजी।

परियोजना के आकार /परिमाण और सामरिक महत्व, एयरक्राफ्ट के लाइसेंस विनिर्माण में धीमी प्रगति, एयरक्राफ्ट के उत्पादन में लिफ्ट इकाईयों की बहुलता और विभिन्न कारणों के कारण एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी में विलम्ब के मद्देनजर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति पर एक अध्ययन करने का प्रस्ताव किया गया था।

9.1.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्न पर विशेष बल के साथ ठेकागत प्रावधानों के अनुपालन और उनके निष्पादन की जाँच करना था:

- प्रौद्योगिक का हस्तान्तरण और स्वदेशीकरण की प्रगति समय पर और पर्याप्त थी,
- समावेशन के स्तर की सफलता के परिणामस्वरूप मिली-

- (अ) स्वेदशीकरण योजनाओं की सफलता
- (ब) गुणता एयरक्राफ्ट की यथासमय डिलिवरी
- विविध क्रियाकलापों हेतु संरचना को बनाना तथा उसका उपयोग जब कभी भी आवश्यक हो सुनिश्चित किया गया।

9.1.1.5 लेखापरीक्षा कसौटियाँ

निम्नलिखित कसौटियों के तहत परियोजना का निष्पादन आकलित किया गया

- परियोजना की संस्वीकृति
- भारत सरकार तथा रूसी सरकार के बीच अन्तर सरकारी अनुबन्ध, आरओई तथा एचएएल के बीच सामान्य करार
- 140 एसयू-30 एम के आई एयरक्राफ्ट, इंजन एवं हवाई उपकरण के लाइसेंसशुदा उत्पादन हेतु एच ए एल और आर ओ ई के बीच अनुपूरक समझौते,
- रक्षा मंत्रालय की मॉनीटरिंग /संचालन/समीक्षा समितियों की कार्यवाहियाँ,
- संबंधित प्रभागों की उत्पादन योजनाएं,
- बोर्ड, प्रबन्धन समिति, लेखापरीक्षा समिति तथा खरीद समिति के एम आईएस, कार्यवाहियाँ, और
- पूर्तिकारों तथा ग्राहकों से प्रतिपुष्टि

9.1.1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

13 अगस्त 2013 को प्रबन्धन के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस आयोजित करने के बाद लेखापरीक्षा आरम्भ की गई जहाँ लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्यों तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। इसके बाद पांच²²¹ प्रभागों के अभिलेखों की समीक्षा, आकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण, सभी अनुपूरक अनुबन्धों सहित, सभी तीन करारों में उत्पादन, गुणवत्ता, आपूर्तियाँ तथा अनुरक्षण विषयों से सम्बन्धित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए प्राथमिक आपातियों को जारी करना, किया गया। प्रचालनों की प्रकिया, बाधाओं और उनके मूल कारणों की जानकारी लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रबन्धन के साथ चर्चाएं की गई। प्रबन्धन को 30 अक्टूबर 2013 को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की गई। प्रबन्धन से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2014) रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल किए गए हैं। एचएएल के शीर्ष प्रबन्धन के साथ 20 फरवरी 2014 एक्जिट कान्फ्रेंस के साथ लेखापरीक्षा का समापन किया गया जिसके दौरान मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं लेखा परीक्षा सुझावों पर चर्चा हुई। एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान प्रबन्धन द्वारा दिए गए अतिरिक्त इनपुट को ध्यान में रखकर रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया है।

9.1.1.7 आभार

अभिलेखों तथा सूचना, मुद्दों के प्रस्तुतीकरण और उत्तर भेजने में सभी स्तरों पर प्रबन्धन द्वारा दिए गए सहयोग का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

9.1.1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उद्देश्य के अनुरूप लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित अध्यायों में विस्तृत हैं जैसा नीचे तालिका 61 में ब्यौरा दिया गया है:

²²¹ एयरक्राफ्ट प्रभाग, नासिक, इंजन प्रभाग कोरापुट, एक्सेसरी प्रभाग, लखनऊ तथा एवियोनिक्स प्रभाग कोरवा तथा हैदराबाद

तालिका 61

9.1.3	प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण
9.1.4	गुणता एयरक्राफ्ट की सामयिक सुपुर्दगी
9.1.5	अवसंरचना की स्थापना

9.1.2 पृष्ठ भूमि

9.1.2.1 एयरक्राफ्ट के लाइसेंस उत्पादन की संस्वीकृति

सुरक्षा की केबिनेट समिति के विचार हेतु नोट के अनुसार (सितम्बर 2000) भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के संघर्ष बल का स्तर 2000 से 2010 तक की अवधि के दौरान मिग 21 एयरक्राफ्ट को बाहर किए जाने की सम्भवना के कारण पर्याप्त रूप से कम होने की प्रत्याशा थी। उनके स्थानापन्न के लिए आठ एसयू -30²²² के वायुरक्षा एयरक्राफ्ट और 32 उन्नत एसयू 30 एम के²²³ बह-भूमिका एयरक्राफ्ट की आपूर्ति हेतु आईएएफ ने रूसी सरकार के साथ एक करार किया (नवम्बर 1996)। दिसम्बर 1998 में आईएएफ ने 10 और एसयू-30 एमके एयरक्राफ्ट का खरीद आदेश दिया।

40 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति हेतु मूल करार में परिकल्पित था कि चयनित नवीनतम पश्चिमी, रूसी तथा स्वदेशी वैमानिकी के साथ रूसी एसयू 30 एमके एयरक्राफ्ट का संघटन करके एसयू 30 एमके एयरक्राफ्ट का विकास तथा रोसोबोर्न एक्सपोर्ट (आरओई) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण (टीओटी) अनुबन्ध के अन्तर्गत नामित वैमानिकी उद्योग के माध्यम से उनका स्वदेशी उत्पादन हेतु लाइसेंस विनिर्माण होगा।

मूल करार में टीओटी अनुबन्ध के अन्तर्गत स्वदेशी उत्पादन हेतु प्रावधान के अनुसार 140 एयरक्राफ्ट, 920 एएल-31 एफपी इंजन और एयरक्राफ्ट के जीवनकाल उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 140 सेट वायुवाहित उपकरणों के उत्पादन हेतु भारत को लाइसेंस तथा तकनीकी दस्तावेजीकरण के हस्तान्तरण हेतु रूसी संघ तथा भारत गणराज्य के बीच एक अन्तर सरकारी अनुबन्ध (अक्टूबर 2000) (आईजीए) किया गया। आईजीए और केबिनेट सुरक्षा समिति (सीसीएस) के अनुमोदन (दिसम्बर 2000) के अनुसार हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और आरओई, रूसी एर्जेसी के साथ एक सामान्य करार (जीसी) किया गया। रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने (जनवरी 2001) चार चरणों में 140 एयरक्राफ्ट के विनिर्माण की संस्वीकृति सूचित की जैसा नीचे तालिका 62 में दिया गया है,

तालिका-62

चरण-I	उड़ान परीक्षण (एफटीएस) में प्रणाली जांच, भूतल तथा उड़ान परीक्षण और अन्तिम सज्जा (पूर्णतया आयातित) बाद सुपुर्दगी।
चरण-II	एयरक्राफ्ट के प्रमुख संयोजनों का अन्तिम संयोजन और साज सज्जा साथ ही उपर्युक्त चरण कार्यकलाप (एचएएल द्वारा प्रमुख संयोजनों का अन्तिम संयोजन)
चरण-III	इस चरण से आरम्भ करने के लिए कच्ची सामग्री भागीदारी। फ्यूजलाज जो आयात किया जाना था, को छोड़कर, सभी संघटकों तथा संयोजनों को प्रभाग में विनिर्माण किया जाना था साथ ही उपर्युक्त चरण कार्यकलाप (केवल फ्यूजलाज को आयात किया जाता था और शेष सभी का एचएएल द्वारा विनिर्माण किया जाना था)।
चरण-IV	कच्ची सामग्री से एयरफ्रेम का विनिर्माण एवं उपर्युक्त कार्यकलाप (पूर्ण स्वदेशी)

²²² मूल एसयू 30 का एसयू 30- वाणिज्यिक (निर्यात) रूमान्तर

²²³ सूखॉय एम के - सूखॉय 30 एम का वाणिज्यिक रूमांतर 1993 में उद्घाटित किया गया। निर्यात रूमांतरों में एच ए एल द्वारा उत्पादित संचालन एवं संचार उपकरण सम्मिलित हैं।

कुल लागत ₹ 22,122.78 करोड़ थी और सुपुर्दगी 2004-05 से 2017-18 के बीच की जानी थी। करार करने की आसानी के लिए आपूर्ति को अतिव्याप्त समय अवधियों की अतिव्याप्ति के साथ चार ब्लाकों में बाँटा गया। ब्यौरा तालिका 63 में दिया गया है।

दिसम्बर 2000 से 45 माह के अन्दर एचएएल को आरओई द्वारा हस्तान्तरित किए जाने वाले लाइसेंस तकनीकी दस्तावेजीकरण कुछ अपवादों²²⁴ के साथ एयरक्राफ्ट, इंजनों, वायुवाहित उपकरणों के उत्पादन, परीक्षण तथा संचालन के लिए एचएएल को पूर्ण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए था।

9.1.2.2 डीपीआर की तैयारी

अवसंरचना और अमानक उपकरणों (एनएसई) तथा अलंकरणों की आवश्यकता और श्रम घंटा मात्रा के ब्यौरे देकर परियोजना रिपोर्ट के तकनीकी भाग (टीपीपी) को तैयार करने के लिए आरओई के साथ एचएएल ने एक अनुपूरक अनुबन्ध(एसए) किया (मई 2001)। रूसी टीम से एचएएल द्वारा टीपीपी अक्टूबर/नवम्बर 2001 में प्राप्त किया गया।

टीपीपी में आरओई द्वारा भेजे गए इनपुट के आधार पर प्रभागवार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई। एचएएल के बोर्ड ने संकलित डीपीआर अनुमोदित किया (फरवरी 2002)।

जैसा सामान्य करार में प्रावधान किया गया एचएएल ने आपूर्तियों जैसे लाइसेंस दस्तावेज, विनिर्माण करने हेतु अपेक्षित एयरक्राफ्ट किटस आदि के स्वरूप, मात्रा तथा समय का विशेष उल्लेख कर समय-समय पर आरओई के साथ अनेक अनुपूरक अनुबन्ध (एसए) किए।

9.1.2.3 सुपुर्दगी अनुसूची का सम्पीडन

रक्षा मंत्रालय ने ब्लाक I में 34 एयरक्राफ्ट, जिसमें चरण I से 3 एयरक्राफ्ट, चरण-II से 5 एयरक्राफ्ट, चरण-III से 18 एयरक्राफ्ट और चरण IV से 8 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए, की आपूर्ति हेतु एचएएल के साथ एक करार किया (दिसम्बर 2003)। मार्च 2006, जिस समय तक ब्लाक I करार के अन्तर्गत देय आठ एयरक्राफ्ट (चरण-I से सम्बन्धित तीन (पूर्णतया आयातित) और चरण II से सम्बन्धित पांच (एचएएल) द्वारा प्रमुख संयोजनों का किया गया अन्तिम संयोजन) सुपुर्द कर दिए गए थे, में रक्षा मंत्रालय ने 2017-18 जैसा कि आरम्भ में सहमति हुई थी, के स्थान पर 2014-15 तक सभी 140 एयरक्राफ्ट की पूर्ण सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए सुपुर्दगी अनुसूची को नीचे तालिका 63 के अनुसार चरण वार संघटन के परिवर्तन द्वारा सम्पीडित किया गया:

तालिका-63

ब्लाक सं.	सुपुर्दगी का वर्ष	मूल					सम्पीडित				
		चरण					चरण				
		I	II	III	IV	जोड़	I	II	III	IV	जोड़
I	2004-05	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
	2005-06	1	5	0	0	6	1	5	0	0	6
	2006-07	0	0	8	0	8	4	5	4	0	13
	2007-08	0	0	6	2	8	0	7	6	0	13
	2008-09	0	0	4	6	10					
	जोड़	3	5	18	8	34	7	17	10	0	34

²²⁴ तीसरे देश/भारतीय मूल के उपकरण, युद्ध सामग्री प्रयोजन वस्तुएं, सामान्य उपयोग की सामग्री, रूसी उपकरण, जिनके लिए करार नवम्बर 1996 के बाद हस्ताक्षर किए गए थे अथवा हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, अनुबन्ध में संलग्न सूची में उपकरण, कच्ची सामग्री, अर्द्ध तैयार उपकरण तथा उपभोज्य

ब्लाक सं.	सुपुर्दगी का वर्ष	मूल					सम्पीडित				
		चरण					चरण				
II	2008-09						0	7	8	0	15
	2009-10	0	0	0	10	10	0	3	8	4	15
	2010-11	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	2011-12	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	जोड़	0	0	0	34	34	0	10	16	4	30
III	2010-11	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16
	2011-12	0	0	0	0	0	0	0	4	12	16
	2012-13	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	2013-14	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	2014-15	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	जोड़	0	0	0	36	36	0	0	12	20	32
IV	2012-13	0	0	0	0	0	0	0	4	12	16
	2013-14	0	0	0	0	0	0	0	4	12	16
	2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
	2015-16	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	2016-17	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	2017-18	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0
	जोड़	0	0	0	36	36	0	0	8	36	44
कुल जोड़	3	5	18	114	140	7	27	46	60	140	

तदनुसार रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2006 में ब्लाक I का करार संशोधित करने के अलावा दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2009 में क्रमशः ब्लॉक II (30 एयरक्राफ्ट) ब्लॉक III (32 एयरक्राफ्ट) तथा ब्लाक IV (44 एयरक्राफ्ट) के लिए करार किए। सुपुर्दगी अनुसूची के सम्पीड़न के कारण, पूर्ण आयातित एयरक्राफ्ट की संख्या (चरण I तथा चरण II) 26 तक (8 से 34 तक) बढ़ गई जबकि पूर्ण स्वदेशी एयरक्राफ्ट की संख्या (चरण IV) 54 (114 से 60 तक) तक कम हो गई।

एयरक्राफ्ट की आपूर्ति हेतु करारों के अनुसार एचएएल को करार हस्ताक्षर करने, विनिर्माण की आपूर्ति हेतु करारों के अनुसार संयोजन आरम्भ करने जैसे उपलब्धियों की प्राप्ति के आधार पर रक्षा मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होना था। तदनुसार रक्षा मंत्रालय ने सभी ब्लाक करारों (140 एयरक्राफ्ट के लिए) साथ ही अतिरिक्त 40 तथा 42 एयरक्राफ्टों (देखें तालिका-63) के करारों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2013 तक एचएएल को ₹ 41,928.18 करोड़ की राशि के भुगतान जारी किए।

9.1.2.4 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का संशोधन न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 (जीएफआर) के अनुरूप तैयार कार्यों की खरीद की नीतियों तथा कार्यविधियों की नियम पुस्तक कहती है कि यदि परियोजना लागत के संस्वीकृत लागत के 10 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ जाने की सम्भावना हो, जो कार्य के क्षेत्र, डिजाइन, सामग्री/श्रम लागत, अधिक समय आदि में परिवर्तन जैसे अन्तर के विभिन्न सम्भावित कारण से हों तो एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

जनवरी 2001 में निर्धारित चरण वार संयोजन के मार्च 2006 में परिवर्तन के कारण आयात मात्रा बढ़ गयी और एचएएल की भागीदारी घट गई। सुपुर्दगियों के सम्पीड़न ने भी समय-समय पर प्रौद्योगिकी के

अवशोषण की मात्रा को कम कर दिया और 79 प्रतिशत की वृद्धि से परियोजना लागत रु 22,122.78 करोड़ से रु 39,605.95 करोड़ संशोधित हो गई परियोजना के क्षेत्र, कुल परियोजना लागत, सुपुर्दगी अनुसूची और प्रौद्योगिकी के अवशोषण में परिवर्तनों ने डीपीआर के संशोधन की मांग की। तथापि डीपीआर संशोधित नहीं की गई।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2014) कि डीपीआर परियोजना में कुल निवेश को ध्यान में रखकर और पूंजी में निवेश तथा डीआरई की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि डीपीआर संशोधित नहीं की गई थी क्योंकि सम्पीडित सुपुर्दगी पर्याप्त प्रभाव नहीं रखती थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूंकि डीपीआर टीपीपी में आरओई द्वारा भेजे गए इनपुट के आधार पर तैयार की गई थी और सुपुर्दगी अनुसूची के कारण चरण वार सुपुर्दगी में परिवर्तनों ने स्वदेशी संघटक में अनुकूल कमी और 79 प्रतिशत तक परियोजना लागत में वृद्धि के साथ आयात संघटक में वृद्धि की जिससे संशोधित डीपीआर तैयार करने की आवश्यकता हुई।

9.1.2.5 एयरक्राफ्ट के लिए करार

जबकि रक्षा मंत्रालय के साथ एचएएल द्वारा किए गए मुख्य करार (दिसम्बर 2000) का निष्पादन जारी था वही रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके साथ दो और करार- एक मार्च 2007 में और दूसरा दिसम्बर 2012 में किए गए जैसा नीचे तालिका 64 में विस्तृत है:

तालिका-64

करार संदर्भ	करार हस्ताक्षर करने की तारीख	एयरक्राफ्ट की सं.	मूल सुपुर्दगी अनुसूची	मूल राशि (₹ करोड़ में)	संशोधित सुपुर्दगी अनुसूची	संशोधित राशि (₹ करोड़ में)
I करार	मार्च 2006 (संशोधित ब्लाक I तथा ब्लाक II) दिसम्बर 2007 (ब्लाक III) फरवरी 2009 (ब्लाक IV)	140	2004-05 से 2017-18	22,122.78	2004-05 से 2014-15	39,605.95
II करार	मार्च 2007	40	2008-09 से 2010-11	9,036.84	2008-09 से 2011-12	9,479.69
III करार	दिसम्बर 2012	42	2012-13 से 2016-17	16,147.28	-	16,147.28
जोड़		222		47,306.90		65,232.92

जबकि 140 एयरक्राफ्ट चार चरणों में आपूर्ति किए जाने थे जैसा पैरा 9.1.2.3 में ब्यौरा दिया गया है वहीं 40 तथा 42 एयरक्राफ्ट तीन चरणों (चरण I (16 एयरक्राफ्ट), चरण I²²⁵ (20 एयरक्राफ्ट) और चरण II (4 एयरक्राफ्ट) तथा चार चरण (चरण I (10 एयरक्राफ्ट), चरण II (4 एयरक्राफ्ट), चरण III (4 एयरक्राफ्ट) तथा चरण IV (24 एयरक्राफ्ट) क्रमशः में आपूर्ति किए जाने थे।

9.1.3 प्रौद्योगिकी का हस्तान्तर

लेखापरीक्षा उद्देश्य: क्या ठेकागत प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण और स्वदेशीकरण की प्रगति समय पर थी।

²²⁵ एयरक्राफ्ट का जमीनी परीक्षण, उडान परीक्षण तथा पेंट एचएएल को सुपुर्दगी पूर्व रूस में किए गए।

9.1.3.1 प्रस्तावना

अन्तर सरकारी अनुबन्ध में यह प्रावधान था कि एयरक्राफ्ट, इंजनों तथा वायुवाहित उपकरणों के उत्पादन, परीक्षण तथा प्रचालन करने के लिए भारतीय पक्ष की पूर्ण क्षमता सुनिश्चित हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत को प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण समय पर हुआ था, लेखापरीक्षा में एचएएल द्वारा प्रौद्योगिकी की प्राप्ति के प्रबन्धों की समीक्षा की गई जिसे एचएएल को विनिर्माण, मरम्मत तथा ओवरहाल में उपयोग करना था। अवलोकन नीचे विस्तृत है:

9.1.3.2 डिजाइन से सम्बन्धित दस्तावेजों के हस्तान्तरण में विलम्ब

सामान्य करार²²⁶ में दिसम्बर 2000 से 45 माह के अन्दर लाइसेंस तकनीकी दस्तावेजीकरण (एलटीडी), डिजाइन दस्तावेजीकरण तथा तकनीकी उपकरण साधन (डीडीटीईएम), औजार और गैर मानक उपकरण, परिक्षण बैन्चें, भूतल प्रहस्तन उपकरण आदि को हस्तान्तरण की परिकल्पना की गई। जैसी सामान्य करार में अपेक्षा की गई एचएएल ने कथित मदों की अधिप्राप्ति हेतु आरओई के साथ पूरक अनुबन्ध (एसए) किए (मई 2001, सितम्बर 2002 तथा नवम्बर 2002)। तथापि आरओई ने सहमत अनुसूची के अनुसार इन मदों की आपूर्ति नहीं की जैसा नीचे तालिका-65 में तालिकाबद्ध किया गया।

तालिका-65

क्र.सं.	कार्यकलाप /चरण	मूल योजना	वास्तविक	औसत विलम्ब (माह)	विलम्ब के कारण
1	लाइसेंस तकनीकी दस्तावेजीकरण एलटीडी की प्राप्ति (क) आरेखणों के संशोधन की प्राप्ति (ख) प्रौद्योगिकियों के संशोधन की प्राप्ति	I तिमाही 2002 से III तिमाही 2004	II तिमाही 2002 से I तिमाही 2007	30	आरेखणों तथा प्रौद्योगिकियों का विलम्बित निर्गम, आरेखणों में 26140 संशोधन और आरओई द्वारा प्रौद्योगिकियों में 1174 संशोधन, आरओई द्वारा पहले ही विनिर्मित/ निर्मित संघटकों/ संयोजनों की अस्वीकृति/दोबारा कार्य
2	डीडीटीईएम (औजार ड्राइंग) भेजी जानी। आरओई से करारों/एसए का प्रस्ताव और आरओई द्वारा अनुकूल सुपुर्दगी औजारड्राइंग तथा दोबारा कार्य को संशोधन	II तिमाही 2002 से I तिमाही 2004	II तिमाही 2003 से II तिमाही 2004	12	स्वदेशी औजार विनिर्माण का विलम्बित आरम्भ परिणामस्वरूप उत्पादन के दौरान रोक/ विलम्ब, एचएएल को उत्पादन औजार की अनुपलब्धता
3	रूसी औजार/एनएसई करार का समापन/हस्ताक्षरित करार के प्रति आपूर्तियां (डीएण्डडी) चरण में विलम्ब के कारण)	2004	2006	24	संयोजन जिग की आपूर्ति में विलम्ब, प्रतिष्ठापन के दौरान मोकअप के साथ संयोजन जिग का समन्वय न होना, उत्पादन औजार का दोबारा कार्य, प्रौद्योगिकी संशोधनों के कारण टूलिंग का पुनः कार्य, उत्पादन लाइन के स्थिरीकरण में विलम्ब

²²⁶ सं. पीबी/835611233630 दिनांक 28 दिसम्बर 2000

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि दस्तावेज जो 2002 की पहली तिमाही से 2004 के बीच प्राप्त किए जाने थे, 3 से 36 माह के विलम्ब के बाद 2002 की II तिमाही से 2007 की I तिमाही के बीच प्राप्त हुए थे। इसने स्वदेशी कारण की प्रगति को प्रभावित किया और एचएएल को सुपुर्दगी अनुसूची को पूरा करने के लिए बाह्यस्रोत का सहारा लेना पड़ा।

संपीड़ित सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार चरण II के अन्तर्गत 17 एयरक्राफ्ट तथा चरण III के अन्तर्गत 10 एयरक्राफ्ट 2005-06 तथा 2007-08 के बीच आईएएफ को सुपुर्द किए जाने थे। प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में विलम्ब के कारण एचएएल में अपने कार्य हिस्से को कम करने का सहारा लिया को रु 115.17 करोड़ के पूरक अनुबन्धों के समापन (अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006, सितम्बर 2007 तथा अक्टूबर 2008) द्वारा आरओई को 11 एयरक्राफ्ट चरण II तथा नौ एयरक्राफ्ट चरण III के संबंध में। ₹ 115.17 करोड़ के प्रति एचएएल को करार के अनुसार 20 एयरक्राफ्ट के लिये केवल ₹ 91.51 करोड़ प्राप्त होने थे। अनुबन्ध वार खरीद लागत और रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राशि के ब्यौरे नीचे तालिका-66 में दिए गए हैं

तालिका-66

क्र.सं.	चरण	अनुबन्ध तारिख	एयरक्राफ्ट की सं.	रक्षा मंत्रालय से प्राप्त राशि	खरीद लागत	अतिरिक्त व्यय
					(₹ करोड़ में)	
1)	III	27/10/2005	4	17.89	28.72	10.83
2)	II	23/10/2006	4	5.68	10.91	5.23
3)	II	27/9/2007	4	6.60	9.97	3.37
4)	II	2/10/2008	3	5.34	9.73	4.39
5)	III	2/10/2008	3	32.58	30.65	-1.93
6)	III	7/10/2008	2	23.42	25.19	1.77
		योग	20	91.51	115.17	23.66

जैसा तालिका-66 से देखा जा सकता है कि आरओई को 20 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के बाह्यस्रोत के कारण एचएएल को ₹ 23.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

आगे चरण III में 42 एयरक्राफ्ट तथा चरण IV में 36 एयरक्राफ्ट जो 2012-13 (जैसा तालिका-63 में उल्लेख किया गया) तक विनिर्मित किए जाने थे, के प्रति एचएएल ने 2012-13 तक चरण III में 37 एयरक्राफ्ट तथा चरण IV में आठ एयरक्राफ्ट ही विनिर्मित किए जो यह दर्शाता है कि स्वदेशीकरण की प्रगति वैसे नहीं हुई जैसा परिकल्पित था।

प्रबन्धन ने यह बताया (जनवरी 2014) कि अतिरिक्त व्यय ग्राहक को दी गई सुपुर्दगी की प्रतिबद्धता के कारण हुआ, जो 140 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के उत्पादन/सुपुर्दगी के लिए अनपेक्षित व्यय के रूप में उपलब्ध आकस्मिक प्रावधान के द्वारा किया गया।

इस उत्तर ने मुख्य लेखापरीक्षा मुद्दे को सम्बोधित नहीं किया कि आरआई द्वारा दस्तावेजों के हस्तान्तरण में विलम्ब के कारण स्वदेशी कार्य मात्रा को कम करने का एचएएल को सहारा लेना पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप एचएएल को ₹ 23.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

9.1.3.3 इंजनों के विनिर्माण की प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण में विलम्ब

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कोरापुट स्थित एचएएल के इंजन प्रभाग में पांच चरणों में इंजनों का उत्पादन परिकल्पित किया गया जैसा नीचे तालिका-67 में ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका-67

चरण I	पुनःपरीक्षण तथा सुपुर्दगी हेतु रूस से पूर्णतया परीक्षित इंजनों की प्राप्ति (पूर्णतः आयातित)
चरण II	प्रथम परीक्षण, विखण्डन, दोष विश्लेषण, पुनः कार्य, संयोजन तथा उपर्युक्त चरण के अन्तर्गत कार्य के बाद इंजन की प्राप्ति
चरण III	खोलना, स्वीकृति परीक्षण हेतु संयोजन इकाइयों तथा इंजन का संयोजन खोलना, दोष खोज और स्वीकृति परीक्षण हेतु संयोजन तथा स्वीकृति परीक्षण करना।
चरण IV	पुर्जों का विनिर्माण, इकाइयों, इंजन की उपइकाइयों और मापाकों का संयोजन तथा परीक्षण तथा चरण III के अन्तर्गत कार्य
चरण V	ब्लॉक का विनिर्माण (गढाई तथा ढलाई) और चरण IV के अन्तर्गत कार्य (पूर्णतया देशीकृत)

जबकि एयरक्राफ्ट चार चरणों में आपूर्त किए जाने थे वहीं इंजन पांच चरणों में आपूर्त/विनिर्मित किए जाने थे। प्रत्येक चरण में इंजनों की संख्या एयरक्राफ्ट की आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुबद्ध सम्पीडित सुपुर्दगी अनुसूची को ध्यान में रखकर अन्तिम की गई थी जैसा तालिका-63 में स्पष्ट किया गया।

कोरापुट प्रभाग को चरण II और उसके बाद के एसयू-30 एमकेआई एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी हेतु इंजनों की आपूर्ति करनी थी। एचएएल को सभी तीन करारों से 222 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोरापुट प्रभाग में 410²²⁷ इंजनों का विनिर्माण करना था। आपूर्तियां 4 से 74 इंजनों के बीच प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्यों के साथ 2004-05 से 2016-17 तक के 13 वर्षों की अवधि में की जानी अपेक्षित थी जैसा नीचे तालिका- 68 में दिया गया है:

तालिका-68

विनिर्माण वर्ष	चरण					इंजन की संख्या
	I	II	III	IV	V	
2004-05	4	0	0	0	0	4
2005-06	2	16	0	0	0	18
2006-07	6	10	4	0	0	20
2007-08	11	14	12	0	0	37
2008-09	8	14	20	2	0	44
2009-10	4	7	14	12	2	39
2010-11	2	40	4	20	8	74
2011-12	6	0	2	10	20	38
2012-13	0	0	0	12	20	32
2013-14	0	0	8	4	28	40
2014-15	0	0	8	0	8	16
2015-16	0	0	24	0	0	24
2016-17	0	0	20	2	2	24
	43	101	116	62	88	410

²²⁷ सम्पीडित सुपुर्दगी के अनुरूप 140 एयरक्राफ्ट करार के लिए 266 इंजन, सम्पीडन के बाद ब्लॉक II तथा III जीएचई/जीएसई के लिए 5 तथा 47 इंजन, अतिरिक्त 40 एयरक्राफ्ट करार हेतु 28 इंजन, अतिरिक्त 42 एयरक्राफ्ट करार हेतु 64 इंजन

सामान्य करार तथा डीपीआर में अनुबद्ध किया गया कि सभी पांच चरणों के लाइसेंस तकनीकी दस्तावेजीकरण (एलटीडी), औजार तथा गैर मानक उपकरण एचएएल को आरओई द्वारा जनवरी 2012 तथा जुलाई 2007 के बीच आपूर्त किए जाने थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2013) से पता चला कि कोरापुट प्रभाग ने 2004-05 से 2006-07 के दौरान समय पर चरण I से III के लिए सभी एलटीडी प्राप्त किए। परन्तु चरण IV तथा V के लिए एलटीडी तथा अन्य मदों की प्राप्ति में 2 से 4 वर्षों का विलम्ब हुआ जैसा नीचे तालिका-69 में विस्तृत है:

तालिका-69

क्र. सं.	कार्यकलाप	सामान्य करार अनुसार अनुसूची	वास्तविक प्राप्ति	विलम्ब माह में	अभ्युक्तियां
1	इंजन विनिर्माण हेतु एलटीडी की प्राप्ति	III तिमाही 2004	I तिमाही 2007	30	निर्णायक मदों जैसे वेक्टर जेट नोजल (वीजेएन) हेतु प्रौद्योगिकी केवल मार्च 2007 में आपूर्त की गई, ब्लेड विनिर्माण प्रौद्योगिकी सीएनसी मार्ग के माध्यम से 2008-09 में आपूर्त की गई
2	औजारों एवं एनएसई हेतु डीडीटीईम की प्राप्ति	I तिमाही 2003	I तिमाही 2007	48	वीजेएन भाग विनिर्माण हेतु न्यूमो-थर्मो फर्नेस 2009-10 में प्राप्त हुई
3	औजारों एवं एनएसई की प्राप्ति	III तिमाही 2004	IV तिमाही 2006	24	

दस्तावेजों की प्राप्ति में विलम्ब के कारण चरण IV तथा V के उत्पादन कार्यक्रम में परिणामी विलम्ब हुआ जैसा नीचे तालिका-70 में विस्तृत है:

तालिका-70

चरण	इंजनो की संख्या	चरण विवरण	आरम्भ		अभ्युक्तियां
			अनुसूचित	वास्तविक	
IV	62	कच्ची सामग्री किटें (आयातित ढलाई तथा गढाई के साथ)	2008-09	2011-12	इंजन बनाने में तीन वर्षों (लगभग) का विलम्ब और लम्बा परीक्षण करना जो केवल मार्च 2011 में पूर्ण हुए थे और मानवित चैम्बर वैल्विंग (एमसीडब्ल्यू) उपकरणों का चालू न करना
V	88	कच्ची सामग्री किटें (आन्तरिक ढलाई तथा गढाई)	2009-10	अभी आरम्भ होना है	4 वर्षों का विलम्ब, वीजेएन तथा एमसीडब्ल्यू शामिल करने के लिए विस्तृत परीक्षण की योजना 2013-14 में बनाई गई

2004-05 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान चरण IV तथा V में आपूर्त/विनिर्मित इंजनों की संख्या के ब्यौरे नीचे तालिका 71 में दिए गए हैं:

तालिका-71

उत्पादन वर्ष	चरण					इंजनों की संख्या
	I	II	III	IV	V	
2004-05	4	0	0	0	0	4
2005-06	2	15	1	0	0	18
2006-07	8	10	2	0	0	20
2007-08	15	10	5	0	0	30
2008-09	0	19	18	0	0	37
2009-10	1	28	19	0	0	48
2010-11	8	19	8	0	0	35
2011-12	0	0	1	5	0	6
2013-14	0	6	0	7	0	13
योग	38	107	54	12	0	211

तालिका 68 से यह देखा जा सकता है कि 2004-05 से 2012-13 तक सुपुर्द किए जाने वाले 306 इंजनों के प्रति 106 इंजन चरण IV तथा V में सुपुर्द किए जाने थे। तथापि जैसा तालिका 71 से देखा जा सकता है 56 के प्रति केवल 12 इंजन चरण IV के अन्तर्गत एचएएल द्वारा विनिर्मित किए गए थे और चरण V के अन्तर्गत 50 इंजनों के प्रति कोई इंजन 2012-13 तक विनिर्मित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर-अक्तूबर 2013) से पता चला कि 2013-14 से अगले तीन वर्षों के लिए आईएएफ की एयरक्राफ्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचएएल (दिसम्बर 2012) ने चरण IV एयरक्राफ्ट में उपयोग हेतु चरण II की 20 इंजन किटों (₹ 27.81 करोड़ प्रत्येक की दर पर) और चरण III की 30 इंजन किटों (₹ 21.71 करोड़ प्रत्येक की दर पर) की खरीद की (पूर्णतया देशीकृत)। इंजनों में किटों के परिवर्तन हेतु एचएएल द्वारा किए गए व्यय को हिसाब में लेकर प्रति इंजन वास्तविक लागत ₹ 31.10 करोड़ थी। चूंकि रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत चरण IV एयरक्राफ्ट के लिए बजटीय उद्धरण में ₹ 24.19 करोड़ प्रति इंजन की लागत शामिल की गई इसलिए एचएएल को 50 इंजनों के लिए ₹ 345.50²²⁸ करोड़ की हानि उठानी होगी। इन इंजनों में से छः 2012-13 में चरण IV के अन्तर्गत तीन एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी में उपयोग किए गए थे।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि 50 इंजन किटें 140 एयरक्राफ्ट कार्यक्रम से विपथित इंजनों की भरपाई हेतु खरीदे गए थे, यद्यपि चरण IV/V से इंजनों की सुपुर्दगी की चरण IV/V में इंजनों के उत्पादन में कठिनाई के कारण ब्लाक III/IV के अन्तर्गत योजना बनाई गई थी परन्तु चरण II/III किटों से इंजनों की सुपुर्दगी का निर्णय आईएएफ को एयरक्राफ्ट सुपुर्दगी को अधिकतम करने के लिए लिया गया था। उन्होंने आगे बताया कि प्रभाग ने छः इंजनों की सुपुर्दगी पर ₹ 23.49 करोड़ का लाभ दर्ज किया था।

तथ्य यह है कि तकनीकी दस्तावेजीकरण की प्राप्ति में विलम्ब के कारण देशीकरण कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ा जैसी परिकल्पना की गई। परिणामतः एचएएल बाह्यस्रोत का सहारा लेने को बाध्य हुआ था परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ।

9.1.3.4 एचएएल द्वारा मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत सुविधाओं के सृजन हेतु आरओई द्वारा दस्तावेजीकरण की आपूर्ति

अन्तर सरकारी अनुबन्ध (अक्तूबर 2000) तथा सामान्य करार (दिसम्बर 2000) में बिना अतिरिक्त लाइसेंस फीस के एयरक्राफ्ट, उनके इंजन तथा वायुवाहित उपकरणों के लिए मरम्मत सुविधाओं की

²²⁸ ((31-10 (एचएएल को प्रति इंजन लागत) -(24.19 (रक्षा मंत्रालय को बजटीय उद्धरण))* 50 इंजन

स्थापना हेतु एचएएल को आरओई द्वारा तकनीकी सहायता देना अनुबद्ध किया गया। तकनीकी सहायता में उपकरण तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पूर्ण मरम्मत हेतु दिसम्बर 2000 से 12 माह के पहले प्रौद्योगिकी का हस्तान्तरण परिकल्पित किया गया।

एयरक्राफ्ट तथा इसके समूहों की मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत हेतु एचएएल ने आरओई के साथ एक अलग सामान्य करार (0204) पर हस्ताक्षर किए (सितम्बर 2005)। नवम्बर 2010/ फरवरी 2011 तक मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत हेतु तकनीकी दस्तावेजों और डिजाइन दस्तावेजीकरण तैयार तथा आपूर्त करने के लिए करार आरओई पर लागू किया गया। तथापि दस्तावेजीकरण की आपूर्ति में आरओई द्वारा विलम्ब किया गया था परिणामस्वरूप एचएएल द्वारा उसके लिए सुविधाएँ स्थापित करने में परिणामी विलम्ब हुआ (अनुबन्ध - XXVIII के तहत ब्यौरे)।

अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है:

- मरम्मत तकनीकी दस्तावेज (आरटीडी) और डिजाइन दस्तावेजीकरण तथा तकनीकी उपकरण साधन नवम्बर 2010 के विपरीत केवल दिसम्बर 2012 में प्राप्त हुए थे,
- तकनीकी उपकरण तथा औजार आंशिक रूप से प्राप्त हुए थे और
- मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत हेतु पुर्जे अभी पूर्णतया आपूर्त किये जाने थे।

9.1.3.5 मालसूची को रखना

जैसा पैरा 9.1.2.3 में उल्लेख किया गया कि चरण IV में देय एयरक्राफ्ट की संख्या 2009-10 में चार, 2010-11 में आठ और 2011-12 से 2014-15 तक प्रत्येक में 12 के वितरण के साथ 60 तक कम की गई थी। ब्लाक I करार (दिसम्बर 2003) की संशोधित सुपुर्दगी अनुसूची के अन्तर्गत चरण IV के अन्तर्गत कोई एयरक्राफ्ट शामिल नहीं किया गया था। किए गए करार (मार्च 2006) के ब्लाक II में 2009-10 के दौरान आईएएफ को चरण IV के अन्तर्गत चार एयरक्राफ्ट आपूर्त किए जाने थे।

नासिक प्रभाग में वर्तमान क्षमता (मई 2011) केवल आठ एयरक्राफ्ट वार्षिक उत्पादन की थी। चूंकि आईएएफ के साथ करार 2011-12 और बाद में 12 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की आपूर्ति के लिए था इसलिए उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता थी।

एयरक्राफ्ट के लिए मूल सुपुर्दगी अनुसूची और कुल उत्पादन चक्र समय 48 माह था जिसमें आरओई से कच्ची सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए 12 माह का अग्रता समय और विनिर्माण तथा सुपुर्दगी हेतु 36 माह का समय चक्र शामिल था। जनवरी 2008 में एचएएल ने चार एयरक्राफ्ट का विनिर्माण पूर्ण करने के लिए आपूर्तियों में कमी को पूरा करने के लिए और नवम्बर 2008 में दोबारा 20 एयरक्राफ्ट की किटों के लिए और फरवरी 2010 में 36 एयरक्राफ्ट की किटों के लिए पूरक अनुबन्ध प्रस्तुत किए।

2012-13 के अन्त तक एचएएल ने 58 एयरक्राफ्ट के विनिर्माण हेतु एयरक्राफ्ट किटें प्राप्त की थीं और मार्च 2013 तक ₹ 3318.09²²⁹ की माल सूची संचित हो गई थी। आठ एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष और विनिर्माण हेतु 36 माह के समय चक्र को ध्यान में रखकर एचएएल के पास आवश्यकता के अग्रिम में {2010-11 (1 एयरक्राफ्ट), 2011-12 (3 एयरक्राफ्ट) तथा 2012-13 (4 एयरक्राफ्ट) के दौरान विनिर्मित आठ एयरक्राफ्ट निकालने के बाद} ₹ 1725.41 करोड़ मूल्य की 26²³⁰ एयरक्राफ्ट के

²²⁹ मालसूची मूल्यांकन के अनुसार

²³⁰ 58 (प्राप्त किटों की सं.) - 8 (पहले ही विनिर्मित) - (8 (क्षमता) x 3 वर्ष (अग्रतासमय)

लिए एयरक्राफ्ट किटों की मालसूची हो गई क्योंकि ये एयरक्राफ्ट किटें केवल तीन वर्ष बाद विनिर्माण हेतु उपयोग की जाएँगी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि संचय, एयरक्राफ्ट के सुपुर्दगी कार्यक्रम, रूस में समवर्ती डिजाइन और विकास चरण में परिवर्तन और प्रौद्योगिकी के अवशोषण में विलम्ब के कारण था। आगे यह बताया गया कि मालसूची ग्राहक से प्राप्त अग्रिमों से वित्तपोषित की जाती है।

उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि कम्पनी आरोपित कारणों से अवगत थी और इसलिए 2010 में आदेश देने से बचा जा सकता था जब प्रभाग के पास पहले ही 15 एयरक्राफ्ट के उत्पादन हेतु अप्रयुक्त एयरक्राफ्ट किटें स्वामित्व में थीं। इसके अलावा भुगतान की ठेकागत शर्तों के अनुसार एचएएल को विनिर्माण कार्यकलाप आरम्भ करने तक अग्रिम के रूप में केवल ₹ 2450.47 करोड़ प्राप्त हुए थे। चूंकि यह धारित ₹ 3318.09 करोड़ (प्रगतिधीन कार्य को मिलाकर) की मालसूची की अपेक्षा कम था इसलिए उत्तर, कि मालसूची ग्राहक द्वारा प्रदत्त निधियों से खरीदी गई थी, भी तथ्यात्मक नहीं है।

9.1.3.6 एयरक्राफ्ट की पूर्ण मरम्मत

मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत दस्तावेजों के अनुसार नासिक प्रभाग में की जाने वाली पूर्ण मरम्मत के कार्यक्षेत्र में एयरफ्रेम की मरम्मत, इसके 228 रूसी समूहों (153 मरम्मत योग्य तथा 75 गैर मरम्मत योग्य) और एयरक्राफ्ट और 92 आन्तरिक रूप से विनिर्मित समूहों के भी अन्तिम समाकलन को शामिल किया गया। डीपीआर में एक एयरक्राफ्ट की पूर्ण मरम्मत के समापन हेतु 22 माह का समय चक्र माना गया। नासिक प्रभाग को सिविल कार्य, फैक्टरी, संयंत्र एवं मशीनरी, सेवा कार्यालय, सामग्री प्रहस्तन उपकरण/ संयोजन सहायक, रनवे उन्नयन आदि के लिए 2008 स्तर पर (₹ 311.44 करोड़ भारग्रहण स्तर पर) ₹ 283.35 करोड़ आवंटित (अगस्त 2009) किए गए। यद्यपि मरम्मत प्रौद्योगिकीय दस्तावेज और डिजाइन दस्तावेजीकरण तथा तकनीकी उपकरण साधनों का अन्तिम बैच आरओई से दिसम्बर 2012 तक प्राप्त हुआ था परन्तु तकनीकी उपकरण, औजार तथा फालतू पुर्जों की आपूर्तियाँ आंशिक रूप से हुई थीं।

आईएएफ ने एचएएल को सूचित किया (अगस्त 2007) कि 2002 में सेवा में शामिल किए गए दस एसयू-30 एमकेआई एयरक्राफ्ट 2012 में पूर्ण मरम्मत हेतु देय होंगे। 10 वर्षों से अधिक एयरक्राफ्ट के टीबीओ कार्यकाल को बढ़ाने की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिए पूर्ण मरम्मत मध्यवर्तिता समय (टीबीओ) आधारित कलैण्डर कार्यान्वित करने के लिए एक जीवन निर्धारण समिति गठित की गई थी (मई 2011)। इस प्रयोजन हेतु जनवरी 2012 में एचएएल को दो एयरक्राफ्ट प्राप्त हुए थे। आईएएफ ने बताया (अक्टूबर 2013) कि एसयू 30 एमकेआई एयरक्राफ्ट की बड़ी संख्या अपने टीबीओ कलैण्डर कार्यकाल को पहुँच रही थी और पूर्ण मरम्मत के लिए शामिल किए जाने की आवश्यकता थी परन्तु एचएएल में मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत सुविधाओं को स्थापित करने में विलम्ब के कारण एयरक्राफ्ट का टीबीओ कार्यकाल 10 वर्षों से 12 वर्ष तक बढ़ाया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मार्च 2014 तक टीबीओ जीवन विस्तार अध्ययन हेतु प्राप्त दो एयरक्राफ्ट विखण्डित किए गए थे और अध्ययन जारी था (अगस्त 2014)।

प्रबन्धन ने सूचित किया (जनवरी 2014) कि उन्हें जून 2014 तक सुविधाओं के तैयार किए जाने की प्रत्याशा थी।

तथापि तथ्य यह रहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2009 में निधियाँ संस्वीकृत की गई थीं और पूर्ण मरम्मत हेतु तैयार फरवरी 2012 तक रखी जानी अपेक्षित थी परन्तु एचएएल ने इसे प्राप्त नहीं किया था (अगस्त 2014)। एचएएल द्वारा मरम्मत तथा पूर्ण मरम्मत सुविधाएँ स्थापित करने में विलम्ब के कारण आईएएफ एयरक्राफ्ट का टीबीओ कार्यकाल 10 से 12 साल बढ़ाने को बाध्य हुआ था जो विवेकी विकल्प नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष

एचएएल को आरओई से प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के सभी संघटक प्राप्त नहीं हुए थे जैसी कि परिकल्पना की गई थी जिससे आईएएफ को सुपुर्दगीयोग्य की सामयिक आपूर्ति प्रभावित हुई। आयुध कारखानों को प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के संबंध में समान मुद्दा पाया गया जैसा पैरा 8.1.9.2 में उल्लेख किया गया है। परिणामस्वरूप एचएएल सुपुर्दगीयों की सम्पीडित अनुसूची को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी के अवशोषण के अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर सका और आरओई के बाह्यस्रोत का सहारा लेना पड़ा था जिससे आयात संघटक बढ़ गया और देशीकरण कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ा था।

अनुशासं

- प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण सहित ठेकागत बाध्यताओं को पूरा करने में विलम्ब के संबंध में रक्षा बलों के हितों की सुरक्षा के लिए विदेशी विक्रेताओं के साथ करारों में उचित खण्ड समाविष्ट किए जाएँ।
- देशीकरण सहित प्रत्येक प्रमुख कार्यकलाप के लिए तैयार किए गए पीईआरटी चार्ट का पालन किया जाना चाहिए।

9.1.4 गुणता एयरक्राफ्ट की सामयिक सुपुर्दगी

लेखापरीक्षा उद्देश्य: प्रौद्योगिकी के अवशोषण के स्तर का परिणाम गुणता एयरक्राफ्ट की सामयिक सुपुर्दगी में हुआ।

9.1.4.1 एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी (फेरीआउट)²³¹ की प्रगति

सम्पीडित सुपुर्दगी अनुसूची के प्रति एयरक्राफ्ट की आपूर्ति की स्थिति तालिका-72 में दी गई है:

तालिका 72

चरण	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		संचयी	
	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए	एस	ए
I	2	2	1	1	4	-	-	4											7	7
II	-	-	5	2	5	4	7	6	7	1	3	0	-	3					27	16
						2*		2*		4*		3*								11*
III	-	-	-	-	4	0	6	0	8	5	8	4	8	8	4	10	4	6	42	33
										2*										2*
						2#		2#				3#								7#
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8	-	12	1	12	4	36	5
योग	2	2	6	3	13	4	13	10	15	6	15	4	16	11	16	11	16	10	112	61
						2*		2*		6*		3*								13*
						2#		2#				3#								7#

एस=शेड्यूल्ड डिलीवरी ए=एक्चुअल डिलीवरी (फेरीड आउट)

*एयरक्राफ्ट पूर्णतया रूस में संयोजित और एचएएल में केवल उड़ान परीक्षण किया गया।

#पंखुड़ियों, एमपेनेज, वायु अन्तर्ग्रहण तथा फ्यूजलाज की कपलिंग का विनिर्माण, रूस में हुआ था और लूमस, पैनल्स और रिलेबाक्स के साथ अन्तिम संयोजन में अपेक्षित पुर्जों के साथ इसके द्वारा एयरक्राफ्ट युग्मित स्थिति में आपूर्ति किए गए थे।

²³¹ सिगनलिंग आउट प्रमाणपत्र जारी होने के बाद करारकर्ता के निरीक्षक द्वारा एयरक्राफ्ट की अन्तिम स्वीकृति

जैसाकि तालिका-72 से देखा जा सकता है 2004-05 से 2012-13 तक के नौ वर्षों के दौरान देय 112 एयरक्राफ्ट के प्रति 31 एयरक्राफ्ट (28 प्रतिशत) की कमी करते छोड़ते हुए केवल 81 एयरक्राफ्ट आपूर्त किए गए थे। एचएएल ने नौ वर्षों के दौरान केवल दो वर्षों (2004-05 तथा 2007-08) में सुपुर्दगी अनुसूची का पालन किया था। आरओई से 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान 20 एयरक्राफ्ट के आउटसोर्स का सहारा लेने के बावजूद शेष सभी सात वर्षों में कमी हुई जैसा कि पैरा 9.1.3.2 में टिप्पणी की गई।

प्रबंधन ने सुपुर्दगियों में कमी को मुख्यतया तकनीकी दस्तावेजों की प्राप्ति में विलम्ब और आरओई से प्राप्त दोषपूर्ण टूलिंग और प्रौद्योगिकी के अवशोषण में परिणामी विलम्ब पर आरोपित किया।

प्रबंधन ने प्रौद्योगिकी के अवशोषण में विलम्ब को स्वीकार कर लिया है जैसा पैरा 9.1.3.2 तथा 9.1.3.3 में उल्लेख किया गया।

9.1.4.2 आईएएफ को विलम्बित आपूर्तियों पर निर्णित हर्जाने

आईएएफ के साथ करारों में विलम्ब के प्रत्येक सप्ताह तथा सप्ताह के भाग जिसके लिए भण्डार विलम्बित हुए हैं, के लिए विलम्बित/ असुपुर्द भण्डारों/ सेवाओं के करार मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर विलम्बित भण्डार के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर निर्णित हर्जाने के अधिकतम मूल्य के अध्यक्षीन निर्णित हर्जाने का एचएएल द्वारा भुगतान अनुबद्ध किया गया।

(i) सम्पीडित सुपुर्दगी अनुसूची के अन्तर्गत ब्लाक II, III तथा IV (मार्च 2006, दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2009) के अधीन 2009-10 तथा 2012-13 के बीच 36 चरण IV एयरक्राफ्ट सुपुर्द किए जाने थे। तथापि निर्धारित अवधि के अन्दर कोई एयरक्राफ्ट सुपुर्द नहीं किया गया था। आरओई ने प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण में विलम्ब किया और परिणामस्वरूप एचएएल निष्कृत था क्योंकि यह देशीकरण में आगे प्रगति नहीं कर सका। परिणामस्वरूप आईएएफ को एयरक्राफ्ट की आपूर्ति में विलम्ब हुआ था जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने निर्णित हर्जाने के प्रति सितम्बर 2013 तक ₹ 96.26 करोड़ वसूल किए।

(ii) ब्लाक III तथा ब्लाक IV करारों (दिसम्बर 2007 तथा फरवरी 2009) के अन्तर्गत ब्लाक III के अन्तर्गत 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान और ब्लाक IV के अन्तर्गत 2012-13 से 2014-15 के दौरान एयरक्राफ्ट सहित आईएएफ को एचएएल द्वारा आपूर्त किए जाने को अपेक्षित आठ प्रकार के आदर्श उपकरण²³² अलग पूरक अनुबन्धों²³³ के माध्यम से अतिरिक्त लागत पर तैयार उत्पादों के रूप में खरीदे जाने थे। एचएएल ने 25 माह के विलम्ब के बाद अनुबन्ध प्रक्रिया (फरवरी 2010) आरम्भ की। उसी समय पर आरओई ने दरें बढ़ाने के लिए कहा। आखिरकार एचएएल ने इन उपकरणों के लिए आरओई के साथ पूरक अनुबन्ध कर लिए (जनवरी 2013) और सुपुर्दगी की देय तारीखें ब्लाक III के लिए 2013 के दौरान तथा ब्लाक IV के लिए 2013 से 2015 के दौरान थीं। चूँकि उपकरणों की सुपुर्दगी की तारीखें आईएएफ को सुपुर्दगी के साथ मेल नहीं खाती थीं इसलिए आपूर्तियों में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्लाक III करार के प्रति ₹ 4.77 करोड़ के निर्णित हर्जाने का उदग्रहण हुआ।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि आदर्श उपकरण के पूरक अनुबन्धों पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब रूसी पक्ष द्वारा तीव्र मूल्य वृद्धि के कारण था और पूर्व खरीद तथा सहमत वृद्धि के अनुरूप मूल्य बनाए रखने के लिए भारतीय पक्ष द्वारा सभी प्रयास किए गए थे जो दीर्घकालिक वार्ता से प्राप्त किया गया था और निर्णित हर्जाने को छोड़ने के लिए वायु सेना मुख्यालय के साथ मामला उठाया जाएगा।

²³² आदर्श उपकरण उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट में प्रचालन हेतु प्रतिष्ठापित एयरक्राफ्ट संघटकों के अतिरिक्त कोई उपकरण है।

²³³ अनुच्छेद 6.2 और अन्तर सरकारी अनुबन्ध (अक्तूबर 2000) के अनुबन्ध II के पैराग्राफ 1.7 के अनुसार

ये उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं थे क्योंकि एयरक्राफ्ट का डिजाइन तथा विकास चरण एचएएल में देशीकरण की प्रक्रिया से समवर्ती रूप से आरओई द्वारा किया जा रहा था और इसलिए एचएएल को विकास चरण के दौरान होने वाले प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण प्रत्याशित संशोधनों को ध्यान में रखकर एहतियाती उपाय करने चाहिए थे। यद्यपि एचएएल वचनबद्ध सुपुर्दगी अनुसूचियों से अवगत था और सामान्य करार (दिसम्बर 2000) में भी आदर्श उपकरणों की आपूर्ति हेतु आरओई के साथ अलग करार करना भी परिकल्पित किया गया था परन्तु एचएएल ने आदर्श उपकरणों की आपूर्ति के लिए प्रक्रिया में विलम्ब किया जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति में विलम्ब और रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्णित हर्जानों की परिणामी वसूली हुई।

9.1.4.3 आईएएफ को परिकल्पित लाभों के प्रोदभवन में कमी

प्रत्येक एयरक्राफ्ट को प्रतिवर्ष आईएएफ को 240 उड़ान घंटे देने थे। सुपुर्दगी अनुसूची के संपीड़न के परिणामस्वरूप चरण I तथा चरण II के अन्तर्गत सुपुर्दगियों में 8 से 34 एयरक्राफ्ट की वृद्धि हुई। यह परिकल्पित किया गया था कि सम्पीड़ित सुपुर्दगी कार्यक्रम 2006-07 से 2013-14 तक प्रत्येक वर्ष अर्थात् पूर्ववर्ती अनुमोदित कार्यक्रम से पहले लगभग 5 वर्षों में 4-5 अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का समावेशन कराने में आईएएफ समर्थ होगा। इसने 2006-07 से 2016-17 के दौरान 58080 संचयी अतिरिक्त उड़ान घंटों के साथ 2006-07 में 1200 घंटों से 2013-14 से 2016-17 तक के वर्षों के दौरान 8640 घंटों के बीच अतिरिक्त उड़ान घंटे प्राप्त करने के लिए आईएएफ को समर्थ भी बनाया होता और परिणाम आईएएफ की प्रचालनात्मक तैयारी को पूरा करता ।

₹ 2734.92 करोड़ के निवल अतिरिक्त व्यय के साथ सम्पीड़ित सुपुर्दगी पर विचार करते समय रक्षा मंत्रालय ने पहले से सचेत किया था कि सम्पीड़ित सुपुर्दगी औचित्यपूर्ण होगी यदि एचएएल सुपुर्दगी की संशोधित अनुसूची के अन्दर एयरक्राफ्ट सुपुर्द करता है और किन्ही विचलनों के कारण में आईएएफ को किसी लाभ के बिना आरओई को लाभ होगा।

₹ 17,483.17 करोड़ (₹ 22,122.78 करोड़ से ₹ 39,605.95 करोड़ तक) की लागत में निवल वृद्धि मूल्य, डीआरई तथा तकनीकी किटों की लागत में वृद्धि के कारण थी। ₹ 2734.92 करोड़ (594.54 मिलियन अमरीकी डालर) का अतिरिक्त बहिःस्राव तकनीकी किटों के चरण संयोजन में परिवर्तन के कारण था। जैसा पैरा 9.1.2.3 में उल्लेख किया गया है रक्षा मंत्रालय ने 2017-18 के स्थान पर 2014-15 तक सभी 140 एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगियों के सुरक्षित समापन के लिए सुपुर्दगी अनुसूची को सम्पीड़ित किया। यह सम्पीड़न अन्तर सरकारी अनुबन्ध (अक्टूबर 2000) तथा सामान्य करार (दिसम्बर 2000) और डीपीआर की तैयारी के हस्ताक्षर करने के बाद था। क्योंकि देशीकरण की प्रगति उसी गति पर नहीं थी जैसी सम्पीड़ित सुपुर्दगी अनुसूची में परिकल्पना की गई इसलिए आयात घटक बढ़ गया था।

प्रबंधन ने दावा किया (जनवरी 2014) कि उन्होंने मूल अनुसूची में सुपुर्दगी के लिए अनुबद्ध 80 के प्रति 88 एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी की थी इसलिए अपनी उपलब्धि में श्रेष्ठ थी।

इसका कोई महत्व नहीं था क्योंकि आईएएफ ने एयरक्राफ्ट के फेरीआउट के बाद केवल वास्तविक सुपुर्दगियों से अतिरिक्त उड़ान घंटों को प्राप्त किया और एचएएल द्वारा दावित मानी गई सुपुर्दगियों²³⁴ द्वारा अतिरिक्त उड़ान घंटों के विशेष शब्दों में लाभान्वित नहीं हुआ ।

9.1.4.4 मूल्य संबंधित मूल करार शर्तों के अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

यद्यपि अन्तर सरकारी अनुबन्ध (अक्टूबर 2000) में 140 एयरक्राफ्ट के साथ 920 आरक्षित इंजनों तथा 140 सेट संयोजन (वायुवाहित उपकरण) का लाइसेंस उत्पादन परिकल्पित किया गया (अक्टूबर

²³⁴ 88 एयरक्राफ्ट का प्रबंधन का उत्तर संकेतित एयरक्राफ्ट की संख्या पर आधारित है और वास्तव में सुपुर्दगी संख्या के आधार पर नहीं है।

2000) वहीं सामान्य करार 3630 (अक्टूबर 2000) में केवल 140 एयरक्राफ्ट का लाइसेंस उत्पादन शामिल किया गया। सामान्य करार में 920 आरक्षित इंजनों तथा 140 सेट संयोजन (वायुवाहित उपकरण) का लाइसेंस उत्पादन शामिल न करने के कारण एचएएल ने उनकी आपूर्ति हेतु आरओई के साथ एक अलग सामान्य करार (1050) किया (अक्टूबर 2012)। यद्यपि विभिन्न उत्पादन चरणों के अनुसार 140 एयरक्राफ्ट के विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिकीय किटों, इंजन तथा वायुवाहित उपकरणों का मूल्य सामान्य करार (दिसम्बर 2000) में निर्धारित किया गया था परन्तु अक्टूबर 2012 में नए करार पर हस्ताक्षर करते समय एचएएल द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था।

दिसम्बर 2000 करार के अन्तर्गत चरण II तथा चरण III इंजन किटों के लिए लागू मूल्य 4.78 मिलियन अमरीकी डालर तथा 3.73 मिलियन अमरीकी डालर के प्रति अक्टूबर 2012 में सहमत दरें क्रमशः 5.05 मिलियन अमरीकी डालर तथा 3.95 मिलियन अमरीकी डालर थीं, परिणामस्वरूप इन इंजन किटों के लिए ₹ 66²³⁵ करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि करार III (दिसम्बर 2012) की चर्चा के दौरान रूसी पक्ष ने यह कहते हुए कि समान स्तर पर सहमत मूल्य बनाए रखने के लिए सुपुर्दगी अनुसूची काफी लम्बी थी, चरण II तथा III किटों की जीसी दर कायम रखने से इनकार कर दिया (नवम्बर 2011)।

यह उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि दिसम्बर 2000 करार में अतिरिक्त आवश्यकता के लिए कोई समय प्रतिबन्ध अनुबद्ध नहीं किया गया था इसलिए एचएएल ने एयरक्राफ्ट के कार्यकाल उपयोग के लिए 920 इंजन लाइसेंस फीस का पहले ही भुगतान किया था (सितम्बर 2002 तथा नवम्बर 2004 के बीच) और कोरापुट प्रभाग द्वारा उत्पादन की निर्धारित क्षमता की प्राप्ति में विलम्ब मुख्यतया लाइसेंस तकनीकी दस्तावेजीकरण, औजार, एनएसई आदि की विलम्बित आपूर्ति को आरोप्य था जैसा कि पैरा 9.1.3.3 में चर्चा की गई है। दिसम्बर 2000 करार में अनुबद्ध मूल्य की अवहेलना में नई दर की स्वीकृति के परिणामस्वरूप एचएएल को ₹ 66 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

9.1.4.5 उपसाधनों की आपूर्ति

9.1.4.5.1 समान मदों के लिए अवउद्धरण

आईएएफ के साथ ब्लॉक III (दिसम्बर 2007) के निश्चित तथा निर्धारित मूल्य करार में भूतल प्रहस्तन उपकरण/ भूतल सहायक उपकरण तथा अन्य अनुषंगी उपकरणों की 176 मदों की लागत के प्रति 2.14 करोड़ अमरीकी डालर (₹ 85.78 करोड़) शामिल किए गए। एचएएल ने आरम्भ में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त संदर्भ मूल्यों के आधार पर इन मदों के लिए उद्धरण प्रस्तुत किए थे जो करार में भी समाविष्ट किए गए थे। चूंकि इन कीमतों पर आरओई द्वारा सहमति नहीं थी इसलिए एचएएल ने (फरवरी 2012) 2.79 करोड़ अमरीकी डालर (₹ 152.39 करोड़) की लागत पर इन मदों की आपूर्ति हेतु पूरक अनुबन्ध किए परिणामस्वरूप ₹ 66.61 करोड़ की कम वसूली हुई।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि चूंकि आईएएफ के साथ करार निश्चित तथा निर्धारित कीमत पर था इसलिए ठेकागत कीमत को संशोधित करने के लिए एचएएल को कोई अवसर नहीं था तथापि सुपुर्दगी अनुसूची के संशोधनों तथा एलडी की माफी का मामला उठाया जा रहा था।

फिर भी भूतल प्रहस्तन उपकरण/ भूतल सहायक उपकरण तथा अन्य अनुषंगी उपकरणों की आपूर्ति हेतु करार के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण आईएएफ बढ़ाई गई लड़ाई प्रभावकारिता का परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं कर सका। इसके अलावा ब्लॉक III एयरक्राफ्ट (दिसम्बर 2007) की

²³⁵ (((5.05-4.78)*20+(3.95-3.73)*30) *55)/10=₹ 66 करोड़

आपूर्ति हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबन्ध में भारग्रहण वर्ष के संदर्भ में मूल्य वृद्धि का खण्ड शामिल न करने के परिणामस्वरूप एचएएल को ₹ 66.61 करोड़ की हानि हुई।

9.1.4.5.2 उपसाधनों की लागत शामिल न करना

107 बम रैकों सहित भूतल प्रहस्तन उपकरण तथा भूतल सहायक उपकरण (जीएचई/ जीएसई) ब्लॉक I तथा II और अतिरिक्त 40 के करारों के अनुसार एयरक्राफ्ट की आपूर्तियाँ की जानी थीं। एचएएल ने आरओई के साथ छः पूरक अनुबन्ध किए (मार्च 2005 तथा नवम्बर 2007 के बीच) और नवम्बर 2010 तक आईएएफ को उनकी आपूर्ति कराई। तथापि आईएएफ ने सूचित किया (जून 2011) कि उनका भाग बनने वाले संयोजन की छः लाइनों और एयरक्राफ्ट पर सस्पेंशन की अनुपलब्धता के कारण उपयोग नहीं किया जा सका।

जब मामला उत्पादन, प्रचालन तथा एवियोनिक्स उपकरणों की मरम्मत (आईआरएसए) के क्षेत्र में इण्डो-रसियन उप समूह समन्वय की बैठक में उठाया गया तब आरओई ने बताया (अगस्त 2011) कि ये उपसाधन बम रैक के भाग नहीं थे परन्तु अलग पूरक अनुबन्धों के अंतर्गत प्रति आपूर्ति किए जायेंगे।

तदनुसार एचएएल ने ₹ 3.17 करोड़ के लिए पूरक अनुबन्ध किया (फरवरी 2012) और आईएएफ को आपूर्तियाँ की गई थीं। तथापि दावा करने में इसे समर्थ करने के लिए आपूर्तियों हेतु औपचारिक आदेश जारी करने का आईएएफ को एचएएल का अनुरोध वायुसेना मुख्यालय द्वारा यह कहते हुए अस्वीकृत किया गया था (सितम्बर 2012) कि ये संयोजन इसके सीधे आपूर्ति करार के प्रति मुफ्त आपूर्ति किए गए थे।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2014) कि वायु सेना मुख्यालय ने एक बम रैक (एमबीडी3-6यू-68) की आपूर्ति में कमियों के बारे में सूचित किया था और जब यह मामला उठाया गया तब आरओई ने बताया कि कथित मर्दे अलग से खरीदी जानी थीं। उन्होने आगे बताया कि व्यय आकस्मिक निधि से पूरा किया गया था और इसलिए एचएएल को कोई हानि नहीं हुई थी।

आरओई के साथ पूरक अनुबन्ध करते समय उपसाधनों के साथ बम रैक आपूर्ति किए जाने थे इसका विशेष उल्लेख करने में विफलता से एचएएल को ₹ 3.17 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के अलावा आपूर्ति एयरक्राफ्ट से परिकल्पित लाभों से आईएएफ वंचित हो गया।

9.1.4.6 अतिरिक्त 40 एयरक्राफ्ट के करार को निष्पादन करने में गलत विनिमय दर अपनाने के कारण हानि

आईएएफ तथा एचएएल के बीच करार में (मार्च 2007) ₹ 59 प्रति यूरो तथा ₹ 45 प्रति अमरीकी डालर की परिवर्तन दर पर विचार किया गया। करार में अनुबद्ध कीमतें आईएएफ तथा आरओई के बीच सहमत एसयू-30 एमकेआई के लिए वृद्धि के सिद्धान्तों के आधार पर सुपर्दगी के वर्ष को वृद्धि के प्रावधान के साथ 2007 स्तर तक की गई थीं।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर-अक्तूबर 2013) में पता चला कि आईएएफ को प्रस्तुतीकरण हेतु कीमत संशोधन का प्रभाव परिकलित करते समय एचएएल ने ₹ 45 प्रति अमरीकी डालर और ₹ 59 प्रति यूरो के रूप में विनिमय दरें माना (फरवरी 2009) जैसा मूल करार में और ₹ 9,479.69 करोड़ के करार मूल्य का अनुमोदन माँगा (फरवरी 2009)। तथापि जब संशोधन जारी किया गया (फरवरी 2009) तब रक्षा मंत्रालय ने एचएएल द्वारा यथा प्रस्तावित करार मूल्य अनुमोदित किया था (फरवरी 2009) परन्तु ₹ 45.50 प्रति अमरीकी डालर तथा ₹ 60 प्रति यूरो के रूप में एफई दरें अपनाई गई थीं। इस प्रकार गलत विनिमय दर अपनाने के कारण एचएएल ने ₹ 101.72 करोड़ की हानि उठाई।

इस लेखापरीक्षा तर्क से सहमत होकर प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2014) कि विनिमय दर में परिवर्तन का संशोधन करार में अन्तिम संशोधन के प्रस्ताव (कुछ अन्य मुद्दों को शामिल कर) में शामिल किया जाएगा।

9.1.4.7 सुपुर्दगी अनुसूची की अविवेकी स्वीकृति

आईएएफ ने एचएएल के साथ करार किया (दिसम्बर 2012) जिसमें 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में चार चरणों में 42 एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी अनुबद्ध की गई। इनमें 2012-13 में आपूर्ति किए जाने के लिए चरण I में 4 और चरण II में 2 शामिल किए गए। एचएएल ने लाइसेंस उत्पादन हेतु सामान्य करार (दिसम्बर 2012) और चरण I की छः एयरक्राफ्ट किटों और चरण II की दो एयरक्राफ्ट किटों के लिए आरओई के साथ विशेष उल्लेख करते हुए कि आपूर्तियाँ तीन माह के अन्दर की जाए, एक पूरक अनुबंध किया। एचएएल ने चरण I से 2012-13 में देय सभी छः एयरक्राफ्ट की आपूर्ति की।

आगे लेखापरीक्षा में पाया गया कि, रूसी पक्ष ने 2012 में अनुरोध की गई चरण IV की 10 किट की आपूर्ति के लिए अक्षमता व्यक्त की किन्तु जनवरी 2014 की पहली तिमाही तक 2013 में 18 किटों की और 2015 की पहली तिमाही तक 2014 में 06 किटों की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार नौ माह के चक्र काल पर विचार करते हुए एचएएल, 2013 की समाप्ति से पहले चरण II के किसी विमान की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, उस वर्ष के दौरान द्वितीय चरण के विमान की दिसम्बर 2012 में सुपुर्दगी की स्वीकृति अविवेकपूर्ण थी।

9.1.4.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई तदर्थ अग्रिमों पर ब्याज की वसूली

जैसा कि पैरा 9.1.2.3 में बताया गया है, रक्षा मंत्रालय ने 34 विमान के ब्लॉक 1 ठेका के लिए दिसम्बर 2003 में एचएएल के साथ ठेका किया था। रक्षा मंत्रालय ने ठेका पर हस्ताक्षर करने से पहले ही 1999 - 2000 से 2002 - 03 के दौरान कुल ₹ 3725.76 करोड़. के तदर्थ अग्रिमों का भुगतान जारी कर दिया था। ब्लॉक 1 के लिए ठेका सम्पादित करने (दिसम्बर 2003) के पश्चात, वर्ष 2003-04 से आगे चरणबद्ध भुगतान जारी कर दिए गए थे और भुगतान किये गये तदर्थ अग्रिमों को समायोजित कर दिया गया था। रक्षा मंत्रालय ने भी जुलाई 2004 में निर्देशित किया कि एचएएल को संबंधित वर्ष के लिए अधिशेष निधियों के निवेश पर इसके द्वारा अर्जित की गई वास्तविक वार्षिक ब्याज दर पर बकाया तदर्थ अग्रिमों पर (व्यय समायोजित करने के बाद) ब्याज को संबंधित परियोजना को वार्षिक रूप (वित्तिय वर्षानुसार) से क्रेडिट करना था।

एचएएल के अभिलेखों के अनुसार, उपयोग न किए गए तदर्थ अग्रिमों पर रक्षा मंत्रालय को देय ब्याज की गणना ₹ 851.78 करोड़. की गई जिसके प्रति ₹ 1215.91 करोड़.²³⁶ रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई तथा उपयोग न की गई निधियों पर ब्याज के प्रति एचएएल से वास्तव में वसूल किए गए थे। इस प्रकार एचएएल की देयताओं से ₹ 364.13 करोड़. की अधिक वसूली हुई।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि अग्रिमों की संस्वीकृति के सरकारी आदेशों तथा स्थायी समिति के अनुमोदन के आधार पर एचएएल द्वारा अर्जित ब्याज को रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था और इसलिए एचएएल को कोई हानि नहीं हुई थी।

एचएएल का यह उत्तर कि कोई हानि नहीं हुई, मान्य नहीं है क्योंकि रक्षा लेखा विभाग और एचएएल द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे के अनुसार ₹ 364.13 करोड़. की अधिक वसूली हुई थी इसके अलावा, इस परियोजना के संबंध में यह एचएएल द्वारा देयताओं और भुगतानों के समाधान की कमी को भी दर्शाता है।

²³⁶ नासिक के रक्षा लेखा विभाग के दिनांक 21 अप्रैल 2014 के पत्रानुसार

9.1.4.9 सिग्नलिंग आउट के बाद विमान की फेरिंग आउट में विलम्ब

तालिका 63 में दर्शाए गए आईएएफ के साथ किए गए टेका I, II और III बताते हैं कि विमान की पूर्णता और स्वीकृति के लिए स्वयं को संतुष्ट करने के बाद आईएएफ निरीक्षक विमान को सिग्नल आउट करेगा (सिग्नलिंग आउट सर्टिफिकेट (एसओसी))। टेका अनुबन्धों के अनुसार एसओसी की प्रतिलिपि की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर क्रेता अपने प्रतिनिधि को विमान की स्वीकृति हेतु (फेरी आउट संदर्भित रूप में) के लिये भेजेगा।

2011-12 और 2012-13 वर्षों के दौरान जारी एसओसीज़ की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2013) से पता चला कि यद्यपि विमान का उत्पादन प्रमाणित था जो तैयारी के मानक (एसओपी) की पुष्टि करता है, एसओपी से कई रियायतों का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 134 विमानों में से 121 को 2012-13 तक आपूरित माना गया था, फेरी आउट के 110 मामलों में एसओसी जारी करने के 15 दिनों की अवधि के पश्चात 1 से 275 दिनों से का अधिक विलम्ब किया गया था। फेरी आउट में विलम्ब के विश्लेषण से पता चला कि यह मुख्यतः सिग्नलिंग आउट के बाद पाई गई कठिनाईयों के परिशोधन के कारण था।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि ग्राहक द्वारा रियायते दी गई थी और एसओपी से कोई विचलन नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि विमान उड़ान के लिए उपयुक्त था और तदनुसार ग्राहक ने इसे एसओसी के माध्यम से स्वीकार किया था। इस उत्तर को एसओसी में सूचीबद्ध एसओपी से विशेष रियायतों के मद्देनजर देखा जाना चाहिए जिसके लिए अनुपालन का उल्लेख निष्पादित कार्य रिपोर्टों में किया गया है। प्रबंधन ने पुनः बताया कि पायलट की अभ्युक्ति 10 आई के सॉफ्टवेयर आशोधन के लिए थी जो कि आईएएफ द्वारा विमान के निर्माण के प्रति पहले से स्वीकृत आवश्यकता के अतिरिक्त थी।

प्रबंधन का उत्तर मुख्य लेखपरीक्षा बिंदु अर्थात् सिग्नलिंग आउट के बाद विमान के फेरी आउट में विलम्ब का समाधान नहीं करता। इसके अलावा, प्रबंधन का उत्तर कि 10 आई का सॉफ्टवेयर आशोधन अतिरिक्त अपेक्षा था, वास्तव में सही नहीं है क्योंकि तालिका-63 में बताए गए सभी तीन टेका अनुबंध वर्णित करते हैं कि विनिर्मित विमान नए होंगे और इसमें सभी आधुनिकतम सुधार, एवं संशोधन शामिल होंगे। वैमानिकी उपस्कर के उत्पादन, प्रचालन और ओवरहॉल (आईआरएसए) के क्षेत्र में 23 वीं इंडो रशियन सब-ग्रुप को-ऑपरेशन बैठक में यह निर्णय लिया गया (फरवरी 2010) कि वर्ष 2009-10 से सभी लाईसेंस निर्मित विमान 10 आई सॉफ्टवेयर के साथ आपूरित किए जाने अपेक्षित होंगे।

9.1.4.10 एयरफ्रेम का फेटींग टेस्ट नहीं किया गया

आरओई की परियोजना के प्रौद्योगिकीय भाग के साथ-साथ नासिक विमान डिवीजन के लिए मंडलीय डीपीआर ने अन्य बातों के साथ साथ विमान के एयरफ्रेम के निरंतर स्टेटिक (फेटींग) टेस्ट का प्रस्ताव रखा। यह टेस्ट विमान की संरचना की शक्ति का सुनिश्चित करने के लिए था।

यह परिकल्पित किया गया कि यह टेस्ट उत्पादन कार्यक्रम (मूल आपूर्ति सूची) के चरण IV में स्वदेश में एचएएल द्वारा विनिर्मित प्रयोगशाला या किसी दूसरी एजेंसी या रूस में किया जा सकता है। यह भी उल्लेख किया गया कि आवश्यक परीक्षण मापदण्ड और विफलता मापदण्ड और लोड वितरण आरओई द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा यदि परीक्षण भारत में किया जाना है

आपूर्ति कार्यक्रम के संक्षिप्तीकरण के साथ फेटींग परीक्षण के लिए चिन्हित किए गए चरण IV के सभी छः विमान मार्च 2006 में सम्पादित किए गए टेका ब्लॉक II में आते हैं। यह परीक्षण 2010-11 से 2012-13 के दौरान चरण IV में आपूरित आठ विमानों में से किसी पर नहीं किया गया था। इस

परीक्षण के अभाव में क्या आपूर्ति विमान निर्धारित निष्पादन की कठोरता का सामना कर सकता है, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सैन्य उड़न योग्यता क्षेत्रीय केंद्र (आर.सी.एम.ए.) (अगस्त 2010) की एयफ्रेम के स्टैटिक परीक्षण की योजना, चरण IV उत्पादन में बनाई गई थी किन्तु कथित के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को आरओई द्वारा सौंपा नहीं गया था और यह कि परीक्षण के लिए विमानों की संख्या को दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद निर्धारित किया जाएगा। तथापि यह देखा गया कि एचएएल ने ₹ 8.70 करोड़ की लागत पर केवल दिसम्बर 2011 में उनकी आपूर्ति के लिए पूरक करार किया था और आपूर्तियां सितम्बर 2013 तक प्राप्त की जानी थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि डीपीआर में इन परीक्षणों की योजना नहीं बनाई गई थी, जैसे इन परीक्षणों को करने के लिए अपेक्षित निधियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए थे और इसके अलावा, इन परीक्षणों के लिए अतिरिक्त दो एयरफ्रेमों के विनिर्माण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर में यह भी बताया कि आरओई से प्राप्त स्टैटिक और फेटींग लोड ब्योरे पर आकड़े को 'एक्स' के समेकन के साथ साथ विमान के काल विस्तारण और उन्नयन के लिए उपयोग किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आरओई द्वारा तैयार की गई टीपीपी तथा नासिक एयरक्राफ्ट डिविजन के लिए डिविजनल डीपीआर में इस चरण IV के पहले एयरक्राफ्ट के जांचने के मापदण्ड के रूप में निहित है और केवल निर्धारण हेतु पहचाने गए एयरक्राफ्ट पर नहीं। एचएएल का उत्तर यह स्पष्ट नहीं करता है कि क्यों और कैसे यह महत्वपूर्ण जांच समेकित डीपीआर से हटा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, एचएएल में बुनियादी सुविधाओं को लगाने में विलम्ब की स्थिति में रूस में जांच करने का विकल्प था और इस विकल्प पर विचार न करने का औचित्य प्रबंधन द्वारा नहीं बताया गया था। एच. ए. एल द्वारा यह भी व्याख्या नहीं दी गई कि इस जांच के लिए जब डिविजन-वार डीपीआर प्रदान की गई तो दो अतिरिक्त एयरफ्रेमों की जांच और निर्माण के लिए निधियां प्रदान क्यों नहीं की गई थीं।

9.1.4.11. ईंजन रिसाव के कारण आपूर्ति किए गए एयरक्राफ्ट का परिचालन स्थगित करना

एचएएल ने 2009-10 तक ब्लॉक I और II के अन्तर्गत देय 64 एयरक्राफ्ट में से 60 की सुपुर्दगी की। 29 एयरक्राफ्टों से संबंधित मार्च 2010 तक एचएएल द्वारा की गई स्थल मरम्मतों के 42 मामलों की संवीक्षा से पता चला कि 36 मामलों में मुख्य समस्या ईंधन का रिसाव था और एयरक्राफ्ट की सुपुर्दगी के तुरन्त बाद भारतीय वायुसेना द्वारा ईंधन टैंक से रिसाव से संबंधित शिकायतें रिपोर्ट की गई थीं। रिसावों के कारण एयरक्राफ्ट की समय पूर्व/परिपक्वता से पहले वापसी की गई थी।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) कि आरओई ने रिसाव का कारण एयरक्राफ्ट को उच्च 'जी' स्तर पर चलाना, टीवीसी के कारण टोरसियोनल फोर्स और ढांचे में कंपन, उच्च युक्तिचालन और कठिन लेडिंग, लम्बे समय तक बिना ईंधन के एयरक्राफ्ट को खड़ा रखना और गर्म परिस्थितियों में एयरक्राफ्ट को बाहर खड़ा रखना बताया था। उन्होंने बताया कि ईंधन रिसाव/सीलन को एयरक्राफ्ट के अन्तर्गत डिजाइन प्रकृति के कारण पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता था और जब भी रिसाव अनुमत सीमा से अधिक होता तुरन्त मरम्मत की जानी थी।

तथ्य यह है कि जैसा कि आरओई के उत्तर से स्पष्ट है कि ईंधन रिसाव/सीलन को एयरक्राफ्ट के अन्तर्गत डिजाइन की प्रकृति के कारण पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए एयरक्राफ्ट के स्थगित परिचालन से बचने के लिए एचएएल द्वारा तुरन्त सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

9.1.4.12 अत्यधिक कंपन स्तरों के कारण दो इंजनों की स्क्रेपिंग

₹ 16.41 करोड़ की लागत से 2008 में आरओई से अधिप्राप्त चरण III किट्स से एचएएल द्वारा निर्मित दो इंजन, कोरापुट डिविजन में जांच के दौरान, क्षतिग्रस्त, (फरवरी 2011) हो गए थे। दोनों

ईंजन के कम्पन स्तर के स्वीकृत मापदण्ड से अधिक होने पर विचार करते हुए, एचएएल और आरओई ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2012) कि फिर से मरम्मत करना व्यवहार्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप एचएएल द्वारा इंजनों को आरओई से अधिप्राप्त नये ईंजनो से बदलना पड़ा था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितम्बर-अक्टूबर 2013) से पता चला कि इंजनों को बदलने के लिए किए गए पूरक समझौते (दिसम्बर 2012) प्रत्येक ईंजन के लिये ₹ 21.71 करोड़ के थे। इस प्रकार एचएएल को इंजनों की वापसी के कारण ₹ 43.42 करोड़ समाहित करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2014) इंजनों को क्षतिग्रस्त पुर्जों के बदलाव/पुनःनिर्माण (बचाव) द्वारा, आरसीएमए से बचाव कार्यक्रम/प्रक्रिया के अनुसार, प्रयोग में लाया जा रहा था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं है कि तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी बचाव कार्य पूरा नहीं हो सका और इस प्रकार इंजनों की उपयोगित संदेहात्मक है।

निष्कर्ष

बाह्य स्रोतों से सहायता के बावजूद एचएएल ने न तो एयरक्राफ्ट की समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित की जिससे भारतीय वायु सेना को उड़ान घंटों के पूरे कोटे से वंचित रहना पड़ा और न ही इसने प्रबन्धन के मानकों की पूरी अनुपालना और विश्वसनीय गुणवत्ता सुनिश्चित की।

सुपुर्दगी कार्यक्रम के संक्षिप्तकरण के कारण संशोधित डीपीआर तैयार करना अनुबद्ध है किन्तु एचएएल ने इसका अनुपालन नहीं किया। अपर्याप्त नियोजन और करार प्रबन्धन के कई मामले थे जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय, हानि और सामग्री की असामयिक अधिप्राप्ति हुई।

सिफारिशें

- उपभोक्ता स्वीकृति जांच से पूर्व सभी अनिवार्य और प्रबन्धन के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
- विदेशी विक्रेताओं के साथ करारों में उचित खण्डों को समाविष्ट किया जा सकता है जिससे उपभोक्ता के संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विलम्ब के संबंध में भारतीय समकक्षों के हितों की रक्षा की जा सके।
- मालसूची प्रबन्धन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

9.1.5 बुनियादी ढांचे की स्थापना

लेखापरीक्षा उद्देश्य: विभिन्न कार्यों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और उपयोग जब भी आवश्यक हो सुनिश्चित किया गया था।

9.1.5.1 प्रस्तावना

डीपीआर में मशीनों के प्रावधान, फैक्ट्री भवन के निर्माण और आवासीय सुविधा के लिए वर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर ₹ 762.70 करोड़ (150 मिलियन यूएसडी) का पूंजीगत निवेश परिकल्पित है। (परिशिष्ट XXIX में विवरण) पूंजीगत निवेश क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक परियोजना विशिष्ट उपकरण प्रस्तावित (फरवरी 2002) था। इसका निधियन एचएएल द्वारा आन्तरिक संसाधनों/वाणिज्यिक उधारियों द्वारा किया जाना था जिसे श्रम-घंटा दर (एमएचआर) के माध्यम से वसूला जाना प्रस्तावित था। नियोजित बुनियादी ढांचे की पूर्णता की प्रगति की जांच के लिए लेखापरीक्षा ने प्रमुख सुविधाओं की जांच की। अभियुक्तियों नीचे दी गई हैं:

9.1.5.2 संरचनात्मक एसेम्बली काम्प्लैक्स के निर्माण में विलम्ब

अतिरिक्त मशीनरी, उपकरण, गैर मानक उपकरण और टूलिंग को समायोजित करने लिये नासिक में संरचनात्मक एसेम्बली काम्प्लैक्स का निर्माण परिकल्पित था ताकि एसेम्बलिंग के लिए जगह प्रदान की जा सके और इसे अप्रैल 2002 से शुरू कर दिसम्बर 2003 तक पूरा किया जा सके। एचएएल ने ₹ 23.89 करोड़ की लागत से मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड को निविदा दी (जुलाई 2003)। यह कार्य जिसे अप्रैल 2004 तक पूरा किया जाना था दिसम्बर 2007 में पूरा किया जा सका था (दोषों को सुधारने के बाद)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि (सितम्बर-अक्तूबर 2013) नासिक डिविजन ने निविदा देने के लिए समय से कारवाई प्रारम्भ नहीं की थी जबकि डीपीआर में विशिष्ट रूप से दिसम्बर 2003 तक सिविल कार्यों की पूर्णता के लिए समय सीमा दी गई थी ताकि उत्पादन लाइसेंस के लिए तैयारी सुनिश्चित की जा सके।

कॉम्प्लैक्स के निर्माण में विलम्ब के परिणामस्वरूप चरण III में एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए कपलिंग जिग्स को नहीं लगाया गया और इसके कारण ₹ 28.73 करोड़ के परिहार्य व्यय से आर ओ ई की कपलिंग गतिविधियों को आफलोडिंग हुई (अक्तूबर 2005)।

प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 2014) कि परामर्शी ठेकेदारों का चयन करने में विलंब, उसके नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारणों की वजह से सिविल संविदा प्रदान करने के बाद विलम्ब, एलटीडी की आपूर्ति में विलम्ब, आर ओ ई द्वारा टूलिंग और एनएसई के परिणामस्वरूप आरओई को चरण III के अन्तर्गत देय चार वायुयानों की श्रम की आउटसोर्सिंग हुई। प्रबंधन ने यह भी कहा कि आर ओ ई के लिये आउटसोर्सिंग में किया गया अतिरिक्त व्यय एच ए एल प्रयास में बचत द्वारा पूरा किया गया था और कोई भी श्रम व्यर्थ नहीं था।

उत्तर में सिविल संविदा प्रदान करने में विलम्ब से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिये विनिर्दिष्ट नहीं थे। एच ए एल, के वायुयान की डिलिवरी के लिये नियत अवधि स्वीकार करने के पश्चात उत्पादन बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।

9.1.5.3 नॉन-इको चेम्बर का निर्माण

डीपीआर में जमीन पर त्रुटिरहित रेडार परिसर और कठिन जांच के लिये नासिक डिविजन पर नॉन इको चेम्बर के निर्माण को उल्लिखित था। अनुमानित लागत ₹ 3.63 करोड़ थी और कार्य दिसम्बर 2003 तक समाप्त होना था। एचएएल ने ₹ 54.51 लाख की लागत पर फ्लाइट हैंगर और कार्यात्मक परीक्षण प्रयोगशाला पर नॉन-इको चेम्बर की स्थापना के लिये कार्यप्रणाली प्रलेखन के स्थानान्तरण के लिये आरओई के साथ पूरक करार संपन्न (दिसम्बर 2003) किया।

नॉन-इको चेम्बर के निर्माण के लिए संविदा अप्रैल 2006 तक नियत पूर्ति सहित ₹ 5.54 करोड़ की लागत पर मेसर्स विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीआईएल) को दी (जुलाई 2005)। यद्यपि, कार्य 25 माह के विलम्ब के बाद मई 2008 में पूरा हुआ। सिविल कार्य के निर्माण में विलंब के कारण, तत्पश्चात् इसे अक्तूबर 2008 में स्थापित किया गया। इन विलम्बों के कारण, आर ओ ई ने कार्यात्मक परीक्षण प्रयोगशाला और फ्लाइट हैंगर में आंशिक जांच और पायलेट द्वारा रेडार (वायु से वायु) के निष्पादन प्रमाणित किये जाने की सिफारिश की। नॉन इको चेम्बर की विलम्ब से स्थापना ने अक्तूबर 2008 तक जमीन पर रेडार परिसर और कठिन जांच के त्रुटिरहित परीक्षण को रोका।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2014) कि रेडार परिसर हैदराबाद डिविजन से प्राप्त हुआ था जहां नासिक के लिये प्रेषण से पूर्व पूर्ण जांच/परीक्षण किया गया था, नासिक में नॉन-इको चेम्बर पर ऐसी ही जांच की

गई और यह कि बाद में ऐसी जांच/परीक्षण, फ्लाइट परीक्षण वायुयान पर इसके बाद किये गए और यह भी कि नॉन- इको चेम्बर की स्थापना न होने से उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित न हो।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि हैदराबाद पर किये गये जांच/परीक्षण वायुयान में फिटिंग से पूर्व थी लेकिन जांच वायुयान में दोनों जमीन पर या हवा में किये जाने अपेक्षित थे। इसलिए, नॉन-इको चेम्बर की स्थापना में विलम्ब ने अक्टूबर 2008 तक जमीन पर रेडार परिसर और कठिन जांच का पूर्ण परीक्षण रोका।

9.1.5.4 कम्प्यूटरीकृत संख्यानुसार नियंत्रित (सीएनसी) उपकरण की कार्य शुरुआत में विलम्ब

तकनीकी आवश्यकताओं पर आधारित, उच्च उत्पादन के लिये काम का बोझ, आंतरिक रूप से समान मशीनों की उपलब्धता और कार्य की सबकॉन्ट्रैक्टिंग में व्यवहार्यता, नासिक डिविजन के लिये ₹116.20 करोड़ की लागत वाले संयंत्र और मशीनरी के 205 मर्दों की आवश्यकता डीपीआर में प्रस्तावित थीं। इसमें सीएनसी मशीनें शामिल थी जो दिसम्बर 2002 तक सुव्यवस्थित और जून 2004 तक जिस पर कार्य शुरू होना अपेक्षित था।

समीक्षा से पता चला कि, ₹ 18.66 की लागत पर दो सीएनसी एक्सिस मशीनों की आपूर्ति के जुलाई 2004 में आदेश दिये गये थे और जून 2006 तक आपूर्ति की जानी थी। यद्यपि मशीन का नियत समय अनुसार आपूर्ति कर दी गई थी, संस्थापन और कार्य की शुरुआत क्रेनों की अनुपलब्धता के कारण सितम्बर 2007 में ही हुई। कार्य की शुरुआत में विलम्ब के परिणामस्वरूप, चक्र पुर्जा के उत्पादन में कमी हुई और उर्ध्वाधर पंखों के मुख्य संयोजन और फिटिंग में गिरावट हुई। इसके परिणामस्वरूप डिविजन ने 2007-08 के दौरान चरण III में वायुयान के वितरण के अनुपालन के लिये ₹ 3.38 करोड़ पर तैयार घटकों के दो सेटों की आपूर्ति के लिये आर ओ ई के साथ पूरक करार का सम्पादन (अक्टूबर 2007) किया। इस प्रकार, मशीनरी के शुरुआत में विलम्ब से ₹ 3.38 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के अतिरिक्त स्वदेशीकरण कार्यक्रम में विलंब हुआ और उर्ध्वाधर पंख के लिये आवश्यक मर्दों की आउटसोर्सिंग हुई।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2014) कि मशीनों के वितरण और कार्य शुरुआत में विलम्ब, तकनीकी के समावेश में विलम्ब के अतिरिक्त संस्थापन और शुरुआत के दौरान विक्रेता के सामने आई तकनीकी कठिनाई और मशीनों के लिये सिविल साइट की तैयारी में विलम्ब के कारण था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.38 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जो आकास्मिक निधि से निधिबद्ध था।

प्रबंधन के उत्तर से पुष्टि हुई कि बुनियादी ढांचे को बनाने में विलम्ब, के कारण अतिरिक्त व्यय के साथ साथ स्वदेशीकरण योजना के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई।

9.1.5.5 वेल्डिंग चेम्बर की स्थापना में विलंब

नासिक डिविजन ने टरबाइन, कंप्रेसर और डिफ्युसर संयोजन के महत्वपूर्ण घटकों की वेल्डिंग के लिये रोबोटाइज्ड वेल्डिंग चेम्बर उपलब्ध कराने को प्रस्तावित (मई 2003) किया था। मेसर्स हिन्द हाई वैक्यूम कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 31.09 करोड़ की लागत में आरोगान चेम्बर में टी.आई.जी. को स्थापित और चालू करने का ठेका (जुलाई 2008) दिया गया था। संस्थापना फरवरी 2013 तक पूरी कर दी गई थी लेकिन कार्य शुरुआत अक्टूबर 2013 में ही हुई।

लेखापरीक्षा में देखा गया (सितम्बर-अक्टूबर 2013) कि नई सुविधा के लिए कार्य की शुरुआत और संस्थापना के न होने के कारण, डिविजन ने ₹ 18.02 करोड़ की लागत पर आरओई से तैयार मानव चालित चेंबर वेल्डिंग (एमसीडब्ल्यू) संयोजन के 40 सेटों की खरीद का सहारा (नवम्बर 2007, दिसम्बर 2011 और अप्रैल 2012) लिया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2014) कि यद्यपि उपकरणों की खरीद और संस्थापन में विलम्ब था, स्वदेशी क्षमताएँ स्थापित की गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि वायुयान वितरण की सहायता हेतु इंजन उत्पादन को सफल बनाने के लिये उस अतिरिक्त व्यय को किया गया था नहीं तो अन्य परिणामी हानि हो सकती थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एचएएल ने दिसम्बर 2006 में आमंत्रित संविदा को अंतिम रूप देने में 18 महीनों का विलम्ब किया जिससे दिसम्बर 2011 और अप्रैल 2012 में ₹ 14.18 करोड़ के लिये आउटसोर्सिंग आवश्यक हुई। इसके अतिरिक्त, मानव चालित चेम्बर वेल्डिंग स्थापित करने में विलम्ब से स्वदेशीकरण योजना भी प्रभावित हुई।

9.1.5.6 वायुयान की मरम्मत और निरीक्षण के लिए सुविधाओं का निर्माण

एचएएल ने नासिक, लखनऊ, हैदराबाद और कोरवा में वायुयान (एयरफ्रेम और उसके समुच्चय) के मरम्मत के लिये सुविधाओं को बनाने की योजना (अगस्त 2009) बनाई ताकि फरवरी 2012 तक पूर्ण हो जायें क्योंकि (मई 1997 और दिसम्बर 2004) के बीच वायुसेना द्वारा आरओई से सीधे खरीदे गये 50 वायुयान तथा संविदा I और II (140 और 40 अतिरिक्त वायुयान के लिये) के अंतर्गत एचएएल द्वारा आपूर्ति किये गये वायुयान, 1500 उड़ान घंटे या 10 वर्षों की कुल तकनीकी जीवन के अवधि के पूर्ण होने के बाद 2011-12 के बाद से मरम्मत के लिये बाकी थे।

भारत सरकार ने फरवरी 2012 तक इन सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹ 1793.17 करोड़ मंजूर किए (अगस्त 2009)। सस्वीकृति में पूंजीगत व्यय के प्रति ₹ 401.02 करोड़ तथा आस्थगित राजस्व व्यय के प्रति ₹ 1392.15 करोड़ सम्मिलित थे।

एचएएल पर आरओएच की सुविधाओं के स्थापन में विलम्ब तथा फ्लीट सेवायोग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव को मई 2006 में प्रस्तुत संघ सरकार (रक्षा सेवाओं) से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2006 की संख्या 4) में टिप्पणी की गई थी। कार्यवाही की गई टिप्पणी में, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया था (मई 2011) कि सुविधाओं के स्थापन में विलम्ब मुख्यतः एयरक्राफ्ट के इस वर्जन के बिकास में विलम्ब तथा इसके दोहन अनुभव के अभाव के कारण था। इसने यह भी कहा था कि इंजीनियरिंग सहायक सुविधाओं को रक्षा मंत्रालय द्वारा योजनित किया गया था तथा एक चरणवद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा था।

डिविजन-वार परियोजना समय सीमा (परिशिष्ट XXVIII) तथा कुल संस्वीकृति तथा सितम्बर 2013 तक वास्तविक व्यय को परिशिष्ट XXX में दिया गया है। इन विवरणों के अध्ययन से प्रकट होता है कि मरम्मत/ओवरहॉल सुविधाएं जिनका फरवरी 2012 तक तत्परता से होना अपेक्षित था, दिसम्बर 2013 तक भी अपूर्ण थी जिसके परिणामस्वरूप 22 माह का विलम्ब हुआ।

9.1.5.7 इंजन निर्माण तथा ओवरहॉल क्षमता का संवर्धन

जैसाकि पैरा 9.1.3.3 में बताया गया है कि एचएएल के इंजन डिविजन, कोरापूट पर पांच चरणों में इंजनों को निर्मित किया जाना था। टीपीपी रिपोर्ट ने 24 इंजनों का निर्माण करने के लिए प्लांट तथा मशीनरी की 2,043 मर्दों के प्रति 2000 मूल्य स्तर पर ₹ 406.66 करोड़ का निवेश परिकल्पित किया था। तथापि, डीपीआर ने निधि अवरोधन को दर्शाते हुए 24 इंजनों के निर्माण के लिए प्लांट तथा मशीनरी की 1330 मर्दों के लिए केवल ₹ 279.51 करोड़ परिनियोजित किए।

डिविजन की क्षमता निर्माण का निर्धारण करने के लिए एचएएल द्वारा किए गए एक अध्ययन (मई 2012) में बताया गया (जुलाई 2012) कि प्लांट तथा मशीनरी की शेष मर्दों के समावेशन न होने के कारण, 24 इंजनों के निर्माण हेतु परिकल्पित क्षमता को प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर-अक्टूबर 2013) कि जनवरी 2001 में सू-30 एमकेआई एयरक्राफ्ट के निर्माण हेतु संस्वीकृति प्रदान करते समय सरकार ने स्वयं वर्णित किया था कि नई लाइनों की स्थापना या उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित मानकीकृत मशीन उपकरणों तथा सिविल कार्यों के लिए यूएसडी 150 मिलियन (₹ 690 करोड़) के पूंजीगत निवेश का एचएएल द्वारा उसके आन्तरिक स्रोतों/वाणिज्यिक ऋणों से निधियन किया जाएगा तथा कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि यह श्रम-घंटा दर के माध्यम से वसूल किया जायगा। एचएएल को प्रारम्भ से ही अपनी प्रतिबद्धताओं का पता था, तथापि एचएएल बोर्ड ने 2014-15 तक पूर्ण करने हेतु समय सीमा के साथ 24 इंजन प्रति वर्ष की निर्माण क्षमता के संवर्धन हेतु ₹ 556.71 करोड़ के पूंजीगत निवेश के लिए केवल अगस्त 2012 में सस्वीकृति दी। एचएएल ने खरीद की कार्यवाही प्रारम्भ की थी (सितम्बर 2012) तथा मार्च 2016 की पूर्णता की अपेक्षित तिथि के साथ दिसम्बर 2013 तक केवल ₹ 20.99 करोड़ का व्यय किया। इसके अलावा, यह देखा गया था कि निधि अवरोधन को दर्शाते हुए क्षमता के संवर्धन पर व्यय को प्रतिबंधित करने के लिए एचएएल का निर्णय भी तर्कसंगत नहीं था क्योंकि इसने मार्च 2001 तक ₹ 1,379.11 करोड़ तथा मार्च 2013 तक ₹ 13,257.69 करोड़ के बीच रिजर्व तथा अधिशेष संचालित किया।

इस प्रकार, एचएएल मरम्मत तथा ओवरहॉल सुविधाओं के संवर्धन हेतु 2014-15 की नियत पूर्णता में पीछे था।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2014) कि अध्ययन दल द्वारा क्षमता को उप-ठेके की संभावनाओं सहित विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किया गया था तथा चरण IV इंजन के निर्माण में अनुभव प्राप्त करने के पश्चात, डिविजन ने (जुलाई 2012) मौजूदा क्षमता के संवर्धन की आवश्यकता अनुभव की।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डीपीआर को, संक्षिप्त वितरण कार्यक्रम की स्वीकृति (मार्च 2006) के आधार पर सभी सम्बंधित पहलुओं को ध्यान में रखकर, तैयार होना चाहिए था। जैसाकि तालिका-67 में बताया गया है कि एचएएल को चरण IV तथा V के तहत 2009-10 के बाद से 12 इंजन प्रति वर्ष से अधिक निर्माण करना था। इसलिए इंजनों की आवश्यक संख्या के वितरण के लिए मौजूदा क्षमता पर्याप्त नहीं थी। इस संदर्भ में, क्षमता संवर्धन हेतु बोर्ड के निर्णय (अगस्त 2012) में विलम्ब हुआ।

निष्कर्ष

एचएएल वैमानिकी प्रणाली, इंजनों तथा सहायक समाग्रियों सहित एयरक्राफ्ट के निर्माण जैसी सभी प्रमुख गतिविधियों व मरम्मत तथा ओवरहॉल के लिए सुविधाओं के सृजन के संदर्भ में नियत समय से पीछे था। परिणामस्वरूप इसने ओईएम से सम्बंधित गतिविधियों को पूरा करने हेतु बाहरी स्रोतों का प्रयोग किया। इन्ही कारणों से वितरणों में विलम्ब तथा टीबीओ की पूर्णता के पश्चात प्रतिष्ठापित एयरक्राफ्ट की ओवरहॉल करने के लिए असमर्थता हुई।

अन्तर सरकारी करार (अक्टूबर 2000) विलम्ब के प्रति संरक्षण प्रदान नहीं करता तथा इसके परिणामस्वरूप आरओई कर आरोग्य लागत में वृद्धि हुई। फलस्वरूप, एचएएल को पैरोग्राफो 9.1.3.2, 9.1.4.2, 9.1.4.4, 9.1.4.5, 9.1.5.2 तथा 9.1.5.5 में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्तरों पर आरओई द्वारा विलम्बों के लिए आरोग्य अतिरिक्त वित्तीय लागतों का अवशोषण करना पड़ा था।

सिफारिश

- नियत उत्पादन के साथ बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के तुल्यकालन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

मंत्रालय को यह मामला अप्रैल 2014 में सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2014)।

बीईएमएल लिमिटेड

9.2 कैप्टिव खपत हेतु विद्युत का उपयोग न होने के कारण हानि

कैप्टिव खपत हेतु पवनचक्की फार्म द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग न होने तथा हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) को उस मूल्य जिसका वे बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (बीईएससीओएम) तथा भोरुका पावर कार्रपोरेशन लिमिटेड को विद्युत की खरीद हेतु भुगतान करते थे, से कम पर विद्युत बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 5.67 करोड़ की हानि हुई। (अप्रैल 2014)

बीईएमएल लिमिटेड (कम्पनी) ने ₹ 25 करोड़ की परियोजना लागत पर कैप्टिव खपत हेतु 5 मेगावाट पवनचक्की फार्म की स्थापना के लिए निदेशक बोर्ड को प्रस्ताव दिया (जनवरी 2006)। सिद्धांत रूप में संस्वीकृति (जनवरी 2006) प्रदान करते समय, बोर्ड को विचार तथा मंजूरी के लिए एक परियोजना रिपोर्ट की आवश्यकता थी। तदनुसार, मैसर्स एनवायरमेंट एवं पावर टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड (ईपीटीपीएल) को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया (जनवरी 2006)।

ईपीटीपीएल की डीपीआर (अप्रैल 2006) ने दो वित्तीय विकल्पों अर्थात् (i) इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी (ईएससीओएम) को ₹ 4.30 प्रति इकाई की दर के कैप्टिव खपत के लिए पवन ऊर्जा का उत्पादन तथा (ii) ₹ 3.40 प्रति इकाई की दर से ईएससीओएम/कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्रपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) को पवन ऊर्जा की बिक्री पर विचार किया। इसमें दोनों विकल्पों के प्रति क्रमशः ₹ 3.26 करोड़ प्रति वर्ष एवं ₹ 2.18 करोड़ प्रति वर्ष की बचत परिकल्पित थी। कैप्टिव खपत के लिए ₹ 30 करोड़ की लागत पर 5 मेगावाट पवन चक्की फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव के साथ डीपीआर बोर्ड के समक्ष रखी गई थी (अप्रैल 2006)। बोर्ड ने प्रति वर्ष ₹ 2 करोड़ से अधिक की बचत की परिकल्पना करते हुए प्रस्ताव का अनुमोदन (अप्रैल 2006) किया। तदनुसार, कम्पनी ने ₹ 26.54 करोड़ की कुल लागत पर 5 मेगावाट पवन फार्म की स्थापना के लिए मेसर्स सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को तीन क्रयादेश²³⁷ दिये (जून 2007)। उसी दौरान, कम्पनी ने खपत के लिए बनी व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग प्रबन्ध²³⁸ पर आधारित पवन फार्म परियोजना के विकास के लिए कर्नाटक रिनिवेबल एनर्जी डेवेलपमेन्ट लिमिटेड (केआरईडीएल²³⁹) को आवेदन (जुलाई 2007) किया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 2003 ऊर्जा की खुली पहुँच²⁴⁰ तथा कैप्टिव उत्पादन के लिए प्रावधान करता है। कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन (केईआरसी) (खुली पहुँच के लिए शर्तें एवं निबन्धन) विनियम दिसम्बर 2004 में जारी/ अधिसूचित किये गये थे।

²³⁷ एक क्रयादेश आदेश पवन चक्की ऊर्जा जेनरेटरों की आपूर्ति के लिए, एक स्थापन, जाँच तथा शुरू करने के लिए तथा अन्य भूमि के लिए

²³⁸ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अनुमोदन तथा विनियमन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी

²³⁹ व्हीलिंग का अर्थ उस संचालन से है जहाँ एक ट्रांसमिशन लाइसेंसि अथवा वितरण लाइसेंसि जैसा भी मामला हो, की वितरण प्रणाली तथा सहायक सुविधाओं का प्रयोग अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभारों के भुगतान पर बिजली के संप्रेषण के लिए किया जाता है।

²⁴⁰ खुली पहुँच का अर्थ है उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार सर्जन में लगे किसी लाइसेंसि अथवा उपभोग अथवा एक व्यक्ति द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों अथवा वितरण प्रणाली के प्रयोग के लिए गैर-पक्षपाती प्रावधान;

कम्पनी ने एक 5 मेगावाट पवन चक्की फार्म परियोजना²⁴¹ स्थापित (दिसम्बर 2007) की। तत्पश्चात्, खपत के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के बोर्ड के पिछले अनुमोदन (अप्रैल 2006) से विचलन करते हुए, कम्पनी ने 20 वर्षों²⁴² की अवधि के लिए उत्पादित ऊर्जा की बिक्री हेतु हुबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (एचईएससीओएम) के साथ एक ऊर्जा खरीद अनुबन्ध (पीपीए) किया (फरवरी 2008)। कम्पनी ने एचईएससीओएम को बिजली की बिक्री पर जनवरी 2008 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान ₹ 19.63 करोड़ अर्जित किये थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जनवरी 2008 से अप्रैल 2014 की अवधि के दौरान 5.77 करोड़ केडब्ल्यूएच ऊर्जा इकाईयों के उत्पादन तथा ₹ 19.63 करोड़ के राजस्व सृजन के प्रति, केजीएफ काम्प्लैक्स में कम्पनी ने बेंगलूर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड (बीईएससीओएम) तथा बोरूका पावर कम्पनी कार्पोरेशन लिमिटेड से खरीदी गई 5.77 करोड़ केडब्ल्यूएच यूनिटों की खपत के प्रति ₹ 27.27 करोड़ का व्यय वहन किया था।

इस प्रकार, पवन चक्की द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप जनवरी 2008 से अप्रैल 2014 की अवधि में ₹ 5.67²⁴³ करोड़ की हानि हुई।

मंत्रालय (मार्च 2014) ने बताया कि कर्नाटक इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (केईआरसी) ने व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग अनुबन्ध के मामले में केवल जुलाई 2008 में आदेश पारित किये थे। चूंकि दिसम्बर 2007 के दौरान व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग अनुबन्ध के मध्यम से केप्टिव खपत के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए एचईएससीओएम के साथ पीपीए का चुनाव करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मंत्रालय ने आगे बताया कि पीपीए की समाप्ति तथा पवन ऊर्जा के केप्टिव खपत से संबंधित मामला कम्पनी द्वारा गम्भीरता से आगे बढ़ाया गया था।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि जुलाई 2008 में केईआरसी द्वारा पारित आदेश सभी नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मानक व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने के लिए ही था। व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग सुविधा हेतु प्रावधान पवन चक्की (दिसम्बर 2007) के प्रतिस्थापन से पहले से ही विद्यमान थे। इस तथ्य के बावजूद कि कम्पनी ने केप्टिव खपत के लिए बने पवन फार्म परियोजना के विकास के लिए केआरईडीएल को आवेदन किया था तथा बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार भी पवन चक्की परियोजना केवल केप्टिव खपत के लिए वांछित थी, पवन चक्की फार्म के प्रतिष्ठापन के 6 वर्षों के बाद तक भी व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग अनुबन्ध नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यद्यपि पीपीए²⁴⁴ संविदा की समाप्ति के लिए प्रावधान करता है, केप्टिव खपत के लिए सृजित ऊर्जा के उपयोग के लिए इन प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था।

इस प्रकार, केप्टिव खपत के लिए उत्पादित ऊर्जा का उपयोग न करने तथा उच्च दर पर बीईएससीओएम तथा भोरूका पावर कार्पोरेशन लिमिटेड से ऊर्जा की खरीद करने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 तक ₹ 5.67 करोड़ की हानि हुई।

²⁴¹ कपाटगुडा-2, मुन्दारगी तालुक, गडग जिला में;

²⁴² पहले 10 वर्षों के लिए ₹ 3.40 प्रति केडब्ल्यू घण्टे की दर से 11वें वर्ष से आगे, केईआरसी द्वारा निर्धारित दर पर;

²⁴³ वहन किया गया वास्तविक व्यय ₹ 27.27 करोड़ और राजस्व सर्जन ₹ 19.63 करोड़ है। ₹ 1.97 करोड़ के व्हीलिंग एण्ड बैंकिंग प्रभारों पर विचार करने के बाद हानि ₹ 5.67 करोड़ बनती है जो केप्टिव खपत के लिए वहन किया जाना था।

²⁴⁴ 9.3.1 के साथ पठित खण्ड 9.2.1(बी) व्यतिक्रम तथा समाप्ति के संबंध में प्रावधान स्पष्ट करता है

9.3 क्षतिपूर्ति हर्जाने की वसूली न होना

एलडी के लागू ना हो सकने वाली शर्तों को स्वीकार करने के साथ भुगतान को रोक कर रखने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप ₹ 12 करोड़ के एलडी की वसूली नहीं हुई।

बीईएमएल लिमिटेड (कम्पनी) ने आदेश दिये जाने की तिथि से 15 महीने तथा 15 दिनों के भीतर ₹ 91.99 करोड़ के कुल मूल्य पर सहायता सामग्री तथा उपभोज्य सामग्री के साथ दो रोप शावेल की आपूर्ति के लिए एक क्रयादेश (पीओ) (नवम्बर 2007) के बाद बीईएमएल ब्यूसाइरस 20 सीयू एम रोप शावेल²⁴⁵ की आपूर्ति के लिए नॉर्दन कोलफील्डस लिमिटेड²⁴⁶ (एनसीएल) से एक आशय-पत्र (एलओआई) (अक्टूबर 2007) प्राप्त किया। खरीद आदेश ₹ 137.99 करोड़ के कुल मूल्य पर तीन रोप शावेल की आपूर्ति के लिए संशोधित (फरवरी 2008) किया गया था, जो तीसरे रोप शावेल की सुपुर्दगी पीओ की मूल तिथि (नवम्बर 2007) से 18 महीने 15 दिनों के भीतर निर्धारित करता था। उत्पादन तथा प्रतिष्ठापन कार्यस्थल पर पूर्ण उपकरणों की प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर बीईएमएल द्वारा पूर्ण किया जाना था। पीओ की शर्तों के अनुसार उपकरणों की सुपुर्दगी में विलम्ब पर अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यक्षीन आपूर्ति न किए गए किसी भण्डार के मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह का क्षतिपूर्ति हर्जाना (एलडी) लगता है और उपकरण के उत्पादन/प्रतिष्ठापन में विलम्ब पर 5 प्रतिशत अधिकतम के अध्यक्षीन उपकरण की भू कीमत के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह का एलडी लगता है।

नवम्बर 2007 में एनसीएल से आदेश की प्राप्ति पर, बीईएमएल ने बैंक टू बैंक आधार पर रोप शावेल के सीकेडी²⁴⁷ के दो सेटों की आपूर्ति हेतु मैसर्स ब्यूसाइरस इण्टरनेशनल एन्क, यूएसए (बी आई आई) को पीओ दिया (दिसम्बर 2007) जिसे 16785000 यू एस डालर (₹ 70.50 करोड़) के मूल्य के लिए तीन सेटों की आपूर्ति हेतु बाद में संशोधित (फरवरी 2008/अप्रैल 2008) किया गया था। बी आई आई को दिए पीओ की शर्तों के अनुसार ब्यूसाइरस आपूर्ति मदों तथा पूर्ण समूह/संघटकों की सुपुर्दगी अनुसूची पहले खरीद आदेश (19 दिसम्बर 2007) की तारीख से मानकर क्रमशः दो सेटों के लिए 24 सप्ताह तथा 44 सप्ताह और तीसरे सेट के लिए 30 सप्ताह तथा 50 सप्ताह थी। बाद में विद्युतीय मदों को निकालने के लिए पीओ संशोधित (नवम्बर 2008) किया गया था जिससे पीओ का मूल्य 14140315 यू एस डालर (₹ 59.39 करोड़) तक कम हो गया। विद्युतीय मदों की आपूर्ति हेतु एक अन्य पीओ मैसर्स ब्यूसाइरस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता (बी आई पी एल)को ₹ 11.90 करोड़ के मूल्य पर दिया गया था। बी आई पी एल, बी आई आई का वाणिज्यिक साथी है।

बी आई आई तथा बीआईपीएल को दिए पीओ (फरवरी 2008 तथा दिसम्बर 2008) की शर्तों के अनुसार बी आई आई को भुगतान साखपत्र (एलसी) के माध्यम से किया जाना था और बीआईपीएल को भुगतान माल की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अन्दर किया जाना था। इसके अलावा, बी आई आई द्वारा उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यक्षीन 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के दर पर एलडी उदग्रहीत किया जाना था जो ओईएम पार्ट्स क्रेडिट के रूप में देय था। कार्यस्थल पर पूर्ण परेषण की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों से अधिक उपकरण के उत्पादन तथा प्रतिष्ठापन में विलम्ब के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत के अध्यक्षीन 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर एलडी उदग्रहीत किया जाना था जो बीईएमएल को ओईएम पार्ट्स क्रेडिट के रूप में ही देय था। पार्ट्स क्रेडिट या तो फालतू पुर्जों की खरीद के लिए अथवा सीकेडी के तीसरे सेट की आपूर्ति के लिए बीईएमएल द्वारा उपयोग किया जा सकता था। तथापि, बी आई आई द्वारा एलडी केवल तभी देय होगा यदि आपूर्ति में विलम्ब तथा एनसीएल को देय रोप शावेल के उत्पादन तथा प्रतिष्ठापन में विलम्ब के लिए एनसीएल द्वारा बीईएमएल पर उदग्रहीत किया गया था।

²⁴⁵ एन सी एल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश - कॉल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी, भारत सरकार का उपक्रम

²⁴⁶ मॉडल 295 सीरीज इलेक्ट्रिक रोप शावेल

²⁴⁷ समूहों तथा संघटकों का पूर्ण नॉक डाउन;

हमने पाया कि बी आई आई ने लगभग 2 से 43 सप्ताहों के विलम्ब से सितम्बर 2008 से नवम्बर 2009 तक के दौरान तीन सीकेडी सेटों की आपूर्ति की। परिणामस्वरूप, बीईएमएल ने 3 से 10 सप्ताहों के विलम्ब से अप्रैल से जून 2009 के दौरान एनसीएल को उपकरण आपूर्ति किए और लगभग 7 से 15 महीनों के विलम्ब से दिसम्बर 2009 तथा अगस्त 2010 के बीच एनसीएल में उत्थापन तथा प्रतिष्ठापन पूर्ण हुआ था। एनसीएल ने रोप शावेल की आपूर्ति में विलम्ब के प्रति बीईएमएल से ₹ 4.48 करोड़ और उत्थापन तथा प्रतिष्ठापन में विलम्ब के प्रति ₹ 7.56 करोड़ का एलडी काट लिया (अप्रैल 2009 से सितम्बर 2010)।

चूंकि एनसीएल ने बीईएमएल से एलडी उदग्रहीत किया था इसलिए बीईएमएल ने ₹ 12 करोड़²⁴⁸ के एलडी के प्रतिदाय के लिए बी आई आई पर बैंक टू बैंक दावा किया (फरवरी 2010/मार्च 2011)। यद्यपि, बी आई आई केवल एक रोप शावेल के संबंध में दावा निपटाने को सहमत हो गया परन्तु बी आई आई शेष दो रोप शावेल के संबंध में एलडी के प्रतिदाय के लिए सहमत नहीं हुआ था (जुलाई 2013)। करार की शर्तों के अनुसार पार्ट्स क्रेडिट भी बीईएमएल को नहीं दिया/ विस्तारित किया गया था।

हमने आगे पाया (सितम्बर 2013) कि यद्यपि 2009-10 से 2011-12 तक के दौरान पुर्जों की आधिप्राप्ति के लिए बी आई आई को बीईएमएल द्वारा 79 (117.301 लाख यू एस डालर) आदेश दिए थे, परन्तु पीओ की शर्तों के अनुरूप ओईएम पार्ट्स क्रेडिट के माध्यम से एलडी की वसूली किंचित प्रवर्तित नहीं गई थी। इसके अलावा वैकल्पिक कि आईएम पार्ट्स क्रेडिट, जो सीकेडी के तीसरे सेट की आपूर्ति के प्रति उपयोग किया जा सकेगा, प्रवर्तनीय भी नहीं था क्योंकि बी आई आई को भुगतान एलसी के माध्यम से था और एलडी केवल बैंक टू बैंक²⁴⁹ आधार पर वसूली योग्य था। इस तथ्य कि एनसीएल द्वारा (अप्रैल 2009 से सितम्बर 2010) एलडी की वसूली से पूर्व बी आई आई को भुगतान हेतु एलसी बीईएमएल (जुलाई 2008 से फरवरी 2009) द्वारा स्थापित किया गया था, के मद्देनजर एलडी उनको देय भुगतानों से बी आई आई से वसूल नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 2013) कि खनन कारोबार में हायर एण्ड इलेक्ट्रीकल शावेल में पैठ बनाने के लिए आदेश प्राप्त करना महत्वपूर्ण था। कल पुर्जों की आपूर्ति उपकरण आपूर्ति हेतु सहमत शर्तों का लिहाज किए बिना एलसी/साइट ड्राफ्ट के माध्यम से अग्रिम भुगतान के प्रति है। उपकरण पीओ के संबंध में एलडी खण्ड का उपयोग करने की दशा में कल पुर्जों के लिए जारी पीओ में बी आई आई ने ग्राहक आदेशों और अनुरक्षण तथा मरम्मत करारों के प्रति कल पुर्जों की आपूर्तियाँ नहीं करनी होनी थी। प्रबन्धन ने आगे बताया कि एलडी का विषय बी आई आई / सी जी एम²⁵⁰ के साथ उठाया जा रहा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बीईएमएल द्वारा सहमत शर्तें तथा निबन्धन प्रवर्तनीय नहीं थे और कम्पनी के हित की रक्षा नहीं करते थे। इसके अलावा विद्युतीय मदों के प्रति कम्पनी ने बीआईपीएल को भुगतान किए थे जिसमें से ₹ 2.97 करोड़ की राशि का बीईएमएल को किए गए भुगतानों से एनसीएल द्वारा एलडी की कटौती से पूर्व पहले ही भुगतान कर दिया था। कम्पनी के पास ₹ 9.91 करोड़ की शेष राशि को रोकने का एक और अवसर था। तथापि बी आई आई से वसूली योग्य एलडी के प्रति बीआईपीएल को किए गए भुगतान को रोकने के लिए बीईएमएल ने कार्रवाही आरम्भ नहीं की थी उसी प्रकार जैसा 10 क्यू एम रोप शावेल के लिए दिए गए पीओ के मामले में किया गया। एलडी दावा 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी निपटाया नहीं गया था (अक्टूबर 2014)। मंत्रालय ने, प्रबन्धन के

²⁴⁸ बीईएमएल ने एनसीएल द्वारा काटे गए ₹ 12.05 करोड़ के प्रति यथा लागू बी आई आई से ₹ 11.91 करोड़ का दावा किया। ₹ 11.91 करोड़ में बीआईपीएल से विद्युतीय मदों की आपूर्ति के प्रति ₹ 0.23 करोड़ का एलडी भी शामिल है।

²⁴⁹ बी आई आई द्वारा एलडी केवल तभी देय था यदि एनसीएल द्वारा बीईएमएल से एलडी उदग्रहीत किया गया था।

²⁵⁰ बी आई आई को जुलाई 2011 में मै. कैंटर पिलर ग्लोबल माइनिंग द्वारा अधिकार में ले लिया गया है।

उत्तर को पृष्ठांकित करते हुए बताया, कि (मार्च 2014) ऐसे करारों में सावधानीपूर्वक प्रावधानों की समीक्षा करने और सुनिश्चित करने कि एलडी की वसूली के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, के लिए सभी डीपीएसयू को निर्देश जारी किए गए (मार्च 2014)।

इस प्रकार भुगतानों को रोकने में विफलता के साथ साथ एलडी की वसूली की अप्रवर्तनीय शर्तों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 12 करोड़ के एलडी की वसूली नहीं हुई।

9.4 एसीईएमयू कोचों की आपूर्ति में ₹ 9.81 करोड़ की हानि

वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की आपूर्ति के प्रस्ताव में मूल्य वर्द्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ की वसूली नहीं हुई और कोचों की विलम्बित आपूर्तियों के परिणामस्वरूप ₹ 2.99 करोड़ के क्षतिपूर्ति हर्जानों का भुगतान हुआ। इसके अलावा, कम्पनी को निर्धारित सुपर्दगी अनुसूची के आगे सुपर्दगियों के लिए प्रदत्त उत्पाद शुल्क होने पर ₹ 1.31 करोड़ का अवशोषण करना पड़ा क्योंकि सुपर्दगी अनुसूची का विस्तार अस्वीकरण खण्ड में था।

रेल मंत्रालय (एमओआर) ने आल्टरनेटिंग करेंट इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों (एसी ईएमयू) कोचों के सज्जाकरण तथा आपूर्ति हेतु निविदाएँ आमंत्रित की (जून 2007)। निविदा शर्तों के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट/ कच्चे माल पर प्रदत्त कर का समंजन, उत्पादन कर और वैट/एस.टी का निवल कर की मात्रा सहित बिक्री कर (एस.टी) मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की वर्तमान में लागू दर और मात्रा प्रस्ताव में स्पष्टतया दर्शाई जानी थी। मैसर्स बीईएमएल लिमिटेड (बीईएमएल) ने 16 रैकों²⁵¹ और 17 अलगन कोचों की आपूर्ति हेतु ₹ 140.12 करोड़ का अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितम्बर 2007)। प्रस्ताव के अनुसार, उद्धरित कीमतें उत्पाद शुल्क (ईडी) को छोड़कर थी। सेनवैट क्रेडिट पर 2007 के दौरान ध्यान नहीं दिया गया था, भारतीय रेल को कोचों की आपूर्ति के लिए ईडी उदग्रहण नहीं था। प्रस्ताव में यह कहा गया था कि बाद की तारीख में ईडी का भुगतान लागू होने के मामले में, उसे सुपर्दगी के समय पर वास्तविक यथा लागू दर पर अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा और उद्धरित कीमतें एस.टी/वैट को छोड़कर था। एस.टी शुन्य माना गया था।

रेल मंत्रालय ने बीईएमएल को सूचित किया (नवम्बर 2008) कि एसीईएमयू कोचों की आपूर्ति हेतु उनका प्रस्ताव 8 रैकों तथा 17 अलगन ट्रेलर कोचों के लिए स्वीकार किया गया था और पत्र के जारी होने की तारीख से सात दिनों के अन्दर बिना शर्त स्वीकृति की मांग की। प्रतिक्रिया में बीईएमएल ने एस.टी/वैट से सम्बंधित खण्ड को संशोधित करने के अध्यक्षीन अपनी स्वीकृति सूचित की (दिसम्बर 2008) ताकि प्रदत्त वास्तविक एस.टी/वैट की प्रतिपूर्ति का दावा करने में वे समर्थ हो सकें। तथापि, रेल मंत्रालय ने बीईएमएल के अनुरोध पर विचार नहीं किया और ₹ 75.40 करोड़ की पूर्ण लागत पर 8 रैकों तथा 17 अलगन ट्रेलर का नियमित आदेश दे दिया (मार्च 2009) और उसे बीईएमएल द्वारा बिना शर्त स्वीकार कर लिया गया था (मई 2009)। आदेश के अनुसार, सुपर्दगियाँ आदेश दिए जाने के बाद 12 सप्ताह के अन्दर आरम्भ की जानी थीं और 31 मार्च 2010 के अन्दर पूर्ण की जानी थी। आदेश में प्रत्येक माह जिसके लिए करार में निर्दिष्ट अवधि से आगे सुपर्दगी में विलम्ब हुआ था, के लिए सज्जाकरण लागत के एक प्रतिशत की दर पर क्षतिपूर्ति हर्जाना (एलडी) का उदग्रहण भी निर्दिष्ट किया गया था। आदेश में मात्रा विकल्प खण्ड का भी प्रावधान किया गया था जिसके अनुसार रेल मंत्रालय करार के प्रचलन के दौरान कभी भी 30 प्रतिशत अनधिक तक मात्रा में वृद्धि करने का हकदार था। इस खण्ड के अनुसार रेल मंत्रालय ने तीन रैकों की मात्रा में वृद्धि की (मई 2011) और कुल करार मूल्य ₹ 99.67 करोड़ था। अतिरिक्त मात्रा की सुपर्दगी आदेश जारी करने के तीन माह के

²⁵¹ एक रैक में 3 मोटर कोच, 4 ट्रेलर कोच सी तथा 2 ट्रेलर कोच डी शामिल होते हैं

अन्दर आरम्भ होनी थी और उसके बाद तीन माह के अन्दर पूर्ण होनी थी। अतिरिक्त रैकों की सुपुर्दगी अवधि बीईएमएल के अनुरोध पर रेल मंत्रालय द्वारा दिसम्बर 2012 तक और फिर मार्च 2013 तक एलडी के उदग्रहण बिना परन्तु अस्वीकरण खण्ड के साथ बढ़ाई गई थी (जुलाई 20012)।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया था:

(क) उद्धरण में मूल्य वर्धित कर शामिल न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 5.51 करोड़ के प्रदत्त मूल्य वर्द्धित कर/केन्द्रीय उत्पाद कर की वसूली नहीं हुई

बी ई एम एल का कोटेशनकजो यह कहता था कि बिक्री कर शून्य था, सही नहीं था; क्योंकि कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से रेल उत्पादों की बिक्री पर चार प्रतिशत वैट देय था। पुनः 1 अप्रैल 2010 से इसे पांच प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। इस प्रकार प्रस्ताव का इस तरह प्रस्तुतीकरण कि बिक्री कर शून्य था, गलत था। बीईएमएल ने 8 रैकों तथा 17 अलगन ट्रेलर कोच की आपूर्ति में (₹ 3.34 करोड़ (वैट) तथा ₹ 0.44 करोड़ के (केबिक) की आपूर्ति के प्रति वैट/ केन्द्रीय बिक्री कर (केबिक) के लिए ₹ 3.79 करोड़ और फिर अतिरिक्त तीन रैकों की आपूर्ति के प्रति ₹ 1.72 करोड़ का भुगतान किया था। प्रस्ताव में बिक्री कर संघटक को शामिल न करने के कारण बीईएमएल उसकी वसूली नहीं कर सका।

(ख) कोचों की विलम्बित आपूर्ति के कारण ₹ 2.99 करोड़ की हानि

आदेश के अनुसार, 8 रैकों तथा 17 लूज ट्रेलर कोचों की सुपुर्दगी 31 मार्च 2010 के अन्दर पूर्ण की जानी थी। चूंकि कोच निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति नहीं किए गए थे इसलिए बीईएमएल के अनुरोध पर रेल मंत्रालय ने एलडी की उदग्रहण के बिना परन्तु अस्वीकरण खण्ड के साथ सुपुर्दगी अवधि आरम्भ में (जून 2010) दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दी। सुपुर्दगी अवधि फिर मार्च 2011 तक (जनवरी 2011), जून 2011 तक (अप्रैल 2011) और अन्ततः एलडी की उदग्रहण तथा अस्वीकरण खण्ड के साथ नवम्बर 2011 तक (नवम्बर 2011) बढ़ाई गई थी। बीईएमएल ने आपूर्तियाँ मार्च 2010 तथा नवम्बर 2011 के बीच पूर्ण की और क्योंकि दिसम्बर 2010 के आगे आपूर्तियाँ एलडी के उदग्रहण के साथ थी इसलिए रेलवे बोर्ड ने विलम्बित आपूर्तियों के कारण ₹ 2.99 करोड़ की वसूली की।

(ग) ₹ 1.31 करोड़ के उत्पाद शुल्क की वसूली न करना

रेल मंत्रालय को प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के समय पर भारतीय रेल को कोचों की आपूर्ति के लिए ईडी उदग्रहण नहीं था। तथापि छूट वापस ले ली गई थी (मार्च 2011) और शिक्षा उपकर (एक प्रतिशत) तथा उच्च शिक्षा उपकर (दो प्रतिशत) के अतिरिक्त 1 प्रतिशत का रियायती शुल्क लगाया था। इसे आगे शिक्षा उपकर (एक प्रतिशत) और उच्च शिक्षा उपकर (दो प्रतिशत) के अतिरिक्त दो प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। चूंकि मार्च 2010 के आगे सुपुर्दगी अनुसूची में विस्तार अस्वीकरण खण्ड अर्थात् सांविधिक उदग्रहणों में कोई भी वृद्धि पूर्तिकर्ता द्वारा वहन की जानी थी, के साथ थी इसलिए बीईएमएल को मार्च 2011 के बाद की गई सुपुर्दगियों के लिए मूल आदेश पर प्रदत्त ई.डी.₹ 0.79 करोड़ अवशोषित करना पड़ा था। रेल मंत्रालय ने बिकल्प खण्ड के अन्तर्गत बढ़ाई गई मात्रा के लिए एक प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क और तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया (मार्च 2012)। आदेश के अनुसार, सुपुर्दगियाँ नवम्बर 2011 से पहले पूर्ण की जानी थी परन्तु वास्तव में दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के बीच आपूर्ति की गई थी। चूंकि ईडी मार्च 2012 से बढ़ाया गया था और निर्धारित सुपुर्दगी अनुसूची से आगे सुपुर्दगियाँ अस्वीकरण खण्ड के साथ थी इसलिए बीईएमएल को अतिरिक्त मात्रा पर प्रदत्त ईडी होने पर ₹ 0.52 करोड़ का अवशोषण करना पड़ा था।

लेखापरीक्षा आपत्ति की प्रतिक्रिया में मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2013) कि

- बीईएमएल उस अवधि के दौरान आपूर्ति चल स्टाक के लिए वैट को छोड़ नहीं रहा था और आदेश कड़ी प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था;
- रेल मंत्रालय ने वैट की प्रतिपूर्ति हेतु बीईएमएल के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया था;
- सुपुर्दगियों में विलम्ब इस्पात कच्चे माल तथा पहिया सेटों की मुफ्त आपूर्ति में विलम्ब के कारण था;
- बीईएमएल ने मुख्य आदेश (आठ रैक तथा 17 लूज ट्रेलर कोच) के निष्पादन पर ₹ 36.68 करोड़ का अंशदान अर्जित किया; और
- यह मूल्य उद्धरण में वैट निकालने का निर्णय एक व्यापारिक निर्णय था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि

- बीईएमएल को पता था कि वैट 2005 से देय था और वैट का बहिष्करण रेल मंत्रालय से सुविचारित नहीं था परन्तु एक चूक थी क्योंकि बीईएमएल ने वैट की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध (दिसंबर 2008) केवल निविदा के प्रस्तुतीकरण (सितम्बर 2007) तथा रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति की सूचना (नवम्बर 2008) के बाद किया था।
- कड़ी प्रतिस्पर्धा के अन्तर्गत आदेश प्राप्त करने के किये मूल्य उद्धरित करते समय सांविधिक भुगतानों का बहिष्करण अनुमन्य नहीं है, ऐसा तब जब वैट कोटेशन में विशेष रूप से दर्शाया जाना था।
- विलम्बित आपूर्तियां, मुफ्त आपूर्तियों में विलम्ब के कारण नहीं थी क्योंकि भण्डार अभिलेखों के अनुसार बीईएमएल के पास पहिया के सेटों का पर्याप्त स्टाक था।

इस प्रकार प्रस्ताव देते समय मूल्यवर्द्धित कर शामिल न करने और सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण निर्णार्त हर्जानों के उदग्रहण के परिणामस्वरूप बीईएमएल को ₹ 8.50 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा चूंकि सुपुर्दगी अनुसूची का विस्तार अस्वीकरण खण्ड के साथ था इसलिए कम्पनी को बढ़ाई गई सुपुर्दगी अनुसूची के दौरान प्रदत्त ₹ 1.31 करोड़ के उत्पाद शुल्क को अवशोषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा था।

मिधानी

9.5 सामग्री की खरीद में विलम्ब के कारण हानि

कच्चे माल की खरीद में विलम्ब के कारण ₹ 15.52 करोड़ की मूल्य वृद्धि की वसूली नहीं हुई और परिणामतः आपूर्तियों में विलम्ब हुआ परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ की एलडी का उदग्रहण हुआ।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने मैराजिंग स्टील (एम 250) फोर्ज्ड रिंग्स, प्लेट्स, फिलर वायर्स और रोडस की ₹ 40.38 करोड़ और ₹ 63.59 करोड़ की लागत पर आपूर्ति हेतु मैसर्स विक्रम साराभाई अन्तर्िक्ष केन्द्र (वीएसएससी), अन्तर्िक्ष विभाग, तिरुवनन्तपुरम (ग्राहक) के साथ दो करार किए (मार्च 2003/जुलाई 2003)। करारों के आधार मूल्य अक्टूबर 2001 तथा फरवरी 2002 मूल्य स्तरों के अनुकूल थे और मूल्यवृद्धि फार्मूला द्वारा शासित थे। पावर, एलपीजी, श्रम की औसत लागत

और करार की तारीख से 18 महीनों²⁵² के दौरान प्रचलित मासिक थोक मूल्य सूचकांक की भारित औसत लागत और कच्चे माल (निकल, कोबाल्ट, मौली तथा शुद्ध लोहा) की वास्तविक भारित औसत लागत कम्पनी को प्रतिपूर्ति योग्य थीं। कम्पनी को कच्चे माल की खरीद के प्रति ₹ 47.98 करोड़²⁵³ का अग्रिम प्राप्त हुआ (मार्च/जुलाई 2003)।

सुपुर्दगी अनुसूची²⁵⁴ के अनुसार दोनों करारों (मार्च/जुलाई 2003) की सुपुर्दगियाँ 6 माह के अन्दर आरम्भ होनी थी और करार हस्ताक्षर करने की तारीख से 45 माह के अन्दर पूर्ण की जानी थी। तदनुसार आपूर्तियाँ दिसम्बर 2006 तथा अप्रैल 2007 तक पूर्ण की जानी थी।

लागत के विभिन्न घटकों के लिए मूल्य वृद्धि फार्मूला में यथा अनुमत 18 माह अवधि को ध्यान में रखकर कच्चे माल की खरीद सितम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 के अन्दर कम्पनी द्वारा पूर्ण की जानी थी। तथापि दो करारों के लिए माल की खरीद केवल जनवरी 2008 तथा अक्टूबर 2008 में पूर्ण की गई थी। परिणामतः, आपूर्तियाँ 38 महीने के विलम्ब से फरवरी 2010 तथा मई 2009 में विलम्बित रूप से पूर्ण की गई थीं। ₹ 1.47 करोड़ के क्षतिपूर्ति हर्जाना (एलडी) वीएसएससी द्वारा उदग्रहीत किया गया था।

कम्पनी ने मूल्य वृद्धि के प्रति दो करारों के लिए ₹ 38.86 करोड़²⁵⁵ (अगस्त 2010/नवम्बर 2009) का दावा किया। वी एस एस सी ने दावे की राशि पर आरक्षण दर्शाते हुए दावे का निपटान नहीं किया।

आखिरकार, मूल्य वृद्धि दावों का निर्धारण करने के लिए आयोजित बैठक (जनवरी 2011), में लागत के सभी घटकों के लिए 18 माह तक मूल्य वृद्धि दावा सीमित करने का निर्णय लिया गया और इसलिए मूल्य वृद्धि दावा ₹ 38.86 करोड़ से घटाकर ₹ 23.34²⁵⁶ करोड़ कर दिया गया। कम्पनी द्वारा ₹ 23.24 करोड़ का संशोधित दावा (जनवरी 2011) वसूल किया गया था (मार्च/अप्रैल 2011)। इस करार में प्रदर्शित आधार मूल्य के अतिरिक्त कच्चे माल की खरीद पर 18 माह अवधि के बाद माल की खरीद पर कम्पनी द्वारा उठाई गई ₹ 15.52 करोड़ की अतिरिक्त लागत कम्पनी द्वारा अवशोषित करनी पड़ी थी।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि 18 माह के अन्दर कच्चे माल की खरीद के लिए करार में कोई विशिष्ट खण्ड नहीं था और माल अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधोगामी प्रवृत्ति की आशा में और अपर्याप्त नकदी प्रवाह के कारण लम्बी अवधि में छोटी मात्राओं में खरीदी गई थी। प्रबन्धन ने यह भी दावा किया कि कोई वित्तीय हानि नहीं हुई थी क्योंकि मूल्य अन्तर दावा में कमी दीर्घावधि सम्बन्ध सदभावना और नाजुक उपकरणों में ग्राहक द्वारा निवेश को ध्यान में रखकर स्वीकार की गई थी।

प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि

²⁵² 18 महीनों की अवधि कच्चे माल की खरीद से फोर्जिंग चरण तक का औसत समय चक्र था। इसलिए मूल्यवृद्धि मूल्य वृद्धि फार्मूला में 18 माह तक सीमित की गई थी।

²⁵³ ₹ 16.19 करोड़ (मार्च 2003) तथा ₹ 31.79 करोड़ (जुलाई 2003)

²⁵⁴ पहले करार (मार्च 2003) की सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार रिग्स, प्लेट तथा फिलरवायर की सुपुर्दगी 28 माह के अन्दर आरम्भ होनी थी और 45 माह के अन्दर पूर्ण की जानी थी और राड करार हस्ताक्षर करने की तारीख से 6 माह के अन्दर सुपुर्द किए जाने थे। द्वितीय करार (जुलाई 2003) की सुपुर्दगी अनुसूची में अनुबद्ध किया गया कि रिंगों की सुपुर्दगी 36 माह के अन्दर आरम्भ होनी थी और 45 माह के अन्दर पूर्ण की जानी थी प्लेटें तथा फिलर वायर 24 माह के अन्दर आरम्भ होनी थी और 36 माह के अन्दर पूर्ण की जानी थी और राड करार हस्ताक्षर करने की तारीख से 6 माह के अन्दर सुपुर्द किए जाने थे।

²⁵⁵ दो करारों के लिए मूल दावा क्रमशः ₹ 18.45 करोड़ तथा ₹ 20.41 करोड़ कुल मिलाकर ₹ 38.86 करोड़ का था।

²⁵⁶ दो सविदाओं के लिए क्रमशः ₹ 7.15 करोड़ व ₹ 16.19 करोड़ कुल ₹ 23.34 करोड़ का संशोधित दावा

- मूल्य वृद्धि खण्ड में श्रम, शक्ति, एलपीजी तथा थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में मूल्य वृद्धि के लिए 18 माह अवधि अनुमत की गई थी। यद्यपि कच्चे माल (निकल, कोबाल्ट, मौली तथा शुद्ध लोहे) के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी परन्तु यह तथ्य कि लागत के अन्य घटकों, यथा श्रम, शक्ति, एलपीजी तथा थोक मूल्य सूचकांक जिसके लिए 18 माह की सीमा लागू थी को केवल कच्चे माल की खरीद के बाद वहन होगा, ने दर्शाया कि कच्चे माल की खरीद उस अवधि के अन्दर की जानी चाहिए थी पर वास्तव में ग्राहक ने कच्चे माल की सीमा को प्रवर्तित किया जिससे कम्पनी को ₹ 15.52 करोड़ अवशोषित करने पड़े थे।
- 50 प्रतिशत अग्रिम के आरम्भिक भुगतान के बावजूद कम्पनी ने 18 माह के अन्दर सामग्री की खरीद नहीं की थी।
- "सदभावना" के रूप में हानि को अवशोषित करना सही नहीं था क्योंकि दावे को अस्वीकृत करने के अलावा ग्राहक ने ठेकागत प्रावधानों के अनुसार विलम्बित सुपुर्दगियों पर क्षतिपूर्ति हर्जाना भी उदग्रहीत किया था।

इस प्रकार कच्चे माल की आधिप्राप्ति में विलम्ब के कारण ₹ 15.52 करोड़ की मूल्य वृद्धि की वसूली नहीं हुई और परिणामतः आपूर्तियों में विलम्ब हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के एल.डी. का उदग्रह्य हुआ।


रक्षा मंत्रालय को मामला सूचित किया गया था; (मई 2014) उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2014)।

नई दिल्ली
दिनांक: 01 फ़िन एज 2014


(पराग प्रकाश)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
रक्षा सेवाएं

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 फ़िन एज 2014


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(पैराग्राफ 1.9 में संदर्भित)

लम्बित ए.टी.एनस्.की स्थिति

रक्षा मंत्रालय - आयुध फैक्ट्री बोर्ड को छोड़कर

(i) दस वर्ष से अधिक समय से बकाया

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
1.	1989 की संख्या 2	11**	155 मिमी खिंचाव वाले तोप प्रणाली एवं गोलाबारूद की खरीद एवं लाइसेंस उत्पादन
2.	1990 की संख्या 12	9**	(अ)बोफोर्स के साथ अनुबंध 155 मिमी वाले तोप प्रणाली एवं गोलाबारूद की खरीद एवं लाइसेंस उत्पादन एवं (ब) विरुद्ध व्यापार
3.	1991 की संख्या 8	10 *	आवश्यकता से अधिक भंडारों की अधिप्राप्ति
4.		13 *	केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा
5.	1992 की संख्या 8	20 **	एक आयुध डिपो में अवमानक सामानों की अधिप्राप्ति
6.		28**	उपयोग नहीं किए जा रहे रक्षा ट्रेकों के रखरखाव प्रभारों का परिहार्य भुगतान
7.		29 *	पर्वतारोहण उपस्कर और क्रीड़ा बॉक्सों का आयात
8.		31 *	संरोध प्रभारों का परिहार्य भुगतान
9.	1997 की संख्या 7	18 **	रक्षा-भूमि का प्रबंधन
10.		23 **	क्षति प्रभारों का परिहार्य व्यय
11.		27 **	रेलवे से दावों की वसूली न होना
12.	1998 की संख्या 7	32 *	अवमानक सिलेंडरों की अधिप्राप्ति पर निष्फल व्यय
13.		36 **	उच्च दरों पर बैटरियों की अधिप्राप्ति
14.	2001 की संख्या 7	15 **	एक अपूर्ण उपस्कर की अधिप्राप्ति
15.		32 **	युसुफ्रक्टस की विक्रय राशि को रेजिमेंटल निधि में गलत जमा करना ।
16.	2001 की संख्या 7ए	@संपूर्ण प्रतिवेदन (42 पैरों में से 8 का एटीएन अभी पहली बार भी प्राप्त होना बाकी है)	ऑपरेशन विजय (थलसेना) के लिए की गयी अधिप्राप्तियों की पुनरीक्षा
17.	2003 की संख्या 6	2 **	रक्षा भूमि का दोहन
18.		14 *	कार्मिकों की अनियमित भर्ती
(ii) पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक बकाया			
19.	2004 की संख्या 6	3.2 *	लेखा परीक्षा के बताने पर की गई वसूलियाँ/ बचतें
20.	2005 की संख्या 6	3.2 *	लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियाँ/बचतें
21.	2007 की प्रतिवेदन संख्या 4	3.3**	शैक्षणिक संस्थाएँ चलाने के लिए रक्षा परिसंपत्तियों तथा लोक निधियों का अनधिकृत उपयोग
22.		3.5 *	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ/बचतें

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
23.		6.2 **	प्रति विद्रोह भत्ते का अनियमित भुगतान
24.	2008 की प्रतिवेदन संख्या पीए संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	अध्याय 1 **	थलसेना में सामान्य भंडार और कपड़ों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
25.	2008-09 की प्रतिवेदन संख्या सीए 17	2.7 *	थलसेना गोल्फ क्लब के द्वारा अधिग्रहित जमीन के पट्टा का नवीनीकरण नहीं कराया जाना
26.		3.4 *	आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ए -1 रक्षा भूमि का अनधिकृत उपयोग
27.		3.5 *	सरकारी परिसम्पत्तियों का गैर सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग
28.		3.10 *	लेखा-परीक्षा के बताने पर वसूलियाँ और बचतें
29.		4.1**	नए निर्माण कार्यों के संपादन के लिए एक प्रोजेक्ट के बचत का अनियमित विचलन
(iii) 3 से 5 वर्षों के बीच का बकाया			
30.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 12	2.1**	त्रुटिपूर्ण स्मर्च मल्टीबैरल रॉकेट लांचर सिस्टम का आयात
31.		3.2 **	पंचडू टेप कोनसर्टिना कॉइल की अनियमित अधिप्राप्ति
32.		3.6*	लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियाँ और बचतें
33.		4.1**	गोल्फ क्लब के लिए आवास का अनियमित अनुमोदन एवं निर्माण
34.		4.3 **	उपयोगकर्ताओं के अनिर्णय के कारण कार्य निष्पादन पर अतिरिक्त व्यय
35.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 6 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन ***	भारतीय थल सेना में राशनों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा
36.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 14 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन ***	कैन्टीन स्टोर विभाग
37.	2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 35 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	एकल प्रतिवेदन*	रक्षा सम्पदा प्रबंधन
(iv) 3 वर्ष तक बकाया			
38.	2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 11 (निष्पादन लेखापरीक्षा)	सम्पूर्ण प्रतिवेदन*	आदर्श कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पर विशेष प्रतिवेदन
39.	2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 24	2.5*	दोषपूर्ण पूर्व प्रेषण
40.		3.1	उच्चतर मूल्यों को स्वीकारने से अधिक व्यय
41.		3.4 **	पट्टे वाली भूमि पर निर्मित घरों को अनियमित किराये से मुक्त करना
42.		3.8 *	वैध - निविदा की अस्वीकृति के कारण से परिहार्य व्यय
43.		3.10**	टिपर्स की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति
44.		3.11 **	किराये पर लिए हुए सिविल परिवहन ठेकेदारों को अनियमित भुगतान
45.		3.13 **	विदेशी विक्रेता से दोषपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति
46.		3.14 *	लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ और बचतें
47.		5.2 **	संस्वीकृति के बारह वर्षों के उपरांत भी पुल की अपूर्णता
48.	2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 16	2.1*	सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण से राजस्व की हानि
49.		2.3*	अहमदनगर छावनी बोर्ड में प्रवेश वाहनो पर लाइसेंस फीस न लेने से हानि

क्रम संख्या	प्रतिवेदन संख्या और वर्ष	पैराग्राफ संख्या	विषय
50.		3.1*	आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाईटी के लाभार्थ रक्षा सम्पत्तियों एवं मानवशक्ति का अनधिकृत उपयोग
51.		3.3**	रक्षा भूमि के व्यवसायिक दोहन से सुरक्षा करने में मुख्यालय दक्षिणी कमान की विफलता
52.		3.6*	यथोचित एल-1 दरों की अस्वीकृति के कारण फालतू व्यय
53.		4.1*	गैरीसन इंजीनियर कैम्पटी द्वारा जल-प्रभार का भुगतानाधिक्य
54.		4.3**	घटिया बंकरों का निर्माण
55.		4.4*	ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान
56.	2012-13 की प्रतिवेदन संख्या 18	संपूर्ण प्रतिवेदन*	रक्षा सेवाओं में चिकित्सा स्थापना की निष्पादन लेखापरीक्षा
57.	2013 की प्रतिवेदन संख्या 30	2.1 *	रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन
58.		2.2 ***	रेलवे से सेवा प्रभारों की वसूली न करना
59.		2.3 ***	टैंक में वातानुकूलको को समाविष्ट न करना
60.		2.4 ***	कार्य अनुरूप प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान
61.		2.5 ***	आवश्यक नियंत्रण के आभाव में बकाया देय राशि की वसूली न होना
62.		3.1 ***	एक अपंजीकृत एवं अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जाँच के बिना निम्न स्तर के भण्डारों की स्वीकृति
63.		3.2 ***	एक्स-रे जेनरेटर्स को नौ साल से अधिक समय तक स्टॉक में रखना
64.		3.3 ***	बैटरियों का अनुरक्षण न करने के कारण हानि
65.		3.4 ***	भण्डारों के पुनः परिवहन पर परिहार्य व्यय
66.		3.5 *	भवनों में अप्राधिकृत शक्तिवर्धक उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त व्यय
67.		3.6 ***	रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग
68.		3.7 *	लेखापरीक्षा की आपत्ति पर वसूलियाँ बचत एवं लेखाओं को समायोजन किया जाना
69.		4.1*	सशर्त संविदा की स्वीकृति से 1.03 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय
70.		4.2*	खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान
71.		4.4*	ठेकेदार को वृद्धि प्रभार का अस्वीकार्य भुगतान

* कार्यवाही नोट जो लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित है लेकिन मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा की अभियुक्तियों के प्रकाश में निर्णीत किया जाना शेष है -32

** लेखापरीक्षा द्वारा ए.टी.एनस के विधिवत परीक्षा के उपरांत अंतिम रूप दी गई एटीएन जो कि मंत्रालय से प्रतीक्षित है-27

*** प्रथम बार भी प्राप्त नहीं हुई कार्यवाही नोट-11

@ प्राप्त आंशिक ए टी एन -01

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 2.1 में उद्धृत)

टाट्टा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए वार्षिक लक्ष्य तथा वास्तविक प्राप्ति

वर्ष	उत्पादित किये जाने वाले वाहनों की संख्या	बी ई एम एल पर दिये गये आपूर्ति आदेश (वाहनों की संख्या)	वास्तव में उत्पादित वाहनों की संख्या	स्वदेशीकरण प्राप्त करने की कुल प्रतिशतता	वास्तव में प्राप्त स्वदेशीकरण की कुल प्रतिशतता
1986-87	80	0	-	10	Nil
1987-88	200	80	86	20	5.06
1988-89	250	130	142	40	15.14 ¹
1989-90	250	190	191	61	23.07
1990-91	250	100	104	86	29.35
1991-92		26	1		29.35
1992-93		22	7		31.35
1993-94		119	7		40.00
1994-95		24	146		
1995-96		121	55		
1996-97		138	143		
1997-98		48	128		
1998-99		304	159		
1999-2000		699	326		
2000-01		729	509		
2001-02		1864	606		
2002-03		296	1082		
2003-04		163	900		
2004-05		285	289		
2005-06		1125	257		
2006-07		103	181		

¹छोटी मदों की प्रतिशतता पृथक से इंगित नहीं किया गया है, परन्तु संचित प्रतिशतता में शामिल किया गया है।

वर्ष	उत्पादित किये जाने वाले वाहनों की संख्या	बी ई एम एल पर दिये गये आपूर्ति आदेश (वाहनों की संख्या)	वास्तव में उत्पादित वाहनों की संख्या	स्वदेशीकरण प्राप्त करने की कुल प्रतिशतता	वास्तव में प्राप्त स्वदेशीकरण की कुल प्रतिशतता
2007-08		33	754		33.00
2008-09		83	409		44.00
2009-10		843	438		47.50
2010-11		243	541		62.50
2011-12		427	223		62.50
2012-13		Nil	208		62.50
2013-14		Nil	50		
Total		8195	7942		

परिशिष्ट- - III

(पैराग्राफ 2.5 में संदर्भित)

पुछं नगर परिषद के अधीन आने वाली भूमि मालिकों को भाड़े के दिए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	अवधि	किया गया भुगतान (₹)	भुगतान देय (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	16.02.2008 से 31.03.2008 (45 दिन)	5,70,632	2,10,665	3,59,967
2.	01.04.2008 से 30.09.2008	1,39,82,624	69,91,320	69,91,304
3.	01.10.2008 से 31.03.2009	1,39,82,624	69,91,320	69,91,304
4.	01.04.2009 से 30.09.2009	1,39,82,624	69,91,320	69,91,304
5.	01.10.2009 से 31.03.2010	1,39,82,624	69,91,320	69,91,304
	कुल	5,65,01,128	2,81,75,945	2,83,25,183

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ 6.1 में संदर्भित)

1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2013 जिसमें 1 अप्रैल 1998 को हाथ में ली गई परियोजनाओं का समावेश है, की अवधि के दौरान सीवीआरडीई तथा बीआरडीई द्वारा ली गई परियोजनाओं की संख्या तथा लागत

(₹ करोड़ में)

प्रयोगशाला का नाम	संस्वीकृत की गई कुल परियोजनाएँ				बंद की गई परियोजनाएँ				जारी परियोजनाएँ			
	स्टाफ परियोजना	संस्वीकृत लागत	टी डी/आर एण्ड डी परियोजनाएँ	संस्वीकृत लागत	स्टाफ परियोजना	व्यय खर्च	टी डी/आर एण्ड डी परियोजनाएँ	व्यय खर्च	स्टाफ परियोजना	संस्वीकृत लागत	टी डी/आर एण्ड डी परियोजनाएँ	संस्वीकृत लागत
बीआरडीई	12	46.51	41	279.04	09	22.45	36	100.23	03	20.82	05	168.03
सीवीआरडीई	5	116.33	29	458.34	02	7.28	20	171.96	03	106.58	09	267.29
कुल	17	162.84	70	737.38	11	29.73	56	272.19	06	127.40	14	435.32

स्रोत: वी आर डी ई तथा सीवीआरडीई द्वारा प्रस्तुत परियोजना संस्वीकृतियों तथा डाटा संकलित।

परिशिष्ट-V

(पैराग्राफ 6.2 में संदर्भित)

अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2013 तक वीआरडीई, अहमदनगर तथा सीवीआरडीई, आवड़ी में बंद की गई स्टाफ तथा टीडी/ आरण्डडी परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना संख्या तथा नामकरण	अभ्युक्तियाँ
1.	सतह से सतह तक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम (एमबीआरएस) का विकास - (एसएल-पीएक्स-87/वीआरडी-डब्ल्यू 9.08)	वीआरडीई
2.	बीएमपी-2 पर वेरिअन्ट्स का विकास - (एसएल-पीएक्स-90/वीआरडी-एफ 15.01)	वीआरडीई
3.	रिमोटली पाइलेटेड वाहन के लिए टू-स्ट्रोक लाइट वेट इंजन का विकास - एसएल-पीएक्स-93/वीआरडी .04 (एडीई 176.06)	वीआरडीई
4.	ब्रीज एसॉल्ट मेकॅनिकली लॉन्चड का विकास- (एसएल-पीएक्स-93/वीआरडी .03) (आरडीई-378.01)	वीआरडीई
5.	सीएसडी एन्टिडियो के लिए वाहनों तथा शेल्टर्स का विकास प्रोग्राम- “सम्युक्ता” - (एसएल-पीएक्स-94/डीएलआर-190/वी)	वीआरडीई
6.	अंडर कॅरेज सिस्टम का विकास - एसएल-पीएक्स-2के/वीआरडी-40 (एआरडी 1148.02)	वीआरडीई
7.	डीआरडीओ - आर्मी बायोडिज़ल प्रोग्राम, रक्षा वाहनों में बायोडिज़ल का निष्पादन मूल्यांकन - (एसएल-पी1-07/डीएआर-71)	वीआरडीई
8.	प्रोजेक्ट पिनाका के लिए लोडर कम रिप्लेनिशमेंट (एलसीआर) वाहन -(एमएम-2010/वीआरडी-01(V))	वीआरडीई
9.	बीएमपी अर्बन सर्वायवल किट का विकास (बीयूसके) - (एमएम-2011/वीआरडी-02 (V))	वीआरडीई
10.	155 मी.मी. एसपी गन सिस्टम का विकास (भीम टी 6) - (एसएल-पीएक्स-98/वीआरडी-212)	सीवीआरडीई
11.	बीएमपी - 11 पर कॅरियर कमांड पोस्ट ट्रेक्टड का विकास (सीसीपीटी) - (एसएल-पीएक्स-05/सीवीआर-228)	सीवीआरडीई
12.	एक्स्ट्रा लॉग मल्टी एक्सेल्ड ट्रांसपोर्टर की डिजाइन तथा विकास - (आरडी-पी1-92/वीआरडी-02)	वीआरडीई
13.	वाहनों तथा सिस्टमों के परीक्षण तथा मूल्यांकन - (आरडी-पी1-93/वीआरडी-05)	वीआरडीई
14.	वाहन तथा इंजन परीक्षण के लिए उन्नत ईन्स्ट्रुमेंटेशन का विकास - (आरडी-पी1-94/वीआरडी-11)	वीआरडीई
15.	आर्टिकुलेटेड एक्स्ट्रा लॉग ट्रांसपोर्टर की डिजाइन तथा विकास - (आरडी-पी1-95/वीआरडी-13)	वीआरडीई
16.	सीएनजी पर ऑपरेट के लिए पेट्रोल वाहनों की प्रौद्योगिकी विकास - (आरडी-पीएक्स-97/वीआरडी-21)	वीआरडीई
17.	बैटरी पावर्ड वेहिकल एप्लिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर का प्रौद्योगिकी विकास - (आरडी-पी1-97/वीआरडी-22)	वीआरडीई
18.	बैटरी पावर्ड वेहिकल एप्लिकेशन के लिए ट्रक्शन मोटर का प्रौद्योगिकी विकास - (आरडी-पी1-97/वीआरडी-23)	वीआरडीई
19.	बैटरी पावर्ड वेहिकल एप्लिकेशन के लिए बैटरी चार्जर का प्रौद्योगिकी विकास - (आरडी-पी1-97/वीआरडी-24)	वीआरडीई
20.	इंजन तथा कॅब हिटिंग डिमिस्टिंग डिवाइस तथा विन्टराइजेशन किट के हाइ एल्टिट्यूड टर्बो-चार्जिंग के लिए वेहिकूलर प्रौद्योगिकी का विकास - (आरडी-पीएक्स-97/वीआरडी-26)	वीआरडीई
21.	30 मीमी टोव्ड लाइट एडी गन के लिए अंडर कॅरिएज का प्रौद्योगिकी विकास - (आरडी-पी1-97/वीआरडी-27)	वीआरडीई

22.	हाई स्पेसिफिक पावर इंजिन के लिए हाई स्पीड क्रॅकशॉफ्ट का विकास - (आरडी-पी1-97/वीआरडी-29)	वीआरडीई
23.	30 मि.मी लाइट टोव्ड एयर डिफेंस गन के लिए अंडर कॅरिज की डिज़ाइन तथा विकास - (आरडीएस-पीएक्स-97/एआरडी-1080.01 (वीआरडी-28))	वीआरडीई
24.	फ्युचरिस्टिक आईसीवी की फुल स्केल मॉकअप की तैयारी - (आरडी-पीएक्स-97/वीआरडी-30)	वीआरडीई
25.	लाइट वेट बूलेट प्रूफ वाहन का प्रौद्योगिकी विकास - (आरडी-पीएक्स-98/वीआरडी-31)	वीआरडीई
26.	हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन का विकास - (आरडी-पीएक्स-98/वीआरडी-32)	वीआरडीई
27.	फ्युचरिस्टिक इन्फन्ट्री कॉम्बेट वाहन का विकास - (आरडी-पी1-98/वीआरडी-34)	वीआरडीई
28.	एक्जिस्टिंग मोबाईल डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम का उन्नयन - (आरडी-पी1-98/वीआरडी-36)	वीआरडीई
29.	मोबाईल डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम तथा सीएलएमसी (V) के लिए लॉचर ट्रेलर के दस्तावेजों की तैयारी - (आरडी-पी1-98/वीआरडी-37)	वीआरडीई
30.	प्रौद्योगिकी का एकीकृत हस्तांतरण - (आरडी-पी1-99/वीआरडी-39)	वीआरडीई
31.	मानवरहित ग्राउंड वाहन की व्यवहार्यता अध्ययन - (आरडी-पी3-01/वीआरडी-41)	वीआरडीई
32.	दो बूलेट प्रूफ वाहनों (बीपीवी) की डिज़ाइन, विकास एवं निर्माण - (आरडीआर-पीएक्स-02/वीआरडीई-42(पीएक्सई-1156))	वीआरडीई
33.	लेज़र इन्टरफेरोमीटर के लिए ट्रेलर माउंटेड कंटेनर का विकास - (आरडीआर-पीएक्स-02/वीआरडी-1135.01)	वीआरडीई
34.	रोटरी इंजिन का विकास - (आरडीआर-पीएक्स-02/वीआरडी-43)	वीआरडीई
35.	लडाकू वाहन सिस्टमों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास (आरडी-पी1-02/वीआरडी-44)	वीआरडीई
36.	वाहनों पर कोलैप्सिबल टार्पावलिन सिस्टम के साथ-साथ ड्राइंग एण्ड डॉक्यूमेंट्स के डिजिटलाइजेशन को प्रदान करना - (आरडीएस-पीएक्स-03/एआरडी-1176.01- (वीआरडी-45))	वीआरडीई
37.	मानवरहित ग्राउंड वाहन (यूजीवी) का विकास - (आरडीआर-पी1-04/वीआरडी-46)	वीआरडीई
38.	बूलेट प्रूफ लाइट वेहिकल्स - (एसएण्डटी-पीएक्स-06/वीआरडी-47)	वीआरडीई
39.	टू स्ट्रोक इंजिनों के लिए इलेक्ट्रानिक फ्युल इंजेक्शन सिस्टम (ईएफआयएस) - (टीडी-पी1-06/वीआरडी-49)	वीआरडीई
40.	लेज़र बीम डायरेक्टर सिस्टम, (आदित्य) के लिए मोबाईल ट्रेलर प्लेटफार्म तथा वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम का विकास - (एलएसटीईसी-सीडीसी-3 (253) -07/वीआरडीई)	वीआरडीई
41.	बी/सी कॉन्टामिनेशन एनालिसिस स्टेशन के लिए मोबाईल शेल्टर की डिज़ाइन तथा विकास - (आरडी-पी1-08) सब.परि.-डीआरडीई-187/02)	वीआरडीई
42.	ऑपरेटर कंट्रोल युनिट की डिज़ाइन - (टीडी-08/आरडीई-405.01)	वीआरडीई
43.	फ्युचरिस्टिक इंफैंट्री कॉम्बेट वाहनों के लिए एनेबलिंग टेक्नोलॉजियों का विकास (टी जीएसक्यूआर-1053) - (टीडी-08/वीआरडी-50)	वीआरडीई
44.	बीएमपी-2 क्लास वाहनों में इम्प्रूव्ड डोजिंग तथा फ्लोटेशन क्षमताओं के लिए उन्नत हायड्रोलिक तथा एलाइड सिस्टम का विकास - (टीडी-10/वीआरडी-53)	वीआरडीई
45.	एन्टी टेररिस्ट वाहन की डिज़ाइन तथा विकास - (टीडी-10/वीआरडी-54)	वीआरडीई
46.	उच्च तुंगता में स्थापना हेतु माइक्रो मानवरहित एरियल वाहन पर अध्ययन एवं प्रयोग - (टीडी-2010/वीआरडीई-एलआयसी-11)	वीआरडीई
47.	माइन प्रोटेक्टेड वाहन (एमपीवी) का विकास - “कवच” - (टीडी-2010/वीआरडीई-एलआयसी-14)	वीआरडीई
48.	कॉम्बेट इम्प्रूव्ड अजेय टैंक के लिए प्रोडक्शन ड्राइंग की तैयारी - (आरडीएस-पीएक्स-96/वीआरडी-205)	सीवीआरडीई
49.	बीएमपी-II वेरियंट्स के उत्पादनकरण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण - (आरडीएस-पीएक्स-96/वीआरडी-206)	सीवीआरडीई
50.	एमबीटी अर्जुन सिस्टम में सुधार - (आरडीएस-पीएक्स-1997/वीआरडी-208)	सीवीआरडीई

51.	एमबीटी-अर्जुन के उत्पादन की सहायता के लिए डाक्यूमेंटेशन तथा तैयारी - (आरडीएस-पीएक्स-1997/वीआरडी-209)	सीवीआरडीई
52.	टी-72 बेस इंजिन तथा वाहन परीक्षणों पर पावर बूस्टर कन्वर्जन किटों का निर्माण तथा एकत्रीकरण - (आरडीएस-पीएक्स-1997/वीआरडी-211)	सीवीआरडीई
53.	इलेक्ट्रो हायड्रालिक गन कंट्रोल सिस्टम (जीसीएस) का विकास - (आरडीएस-पीएक्स-07/सीवीआर-213)	सीवीआरडीई
54.	अर्जुन बेस साइड लॉच के ब्रीज लेइंग सिस्टम की बेसिक लॉचिंग वाहनों के लिए अर्जुन डेरिवेटिव चासिस ऑटोमोटिव सिस्टम की डिज़ाइन तथा विकास (आरडीएस-पीएक्स-99/आरडीई/85/वीआरडी-214)	सीवीआरडीई
55.	गनरी अर्जुन पार्ट टास्क ट्रेनिंग सायमुलेटर - (आरडीएस-पीएक्स-2000/वीआरडी-205)	सीवीआरडीई
56.	एकीकृत फ्युचर कॉम्बेट सिस्टम (आयएफसीओएस) विकासात्मक प्रोग्राम - परिभाषा फेज - (आरडीएस-पीएक्स-2000/वीआरडी-216)	सीवीआरडीई
57.	आर्मर्ड फाइटिंग वाहनों (एएफवीओ) के लिए कोर प्रौद्योगिकी का विकास - (आरडीएस-पीएक्स-2000/वीआरडी-217)	सीवीआरडीई
58.	एएफवीओ के लिए सब सिस्टम का देशीकरण - (आरडीएस-पीएक्स-2000/वीआरडी-219)	सीवीआरडीई
59.	कैरिअर मोर्टर ट्रेक के लिए प्रोडक्शन ड्राइंग की सिलिंग - (आरडीएस-पीएक्स-2000/वीआरडी-221)	सीवीआरडीई
60.	एमबीटी अर्जुन के लिए मिसाइल फायरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन - (आरडीएस-पीएक्स-2002/वीआरडी-223)	सीवीआरडीई
61.	एयर क्राफ्ट बेरिंग्स का विकास - (आरडीएस-पीएक्स-2002/वीआरडी-224)	सीवीआरडीई
62.	डीआरडीओ से ओएफबी/ पीएसयूओ/ डीजीक्यूए/ ईएमई तथा प्रयोक्ताओं को आर्मर्ड फाइटिंग वाहनों की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण - (आरडीएस-पीएक्स-2003/वीआरडी-225)	सीवीआरडीई
63.	प्रयोगात्मक टैंक का विकास - (आरडीएस-पीएक्स-2003/वीआरडी-226)	सीवीआरडीई
64.	एकीकृत अर्जुन साइमुलेटर का विकास - (आरडी-पीएक्स-2004/सीवीआर-227)	सीवीआरडीई
65.	एएफवीओ के लिए बचाव सहायता प्रणाली का विकास - (आरडी-पीएक्स-05/सीवीआर-229)	सीवीआरडीई
66.	अर्जुन वसूली तथा रखरखाव प्रणाली का विकास (आर्मस्-डब्ल्यू रोडटी-3) - (आरडीएस-पीएक्स/07/सीवीआर-230)	सीवीआरडीई
67.	उन्नत चेसिस तथा ऑटोमोटिव सिस्टम का विकास - (टीडी-10/सीवीआर-236)	सीवीआरडीई

परिशिष्ट- VI

(पैराग्राफ 7.2.1 में संदर्भित)

(i) डी ई आर एण्ड आई पी आर तथा रिसर्च बोर्डों के रक्षा सहायता अनुदान के नियमों तथा दिशानिर्देशों की तुलना

विषयगत मामला	ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय	लाईफ साईसेज रिसर्च बोर्ड	आर्माभेन्ट रिसर्च बोर्ड	एयरोनॉटिक्स रिसर्च बोर्ड	नेवल रिसर्च बोर्ड
गठन का वर्ष	मई 2000 में गठित किया गया	मार्च 1998 में गठित किया गया	मार्च 1997 में गठित किया गया	फरवरी 1971 में गठित किया गया	अगस्त 1996 में गठित किया गया
परियोजना प्रस्तावों की जाँच, परियोजना की संस्वीकृति हेतु सिफारिश करना, प्रगति की पुनरीक्षा, तथा समापन प्रतिवेदन का मूल्यांकन तथा परियोजना समापन हेतु सिफारिश करना	परियोजना प्रस्तावों की क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से निपुण प्रयोगशाला द्वारा जाँच तथा सिफारिश की जाती है। केवल ₹ 50 लाख से अधिक लागत की उच्च मूल्य परियोजना का ही इसके लिए सृजित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है	परियोजना प्रस्तावों की जाँच तथा सिफारिश पैनल द्वारा की जाती है	परियोजना प्रस्तावों की जाँच तथा सिफारिश पैनल द्वारा की जाती है	परियोजना प्रस्तावों की जाँच तथा सिफारिश पैनल द्वारा की जाती है	परियोजना प्रस्तावों की जाँच तथा सिफारिश पैनल द्वारा की जाती है
परियोजना संस्वीकृति में दिये गए उपरिब्यय	उल्लिखित नहीं है	उल्लिखित नहीं है	₹ 5.00 लाख तक की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना की कुल लागत का 15%	₹ 1.00 लाख तक की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना की कुल लागत का 10%	₹ 5.00 लाख तक की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना की कुल लागत के 20% तक
परियोजना के आरम्भ होने की तिथि	अनुदान की पहली किस्त की प्राप्ति तिथि	परियोजना की संस्वीकृति की तिथि	अनुदान की पहली किस्त की प्राप्ति तिथि	अनुदान की पहली किस्त की प्राप्ति तिथि	अनुदान की पहली किस्त की प्राप्ति तिथि

परियोजना समापन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु समय अनुसूची	परियोजना पूरी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर	परियोजना पूरी होने की तिथि से 3 माह के भीतर	परियोजना पूरी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर	परियोजना पूरी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर	परियोजना पूरी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर
पूर्ण हुई परियोजनाओं का सार-संग्रह तैयार करना	पूर्ण हुई परियोजनाओं का सार- संग्रह तैयार किया जाता है।	पूर्ण हुई परियोजनाओं का सार-संग्रह तैयार किया जाता है।	पूर्ण हुई परियोजनाओं का सार-संग्रह तैयार नहीं किया जाता	पूर्ण हुई परियोजनाओं का सार-संग्रह वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में तैयार किया जाता है	पूर्ण हुई परियोजनाओं का सार-संग्रह तैयार नहीं किया जाता है।

(ii) डी ई आर एण्ड आई पी आर तथा रिसर्च बोर्डों द्वारा परियोजनाओं की संस्वीकृति हेतु अपनाई जाने वाली कार्यविधि की तुलना

विषयगत मामला	ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय	लाईफ साईज रिसर्च बोर्ड	आर्माइन्ट रिसर्च बोर्ड	एयरोनॉटिक्स रिसर्च बोर्ड	नेवल रिसर्च बोर्ड
	मई 2000 में गठित	मार्च 1998 में गठित	मार्च 1997 में गठित	फरवरी 1971 में गठित	अगस्त 1996 में गठित
वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाले परियोजना प्रस्तावों का डेटा-बेस	कोई डेटा-बेस नहीं रखा जाता है	वर्ष के दौरान प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का डेटा- बेस रखा जाता है	कोई डेटा-बेस नहीं रखा जाता है	कोई डेटा- बेस नहीं रखा जाता है	कोई डेटा-बेस नहीं रखा जाता है
परियोजनाओं का संस्वीकृत किया जाना	डी ई आर एण्ड आई पी आर/डी आर डी ओ मुख्यालय में परियोजना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोगशाला (ओं) की सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृत की जाती है।	एल एस आर बी/डी आर डी ओ मुख्यालय में परियोजना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा पैनल की सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृत की जाती है।	आर्माइन्ट/डी आर डी ओ मुख्यालय में परियोजना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा पैनल की सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृत की जाती है।	ए आर एण्ड डी बी / डी आर डी ओ मुख्यालय में परियोजना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी द्वारा पैनल की सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृत की जाती है।	एन आर बी/डी आर डी ओ मुख्यालय में परियोजना सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की सिफारिशों के आधार पर संस्वीकृत की जाती है।

(iii) डी ई आर एण्ड आई पी आर तथा रिसर्च बोर्डों द्वारा अपनाई जाने वाली बजट निरूपण प्रक्रिया की तुलना

(मुख्य शीर्ष 2080, लघु शीर्ष 004- अनुसंधान/आर एण्ड डी)

विषयगत मामला	ई आर एण्ड आई पी आर निदेशालय (कोड हेड 852/06)	लाईफ साईसेज रिसर्च बोर्ड (कोड हेड 852/05)	आर्माभेन्ट रिसर्च बोर्ड (कोड हेड 852/04)	एयरोनॉटिक्स रिसर्च बोर्ड (कोड हेड 852/02)	नेवल रिसर्च बोर्ड (कोड हेड 852/03)
बजट निरूपित तथा पूर्वानुमानित करना	बजट जारी परियोजनाओं के आधार पर निरूपित तथा 10-15% के एक अनुमानित संशोधन के साथ प्रस्तुत किया जाता है	आरम्भ में बजट ₹ 1.00 करोड़ के रूप में पूर्वनिर्धारित किया गया। एक समयावधि में बजट को प्राप्त परियोजनाओं की संख्या तथा जारी परियोजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे बढ़ा दिया गया	बजट निरूपण / पूर्वानुमान संस्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत पिछली प्रतिबद्धताओं, परियोजना प्रस्तावों जिनपर विचार किया गया तथा साथ-साथ पैनलों द्वारा सिफारिश किये जाने हेतु संभावित सशक्त परियोजना प्रस्तावों पर निर्भर करता है	बजट पूर्वानुमान का निरूपण पूर्व संस्वीकृत तथा जारी परियोजनाओं तथा विशेषज्ञ पैनलों के विचाराधीन परियोजना प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है	बजट वर्तमान में जारी परियोजनाओं के आधार पर निरूपित तथा लगभग 10-15% के एक संशोधन के साथ अगले वर्ष हेतु प्रस्तुत किया जाता है
क्या बजट अनुमान अनुसंधान के थ्रस्ट एरियों से संबंधित होता है	बजट निरूपण अनुसंधान के थ्रस्ट एरियों से संबंधित होता है	बजट वार्षिक योजना के अनुसार निरूपित नहीं होता है, तथापि, परियोजनाओं पर विचार अनुसंधान के थ्रस्ट एरियों को ध्यान में रख कर किया जाता है	बजट निरूपण अनुसंधान के थ्रस्ट एरियों से संबंधित होता है	बजट अनुमान में अनुसंधान के थ्रस्ट एरियों हेतु अपेक्षित आऊटगो शामिल होता है	बजट निरूपण अनुसंधान के थ्रस्ट एरियों से संबंधित होता है

परिशिष्ट-VII

(पैराग्राफ 7.2.2 में संदर्भित)

पिछले वर्ष (वर्षों) के प्रति निधियों के निरूपण/आवंटन में वृद्धि/कमी के ब्यौरे दर्शाते हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बोर्ड/निदेशालय का नाम	2007-08		2008-09			2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	पिछले वर्ष के आवंटन के प्रति % वृद्धि /कमी	आवंटन	व्यय	पिछले वर्ष के आवंटन के प्रति % वृद्धि /कमी	आवंटन	व्यय	पिछले वर्ष के आवंटन के प्रति % वृद्धि /कमी	आवंटन	व्यय	पिछले वर्ष के आवंटन के प्रति % वृद्धि /कमी	आवंटन	व्यय	पिछले वर्ष के आवंटन के प्रति % वृद्धि /कमी
1	ए आर एण्ड डी बी	6.50	6.23	7.50	7.50	15	9.55	7.96	27	18.36	18.37	92	40.78	36.51	122	19.27	18.01	(-)53
2	एन आर बी	10.00	9.78	10.00	9.78	0	7.70	7.51	(-) 23	3.90	3.88	(-)49	11.00	10.98	182	11.66	11.57	06
3	आर्मरेब	1.10	1.03	2.00	1.43	82	3.50	3.01	75	4.04	3.88	15	3.25	2.37	(-)20	2.80	2.35	(-)14
4	एल एस आर बी	4.00	4.36	10.00	9.45	150	11.00	10.35	10	11.35	11.00	03	7.00	6.78	(-)38	2.94	3.45	(-)58
5	डी ई आर एण्ड आई पी आर	32.90	32.50	30.00	29.81	(-) 9	25.00	23.99	(-)17	36.50	36.48	46	46.00	44.10	26	50.00	49.83	9
	योग	54.50	53.90	59.50	57.97		56.75	52.82		74.15	73.61		108.03	100.74		86.67	85.21	

स्रोत: डी आर डी ओ द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा/विवरण

परिशिष्ट-VIII

(पैराग्राफ 7.3 में संदर्भित)


डी आर डी ओ चेयर्स और डी आर डी ओ फ़ैलोशिप्स का विवरण

चेयर पर्सन का नाम(चेयर/लैब)	संस्वीकृति की तिथि	जारी की गई राशि (₹ लाख में)	चेयर पर्सन को दिया गया अनुसंधान क्षेत्र	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ
डॉ. कोटा हरिनारायणा (डॉ.डी .एस. कोठारी चेयर/ए.डी.ए. बंगलौर)	दिसंबर 2010	मार्च 2011 (₹ 27.69 लाख) मार्च 2012 (₹ 24.43 लाख) मार्च 2013 (₹ 23.55 लाख)	(क) प्रौद्योगिकी विकास पर सलाहकार (ख) मानवरहित वाहनों पर नई परियोजनाओं, न्यू जनरेशन रीजनल एयरक्राफ्ट, एल सी ए वेरिएन्ट हेतु उत्पाद सुधार तथा देशजीकरण कार्यक्रम, इत्यादि की पुनरीक्षा। (ग) सिस्टम इंजीनियरिंग स्टडीज तथा एकीकृत वाहन स्वास्थ्य प्रबंधन प्रौद्योगिकी के विकास में डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं के दलों के साथ भाग लेना	(i) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर डॉ. कोटा हरिनारायणा को ए.डी.ए बंगलौर में चेयर प्रदान की गई। (ii) चेयर पर्सन ने बिना लेखापरीक्षा कराए वार्षिक लेखे तथा उपयोग प्रमाण पत्र भेजे। (iii) निधियों पर कमाए गए ब्याज को वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया। (iv) चेयर पर्सन को मानदेय का भुगतान करते समय आयकर नहीं घटाया गया।
डॉ. एस.के. सालवान (डॉ. बी.डी. नागचौधरी चेयर/एस.पी. आई सी, दिल्ली)	जनवरी 2011	मई 2011 (₹ 27.69 लाख)	(क) खतरे का आंकलन तथा विश्लेषण, प्रौद्योगिकी का पूर्वानुमान तथा मिलान करने तथा यौद्धिक सिद्धांतों का विकास करने हेतु सलाहकार (ख) आर्टिलरी गन तथा पिनाका वेरिएन्ट्स के डिजाईन तथा विकास, भावी टैंक गन तथा गोला-बारूद तथा गन एवं गोलाबारूद के देशजीकरण के अन्य कार्यक्रम की पुनरीक्षा। (ग) (i) अगले दो दशकों में देश की रक्षा हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकियों हेतु कूटनीति का पूर्वानुमान तथा विकास करने (ii) शस्त्र प्रणाली के विकास तथा भविष्यपरक युद्ध परिप्रेक्ष्य में इसके एकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं, (iii) मिसाइल्स/ एन्टी-मिसाइल्स एप्लीकेशन हेतु भविष्यपरक वारहैड प्रौद्योगिकियों, में अनुसंधान	(i) डॉ.एस.के. सालवान डी आर डी ओ के आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड के अध्यक्ष थे और उनको एस पी आई सी में एक चेयर भी प्रदान की गई थी जो हितों के टकराव की ओर इशारा करता है। (ii) ₹ 27.69 लाख के अनुदान में से ₹ 21.43 लाख का व्यय हुआ, जिसमें चेयरपर्सन के मानदेय तथा यात्रा के ₹ 21.05 लाख शामिल थे। (iii) परियोजना के चालू रहने के दौरान कोई अनुसंधान वृत्तिधारक छात्र नियुक्त नहीं किए गए थे। (iv) परियोजना की सम्भावित समापन तिथि अर्थात् मई 2014 की समाप्ति से पहले ही परियोजना को पूर्व समाप्त कर दिया गया। (v) निधियों पर कमाए गए ब्याज को लेखों में नहीं दर्शाया गया। (vi) चेयर पर्सन को मानदेय का भुगतान करते समय आयकर घटाकर आयकर विभाग को नहीं भेजा गया था।
डॉ. पी.एस. गोयल (प्रोफेसर एम जी के मेनन चेयर/आर सी आई हैदराबाद)	मार्च 2012	जून 2012 (₹ 27.68 लाख)	(क) कौटिल्या (एलिनट) प्रोग्राम मेन्टर तथा आर सी आई में सॉटलाईट टेक्नोलॉजी बेस, डी एल आर एल में पेलोड विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण करना (ख) आर सी आई तथा अन्य प्रयोगशालाओं में सॉटलाईट तथा पेलोड निर्माण को शामिल करते हुए डी आर डी ओ में मांग क्षमता पर सॉटलाईट मॉडल	(i) चेयर पर्सन द्वारा गैर-लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र भेजे गए जिसकी परिणति चेयर पर्सन को दूसरी किस्त जारी न किए जाने में हुई। (ii) यद्यपि परियोजना का एक वर्ष पूरा हो चुका था परन्तु अभी तक कोई परियोजना प्रतिवेदन अथवा परियोजना पुनरीक्षा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

चेयर पर्सन का नाम(चेयर/लैब)	संस्वीकृति की तिथि	जारी की गई राशि (₹ लाख में)	चेयर पर्सन को दिया गया अनुसंधान क्षेत्र	लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ
			<p>करना। (ग) सेटैलाइट आधारित निगरानी प्रोग्राम तथा रक्षा हेतु संचार व्यवस्था, आदि जैसे मामले संबोधित करने हेतु (डी आर डी ओ में सृजित किए जाने के लिए) अंतरिक्ष सुरक्षा निदेशालय मेन्टर करना (घ) इसके अलावा, एस ए टू आर एम समय समय पर अपनी विशेषता का उपयोग डी आर डी ओ से सबद्ध अन्य क्षेत्रों में कर सकता है।</p>	

परिशिष्ट-IX

(पैराग्राफ 8.2.1 में संदर्भित)



परिशिष्ट-X

(पैराग्राफ 8.2.9.1 में संदर्भित)

भंडार के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

फैक्ट्री	2010-11				2011-12				2012-13			
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	भिन्नता (ए.ई.-बी.ई.)	भिन्नता की प्रतिशतता	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	भिन्नता (ए.ई.-बी.ई.)	भिन्नता की प्रतिशतता	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	भिन्नता (ए.ई.-बी.ई.)	भिन्नता की प्रतिशतता
ओ एफ के ए टी	60.10	41.21	- 18.89	-31.43	130.20	159.33	29.13	22.37	143.22	134.31	-8.91	-6.22
एम.एस.एफ.	63.78	64.85	1.07	1.68	72.20	92.78	20.58	28.50	71.04	111.70	40.66	57.24
एम.टी.पी.एफ.	29.89	16.03	-13.86	-46.37	32.34	34.35	2.01	6.22	45.33	30.95	-14.38	-31.72
ओ.एफ.ए.जे	261.18	266.46	5.28	2.02	334.10	288.99	-45.11	-13.50	311.53	252.00	-59.53	-19.10
जी.एस.एफ.	147.15	74.10	-73.05	-49.64	206.40	157.36	-49.04	-23.76	199.95	156.97	-42.98	-21.50
एच.वी.एफ	2140.32	1594.92	-545.40	-25.48	707.98	862.97	154.99	21.89	945.86	703.70	-242.16	-25.60
ओ.एफ.एम.के.	282.61	270.70	-11.91	-4.21	307.10	382.50	75.4	24.55	323.18	342.85	19.67	6.08
ओ.एल.एफ.डी	618.15	168.64	-449.5	-72.72	288.62	379.39	90.77	31.45	155.76	291.10	135.34	86.89
ओ.एफ.डी.	28.38	17.7	-10.68	-37.63	22.08	14.04	-8.04	-36.41	26.25	32.22	5.97	22.74
कुल योग	3631.56	2514.61			2101.02	2371.71			2222.12	2055.80		

परिशिष्ट-XI

(पैराग्राफ 8.2.9.1 में संदर्भित)

अंतिम माह/अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय के मामलों का विवरण

फैक्ट्री	2010-11			2011-12			2012-13		
	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	अंतिम तिमाही का व्यय (प्रतिशत में)	अंतिम माह का व्यय (प्रतिशत में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	अंतिम तिमाही का व्यय (प्रतिशत में)	अंतिम माह का व्यय (प्रतिशत में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	अंतिम तिमाही का व्यय (प्रतिशत में)	अंतिम माह का व्यय (प्रतिशत में)
ओ एफ के ए टी	41.21	47.74	14.30	159.33	29.22	14.82	134.31	32.07	11.88
एम एस एफ	64.85	31.98	14.65	92.78	30.81	8.06	111.70	18.93	7.73
एम टी पी एफ.	16.83	31.26	35.06	34.35	32.67	15.23	31.19	33.32	8.87
ओ एफ ए जे	266.46	30.50	10.60	288.99	28.63	7.26	252.00	24.36	7.51
जी ए एफ	74.10	34.43	10.09	157.61	54.39	10.02	156.97	26.13	11.28
एच वी एफ	1594.92	53.91	17.65	862.97	57.40	21.10	703.70	37.02	9.66
ओ.एफ.एम के	270.70	49.69	31.08	382.50	47.53	29.27	342.85	20.30	8.21
ओ.एल.एफ	168.64	42.71	20.06	379.39	67.42	29.98	291.10	30.24	21.25
ओ.एफ.डी.	17.70	61.41	42.21	14.04	43.03	26.79	32.22	56.38	41.92

परिशिष्ट-XII

(पैराग्राफ 8.2.9.4 में संदर्भित)

प्राधिकृत सीमा से अधिक भंडार

फैक्ट्री	31 मार्च 2013 को विद्यमान भंडार* (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान भंडार की खपत* (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान ¹ भंडार की मासिक खपत (₹ करोड़ में)	भंडार के नियम	माह की संख्या के रूप में भंडारण	माह के रूप में अतिरिक्त भंडारण	अतिरिक्त भंडारण का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6 (2/4)	7 (6-5)	8 (7*4)
ओ एफ के ए टी	103.52	184.47	15.37	4.0	6.7	2.7	42.00
एम.एस.एफ.	62.85	111.78	9.32	4.0	6.7	2.7	25.60
एम.टी.पी.एफ.	21.70	50.01	4.17	4.0	5.2	1.2	5.00
ओ.एफ.ए.जे	253.24	379.88	31.66	4.0	8.0	4.0	126.60
जी.एस.एफ.	195.95	237.07	19.76	4.0	9.9	5.9	116.90
कुल योग-ए	637.26	936.21	80.28				316.10
एच.वी.एफ	1197.53	1648.00	137.33	6.0	8.7	2.7	373.50
ओ.एफ.एम.के.	374.56	456.16	38.01	6.0	9.9	3.9	146.50
ओ.एल.एफ.डी.	193.33	391.07	32.59	6.0	5.9	-0.1	-2.20
ओ.एफ.डी.	22.57	30.26	2.52	6.0	9.0	3.0	7.40
कुल योग-बी	1868.27	2525.49	210.45				525.20
महायोग (ए+बी)	2425.25	3488.70	290.73				841.30

* स्रोत: वर्ष 2012-13 का मुद्रित वार्षिक लेखा

¹ वर्ष के दौरान (कालम 3) भंडार की खपत/12 माह

परिशिष्ट-XIII

(पैराग्राफ 8.2.9.5 में संदर्भित)

विद्यमान भंडार के अतिरिक्त भंडारण के मामले

क्रम संख्या	भंडारण के कारण	फैक्ट्री	मामलों का सारांश
1	उत्पादन में चूक के कारण आदेशों का पूर्व समापन अथवा निरस्तिकरण	एच.वी.एफ.	थलसेना के 1380 टैंकों की आपूर्ति के आदेश को 2002 तक पूर्ण होना था। तथापि उत्पादन अवधि पाँच वर्ष विलंबित होकर 2007 हो गई। थलसेना ने उत्पादन में चूक तथा एच.वी.एफ. के उत्पादन की निम्न गुणवत्ता के कारण मांगपत्र का पूर्व समापन कर दिया। इसके कारण ₹ 161.28 करोड़ के 8530 मूल उपस्कर (ओ.ई.) 2007 से भंडार में पड़े रहे बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि थलसेना ने उत्तम प्रकार के तकनीक वाले टैंकों के उपयोग की प्रचालन आवश्यकता के कारण माँग का पूर्व समापन किया। आगे टी-72 टैंकों के ₹161.28 करोड़ मूल्य के 8530 मूल उपस्कर (ओ.ई.) अप्रचलित नहीं हैं। उसका आहरण कर ब्रिज लेयर टैंक एवं ट्रॉल टैंकों के उत्पादन में उपयोग कर लिए जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2002 से 2007 तक पाँच वर्ष तक का लगा समय एक कारण था जिससे प्रचालन आवश्यकता में परिवर्तन हुआ एवं थलसेना को आदेश का पूर्व समापन करना पड़ा। आगे, पिछले 7 वर्षों के दौरान टी-72 टैंक के 8530 ओ.ई. मर्दों का अप्रयोग के बावजूद प्रबंधन उसके उपयोग का कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं कर सका।
2		एम.टी.पी.एफ	ओ.एफ.एम.के. से एक अंतर फैक्ट्री मांग के अंतर्गत एक आदेश को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2005 एवं मई 2006 के मध्य ₹0.19 करोड़ मूल्य के ट्रैक शू के 2504 फोर्जिंग अधिप्राप्त किए गए और वे एम.टी.पी.एफ. में तभी से पड़े हुए थे। यह देखा गया कि एम.टी.पी.एफ. पर आइ.एफ.डी. थोड़े समय के बाद ही बंद कर दिया गया। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि 2014-2015 के दौरान ओ.एफ.एम.के. में पैदल ट्रैक शू फोर्जिंग का उपयोग इंफैन्ट्री युद्धक वाहन (बी.एम.पी.) के उत्पादन में कर लिया जाएगा।
3			एम.टी.पी.एफ. ने फरवरी 2010 तथा अगस्त 2011 के मध्य ₹0.13 करोड़ मूल्य के 132.70 किग्रा लॉकटइट की अधिप्राप्ति की। भंडार की आवश्यकता 84 मिमी ट्रेसर पाथ टारगेट (टी.पी.टी.) के उत्पादन के लिये थी। 84 मिमी टी.पी.टी. के पायलट नमूनों की पुष्टि नहीं हुई। मद का निर्माण निलंबित कर दिया गया। यह देखा गया कि पूर्व अधिप्राप्ति की कार्यशील अवधि जनवरी 2012 में समाप्त हो गई तथा वर्ष 2011-2012 में नई अधिप्राप्ति कर ली गई जिसकी भी कार्यशील आयु समाप्त हो गई तथा वह निस्तारण के लिए फैक्ट्री में पड़े हुए थे। बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि 84 मिमी टी.पी.टी. के थोक उत्पादन स्वीकृति की अप्राप्ति के कारण भंडार का उसकी कार्यशील आयु के पूर्व उपयोग नहीं किया जा सका, तथापि यह अनुरक्षण, कारपेंट्री शाप एवं बार मिल अनुभाग के लिए उपयोग किया जा रहा है। बोर्ड का उत्तर विरोधाभासी है क्योंकि भंडार की कार्यशील अवधि समाप्त हो चुकी है तथा अब इसका उपयोग संदेहास्पद है।

4			<p>हाइड्रालिक कपलिंग के निर्माण के लिए ₹0.21 करोड़ मूल्य के 105 नग बैंड फोर्जिंग अधिप्राप्त किए गए। चूंकि मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री (एम.टी.पी.एफ.) मद के निर्माण में अक्षम रही, भंडार/स्टाक में बिना उपयोग के पड़ा रहा। उत्पादन लक्ष्य को पूर्ण करने में एम.टी.पी.एफ. की विफलता के कारण ₹0.21 करोड़ मूल्य के बैंड फोर्जिंग का भंडारण हुआ।</p> <p>बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि कार्यशील अतिरिक्त भंडार के रूप में भंडार के निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है।</p>
5			<p>फरवरी 2008 एवं जून 2009, अक्टूबर 2007 एवं मई 2010 तथा मई 2008 एवं जुलाई 2009 के मध्य क्रमशः ₹0.32 करोड़ मूल्य के 163 नग इलेक्ट्रो मैग्नेट, ₹0.31 करोड़ मूल्य के 64 साइक्रो रिसाल्टर तथा ₹ 0.58 करोड़ मूल्य के 50 नग इलेक्ट्रो मोटर जो कोड 94 संयोजन (टैंक मद) के लिए आवश्यक थे, अधिप्राप्त किए गए। कोड 94 को अभी भी एम.टी.पी.एफ. द्वारा आपूर्ति किया जाना शेष था।</p> <p>बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि फैक्ट्री एच.वी.एफ. की उत्पादन योजना के अनुसार उप-संयोजनों का निर्माण व आपूर्ति करने में मदों की खपत कर रही है।</p> <p>बोर्ड फिर भी पिछले चार वर्षों तक मदों का उपयोग न करने तथा उनके भागों में उनके उपयोग का कोई कारण नहीं बताया।</p>
6		एम.टी.पी.एफ.	<p>जनवरी 1997 मार्च 1999 के दौरान क्लस्टर बमों के निर्माण के लिए ₹1.71 करोड़ मूल्य के स्टेनलेस स्टील मार्जिंग स्ट्रिप के 6097 शीट अधिप्राप्त किए गए जो एक दशक से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़े रहे।</p> <p>बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि परेषिती फैक्ट्रियों द्वारा आदेश निलंबित कर दिए गए थे तथा मदों को पारस्परिक एड योजना (एम.ए.एस.) के माध्यम से प्रस्तावित किया गया किंतु कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अंततः मदों को निस्तारण के लिए अतिरिक्त के रूप में चिन्हित कर दिया गया।</p> <p>एम.ए.एस. से किसी स्थूल परिणाम के बिना सामग्री का भंडारण सामग्री नियंत्रण में कमी तथा उसके निस्तारण में कमी की ओर इंगित करता है।</p>
7		एम.एस.एफ.	<p>2004 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 6 के लेखापरीक्षा पैरा संख्या 7.2 में बार मिल सेक्शन में लंबे समय तक 22.66 करोड़ की कुल लागत से विभिन्न प्रकार के स्टील ब्लूम एवं बिलेट के 9638 एम.टी. मात्रा के उत्पादन के संबंध में चर्चा की गई थी। किंतु बहिर्गमित होने वाले आदेशों एवं स्टॉक के मध्य मेल न होने के कारण तथा कार्यभार में धीमी गति की न्यूनता के कारण मदों का उपयोग नहीं किया जा सका। ये मद खुले मैदान में भंडारित किए गए तथा वर्षों तक प्राकृतिक परिस्थितियों के समक्ष छोड़ दिए गए जिसके कारण उनमें जंग लग गए तथा वे पहचान योग्य भी नहीं रहे। उन्हें 7252.91 मी. टन. स्टील रद्दी मिश्रित बिलेट व ब्लूम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया तथा ₹18.95 करोड़ मूल्य के प्रभार में लिया गया एवं नवंबर 2012 में उन्हें नये फोलियो (बिन कार्ड) के प्रति प्रभारित किया गया। किंतु भंडार मार्च 2013 तक अप्रयुक्त रहा।</p> <p>बोर्ड का उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)</p>
8	गुणवत्ता समस्याओं के कारण अतिरिक्त भंडार	जी.एस.एफ.	<p>81 मिमी बेस प्लेट संयोजन के विभिन्न भागों के निर्माण के लिए स्टील शीट की आवश्यकता होती है। जी.सी.एफ. ने मार्च 2012 में ₹2.76 करोड़ की लागत से 14884 किग्रा स्टील शीट की आपूर्ति के लिए मेसर्स मिधानी लिमिटेड हैदराबाद को एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। जी.एस.एफ. ने जुलाई 2012 एवं सितंबर 2012 के मध्य 14884 किग्रा स्टील शीट प्राप्त किया। जी.एस.एफ. द्वारा गुणवत्ता जाँच के दौरान यह देखा गया कि निश्चित</p>

		<p>शीट की कम मोटाई से विभिन्न शीट्स की मोटाई में भिन्नता थी। (मोटाई में भिन्नता 2.46 मिमी से 2.91 मिमी तक थी) इसके पश्चात, एस.क्यू.ए.ई. ने कहा (मार्च 2013) कि उन्होंने 2.77 मिमी +/- 0.22 मिमी की कम मोटाई देखी। यद्यपि जी.एस.एफ. ने मामले को मार्च/अप्रैल 2013 में मेसर्स मिधानी को सूचित कर दिया था किंतु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रक (शस्त्र) जबलपुर [सी.क्यू.ए. (डब्ल्यू)] ने 1 मार्च 2013 को किए अपने दौरे पर जी.एस.एफ. को निर्दिष्ट किया कि भविष्य में जटिल संयोजन का निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक समान कच्चे माल के प्लेटों की अपूर्ति के लिए नये आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करनी चाहिए। 2012-2013 के दौरान शॉप द्वारा केवल 2990.862 किग्रा स्टील शीट का आहरण किया। अतः जी.एस.एफ. ने 14884 किग्रा दोषपूर्ण भंडार को स्वीकार किया जिसमें से 2012-2013 के दौरान शॉप द्वारा केवल 2991 किग्रा का आहरण किया गया तथा ₹2.07 करोड़ मूल्य के 11893 किग्रा दोषयुक्त स्टील शीट मार्च 2013 तक भंडार में पड़े रहे।</p> <p>बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि मामूली विचलन के साथ फर्म द्वारा आपूर्त भंडार जो कि पहले निरीक्षक द्वारा अस्वीकृत किया गया तथापि बाद में उसे स्वीकार कर लिया गया। भंडार का कुछ भाग उपयोग कर लिया गया है तथा शेष 2014 -2015 में उपयोग कर लिया जाएगा।</p> <p>बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सामग्री को बदलने के बजाय जी.एस.एफ. ने आपूर्तिकर्ता से दोषपूर्ण मद स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जटिल संयोजनों के लिए कच्चा माल स्वीकार करने के पूर्व कठोर जाँच हेतु डी.जी. क्यू.ए. के निर्देश का उल्लंघन, अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता के साथ समझौते का द्योतक है।</p>
9	एम.टी.पी.एफ.	<p>पहली बार 84 मिमी टी.पी.टी. प्रोजेक्टाइल के निर्माण के लिए एम.टी.पी.एफ. ने थोक उत्पादन की स्वीकृति के पूर्व सभी आवश्यक भंडारों की अधिप्राप्ति कर ली। चूंकि अधिप्राप्त भंडार जाँच मानकों के अनुपयुक्त नहीं था, 84 मिमी टी.पी.टी. का उत्पादन निलंबित कर दिया गया जिसके कारण, बी.पी.सी. जारी होने तक मद के लिए अधिप्राप्त ₹0.56 करोड़ के भंडार अतिरिक्त हो गए।</p> <p>फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2013) कि एम.टी.पी.एफ. में प्राप्ति के समय विस्तृत जाँच के आधार पर फर्म द्वारा आपूर्त सामग्री को स्वीकार किया गया। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि उत्पाद के स्थापित हो जाने के पश्चात 2014-2015 में सामग्री का उपयोग कर लिया जाएगा।</p>
10	जी.एस.एफ.	<p>फैक्ट्री ने, खाली फ्यूज परकशन डी.ए. 5 ए की बॉडी के निर्माण के लिए आयुध फैक्ट्री अंबाझरी (ओ.एफ.ए.जे.) को 59000 किग्रा एल्यु. एलॉय रॉड 35 डायामीटर की आपूर्ति के लिए आई.एफ.डी. (अक्टूबर 2010) प्रस्तुत किया। ओ.एफ.ए.जे. ने (अक्टूबर 2010) 35 मिमी डायामीटर की आई.एफ.डी. आवश्यकता के प्रति 36 मिमी डायामीटर एल्यु. एलॉय रॉड का प्रस्ताव दिया। तदनुसार जी.एस.एफ. ने 35 मिमी डायामीटर एल्यु. एलाय रॉड की आई.एफ.डी. शून्य मात्रा पर निरस्त कर दी (दिसंबर 2010) तथा दो आई.एफ.डी. (दिसंबर 2010 एवं मार्च 2012) ओ.एफ.ए.जे. को एल्यु. एलॉय रॉड 36 मिमी के लिए क्रमशः 30000 किग्रा एवं 42000 किग्रा के लिए प्रस्तुत की। जी.एस.एफ. ने सितंबर 2011 एवं अगस्त 2013 के दौरान ₹ 2.70 करोड़ मूल्य के 72000 किग्रा एल्यु. एलॉय रॉड प्राप्त किया। जनवरी 2012 में 300 किग्रा की मामूली मात्रा के आहरण के पश्चात अक्टूबर 2013 तक शेष मात्रा 71700 किग्रा की थी। अतः 35 मिमी डायामीटर रॉड के स्थान पर 36 मिमी डायामीटर की अधिप्राप्ति के कारण ₹2.70 करोड़ मूल्य के 71700 किग्रा एल्यु.</p>

			<p>एलॉय रॉड मार्च 2013 तक अप्रयुक्त पड़े थे।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि व्यापार से 34 मिमी डाय के एल्यु. एलाय रॉड के प्रावधान में कठिनाइयाँ थीं इसलिए ओ.एफ.ए.जे. से, 36 मिमी डाय के एल्यु. मिनीयम एलाय रॉड को आई.एफ.डी.के. माध्यम से अधिप्राप्ति करने की व्यवस्था की गई। बोर्ड ने यह भी कहा कि 2014-2015 एवं 2015-2016 के दौरान 36 मिमी डाय के अतिरिक्त स्टॉक की खपत कर ली जाएगी तथा 2014-2015 एवं 2015-2016 के दौरान कोई अधिप्राप्ति की गई कार्रवाई नहीं की जाएगी।</p> <p>बोर्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फैक्ट्री 34 मिमी डाय के एल्यु एलॉय रॉड को व्यापार माध्यम से नियमित रूप से यहाँ तक कि 2012-2013 तक अधिप्राप्त करती रही है तथा 2012-2013 के दौरान अंतिम भंडार (84 मिमी टी.पी.टी.) के उत्पादन में उसका उपयोग किया गया। अंतिम भंडार के उत्पादन के लिए सामग्री की अनुपयुक्तता उपयोग न होने का प्रमुख कारण था।</p>
11		एम.एस.एफ.	<p>वर्ष 2009-2010 के दौरान 23 मिमी शल्का कारतूस खोल के निर्माण के लए 382 एम.टी. में से ₹3.41 करोड़ मूल्य का 342 एम.टी. स्टील प्लैट, तीन वर्ष से अधिक समय से पड़े थे।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि भारतीय थल सेना के निर्णय के आधार पर 23 मिमी शिल्का गोला बारूद का उत्पादन निलंबित कर दिया गया था। उत्पादन के पुनः प्रारंभ होने तथा तकनीकी समस्याओं को हल करने के पश्चात विद्यमान सामग्री का उपयोग कर लिया जाएगा।</p>
12			<p>जी.एस.एफ. के नवंबर 1985 के आई.एफ.डी. के प्रति, 1986-1987 के दौरान, 81 मिमी बम के निर्माण के लिए, 4584 नग तैयार कैविटी बॉडी की अधिप्राप्ति की गई। यह मद उत्पादन के पश्चात (अक्टूबर 1986 एवं नवंबर 1986) जी.एस.एफ. को निर्गमित कर दिया गया। तथापि, उसे गुणवत्ता समस्याओं के कारण जी.एस.एफ. द्वारा उसे वापस भेज दिया गया जिसे एम.एस.एफ. द्वारा प्रभार में लिया गया तथा वे पिछले 26 वर्ष से स्टॉक में पड़े हुए हैं।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि पिछले कई वर्षों से भंडार का उत्पादन बंद हो चुका है तथा हानि विवरण तैयार करके हानि के नियमितीकरण हेतु अनुदेश जारी किए जाएंगे।</p>
13			<p>2006-2007 के दौरान, ₹1.71 करोड़ मूल्य के 9418 नग कारतूस खोल, आयुध फैक्ट्री बद्रमल को 30 मिमी बी.एम.पी.- II के निर्माण के लिए जारी लिए गए थे जो अगस्त 2006 में धातु एवं इस्पात फैक्ट्री (एम.एस.एफ.) को वापस कर दिए गए। ये मद एम.एस.एफ. में प्राप्त होने की तारीख से ही स्टॉक में पड़े हुए हैं।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि प्रक्रिया के अनुसार हानि विवरण तैयार करके नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी।</p>
14	लक्ष्य को कम करना	ओ.एफ.ए.जे.	<p>105 मिमी आई.एफ.जी. शेल के उत्पादन के लिए कॉपर ट्यूब की आवश्यकता होती है। फैक्ट्री के पास मार्च 2014 को ₹1.91 करोड़ मूल्य का 44948 किग्रा कापर ट्यूब उपलब्ध था। वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 के लिए बोर्ड द्वारा लक्ष्य समाप्त करने के कारण सामग्री का अति भंडारण हुआ।</p> <p>फैक्ट्री ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (मई 2014) कि बोर्ड/सहयोगी फैक्ट्री से लक्ष्य प्रदान करने तथा उपयोग के लिए मामले पर चर्चा की गई है। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।</p>

15			<p>105 मिमी आई.एफ.जी.एच.ई. के उत्पादन के लिए पार्टेंड स्टील की आवश्यकता होती है। फैक्ट्री के पास मार्च 2014 को ₹1.81 करोड़ मूल्य के 14478 नग सामग्री उपलब्ध थी। वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 के लिए बोर्ड द्वारा लक्ष्य समाप्त करने के कारण सामग्री का अति भंडारण हुआ। फैक्ट्री ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (मई 2014) कि बोर्ड/सहयोगी फैक्ट्री से लक्ष्य प्रदान करने तथा उपयोग के लिए मामले पर चर्चा की गई है। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।</p>
16			<p>125 मिमी शेल एच.ई. 1 ए के उत्पादन के लिए नोज एडाप्टर की आवश्यकता होती है। फैक्ट्री के पास अगस्त 2014 में ₹34.45 करोड़ मूल्य के 84254 नोज एडाप्टर उपलब्ध थे। वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 के लिए बोर्ड द्वारा लक्ष्य समाप्त करने के कारण सामग्री का अति भंडारण हुआ। फैक्ट्री ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (मई 2014) कि बाद के वर्षों, जब लक्ष्य उपलब्ध होंगे, के दौरान सामग्री का उपयोग कर लिया जाएगा। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।</p>
17	आपूर्ति क्रम में समस्या	एच.वी.एफ.	<p>पूरक करार (एस.ए.) के अंतर्गत मेसर्स रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट से 19 प्रकार के आर्मर प्लेट आयातित (जुलाई 2007) किए गए। आर्मर प्लेटों का उपयोग टी-90 टैंकों के उत्पादन में किया जाता है। 19 प्रकार के आर्मर प्लेटों में से ₹18.99 करोड़ मूल्य के दो प्रकार यथा आर्मर स्टील 60 (611.95 टन) एवं 85 ग्रेड (215 टन) 2009 में प्राप्त हुए। मेसर्स बी.एच.ई.एल. द्वारा थर्मो प्रेसिंग सुविधा प्रदान न किए जाने के कारण आर्मर प्लेटों का उपयोग नहीं किया जा सका तथा वे अतिरिक्त हो गए। तथापि एच.बी.एफ. ने नवंबर 2009 एवं अक्टूबर 2012 के मध्य मद का 276.776 टन उपयोग कर लिया तथा ₹15.25 करोड़ मूल्य के 550.174 टन की शेष मात्रा अप्रयुक्त पड़ी रही। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि हल संयोजन का इन-हाउस निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि बी.एच.ई.एल., जो कि एक मात्र देशज स्रोत है, में थर्मो प्रेसिंग सुविधा कार्यशील नहीं थी। बी.एल.टी. एवं ट्रॉल के हल के निर्माण हेतु आर्मर प्लेटों के स्टॉक का लाभप्रद उपयोग कर लिया जाएगा। उत्तर में स्वतः इंगित है कि पूर्ण निर्मित हलों के आयात की कार्रवाई तथा थर्मो प्लेटों की अधिप्राप्ति की कार्रवाई न होने के कारण पिछले सात वर्षों तक आर्मर प्लेटों का उपयोग नहीं किया जा सका।</p>
18		ओ.एफ.डी.	<p>गॉगल जी.एस.एम.के. II एन आई.वी. के उत्पादन के लिए बकल टूथेड की आवश्यकता होती है। मार्च 2011 को फैक्ट्री में 24110 नग उपलब्ध थे एवं स्टॉक मार्च 2012 तक अप्रयुक्त रहा। व्यापार फर्म को एक आपूर्ति आदेश (अगस्त 2012) प्रस्तुत किया गया जिसके प्रति अगस्त 2012 में 252700 बकल टूथेड अधिप्राप्त किया गया जिसके कारण मार्च 2013 को स्टॉक स्तर 276810 तक बढ़ गया। चूंकि 2012-2013 के दौरान भंडार का उपयोग नहीं हुआ अतः ₹0.21 करोड़ की संपूर्ण सामग्री अतिरिक्त पड़ी रही। फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा कि गॉगल जी.एस.एम.के. II एन.आई.वी. के निर्माण के लिए सी.ए. शीट की भी आवश्यकता होती है जो अधिप्राप्त करना कठिन है तथा उसे अधिप्राप्त नहीं किया जा सका। इसके कारण उपर्युक्त सामग्री का स्टॉक बढ़ा एवं वह मार्च 2013 तक अप्रयुक्त रहा। अतः मेलित मदों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एक सामग्री की अधिप्राप्ति से ₹ 0.21 करोड़ मूल्य के बकल टूथेड की परिहार्य अधिप्राप्ति हुई। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।</p>

19	अनुचित नियोजन	एच.वी.एफ.	<p>एच.वी.एफ. में 1950 से 1987 के मध्य ₹0.84 करोड़ मूल्य के 5491 मद बिल्कुल आहरित नहीं किए गए तथा ₹0.72 करोड़ मूल्य के 3723 पुराने मद सितंबर 1963 तथा दिसंबर 1987 के मध्य अंतिम बार आहरित किए गए। ₹1.56 करोड़ मूल्य के मद फैक्ट्री में भंडारित थे तथा अप्रयुक्त के रूप में वर्गीकृत थे। फैक्ट्री ने पिछले 27 वर्षों से अप्रयुक्त स्टॉक को समायोजित करने के लिए कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि अप्रयुक्त स्टॉक में विजयंत टैंक के औजार तथा अन्य मद हैं जिसके प्रति निस्तारण/समायोजन की कार्रवाई विचाराधीन थी।</p>
20		ओ.एफ.एम.के.	<p>फरवरी 1990 में क्रय किए गए ₹0.45 करोड़ मूल्य के 75832 कि.ग्रा. टी 160 सी.आर. 12 प्लेट अब तक प्रयोग में नहीं लाए गए।</p> <p>बोर्ड ने (सितंबर 2014) कहा कि विशिष्ट मदों के सभी भंडार बी.एम.पी II के लिए थे जिसका 2012-2013 में उपयोग प्रारंभ हुआ। भंडार के मद 2014-2015 में प्रयोग कर लिए जायेंगे।</p> <p>बोर्ड एक मद के उत्पादन के प्रति 1990 में, भंडार की अधिप्राप्ति के कारणों को उचित सिद्ध नहीं कर सका जिसका उपयोग 2012-2013 में प्रारंभ हुआ।</p>
21	भंडार का अतिप्रावधान	एम.एस.एफ.	<p>उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण (पी.पी.सी.) साप्टवेयर पैकेज में सामग्री आवश्यकता नियोजन एवं पूर्वानुमान माड्यूल (एम.आर.पी.) का उपयोग, अधिप्राप्ति के लिए भंडार की शुद्ध आवश्यकता की गणना करते समय शॉप (डब्ल्यू.आई.पी. के भाग के रूप में) में रखे गए भंडार की मात्रा पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। माड्यूल में इस प्रकार के प्रावधान का अभाव होने के कारण ₹6.16 करोड़ मूल्य के भंडार का अतिप्रावधान हुआ।</p> <p>बोर्ड ने देयताओं की गणना में प्रोग्रामिंग त्रुटि को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2014) कि प्रोग्रामिंग त्रुटि के कारण केवल वही मामले प्रभावित हुए हैं जिनमें सामग्री प्राप्त हुई किंतु बाद में अस्वीकृत हो गई।</p> <p>बोर्ड का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि देयताओं की गणना के लिए प्रोग्रामिंग आवश्यकता के आकलन के सभी मामलों पर सार्वभौमिक रूप से लागू होती है तथा उसे अस्वीकृति के विश्लेषण के एकाकी मामलों हेतु पोस्ट मार्टम कार्रवाई के रूप में एक माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।</p>
22		जी.एस.एफ.	<p>2010-2011, 2011-2012 एवं 2012-2013 के उत्पादन लागत के आधार पर फ्यूज डी.ए. 5 ए के लिए 87106 एवं 173306 नग डार्ड कास्टिंग सेफ्टी कैप के लिए आयुध फैक्ट्री कटनी को दो आई.एफ.डी. (जनवरी एवं सितंबर 2010) प्रस्तुत किए गए। जी.एस.एफ. ने मार्च 2013 तक आदेशित मात्रा प्राप्त की। 2013-2014 के 60000 फ्यूजों के उत्पादन लक्ष्य के लिए 15705 कैपों के 25% सामग्री प्रावधान पर विचार विचार करते हुए हमने पाया कि 31 मार्च 2013 को ₹0.86 करोड़ मूल्य के 125243 कैपों का अति प्रावधान था। फैक्ट्री ने कहा (फरवरी 2014) कि वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 में सामग्री के खपत की अपेक्षा है।</p> <p>बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतिक्षित था।</p>
23			<p>2012-2013 के लिए 12000 नग पिस्टल के निर्माण लक्ष्य के प्रति, जी.एस.एफ. ने स्वयं वर्ष के लिए लक्ष्य को 15000 नग तक बढ़ा दिया तथा पिस्टल के निर्माण के लिए के लिए 4000 नग, तैयार रिसीवर का शुद्ध आकलन किया। तथापि वे, उपलब्ध स्टॉक, प्राप्य भंडार तथा अधिप्राप्ति के कुछ भाग का उपयोग करके वर्ष के दौरान 10840 नग का उत्पादन हासिल कर सके। तदनुसार, ₹0.75 करोड़ मूल्य के 2796 नग रिसीवर प्राधिकृत भंडारण से अधिक थे।</p>

			बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।
24			<p>2010-2011 के दौरान 62500 नग फ्यूज करकशन डी.ए. 117 के उत्पादन हेतु, फैक्ट्री ने एम.एस.एफ. को 41883 नग ब्रास स्टैमिंग बॉडी की अधिप्राप्ति के लिए एक आई.एफ.डी. (जून 2010) प्रस्तुत किया। अप्रैल 2010 के मध्य मद के 15985 नग आपूर्त किया। तथापि फैक्ट्री ने 2010-2011 से 2012-2013 के दौरान फ्यूज परकशन डी.ए. 117 का उत्पादन नहीं किया। अंतिम बार सामग्री, 450 नगों के लिए जनवरी 2006 में तत्पश्चात अगस्त 2010 में 20533 नग आहरित किया गया जिसमें से 16000 नग सितंबर 2013 में भंडार को वापस कर दिए गए तथा मार्च 2014 तक बिन कार्ड शेष ₹2.68 करोड़ मूल्य के 37069 नग का हो गया। यह भी देखा गया कि वर्ष 2009-2010 से मद का कोई लक्ष्य उपलब्ध नहीं था। उत्पादन लक्ष्य के बिना एम.एस.एफ को आई.एफ.डी. प्रस्तुत करने के कारण परिहार्य अधिप्राप्ति हुई।</p> <p>बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।</p>
25		ओ.एफ.ए.जे.	<p>शेल 155 मिमी एम-107 एच.ई. के उत्पादन के लिए पार्टल बिलेट की आवश्यकता होती थी। 2012-2013 की आवश्यकता के लिए ओ.एफ.ए.जे. ने 27741 नग हेतु मार्च 2012 में एक आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। बाद में, 2013-2014 की आवश्यकता पर विचार करते हुए 100 प्रतिशत विकल्प उपबंध का उपयोग कर उपर्युक्त आपूर्ति आदेश की मात्रा बढ़ाकर 55482 नग कर दिया गया। फर्म ने 58569 नग की आपूर्ति की, जिसमें से मार्च 2013 तक ओ.एफ.ए.जे. ने 55177 नग स्वीकृत किया। 2013-2014 का लक्ष्य बोर्ड ने 46000 से घटाकर 6000 कर दिया। अतः 2013-2014 में उपर्युक्त सामग्री की आवश्यकता केवल 6908 रह गई। इस प्रकार ₹6.83 करोड़ मूल्य के 28,342 पार्टल स्टील बिलेट स्टॉक में, आवश्यकता से अधिक थे।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि वर्ष 2014-2015 के लिए उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में सामग्री का लाभप्रद उपयोग कर लिया जाएगा।</p>
26		ओ.एफ.डी.	<p>ग्लास ई.डी.एफ., 5.56 मिमी राइफल डे साइट टेलीस्कोप में प्रयुक्त लेंस के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। कथित सामग्री के 1000 किग्रा मात्रा के लिए फैक्ट्री ने एक आपूर्ति आदेश (जुलाई 2012) प्रस्तुत किया तथा मार्च 2013 में उसे प्राप्त किया। यह पाया गया कि मार्च 2013 तक ₹0.23 करोड़ मूल्य की सामग्री का अतिरिक्त भंडारण था।</p> <p>फैक्ट्री प्रबंधन ने (मई 2014) में कहा कि फैक्ट्री में लेंस के उत्पादन के लिए भंडार की अधिप्राप्ति की गई थी; तथापि डे साइट टेलीस्कोप के लिए आवश्यक लेंस का बाह्य स्रोतीकरण किया गया। परिणाम स्वरूप अधिप्राप्त भंडार अप्रयुक्त पड़े रहे।</p> <p>इस प्रकार, उपलब्धता के बावजूद सामग्री का बाह्यस्रोतीकरण करने के अधिप्राप्त सामग्री का अतिरिक्त भंडारण हुआ।</p> <p>बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।</p>

परिशिष्ट-XIV

(पैराग्राफ 8.2.9.9 में संदर्भित

पुराने बकाया डब्ल्यू.आई.पी. के मामले

क्रम संख्या	निस्तारित न होने के कारण	फैक्ट्री	मामले का सारांश
1	डब्ल्यू.आई.पी. में पड़े अस्वीकृत भंडार	एम.एस.एफ.	अधिपत्र 5272/0 (मार्च 2006) के प्रति निर्मित ₹0.90 करोड़ के नौ टी-72 टैंक बैरल अस्वीकृत हो गए तथा 2005-2006 से डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में पड़े रहे। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि कार्ययोजना तैयार कर ली गई है तथा उसे वैकल्पिक भंडार जैसे ब्रीच ब्लॉक आदि के रूप में परिवर्तित करके डब्ल्यू.आई.पी. का परिसमापन 2016-2017 तक कर लिया जाएगा।
2			अधिपत्र 7187/0 (अगस्त 2010) में ₹0.76 करोड़ मूल्य के 13514 नग 23 मिमी शिल्का कारतूस खोल, व्यापार से सी.ई.डी. कोटिंग कराकर निर्मित किये गए। संपूर्ण मात्रा 2010-2011 से डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में पड़ी हुई थी। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि हानि विवरण तैयार करके वर्तमान दो लाटों को नियमित कर लिया जाएगा तथा अधिपत्र का समापन कर लिया जाएगा।
3		ओ.एफ.के ए टी	2011-2012 के दौरान ₹0.34 करोड़ मूल्य के 1000 अस्वीकृत कारतूस खोलों को अधिपत्र 0541/0 से 1468/0 में स्थानांतरित कर दिया गया किंतु अधिपत्र संख्या 1468/0 को खुला रखा गया। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि अधिपत्र के अंतर्गत निर्मित भंडार, प्रूफ स्थापना द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए तथा अस्वीकृत लॉट के पुनः प्रूफ की प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। ऐसा होने के कारण अधिपत्र के अंतर्गत निर्मित भंडार को नए अधिपत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर में उनके जुलाई 1998 के अपने ही आदेश का उल्लंघन है जिसमें दिया गया है कि किसी अधिपत्र के प्रति अस्वीकृत मद को अन्य अधिपत्र में स्थानांतरण करने के बजाय उसी के अंतर्गत नियमित किया जाना चाहिए।
4		2010-2011 के दौरान ₹0.22 करोड़ मूल्य के 4.80 टन ब्रास कप नाटो की अस्वीकृति को अधिपत्र संख्या 0354/0 से अन्य अधिपत्र में स्थानांतरित किया गया। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि सामग्री को डी.जी.क्यू.ए. द्वारा पुनः जाँच कर स्वीकृत किया गया है। अधिपत्र समापन होने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। उत्तर, उनके ही 1998 के आदेश के उल्लंघन के मामले में मौन है जिसमें अस्वीकृत मद को एक अधिपत्र से दूसरे अधिपत्र में स्थानांतरण करना निषिद्ध है।	
5		एम.टी.पी.एफ.	2002-2003 के दो अधिपत्रों तथा 2003-2004 के पाँच अधिपत्रों के प्रति निर्मित ₹0.65 करोड़ मूल्य के प्राइमर परकशन कारतूस खोल अस्वीकृत हो गए तथा डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में पड़े रहे। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि अधिपत्र के अंतर्गत निर्मित भंडार

			फिल्ड प्रूफ परीक्षण में अस्वीकृत हुए। विस्तृत जाँच की गई तथा जाँच बोर्ड की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित हानि विवरण विचाराधीन था।
6			1999-2000 से 2002-2003 की अवधि के दौरान दो अधिपत्रों के प्रति ₹0.25 करोड़ मूल्य के 30 नग 64 टीथ गियर व्हील निर्मित किए गये। यह उत्पाद कहीं गुम हो गया तथा चितरजंन लोकोमोटिव वर्क्स (सी.एल.डब्ल्यू.) को निर्गमित नहीं किया जा सका। एम.टी.पी.एफ. ने भंडार की हानि के लिए कई बार जाँच की किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसे डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में दिखाया जा रहा था। फैक्ट्री प्रबंधन ने (नवंबर 2013) कहा कि जाँच बोर्ड के लिए महाप्रबंधक से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा मामले को हानि विवरण के लिए अगली कार्रवाई हेतु अनुशासनात्मक अनुभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। हानि विवरण के लिए स्वीकृति/संस्तुति प्राप्त होने पर अधिपत्र का समापन कर दिया जाएगा तथा इसे डब्ल्यू.आई.पी. से हटा दिया जाएगा। सितंबर 2014 तक इस पर बोर्ड का उत्तर प्रतीक्षित था।
7			84 मिमी टी.पी.टी. के निर्माण के लिए ₹0.76 करोड़ मूल्य के तीन अधिपत्र 2011-2012 में प्रचालित किए गए। प्रथम लॉट के प्रूफ परीक्षण में विफल होने के कारण मद डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में पड़े थे। फैक्ट्री प्रबंधन ने नवंबर 2013 में कहा कि प्रथम लॉट के प्रूफ परीक्षण में मद की पुष्टि नहीं हुई तथा 2014-2015 में प्रक्रम को पुनः स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।
8		जी.एस.एफ.	2005 से 2012 के वर्षों से संबंधित ₹72.83 करोड़ मूल्य के 10 अधिपत्र बकाया थे क्योंकि प्रूफ में विफलता निर्माण में अस्वीकृति हुई। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।
9	मेलित मदों की अनुपलब्धता	एम.एस.एफ.	₹2.61 करोड़ मूल्य के 30 मिमी घासा कारतूस खोलों पर एक डब्ल्यू.आई.पी., (अधिपत्र संख्या 7043/0 दिनांक 22-05-2010) प्रोपेलेंट की अनुपलब्धता के कारण 2010-2011 से पड़ा हुआ था। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि 2013-2014 के दौरान 30 मिमी घासा कारतूस खोल की संपूर्ण मात्रा का उपयोग कर लिया गया है तथा आज की तारीख में कोई डब्ल्यू.आई.पी. नहीं है। तथापि प्रबंधन द्वारा जारी रिपोर्टों में परीक्षणालय द्वारा भंडार की स्वीकृति की पुष्टि नहीं की गई थी।
10		जी.एस.एफ.	मार्च 2011 के एक अधिपत्र के प्रति फैक्ट्री ने ₹1.70 करोड़ मूल्य के 84 मिमी आर.एल. हेतु फायरिंग पिन का निर्माण किया। प्रबंधन ने कहा (मई 2014) कि मुख्य अधिपत्र से सुमेलन की समस्या के कारण अधिपत्र का समापन किया जाना शेष था। बोर्ड का उत्तर सितंबर 2014 तक प्रतीक्षित था।
11	निश्चित मांग के बिना उत्पादन	एम.एस.एफ.	आई.एफ.डी. की अपेक्षा में 2004-2005 में ₹2.52 करोड़ मूल्य के स्टील फ्लैट स्ट्रिप्स (300 एम.टी.) का एक डब्ल्यू.आई.पी., तब से ही डब्ल्यू.आई.पी. के रूप में है। बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि अधिपत्र की मात्रा 300 एम.टी. से 100 एम.टी. के रूप में संशोधित कर दी गई थी। 100 एम.टी. में

			<p>से, 58 एम.टी., को 30 मिमी कारतूस खोल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कर लिया गया था तथा शेष 42 एम.टी. मात्रा को 2014-2015 में खपत करके 2014-2015 में अधिपत्र का समापन कर दिया जाएगा।</p> <p>उत्तर में, आई.एफ.डी. की अपेक्षा में स्टील स्ट्रिप के निर्माण के कारणों तथा सात वर्षों तक उसके उपयोग न किए जाने के कारणों के बारे में नहीं बताया गया।</p>
12	कार्य का अपूर्ण रहना	एच.वी.एफ.	<p>एम.बी.टी. अर्जुन के कार्य के अपूर्ण रहने के कारण 2008-2009 से 2011-2012 की अवधि में ₹128.28 करोड़ मूल्य के 12 डब्ल्यू.आई.पी. विद्यमान थे।</p> <p>बोर्ड ने कहा (सितंबर 2014) कि एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों के परिशोधन कार्य के पश्चात उन अधिपत्रों का समापन कर दिया जाएगा।</p>

परिशिष्ट-XV

(पैराग्राफ 8.2.9.11 में संदर्भित)

हानियों आदि के कारण बकाया एस.आई.टी. के मामलों का विवरण

निस्तारण न होने के कारण	फैक्ट्री	मामले का सारांश
एस.आई.टी. में पड़े अस्वीकृत भंडार	एम.एस.एफ.	<p>105 मिमी आई.एफ.जी. कारतूस खोलों के लिए आवश्यक 12000 नग ब्रास ब्लैक की आपूर्ति हेतु ओ.एफ.ए.जे. ने एम.एस.एफ. को एक आई.एफ.डी. प्रस्तुत किया। इसी क्रम में, दिसंबर 2004 एवं जनवरी 2006 के मध्य एम.एस.एफ. ने 11998 नग ब्रास ब्लैक का निर्माण किया तथा ओ.एफ.ए.जे. को निर्गमित किया। परीक्षण चालन के दौरान, निर्धारित सीमा से अधिक कठोरता के कारण, आहरण प्रक्रिया के पश्चात नमूनों में दरार विकसित हो गए। बाद में, ओ.एफ.ए.जे. ने इस संबंध में दिसंबर 2006 में एम.एस.एफ. तथा बोर्ड को सूचित किया। उपर्युक्त भंडारों के अभिकल्प एवं विशिष्टि में कमियों के कारण ओ.एफ.ए.जे. ने सामग्री को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि ओ.एफ.ए.जे. ने मामले को एम.एस.एफ. के साथ उठाया तथा कुछ नमूने ओ.एफ.ए.जे. द्वारा प्रयास कर तापानुशीलता किए गए, परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। चूंकि एम.एस.एफ. से आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा खाली खोल का कोई सुधार नहीं किया गया, ओ.एफ.ए.जे. ने संपूर्ण मात्रा एम.एस.एफ. को वापस करने का निर्णय लिया।</p> <p>अप्रैल एवं जून 2008 के मध्य ओ.एफ.ए.जे. ने ₹1.66 करोड़ के 11177 नग ब्रास ब्लैक एम.एस.एफ. को वापस कर दिए। ये ब्लैक एम.एस.एफ. में बिना किसी सुधारात्मक कार्रवाई के पड़े हुए थे।</p> <p>फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2013) कि ब्रास ब्लैक की प्राप्ति पर नमूनों का आहरण किया गया, जाँच की गई तथा विशिष्टि के अनुरूप पाया गया। एम.एस.एफ. ने आगे कहा कि प्रेषक द्वारा वापस किए गए भंडार के नियमितीकरण के लिए बोर्ड का कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं था। सितंबर 2009 में, ओ.एफ.ए.जे. से मामले को पुनः परीक्षण करने तथा शिकायत का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया किंतु ओ.एफ.ए.जे. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।</p> <p>फैक्ट्री का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि वह मामलों को आवश्यक निस्तारण के लिए बोर्ड के संज्ञान में लाने में विफल रही।</p>
	जी.एस.एफ.	<p>1988-1989 एवं 2010-2011 के मध्य जी.एस.एफ. द्वारा ₹9.58 करोड़ मूल्य के विभिन्न प्रकार के अस्वीकृत वापसी भंडार प्राप्त हुए तथा 31 मार्च 2013 तक बिना सुधार के पड़े रहे। मार्च 2013 को ₹9.58 करोड़ मूल्य के कुल वापसी भंडार में से अधिकांश भाग 60103 नग एक मद यथा फ्यूज ए-670 एम का था जो आयुध फैक्ट्री बदमल द्वारा वापस किया गया था तथा जिसका मूल्य ₹3.79 करोड़ था। ₹5.67 करोड़ के अन्य फ्यूज एवं शेल मदों में आयुध फैक्ट्री अंबाझरी, आयुध फैक्ट्री चांदा एवं आयुध फैक्ट्री खमरिया द्वारा वापस किए गए अस्वीकृत मद शामिल थे। आगे की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि अगस्त 2001 एवं मार्च 2005 के मध्य 60103 नग फ्यूज ए 670 एम के 11 लॉट जी.एस.एफ. द्वारा उत्पादित एवं ओ.एफ.बी.एल. को निर्गमित हुए। ये मद दिसंबर 2002 एवं मार्च 2005 के मध्य ओ.एफ.बी.एल. द्वारा पुनः वापस कर दिए गए। उपर्युक्त संख्या में से जी.एस.एफ. ने मार्च 2009 में 45000 नग फ्यूज ए-670 एम. ओ.एफ.बी.एल. को निर्गमित कर दिया। ओ.एफ.बी.एल. ने अगस्त 2010 एवं सितंबर 2010 के मध्य उसी मद को पुनः वापस कर दिया।</p> <p>अतः 31 मार्च 2013 को ₹9.58 करोड़ के अस्वीकृत मद एस.आई.टी.के रूप में पड़े हुए थे।</p>

		जी.एस.एफ. ने 2010-2011 के लिए एस.आई.टी. मदों के नियमितीकरण के लिए अस्वीकृत भंडार के सुधार/मरम्मत के स्थान पर, ₹0.32 करोड़ मूल्य के फ्यूज डी.ए 5 ए के संबंध में सत्यापित प्राप्ति वाउचर/सत्यापित निर्गम वाउचर तैयार किया।
अनुपलब्ध/आभाषी एस.आई. टी.	जी.एस.एफ.	2008-2009 के दौरान ₹4.71 करोड़ आभासी सत्यापित निर्गम वाउचर (सी.आई.वी.) के निर्गम के मामले पाए गए जो कि एस.आई.टी. के रूप में पड़े थे। प्रबंधन ने कहा (मई 2010) कि सी.आर.वी./सी.आई.वी, एस.आई.टी. के नियमितीकरण के लिए तैयार किए गए थे। जी.एस.एफ. ने आगे कहा कि परेषिति फैक्ट्रियों द्वारा हानि विवरण तैयार किया जा रहा था तथा जी.एस.एफ. रद्दी का निस्तारण करके रद्दी का मूल्य परेषिती के प्रति क्रेडिट कर देगी। आगे ए.एफ.के. ने कहा कि उन्होंने अस्वीकृत भंडार का नियमितीकरण कर लिया था। तथापि, जी.एस.एफ., अपने उत्तर में उस भंडार के निस्तारण के पश्चात, ए.एफ.के. के प्रति क्रेडिट किए गए रद्दी के मूल्य का विवरण देने में विफल रहा।
		31 मार्च 2013 को ₹6.95 करोड़ मूल्य के 70 सामान्य उत्पादन मद एस.आई.टी. के रूप में पड़े थे जो जी.एस.एफ. द्वारा 1999-2000 तथा 2012-2013 के मध्य प्राप्त हुए थे अर्थात् प्राप्ति वाउचर तैयार नहीं किए जाने के कारण भंडार एक से 12 वर्ष तक की अवधि तक बकाया थे।
	ओ.एफ.ए.जे.	आयुध फैक्ट्री कानपुर द्वारा निर्मित ₹4.33 करोड़ मूल्य के 117 नग स्टैबिलाइजर संयोजन मार्च 2011 में ओ.एफ.ए.जे. में प्राप्त किए गए। जहाँ फैक्ट्री ने सामग्री इनवार्ड स्लिप 18 मार्च 2011 को तैयार किया, प्राप्ति वाउचर तैयार नहीं किया गया क्योंकि एक अग्निकांड हो गया तथा संपूर्ण मात्रा क्षतिग्रस्त हो गई। मद एस.आई.टी. के रूप में बना रहा। फैक्ट्री प्रबंधन ने कहा कि दिसंबर 2013 में फैक्ट्री का निष्कर्ष आना बाकी था। तथापि, फैक्ट्री के उत्तर में बी.ओ.ई. के निष्कर्ष में हो रहे विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया।
		₹0.29 करोड़ मूल्य के 4156 नग प्राइमर जी.यू.वी.-7, 1998 में सुधार के लिए आयुध फैक्ट्री चांदा से प्राप्त किया गया। यह ओ.एफ.ए.जे. में प्राप्य स्थिति में नहीं था। 15 वर्ष से अधिक समय के बीत जाने के बाद भी मद एस.आई.टी. के रूप में बना रहा। फैक्ट्री प्रबंधन ने दिसंबर 2013 में कहा कि बी.ओ.ई. का निष्कर्ष प्रतीक्षित था। तथापि फैक्ट्री में उत्तर में बी.ओ.ई. के निष्कर्ष में हो रहे विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया।

परिशिष्ट-XVI

(पैराग्राफ 8.2.10.1 में संदर्भित)

स्टॉक सत्यापन ग्रुप के कार्य में कमियाँ

फैक्ट्री	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	फैक्ट्रियों के उत्तर																								
ओ एफ के ए टी	<p>1. 58 बिन कार्डों के नमूना जाँच से पता चला कि 56 बिन कार्डों में सम्मिलित मदों के संबंध में स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया। 56 बिन कार्डों में मौखिक आदेशों पर प्रविष्टियाँ की गईं जैसे, ' भारी दबाव में डी.जी.एम./डब्ल्यू.एम द्वारा मौखिक रूप से आदेशित; 'डी.जी.एम./डब्ल्यू.एम द्वारा मौखिक दबाव में प्रविष्टि' 'संयुक्त महानिदेशक/क्यू.एस.एस. के आदेशानुसार' 'डी.जी.एम./जे.डब्ल्यू.एम. द्वारा मौखिक रूप से आदेशित' इत्यादि।</p> <p>2. तीन बिन कार्डों में समायोजन प्रविष्टियाँ बिना ऑनलाइन शेष के आधार पर बिना कारण दर्ज किए, की गईं। इन समायोजनों के कारण स्टॉक के चालू शेष में कमी आई किंतु सामग्री मांग नोट के निर्गम के पश्चात उसे प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि फैक्ट्री लेखांकन नियमों के अंतर्गत पैरा 13 (ए) अनुसार आवश्यक है।</p> <p>3. ₹0.59 करोड़ मूल्य के भंडार उधार के रूप में अर्थात बिना सामग्री मांग नोट के निर्गमित हुए।</p> <p>4. ₹1.70 करोड़ मूल्य का 32000 किग्रा कॉपर कैथोड, नवंबर 2012 में, बिना इनवर्ड गेट पास (आई.जी.पी.), एम.आई.एस. तथा गुणवत्ता आश्वासन स्कंध (भंडार परीक्षण) के संदर्भ के उत्पादन शॉप को जारी कर दिए गए।</p>	<p>स्टॉक सत्यापन ग्रुप में कम कार्मिक पदस्थ होने के कारण 2012-2013 में स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया।</p> <p>ऑनलाइन समायोजन को भौतिक शेष के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014) ।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014) ।</p>																								
एम.एस.एफ.	<p>1. नौ ऐसे मामले देखे गए जहाँ उधार के आधार पर निर्गमित मात्रा के कारण बिन कार्ड शेष कम होना चाहिए था किंतु वह स्टॉक सत्यापन ग्रुप द्वारा देखा नहीं गया।</p> <p>2. स्टॉक सत्यापन ग्रुप द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में स्टॉक मदों की संख्या लेखाकार्यालय द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस (मद स्टॉक मास्टर) के स्टॉक मदों की संख्या से मेल नहीं खाता है। विवरण निम्नवत है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">वर्ष</th> <th colspan="2">स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार</th> <th colspan="2">एम.एस.एफ. के डाटाबेस के अनुसार</th> </tr> <tr> <th>कुल स्टॉक</th> <th>'शून्य' शेष वाले मद</th> <th>कुल स्टॉक</th> <th>'शून्य' शेष वाले मद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010-11</td> <td>12467</td> <td>8166</td> <td>6076</td> <td>3866</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>12425</td> <td>8166</td> <td>5825</td> <td>3845</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>12699</td> <td>8166</td> <td>6573</td> <td>4779</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. समय बद्ध तरीके से अर्थात 'ए' वर्ग के मदों के लिए वर्ष में दो बार तथा 'बी' एवं 'सी' मदों के लिए वर्ष में एक बार स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया।</p>	वर्ष	स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार		एम.एस.एफ. के डाटाबेस के अनुसार		कुल स्टॉक	'शून्य' शेष वाले मद	कुल स्टॉक	'शून्य' शेष वाले मद	2010-11	12467	8166	6076	3866	2011-12	12425	8166	5825	3845	2012-13	12699	8166	6573	4779	<p>फैक्ट्री ने कहा कि उधार निर्गम को अब बंद कर दिया गया है।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014) ।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014) ।</p>
वर्ष	स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार		एम.एस.एफ. के डाटाबेस के अनुसार																							
	कुल स्टॉक	'शून्य' शेष वाले मद	कुल स्टॉक	'शून्य' शेष वाले मद																						
2010-11	12467	8166	6076	3866																						
2011-12	12425	8166	5825	3845																						
2012-13	12699	8166	6573	4779																						

<p>एम.टी.पी.एफ.</p>	<p>1. भंडार अधिकारी के पास स्टॉक सत्यापन अधिकारी का भी प्रभार था।</p> <p>2. 'ए' वर्ग के मदों का सत्यापन वर्ष में दो बार नहीं किया गया।</p>	<p>फैक्ट्री प्रबंधन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)।</p>												
<p>ओ.एफ.ए.जे</p>	<p>फैक्ट्री लेखांकन नियमावली के पैरा 13 (ए) के अनुसार सामग्री मांग नोट के बिना, भंडारपाल फैक्ट्री में उपयोग के लिए कोई सामग्री निर्गमित नहीं कर सकता है। हमने ऋण निर्गम के ऐसे मामले पाए जो 71 बिन कार्डों में दर्ज नहीं हुए एवं परिणामस्वरूप स्टॉक सत्यापन में स्टॉक की कमियाँ को पाया नहीं जा सका।</p>	<p>फैक्ट्री ने कहा कि कोई कमी नहीं थी।</p>												
<p>जी.एस.एफ.</p>	<p>1. फैक्ट्री लेखांकन नियमावली नियम 13 के अनुसार, उत्पादन गतिविधियों के लिए, उत्पादन शॉप द्वारा भंडार से सामग्री का आहरण, मांग नोट के माध्यम से किया जा सकता है। यह पाया गया कि उपर्युक्त प्रक्रिया के विरुद्ध, 2012-2013 के दौरान ₹1.54 करोड़ मूल्य की सामग्री का आहरण ऋण आधार पर किया गया। चूंकि इन ऋण निर्गमों को बिन कार्ड में दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण वास्तविक शेष एवं बिन कार्ड शेष में अंतर हो गया जो स्टॉक सत्यापन के दौरान खोजा नहीं जा सका। यह स्टॉक सत्यापन गुप की अक्षमता की ओर इंगित करता है।</p> <p>2. 11 'ए' श्रेणी के भंडारों का स्टॉक सत्यापन पिछले एक से आठ वर्ष तक नहीं किया गया।</p>	<p>आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण निर्गम किया गया।</p> <p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)।</p>												
<p>ओ.एफ.एम.के.</p>	<p>तीन वर्षों के दौरान एस.वी. गुप द्वारा सत्यापित मदों की संख्या, फैक्ट्री अभिलेखों में प्रदर्शित मदों की संख्या से कम था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:</p> <table border="1" data-bbox="411 1173 954 1406"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>एस.वी.गुप द्वारा सत्यापित मद</th> <th>फैक्ट्री अभिलेखों के अनुसार मद</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010-11</td> <td>18,000</td> <td>19,901</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>16,625</td> <td>19,677</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>16,625</td> <td>19,871</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	एस.वी.गुप द्वारा सत्यापित मद	फैक्ट्री अभिलेखों के अनुसार मद	2010-11	18,000	19,901	2011-12	16,625	19,677	2012-13	16,625	19,871	<p>उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2014)।</p>
वर्ष	एस.वी.गुप द्वारा सत्यापित मद	फैक्ट्री अभिलेखों के अनुसार मद												
2010-11	18,000	19,901												
2011-12	16,625	19,677												
2012-13	16,625	19,871												
<p>ओ.एल.एफ.डी.</p>	<p>भौतिक रूप से सत्यापित होने वाले स्टॉक मदों की संख्या पिछले तीन वर्षों से एक समान रही।</p>	<p>फैक्ट्री ने स्वीकार किया कि सत्यापित होने वाले मदों को अद्यतन नहीं किया गया।</p> <p>उत्तर में सत्यापन के लिए स्टॉक मदों की संख्या में वृद्धि हेतु की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में चर्चा नहीं थी।</p>												

परिशिष्ट-XVII

(पैराग्राफ 8.2.10.3 में संदर्भित)

अनिस्तारित लेखांकन त्रुटियाँ

क्रम संख्या	त्रुटियों की प्रकृति	संलग्न फ़ैक्ट्री का नाम	अंतर का मूल्य (करोड़ में)	प्रभाव
1.	मूल्य उत्पादन लेजर (पी.पी.एल.) मदों में भिन्नता	एम.एस.एफ.	4.68	पी.पी.एल. मदों का अल्प/अधिक मूल्यांकन
2.	आनलाइन तथा पारंपरिक बिन कार्ड शेष में 7 मदों में अंतर। फ़ैक्ट्री ने (दिसंबर 2013) कहा कि सात में से तीन मदों का समाधान कर लिया गया है तथा शेष चार मदों का समाधान प्रगति पर है।	एम.एस.एफ.	0.19	स्टॉक स्थिति का गलत दिखाया जाना
3.	फ़ैक्ट्री तथा लेखा कार्यालय के अभिलेखों के मध्य भंडार की खपत में भिन्नता	ओ एफ के ए टी	4.47	उत्पादन में प्रयुक्त भंडारों का अल्प मूल्यांकन
4.	फ़ैक्ट्री तथा लेखा कार्यालय के अभिलेखों में अतिरिक्त स्टॉक में भिन्नता	ओ एफ के ए टी	0.05	भंडारण किए गए भंडार का अतिमूल्यांकन
5.	मूल्यांकित भंडार लेजर तथा बिन कार्ड के भंडार के स्टॉक में भिन्नता	ओ एफ के ए टी एवं जी.एस.एफ.	4.62	विद्यमान भंडार का अति/अल्प मूल्यांकन
6.	मार्च 2013 में डब्ल्यू.आई.पी. मात्रा के संबंध में फ़ैक्ट्री तथा लेखा कार्यालय के आंकड़ों में भिन्नता	ओ एफ के ए टी	0.26	लेखाओं में वास्तविक तथ्यों को न दिखाया जाना
7	लेखा कार्यालय तथा फ़ैक्ट्री अभिलेखों में दिखाए गए भंडारण में भिन्नता	ओ.एफ.एम.के.	164.93	विद्यमान भंडार का अति/अल्प मूल्यांकन
		ओ.एल.एफ.डी.	18.92	
		ओ.एफ.डी.	3.41	
8.	तैयार संघटकों के संबंध में फ़ैक्ट्री तथा लेखा कार्यालय के आंकड़ों में भिन्नता	एम.टी.पी.एफ.	12.68	अंतिम स्टॉक मूल्य का अति मूल्यांकन
कुल योग			214.21	

परिशिष्ट-XVIII

(पैराग्राफ 8.3.1.2 में संदर्भित)

उत्तरदायित्व एवं संलग्न एजेन्सियाँ

उत्तरदायित्व	संलग्न एजेन्सियाँ	
	एम.बी.टी. अर्जुन	टी-90 टैंक
विकास	युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सीवी.आर.डी.ई., डी.आर.डी.ओ. का एक संगठन)	मेसर्स रॉसोबोर्नइक्सपोर्ट, रूस से टी.ओ.टी. के आधार पर अनुज्ञाप उत्पादन
उत्पादन		
हल एवं टरेट	आयुध फैक्ट्री मेडक (ओ.एफ.एम.के.)	भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच.वी.एफ.)
इंजन	जर्मनी से प्रतिवर्ष आयात	इंजन फैक्ट्री अवाडी (ई.एफ.ए.)
मुख्य तथा उप संयोजन	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, निजी फर्म	जी.सी.एफ. जबलपुर, ओ.एल.एफ. देहरादून, ओ.एफ.एम.के., ओ.एफ.कानपुर, एफ.जी.एफ. कानपुर मेसर्स बी.ई.एल. एवं विदेशी फर्म (कुछ मदों के लिए)
टैंक का अंतिम संयोजन तथा थल सेना को निर्गम	एच.वी.एफ.	एच.वी.एफ.
संयुक्त प्राप्ति जाँच	थलसेना, सी.वी.आर.डी.ई., एच.वी.एफ. एवं महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी.जी.क्यू.ए.) (जुलाई 2007 के पश्चात)	थलसेना, एच.वी.एफ. एवं डी.जी.क्यू.ए.

परिशिष्ट-XIX

(पैराग्राफ 8.3.2.7 में संदर्भित)

एम.बी.टी. अर्जुन तथा टी-90 टैंक के मूल्यांकन के लिए मानकों की तुलना

कार्यकलाप	एम.बी.टी. अर्जुन के लिए मानक	टी-90 टैंक के लिए मानक	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
मैदान में चालन	एम.एफ.एफ.आर. ² में माध्यम तथा अधिक धुंधले मैदान में टैंक का चालन जिसमें ढाल एवं रोलिंग प्रतिरोध के कारण छोटे गियर में चालन करना पड़ा	केवल छाबा में टैंक का चालन (आटोमोटिव ट्रायल)	एम.एफ.एफ.आर. की मरूस्थलीय स्थिति छाबा की स्थिति से मुश्किल थी
वैज्ञानिक स्ट्रेस माडल तकनीक	250 किमी के प्रत्येक मोबिलिटी साइकिल के पश्चात 25 ई.एफ.सी. ³ की फायरिंग	ऑटोमोटिव ट्रायल के पूर्ण होने के पश्चात फायरिंग	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक
परिचालन गति पर ऑयल के तापमान का प्रभाव	(i) तापमान के कम होने तक प्रथम गियर में चालन से गति सीमित रही (ii) ट्रांसमिशन ऑयल के तापमान को कम करने के लिए प्रथम गियर की आटोमैटिक संलग्नता हेतु साफ्टवेयर का प्रावधान	(i) ट्रांसमिशन ऑयल के तापमान को कम करने के लिए गियर को कम किया गया। (ii) ऐसा कोई प्रावधान नहीं	(i) कम गति के कारण परिचालन में समस्याएँ दोनों ही टैंकों में विद्यमान थीं। (ii) टी-90 टैंक के मामले में गियर बदलने के लिए शिथिल मानक।
लूब्रिकेंट/ऑयल की जाँच	i) हर 250 किमी चालन के पश्चात ऑयल प्रापर्टीज का वैधीकरण ii) हर 25 घंटे के इंजन चालन के पश्चात ऑयल की जाँच	ऐसी कोई जाँच निर्धारित नहीं।	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक
बाधित कार्यनिष्पादन	ग्रेडिएंट 35 ⁰	ग्रेडिएंट 30 ⁰	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक
प्रणाली की विश्वसनीयता	प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात रिकॉयल प्रणाली का स्ट्रिप परीक्षण एवं गन के पुल बैक के लिए सुविधा	ऐसी कोई शर्त लागू नहीं।	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक
लेजर रेंज फाइंडर	i) मल्टिपल टारगेट डिसक्रिमिनेशन के लिए सुविधा ii) रेंज की विशुद्धता +/-10 मीटर iii) 2 मिनट में 12 रेंजिंग के पश्चात 8 मिनट में 4 रेंजिंग की ड्यूटी साइकिल।	ऐसी सुविधा नहीं + / - 25 मीटर ऐसी कोई शर्त नहीं	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक
आर्मर पियर्सिंग गोलाबारूद की फायरिंग	विपरीत दिशा में टैंक एवं लक्ष्य की गति 20 किमी प्रतिघंटा थी।	परीक्षित लक्ष्य की गति 10 किमी प्रतिघंटा थी	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक
मीडियम फोर्डिंग	जीरो स्तर का जल प्रवेश	2.5 लीटर ⁴ जल प्रवेश	टी-90 टैंक के लिए शिथिल मानक

² महाजन फील्ड फायरिंग रेंज

³ एक्विवैलेंट फुल चार्ज

⁴ टी-90 टैंक के लिए परीक्षण दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधान के अनुसार फुल डिप फोर्डिंग हेतु 5 लीटर जल प्रवेश की स्वीकार्य सीमा के संदर्भ में, मीडियम फोर्डिंग के लिए जल प्रवेश की स्वीकार्य सीमा निश्चित की गई थी।

परिशिष्ट-XX

(पैराग्राफ 8.3.3.3 में संदर्भित)

स्वदेशीकरण की फैक्ट्री/मद-वार स्थिति का विवरण

स्वदेशीकरण विलंबित होने/न होने के कारण	प्रभाव
भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी (एच.वी.एफ.)	
हल एवं टरेट:- हल के लिए स्वदेशी थर्मो प्रेस्ड प्लेट तथा टरेट के लिए मेसर्स आर.ओ.ई. से 130 मिमी आर्मर प्लेट के लिए टी.ओ.टी. की अनुपलब्धता।	जनवरी 2007 एवं सितंबर 2012 के मध्य ₹499.18 करोड़ की कुल लागत से चार फर्मों ⁵ से 150 हल, 100 टरेट व थर्मो प्रेस्ड प्लेट का आयात।
ट्रैक्स:- सहयोगी फैक्ट्री (ओ.एफ. मुरादनगर) द्वारा मद का विकास न किया जाना तथा स्वदेशी व्यापार स्रोत के कम आपूर्ति।	नवंबर 2007 एवं मार्च 2011 के मध्य ₹79.28 करोड़ की कुल लागत से मेसर्स यू.वी.जेड. एवं मेसर्स आर.ओ.ई. से 191 ट्रैक्स का आयात
पी.के.टी.एम.गन (7.62 मिमी): मई 2003 में टी.ओ.टी. की प्राप्ति के बावजूद कम उत्पादन के कारण गन का देशीकरण न होना।	अक्टूबर 2008 एवं जुलाई 2012 के मध्य ₹13.01 करोड़ मूल्य की 450 गनों का आयात
टेडीरॉन रेडियो सेट:- एच.वी.एफ. द्वारा देशीकरण का प्रयास नहीं किया गया। मेसर्स बी.ई.एल. द्वारा विकसित वैकल्पिक रेडियो सेट को अभी थलसेना द्वारा स्वीकृत किया जाना बाकी था।	मई 2007 एवं अप्रैल 2010 के मध्य ₹130.39 करोड़ की कुल लागत से मेसर्स एल्विट सिस्टम्स, इजरायल से 1083 रेडियो सेटों का आयात।
रबर संघटक:- देशज रूप से विकसित रबर संघटकों में गुणवत्ता समस्याएँ	मार्च 2011 एवं जून 2012 में मेसर्स आर.ओ.ई. से ₹12.32 करोड़ मूल्य के विभिन्न रबर संघटकों का आयात
ल्यूब्रिकेशन प्रणाली:- बढ़े हुए कार्यभार के कारण आवश्यक संघटकों/संयोजनों की आपूर्ति में सहयोगी फैक्ट्री (ओ.एफ.एम.के.) की अक्षमता। मई 2014 तक यह प्रणाली, व्यापार के माध्यम से विकास के अधीन थी।	अप्रैल एवं अगस्त 2011 के आदेशों द्वारा ₹11.54 करोड़ की कुल लागत से मेसर्स आर.ओ.ई. से 150 सेट ल्यूब्रिकेशन प्रणाली का आयात।
इंजन फैक्ट्री अवाडी (ई.एफ.ए.)	
इंजन: टी.ओ.टी. के समायोजन में धीमी प्रगति, जिससे इंजन निर्माण के लिए वर्ष 2007-2008 में 95 प्रतिशत आयातित सामग्री का उपयोग करना पड़ा।	दिसम्बर 2005 एवं जून 2007 के मध्य कुल ₹51.27 करोड़ की लागत से 92 इंजनों का आयात (22 एफ.एफ., 20 एस. के.डी एवं 50 सी.के.डी.)
टर्बोचार्जर: टी.ओ.टी.की उपलब्धता के बावजूद स्वदेशी स्रोत विकसित न किया जाना।	जनवरी 2007 एवं जनवरी 2013 के मध्य ₹92.28 करोड़ की लागत से आर.ओ.ई. से 457 टर्बोचार्जर्स का आयात हुआ।
आप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून (ओ.एल.एफ.डी.)	
टी.आई. -ई.एस.एस.ए.: टी.ओ.टी. की अनुपलब्धता क्योंकि यह फरवरी 2001 की टी.ओ.टी. संविदा का भाग नहीं था।	क) ₹351.11 करोड़ की लागत से मेसर्स बेल्टेक एक्सपोर्ट,बेलारूस के साथ मार्च 2007 की संविदा के प्रति 200 साइट्स (एफ.-एफ.) का आयात एवं 100 साइट्स का सह-उत्पादन की व्यवस्था। ख) फरवरी 2014 तक 24 प्रतिशत स्वदेशीकरण की उपलब्धि एवं एच.वी.एफ. की आई.एफ.डी. (मई 2006) के प्रति 2007-2008 एवं 2012-2013 के मध्य 290 सेटों की देरी से आपूर्ति।

⁵ मेसर्स आर.ओ.ई. एवं मेसर्स यू.वी.जेड. रूस, मेसर्स बमर एवं मेसर्स वी.बी.टी. पोलैंड

देशीकरण विलंबित होने/न होने के कारण	प्रभाव
अग्नि नियंत्रण प्रणाली: जटिल संघटकों के लिए स्वदेशी स्रोतों की अनुपलब्धता के कारण देशीकरण की प्रगति धीमी रही (जून 2013 तक 78 प्रतिशत).	जनवरी 2007 एवं नवम्बर 2012 के मध्य ₹630.41 करोड़ की कुल लागत से इस प्रणाली के लिए विभिन्न उपसंयोजन/संघटक आर.ओ.ई. से आयातित किए गए।
कमांडर साइट (पी.एन.के.-4एस.): स्वदेशी विकास प्रारंभ नहीं किया जा सका, क्योंकि परीक्षण उपस्कर के लिए ₹14.95 करोड़ के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता थी।	क) अप्रचलित तकनीक के 303 सेट, जिनकी कीमत ₹159.04 करोड़ थी, आर.ओ.ई. से (मार्च 2007-अगस्त 2011) आयात किये गये, यथा- इमेज इंटेन्सीफायर (आई.आई.) ट्यूब्स के स्थान पर पुरानी इमेज कंवर्टर (आई.सी.) ट्यूब्स। अतएव, रात्रि के आपरेशनों के लिए इस प्रणाली में कमियाँ सामने आईं। ख) फरवरी 2008 एवं जुलाई 2013 के मध्य एच.वी.एफ. को 287 सेट की देर से आपूर्ति।
आप्टिकल साइटिंग उपस्कर के लिए सात मर्दें⁶: आंतरिक डिजाइन में बदलाव के लिए डिजाइन की स्वीकृति आवश्यक थी, भारतीय व्यापारिक फर्मों के द्वारा स्वदेशीकरण के दौरान कार्यात्मक/फायरिंग परीक्षण में लगने वाला लंबा समय। जून 2013 तक प्रोटोटाइप, मूल्यांकन के अग्रिम स्तर पर थे।	क) जून 2006 एवं नवंबर 2012 के मध्य ₹164.54 करोड़ की कुल लागत से आर.ओ.ई. से पूर्ण निर्मित /संघटक स्तर के मर्दों का आयात। ख) फरवरी 2008 एवं जुलाई 2013 के मध्य एच.वी.एफ. को 240 से 278 सेटों की देर से आपूर्ति।
तोप गाड़ी फैक्ट्री जबलपुर (जी.सी.एफ.)	
125 मिमी स्मूथ बोर गन: आर.ओ.ई. द्वारा टी.ओ.टी. में गन बैरल की सामग्री विशिष्टि (स्पेसीफिकेशन) को अलग न करना देशीकरण में प्रमुख बाधा थी।	क) मई 2007 एवं जून 2012 के मध्य आर.ओ.ई. से ₹118.83 करोड़ की लागत से 175 गनों का आयात ख) ओ.एफ.सी. एवं एफ.जी.के. से आपूर्त आयातित बैरल द्वारा 125 गनों का निर्माण ग) सितंबर 2006 - दिसंबर 2009 की मूल आपूर्ति शिड्यूल के बजाय दिसंबर 2008 एवं दिसंबर 2013 के मध्य एच.वी.एफ. को गनों की देर से आपूर्ति।
आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.) एवं फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर (एफ.जी.के.)	
टी-90 टैंक गन का बैरल: क) गन बैरल की सामग्री विशिष्टि न दिया जाना। ख) सफल ट्रायल मूल्यांकन के पश्चात, सभी भागीदारों (थलसेना, ओ.एफ.बी, डी.जी.क्यूए., डी.आर.डी.ओ. आदि) द्वारा परिशोधित केमिस्ट्री के उपयोग का निर्णय (सितंबर 2006) लेने के बावजूद टी-90 टैंक गन के बैरल के उत्पादन के लिए, नवंबर 2010 में सी.क्यू.ए. (ए.वी.ए.) द्वारा परिशोधित केमिस्ट्री की स्वीकृति तथा परिशोधित केमिस्ट्री ⁷ पर आधारित स्वदेशी बैरल/गन के परीक्षण में विलंब।	क) ओ.एफ.सी. ने, सितंबर 2007 एवं मार्च 2010 के मध्य प्रस्तुत चार आपूर्ति आदेशों के द्वारा टुकड़ों में ₹58.94 करोड़ की कुल लागत से 200 सेट आयुध (ट्यूब, केसिंग, ब्रीचिंग इत्यादि) आर.ओ.ई. से आयात किया। ख) आयात के लिए निर्णय लेने में विलंब तथा टुकड़ों में की गई खरीद के कारण, मार्च 2010 के आदेशानुसार ट्यूब एवं केसिंग के 100 सेटों के आयात पर ₹ 2.18 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ क्योंकि जी.सी.एफ. द्वारा ओ.एफ.सी. एवं एफ.जी.के. को प्रस्तुत आई.एफ.डी. (जनवरी 2005) के प्रति 300 आयुध की आपूर्ति 2005-2006 एवं 2008-2009 के दौरान ढीली रही। ग) जुलाई 2013 तक जी.सी.एफ. को 145 आयुधों की विलंबित आपूर्ति।

⁶ बी.पी.वी. 29, वोल्टेज कन्वर्टर, बी.जी.-29, विड सेन्सर, टिल्ट सेंसर, बी.वी. 29 एवं आटोमैटिक कन्ट्रोल यूनिट

⁷ टी-72 टैंकों की बैरल के निर्माण के लिए वर्ष 2000 में नई केमिस्ट्री के अनुसार सामग्री के उपयोग की शुरुआत की गई, जिसे नई केमिस्ट्री कहा जाता है। टी-72 एवं टी-90 टैंक के बैरल एक समान होते हैं।

परिशिष्ट-XXI

(पैराग्राफ 8.3.5 में संदर्भित)

एम.बी.टी. अर्जुन के लिए परिचालन समिति एवं टी-90 टैंकों के संबंध में संस्थागत वार्ता/विशेष बोर्ड/बोर्ड में लिए गए निर्णय पर कार्यान्वयन

मामले जिनपर चर्चा हुई	लिया गया निर्णय एम.बी.टी. अर्जुन	वास्तविक कार्यान्वयन
प्रथम बैठक (दिसंबर 2002) उत्पादन सुविधाएँ	दिसंबर 2004 तक संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना व सिविल कार्यों का पूर्ण होना।	जून 2006 एवं मार्च 2008 में प्रमुख कार्य पूर्ण कर लिए गए/हस्तगत कर लिए गए। मार्च 2008 में मशीनों की स्थापना पूर्ण हो गई थी।
124 एम.बी.टी. अर्जुन का उत्पादन	2006-2007 तक 124 एम.बी.टी. के उत्पादन का पूर्ण होना।	केवल 53 टैंकों का निर्माण किया गया तथा मार्च 2007 तक थलसेना को मात्र 5 टैंक निर्गत किए गए।
द्वितीय बैठक (अप्रैल 2005) उत्पादन शेड्यूल में संशोधन	2007-2008 तक 124 एम.बी.टी. के उत्पादन का पूर्ण होना।	2007-2008 तक 71 एम.बी.टी. का उत्पादन हुआ।
थलसेना द्वारा अगला मांगपत्र प्रस्तुत करना	मार्च 2006 तक किंतु ए.यू.सी.आर.टी. के पूर्ण होने के पश्चात।	मई 2014 तक थलसेना द्वारा एम.बी.टी. एम.के.- II के लिए अगला कोई मांगपत्र प्राप्त नहीं हुआ।
तृतीय बैठक (जुलाई 2005) पाँच एम.बी.टी. (सीमित सिरीज उत्पादन) में संशोधन तथा पुनर्निर्गम।	प्रयोक्ता परीक्षण (जून 2005) में पाए गए दोषों के सुधार सहित 20 अक्टूबर 2005 तक।	सुधार के पश्चात उसे अक्टूबर 2007 में थलसेना को वापस कर दिया गया।
चतुर्थ बैठक (जुलाई 2006) बैठक की तिथि का पुनर्निर्धारण।	तीन माह में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन	कार्यान्वयन नहीं हुआ क्योंकि अगली बैठक मार्च 2007 में आयोजित हुई
एम.बी.टी. की डिजाइन	डिजाइन एजेंसी द्वारा डिजाइन दस्तावेजों को अंतिम रूप देना।	सितंबर 2004 में डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के दावे के विरुद्ध विशिष्टि/डिजाइन में संशोधन 2010 तक जारी रहे।
पाँचवी बैठक (मार्च 2007) उत्पादन शेड्यूल	124 टैंकों का उत्पादन शेड्यूल आगे बढ़ाकर 2008-2009 तक कर दिया गया।	2008-2009 तक केवल 101 एम.बी.टी. का उत्पादन हुआ।
दोषों का सुधार	प्रयोक्ता द्वारा परीक्षणों के दौरान ज्ञात हुई कमियों को तीन माह के अन्दर सुधारा जाएगा।	तीन माह की निर्धारित अवधि में कार्यान्वित नहीं किया गया।
छठी बैठक (मई 2007) 15 एम.बी.टी. (15 वें से 29 वें) के लिए संयुक्त प्राप्ति जाँच	अगस्त 2007 से	ये टैंक 2008-2009 में निर्गमित हुए।
सातवीं बैठक (मई 2008) परिचालन समिति की बैठक का आयोजन	हर तिमाही में आयोजित होना था	कार्यान्वित नहीं हुआ क्योंकि अगली तीन बैठकें नवंबर 2008, जुलाई 2009 तथा जुलाई 2010 में आयोजित हुईं
आठवीं बैठक (नवंबर 2008) 124 टैंकों का निर्गम	दिसंबर 2009 तक संशोधनों के साथ कार्यान्वित।	मार्च 2010 तक केवल 69 टैंक थलसेना को जारी किए गए।
एम.बी.टी. एवं टी-90 टैंकों का तुलनात्मक परीक्षण	जून 2009 में किया जाना था	वास्तव में फरवरी/मार्च 2010 में किया गया।
नौवीं बैठक (जुलाई 2009) थलसेना को 124 टैंकों का निर्गम	तक 2009-2010	2009-2010 तक 69 टैंक जारी किए गए।
दसवीं बैठक (जुलाई 2010) थलसेना द्वारा अगले मांगपत्र की प्रस्तुति।	छः प्रमुख सुधारों के साथ 62 अर्जुन एम.के.- II तथा 13 प्रमुख सुधारों सहित शेष 62 के लिए मांगपत्र की प्रस्तुति।	थलसेना द्वारा अर्जुन एम.के.- II के लिए कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि यह संस्करण मई 2014 तक वैधीकरण परीक्षण के अंतर्गत था।

मामले जिनपर चर्चा हुई	लिया गया निर्णय	वास्तविक कार्यान्वयन
टी-90 टैंक		
(क) संस्थागत वार्ता हेतु बैठक		
22 सितंबर 2011 को आयोजित बैठक (क) स्वदेशीकरण का खाका	नवंबर 2011 में होने वाली 39 वीं विशेष बोर्ड बैठक में चर्चा की जायेगी।	39वीं विशेष बोर्ड बैठक (09.08.12) में टी-90 टैंक के किसी विशेष मामले पर चर्चा नहीं हुई।
6 मार्च 2012 को आयोजित बैठक (क) ओ.एफ.बी. द्वारा लक्ष्य को बार-बार बदलने के कारण योजना एवं प्रचालन स्तर के कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा।	ओ.एफ.बी. को प्रतिवर्ष 100 टैंकों का उत्पादन सुनिश्चित करना था।	वर्ष 2009-2013 के दौरान वास्तविक उत्पादन 24 से 90 टैंक तक रहा
(ख) थल सेना में आवश्यक कमांड टैंकों की कमी	2012-2014 के दौरान कमांड टैंकों की कमी को वर्ष 2012-2014 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।	42 कमांड टैंकों के आवश्यकता के प्रति एच.वी.एफ. ने 2012-2013 में 18 टैंकों का निर्माण किया तथा दिसंबर 2012 एवं मई 2013 के मध्य थलसेना को 7 टैंकों की आपूर्ति की
(ग) टी- 90 टैंकों में कमी पाये जाने की अधिक घटनाएं।	कमियों पर निगरानी तथा उनमें सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य समूह का गठन किया जाना था।	कमियों की जाँच के लिए विफलता पुनरीक्षा बोर्ड (एफ.आर.बी.) के गठन के अतिरिक्त कोई कार्य समूह नहीं बनाया गया।
26 सितंबर 2012 को आयोजित बैठक (क) थल सेना द्वारा सूचित की गई स्वदेशी टी-90 टैंक के आटो एवं इलेक्ट्रिकल भाग से संबंधित कमियाँ।	ओ.एफ.बी. को समस्याओं का तत्काल समाधान करना चाहिए था	प्रमुख विफलताओं/ कमियों पर चर्चा करने के लिए सितंबर 2013 में एफ.आर.बी. बैठक का आयोजन किया गया। 2013 के दौरान प्राप्त 25 डिफेक्ट रिपोर्टों में से (इंजन के अतिरिक्त) 5 की जाँच फरवरी 2014 तक जारी थी।
(ख) स्वयं की रबर उत्पादन सुविधा का विनिर्माण	योजना को अंतिम रूप दिया जाना था	जनवरी 2014 तक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
30 मई 2013 को डी.जी.ओ.एस. के साथ बैठक (क) भारतीय रबर मर्चें की गुणवत्ता में कमी	रबर मर्चों का आयात एवं रूस से टी.ओ.टी. प्राप्त करना।	फरवरी 2014 में भारतीय रबर निर्माणकर्ता अनुसंधान संस्थान (आई.आर.एम.आर.ए.) के परामर्श से रबर निर्माण यूनिट के लिए डी.पी.आर. तैयार करने हेतु ओ.एफ.बी. ने जी.एम., ओ.एफ.एम.के. को प्राधिकृत किया।
(ख) विशेष बोर्ड बैठक		
दिनांक 06-06-2008 को आयोजित 34 वीं बैठक उत्पाद-सहयोग की अनुपलब्धता के कारण टी-90 टैंक के उत्पादन में रूकावट	उत्पाद-सहयोग की अबाधित आपूर्ति हेतु ओ.ई.एम. को बाध्य रखने के लिए, उपयुक्त मूल्यों के उतार-चढ़ाव के फार्मूले सहित मुख्य संविदा के भाग के रूप में उत्पाद-सहयोग तैयार करना।	कार्यान्वयन अभी शेष था।
दिनांक 16-10-2008 को आयोजित 35 वीं बैठक टी-90 गन बैरल का स्वदेशी उत्पादन	स्वदेशी रूप से विकसित धातुकर्म का उपयोग करके 20 गनों के उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए. द्वारा गुणवत्ता आश्वासन प्रदत्त करवाना।	स्वदेशी बैरल के उत्पादन के लिए संशोधित केमैस्ट्री, सी.क्यू.ए. (ए.वी.ए.) द्वारा नवंबर 2010 में स्वीकृत की गई। आवश्यकता को ओ.एफ.सी. द्वारा 200 सेट आयुध के आयात के माध्यम से पूर्ण किया गया।
दिनांक 27-01-2009 को आयोजित 36 वीं बैठक उत्पादन में कमी	विशेष बोर्ड ने उत्पादन-सहयोग की देशी से प्राप्ति के कारण थल सेना को आपूर्ति में कमी पाई।	स्वदेशी टी-90 टैंक के उत्पादन में कमी 2012-2013 तक कायम रही।

मामले जिनपर चर्चा हुई	लिया गया निर्णय	वास्तविक कार्यान्वयन
दिनांक 08-03-2011 को आयोजित 37 बैठक (क) स्वदेशीकरण का खाका	एडिशनल डी.जी./ए.वी. को इसे मई 2011 में व्यवस्थित करना था।	जी.एम./एच.वी.एफ. द्वारा खाका जुलाई 2011 (38 वीं बोर्ड बैठक) में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2011-2012 में 80 प्रतिशत कार्य पूरा करने की योजना बनाई गई।
(ख) उत्पादन प्रक्रिया जारी रखने के लिए थल सेना से नये मांगपत्र	पुराने मांगपत्रों के समापन के लिए, ओ.एफ.बी. एवं थलसेना के मध्य मांगपत्र निगरानी समिति का गठन।	ओ.एफ.बी. ने सभी कार्यकारी समूहों से एक टीम का गठन किया। थल सेना से अधिकारियों को नामित किया जाना अभी शेष था।
दिनांक 08-07-2011 को आयोजित 38 वीं बैठक टी-90 टैंक के स्वदेशीकरण की स्थिति (जी.एम./एच.वी.एफ. के अनुसार 66 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है)।	स्वदेशीकरण को शीघ्र पूरा करने की प्रगति की गहन निगरानी।	निर्धारित स्वदेशीकरण (85 प्रतिशत) मई 2014 तक पूर्ण किया जाना शेष था।
दिनांक 09-08-2012 को आयोजित 39 वीं बैठक टी-90 टैंक पर किसी विशेष मुद्दे की चर्चा नहीं की गई।	कोई निर्णय नहीं लिया गया।	लागू नहीं।
(ग) आयुध फैक्ट्री बोर्ड की मासिक बोर्ड बैठक		
दिनांक 31-08-2010 को हुई 8 वीं (2010) बैठक टी-90 टैंक की उत्पादन क्षमता का संवर्धन।	100 से 140 टैंक प्रतिवर्ष तक की क्षमता संवर्धन के लिए मंत्रालय को अनुशंसा।	मंत्रालय ने मार्च 2014 तक पूरा करने की योजना से सितंबर 2011 में संवर्धन हेतु परियोजना (₹971 करोड़) की संस्वीकृति दी। मार्च 2014 तक मात्र ₹17 करोड़ व्यय किया गया, जो धीमी प्रगति को दर्शाता है।
दिनांक 27-02-2012 एवं 30.04.2012 को हुई दूसरी एवं चौथी (2012) बैठक आयुध फैक्ट्री मुरादनगर में टी-90 टैंक तथा अन्य कवचित वाहनों के लिए ट्रैक लिंक संयोजन (असेम्बली) का निर्माण।	ट्रैक लिंक संयोजन के निर्माण के लिए मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की स्वीकृति के लिए अनुशंसा।	मार्च 2014 तक मंत्रालय द्वारा परियोजना की स्वीकृति अभी शेष थी।
10वीं (2012) बैठक दिनांक 31-10-2012 आयुध फैक्ट्री मुरादनगर में टी-90 टैंक के लिए ट्रैक संयोजन के विकास हेतु अंतर्वर्ती (इन हाउस) आर एंड डी परियोजना	बोर्ड ने आर एंड डी परियोजना की पूर्णता को नोट किया।	मार्च 2014 तक थोक उत्पादन प्रारंभ होना बाकी था।
11वीं (2013) बैठक दिनांक 30-12-2013 100 से 140 टैंक प्रतिवर्ष तक की टी-90 टैंक की उत्पादन क्षमता के संवर्धन की स्थिति की पुनरीक्षा।	दिसंबर 2016 को संभावित पूर्णता तिथि मानते हुए परियोजना की प्रगति करना तथा तदनुसार बजट प्रावधान करना।	मार्च 2014 तक ₹971 करोड़ की स्वीकृत धनराशि में से मात्र ₹17 करोड़ व्यय किया गया जो शिथिल प्रगति को दर्शाता है।

परिशिष्ट-XXII

(पैराग्राफ 8.4.4.2 में संदर्भित)

मशीनरी की प्राप्ति में हुए विलंब की फैक्ट्री अनुसार विस्तृत-वर्णन

मशीन का नाम मशीन का मूल्य (₹ करोड़ में)	क्रय आदेश की तिथि	आदेशानुसार सुपुर्दगी की अवधि	प्राप्ति की तिथि	विलंब का कारण
आयुध फैक्ट्री खमरिया (ओ.एफ.के.)				
बूस्टर कम्प्लीट लाइन 2.04	7.11.2007	30.6.2008	24.1.2009	प्रेषण पूर्व निरीक्षण को छोड़ देने के लिये बोर्ड के अनुमोदन में विलंब एवं परिवहन में विलंब
सी.एन.सी.लेथ मशीन (3 एक्सिस) 0.73	30.5.2008	30.11.2008	31.3.2009	सुपुर्दगी में आपूर्तिकर्ता का खराब निष्पादन
प्रोग्रेसिव पावर प्रेस 7.39	30.6.2008	31.12.2009	15.04.2012	आठ बार सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाने के बावजूद सुपुर्दगी में आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया विलंब
सेमी ऑटोमैटिक स्पार्ट वेल्डिंग मशीन 0.28	26.7.2008	30.11.2008	7.10.2009	सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाने के बावजूद सुपुर्दगी में आपूर्तिकर्ता का खराब निष्पादन
वार हेड बॉडी फिलिंग लाइन 2.14	2.6.2008	30.6.2009	24.8.2009	परिवहन में लिया गया समय एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंबित लदान
आउटडोर टाइप ऑयल इमर्स्ड पावर ट्रान्सफार्मर 0.77	26.7.2010	30.11.2010	25.1.2011	फैक्ट्री द्वारा प्रेषण पूर्व निरीक्षण एवं अनुमोदन लेने में विलंब
गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर (जी.सी.एफ.)				
सी.एन.सी. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर 1.78	17.2.2011	30.8.2011	29.10.2011	प्रेषण पूर्व निरीक्षण के लिये सटीक परीक्षण अवयवों को भेजने में विलंब
सी.एन.सी. हाईड्रोलिक ब्रेक प्रेस 0.66	27.3.2008	30.9.2008	24.12.2008	सुपुर्दगी में आपूर्तिकर्ता का खराब निष्पादन
सी.एन.सी. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर 0.47	17.1.2011	30.6.2011	28.3.2012	सुपुर्दगी में आपूर्तिकर्ता का खराब निष्पादन
भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी (एच.वी.एफ.)				
डबल कॉलम गैन्ट्री टाइप मिलिंग मशीन (2 नग) 22.09	12.11.2007	31.8.2009 31.10.2009	10.12.2009 4.5.2010	<ul style="list-style-type: none"> बाहर से लाये गये मर्दों की विलंबित प्राप्ति, विद्युत प्रदाय के अक्सर रुक जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंबित सुपुर्दगी फैक्ट्री द्वारा प्रेषण पूर्व निरीक्षण दल को प्रतिनियुक्त करने में विलंब आवश्यक औजारों के व्यवस्था न होने/विलंब के कारण प्रेषण-पूर्व निरीक्षण में विलंब
सी.एन.सी. गियर होबिंग मशीन 2.46	1.11.2007	30.11.2008	मार्च 2010	
होराइजेंटल ब्रोचिंग मशीन 1.48	5.11.2007	15.2.2009	अप्रैल 2009	
सी.एन.सी. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर 0.50	30.5.2011	31.10.2011	फरवरी 2012	
सर्फेस ग्राइडिंग मशीन 0.37	18.6.2007	31.12.2007	दिसम्बर 2008	

मशीन का नाम मशीन का मूल्य (₹ करोड़ में)	क्रय आदेश की तिथि	आदेशानुसार सुपुर्दगी की अवधि	प्राप्ति की तिथि	विलंब का कारण
आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.)				
ऑटोफ्रिटेज प्लांट 13.28	19.7.2007	29.5.2008	23.5.2009	परिवहन में विलंब
वर्टिकल स्लॉट मिलिंग मशीन 1.85	23.8.2007	22.8.2008	7.10.2008	आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन के परिवहन एवं प्रेषण-पूर्व निरीक्षण में विलंब
ओवरले वेल्डिंग मशीन 2.91	24.9.2007	23.4.2008	23.8.2008	सुपुर्दगी में आपूर्तिकर्ता का खराब निष्पादन
पावर ट्रांसफॉर्मर (4 नग) 1.43	5.2.2010	31.3.2010	12.5.2010	आदेश को एक महीने में प्रस्तुत करने के पश्चात फैक्ट्री द्वारा आपूर्ति आदेश में संशोधन
वी.सी.बी. पैनल 11 के.वी. 0.24	22.5.2007	8.9.2007	21.12.2007	आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन के उत्पादन में विलंब एवं फैक्ट्री द्वारा प्रेषण-पूर्व निरीक्षण में विलंब
फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर (एफ.जी.के.)				
होराइजेंटल होनिंग मशीन 4.36	20.10.2008	30.10.2009	फरवरी 2010	• फैक्ट्री द्वारा प्रेषण-पूर्व निरीक्षण दल को भेजने में विलंब
डीप होल बोरिंग मशीन 8.96	28.10.2010	28.1.2012	25.5.2012	• फैक्ट्री द्वारा परीक्षण अवयवों को प्रस्तुत करने में लिया गया समय • परिवहन में विलंब
एमुनिशन फैक्ट्री किरकी (ए.एफ.के.)				
होराइजेंटल ट्रांसफर प्रेस 6.74	4.3.2009	31.5.2010	4.8.2010	फैक्ट्री द्वारा प्रेषण-पूर्ण निरीक्षण में विलंब एवं परिवहन में विलंब
राइफल फैक्ट्री ईशापुर (आर.एफ.आई.)				
वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट फर्नेस 4.32	19.4.2006	28.2.2007	31.7.2007	आपूर्तिकर्ता द्वारा मशीन को तैयार करने में विलंब एवं परिणामस्वरूप प्रेषण-पूर्ण निरीक्षण में विलंब
स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर (एस.ए.एफ.)				
फॉस्फेटिंग प्लांट ऑटोमैटिक 1.25	10.7.2007	25.1.2008	19.2.2008	आपूर्तिकर्ता द्वारा परिवहन एवं मशीन की व्यवस्था करने में विलंब
डाइरेक्ट रीडिंग स्पेक्ट्रोमीटर 0.46	24.7.2008	10.12.2008	20.2.2009	आपूर्तिकर्ता द्वारा विलंबित सुपुर्दगी

परिशिष्ट-XXIII

(पैराग्राफ 8.4.4.5, 8.4.4.6, 8.4.5.3 एवं 8.4.5.4 में संदर्भित)

अपर्याप्त प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के मामले एवं मशीनों की विलंबित स्थापना/स्थापित न होना

मामले का सारांश
<p>1. आयुध फैक्ट्री कानपुर (ओ.एफ.सी.)</p> <p>17 आदेशों के संबंध में आंशिक रूप से पी.डी.आई. किया जा रहा था (₹49.57 करोड़ मूल्य के 24 मशीनें)। यहाँ तक की पी.डी.आई. प्रतिवेदन ने भी आपूर्ति आदेशों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार फर्म के प्रांगण में किया जाने वाला मशीनों के परीक्षण के परिणाम से संबंधित किसी आंकड़े की ओर संकेत नहीं किया।</p> <p>दो आदेशों के लिए औजारीकृत परिस्थिति में मशीन की क्षमता को साबित नहीं किया गया था। जैसा कि देखा जा सकता है कि फैक्ट्री ने चार मशीनों को प्राप्त किया (₹17.82 करोड़) - (i) एक मशीन के एक प्रमुख भाग का निरीक्षण किये बिना, (ii) एक मशीन के एक अवयव का साबित करने एवं उसके टंडक देने की क्षमता का परीक्षण किये बिना, (iii) एक मशीन के चक्र अवधि को साबित किये बिना एवं (iv) पी.डी.आई. में एक मशीन के बार-बार असफल होने के बावजूद। इसके बाद स्थापित होने के पश्चात तीन मशीनें अक्सर कार्यशील नहीं रहीं, जबकि अक्टूबर 2012 तक एक मशीन का साबित होना एवं स्थापना अभी भी बाकी था। प्रबंधन ने ऐसी कोई भी समय-सीमा अनुसूची नहीं बनाई जिससे मशीन को प्रचालन में लाया जा सके और न ही इसने तीन मशीनों के समस्या से मुक्त होकर प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई की।</p>
<p>2. भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी (एच.वी.एफ.)</p> <p>(क) पी.डी.आई. दल विद्युत के सतत रिसाव एवं अस्थिरता के कारण गीयर बॉक्स टेस्ट स्टैंड (₹0.55 करोड़) में गीयर बॉक्स के पूर्ण परीक्षण को पूरा नहीं कर पाया। इसके बाद भी दल ने यह उल्लेख करते हुये निरीक्षण नोट (मार्च 2009) जारी किया कि एच.वी.एफ. में स्थापना के दौरान परीक्षण किया जायेगा। जबकि किन्हीं मूलभूत एवं उत्पादन की कमियों के कारण मार्च 2013 तक मार्च 2009 में प्राप्त मशीनों की स्थापना नहीं की जा सकी थी।</p> <p>(ख) पी.डी.आई. दल ने ब्रोचों के आवश्यक संख्या (औजारों) को व्यवस्थित करने में असफल हुए एच.एम.टी. के आदेश के शर्तों के अनुसार आवश्यक छः अवयवों में से केवल चार को साबित करने के बावजूद एच.एम.टी. प्रांगण से एक होराइजेंट ब्रोचिंग मशीन (₹1.43 करोड़) के प्रेषण को स्वीकार कर लिया (मार्च 2009)। सम्पूर्ण पी.डी.आई. के बिना एच.वी.एफ. में (अप्रैल 2009) मशीन प्राप्ति की गई। जबकि स्थापना परीक्षण में ब्रोचों के खराब होने एवं ब्रोच धारकों के त्रुटियों के कारण 21 महीनों के विलंब के पश्चात केवल जनवरी 2011 में ही मशीन को स्थापित किया गया।</p> <p>(ग) आपूर्ति आदेश शर्तों के विरुद्ध तकनीकी विशेषताओं में बहुत सारे विचलन के बावजूद एक आयातित सी.एन.सी. टरेट पंच प्रेस (₹1.49 करोड़) के प्रेषण को स्वीकार कर लिया (अगस्त 2007)। इसके अतिरिक्त जाँच के लिये दिये गये नौ अवयवों में से चार के सर्फेस फिनिश डिजाइन के अनुरूप नहीं था। दिसंबर 2007 में प्राप्त मशीन ने परीक्षण चालन के दौरान औजार के खराब होने के लिए उत्तरदायी विभिन्न त्रुटियों को उजागर किया तथा दिसंबर 2010 में अंततः उसकी स्थापना हुई।</p> <p>(घ) सितंबर 2008 में ₹37.26 करोड़ के मूल्य के सी.एन.सी. डबल कॉलम प्लानो मिलर एक आयातित मशीन को प्राप्त किया गया। मशीन को मार्च 2011 में स्थापित किया गया था अर्थात सिविल कार्य के समाप्ति में विलंब के कारण निर्माण कार्य के लिए स्थान का गलत चयन एवं पी.डी.आई. दल के प्रतिनियुक्ति के लिये सरकार से संस्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के कारण अपनी प्राप्ति के ढाई वर्ष के पश्चात।</p> <p>(ङ.) ₹ 22.09 करोड़ के दो आयातित सी.एन.सी. डबल कॉलम गैन्ट्री टाइप मिलिंग मशीन की प्राप्ति दिसम्बर 2009 एवं मई 2010 में हुई। ये मशीनें विदेशी फर्मों के साथ एच.वी.एफ. द्वारा इस विषय को बार-बार लेने के बाद भी मशीनों की स्थापना में विदेशी फर्मों के लिये धीरे-धीरे विकास एवं आपूर्ति आदेश में मशीन की स्थापना तथा उसे चलाने के लिये निर्दिष्ट समय-सीमा के अंतर्वेशन न होने, निर्माण को पूरा होने में विलंब एवं अव्यवस्थित योजना के कारण मार्च 2013 में विलंबित रूप से स्थापित हुई।</p>

<p>3. आयुध फैक्ट्री खमरिया (ओ.एफ.के.)</p> <p>(क) एच.एम.टी. के अनुरोध पर आधारित वित्तीय वर्ष के समापन तथा पी.एस.यू. को आपूर्तिकर्ता के रूप में विचार के लिए पाँच दर्शाये गये के प्रति एक अवयव के चलाये जाने वाले परीक्षण के तरीके से एक 3-एक्सिस सी.एन.सी. लेथ मशीन (₹0.73 करोड़) के पी.डी.आई. में फैक्ट्री ने छूट दे दी (मार्च 2009)। मार्च 2009 में प्राप्त मशीन की स्थापना सितम्बर 2010 में हुई।</p> <p>(ख) अगस्त 2009 में प्राप्त ₹2.14 करोड़ के मूल्य के वारहेड फिलिंग लाइन की स्थापना नवंबर 2010 में हुई। विलंब का कारण 84 मिमी गोला-बारूद (हीट-551) के वारहेड को भरने के अपेक्षित घनत्व का उपलब्धि प्राप्त न करना था। मशीन के विलंबित स्थापना के कारण ₹103.09 करोड़ के कुल लागत के दिसंबर 2009 एवं जुलाई 2011 में 32525 भरे हुये वारहेड का आयात हुआ।</p>
<p>4. एमुनिशन फैक्ट्री, किरकी (ए.एफ.के.)</p> <p>(क) पी.डी.आई. दल ने मार्च 2009 के आदेश के पी.डी.आई. उपबंध के अनुसार सात आवश्यक अवयवों के प्रति केवल एक अवयव के लिये एक होराइजांटल ट्रांसफर प्रेस (₹6.74 करोड़) को साबित करने वाले परीक्षण का आयोजन किया। मशीन की प्राप्ति अगस्त 2010 में हुई एवं उसकी स्थापना नवम्बर 2010 में हुई।</p>
<p>5. गन कैरेज फैक्ट्री, जबलपुर (जी.सी.एफ.)</p> <p>(क) दो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर (₹1.77 करोड़) के संबंध में मई 2011 में पी.डी.आई. को किया जाना था। जबकि आपूर्तिकर्ता को निश्चित आकार के परीक्षण अवयवों की आपूर्ति की फैक्ट्री की असफलता के कारण तीन महीनों के लिए पी.डी.आई. को विलंबित करना पड़ा और अंत में उनके द्वारा आपूर्तिकर्ता से आवश्यक आकार को सही करना पड़ा जिसके कारण पी.डी.आई. की पूरी प्रक्रिया का विलंब हुआ। दो महिनो के चूक के पश्चात अक्टूबर 2011 में अंततः मशीने प्राप्त हुई।</p> <p>(ख) ₹ 7.44 करोड़ मूल्य की तीन मशीनें (सी.एन.सी. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर) जनवरी एवं मार्च 2005 में प्राप्त की गईं। जबकि 41 से 43 महीनों के विलंब के पश्चात फरवरी 2009 में मशीनों की स्थापना की गई। स्थापना परीक्षण चालन के दौरान विभिन्न भागों में देखे गये आवर्ती त्रुटियों के कारण विलंब हुआ।</p>
<p>6. गन एवं शेल फैक्ट्री काशीपुर (जी.एस.एफ.)</p> <p>फैक्ट्री ने 84 मिमी रॉकेट लांचर के लिए ₹0.47 करोड़ की कीमत पर एक सी.एन.सी. इनटर्वल ग्राइंडिंग मशीन के अधिप्राप्ति के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2003)। आवश्यक पुर्जों या स्पेयर्स की व्यवस्था में आपूर्तिकर्ता के (मेसर्स एच.एम.टी.) असफल होने के कारण फैक्ट्री का निरीक्षण दल पी.डी.आई. को पूरा नहीं कर सका। जबकि आवंटित निधि के समाप्ति से बचने के साथ-साथ 84 मिमी रॉकेट लांचर (आर.एल.) एम.के.- II बैरल के बड़े हुये लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता के आधार पर पी.डी.आई. को प्रकट रूप से पूरा किये बिना मार्च 2004 में मशीन के प्रेषण को फैक्ट्री से आपूर्तिकर्ता को अनुमति मिल गई। मार्च 2004 में मशीन की प्राप्ति की गई और अंततः गुणवत्ता पर समझौता करते हुये जून 2008 में उसकी स्थापना की गई जैसे आदेश में दर्शाये 27 मिनटों के प्रति नौ घटों के उच्च चक्र अवधि की स्वीकृति। अपर्याप्त पुर्जों या स्पेयर्स के कारण अपूर्ण पी.डी.आई. ने भी अंतिम स्थापित परीक्षणों में विचारणीय विलंब में सहयोग दिया।</p>
<p>7. आयुध फैक्ट्री अम्बाझरी (ओ.एफ.ए.जे.)</p> <p>(क) पिनाका रॉकेटों के उत्पादन के लिए 28 फरवरी 2009 के वास्तविक सुपुर्दगी अवधि के प्रति नवंबर 2011 में ₹12.89 करोड़ के एक फ्लो-फॉर्मिंग मशीन की प्राप्ति एवं आयात किया। अन्य देरों एवं एल.डी. को काटने के पश्चात ₹12.27 करोड़ के अंतिम भुगतान के बावजूद भी मशीन की स्थापना नहीं हो पाई (सितंबर 2012 तक) क्योंकि आपूर्तिकर्ता मेसर्स एच इ एस एस इंजीनियरिंग इंक., यू.एस.ए. दिवालिया हो गई और वह मशीन की स्थापना करने के हालात में नहीं थे।</p> <p>(ख) अगस्त 2011 में प्राप्त ₹85.10 लाख की लागत पर अधिप्राप्त एक ए.सी. प्लांट विलंबित रूप से मार्च 2014 में स्थापित की गई। स्थापना में विलंब का कारण आपूर्तिकर्ता का खराब निष्पादन था।</p>
<p>8. राइफल फैक्ट्री ईशापुर (आर.एफ.आई.)</p> <p>फैक्ट्री ने ₹4.32 करोड़ की लागत पर एक वैक्यूम हार्डेनिंग प्लांट के अधिप्राप्ति के लिए अप्रैल 2006 में एक आदेश प्रस्तुत किया। प्लांट जुलाई 2007 में प्राप्त हुआ एवं 20 महीने पश्चात मार्च 2009 में स्थापित हुआ क्योंकि आर.एफ.आई. द्वारा सिविल कार्य पूरा करने में अत्यधिक विलंब हुआ एवं स्थापना के लिए सहायक उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब हुआ जिसके लिये आर.एफ.आई. और आपूर्तिकर्ता व्यापारिक फर्म दोनों जिम्मेदार थे।</p>

परिशिष्ट-XXIV

(पैराग्राफ 8.4.5.6 में संदर्भित)

पर्याप्त परीक्षण चालनों के बिना मशीनों की स्वीकृति

मशीन मूल्य का वर्णन	स्थापना की तिथि	परीक्षण चालन स्थापित करने में त्रुटियों की प्रकृति
गन कैरेज फैंक्ट्री जबलपुर, एवं आयुध फैंक्ट्री कानपुर 21 मशीनें ₹50.92 करोड़	जून 2008 से जुलाई 2012	फैंक्ट्रियों ने फैंक्ट्री प्रबंधनों एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये गये स्थापित प्रमाण-पत्र में चक्र अवधि को साबित करने पर डाटा को रिकार्ड किये बिना मशीनों को स्वीकार कर लिया।
आयुध फैंक्ट्री कानपुर वर्टिकल स्लोटिंग मशीन ₹1.85 करोड़	दिसम्बर 2008	दो मदों (शेल 130 मिमी एवं 155 मिमी कार्गो) को साबित करने के आवश्यकता के प्रति केवल एक मद के लिए (130 मिमी कार्गो) मशीन को साबित किया गया था। इसके बावजूद भी फैंक्ट्री ने मशीन को स्वीकार कर लिया।
भारी वाहन फैंक्ट्री अवाडी होरोइजॉन्टल ब्रोचिंग मशीन ₹ 1.43 करोड़ सी.एन.सी. टर्नेट पंच प्रेस ₹1.49 करोड़	जनवरी 2011 दिसंबर 2010	पी.डी.आई. में छः अवयवों में से केवल चार को साबित किया जा सका। पी.डी.आई. में विचलन के साथ मशीन को स्वीकृति
गन एवं शेल फैंक्ट्री, काशीपुर 2 सी.एन.सी. वर्टिकल मशीनिंग सेंटर ₹1.05 करोड़	दिसंबर 2007 जनवरी 2008	फैंक्ट्री प्रबंधन ने आपूर्तिकर्ता द्वारा परीक्षण/गारंटी चालन के संतुष्टिजनक निष्पादन को सुनिश्चित किये बिना दोनों मशीनों को स्वीकार कर लिया। बाद में जब ब्रीच ब्लॉक एवं सियर सुरक्षा के उत्पादन के लिए उन्हें प्रचालित किया गया तो मशीनों के कुछ हिस्सों में त्रुटियाँ देखी गईं। परिणामस्वरूप उपर्युक्त विस्तृत मदों के उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु उनका प्रयोग स्लाइड के उत्पादन के लिए हुआ।
लेसर एन्ग्रेविंग मशीन ₹0.26 करोड़	जुलाई 2007	मशीन ने स्थापना परीक्षण चालन के दौरान (मार्च-जून 2007) निर्धारण करने की प्रक्रिया के पहले में कैरेक्टर के निश्चित आकार को साफ्टवेयर ने नहीं दिखाया एवं संदर्भित बिन्दु का प्रदर्शन नहीं किया। जबकि ए.जी.एम. के निर्देशों के अंतर्गत मशीन को स्वीकार कर लिया गया एवं विचार किया गया कि उसे गन-सी अनुभाग में स्थापित किया गया।
5 सी.एन.सी. मशीनें (ड्रील टैप सेंटर) ₹1.68 करोड़	सितंबर 2009	इसके बाद इसे गन-डी अनुभाग में स्थानांतरित एवं स्थापित (जुलाई 2008) किया गया जहाँ इसमें समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। मरम्मत के बावजूद भी मशीन को काम में नहीं लाया जा सका। फैंक्ट्री प्रबंधन ने एच.एम.टी. से इन मशीनों को स्वीकार कर लिया एवं आपूर्ति आदेश में निर्धारित चक्र अवधि से 94 से 186 प्रतिशत कहीं अधिक चक्र अवधि के साथ स्थापना पर विचार किया गया।

परिशिष्ट-XXV

(पैराग्राफ 8.4. 6.1 में संदर्भित)

मशीनों के प्रयोग का फैक्ट्री के अनुसार प्रतिशत

फैक्ट्री	परीक्षित मशीनों की संख्या	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13		
		उपयोगिता के प्रतिशत का आयाम			उपयोगिता के प्रतिशत का आयाम			उपयोगिता के प्रतिशत का आयाम			उपयोगिता के प्रतिशत का आयाम		
		0 से 30	31 से 65	65 से अधिक	0 से 30	31 से 65	65 से अधिक	0 से 30	31 से 65	65 से अधिक	0 से 30	31 से 65	65 से अधिक
आयुध फैक्ट्री अंबाझरी	110	2	1	107	3	1	106	4	1	105	6	11	93
आयुध फैक्ट्री कानपुर	55	40	13	2	36	15	4	36	14	5	40	11	4
भारी वाहन फैक्ट्री अवाडी	35	0	0	35	1	1	33	0	1	34	1	1	33
आयुध फैक्ट्री खमरिया	81	21	27	33	16	20	45	19	21	41	21	24	36
स्माल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर	23	13	10	0	14	9	0	15	8	0	12	11	0
गन कैरैज फैक्ट्री जबलपुर	36	0	27	9	0	25	11	0	20	16	0	7	27*
एमुनिशन फैक्ट्री किरकी		आवश्यक प्रारूप में आंकड़ा नहीं दिया गया है											
राइफल फैक्ट्री ईशापुर		आवश्यक प्रारूप में आंकड़ा नहीं दिया गया है											
गन एवं शेल फैक्ट्री काशीपुर		आवश्यक प्रारूप में आंकड़ा नहीं दिया गया है											
फील्ड गन फैक्ट्री कानपुर		आवश्यक प्रारूप में आंकड़ा नहीं दिया गया है											
कुल	340	76	78	186	70	71	199	74	65	201	80	65	193

(स्रोत: ओ.एफ.बी. को दिया गया मशीनों की उपयोगिता पर फैक्ट्री का प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा दिया गया डाटा)

* गन कैरैज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा कुल 36 परीक्षित मशीनों में से दो मशीनों के उपयोगिता में आंकड़े (पंजीकरण सं. 10231 एवं 10241) को नहीं दिया गया था।

परिशिष्ट--XXVI

(पैराग्राफ 8.4. 6.3 में संदर्भित)

मशीनरी के अल्प-उपयोग/अनुपयोग के उदाहरण मामले

मामलों के सारांश	फैक्ट्री का उत्तर
<p>1. आयुध फैक्ट्री, खमरिया</p> <ul style="list-style-type: none"> जनवरी 2004 में प्रभार में लिये गये ₹1.12 करोड़ मूल्य के दो अर्द्धस्वचालित प्रोफाइल मशीनों (पंजीकरण संख्या 10090 एवं 10091) के औजारों के उत्पादनों एवं प्राइमर के मशीनिंग के लिये आवश्यक, का प्रयोग अप्रैल 2009 एवं जनवरी 2009 से नहीं किया जा सका जिसका कारण आपूर्तिकर्ता सहयोगी फैक्ट्री (एम.टी.पी. एफ.) द्वारा कार्यशील न रहने के समस्याओं पर ध्यान न देना एवं पुर्जों को न देना था। चार उपकरणों जैसे टेस्ट इन्सट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक सिस्टम (पंजीकरण संख्या 10006), आर्मिंग टाइम चेकिंग इक्विपमेंट (पंजीकरण संख्या 10007), टेस्ट इन्सट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक सिस्टम (पंजीकरण संख्या 10008) एवं लो स्पीड स्पीनिंग मशीन (पंजीकरण संख्या 9763) के 84 मिमी एच.ई.ए.टी. गोला बारूद के फ्यूज के लिए उत्पादन लक्ष्यों के आवंटन न होने के कारण 2010-2011 एवं 2011-2012 में ₹1.36 करोड़ मूल्य के इन मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सका जिसके लिये मशीनों की आवश्यकता थी। अक्टूबर 2003 एवं अगस्त 2004 के बीच 30 मिमी कारतूस खोल के लिए आवश्यक ₹1.88 करोड़ मूल्य के एच.एम.टी. छः स्पीडल ऑटो (पंजीकरण संख्या 10082), केस ट्रिमिंग मशीन (पंजीकरण संख्या 10146) एवं ऑयल हाइड्रोलिक प्रेस (पंजीकरण संख्या 10089) की प्राप्ति की परंतु उत्पादन लक्ष्य को पाने की कमी के कारण 2008-2009 से उसका प्रयोग नहीं किया जा सका। 84 मि.मी. एच.ई.ए.टी. गोला-बारूद के फ्यूज के स्वदेशीकरण में विलंब के कारण उसकी स्थापना से (जनवरी 2009) केवल छः महीनों के ₹1.78 करोड़ के मूल्य के आर्मिंग डिवाइस एसेम्बली लाइन (पंजीकरण संख्या 10424) का प्रयोग किया जा सका। 	<p>अलौह सामग्री पर सीमित पार्श्वचित्र के लिये डिजाइन किये गये मशीनों के कारण कोई काम नहीं किया जा सका।</p> <p>कोई भी उत्पादन कार्यक्रम न होने के कारण मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सका।</p> <p>वैकल्पिक उद्देश्य के लिए मशीनों का प्रयोग करने का प्रयत्न किया जा रहा था।</p> <p>आर्मिंग डिवाइस के स्वदेशीकरण के लिये नियोजित तिथि को मार्च 2013 को पुनः निर्धारित किया गया।</p>
<p>2. आयुध फैक्ट्री, अंबाझरी</p> <p>₹ 1.02 करोड़ मूल्य के स्कैनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप के लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार प्रतिदिन तीन से चार नमूनों के उपयोग का प्रस्ताव रखा गया था। लागत की वसूली पाँच-छः वर्षों की अवधि के भीतर की जानी थी परंतु ओ.एफ.ए.जे. ने माइक्रोस्कोप का प्रयोग केवल चार से छः नमूने प्रति माह कर रही थी।</p>	<p>विभिन्न अनुभागों से प्राप्त नमूनों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता था।</p>
<p>3. आयुध फैक्ट्री, कानपुर</p> <ul style="list-style-type: none"> इन गोला-बारूदों के उत्पादन के निलंबन के कारण 130 मिमी एवं 155 मिमी कार्गो गोला-बारूद के शेल बॉडी के उत्पादन के लिए दिसम्बर 2008 एवं फरवरी 2009 में अधिप्राप्ति तथा स्थापित की गई ₹ 4.76 करोड़ के कीमत की दो मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सका। 2009-2012 की अवधि के दौरान 37.34 से 74.67 प्रतिशत की सीमा तक सितंबर 2009 में स्थापित बैरल पर ऑटोप्रीटेज कार्रवाई के लिए ₹18.51 करोड़ के मूल्य के हाइड्रोलिक ऑटोप्रीटेज प्लांट का अल्प-प्रयोग हुआ। ओ.एफ.सी. ने शेट ब्लास्टिंग प्रचालन के लिए ₹0.50 करोड़ के एक शॉट ब्लास्टिंग मशीन की अधिप्राप्ति की। 2009-2012 की अवधि के दौरान 84.61 से 95.20 प्रतिशत की सीमा तक जनवरी 2009 में स्थापित मशीन का अल्प-प्रयोग हुआ। 2009-2012 की अवधि के दौरान वांछित उद्देश्य के लिए 81 मिमी मोर्टार एवं टेल इकाइ 2ए के उत्पादन की अधिप्राप्ति ₹1.42 करोड़ मूल्य के चार मशीनों का प्रयोग नहीं किया जा सका। 9-2012 की अवधि के दौरान विभिन्न औजारों एवं 120 मि.मी. वारहेड आर.डी.एम.एस., 100 एल.वी.एस. एयर बम्ब, राइफल ग्रेनेड, शेल 30 मि.मी. वी.एम.पी.- II, 30 मिमी जी.एच.ए.एस.ए., 23 मिमी जी.एच.ए.एस.ए. के उत्पादन के लिए अधिप्राप्त ₹7.07 करोड़ मूल्य के बारह मशीनों का प्रयोग वांछित उद्देश्य के लिये नहीं किया गया। 	<p>इन विशेष उद्देश्य के मशीनों का प्रयोग ओ.एफ.बी. से गोला-बारूद के लिए उत्पादन लागत के प्राप्ति के पश्चात् ही किया जायेगा।</p> <p>नीतिबद्ध उद्देश्यों के लिए अपनी आवश्यकता के कारण ही प्लांट का अल्प-उपयोग हुआ।</p> <p>विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली मशीन एवं नीतिबद्ध प्रवृत्ति के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।</p> <p>81 मि.मी. मोर्टार का कार्यभार ओ.एफ.सी. से स्थानांतरित कर दिया गया था। इन मशीनों का प्रयोग अन्य अवयवों के उत्पादन के लिए किया जा रहा था।</p> <p>मशीन का प्रयोग वांछित उद्देश्य का न होकर अन्य मर्दों के उत्पादन में हुआ।</p>

मामलों के सारांश	फैक्ट्री का उत्तर
<ul style="list-style-type: none"> 2009-2012 की अवधि के दौरान पिनाका रॉकेट के स्टैबलाइजर संयोजन के मशीनिंग के लिए अधिप्राप्त ₹ 2.99 करोड़ मूल्य के चार सी.एन.सी. मशीनों का अल्प-उपयोग हुआ। 	<p>पिनाका अवयवों के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के अलावा शेल 130 मिमी एवं 155 मिमी के लिये मशीनों का प्रयोग किया गया।</p> <p>हमने यह पाया कि पिनाका स्टैबलाइजर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा चूंकि उसने 2009-2012 के दौरान 3646 सेट के लक्ष्य के प्रति केवल 1219 सेटों को जारी किया।</p>
<p>4. भारी वाहन फैक्ट्री, अवाडी</p> <p>दिसंबर 2007 में प्राप्त कम्प्लिटिंग आर्टिकल (सी.ए.) शॉप से 6 मि.मी. चौड़ाई तक नौ अवयवों को काटने के लिये ₹1.49 करोड़ मूल्य के एक सी.एन.सी. टर्नेट पंच प्रेस को औजारीकृत किया गया। परंतु फरवरी 2008 में प्रेस को शीट मेटल (एस.एम.) शाप में स्थानांतरित कर दिया चूंकि वर्णित अवयवों को निर्मित करने के लिए सी.ए. शाप में उपलब्ध सुविधायें अपर्याप्त थीं। चूंकि आदेशानुसार फर्म मशीन को पुनः प्रतिष्ठित करने में असफल रही, एच.वी.एफ. ने विशिष्टि में विभिन्न विचलन, औजार के कार्यशील न रहने, मशीन की स्थापना में फर्म की असफलता आदि का विश्लेषण करने के पश्चात मूलतः यह निर्णय लिया कि एल्युमिनियम की शीटों का प्रयोग नहीं किया जायेगा बल्कि एस.एम. शाप से 3 मि.मी. की चौड़ाई तक के साथ स्टील की शीटों को काटने के लिये मशीन का प्रयोग किया जायेगा।</p>	<p>औजार-कार्य समस्या का क्षेत्र था एवं एस.एम. शाप में प्रयोग के फर्म से आपूर्ति किये गये औजारों में विशेष सामग्री के साथ कुछ और औजारों का विकास/उत्पादन किया गया।</p> <p>चूंकि मशीन सी.ए.शाप के लिए वास्तविक रूप से औजारीकृत किया गया था, सी.ए. शाप में उपलब्ध लेसर से काटने वाले मशीन के संदर्भ में उसे एस.एम. शाप में स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप एस.एम.शाप में ही मशीन का अल्प-उपयोग हुआ।</p>
<p>5. एमुनिशन फैक्ट्री, किरकी</p> <p>फैक्ट्री ने ₹6.74 करोड़ के एक होरीजॉन्टल ट्रांसफर प्रेस का आयात किया (मार्च 2009) एवं विभिन्न डिटोनेटर के लिए आवश्यक एल्युमिनियम ट्यूब के 19.20 मिलियन राउन्ड्स के उत्पादन हेतु उसकी स्थापना की (नवंबर 2010)। स्थापना के पश्चात 2011-2012 के दौरान फैक्ट्री ने दो मिलियन ट्यूब का उत्पादन किया और इस प्रकार से अपनी क्षमता का केवल 10 प्रतिशत प्रयोग किया। ए.एफ.के. ने अंत में अपने मांग में यह स्पष्ट किया कि सिविल व्यवसाय एवं निर्यात के लिये पुर्जों की क्षमता का प्रयोग किया जायेगा।</p>	<p>सिविल व्यवसाय एवं निर्यात के लिये डिटोनेटर को विक्रय नहीं किया जा सकता था। इसके कारण अल्प उपयोग हुआ।</p>
<p>6. गन एवं शेल फैक्ट्री, काशीपुर</p> <p>फैक्ट्री ने तीन अवयवों के उत्पादन के लिये (पिस्टल बैरल, 30 मि.मी. ए.जी.एल. बैरल एवं 9 मि.मी. सब-कैलिबर आडोप्टर बैरल) अप्रैल 2002 में ₹1.28 करोड़ की लागत पर एक द्वय स्पिंडल वर्टिकल होनिंग मशीन की अधिप्राप्ति की। तीन अवयवों में से जी.एस.एफ. ने केवल एक अवयव का उत्पादन किया जैसे 2009-2010 से 2011-2012 वर्षों के दौरान पिस्टल बैरल तथा इसी अवधि में 5.66 से 17.12 प्रतिशत की सीमा तक उसका प्रयोग किया गया।</p>	<p>पूर्व में फैक्ट्री ने 30 मिमी ए.जी.एल. बैरल एवं 9 मिमी एस.सी.ए. बैरल का उत्पादन किया। चूंकि 30 मिमी ए.जी.एल. बैरल की परियोजना समाप्त हो चुकी थी, वर्तमान समय से किसी भी ए.जी.एल. बैरल का उत्पादन नहीं किया जा रहा था। जबकि मशीन 0.32" पिस्तौल के वृद्धि किये हुये लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम था।</p>
<p>7. राइफल फैक्ट्री, ईशापुर</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.56 मिमी राइफल के कवर, हाउसिंग बॉडी, पिन फायरिंग तथा सिलिंडर गैस जैसे अवयवों के हीट ट्रीटमेंट के लिये मार्च 2009 में ₹4.32 करोड़ मूल्य के एक वैक्यूम हार्डनिंग प्लांट (फर्नेस) की स्थापना की गई। मशीन का प्रयोग 2009-2010 में केवल 1.53 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-2012 में 16.92 प्रतिशत की सीमा तक ही किया जा सका। एस.पी.आर. बैरल के लिये 3.8 मिनट तथा 5.56 मिमी के लिये 3.1 मिनट के चक्र अवधि के साथ जून 2004 में 5.56 मिमी राइफल, 0.315" के बैरलों और 0.22" स्पोर्टिंग राइफल बैरल (एस.पी.आर.) के उत्पादन के लिये ₹5.02 करोड़ मूल्य के एक कोल्ड स्वेजिंग मशीन की स्थापना की। अतः औसत चक्र अवधि 3.5 मिनट प्रति बैरल था। 65828 बैरलों के क्षमता के प्रति आर.एफ.आई. ने 2009-2010 से 2011-2012 के दौरान 6555, 12665 तथा 23972 बैरलों का उत्पादन किया जिसके परिणामस्वरूप उसी अवधि में 63.58 प्रतिशत से 90.04 प्रतिशत की सीमा तक उसका अल्प उपयोग हुआ। 	<p>कार्यभार में वास्तविक ह्रास के कारण फर्नेस का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। फर्नेस को अन्य सहयोगी फैक्ट्रियों में स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा था।</p> <p>औसत चक्र अवधि 3.5 मिनट के स्थान पर 4.5 मिनट था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा द्वारा कार्यशील न रहने वाले घंटों पर विचार नहीं किया गया। परंतु मशीन के क्षमता के आकलन के दौरान सभी कारकों पर लेखापरीक्षा ने विचार किया।</p>

मामलों के सारांश	फैक्ट्री का उत्तर
<ul style="list-style-type: none"> 2009-2012 के दौरान 45 एवं 95 प्रतिशत के बीच रहने वाले बैरल अनुभाग में स्थापित सात सी.एन.सी. मशीनों के संदर्भ में क्षमता का अल्प-उपयोग हुआ। फैक्ट्री ने 5.56 मि.मी. राइफल अवयवों जैसे ब्रेकेट, ब्रीच ब्लॉक, पिस्टल एक्सटेंशन एवं हथौड़े के उत्पादन के लिये सी.एन.सी.- I एवं सी.एन.सी.- II शाप में 35 सी.एन.सी. मशीनों को रखा। ये सारी मशीनें प्रत्येक दिन तीन शिफ्टों में चलाई जा रही थीं। 2008-2009 से 2011-2012 के दौरान 42.70 प्रतिशत से 85.05 प्रतिशत की सीमा तक मशीनों का अल्पप्रयोग हुआ। फैक्ट्री ने 5.56 मि.मी. राइफल के स्लाइड रिट्रैक्टिंग के उत्पादन के लिये ₹0.76 करोड़ की लागत पर एक औजारिकृत सी.एन.सी. 3 एक्सिस वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की अधिप्राप्ति की (फरवरी 2010)। अक्टूबर 2010 में प्राप्त मशीन की स्थापना फरवरी 2011 में हुई किंतु उसे मैग्जीन पॉकेट और स्पोर्टिंग राइफल (बॉडी) के डवटेल के मिलिंग प्रचालन के लिये उपयोग किया गया। फैक्ट्री ने 5.56 मि.मी. राइफल के लिये ब्रेकेट के उत्पादन के लिये ₹5.43 करोड़ की लागत पर दिसंबर 2006 में पाँच सी.एन.सी. एच.एम.सी. मशीनों की अधिप्राप्ति की। मशीनों की प्राप्ति मार्च 2008 में हुई एवं उसकी स्थापना अगस्त तथा दिसंबर 2008 के बीच हुई। पाँच मशीनों में से ₹ 3.36 करोड़ मूल्य की तीन मशीनों (पंजीकरण संख्या 12936, 12937, तथा 12941) को पिस्टल एक्सटेंशन (5.56 मि.मी.) और पिस्तौल (9 मि.मी.) के उत्पादन के लिये किया गया। फैक्ट्री ने 5.56 मि.मी. राइफल के लिये ब्लॉक ब्रिच के उत्पादन के लिये ₹5.35 करोड़ की लागत पर पाँच सी.एन.सी. एच.एम.सी. मशीनों के अधिप्राप्ति के लिये सितंबर 2006 में एक आदेश प्रस्तुत किया। मशीनों की स्थापना दिसंबर 2008 एवं फरवरी 2010 के बीच हुई। पाँच मशीनों में से ₹2.14 करोड़ के मूल्य के दो मशीनों को ब्रेकेट, ब्लॉक रियर तथा पिस्टल एक्सटेंशन के उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया गया जिसका परिणाम वांछित मर्दों के लिये उनके अल्प-उपयोग के रूप में हुआ। 	<p>सी.एन.सी.मशीनों का कम उपयोग अक्षमता के कारण नहीं था बल्कि इसका कारण फैक्ट्री को आवंटित कम वार्षिक लक्ष्य था। लक्ष्य के अनुसार अवयवों के उत्पादन के लिये मशीनों का उपयोग किया गया तथा अतिरिक्त क्षमता को अन्य अवयवों के लिये किया गया।</p> <p>शुरूआत में मशीन का प्रयोग स्लाइड रिट्रैक्शन के उत्पादन के लिये किया गया। बाद में इनपुट सामग्री की अनुलब्धता के कारण उत्पादन रोक देना पड़ा। अंततः मशीन का प्रयोग स्पोर्टिंग राइफल तथा 12 बोर गन के बॉडी को बनाने के लिये किया गया।</p> <p>चूंकि पिस्टल एक्सटेंशन के उत्पादन का कार्य काफी पुरानी मशीनों में किया जा रहा था, दो मशीनों का प्रयोग पिस्टल एक्सटेंशन के लिए आवश्यक था।</p> <p>ब्रिच ब्लॉक के उत्पादन के लिये उच्च चक्र अवधि के साथ छः पुरानी मशीनें पहले से ही लगी हुई थीं तथा उपर्युक्त कहे गये अवयव के लिये ज्यादा से ज्यादा नौ मशीनों का प्रयोग किया जा सकता था।</p>

परिशिष्ट-XXVII

(पैराग्राफ 8.15 में संदर्भित)

(लेखापरीक्षा की आपत्ति के दौरान आयुध फैक्ट्रियों से प्रभावित वसूलियों के विस्तृत सूचना को दर्शाते हुए विवरण)

मामला संख्या	अनियमितताओं की प्रकृति	आपत्तिजनक राशि (₹ लाख में)	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	वसूली गई राशि (₹ लाख में)
1	हैदराबाद मेट्रोपोलिटन वाटर सप्लाई एवं सिवरेज बोर्ड ने दिसम्बर 2011 से प्रभावी पानी के दरों का संशोधन किया। परंतु आयुध फैक्ट्री मेडक ने जनवरी 2013 तक उनके संपदा के अधिभोक्तों से संशोधित पानी के दरों की वसूली नहीं की।	37.14	38.19	37.82
2	घरेलू पानी खपत के खपत के लिये समय-समय पर लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरिंग विभाग, बोलंगीर, उड़ीसा सरकार द्वारा पानी के दरों को निर्धारित कर दिया गया था। मई 1990 से दिसम्बर 2011 के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दर के अनुसार पानी के दरों को आयुध फैक्ट्री बोलंगीर ने वसूल नहीं किया था।	175.00	11.63	11.63
3	सल्फ्यूरिक एसिड कनसन्ट्रेशन प्लांट के अधिप्राप्ति, स्थापना एवं संयोजन के लिये अक्टूबर 2006 में कारडाइट फैक्ट्री अरुखनकडू (फैक्ट्री) ने मेसर्स इंजीनियर्स प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड कोलकाता (ई.पी.आई.एल.) के साथ एक करार किया। मिट्टी एवं सर्वे निरीक्षण दरों का वहन ई.पी.आई.एल. द्वारा किया जाना था। परंतु जून 2007 में भुगतान की अदायगी करते समय फैक्ट्री ने ई.पी.आई.एल. को मिट्टी एवं सर्वे निरीक्षण दरों को वापस कर दिया।	13.00	13.00	13.00
4	आयुध फैक्ट्री इटारसी (ओ.एफ.आई.) ने जनवरी 2011 के आपूर्ति आदेश के प्रति “दर प्रति लीटर” के स्थान पर “दर प्रति किलोग्राम” के आधार पर भुगतान के प्रति इंडियन आयल कारपोरेशन से 15 लाख लीटर का फर्नेस तेल प्राप्त किया एवं साथ ही साथ उसके साथ प्रभावी छूट प्राप्त प्रमाण-पत्र होने के बावजूद चुंगी प्रवेश कर एवं अन्य अनिवार्यता जैसे स्थानान्तरण दरों को वापस कर दिया।	164.69	61.49	61.49
5	एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी ने 1146.97 एकड़ जमीन के प्राप्ति के लिये किरकी छावनी बोर्ड को सेवा दरों की छूट दे दी जबकि उन्हें 865.684 एकड़ जमीन के वास्तविक प्राप्ति किरकी छावनी क्षेत्र में होनी थी जिसके कारण सेवा दरों का अतिरिक्त भुगतान हुआ।	85.56	62.92	62.92
6	जुलाई 2010 से फैक्ट्री संपदा के अधिभोक्तों से अप्रैल 2011 में रक्षा मंत्रालय द्वारा बढ़ाये गये लाइसेंस शुल्क के दरों की वसूली करनी थी। आयुध उपस्कर फैक्ट्री कानपुर एवं आयुध फैक्ट्री मुरादनगर ने जुलाई 2010 से जनवरी 2012 तक उनके संपदा के अधिभोक्तों से बढ़े हुये दरों पर लाइसेंस शुल्क की वसूली नहीं की।	40.56	40.56	31.39
	महायोग	515.95	227.79	218.25

परिशिष्ट-XXVIII

(पैरा 9.1.3.4 और 9.1.5.6 में संदर्भित)

एच ए एल के कई प्रभागों में मरम्मत और ओवरहॉल से संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति दर्शाने वाली विवरणिका

महत्वपूर्ण पड़ाव	सरकार की संस्वीकृति के अनुसार अवधि	वर्तमान स्थिति			
		नासिक	लखनऊ	हैदराबाद	कोरवा
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि	टी ₀ (अगस्त 2009)	13 अगस्त 2009	अगस्त 2009	13 अगस्त 2009	अगस्त 2010
रूसी पक्ष द्वारा आरटीडी एण्ड डीडीटीईएम की आपूर्ति	टी ₀ + 15 महीने (नवम्बर 2010)	दिसम्बर 2012 तक सभी दस्तावेजों को प्राप्त किया	सभी दस्तावेजों को प्राप्त किया	सभी दस्तावेजों को प्राप्त किया	दिसम्बर 2012 तक सभी दस्तावेजों को प्राप्त किया
रूसी पक्ष द्वारा तकनीकी उपकरण एवं औजार की आपूर्ति	टी ₀ + 18 महीने (फरवरी 2011)	आंशिक आपूर्ति प्राप्त की। दिसम्बर 2013 तक प्रत्याशित	सभी तकनीकी उपकरण एवं औजार की आपूर्ति की।	सभी एनएसई औजार प्राप्त किये। चालूकरण प्रगति पर है	जनवरी 2013 तक सभी एनएसई औजार प्राप्त किये।
आरओएच के लिए कलपुर्जों की आपूर्ति	टी ₀ + 24 महीने (अगस्त 2011)	अप्रैल 2013 में कलपुर्जों के लिए एसएज् पर हस्ताक्षर हुए। 35 लाईनों के लिए कलपुर्जों प्राप्त किये। शेष (सितम्बर 2013) प्रत्याशित थे	मार्च 2013 में कलपुर्जों के लिए एसएज् पर हस्ताक्षर हुए। कलपुर्जों के ग्रुप सेट दिसम्बर 2013 तक प्रत्याशित है।	11 सेट के संबंध में सामग्री प्राप्त हुई। शेष मार्च 2014 तक प्रत्याशित है।	मार्च 2013 में कलपुर्जों के लिए एसएज् पर हस्ताक्षर हुए। आंशिक आपूर्ति प्राप्त हुई। शेष दिसम्बर 2013 तक प्रत्याशित है।
ओवरहॉल करने के लिए तैयारियाँ	टी ₀ + 30 महीने (फरवरी 2012)	-उपलब्ध एयरफ्रेम की डिस्मेंटलिंग एवं ढाँचागत मरम्मत के लिए सुविधायें। - दिसम्बर 2013 तक पूर्ण सुविधा अपेक्षित थी। - एयरफ्रेम और एग्रीगेट्स के लिए आरओएच प्रारम्भ की।	70 एलआरयू का आरओएच कार्य पहले ही स्वीकृत किये गए। शेष 17 एलआरयू के लिए 2013-14 से आगे नियोजित किया गया है।		विद्यमान विनिर्माण सुविधा को समान मर्दों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

परिशिष्ट-XXIX

(पैरा 9.1.5.1 में संदर्भित)

₹ 762.70 करोड़ के पूंजीगत निवेश के संबंध में प्रभागवार ब्यौरा

I. सिविल निर्माण कार्य

प्रभाग	मुख्य क्षेत्र	मूल्य (₹ करोड़ में)
नासिक	1. उड़ान हैंगर कॉम्प्लेक्स जिसमें मुख्य हैंगर, नॉन-एको चैम्बर, ईंधन हैंगर, इंजन ग्राउंड रन हैंगर आदि सम्मिलित है। 2. नए उपकरणों तथा नए लूमस विनिर्माण शालाओं के लिए प्रकार्यात्मक परीक्षण प्रयोगशाला 3. उप असम्ब्लि कॉम्प्लेक्स में विस्तारण/ आशोधन 4. एन सी शॉप काम्प्लेक्स का विस्तारण	62.90
कोरापुट	1. एन सी शॉप, शीट धातु शॉप, मशीन शॉप, और संबद्ध सुविधाओं के साथ असम्ब्लि शॉप सहित एक नया काम्प्लेक्स 2. ब्लेड कास्टिंग्स और टाईटानियम कास्टिंग्स के लिए नया ढलाईखाना 3. गढ़ाई के लिए फोर्ज शॉप का विस्तारण	85.00
लखनऊ	1. ईंधन, हाइड्रॉलिक एग्जिगेटस के लिए नई असम्ब्लि और परीक्षण ब्लॉक 2. मशीन शॉप एवं प्रोसेस शॉप	21.47
हैदराबाद	नई इकाईयों के लिए नई असम्ब्लि और परीक्षण ब्लॉक	22.86
कोरवा	ओ एल एस तथा संचालन प्रणालियों की नई असम्ब्लि और परीक्षण ब्लॉक	12.43
		204.66

II. प्रभाग वार अभिनिर्धारित मशीनों और उपकरणों की संख्या

प्रभाग	मशीनों की संख्या	कुल लागत	विदेशी विनिमय घटक (₹ करोड़ में)
नासिक	205	116.20	91.61
कोरपुट	1330	274.62	149.25
लखनऊ	423	58.34	40.80
हैदराबाद	199	64.08	54.58
कोरवा	275	44.80	25.54
कुल	2432	558.04	361.88

स्रोत: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

परिशिष्ट--XXX

(पैरा 9.1.5.6 में संदर्भित)

एच ए एल के विभिन्न प्रभागों पर मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए संस्वीकृति तथा व्यय को दर्शाने वाला विवरण

क. संस्वीकृत राशि का आवंटन				
(₹ करोड़ में)				
पूंजीगत व्यय				
	नासिक	लखनऊ	हैदराबाद	कोरवा
2008 के स्तर पर संस्वीकृत	283.35	29.20	55.14	33.88
व्यय का स्तर	311.44	31.76	60.31	34.99
आस्थगित राजस्व व्यय				
2008 के स्तर पर संस्वीकृत	816.19	165.50	250.58	159.90
व्यय का स्तर	923.79	188.38	282.81	179.84
सितंबर 2013 तक किया गया व्यय				
पूंजीगत व्यय	95.47	16.88	16.54	4.71
आस्थगित राजस्व व्यय	465.23	121.57	200.32	124.81